

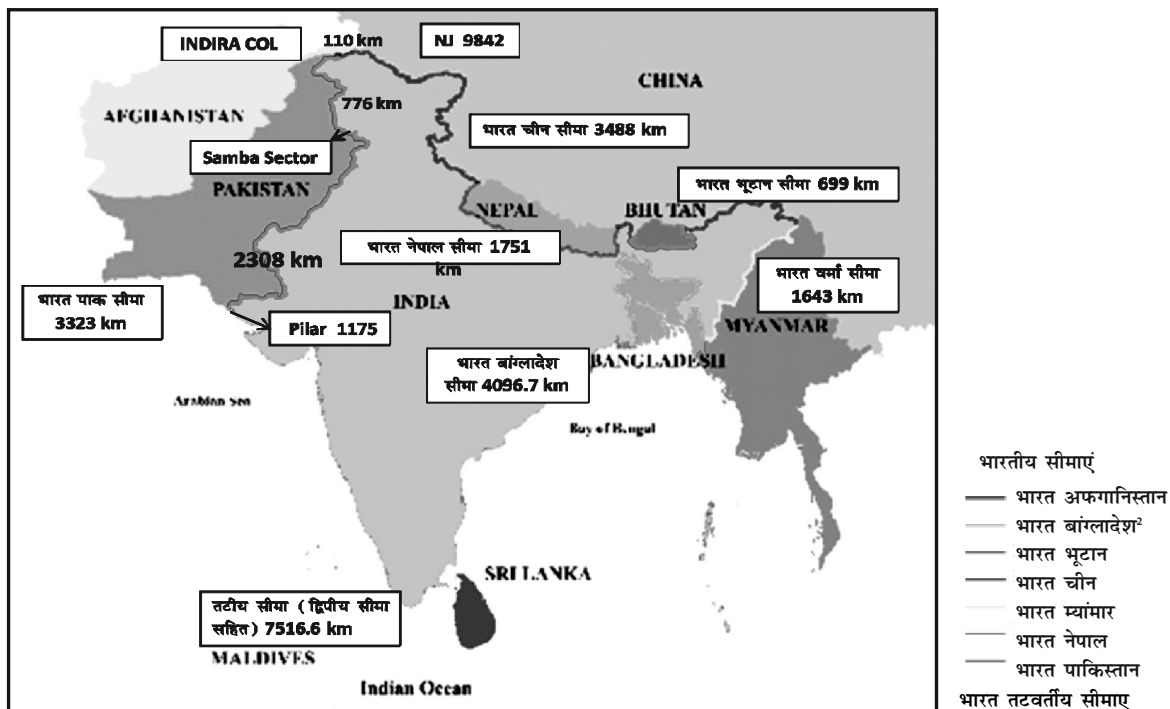
भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन (Security Challenges in Frontier Areas of India & their Management)

परिचय (Introduction)

किसी भी सम्पन्न देश के लिए समावेशी विकास के साथ सीमा-सुरक्षा भी आजकल की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि वैश्वीकरण के कारण संचार व्यापार के साथ-साथ अतिक्रमण तथा महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत भी एक अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सामरिक स्थिति से युक्त देश है। भारत 7 देशों के साथ 15,106.7 किमी. की स्थलीय सीमा को साझा करता है।

बांग्लादेश ¹	- 4096.7 किमी.
चीन	- 3488 किमी.,
पाकिस्तान	- 3323 किमी.
नेपाल	- 1751 किमी.,
म्यांमार	- 1643 किमी.,
भूटान	- 699 किमी.,
अफगानिस्तान	- 106 किमी., (स्रोत- गृहमंत्रालय)

भारत से जुड़ी अंतराष्ट्रीय स्थलीय एवम् समुद्र तटीय सीमाएँ

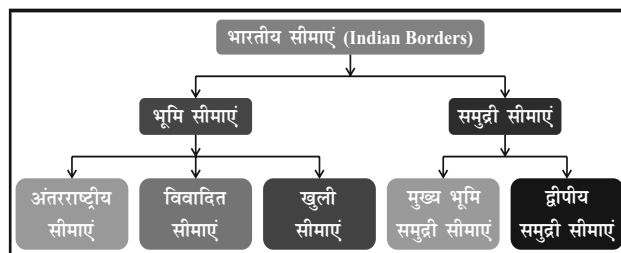


इसके अलावा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, जिसकी समुद्री सीमा (द्वीपीय सीमाओं के साथ) 7516.6 किमी. है, जो विश्व में 15वीं सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। इसमें 5,422 किमी. मुख्य भूमि की समुद्री सीमा तथा 2094 किमी. की द्वीपीय सीमा है। यह समुद्री सीमा 9 राज्यों (गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,

तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) तथा 4 केन्द्रशासित प्रदेशों (लक्षद्वीप-मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार) से लगी है। भारत की समुद्री सीमा 7 देशों के साथ साझा होती है यथा- पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाइलैंड, म्यांमार तथा बांग्लादेश।

1. भारत-बांग्लादेश संबंध को सकारात्मक दिशा एवं विवादहीन बनाने के उद्देश्य से हाल ही में 'प्रथम सिलहट सिलचर फेस्टिवल' का आयोजन असम में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने किया। इस फेस्टिवल में भारत के पूर्वोत्तर विभाग के मंत्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे।
2. भारत-बांग्लादेश के बीच सीमा-विवाद से संबंधित कई समझौते हुए हैं तथा कई बार दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने 'पिपुल टू पिपुल कॉन्टेक्ट' पर अधिक ध्यान देने की नीति को अपनाया है। (प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के मई 2014 ई में पी.एम. बनने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच 13 बार बैठक हो चुकी है।)

भारतीय सीमाओं का वितरण (Distribution of Indian Borders)



- **मुख्य भूमि समुद्री सीमाएँ (Mainland Maritime Borders)**- यह सीमा भारत की मुख्य भूमि अर्थात् प्रायद्वीपीय क्षेत्र को घेरने वाली रेखा है।
- **द्वीपीय समुद्री सीमाएँ (Island Maritime Borders)**- यह भारत के द्वीपों को घेरने वाली रेखा है।

भारत की सीमा संबंधी चुनौतियां क्यों ?

- **अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ (International Borders)** - ये पूरी तरह सीमांकित तथा अपवाद के कुछ घटनाओं को छोड़कर साझा करने वाले पक्षों द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त होती हैं।
विवादित सीमाएँ (Disputed Borders) - ये सामान्यतः युद्ध विराम या आक्रामकता का परिणाम होते हैं, जैसे जम्मू एवं कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC-line of Control) तथा वास्तविक स्थल अवस्थिति रेखा (AGPL - Actual Ground Position Line)। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में ही चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (Lac - Line of Actual Control) एक युद्ध विराम सीमा है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद आस्तित्व में आई। ये विवादित सीमाएँ पिछले चार वर्षों से चर्चा में हैं।
 - **'खुली सीमाएँ (Open Borders)** - लंबे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए नेपाल तथा भूटान के साथ भारत की कुछ विशेष सीमा-प्रबंधन व्यवस्था है। इन दोनों देशों के साथ भारत की खुली सीमा है।
 - भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जी-20 देशों में शामिल एक महत्वपूर्ण देश है।
 - लगभग हर बड़े मंच पर भारत सदस्य या तो पर्यवेक्षक के तौर पर सम्मिलित होता है।
 - भारत अब बोलता है, तो दुनिया सुनती है, रूस, यूक्रेन युद्ध में यह उदाहरण देखा जा सकता था।
 - भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सकारात्मक राज्य बनी है।
 - उपरोक्त सकारात्मक तथ्यों के बाद भी भारत की अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि 1947 में ही अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ ऐसी सामरिक या भौगोलिक विवाद को गढ़कर भारत से विदा होने से पूर्व जो औपचारिकता की जो आज तक हल नहीं हो पाया।
 - भारत के सामने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती है।

भारत एक प्रायद्वीप देश है जहाँ स्थलीय एवं समुद्रीय तटीय सीमाएं साथ में लगी है जो निम्न प्रकार से रणनीतिक तौर पर विभाजित है:-

- सीमा पारीय आतंकवाद (Cross Border Terrorism)
- गैर-कानूनी व्यापार (Illegal Businesses)
- वस्तुओं की तस्करी (Smuggling of goods)
- गैर-कानूनी प्रवासन (Illegal Migrants)
- मादक द्रव्यों तथा मानव की तस्करी (Drugs and human trafficking)
- हथियारों की तस्करी (Arms Smuggling)
- नकली नोटों की तस्करी (Smuggling of fake currencies)
- वामपंथी तत्वों का उभार (The rise of leftist elements)
- अलगाववादी आंदोलनों को बाहरी मदद (External help to separatist movements)
- सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासन में रूकावटें (Interruption in the administration of border area)
- अनाधिकृत कब्जे (Unauthorized Possession)

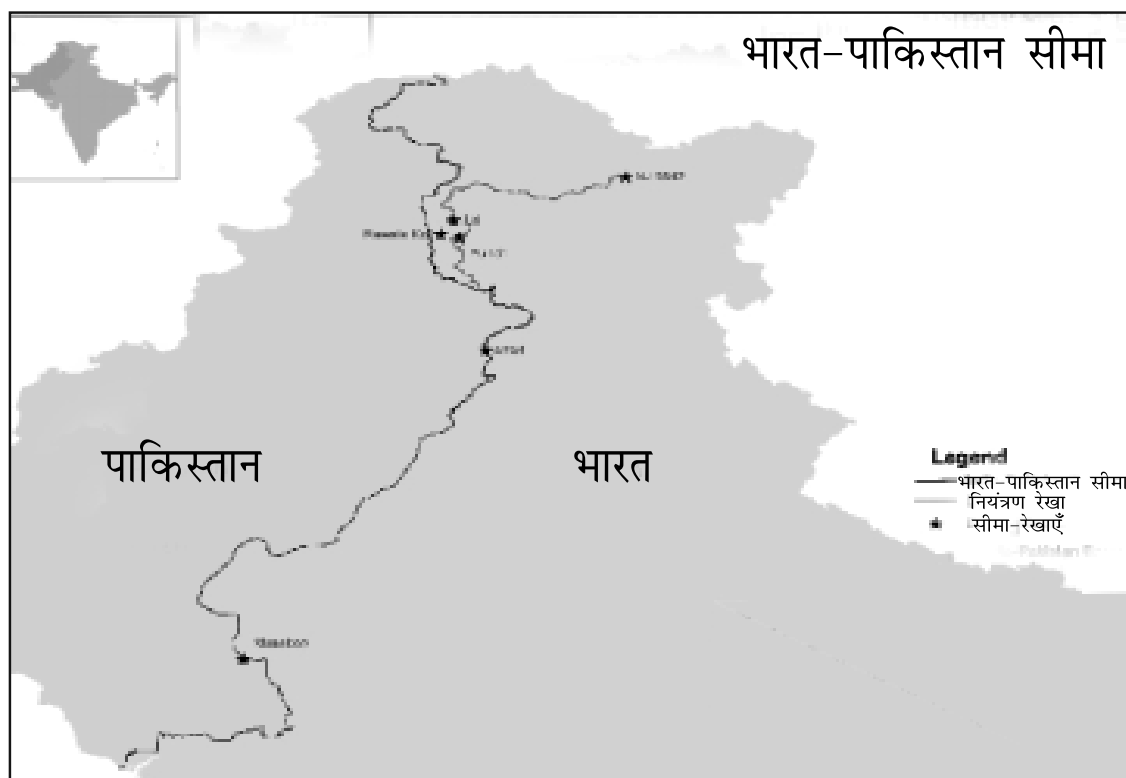
- सीमावर्ती क्षेत्र के जन-जीवन को हानि (Loss of life in the border area)
- नदी-जल विवाद (River water dispute)
- सीमावर्ती क्षेत्रों में जातीय हिंसा आदि। (Ethnic violence etc. in the border areas)

उपरोक्त समस्याएँ कम या अधिक रूप में भारत के लगभग सभी सीमाओं पर उपस्थिति दर्ज कराती है तथा क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार की समस्या ज्यादा गहराई में जड़ जमाए हैं। देश-विदेश के साथ हम इन्हें निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं-

भारत - पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन (India - Pakistan Border Security Challenges and Management)

भारत-पाक सीमा का आकार एवं प्रकृति (Shape and Nature of Indo-Pak Border)¹

पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा 3323 किमी. की छिद्रित सीमा है जहाँ प्राकृतिक बाधाएँ सीमित क्षेत्रों में अत्यधिक हैं। इस सीमा को 3 अलग-अलग भागों में रखा जा सकता है-



1. भारत के साथ पाकिस्तान का संबंध सामान्य नहीं है, भारत का यह सिद्धांत पूर्ण रूप से अभी भी संकल्पित है कि किसी भी स्थिति में भारत-पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता।

- भारत-पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। यह 2308 किमी. लंबी है तथा गुजरात से लेकर जम्मू-कश्मीर के जम्मू जिले तक फैली है।
- नियंत्रण रेखा (Line of Control -LoC) युद्ध विराम रेखा है, जो 1948 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, यह 776 किमी. लंबी है तथा जम्मू, रजौरी, पूंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, कारगिल और लेह के कुछ भाग तक जाती है।
- वास्तविक स्थल अवस्थिति रेखा (Actual Ground Position Line -AGPL) जो 110 किमी. लंबी है तथा एनजे 9842 से उत्तर में इंदिरा कॉल तक है।

¹भारत-पाक सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ (Security challenges in the Indo-Pak Border areas)

- एलओसी तथा एजीपीएल पर दोनों देशों की सेनाओं और सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़पों और फायरिंग से लगातार तनाव बना रहता है। इससे यहां बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हताहत होते रहते हैं। एलओसी पर विदेशी आतंकवादियों, कश्मीरी अलगाववादियों तथा पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। सीमा-पार आतंकवादी भी अधिकांशतः इसी सीमा से भारत में प्रवेश करते हैं। 26/11 के मुम्बई हमले के आतंकी इसी समुद्री सीमा से प्रवेश करके आए थे।
- पाकिस्तानी सीमा पर सीमित क्षेत्र में कोई भौगोलिक बाधा नहीं है, अतः यह सीमा को छिद्रदार बनाता है। इस कारण से इस सीमा पर कई गैरकानूनी गतिविधियों जैसे माल की तस्करी, नशीले पदार्थों तथा मानव की तस्करी, हथियारों की तस्करी तथा घुसपैठ इत्यादि होते रहते हैं। हेरोइन तथा नकली भारतीय नोट इस सीमा पर तस्करी के मुख्य आकर्षण हैं। दूसरी वस्तुओं में केसर, कपड़े, पारा आदि शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा नकली नोटों की तस्करी भी की जाती है। नकली नोट भारत-पाक सीमा या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि होते हुए भी भारत में पहुंचाए जाते हैं।
- भारत-पाकिस्तान सीमा द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी किया जाता है तथा इसका प्रयोग कश्मीर में कट्टरपंथियों को मदद पहुंचाने के लिए करेंसी की

तरह किया जाता है। इससे अलगाववाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। ये मादक पदार्थ मुख्यतः जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के रास्ते भारत पहुंचाये जाते हैं।

- इसके अलावा सीमा विवाद, छिटपुट झड़पें, सीमा पर फायरिंग द्वारा नागरिकों को जान-माल की क्षति, नदी जल विवाद आदि जटिल समस्याएं भी इस सीमा पर हमेशा से मौजूद रही हैं। सीमा पर मनी लॉन्ड्रिंग भी जोरों पर है। पंजाब खासकर लुधियाना में बड़े स्तर पर हवाला कारोबार फल-फूल रहा है।
- इसके अलावा सीमावर्ती जनसंख्या पर पाकिस्तान के प्रतिकूल प्रचार का भी प्रभाव पड़ता है जो उनकी वफादारी को बरगलाने तथा खत्म करने के लिए किये जाते हैं। सर क्रीक क्षेत्र के खास भू-स्वरूप के कारण सीमा सुरक्षा बलों की आवाजाही में कठिनाई होती है, इससे यहां गैरकानूनी रूप से मछली पकड़ने को भी प्रोत्साहन मिलता है।

²भारत-पाक की इस समुद्री सीमा पर मछुआरों द्वारा एक दूसरे के समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करने और गिरफ्तार होने की घटनाएं भी आम हैं। इन मछुआरों को पाकिस्तान द्वारा अपने एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जाता है तथा इनकी जब्त नौका का प्रयोग हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों को भेजने, विस्फोटक आदि भारतीय सीमा में पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

चुनौतियाँ		प्रबंधन
1.	सीमा रेखा से जुड़े विवाद ● नियंत्रण रेखा (LOC) ● सियाचीन विवाद ● सरक्रीक विवाद ● अन्य (सीमा से लगे गाँव तथा अन्य जमीनी विवाद)	भारतीय सेना तथा सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सीमा पर गश्ती तथा पाक सेना को लगातार दिया गया मूहतोड़ जबाब
2.	पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पर विवाद	सीमा पर कंटीले तारों का जाल, सीमा से सटे गाँवों में बुनियादी विकास तथा 24 घंटे जाल-माल की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सेना तथा सुरक्षा बलों द्वारा किया गया प्रयास (जान-माल की सुरक्षा)

1. 1 दिसम्बर 2022 को पंजाब के भारत-पाक सीमा क्षेत्र में पंजाब पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक ड्रोन को पकड़ा जिस पर 5 किलो हिरोइन लदा था। कुछ दिन पहले ही फिरोजपुर, पंजाब में सीमा पर 5 ए.के. 47 एवं पांच पिस्टल जब्त किया गया था।
2. हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के साथ चीन की सीमा-विवाद संबंधी मुद्दे को असामान्य बताया है। उन्होंने राज्य सभा में कहा कि हमारे देश के मिलिट्री कमांडर एवं चीन के मिलिट्री कमांडर के बीच नियमित इस मुद्दे पर बातचीत होती है पर इस मुद्दे को सामान्य नहीं समझना चाहिए, यह स्थिति दो साल से चल रही है।

3.	सीमा पार तथा पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी चुनौतियाँ	“सुरक्षा बलों को उन्नत तथा अधिक स्मार्ट बनाने का प्रयास”
4.	“पाकिस्तानी सेना के द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन तथा इससे जुड़ी समस्याएँ”	खूफिया एजेंसियों को अधिक यशस्वी तथा अति आधुनिक तकनीकी दक्षता से सपन्न बनाने का प्रयास
5.	“सीमा पार से नशीली दवाओं तथा ड्रग्स इत्यादि की तस्करी” “पाकिस्तान-चीन सीमा गलियारा”	सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयास

भारत-पाक सीमावर्ती क्षेत्रों का सुरक्षा प्रबंधन (Security Managment of Indo-Pak border areas)

भारत-पाक सीमा, LoC को छोड़कर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (BSF - Border Security Force) की है। यहां सीमा सुरक्षा बल की 656 बीओपी हैं। 96 कम्पोजिट बीओपी के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी गई है। LoC के प्रबंधन का दायित्व भारतीय सेना पर है। यहाँ सेना के साथ BSF की कुछ बटालियनें भी हैं, जो सेना के परिचालनात्मक नियंत्रण में कार्य करती हैं। LoC पर सेना की प्राथमिक जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना द्वारा किसी भी भौतिक अतिक्रमण/आक्रमण के प्रयास को विफल करना है। इसका दूसरा दायित्व हथियारबंद किराए के आतंकियों के घुसपैठ को रोकना है, जो पाकिस्तानी सेना तथा आईएसआई द्वारा प्रायोजित होते हैं।

अन्य उपायों में बाड़बंदी तथा तेज रोशनी वाली लाइटों का प्रयोग हो रहा है। अवांछनीय प्रवासन तथा सीमा पार से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने बाड़बंदी का फैसला किया है तथा 2043.76 किमी. में तेज रोशनी की व्यवस्था की अनुमति दी गई है। गहन चौकसी, खासकर रात के समय तेज रोशनी वाली लाइटों का इंतजाम किया गया है। 2063.066 किमी. बाड़ लगाने की स्वीकृति भी दी गई है।

भारत-पाक सीमा पर चौकियों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि एक चौकी को कम दूरी तक निगरानी करनी पड़े तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित हो। इसके अलावा आधारभूत संरचना जैसे- रोड, बिजली आदि का बड़े पैमाने पर विकास/विस्तार किया जा रहा है।

स्थलीय सीमा प्रबंधन के अलावा समुद्री सीमा प्रबंधन के लिए कोस्ट गार्ड (Coast Guard), इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के साथ निजी नौकाओं के लिए पंजीकरण, जीपीएस, तटीय जनसंख्या के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र, मछुआरों के लिए पहचान पत्र जैसे प्रबंधन किए गए हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा प्रबंधन में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयास

1. सरकार के द्वारा द्विपक्षीय औपचारिक बैठक के द्वारा किया गया “प्रत्यक्ष कूटनीतिक प्रयास”
2. “अप्रत्यक्ष कूटनीतिक प्रयास जिनमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाने, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वाहन तथा विभिन्न आर्थिक तथा बहुविषयी संगठनों से बात-चीत कर पाकिस्तान के नीयत पर सवाल खड़े करने का सफल प्रयास”
3. विभिन्न प्रयासों से आतंकवाद को पोषित करने के लिए पाकिस्तान को आत्म निरीक्षण के लिए मजबूर करने का प्रयास”

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

(China-Pakistan Economic Corridor)

इसे संक्षेप में सीपीईसी के नाम से भी जाना जाता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है जो वर्तमान में पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है। मूल रूप से \$ 46 बिलियन की लागत वाली सीपीईसी परियोजनाओं का मूल्य 62 अरब डॉलर के आसपास है। सीपीईसी का इरादा पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे का तेजी से आधुनिकीकरण करना और आधुनिक परिवहन नेटवर्क, कई ऊर्जा परियोजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। 13 नवंबर 2016 को, सीपीईसी आंशिक रूप से तब परिचालित हो गया, जब चीनी माल को अफ्रीका और पश्चिम एशिया में भेजने हेतु समुद्री शिपमेंट के लिए ग्वादर बंदरगाह तक ले जाया गया। वहाँ कुछ प्रमुख बिजली परियोजनाओं को 2017 के अंत में चालू किया गया था।

राजमार्गों और रेलवे का एक विशाल नेटवर्क सीपीईसी के तहत बनाया जाना है, जो पाकिस्तान के पहुँच क्षेत्र को बढ़ाएगा। पाकिस्तान के ज्यादातर घाटे वाले परिवहन नेटवर्क से उत्पन्न होने वाली अक्षमता के कारण अनुमानतः सरकार को देश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 3.55% नुकसान उठाना पड़ता है। सीपीईसी के तहत निर्मित आधुनिक परिवहन नेटवर्क पाकिस्तान के ग्वादर और कराची बंदरगाहों के साथ पश्चिमी चीन और मध्य एशिया को जोड़ेगा। सीपीईसी के हिस्से के रूप में कराची और लाहौर के शहरों के बीच 1,100 किलोमीटर लंबी मोटर वे का निर्माण किया जाएगा, जबकि रावलपिंडी और चीनी सीमा के बीच काराकोरम राजमार्ग पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया जाएगा। कराची-पेशावर मुख्य रेलवे लाइन को भी तक प्रति घंटे 160 किमी तक ट्रेन गति देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क को अंततः काशगर में चीन के दक्षिणी झिंजियांग रेलवे से जोड़ने के लिए बढ़ाया जाएगा। परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए अनुमानित \$ 11 बिलियन की सब्सिडी वाले रियायती ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

सीपीईसी परियोजनाओं का मूल्य 1970 से पाकिस्तान में सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के बराबर होगा, और पाकिस्तान के 2015 का सकल घरेलू उत्पाद के 17% के बराबर होगा। सीपीईसी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट और रोड पहल (BRI) का मुख्य हिस्सा माना जाता है।

भारत को असुविधाएँ (Inconvenience to India) भारत की चिंताएँ तथा चुनौतियाँ

- **सम्प्रभुता से जुड़ी चुनौतियाँ**— CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जा रहा है और इस परियोजना का प्रत्येक पहलू चीन ही देख रहा है।

पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की उपस्थिति बढ़ना भारतीय सम्प्रभुता तथा सामरिक हित के लिए कतई ठीक नहीं है।

भारत का कहना है कि CPEC के क्रियान्वयन से हिन्द महासागर में भारत के लिए एक नयी सामरिक चुनौति खड़ी होगी जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से कतई ठीक नहीं है।

- **भारत का पाकिस्तान तथा चीन के साथ अविश्वास से संबंध**— यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान लगातार चार दशकों से भारत के विरुद्ध अपनी-जमीन से छद्म युद्ध संचालित कर रहा है जो भारतीय हितों के विरुद्ध है।

चीन इस परियोजना के द्वारा पाकिस्तान के 'ग्वादर पत्तन' का 'सैन्य उपयोग' कर रहा है जो भारत के सीमा सुरक्षा तथा समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौति साबित हो सकता है। इससे यह साबित होता है कि चीन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहता है।

गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहा चीन के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य भारत के लिए चिंता का विषय है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस विषय पर अपना पक्ष रखता रहा है।

चीन के हाल में किए गए लद्दाख तथा डोकलाम में आक्रामक अतिक्रमण ने भारत को CPEC के विरोध में और भी आक्रामकता के साथ पेश आने का वजह प्रदान कर दिया है।

यह अटल सत्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारतीय भू-क्षेत्र है जहाँ किसी तीसरे देश का निवेश भारत को कतई मंजूर नहीं।

'अवैध घुसपैठ की संभावना (Possibility of Illegal Intrusion)

पूर्व भारतीय राजदूत फुंचोक स्तोबदान ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान का इरादा सिर्फ आर्थिक लाभों के लिए गलियारे को विकसित करना नहीं है, बल्कि 'भारत को घेरने के रणनीतिक इरादे' से भी प्रेरित है जो भारत के चीन व पाकिस्तान के साथ संबंधों को देखते हुए सही प्रतीत होता है। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत सीपीईसी को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता और चीन की वन रोड वन बेल्ट परियोजना से परहेज करना भारत के लिए नुकसानदायक होगा।

मई 2015 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में चीनी दूतावास को परियोजना पर भारत के विरोध को दर्ज करने के लिए बुलाया। चीनी प्रीमियर ने सीपीईसी को 'वाणिज्यिक परियोजना' के रूप में वर्णित कर चिंताओं को खारिज कर दिया जो किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करेगा।

मई 2016 में, भारत के राज्य और विदेश मंत्री, विजय कुमार सिंह ने सीपीईसी के बारे में चिंताओं को उठाया। भारतीय आपत्तियों के बावजूद, चीन और पाकिस्तान ने 19 मई 2016 को पाकिस्तान-चीन फाइबर ऑप्टिक परियोजना \$ 44 मिलियन पर काम शुरू किया, जिसके लिए गिलगित-बाल्टिस्तान के माध्यम से पारगमन की आवश्यकता होगी; उसी क्षेत्र से जिसके लिए भारत ने चीन से चिंता व्यक्त की थी। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन ने भी मई 2016 में कहा था, "सीपीईसी को एक बड़ा खतरा माना जाना चाहिए। दोनों देशों [चीन और पाकिस्तान] का इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को कमजोर करने का एक समान इरादा है।" पाकिस्तान के ग्वादर में वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा सैनिक गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं तथा चीन की शह पर पाकिस्तान आक्रामक रवैया अपना सकता है जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है।

पड़ोस में अस्थिरता से उत्पन्न खतरा

सीपीईसी परियोजनाओं का अधिकांश भाग ऋण में होने के कारण माना जा रहा है कि पाकिस्तान वित्तीय मामलों में पूर्ण रूप से चीन पर आश्रित हो जाएगा। इससे वहाँ के नागरिकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है तथा वहाँ गृहयुद्ध की स्थिति बन सकती है। पाकिस्तान के राजनैतिक इतिहास में अस्थिरता के कई उदाहरण मिलते हैं।

पड़ोस में इस अस्थिरता का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा तथा घुसपैठ व आक्रमण की समस्या से भारत को निपटना पड़ सकता है।

सियाचिन विवाद (Siachen Dispute)

सियाचिन विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर/हिमनद है जो हिमालय के काराकोरम रेंज में भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास है। वहाँ बाल्टिस्तान की वल्टी भाषा में 'सिया' का अर्थ है एक प्रकार का 'जंगली गुलाब' और 'चुन' का अर्थ है 'बहुतायत'। इस क्षेत्र में 'सिया' के बहुलता में पाए जाने के कारण इसका नाम सियाचिन पड़ा है।

सियाचिन विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ भारत तथा पाकिस्तान में 13 अप्रैल, 1984 से झड़पें होती रही हैं। दोनों ही देश लगातार यहाँ अपनी सेनाओं की उपस्थिति बनाए हुए हैं, जो करीब 6000 मीटर (20,000 फीट) की ऊँचाई पर है। यहाँ 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रतिकूल वातावरण के कारण हुई हैं।

1. नवम्बर, 2022 ई. में राजस्थान के श्रीकरणपुर बोर्डर सेक्टर में सीमा-सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े घुसपैठ को नाकाम कर दिया, सफदर हुसैन नामक पाकिस्तानी घुसपैठी इसमें मारा गया।
2. भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा में जम्मू-कश्मीर के साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की चर्चा का औपचारिक रूप से विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी तीसरे देश का सी.पी.ई.सी. में निवेश भारत के उद्देश्य से पूर्ण रूप से गैर-कानूनी है।

सियाचिन में यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि NJ 9842 के उत्तर में भारत-पाक सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। 1949 का कराची समझौता तथा 1972 का शिमला समझौता दोनों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सियाचिन ग्लेशियर का नियंत्रण कौन करेगा।

उनमें केवल यह उल्लेख है कि 'सीज फायर लाइन' NJ9842 के बाद समाप्त हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने यह मान लिया था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच इस टंडे तथा अनुपजाऊ भूमि के लिए विवाद नहीं होगा। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के पश्चात युद्ध विराम रेखा NJ9842 तक निर्धारित की गई थी।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में हुए शिमला समझौते में युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में बदल दिया गया।

इधर पाकिस्तान ने पर्वतारोहण का प्रयोग राजनीति के लिए करना शुरू कर दिया। 1963 में शक्सगम घाटी चीन को देने के बाद वह सियाचिन में पर्वतारोहण के लिए विदेशियों को, जिसमें जापानी और अमेरिकी वैज्ञानिक दल भी शामिल थे, परमिट देने लगा जिससे सियाचिन पर उसकी दावेदारी मजबूत हो जाए। 1978 में एक जर्मन दल पाकिस्तान होते हुए सियाचिन आया और एक कैम्प लगाकर एक दस्तावेजी (Documentary) बनाया जिसे 1979 में जर्मनी में टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया तब भारत ने इस पर सज्जान लिया और विरोध जताया। 1984 से पहले भारत या पाकिस्तान किसी की भी उपस्थिति यहाँ नहीं थी। भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर कब्जा किया। इससे भारत को करीब 1000 वर्ग मील का क्षेत्र प्राप्त हुआ।

'पाकिस्तान का पक्ष'

- पाकिस्तान का कहना है कि 1989 ई० में दोनों देश के बीच एक सहमति बनी कि भारत अपनी पुरानी स्थलीय स्थिति को स्वीकार करेगा पर नहीं किया।
- पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारतीय सेना 1984 ई० में सियाचीन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया जो अवैध है।
- पाकिस्तान यह माँग करता रहा है कि भारत 1972 की स्थिति पर वापस जाए।

भारत का पक्ष

- भारत सियाचीन क्षेत्र को अपनी प्राकृतिक सीमा मानता रहा है जो उचित है।
- भारत यह कहता रहा है कि सियाचीन जैसे दुर्गम क्षेत्रों को छोड़ना भारतीय सम्प्रभूता को खतरे में रखने जैसा होगा।
- सियाचीन क्षेत्रों के अति उच्च होने तथा दुर्गम होने के कारण इस पर ढीलाई करना सामरिक तथा सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं।

सुझाव

- विभिन्न कूटनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि सियाचीन ग्लेशियर में सैनिक गतिविधियाँ समाप्त करना भारत और पाकिस्तान दोनों के हित में होगा।
- भारत और पाक को भारी सैन्य खर्च तथा सैनिकों की संवेदनशीलता को देखकर आपसी विश्वास बहाली का प्रयास करना चाहिए।
- भारत की सरकार ने कई प्रयास किए परंतु पाकिस्तानी सैनिकों की नीयत तथा वहाँ की सरकार की भारत विरोधी नीति को देखकर कोई भी निर्णय लेना ही भारत के हित में है।

सरक्रीक विवाद (Sir Creek Dispute)

दक्षिण एशिया की दो परमाणु शक्तियों (भारत तथा पाक) में केवल कश्मीर और सियाचिन विवाद के मुद्दे नहीं हैं बल्कि सरक्रीक एक और बड़ा मुद्दा है जो 70 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा है।

सरक्रीक क्या है?

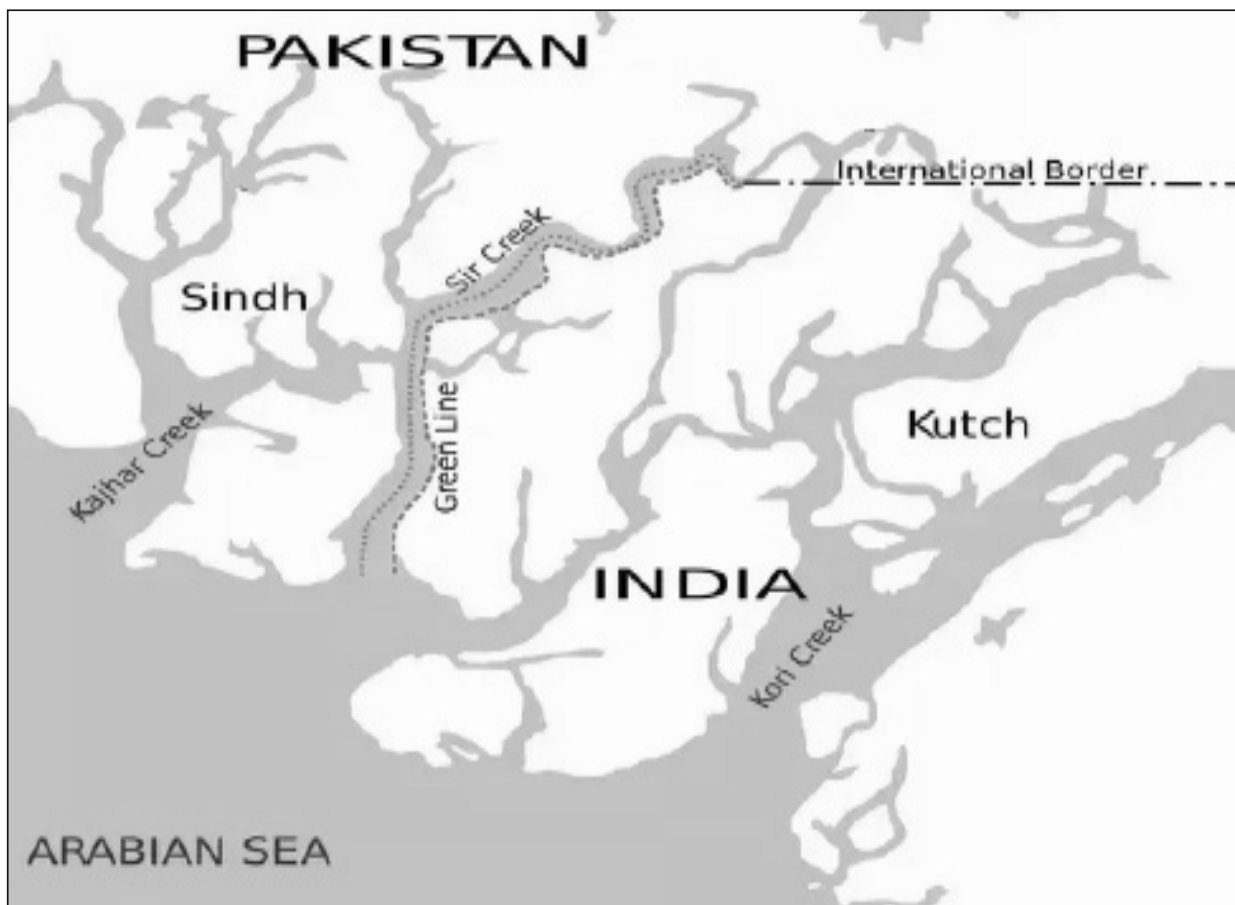
सरक्रीक कच्छ के रन में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित दलदली पानी की 96 किलोमीटर की पट्टी है। मूल रूप से बान गंगा नामक सरक्रीक का नाम अंग्रेज प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया है। क्रीक अरब सागर में खुलती है और कच्छ को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है।

विवाद के बिन्दु

कच्छ एवं सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या में विवाद निहित है। भारत की आजादी से पहले, यह प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत की प्रेसीडेंसी बॉम्बे का हिस्सा था। लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तथा कच्छ भारत का हिस्सा बना रहा।

पाकिस्तान बॉम्बे सरकार के अनुच्छेद 9 और 10 के अनुसार पूरी खाड़ी का दावा करता है। 1914 के संकल्प पर सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षर किए थे। संकल्प, जिसने दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं का आकलन किया था, में क्रीक के सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। इस प्रकार सीमा को पूर्वी क्रीक के तट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे लोकप्रिय रूप से ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत का दावा है कि सीमा मिडचैनल है, जैसा कि 1925 में खींचे गए एक और मानचित्र में चित्रित किया गया था, और 1924 में मध्य-चैनल खंभों की स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

1. हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की तथा चीन के साथ एक संयुक्त घोषणा में सी.पी.ई.सी. में निवेश के लिए तीसरे देश को आमंत्रित किया। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता तथा बलुचिस्तान के मुद्दे ने भारत के साथ उसके संबंध को और भी खराब कर दिया है। देखा जाए तो पाकिस्तान की नई सरकार का रवैया भी पहले की सरकार की तरह ही पुर्वाग्रह से पीड़ित है।



‘विवाद की उत्पत्ति (Origin of Controversy/Dispute)’

सरक्रीक की दलदली भूमि पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विवादित हो गई जब कच्छ के राव और ब्रिटिश भारत के सिंध प्रांत के मुख्य आयुक्त ने सीमाओं पर धारणा अलग-अलग होने के कारण क्रीक पर दावा किया। तब उस समय की बॉम्बे सरकार ने मामला अपने हाथ में लिया। बॉम्बे सरकार ने एक सर्वेक्षण किया और 1914 में अपना फैसला दिया। इस फैसले में दो विरोधाभासी अनुच्छेद हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों को दावेदार बनाते हैं। इस फैसले के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि सीमा कच्छ और सिंध के बीच ‘क्रीक के पूर्व में’, (ग्रीन लाइन) होगा। इसमें निहित है कि क्रीक सिंध से संबंधित था, और इसलिए पाकिस्तान का होगा परंतु अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि यह साल के अधिकतर समय नौवहन योग्य है अतः अन्तर्राष्ट्रीय नियम तथा थालवेग सिद्धांत के अनुसार सीमा नेविगेशन चैनल के बीच में होना चाहिए। भारत ने लगातार इस अनुच्छेद 10 का इस्तेमाल किया है तथा तर्क दिया है कि सीमा को क्रीक के बीच में तय करने की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है कि सरक्रीक नेविगेशन योग्य नहीं है। लेकिन भारत का दावा है कि चूंकि यह उच्च ज्वार में नौकायन योग्य है, इसलिए सीमा मध्य चैनल से खींची जानी चाहिए।

सरक्रीक क्षेत्र का महत्व (Sir Creek's Importance)

रणनीतिक स्थान के अलावा, सरक्रीक का मुख्य महत्व मछली पकड़ने के संसाधन के रूप में हैं। सरक्रीक एशिया में सबसे बड़े मछली पकड़ने के क्षेत्र में से एक माना जाता है। इस क्रीक पर विवाद का एक और महत्वपूर्ण कारण समुद्र के नीचे तेल और गैस की संभवतः उपस्थिति है। UNCLOS भारत के पक्ष का समर्थन करता है। अगर थालवेग सिद्धांत को कायम रखा जाना है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खो देगा जो ऐतिहासिक रूप से सिंध प्रांत का हिस्सा था। पाकिस्तान को इससे कई हजार वर्ग किलोमीटर की हानि होगी।

1965 के युद्ध के बाद, ब्रिटिश प्रधान मंत्री हैरोल्ड विल्सन ने विवाद को हल करने के लिए और शत्रुताएं समाप्त करने हेतु एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए दोनों देशों को राजी किया।

ट्रिब्यूनल का फैसला 1968 में आया, जिसमें पाकिस्तान को अपने दावे का 10% मिला जो 9,000 किमी (3,500 वर्ग मील) है। 1969 से, इस मुद्दे पर 12 दौर की बातचीत हुई है लेकिन अब तक दोनों पक्षों ने किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाये हैं।

इस क्षेत्र में भारत 1999 में भारत के मिग-21 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान नेवी के लड़ाकू विमान को मार गिराया जिससे तनाव उत्पन्न हो गया था। अंतिम बातचीत का दौर 2012 में आयोजित किया गया तब से यथा-स्थिति बनी हुई है।

1. भारत-अफगानिस्तान सीमा को लेकर भारत की सरकार बहुत ही संवेदनशील है, हाल ही में सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास पी.ओ.के. को लेकर विकल्प खुले हैं।

भारत-चीन सीमा का आकार एवं प्रकृति

भारत और चीन के बीच सीमा रेखा लगभग 3488 किमी० लम्बी है परंतु यह सत्य है कि अभी तक साफ तौर पर सीमा का रेखांकन नहीं हो पाया है। भारत जहां ब्रिटिश राज के काल के सीमांकन को मानता रहा है वहीं चीन इस तरह के सीमांकन को विवादित तथा विचारणीय बताता रहा है।

¹भारत-चीन सीमा की प्रकृति के आधार पर इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. पूर्वी सीमा
 2. पश्चिमी सीमा
 3. मध्य सीमा
- पश्चिमी सीमा के तहत् जॉनसन रेखा से लेकर अक्साई या चिन तक के भाग को भारत अपना बताता रहा है जो उचित है परंतु चीन इस पर गोल-मोल जबाब देता रहा है।
 - मध्य सीमा पर कोई बड़ा मतभेद नहीं है तथा सीमा के अदला-बदली में भारत-चीन आपस में सहमत होते दिखते हैं।
 - पूर्वी-सीमा के तहत् मैकमोहन रेखा आता है जो विवादित है। देखा जाए तो 1960 के दशक में जबसे चीन ने अक्साई चिन को पश्चिमी सीमा पर नियंत्रण में लिया वहीं भारत पूर्वी सीमा के मैकमोहन रेखा को नियंत्रण किया विवाद की वजह इन्हीं सब कारण में है जो लगातार चलता आ रहा है।

3488 किमी. की यह स्थलीय सीमा हिमालय पर्वत द्वारा विभाजित होती है, अतः छिद्रिल नहीं है।

भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियाँ:-

भारत चीन सीमा-रेखा के बारे में सही रूप में अभी तक कोई सर्वमान्य स्वीकार्य सहमति का आना बाकी है, 1914 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तिब्बत के साथ एक समझौते के अनुसार एक सीमा निर्धारित की गई जिसे मैकमोहन

(McMohan) रेखा कहा जाता है। इस सीमा-समझौते को चीन गैर-कानूनी मानता है तथा सीमा निर्धारण पर आपत्ति उठाता है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से पूर्व भारत-चीन के बीच कोई सीमा नहीं बनता था। 1954 से चीन ने कई भारतीय क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर में अक्साई चिन, उत्तराखण्ड में बारा-होती, संचामाला और लपथल तथा पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने लगा। हाल ही में चीन द्वारा दौलत बेग ओल्डी में सैनिक तंबू लगाकर क्षेत्र पर अपना दावा किया गया था जिसका हल उच्च स्तरीय बैठकों द्वारा किया गया।

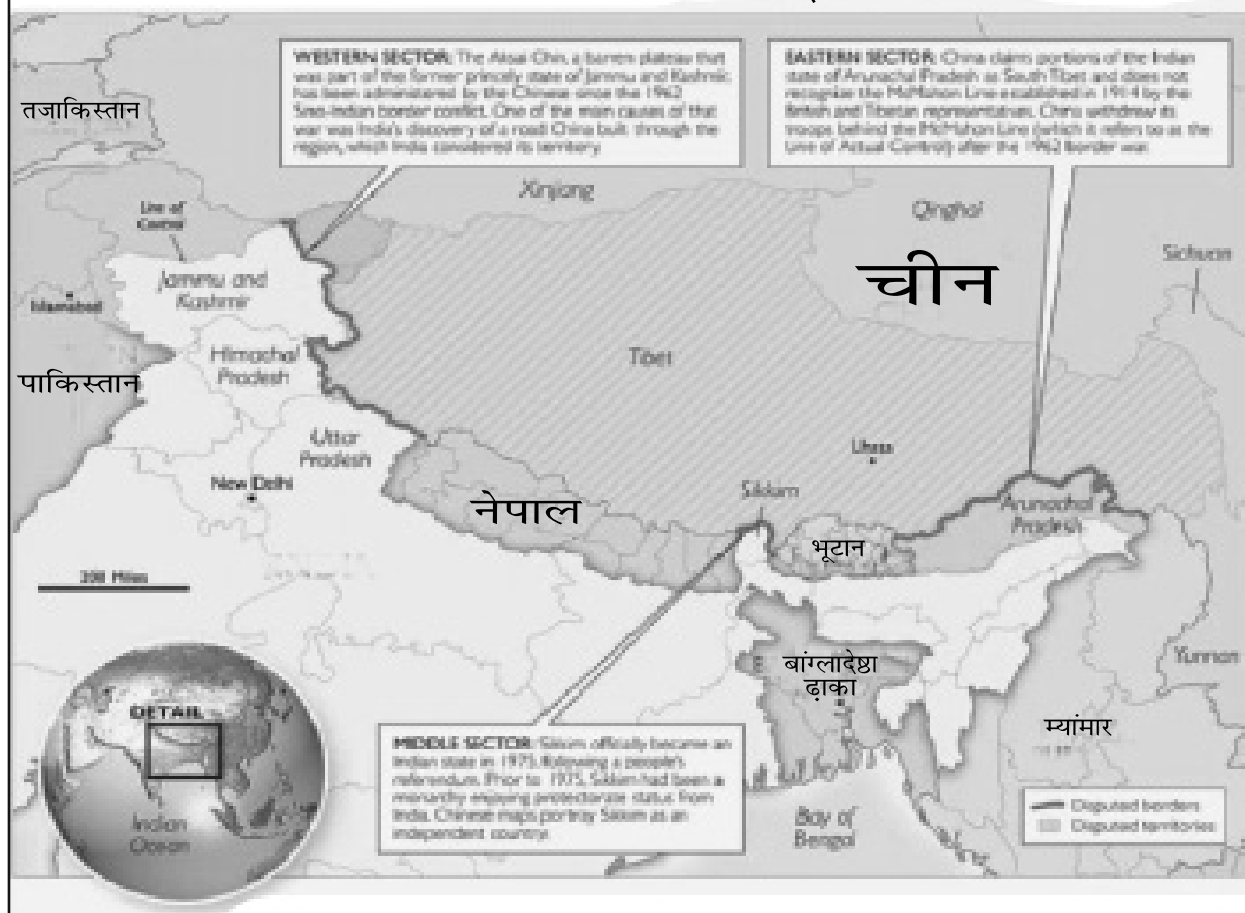
²भारत चीन सीमा मुख्यतः हिमालय पर्वत से विभाजित है तथा यहाँ की ऊँची भूमि पर सीमा की सुरक्षा बहुत ही दुर्लभ कार्य है। यहाँ झड़पों से ज्यादा मौतें ठंड के कारण होती हैं। यहां शून्य से नीचे तापमान के साथ ऑक्सीजन की कमी मानव शरीर को जल्द ही थका देती है। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नियमित आपूर्ति व्यवस्था होनी आवश्यक है। परन्तु कठोर जलवायु तथा उच्चावच के कारण यहां आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है। यहां सीमा तक सड़कों का विकास अत्यंत ही खर्चीला तथा कठिन कार्य है। यहां तक की इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर द्वारा रसद आपूर्ति भी कठोर मौसम के कारण बाधित हो जाती है। एयरबेस होने के बावजूद इसके उपयोग में मुश्किलें आती हैं। जैसे 'दौलत बेग ओल्डी एयरबेस 1962' में चालू किया गया तथा 1966 तक खुला रहा इसके बाद एक भूकंप के कारण इसका रनवे खराब हो गया जिसे 2008 में जाकर सुधारा जा सका।

गृह मंत्रालय ने 1937 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 804.93 किमी. लम्बी 27 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया है। भारत चीन सीमा पर इनका निर्माण जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2016 की स्थितिनुसार 7 सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है और शेष 20 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चरण-II के तहत 48 सड़कों के निर्माण की पुष्टि की गयी है।

1 9 दिसम्बर 2022 ई. को लगभग 2 साल बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में भारतीय सेना के जवानों एवं चीन आर्मी के जवानों के बीच झड़प की खबर है इस झड़प से कई चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है।

2. हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच पंजाब (खुली सीमा क्षेत्र) के अबोहर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान गलती से पाकिस्तान के सीमा में पाया गया, एक फ्लैग मीटिंग के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने वी.एस.एफ. के उक्त जवान को छोड़ दिया।

भारत-चीन के बीच विवादित सीमा



इसके अलावा सीमा विवाद के कारण तनाव भी बढ़ता है। वर्तमान में केवल तीन निर्देशित क्षेत्र हैं जहां से भारत चीन सीमा व्यापार होता है। ये हैं- लिपुलेख, सिपकी-ला और नाथू-ला।

भारत-चीन सीमा सुरक्षा प्रबंधन (Indo-China Border Security Management)¹

लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का पश्चिमी क्षेत्र विशेष सीमांत बल (Special Frontier Forces) का विकास बटालियन द्वारा रक्षित है। विशेष सीमांत बल मंत्रिमंडल सचिवालय को रिपोर्ट करता है। उत्तराखण्ड सीमा के साथ लगने वाला केन्द्रीय क्षेत्र इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) की कमान में है, जो गृह मंत्रालय की पुलिस फोर्स है। सिक्किम से लगे सीमा पर सेना की बटालियन रक्षा करती है तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा पर

रक्षा के लिए असम राइफल्स को लगाया गया है। असम राइफल्स एक अर्ध सैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और सेना अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती है। इस सीमा पर ऊँचे पर्वत और घने जंगलों के कारण आधारभूत संरचनाओं की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने परिचालन महत्व के 73 सड़कों के निर्माण की अनुमति दी है।

इसके अलावा सीमा पर तैनात बलों को निगरानी के आधुनिक उपकरण जैसे-रात में देख सकने वाले उपकरण, हाथ में रखने योग्य थर्मल इमेजर, युद्ध भूमि निगरानी रडार (Battle Field Surveillance Radar), दिशा खोजी, भूमि संवेदक (Unattended ground sensors), उच्च क्षमता वाले दूरबीन इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं।²

जुलाई 2021 में केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है।

- नवम्बर, 2022 ई. के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के द्वारा यह कहा गया कि भारत-चीन सीमा विवाद के मद्देनजर चीन सरकार ने अमेरिका को भारत-चीन के बीच हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है, पिछले कुछ वर्षों से भारत के साथ चीन के सीमा विवाद में अमेरिका का पक्ष भारत के साथ रहा है।
- हाल ही में इण्डोनेशिया में हुई जी-20 की बैठक में डीनर गाला में भारत एवं चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच हाथ मिलाया गया था, दोनों नेता यानि कि नरेन्द्र मोदी तथा शी जिनपिंग ने एक-दूसरे से एक मिनट की बात-चीत भी की।

डोकलाम विवाद (Doklam Dispute)

डोकलाम क्षेत्र में जहाँ 2017 की गर्मियों में चीन व भारत के सैनिक 2 महीने के गतिरोध में शामिल थे, हाल के दिनों में कई रिपोर्टों ने उस क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की बात कही है। हाल के उपग्रह चित्रों एवं खुफिया रिपोर्टों से जानकारी प्राप्त हुई है कि चीन ने कई स्थायी सैन्य पोस्ट, हेलीपैड तथा नई खाइयों का निर्माण किया है। अन्य रिपोर्टों के मुताबिक डोकलाम में करीब 1,800 चीनी सैनिक तैनात हैं। भारत ने भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है।

चीन में डोकलाम या डोंगलांग 100 वर्ग किमी. से कम का एक क्षेत्र है जो तिब्बत की 'चुम्बी' घाटी, भूटान की 'हा' घाटी तथा सिक्किम से घिरा हुआ है।

भूटान तथा चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद डोकलाम की समस्या का समाधान नहीं हुआ तथा 2017 में यह तब बढ़ गया जब चीन ने इस क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने अपने भूटानी समकक्षों के साथ मिलकर इसका विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध 72 दिनों तक बना रहा।

डोकलाम रणनीतिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है जो भारतीय मुख्य भूमि से भारत के उत्तर-पूर्वी छोर को जोड़ता है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है जो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थल है।

जब चुम्बी घाटी तथा सिलीगुड़ी गलियारे से भारत-तिब्बत व्यापार चल रहा था तब डोकलाम का बहुत कम महत्व था। ब्रिटिश शासन ने भी उस समय अधिक ध्यान नहीं दिया।

चीन हाल के दिनों में वहाँ सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, जहाँ वह सामरिक रूप से कमजोर स्थिति में है। भारत तथा भूटान दोनों सेनाएँ चीनी सेना से ऊपर अवस्थित हैं। इसलिए भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों को शक है कि चीन की दिलचस्पी चुम्बी घाटी तथा चिकन नेक में है।

भारत तथा चीन की सीमा दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमाओं में से एक है, जिसमें 37,000 वर्ग किमी. की न रहने योग्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश का 54,000 वर्ग किमी. (14 लाख निवासियों सहित) शामिल है।

विशेष प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता के बावजूद विवाद का कोई समाधान नहीं निकला है। इस बीच दोनों ओर की सेनाओं में आधुनिकीकरण की होड़ लगी है, जिसका आगे क्या परिणाम होगा कहना मुश्किल है।

अरुणाचल प्रदेश पर चीन का अवैध दावा

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिमुख है जो सूर्य देवता का स्वागत करता है। चीन हमारे इसे अभिन्न राज्य पर दावा करता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में एक गाँव बसा लिया है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चीन इस सीमावर्ती क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य कर रहा है।

चीन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को वह मान्यता नहीं देता है तथा कहता है कि वह हमारा क्षेत्र है इसके पीछे चीन कुछ बातों को रखता है; जैसे- चीन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है जबकि भारतीय क्षेत्र के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है।

चीन अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में महत्वपूर्ण भारतीय सेना क्षेत्र तवांग को लेकर दावा जताता रहा है। इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा विशाल बौद्ध मठ है।

चीन की आक्रामक कूटनीति तथा भारतीय जमीन हड़पने के विरोध में आक्रामकता के साथ पेश आने के लिए भारतीय सेना को खूली छूट

भारतीय सेना को पिछले एक साल में कई तरह की छूटें मिली हैं तथा किसी भी परिस्थिति का सामना करने को कहा गया है। गलवान घाटी झड़प के बाद भारतीय सेना को प्रत्येक तरह से तैयार करने के लिए कई तरह के अभ्यास कराए जा रहे हैं।

उपरोक्त आक्रामकता को ध्यान में रखकर एयरस्पेस साइबर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलोजी भी प्रदान किए जा रहे हैं तथा इन उपकरणों को विभिन्न युद्धाभ्यास में उपयोग भी किया जा रहा है।

LAc पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारतीय सैनिकों द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास में आर्मी-नेवी एयर फोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड (तट रक्षक बल) पुलिस तथा दूसरी एजेंसियाँ भी शामिल हैं।

हाल ही में LAc के करीब केंद्रीय सेक्टर में तथा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों को युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है।

सैन्य कमांडर तथा सचिव स्तरीय बात-चीत के माध्यम से सीमा पर शांति स्थापित करने की कोशिश

2020 ई० के LAc पर विवाद के मामले तथा चीन की आक्रामक कूटनीति के समाधान के लिए भारत-चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 13 राउंड की बैठक हो चुकी है।

भारत और चीन के बीच इसके अलावा WMC (Working Mechanism for Consultation and Coordination) स्तर की 23 राउंड की बात-चीत हो चुकी है। यह एक ऐसा ग्रुप है जो भारत-चीन के बीच सैन्य कोर कमांडर स्तर की वार्ता के लिए समय-सारणी का निर्धारण करता है।

भारत-चीन सीमा विवाद के परिप्रेक्ष्य में भारत का हालिया रुझान:-

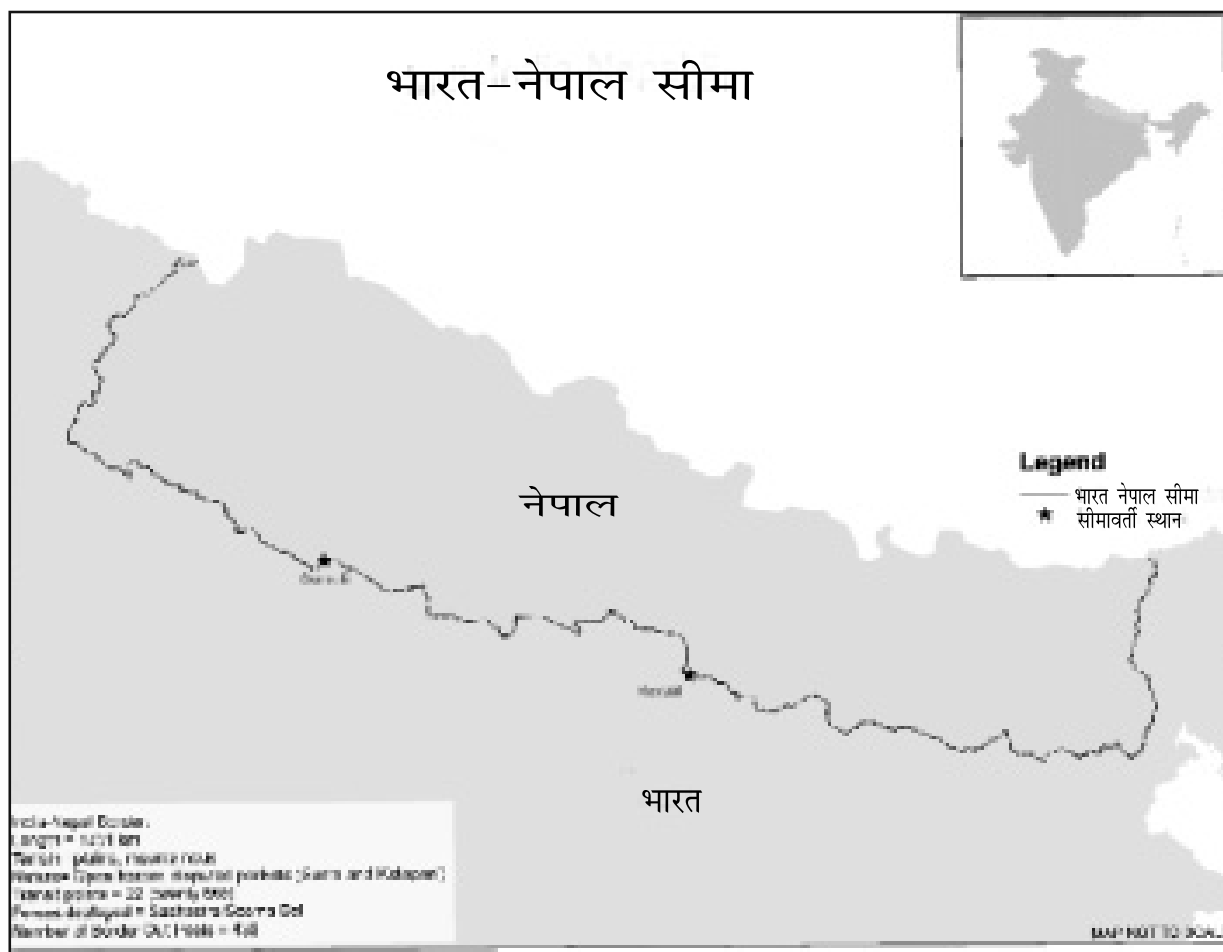
भारत ने चीन के साथ कई सालों से आ रहे सीमा-विवाद के परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ सालों से अपनी रणनीति में कई बदलाव किए हैं। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने चीन को पूर्ण रूप से अलग-अलग करने की कोशिश की है। कई स्तर पर अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का भारत को दिया गया साथ इसमें सफलता की भी कहानी कह रही है।

1. एक पल भी पलक न झपकाकर अपनी सीमा की सुरक्षा करना।
2. अंतर्राष्ट्रीय गुट तथा संगठन में अपनी पैठ की कोशिश।
3. चीन से कोई भी बात-चीत बिना चीन के अतिक्रमण को कम करने की घोषणा के पहले नहीं करना।
4. सैन्य शक्ति या आंतरिक सुरक्षा संबंधी शक्तियों को बढ़ाना।

इन बात-चीत से सीमा पर यथा पूर्व की स्थिति बहाल करने के मामले में सहमति बनी है जो आंशिक सफलता को दर्शाता है।

भारत-नेपाल सीमा का आकार एवं प्रकृति (Size & Nature of Indo-Nepal Border)¹

1751 किमी. की भारत-नेपाल सीमा खुली तथा छिद्रिल सीमा है, जिस पर प्राकृतिक बाधाएँ बहुत ही कम हैं। भारत तथा नेपाल 1950 से, शांति और दोस्ती की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से, खुली सीमा साझा करते हैं। इस संधि द्वारा दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के क्षेत्र में निवास, संपत्ति खरीदने, रोजगार और आवागमन के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि खुली सीमा ने अद्वितीय द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है लेकिन साथ ही इसने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जो गंभीर चिंताओं को बढ़ाते हैं।



भारत नेपाल सीमा पर विवाद के कई बिंदु हैं। इनमें ज्यादातर नदियों के अशांत तथा लगातार बदलते मार्ग के कारण

उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रमुख काली तथा कोसी नदी से संबंधित है। सीमा स्तंभों के डूबने, नष्ट होने, हटने तथा नो मैनस लैंड (No man's land) में दोनों क्षेत्रों के लोगों द्वारा अतिक्रमण इस समस्या को और बढ़ाता है। विवादित सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से ज्यादातियों जैसे धमकी,

1. नेपाल पिछले तीस साल से स्वयं राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है पिछले 30 साल से नेपाल में 30 सरकारों का बदलना सोचनीय रहा है, हाल ही में नेपाल में हुए आम चुनाव में शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को 275 सीटों में 138 सीटें प्राप्त हुई हैं।

भूमि को जबरन हथियाना आदि के आरोप समय-समय पर लगाए जाते रहते हैं। ये विवादित सीमाएँ न सिर्फ दोनों देशों बल्कि दोनों देश की स्थानीय आबादी के बीच भी असहजता उत्पन्न करती हैं।

एक खुली सीमा आतंकवादियों तथा विद्रोहियों को एक आसान निकास उपलब्ध कराते हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में सिक्ख और कश्मीरी आतंकवादी इसी रास्ते भारत में घुस आए थे। बाद के वर्षों में उत्तर-पूर्व के कई विद्रोही गुट जैसे- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) तथा कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (KLO) आदि ने भी इस खुली सीमा का दुरुप्रयोग किया। हाल के वर्षों में भी कई आतंकवादियों ने इस छिद्रदार तथा कम सुरक्षा वाली सीमा का प्रयोग भारत में घुसने के लिए किया है। नेपाल में माओवादी विद्रोह के समय जब नेपाली सुरक्षा बल माओवादियों को ढूँढ़ती थी तो वे भागकर भारत में छिप जाते थे। इन आतंकवादियों और विद्रोहियों के अलावा दोनों ओर के बड़े और वांछित अपराधी भी एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर छिपने के लिए इसी सीमा का सहारा लेते हैं।

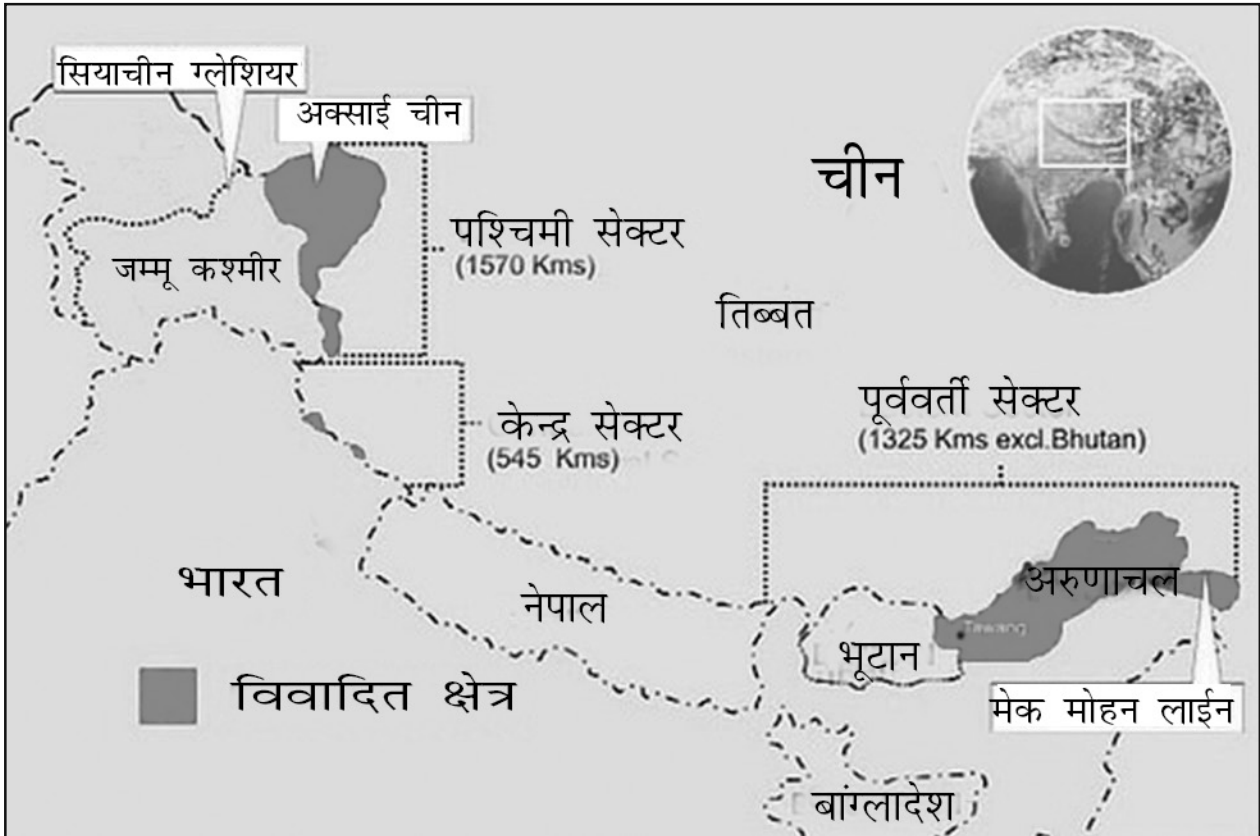
चीन का नेपाली सत्ता पर प्रभाव डालने की कोशिश तथा इसे भारत के लिए चुनौती के रूप में पेश करना

सर्वविदित है कि नेपाल की पूर्ववर्ती-ओली सरकार की नीतियाँ तथा चीन प्रभावित घोषणाओं के कारण कई समस्याएँ खड़ी हुई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीन नेपाल का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा अपने व्यापार को नेपाल में लगातार बढ़ा रहा है। भारत के लिए यह एक नयी चुनौती है।

भारत-नेपाल के बीच सीमा परमिट से जुड़ी चुनौतियाँ तथा विभिन्न सीमा-विवाद

भारत-नेपाल के बीच सीमा विवाद क्यों?

1816 की सुगौली संधि तथा 1950 ई० की भारत-नेपाल संधि के बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या नहीं थी। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के सत्ता में आये सैद्धांतिक बदलाव ने कई स्तर पर सीमा से जुड़े मुद्दे को सामने ले आया है-



- पिछले साल नेपाली सरकार जिसका नेतृत्व - ओली कर रहे थे ने एक नया मानचित्र जारी किया जिसमें कुछ ऐसे क्षेत्रों को नेपाल का भाग बताया गया जो सही तौर पर बीते कई दशकों से भारत के नियंत्रण में है तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारतीय नागरिक है तथा भारतीय चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र तथा सरकार उन्हें आधार कार्ड भी मुहैया कराती रही है।¹
- नेपाल द्वारा जारी मानचित्र में उत्तराखंड के कालापानी लिपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के अधिकार क्षेत्र का भाग बताया गया है। इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से बिहार के बेतिया (पश्चिमी चम्पारण) जिले के सुस्ता को भी देखा जा सकता है।²
- विभिन्न सामारिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल चीन के प्रभाव में आकर लिपुलेख के मुद्दे को विवादित बना रहा है तथा सही रूप में भारत के सामने अपनी भूमिका को संशयपूर्ण बना रहा है-
- लिपुलेख का विषय भारत के लिए अहम सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है। भारत इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

कालापानी का मुद्दा क्या है?

- कालापानी एक क्षेत्र है जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ तीन गाँव आते हैं। गंजी, नाबी तथा कुटीर ये तीन गाँव कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विख्यात है।



- 372 वर्ग किलोमीटर में फैला कालापानी क्षेत्र भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों के नियंत्रण में है।

- कालापानी से जुड़ा विवाद उस समय आरम्भ हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लिपुलेख दर्रे की उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसी घटना के बाद कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा लिपुलेख, कालापानी तथा लिपियाधुरा के क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दिखाया।
- इस नये नक्शे को संशोधित बताते हुए नेपाली संसद ने सर्वसम्मति से इसके समर्थन में प्रस्ताव भी पारित कर दिया।
- कालापानी मुद्दा तथा ऐसे ही कुछ विवादित मुद्दे ओली सरकार के जाने के बाद ठंडा हो है तथा नेपाल की नयी सरकार से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण है।

भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का सुरक्षा प्रबंधन (Security Management of Indo-Nepal Frontier Area)

भारत-नेपाल सीमा की चौकसी के लिए सशस्त्र सीमा बल (SSB) के 31 बटालियन लगाये गये हैं। भारत-नेपाल सीमा पर 436 (540 का लक्ष्य) बोर्डर आउट पोस्ट बनाए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल के परिचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 किमी), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) तथा बिहार (564 किमी.) राज्यों में 1,377 किमी. सामरिक सड़क के निर्माण तथा उन्नयन का अनुमोदन किया गया है।

सीमांकन के लिए बनाए गए पिलरों के रखरखाव, परिरक्षण तथा ठीक करने के लिए भारत तथा नेपाल के महासर्वेक्षकों (Surveyor Generals) के बीच संस्थागत प्रयास हो रहे हैं।

गृह सचिव स्तर पर वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्यसमूह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के जिला अधिकारियों के बीच सीमा जिला समन्वय समिति की बैठकों का एक तंत्र है। यह तंत्र आपसी हित के मुद्दों यथा- सीमापार अपराधों की रोकथाम, तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थितियां आदि पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर चर्चा के मंच के रूप में कार्य करता है।

भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार के लिए 22 निर्धारित कस्टम स्टेशन भी स्थापित किया गया है। हालांकि ज्यादा आवागमन रक्सौल तथा सनौली सीमा पर है।

1. दिसम्बर, 2022 ई में भारत ने उत्तराखण्ड के धारचूला में (पिथौरागढ़ जिले) एक संस्पेंशन ब्रिज को बंद कर दिया, भारत को यह पुल इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ नेपाली नागरिकों के द्वारा भारतीय कामगारों पर पत्थर फेंके गए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली के कार्य-काल से ही भारत ओर नेपाल के बीच विवाद को हवा मिल रही है।
2. इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया इस सम्मेलन में 4 सत्र, 4 विषय पर चर्चा हुई-
पहला- भारत नेपाल थिंक टैंक के बीच अभिनव सहयोग का निर्माण
दूसरा- साझा समृद्धि के लिए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना
तीसरा- सुरक्षा दुविधा का प्रबंधन
चौथा- 21वीं सदी में नेपाल भारत संबंधों को फिर से परिभाषित करना

सरकार के द्वारा भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन में किये जा रहे कूटनीतिक प्रयास

कूटनीतिक प्रयास

प्रत्यक्ष कूटनीति		बैक चैनल या अप्रत्यक्ष कूटनीति
1.	संयुक्त शिखर सम्मेलन	भारत का नेपाल के लिए अबोध मानवीय सहायता।
2.	1987 से शुरू किया गया विदेशी मंत्रालय स्तर की बात-चीत के लिए “ज्वाइंट कमिशन”	Covid 19 के वैक्सीन को लेकर पड़ोसी पहले की नीति।
3.	भारत-नेपाल के बीच व्यापार संधि	नेपाल में विभिन्न परियोजनाओं को भारत द्वारा चलाना तथा चीन की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से कम करना
4.		भारत के द्वारा नेपाल को आर्थिक सहायता तथा “पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट”

संयुक्त शिखर सम्मेलन

भारत-नेपाल के बीच 1950 की संधि के बाद से लगातार शिखर स्तर पर बात-चीत चलती रही है। 1950 की संधि को भारत-नेपाल शांति एवम मैत्री की संधि कहा गया। उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लगातार एक दूसरे के यहां यात्रा कर संबंधों को सामान्य कर सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है।

वर्ष 2018 ई० में ‘थिंक टैंक शिखर सम्मेलन’ का आयोजन कर यह उद्देश्य निर्धारित किया गया कि सीमा सुरक्षा तथा एक दूसरे की सुरक्षा तथा हितों को ध्यान में रखकर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की प्रक्रिया अपनायी जाए। इस क्षेत्र में निम्नांकित विषयों का अपनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देने पर भी सहमति व्यक्त की गयी। “यह सम्मेलन काठमांडू में संपन्न हुआ”-

- अनुसंधान
- प्रकाशन
- सूचना साझा करना
- मानव संसाधन
- वित्त संबंधी प्रक्रिया में सहयोग करना

“सीमा संबंधी सभी मुद्दों पर आपसी सहमति से कार्य करना”

- थिंक टैंक शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों में नीति निर्माता से लेकर राजनयिक मिशन के अधिकारी शामिल थे।²
- प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा के बाद तथा हाल ही में ‘ग्लासगो’ में मोदी जी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच हुए द्विपक्षीय बैठक में सीमा संबंधी शंका को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
- द्विपक्षीय सुरक्षा से जुड़े विषय पर लगातार चर्चा जारी रखने के उद्देश्य से किए गए द्विपक्षीय परामर्श समूह की 2003 में स्थापना के बाद नियमित रूप से सभी मुद्दों पर बात होती रही है।

1987 से आरम्भ किया गया ‘विदेश मंत्रालय स्तर का द्विपक्षीय ‘ज्वाइंट कमिशन’

- इस बैठक में भारत तथा नेपाल के विदेश मंत्री से लेकर राजनयिकों की भी बैठक होती है जो भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बात-चीत करता है।
- हाल ही में भारत और नेपाल के बीच विदेशी मंत्री स्तर के ‘संयुक्त आयोग’ की बैठक हुई थी जिनमें सभी मुद्दों पर बात-चीत करने की सहमति बनी थी।

भारत-नेपाल के बीच व्यापार-संधि

- भारत-नेपाल व्यापार संधि प्रबंधन से जुड़ा हुआ भी विषय है। दोनों देशों को लेकर एक “पारगमन संधि” है, जो भारत को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाता है। नेपाल में भारत इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा विदेशी-निवेशक है।
- भारत-नेपाल को अन्य देशों से व्यापार करने के लिए अपनी समुद्री सीमा तथा बंदरगाह भी मुहैया कराता है।
- भारत अपनी-सीमा को नेपाल के आवश्यक माल तथा जरूरी सामग्री के लिए खोले हुए है।

अप्रत्यक्ष कूटनीति (Back Channel Diplomacy) (भारत-नेपाल संबंध)

नेपाल के लिए भारत के तरफ से अबाध मानवीय सहायता

- नेपाल एक ‘प्राकृतिक संवेदनशीलता’ से पूर्ण क्षेत्र है जहाँ भूकंप तथा बाढ़ जैसी-प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। भारत ऐसे आदारपूर्ण समय में नेपाल को भरसक प्रयास कर मानवीय तथा तकनीकी सहायता पहुँचाते रहा है।

1. भारत के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ने नेपाल में दीर्घकालीन अनुसंधान के लिए 10 मिलियन डॉलर का दान किया है।

2. सितंबर, 2022 ई. में पहला नेपाल-भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच काठमांडू में आरम्भ हुआ। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से एशियाई संस्थान के कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और नेहरू में मोरियल संग्रहालय पुस्तकालय द्वारा आयोजित किया गया।

- देखा जाए तो 2015 ई० के भारी भूकंप के समय नेपाल को भारत ने ऑपरेशन मैत्री के तहत भारी राहत सामग्री के साथ पुनर्निर्माण में भी सहायता की थी।
- नेपाल को भारत ने समय-समय पर ऋण की उपब्धता पहुँचाकर एक सच्चे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया है।

Covid-19 वैक्सीन की उपलब्धता के लिए भारत की “पड़ोसी पहले” की नीति

- कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत ने नेपाल को वैक्सिन मुहैया कराकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस कारण पीछले 2 साल से चले आ रहे सीमा संबंधी विवाद तथा मुद्दे को समाप्त होने तथा सामान्य संबंध का दौर आरम्भ होने की आशा जगी है।

नेपाल में भारत की विभिन्न परियोजनाएँ

- भारत नेपाल में आरम्भ से ही बुनियादी ढाँचा के सुधार पर कार्य करता रहा है तथा 2015 के भूकंप के बाद वहाँ के पुनर्निर्माण के कार्य तथा विभिन्न जमीनी स्तर के कार्य के लिए भारत अनगिनत परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।
- भारत की भूमिका नेपाल के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास में लगातार बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने में वहाँ की सरकार को सहायता करने में है।

भारत-नेपाल के बीच ‘पीपुल टू पीपुल’ यानी नागरिकों के बीच आपसी संचार तथा विभिन्न संचार को बढ़ाना

- एक लैंड-लॉक देश होने के कारण भारत नेपाल के नागरिकों के लिए खुला देश है तथा वहाँ के लोग भारत आकार रोजी-रोटी का प्रबंध कर सकते हैं। तथा इसके अलावा भारत के लोग भी नेपाल में अबाध रूप से आ-जा सकते हैं।
- सड़कों तथा रेलमार्ग में वृद्धि कर भारत सरकार ने नेपाल के नागरिकों तथा अपने देश के नागरिकों के बीच आसानी से संचार संबंध को प्रतिबद्ध है। हाल ही में रक्सौल तथा काठमांडु के बीच रेल संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई है।

गोरखालैंड समस्या (Problems of Gorkhaland)¹

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सिओंग तथा अन्य पर्वतीय जिलों में नेपाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दार्जिलिंग को एक अलग प्रशासनिक ईकाई बनाने की माँग 1907 से की जा रही है। मगर ‘गोरखालैंड’ शब्द की उत्पत्ति एवं इसकी माँग 1980 के दशक में प्रारंभ हुई। जब सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सुभाष घीसिंग के द्वारा इस उद्देश्य के लिए ‘गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट’ (GNLF) की स्थापना की गयी। गोरखालैंड के अंतर्गत दार्जिलिंग तथा अन्य पर्वतीय जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल के दुआर तथा तराई क्षेत्र भी आते हैं।

गोरखालैंड समस्या के कारण (Causes of Gorkhaland Problems/Issues)²

- इस क्षेत्र के नेपाली-भाषी गोरखाओं की भाषा एवं संस्कृति, शेष बांग्लाभाषी समुदाय से अलग है। भाषा, संस्कृति एवं नृजातीय रूप से अलगाव अंततः अलग राज्य की माँग के रूप में अभिव्यक्त होती है।
- पश्चिम बंगाल के मैदानी हिस्सों की अपेक्षा पर्वतीय, दुआर एवं तराई क्षेत्रों का विकास कम हुआ है। यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक है (शेष पश्चिम बंगाल से)। अतः यहाँ के नागरिकों द्वारा अलग राज्य की माँग की जा रही है।
- पश्चिम बंगाल की सरकार पर नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों की भाषा एवं संस्कृति के प्रति असहिष्णुता का आरोप भी लगता है। जैसे हाल ही में पूरे पश्चिम बंगाल में वर्ग प्रथम से नवम तक बांग्ला पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इसे गोरखा मूल के लोग अपने भाषा तथा संस्कृति पर हमला मानते हैं। इसके साथ ही पहचान का संकट भी उत्पन्न होता है।
- गोरखालैंड समस्या का ‘राजनीतिकरण’ इस समस्या को और अधिक बढ़ावा देता है। शासन व्यवस्था एवं सरकार की इन क्षेत्रों में असफलता इस आंदोलन को बल प्रदान करता है। जैसे 2004 में DGHC (Darjeeling Gorkha Hill Council) का चुनाव नहीं हुआ। 2005 में दार्जिलिंग को छठी अनुसूची में डाल दिया गया एवं सुभाष घीसिंग को जनजातीय परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसका विरोध बिमल गुरूंग के द्वारा किया गया। यह गोरखालैंड की माँग के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जो राजनीति से प्रेरित था।

1. भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वादा किया था कि गोरखालैंड का स्थायी राजनीतिक समाधान करना आवश्यक है तथा वी.जे.पी. सरकार करेगी।

2. दिसम्बर, 2022 ई. में गोरखालैंड संबंधी पार्टियों तथा गैर राजनीतिक मौर्चा ने एक संयुक्त रैली करने की योजना की थी जिससे गोरखालैंड का मुद्दा मजबूत हो।

- पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस समस्या को बलपूर्वक हल करने का प्रयास हिंसा तथा अलगाववाद की भावना को बल प्रदान करता है। सरकार गोरखा पहचान की आकांक्षा को पूरा करने में विफल रही है।
- बंगालियों द्वारा गोरखाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार भी अलगाव का एक कारण है।
- कोलकाता विधानसभा तथा सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण ये अपनी मांग सशक्त रूप से नहीं रख पाते हैं।
- एक बेहतर शक्ति साझाकरण समझौता होना चाहिए तथा GTA (Gorkha Territorial Administration) के प्रशासन, कामकाज में सुधार होना चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकार को गोरखाओं की जरूरतों तथा आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए।
- इस क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत कर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए।
- अविभाजित पश्चिम बंगाल के भीतर एक स्वायत्त गोरखालैंड क्षेत्र/भाग/हिस्सा का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 244(क) में असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त राज्य प्रदान करता है, इसी अनुच्छेद के समरूप प्रावधान कर (संविधान संशोधन) गोरखालैंड की मांग का समाधान किया जा सकता है।

गोरखालैंड मांग का प्रत्युत्तर (Reply against Gorkhaland Demand)

1986 में शुरू हुए इस आंदोलन के बाद भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जुलाई 1988 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया। इसके साथ ही इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए राज्य अधिनियम के तहत DGHC की स्थापना की गयी।

गोरखालैंड समस्या का समाधान (Solutions of Gorkhaland Issues/Problem)

- राज्य का बहुसंख्यक बांग्लाभाषी समुदाय विभाजन के विरुद्ध है। अतः ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जो बांग्लाभाषियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं बिना नेपालीभाषी गोरखाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करता हो। इसके लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए-

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA)

- यह अर्द्ध-स्वायत्त प्रशासनिक संस्था है, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पर्वतीय क्षेत्र सहित कुर्सिआंग, मिरिक तथा सिलीगुड़ी सब डिवीजन के कुछ क्षेत्र आते हैं। इसकी स्थापना 'दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल' के स्थान पर हुई। इसको प्रशासनिक, कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं पर विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

भारत-भूटान सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन (Indo-Bhutan Border Security Challenges & Management)



भारत-भूटान सीमा का आकार एवं प्रकृति (Size and Nature of Indo-Bhutan Border)¹

भारत-नेपाल सीमा की तरह ही भारत-भूटान सीमा भी खुली तथा छिद्रिल सीमा है। इसका आकार 699 किमी. है। भारत-भूटान के बीच 699 किमी० लंबी सीमा रेखा है जो असाधारण तथा चुनौतीपूर्ण है। भारत के चार राज्य यथा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जिसमें-

- सिक्किम- 32 किमी०
- पश्चिम बंगाल-183 किमी०
- असम- 267 किमी०
- अरुणाचल प्रदेश-217 किमी०

भारत-भूटान सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ

भारत-भूटान के बीच कुछ क्षेत्रों में “सीमा-विवाद”

- भारत-भूटान के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई सीमा-विवाद नहीं है। देखा जाए तो 1949ई० में हुए दार्जिलिंग संधि के तहत दोनों देश आपसी विश्वास और चिरस्थायी शान्ति के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।
- इसी दार्जिलिंग संधि के धारा-2 में कहा गया है कि भूटान सरकार अपने विदेशी मामलों को भारत सरकार की सलाह से संचालित करेगा। इसके अलावा धारा-6 में यह कहा गया है कि भूटान-भारत की अनुमति के बिना अन्य देशों से गैर-घातक सैन्य उपकरण आयात नहीं कर सकेगा।
- धारा-2 और धारा-6 को विवाद का स्रोत बनते देख 2007 ई० में इन धाराओं में संशोधन किया गया तथा भारत को एक सहयोगी देश के तौर पर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गयी।
- भारत-भूटान के बीच सीमा-विवाद का मुद्दा चीन से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भूटान के लगभग 300 किमी० वर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश करता रहा है।
- जिस पर भारत को आपत्ति रही है। उदाहरण स्वरूप चुंबी घाटी विवाद तथा ‘डोकलाम विवाद’ को स्पष्टतः देखा जा सकता है।

भारत-भूटान सीमा पर अवैध व्यापार तथा अतिक्रमण से जुड़ी चुनौतियाँ

- भारत-भूटान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध के बावजूद सीमा से जुड़ी कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जो मानवीय है तथा व्यापार में अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ है।

- नशीली-दवाओं के साथ ड्रग्स और जरूरी-सामग्री जिसकी अनुमति नहीं होती का अवैध यातायात भारतीय सीमा सुरक्षा बल के लिए एक चुनौती है तथा इसे रोकने का प्रयास लगातार किया जाता रहता है।

पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित विभिन्न विद्रोही गुटों द्वारा पोषित तथा समर्थित उग्रवादी संगठनों का भूटान के दक्षिणी जिलों के जंगल में प्रशिक्षण कैम्प

- भारत के पूर्वोत्तर राज्य यथा नागालैंड तथा मिजोरम के अलावा असम और मेघालय से जुड़े हुए विद्रोही संगठनों का प्रशिक्षण कैम्प भूटान के जंगलों में पाया जाना सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में से एक है।
- कुछ महत्वपूर्ण स्ट्राइक कर भूटान में भारत सरकार के द्वारा विभिन्न पूर्वोत्तर उग्रवादी संगठनों के प्रशिक्षण कैम्पों को तबाह किया गया था।
- भारत तथा भूटान संबंध के बीच सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में इन उग्रवादी समूहों की विभिन्न एक्टिविटीज सबसे महत्वपूर्ण चुनौति के रूप में देखा जाता है।

भारत-भूटान सीमा क्षेत्र का दुर्गम होना तथा इससे संबंधी सीमा सुरक्षा चुनौती

- पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न बुनियादी विकास पहुंचाने की अवधारणा पर भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है परंतु पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम प्राकृतिक आकार के कारण भारत-भूटान सीमा पर सुरक्षा बलों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है-
- पिछले कुछ सालों में भारत सरकार के तरफ से सीमा सुरक्षा बल को विभिन्न सड़कों के निर्माण संचार टॉवरों को लगाने तथा अन्य बुनियादी संरचना के विकास को मंजूरी दी गयी है।

भारत-भूटान सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ (Security challenges in the Frontier Areas of Indo-Bhutan)

भूटान के दक्षिणी जिलों में KLO, ULFA, NDFB के कैम्प लगाने से पूर्व यह सीमा शांत थी। इन विद्रोही संगठनों के सदस्यों द्वारा बम विस्फोट, जबरन वसूली व हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देकर खुली सीमा का फायदा उठाकर भूटान भाग जाते थे। हालांकि इस समस्या को भूटान सरकार के ऑपरेशन ऑल क्लीयर द्वारा प्रभावी रूप से दबा दिया गया। फिर भी कुछ बचे हुए विद्रोहियों द्वारा कुछेक घटनाओं को वर्तमान में भी अंजाम दिया जाता है।

तस्करी तथा अवैध व्यापार भी इस सीमा द्वारा बड़े पैमाने पर होता है। चीन द्वारा निर्मित वस्तुएं, भूटानी शराब तथा वन उत्पाद उन सामग्रियों में प्रमुख हैं, जो भारत में निर्यात किया जाता है तथा पशुधन, किराना सामान और फल भूटान ले जाए जाते हैं।

1. भारत-भूटान सीमा सुरक्षा तथा संबंधों को लेबर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे तथा भूटान सरकार ने पूर्वोत्तर भारत तथा भूटान को रेलवे से जोड़ने पर सहमति बनायी है।

भारत-भूटान सीमावर्ती क्षेत्रों का सुरक्षा प्रबंधन (Security Management of Indo-Bhutan Frontier Area)

भारत तथा भूटान की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सशस्त्र सीमा बल के 13 बटालियन नियुक्त किए गए हैं। लक्षित 132 बोर्डर ऑउट पोस्ट (BOP) में से 131 BOP स्थापित कर दिए गए हैं।

‘सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर सचिव स्तरीय भारत-भूटान समूह’ के रूप में एक द्विपक्षीय तंत्र की नियमित बैठक हो रही है। यह तंत्र विभिन्न समूहों द्वारा खुली सीमा का फायदा उठाकर दोनों देशों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले तत्वों के आकलन और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित माहौल में सुधार लाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

भारत सरकार ने 313 किमी. लम्बी सीमा सड़क के निर्माण का अनुमोदन भी प्रदान किया है।

भारत-भूटान सीमा सड़कों का निर्माण

- गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के द्वारा भारत-भूटान सीमा प्रबंधन के लिए असम में भारत-भूटान सीमा पर सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्य करने संबंधी एक वृहत्त कार्य योजना पर कार्य हो रहा है।
- इस कार्य-योजना में सशस्त्र सीमा बल तथा राज्य सरकार के परामर्श को महत्व देकर लगभग 1259 करोड़ रुपये की लागत से 313 किमी० सीमा सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

भारत-भूटान सीमा पर संचार टावरों का निर्माण

- भारत सरकार के द्वारा भूटान सीमा पर विभिन्न संचार टावरों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो सीमा सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए काफी आवश्यक है।
- इन संचार टावरों से स्थानीय जनता के अलावा कई स्तर पर खूफिया एजेंसियों तथा सुरक्षा बलों के बीच सूचना के आदान-प्रदान करने में भी सहायक होगा।
- भारत तथा भूटान के बीच सीमा प्रबंधन के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल के 13 बटालियन नियुक्त किए गए हैं, जो दोनों देशों के खूफिया एजेंसियों से लगातार संपर्क में रहते हैं।

खूफिया एजेंसियों के बीच आपसी सहमति तथा संवाद

- भारत सरकार तथा भूटान सरकार के बीच खूफिया तंत्र के विकास तथा आपसी संवादों को आदान-प्रदान के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
- इसके अलावा “सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर सचिव स्तरीय वार्ता के कई दौर की बैठकें होने के बाद स्थायी शांति का सफल प्रयास किया जाता रहा है।
- उपरोक्त प्रयास के अलावा सीमा प्रबंधन से जुड़े हुए मसलों पर कई प्रकार की तकनीकी विकास तथा स्मार्ट इंटेलीजेंस का भी उपयोग हमारे सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। देखा जाए तो यह एक वृहत्त आकार का सीमा प्रबंधन है जो भारत-भूटान के संबंधों को चिर-स्थायी प्रकृति का बनाता है।

भारत-म्यान्मार सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन (India-Myanmar border Security challenges and management)



भारत-म्यान्मार सीमा का आकार एवं प्रकृति (Size and nature of India-Myanmar boundaries)

भारत-म्यान्मार 1643 किमी. लम्बी बीहड़ एवं जंगली सीमा साझा करते हैं।

भारत-म्यान्मार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ (Security Challenges in the Indo-Myanmar Frontier Areas)

आजादी के समय भारत म्यान्मार सीमा आंशिक रूप से विवादित रही थी। चूँकि दोनों देशों के संबंध बहुत ही सौहार्द्रपूर्ण थे; अतः सीमा विवाद की यह प्रकृति दोनों की चिंता का प्रमुख कारण नहीं थी। हालांकि विभिन्न विद्रोहों और उसके बाद विद्रोहियों तथा दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा सीमा उल्लंघन में वृद्धि ने भारत और म्यान्मार को सीमा समाधान के लिए बातचीत पर मजबूर किया। 1643 किमी. में से 1472 किमी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है।

भारत म्यान्मार सीमा पर दो असीमांकित भाग हैं।

- अरुणाचल प्रदेश का लोहित उप-प्रदेश (136 किमी.)
- मणिपुर में कबाऊ घाटी (35 किमी.)

बीहड़ इलाका क्षेत्र के समग्र विकास और आवागमन को कठिन बनाता है। जनजातीय लोगों की कबीले के प्रति वफादारी, उग्रवाद, कबीलाई संघर्ष, सीमापारीय जातीय संबंध जैसे आंतरिक गतिकी सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

सीमा पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीमा चौकियों या बाड़ के रूप में कोई भौतिक बाधा व्यवहार में नहीं है। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पीछा किए जाने पर उग्रवादी सीमा पार भागने के लिए इसी खराब निगरानी वाली सीमा का प्रयोग करते हैं।

सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागा, कुकी और चिन जनजातियों के बीच नजदीकी जातीय संबंध विद्रोहियों को म्यान्मार में सुरक्षित ठिकाना खोजने में मदद करते हैं। ये सीमा पार जातीय संबंध विभिन्न पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों के लिए म्यान्मार में सुरक्षित ठिकानों के निर्माण में मदद करते हैं। परिणामतः विभिन्न विद्रोही गुटों जैसे- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN), नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) तथा उनके समूहों द्वारा अपना ठिकाना म्यान्मार में बनाया

गया है। भारत सरकार म्यान्मार सरकार से भारतीय विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध करती रही है, पर म्यान्मार सरकार की अनिच्छा या कार्यवाही में अशक्त होने के कारण इन विद्रोहियों को निकाल पाने में सफल नहीं हो पाती थी परंतु बदले परिस्थिति में भारत और म्यान्मार के संबंध बेहतर हुए हैं। जिसके फलस्वरूप भारत और म्यान्मार ने अपने-अपने सीमा क्षेत्रों में इन उग्रपंथी घटकों पर एक कार्यवाही की है।

मादक पदार्थों के गोल्डेन ट्रायंगल के नजदीक होने के कारण यह सीमा भारत में मादक पदार्थों की तस्करी का भी निशाना है। इसमें हेरोइन प्रमुख है।

स्थानीय विद्रोही समूह हथियारों की तस्करी भी इस सीमा से करते हैं। इनके अलावा कीमती पत्थर, चीन निर्मित उपभोक्ता वस्तुएं, किराना सामान, साईकिल के पुर्जे आदि की भी तस्करी की जाती है। मानव तस्करी भी इस सीमा पर अनियंत्रित रूप से होती है। दोनों देशों के आदिवासी समुदायों को सीमापार 40 किमी. तक बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के यात्रा करने की अनुमति के प्रावधान ने भी इस सीमा द्वारा तस्करी के वृद्धि में योगदान दिया है।

भारत-म्यान्मार सीमावर्ती क्षेत्रों का सुरक्षा प्रबंधन (Security Management of India-Myanmar Frontier Areas)

भारत-म्यान्मार सीमा की चौकसी की कमान असम राइफल्स के 46 बटालियनों के हाथ में है।

सीमा प्रबंधन के संबंध में आपसी हित के मामलों पर द्विपक्षीय बातचीत की सुविधा के लिए गृह सचिवों, सीमा बलों के क्षेत्र कमांडरों तथा सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठकों द्वारा भारत सरकार ने संस्थागत बातचीत की एक प्रणाली गठित की है। उदाहरण के लिए उग्रवाद और भारत-म्यान्मार सीमा पर तस्करी के मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की ओर से विदेश सचिव तथा म्यान्मार की ओर से उप विदेश मंत्री के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultation- FOC) नियमित रूप से होती रहती है।

गृह मंत्रालय के गृह सचिव तथा संयुक्त सचिव के अधीन क्रमशः राष्ट्रीय स्तर की बैठक और क्षेत्रीय स्तर की बैठकें आयोजित होती हैं। इन बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखना है और

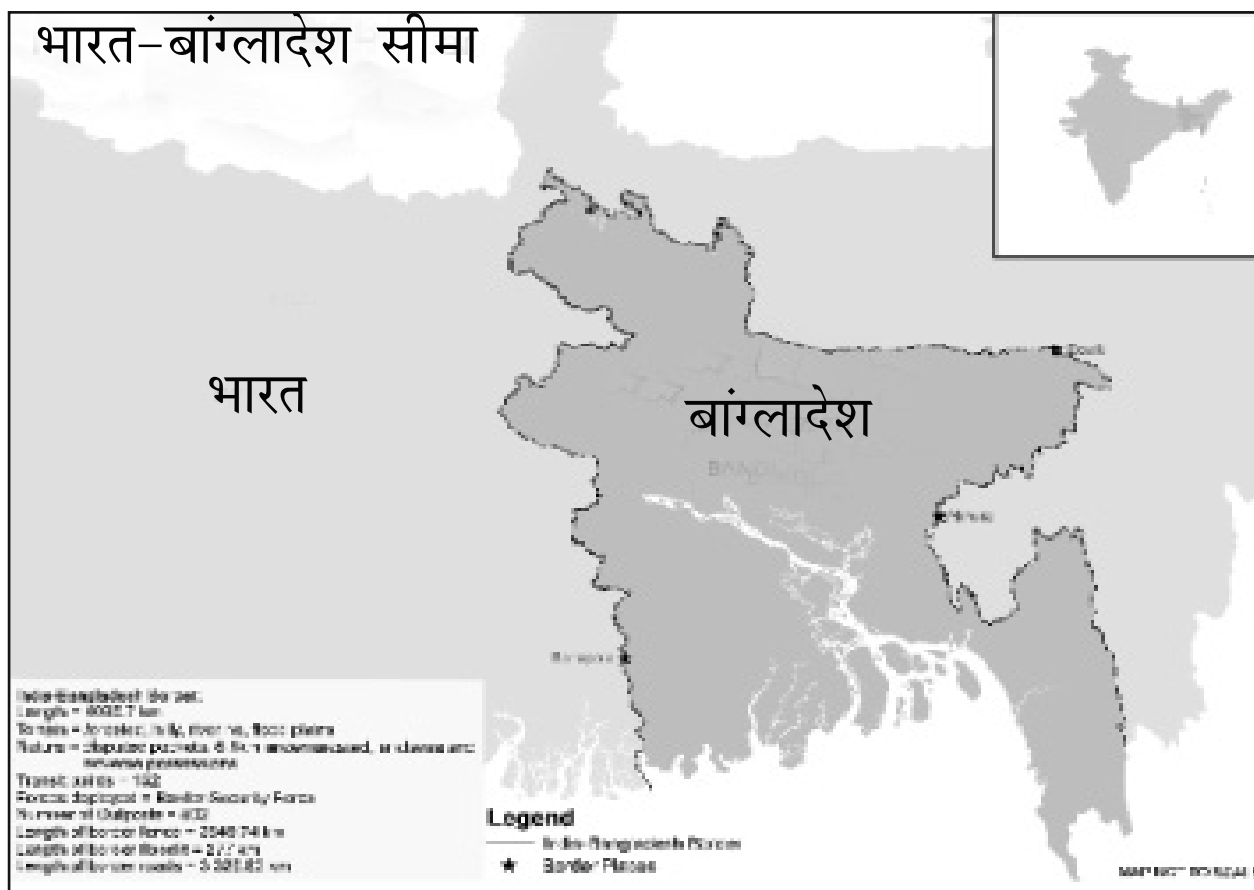
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष उनके सुरक्षा बलों द्वारा अनजाने में किए गए एक दूसरे के क्षेत्रों का उल्लंघन रोकने तथा विद्रोहियों, मादक पदार्थ तस्करो और दूसरे अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के गैर-कानूनी और नकारात्मक गतिविधियों पर निगरानी और प्रभावी नियंत्रण के लिए सहमत हुए हैं। स्थानीय क्षेत्र सेना कमांडरों के बीच निर्दिष्ट स्थानों पर हर छह महीने में सीमा संपर्क बैठक (Border Liaison Meetings) आयोजित होती हैं।

21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार, पहाड़ी

जनजातियों के वे सदस्य, जो भारत या म्यांमार के नागरिक हैं तथा भारत-म्यांमार सीमा के किसी भी तरफ 16 किमी. तक के सामान्य निवासी हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत परमिट दिखाकर भारत-म्यांमार सीमा के आर-पार जा सकते हैं। इस प्रकार के परमिट प्राप्त नागरिक म्यांमार में 24 घंटों तक रह सकते हैं।

भारत और म्यांमार के सर्वेयर जनरल भी सीमा पर सीमा-स्तंभों के संयुक्त निरीक्षण, मरम्मत, रख-रखाव आदि पर चर्चा के लिए बैठकें करते हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन (India-Bangladesh Border Security Challenges and Management)



भारत-बांग्लादेश सीमा का आकार एवं प्रकृति (Size and Nature of Indo-Bangladesh Border)

भारत-पाकिस्तान सीमा की तरह ही भारत-बांग्लादेश 4096.7 किमी. की सीमा पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर

गुजरती है, जिस पर बहुत कम प्राकृतिक बाधाएँ हैं। इस सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ समिति द्वारा किया गया था। रेडक्लिफ ने महसूस किया था कि भारत और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के बीच कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है; अतः सीमांकन पुराने जिला मानचित्रों के आधार पर किया गया। हालाँकि भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते 2015 द्वारा इसमें काफी सुधार हुआ है।

भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ (Security Challenges in the Indo-Bangladesh Frontier Areas)

प्राकृतिक सीमा निर्धारण की जगह यह सीमा गाँवों, खेतों, और नदियों से होकर गुजरती है। इस कारण यह कई विवादित स्थलों के साथ ही बहुत छिद्रदार भी हो गई है।

छिद्रदार सीमा की समस्या है कि इसे आसानी से पार किया जा सकता है। आजादी के बाद से ही बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासन चलता आ रहा है। इस अवैध प्रवासन ने कई सीमांत राज्यों के जनांकिकीय स्वरूप को बदल दिया है, जिससे वहां अलगाववादी आंदोलन उठ रहे हैं। हाल के दिनों में इन क्षेत्रों में होने वाले नृशंस नृजातीय संघर्ष भी इसी कारण से हुए हैं। यह छिद्रता भारतीय विद्रोहियों को भी बांग्लादेश में भाग कर छिपने में सहायता करती है।

मवेशियों के साथ हथियारों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे-चीनी, नमक व डीजल की तस्करी; अपहरण तथा चोरी इस सीमा पर नियंत्रण से बाहर हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों का सुरक्षा प्रबंधन (Indo-Bangladesh Security Management of Frontier areas)

भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए इस सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 80 बटालियनों को लगाया गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर 802 सीमा चौकियाँ (Border Out Post) कार्यरत हैं तथा 383 चौकियों के स्थापना की योजना है। इसके अलावा 326 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भी इस सीमा पर किया जाना है। इस सीमा पर नदियों तथा क्रीकों की चौकसी के लिए BSF के जल कमान (Water wing) को लगाया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 7 तैरती चौकियाँ हैं, जो निगरानी करने वाले स्पीड बोट के लिए मातृ-जहाज (Mother-Ship) का कार्य करती हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स (BDR) के साथ कई द्विपक्षीय तंत्र स्थापित हैं जैसे-कंपनी कमांडर स्तर की बैठक, कमांडेंट स्तर की बैठक, क्षेत्रीय कमांडर स्तर की बैठक, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक बांग्लादेश राइफल्स स्तरीय बैठक, नोडल अधिकारी स्तरीय बैठक तथा महानिदेशक सीमा सुरक्षाबल और महानिदेशक बांग्लादेश राइफल्स स्तर के सीमा समन्वय सम्मेलन।

इसके अलावा भारत सरकार ने सीमा सड़कों तथा बाड़ों के निर्माण के लिए दो चरणों में अनुमति दी है। तेज

रोशनी वाली लाइटों को लगाने का कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से क्षतिग्रस्त हो चुके बाड़ों को बदलने का कार्य भी चलाया जा रहा है।

असीमांकित क्षेत्र, परिक्षेत्रों, या चित्त महाल (Enclaves) का अस्तित्व और प्रतिकूल स्वामित्व दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच लगातार संघर्ष का कारण बने हुए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न 1974 के भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) के तहत दोनों देश परिक्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए प्रतिबद्ध हुए एवं 100वें संविधान संशोधन (6 जून, 2015) द्वारा भारत और बांग्लादेश के ये एन्क्लेव आपस में बदल दिए गए।

उपरोक्त सीमा विशेष उपायों के अलावा कुछ अन्य उपाय भी अपनाए गए हैं, जिससे सीमा प्रबंधन आसान हुआ है।

द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ कर सीमा पर शांति स्थापना की कोशिश

- भारत सरकार लगातार यह प्रयास करती है कि बांग्लादेश के साथ कोई भी सीमा विवाद नहीं हो। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने आरम्भ से ही प्रयास किए हैं।
- द्विपक्षीय स्तर पर सीमा प्रबंधन के लिए भारत-बांग्लादेश “समन्वित सीमा प्रबंधन योजना” को वर्ष 2011ई० में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के तहत सीमा पार अवैध गतिविधियाँ और अपराधों की पांच तथा सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों में आपसी समझौते को महत्वपूर्ण माना गया।
- हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा शांति स्थापत्य में एक मील का पत्थर बना है।

विभिन्न समझौतों के तहत एकीकृत निगरानी चौकियों को क्रियान्वित करने का सफल प्रयास

- सीमा सुरक्षा बल के द्वारा वर्तमान में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 802 सीमा चौकियों का प्रबंधन किया जा रहा है। देखा जाए तो निगरानी चौकियों की एकीकृत प्रणाली से सीमा प्रबंधन में वृहत्त तौर पर सहायता मिलती है।
- इन निगरानी चौकियों पर सीमा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है तथा इस परिप्रेक्ष्य में तेज-रोशनी की व्यवस्था के साथ कई प्रकार की बुनियादी संरचना के विकास के भी कार्य किए जा रहे हैं।
- सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर लगभग पिछले 15 वर्षों में 3000 किमी० से अधिक के क्षेत्रों में तेज रोशनी की व्यवस्था की है। यह कार्य “केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग” तथा “नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन” एवं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (EP&L) के सहायता से किया गया है।

बांग्लादेश से भारत में अवैध आब्रजन (Illegal Immigration from Bangladesh to India)

नवम्बर 2016 में गृह राज्यमंत्री द्वारा एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यह 2004 में 1.2 करोड़ के मुकाबले 67% वृद्धि को दर्शाता है।

बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही दर्ज किया जा रहा है। अवैध आब्रजन बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी दर्ज हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी सेना तथा प्रशासन के अत्याचार से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक पूर्वोत्तर भारत से लगी सीमा में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश कर जाते थे। लेकिन स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात अधिकांश वापस चले गए (इंदिरा गांधी - शेख मुजीब-उर-रहमान समझौते के अनुरूप)।

बांग्लादेश से लगी सीमा पर अवैध आब्रजन के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मूल निवासियों के मुकाबले बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा होना, वहां के मूल निवासियों पर पहचान का संकट उत्पन्न कर रहा है। असम के अतिवादी संगठन उल्फा के द्वारा इसी आधार पर हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है।

अवैध आब्रजन का एक कारण बांग्लादेश में रोजगार के अवसरों की कमी है। इसके कारण बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं। हालांकि भारत में अवैध अप्रवासन संसाधनों के लिए संघर्ष को बढ़ावा देता है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध आप्रवासियों का बसाव हिंसा को बढ़ावा देता है।

हाल के वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध आप्रवासियों के बसने के कारण उन क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित नई चुनौतियां उत्पन्न हो गयी हैं। अवैध आप्रवासी आमतौर पर अवैध कार्यों में संलग्न होते हैं। इनके द्वारा तस्करी का कार्य किया जाता है। ये हथियार, नशीले पदार्थ, मानव तस्करी जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली एजेंसियों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं।

अवैध आप्रवासी केवल तस्करी ही नहीं वरन् भारत विरोधी गतिविधियों में भी संलग्न होने से पीछे नहीं रहते। चूंकि भारत देश के साथ उनका भावनात्मक लगाव नहीं होता, अतः ISI जैसे भारत विरोधी संगठन आसानी से इन्हें अपने पक्ष में कर के देश हित के विरोध में कार्य संपन्न कराते हैं। इन्हें जाली नोटों के कारोबार, पूर्वोत्तर के आतंकियों को हथियार उपलब्ध करवाना, सुरक्षाबलों की जासूसी करवाना आदि के रूप में देखा जा सकता है।

बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासी आमतौर पर निरक्षर होते हैं। निरक्षरता के कारण इनमें धर्मांधता तथा कट्टरता दोनों पाए जाते हैं। इनकी इन कमियों का लाभ आतंकवादी एवं कट्टर धार्मिक समूह उठाते हैं। HUJI (हरकत-उल-जिहाद, अल-इस्लामी) तथा MULTA जैसे संगठन इन अवैध आप्रवासियों में अपनी पैठ बना चुके हैं।

अवैध बांग्लादेशी भारत के संपूर्ण हिस्सों में फैल चुके हैं। चूंकि इन्हें धर्म के नाम पर बरगलाना आसान होता है। अतः ISI, HUJI जैसे देश विरोधी संगठन इन्हें 'ऐसेट' के रूप में देखते हैं।

चूंकि ये अवैध रूप से आए तथा कम या नहीं पढ़े-लिखे व्यक्ति होते हैं। अतः आमतौर पर कम आय वाले कार्यों में संलग्न होते हैं। इसके साथ ही इनमें सामाजिक असंतोष का स्तर भी उच्च होता है। यह समस्या भारत के समक्ष प्रगतिशील एवं समावेशी समाज बनने के रास्ते में चुनौती उत्पन्न करता है।

अवैध प्रवासन, कानून व्यवस्था की चुनौतियां तथा सरकार को उपलब्ध संसाधनों पर भी भार डालता है। सरकार को सीमा निगरानी, सेवा, पुलिस, हथियारों की खरीद आदि पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इन संसाधनों का सुरक्षा पर व्यय गरीबी निवारण जैसी जरूरी कार्यों के लिए धन उपलब्धता को घटाता है।

समाधान हेतु सुझाव

सीमा पर निगरानी व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए तथा जहां सीमा पर बाड़ का कार्य सम्पन्न नहीं हुए हैं, वहां बाड़ लगाना चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों में आधुनिक उपकरणों (जैसे लेजर फेंसिंग, ड्रोन, सैटेलाइट आदि) के माध्यम से सीमा की निगरानी की जा सकती है तथा अवैध घुसपैठ को कम किया जा सकता है।

सेना की क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें बदलते समय में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ राजनीतिक मुद्दा हो चुका है अतः सभी पार्टियों को एक साथ बैठकर देश हित में संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए।

अवैध आप्रवासियों की पहचान करनी चाहिए तथा बांग्लादेश के साथ बात कर इसका दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक हल निकालना चाहिए। NRC का निर्माण एक अच्छा कदम है, हालांकि इसमें व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास कार्यों का कार्यान्वयन बेहतर करना होगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान एक सही कदम है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।

रोहिंग्या शरणार्थी संकट (Rohingya Refugee Crisis)¹

हाल के समय में रोहिंग्या शरणार्थी संकट 2015 में मुख्य रूप से उभरा। म्यांमार के रखाइन प्रांत में लगभग 10 लाख रोहिंग्या मूल के मुस्लिमों का वास है। 1982 के नागरिकता कानून के अनुसार मात्र 40,000 रोहिंग्या मूल के लोगों को नागरिक का दर्जा प्राप्त है। अन्य रोहिंग्या मूल के व्यक्ति की म्यांमार में पहचान 'राज्यीविहीन इकाई' की है। इन 'राज्यीविहीन इकाई' को मूलभूत नागरिक सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। इसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से यह समुदाय पिछड़ गया। इसी के साथ इनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई।

1. हाल ही में भारत सरकार ने यह साफ किया है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत सरकार के द्वारा अभी भी शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया गया है तथा उन्हें बसाने की कोई योजना नहीं है। पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय के एक बयान से गलतफहमी हो गयी थी।

असंतोष की भावना अंततः हिंसा का रूप ले लेती है। इस हिंसा को समाप्त करने के लिए म्यांमार सरकार के द्वारा सेना का प्रयोग किया गया। इस दौरान सेना द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दोष आम नागरिकों पर बल प्रयोग की खबरें आयी जिसके कारण वहां से लोगों का पलायन होने लगा एवं रोहिंग्या शरणार्थी संकट की उत्पत्ति हुई।

रोहिंग्या म्यांमार से भाग कर दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में शरणार्थी के रूप में पहुँच रहे हैं। बांग्लादेश इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। भारत में लगभग 40000 से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से चले आये, जिन्हें पहचानने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

रोहिंग्या समस्या और भारत

रोहिंग्या मूल के लोग भारत में इससे पूर्व भी शरण की मांग में आए थे, जिन्हें सरकार के द्वारा जम्मू, हैदराबाद, मेवात आदि जगहों पर बसाया गया। हाल के कुछ वर्षों में रोहिंग्या मुसलमानों में आतंकवाद एवं कट्टरता की तरफ झुकाव बढ़ा है, जिसकी अभिव्यक्ति बोधगया के महाबोधि मंदिर में बम धमाका के रूप में देखा जा सकता है।

केन्द्र सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में दिए हलफनामों के अनुसार कई आतंकवादी पृष्ठभूमि के रोहिंग्या शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए हैं। इनसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न होती है। इसके अलावा ISI जैसे भारत विरोधी संस्थान भी इन्हें आसानी से भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न कर लेती है।

अतीत में आए कई रोहिंग्या केवल नागरिकों को जारी होने वाले प्रपत्र (जैसे वोटर कार्ड) भी प्राप्त कर चुके हैं। यह अवैध आप्रवासी का धोखे से नागरिकता प्राप्त करने को दर्शाता है जो सरकार के समक्ष एक नई समस्या को जन्म देता है।

भारत जैसे विशाल देश में अपने नागरिकों के लिए ही संसाधनों की कमी है अतः समाज का एक वर्ग 'विदेशी लोगों' के हित के जगह संसाधनों को नागरिकों के हित की वृद्धि में प्रयोग करने के तर्क को प्रस्तुत करते हैं।

रोहिंग्या समस्या को सुलझाने में बाधाएँ-

भारत सरकार के पास कोई स्पष्ट 'शरणार्थी नीति' नहीं है। इस नीति का न होना समस्या को बढ़ा देता है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पहचानकर इनके मूल देश भेजने की घोषणा की गयी। म्यांमार इन्हें नागरिक न मानकर 'राज्यविहीन इकाई' मानता है। अतः भारत अवैध रोहिंग्या की पहचान कर वापस करना चाहे तो भी इसमें कई कानूनी बाधाएँ हैं।

रोहिंग्या शरणार्थी संकट मानवता पर संकट की तरह देखा जा रहा है। मानवता पर संकट के आधार पर समाज के कुछ वर्ग के साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को इन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन भारत शरणार्थियों से संबंधित 1951 के UN कंवेनशन तथा 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः कोई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता नहीं है।

रोहिंग्या समस्या ने भारत के जटिल राजनीतिक व्यवस्था में समस्या पैदा कर दी है। रोहिंग्या समस्या को एक अलग राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न देश और न शरणार्थियों का हित हो पाता है। इसके विपरीत यह समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

केवल शरणार्थियों की वापसी ही इस समस्या का हल नहीं है। भारत द्वारा म्यांमार को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजी करना चाहिए। भारत को यह प्रयास एक सीमा में करना चाहिए ताकि म्यांमार इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न समझे।

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (National Register of Citizenship)

30 जुलाई 2018 को NRC का फाइनल, ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाना बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह 24 अप्रैल, 1971 के पश्चात् आये लोगों की पहचान कर उनके मूल देश भेजने के कार्य में सहायक है। पूर्वोत्तर भारत के असम का निचला/दक्षिणी क्षेत्र अवैध आप्रवासन से काफी प्रभावित है। असम में अवैध आप्रवासन के कारण यहां के मूल निवासियों द्वारा हिंसक आंदोलन चलाया जा रहा है।

एन.आर.सी. क्यों?

1950 के पश्चात् से असम में आब्रजन तथा नागरिकता से संबंधित काफी बहस होती है। मूल निवासियों को बांग्लादेश से आए आब्रजकों से अपने जमीन, नौकरी आदि के छिने जाने का डर रहता है। असम के मूल निवासी अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए भयभीत रहते हैं। इस समस्या के कारण 1970 के दशक के अंत में अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समानांतर उल्फा (United Liberation front of Assam) के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष भी प्रारंभ हुआ। इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, हड़ताल, चुनाव का बहिष्कार आदि घटनाएँ हुईं। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हिंसा के माहौल ने राज्य के विकास को भी बाधित किया। इसी को शांत करने के लिए 1985 में भारत सरकार तथा असम आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौता कहा जाता है। इसके अनुसार-

- सभी विदेशी जो 1951 से 1961 के बीच आये, उन्हें पूर्ण नागरिकता प्रदान की जाएगी।
- 1961 से 1971 के बीच आए लोग वोट के अधिकार (10 वर्ष तक) नहीं प्राप्त कर सकते हैं पर अन्य नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 24 अप्रैल 1971 के पश्चात् आये विदेशियों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें उनके देश भेजा जाएगा।

काफी समय तक असम समझौता 1985 के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सका। इसके पश्चात् 2005 में केन्द्र सरकार असम सरकार एवं 'ऑल असम स्टूडेंट यूनियन' के बीच समझौता हुआ, जिसमें नई NRC को 1951 के NRC तथा 1971 के मतदाता सूची के आधार पर तैयार करना था। यह कार्य दो वर्ष में संपन्न करना था। इसका पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ मगर इसके विरुद्ध समाज के एक वर्ग ने हिंसा प्रारंभ कर दी जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इसे पुनः प्रारंभ किया गया।

NRC लागू करने में समस्या

असम के NRC में शामिल नहीं हुए लोगों को अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी कहा जाता है पर समस्या यह है कि बांग्लादेश की सरकार या अधिकारी अवैध घुसपैठ की बात स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत का कोई प्रत्यर्पण समझौता भी नहीं है। अतः सबसे बड़ी समस्या अंतिम सूची NRC की तैयार करने के पश्चात् होगी कि जिन लोगों का नाम NRC में नहीं है उनका भविष्य क्या होगा? उनकी पहचान 'स्टेटलेस इटिडिज' रूप में होगी।

NRC का राजनीतिकरण हो गया है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के सदस्य इसे बांग्लाभाषी मुस्लिम तथा असम के हिंदुओं के बीच संघर्ष का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि 40 लाख लोगों में एक-तिहाई हिंदू भी हैं।

असम हिंसा में भाषायी एवं जातीय दोनों जटिलताएं हैं। असम के मूल निवासी 1985 के असम समझौते के अनुरूप केवल नागरिकों के साथ अपने संसाधनों को साझा करना चाहते हैं। समस्या यह है कि जिन लोगों का नाम NRC में नहीं होगा उन्हें 24 अप्रैल, 1971 के कटऑफ डेट के आधार पर नागरिक अधिकारों से वंचित करना काफी जटिल कार्य होगा।

असम के पिछड़े इलाकों के गरीब, कम पढ़े-लिखे लोगों को NRC में जगह बनाना मुश्किल होगा। साधारणतः ऐसे लोगों में दस्तावेज हासिल करने के प्रति जागरूकता नहीं होती। फलतः गरीब तथा कम पढ़े-लिखे नागरिक भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे।

जिनका NRC में नाम शामिल नहीं है, उन लोगों के पास अपील का प्रावधान है मगर अपील करने में समय तथा धन दोनों की आवश्यकता होगी। यह न्यायालय में मामलों को बढ़ाने के साथ ही देश के संसाधन पर अतिरिक्त भार भी बढ़ाएगा।

आगे की राह

एन.आर.सी. एकट एक वृहत्त कष्ट है जिसकी आवश्यकता तो है पर इसका राजनीतिकरण ठीक नहीं है।

NRC में नाम शामिल न हुए लोगों के पास उपलब्ध अपील की क्रमिक प्रक्रिया:-



सीमा सुरक्षा गिड (Border Protection Grid)

सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के लिए सीमा सुरक्षा गिड की स्थापना की घोषणा की गयी है।

- इस गिड में भौतिक अवरोध, गैर-भौतिक अवरोध, निगरानी प्रणाली, खुफिया एजेंसियाँ, राज्य पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल सम्मिलित होंगे।
- भारत-बांग्लादेश सीमा की लम्बाई 4,096 किमी. है। परन्तु अभी तक मात्र 3,006 किमी. सीमा को सुरक्षात्मक बाड़बंदी, सड़कों, फ्लड लाइट्स और सीमावर्ती पोस्टों (BOP) जैसी सीमा सुरक्षा अवसंरचनाओं से सुरक्षित किया गया है।
- शेष 1,090 किमी. लम्बी सुरक्षा-रहित सीमा में-
 - 684 किमी. लम्बी सीमा को बाड़बंदी तथा संबंधित अवसंरचना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
 - शेष 406 किमी. लम्बी सीमा नदियों आदि से युक्त है। इसकी सुरक्षा हेतु रडार, डे-नाइट कैमरा, सेन्सर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संयोजन को एक कमान एवं नियंत्रण संरचना के तहत एकीकृत किया जाएगा।

एकीकृत निगरानी चौकियाँ (Integrated monitoring post)

सुरक्षा सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2006 में सैद्धांतिक रूप से 13 स्थलों पर एकीकृत निगरानी चौकियों और एक वैधानिक संस्था के रूप में भारतीय थल बंदरगाह प्राधिकरण (Land Ports Authority of India) की स्थापना को स्वीकृति दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक योजना राशि 635 करोड़ रुपये के साथ ही एक योजना स्कीम के रूप में इन चौकियों का निर्माण शुरू किया गया। शुरू के चरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा के प्रमुख प्रवेश और निर्गम स्थलों पर 13 एकीकृत निगरानी चौकियों के निर्माण की योजना थी। इनमें सबसे पहले अटारी एकीकृत निगरानी चौकी का काम पूरा हुआ।

एकीकृत निगरानी चौकियों को एक ऐसे सुचारित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां यात्रियों और माल को लाने ले जाने से संबंधित पर्याप्त सुविधाएं हैं। यहां एकीकृत का अर्थ देश के प्रमुख क्रियाकलापों का एकीकरण है न कि रेल, सड़क, जलमार्ग आदि जैसी विभिन्न प्रणालियों का एकीकरण। इसमें एक ही स्थान पर सीमापार वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था, कुशल कार्य निष्पादन के साथ यात्री टर्मिनल भवन (जिसमें हवाई अड्डे के टर्मिनल की तर्ज पर आव्रजन काउंटर, सामान जांच स्कैनर, कस्टम काउंटर, चिकित्सालय, शौचालय, शुल्क मुक्त दुकानें, रैम्प, ह्वील चेयर इत्यादि की व्यवस्था होती है।), कार्गो टर्मिनल (इनमें एजेंसियाँ, बैंक, कार्गो एजेंट, पार्किंग क्षेत्र, गोदाम, सामानों का निरीक्षण, परीक्षण, सामान

प्राप्ति तथा भेजने की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि हैं।) भी है। इसके साथ निगरानी के लिए सीसीटीवी प्रणाली सड़कों पर लंबी बल्ली वाले अवरोधक, आग की चेतावनी व अग्निशमन प्रणाली, 100% पॉवर बैकअप और परिसर तक जल्दी और सीधी पहुँच के लिए हैलीपैड भी हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (Border Area Development Program)

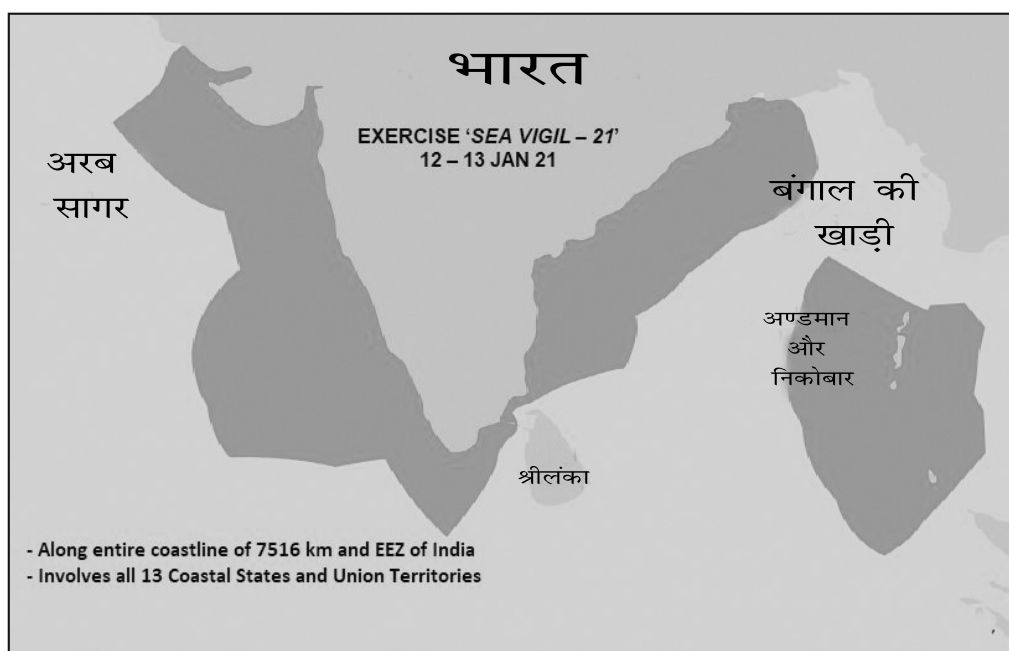
सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अपनी इच्छा से वहाँ रहे तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ हमारे सीमावर्ती रक्षकों के रूप में कार्य करें, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के जरिये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया है। यह कार्यक्रम दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमा प्रबंधन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का एक अंग है और अन्य केन्द्रीय/ राज्य/ स्थानीय योजनाओं तथा

भागीदारी दृष्टिकोण के अभिसरण के जरिये सीमावर्ती क्षेत्र में आवश्यक संरचना तैयार करने पर केन्द्रित है।

यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत (100%) केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों सहित 17 राज्यों के 103 सीमावर्ती जिलों के 375 सीमा खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएडीपी के अधीन विकास गतिविधियाँ, अवसंरचना विकास (जैसे-संपर्क सड़कें, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, कृषि आदि) से संबंधित है।

बीएडीपी के दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रवासन को रोकना है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2012 से बीएडीपी के अधीन राज्यों को आवंटित राशि का कम से कम 5% धन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर खर्च किया जाए।

तटीय सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन (Coastal border Security Challenges & Management)



तटीय सीमा सुरक्षा की चुनौतियाँ

तटीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत एक अति-संवेदनशील देश है जहाँ की प्रायद्वीपीय स्थिति इस तट-सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व प्रदान करती है। भारतीय समुद्रतट निर्जन द्वीपों, मैंग्रोव वनों के साथ खाड़ियों, नदियों और नालियों से बहुत कटा-फटा है। ये जलीय क्षेत्र, जो ज्यादातर एक दूसरे से

जुड़े हुए हैं और स्थल क्षेत्र में अन्दर तक आते हैं, सीमा को छिद्रदार बनाते हैं तथा घुसपैठ, मादक पदार्थ व हथियारों की तस्करी आदि के प्रति इसे कमजोर बनाते हैं। मैंग्रोव वन, निर्जन द्वीप, बालू भित्ति (Sand Bars) आदि घुसपैठियों और अपराधियों को छिपने के आदर्श स्थान प्रदान करते हैं।

हाल के वर्षों में आतंकवादियों द्वारा, 1993 मुम्बई बम विस्फोट तथा 2003 और 2008 के मुम्बई हमलों में,

1. तटीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए तटीय सुरक्षा बल ने 'सी विजिल-22' नामक एक सैन्य अभ्यास नवम्बर 2022 में किया। यह एक्सरसाइज 15-16 नवम्बर 2022 को किया गया।

समुद्री रास्ते के प्रयोग ने समुद्र तटीय जोखिम में एक नया आयाम जोड़ दिया है।

तट के साथ स्थित कई उच्च मूल्य लक्ष्यों जैसे-तेल रिफाइनरी, परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केन्द्र, बंदरगाह तथा नौसैनिक अड्डों इत्यादि के अस्तित्व से यह जोखिम और अधिक हो जाता है। यह स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति में इन प्रतिष्ठानों को पाकिस्तान से तो खतरा होगा ही साथ ही आतंकवादी खतरों, तोड़फोड़ जैसे अपारंपरिक खतरों की चिंता भी बढ़ी है जो भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। उदाहरण के लिए- अगर आतंकवादी एक बड़े तेल के टैंकर पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तो कई मिलियन बैरल कच्चे तेल के रिसाव से अपूरणीय पर्यावरणीय व आर्थिक नुकसान होगा। ये केवल समुद्री जीवन का ही नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रकार की घटना बंदरगाह के निकट हो जाए तो समुद्री यातायात भी बाधित हो सकता है। 2002 में यमन तट के निकट एम.वी. लिम्बर्ग (M.V. Limbourg) पर आतंकी हमले में सभी चालक दल मारे गए थे तथा कई हजार बैरल तेल समुद्र में गिरा था। यह हमला इस बात का साक्ष्य है कि इस तरह के हमलों की संभावनाएं प्रबल हैं।

समुद्र में सीमा दृष्टिगत नहीं होने के कारण भारत तथा पाकिस्तान के मछुआरों को एक-दूसरे के क्षेत्र में भटकने और गिरफ्तार हो जाने की संभावना बनी रहती है। संभावना है कि इन गिरफ्तार मछुआरों में से कुछ को पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा एजेंट के रूप में भर्ती किया जा सकता है तथा हथियार, विस्फोटक और आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए उनकी नावों का प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय पंजीकरण तथा निर्माण के कारण इन्हें भारतीय तटरक्षकों से बचने में मदद मिलती है। ऐसा ही कुछ वर्ष पहले तब हुआ था जब नवंबर 2008 में कुबेर नौका को तटरक्षक बलों ने जाने दिया, जिसमें आतंकी मुंबई पहुंचे थे। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अपराधियों और आतंकवादियों की गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा परिष्कृत व दृढ़ हो गई हैं तथा इसके परिणाम भी बहुत गंभीर हो गए हैं।

पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भी भारत के द्वीपीय प्रदेश क्रमशः लक्षद्वीप व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। इन द्वीपों की प्रकृति और अवस्थिति उनकी उचित सुरक्षा की जरूरत उत्पन्न करती है।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 572 में से केवल 36 और लक्षद्वीप के 36 में से केवल 10 द्वीप पर मानव

बसे हैं। अपने सामरिक अवस्थिति यथा महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों से निकटता तथा मुख्य भूमि से दूरी द्वीपीय प्रदेशों को जोखिम भरा बनाती है। हाल के खुफिया रिपोर्टों ने बताया है कि आतंकवादी समूह तथा आपराधिक गिरोह कई निर्जन द्वीपों को हथियार और नशीले पदार्थों के लिए पारगमन बिंदु (Transit Point) के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा लक्षद्वीप के निर्जन द्वीपों को भारत के खिलाफ हमले करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा मलक्का जलडमरूमध्य में लूट-पाट (Piracy) की घटनाएं बढ़ी हैं।

भारत के पड़ोसी तटीय देशों में आंतरिक गड़बड़ी द्वीपीय प्रदेशों के सुरक्षा परिदृश्य को अत्यंत गंभीर बना देती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बांग्लादेश, श्रीलंका (तमिल), म्यांमार, थाइलैंड और इंडोनेशिया से अवैध प्रवासियों की बाढ़ सी आई है। इसके अलावा हिंदमहासागर बड़ी शक्तियों (ज्यादातर अंतर्क्षेत्रीय) के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता का रंगमंच रहा है। हाल के वर्षों में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय रहा है। इस क्षेत्र में अपने क्षमतावान विरोधी (भारत) को नियंत्रित करने के लिए चीन ने म्यांमार को हैंग्यी (Haingyi) में एक नौसेना बेस का निर्माण, अंडमान निकोबार के निकट कोको द्वीप पर श्रवण चौकी (Listening Posts) की स्थापना में मदद की है। इसने (चीन) पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका को बंदरगाह निर्माण में भी मदद की है, जिनका प्रयोग प्रतिकूल समय में चीन द्वारा किया जा सकता है। इसे विशेषज्ञों द्वारा मोतियों की माला (String of pearls) कहा जाता है।

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा (Maritime and coastal Security structure)

परिचय

तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार समुद्र (सीमान्तर्गत जल क्षेत्र) में 12 नॉटिकल मील तक है और भारतीय तटरक्षक का क्षेत्राधिकार बेसलाइन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सीमाओं तक अर्थात् समुद्र में 0 से 200 नॉटिकल मील तक है। 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र (हाई सी) भारतीय नौसेना के क्षेत्राधिकार के अन्दर आता है। समस्त तट पर त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

सुरक्षा

भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय सुरक्षा एवं अपतटीय सुरक्षा शामिल हैं।

भारतीय तटरक्षक को तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत सभी समुद्री जोनों में भारत के हितों की सुरक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है।

तटरक्षक महानिदेशक को तटीय कमांड के कमांडर के रूप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

समुद्र एवं तटीय सुरक्षा प्रबंधन ¹

भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978

‘भारतीय तटरक्षक’ को कानूनी रूप से एक स्वतंत्र बल के रूप में संसद के द्वारा “तटरक्षक अधिनियम, 1978” के अंतर्गत स्थापित गया। भारतीय तटरक्षक अधिनियम-1978 के द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र के रक्षा में लगे बलों के लिए विभिन्न रूप में उनके कर्तव्यों को रेखांकित किया गया:-

उदाहरण स्वरूप:-

- हमारे समुद्रीय सीमा में विभिन्न तरह के कृत्रिम द्वीपों का निर्माण तथा अपतटीय सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देना।
- भारतीय मछुआरों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना।
- समुद्री पर्यावरण तथा प्रदूषण-मुक्ति के लिए प्रयास करना तथा इसका ‘पर्यावरणीय-संरक्षण’ करना।
- तस्कर-रोधी अभियानों का संचालन तथा सीमा-शुल्क (कस्टम-विभाग) की विभिन्न कार्यों तक परिरक्षण में सहायता करना।
- समुद्रीय स्तर पर विभिन्न जान-माल की सुरक्षा का प्रयत्न करना।
- भारतीय समुद्री अधिनियम का प्रवर्तन करना।

तटीय सुरक्षा योजना

तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों पर गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए समुद्री पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।

तटीय सुरक्षा योजना

इस तरह से तटीय सुरक्षा योजना को कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश पर 2005-06 में सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में गश्त और निगरानी के लिए सभी तटीय राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के तटरक्षक बलों की बुनियादी जरूरतों को पूरी करना। देखा जाए तो तटीय सुरक्षा योजना का दो चरणों में बाँटा गया है।

- **प्रथम चरण (Phase-I) (2005-2011) :** इस चरण में 9 तटीय राज्यों और 4 तटीय संघ-शासित प्रदेशों में लागू किया गया था।

- **द्वितीय चरण (Phase-II) :** इस चरण में 2011-2020 की अवधि में तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है। देखा जाए तो इन दोनों चरणों में तटीय राज्यों तथा केन्द्र-शासित प्रदेशों में 183 तटीय पुलिस स्टेशनों को परिचालित किया गया है। इसके अलावा तटीय चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं।

उपरोक्त कोशिश के अलावा निगरानी करने के लिए संपूर्ण तट को देखते हुए 74 स्वचालित पहचान-प्रणाली को विकसित किया गया है जो कि तटीय राडारों तथा आधुनिक रिसीवरों के रूप में तैनात हैं। भारतीय नौ-सेना के द्वारा मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट-ब्लेयर में तटीय सुरक्षा के लिए कमान एवं नियंत्रण हब के रूप में ‘संयुक्त संचालन-केन्द्र’ स्थापित किए गए हैं। इस सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न स्तर पर छोटे बंदरगाहों के विकास पर कार्य किया जा रहा है।

तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र

देश की तटीय सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसे ‘समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति’ (एनसीएसएमसीएस) कहा जाता है और इसमें नौसेना प्रमुख, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (सीमा प्रबंधन), पोत परिवहन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी तथा राजस्व सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सचिव (आर) मंत्रिमंडल सचिवालय, निदेशक (आसूचना ब्यूरो), महानिदेशक (भारतीय तटरक्षक), तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति की पिछली बैठक अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में तटीय सुरक्षा को जमीनी सुरक्षा के जैसे ही मजबूत बनाने की बात कही गयी तथा तटीय सुरक्षा के लिए उचित बजटीय प्रबंधन पर जोर दिया गया।

तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन (Coastal Area Security management)

तटों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक त्रिस्तरीय तंत्र को लागू किया है। सबसे बाहरी स्तर में भारतीय नौसेना गश्त लगाती है तथा जहाज आधारित विमानों (Ship based aircraft) से टोह लेती है मध्यवर्ती परत, जिसमें अन्य आर्थिक क्षेत्र (12-200 नॉटिकल मील) शामिल हैं, की गश्त तटरक्षक बल लगाते हैं। तथा अंतिम परत, क्षेत्रीय, जल की गश्त तटीय पुलिस लगाते हैं।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ट्रैक करने के लिए सभी तटीय राज्य सरकारों ने नौकाओं पर जीपीएस तथा उच्च आवृत्ति वायरलेस प्रणाली (high frequency

1. भारत के द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा कॉन्क्लेव में श्रीलंका, मालदीव एवं मारीशस ने भाग लिया। यह कॉन्क्लेव कई मुद्दों पर बातचीत के लिए खुलाया गया था

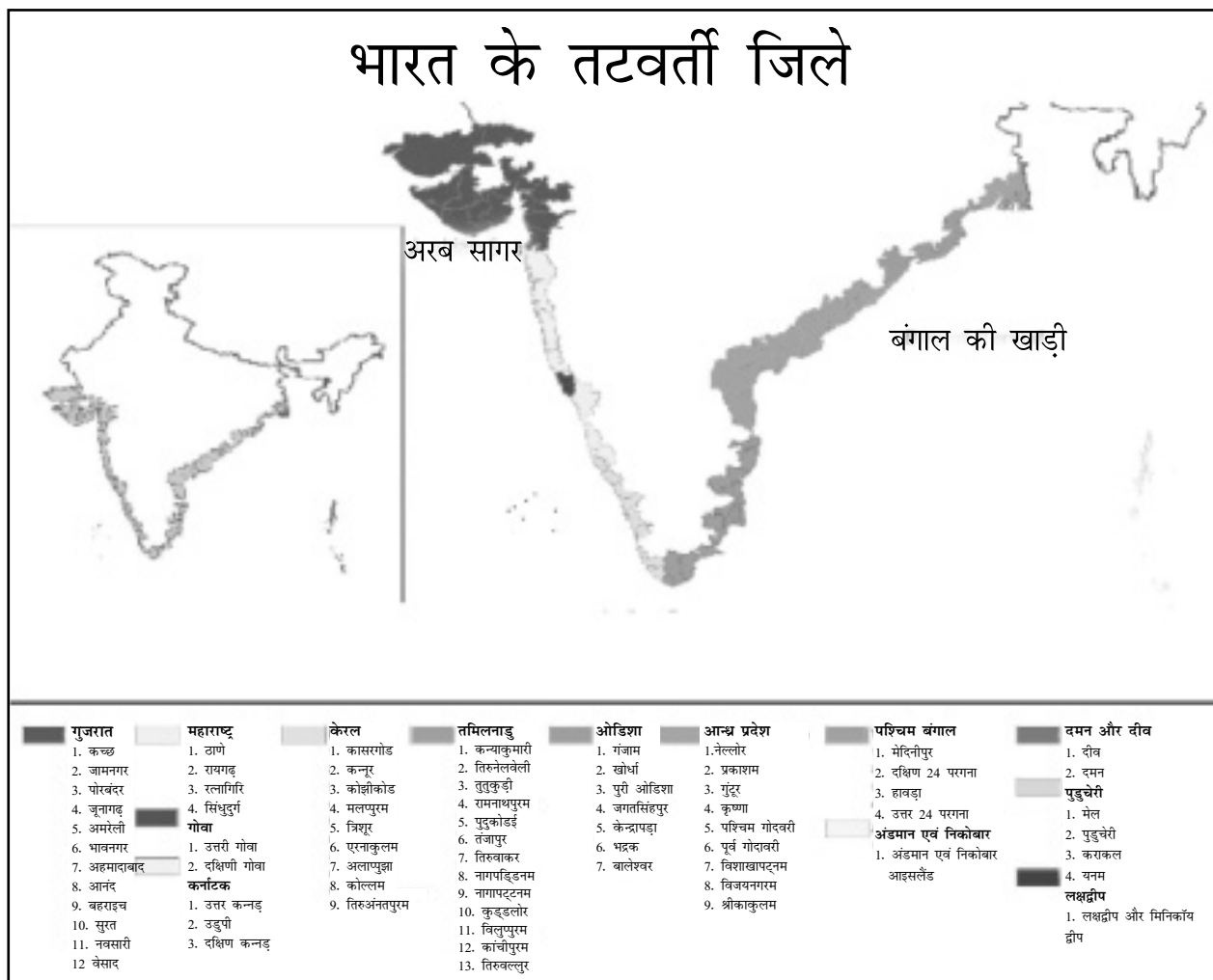
1. गैर-कानूनी मछली शिकार, 2. समुद्री तस्कारी, 3. आर्थिक शरणार्थी

wireless systems) लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये उपकरण मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पता लगाने और उसके अन्दर ही रहने में सुविधा प्रदान करते हैं।

देश के प्रमुख बंदरगाहों को 'अंतर्राष्ट्रीय पोत और बंदरगाह सुरक्षा कोड' के अनुरूप कर दिया गया है। इन बंदरगाहों की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा

की जाती है। जहाजों की सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (VTMS) और स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) भी यहां लगाई गई है।

स्थानीय लोगों तथा विदेशी तत्वों की पहचान के लिए सभी तटीय राज्यों ने नजदीकी ग्रामीण आबादी के लिए एक विशेष पहचान-पत्र अनिवार्य कर दिया है तथा इसे एक संवेदनशील विषय माना है।



मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद सरकार ने तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उपायों के एक श्रृंखला की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं-

- तटीय सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना।
- तटीय पुलिस की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मानदंडों में ढील।
- सभी मछुआरों, मल्लाह कर्मियों और तटीय गांवों के लिए बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी करना।

- देश भर में मछली पकड़ने की नौकाओं की एक समान लाइसेंसिंग।
- पहचान और ट्रेकिंग के लिए पंजीकृत नौकाओं पर विशेष ट्रांसपोंडर और जीपीएस को लगाना।
- सभी बंदरगाहों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडों इकाई की तैनाती।
- समुद्र से आतंकवादी खतरों से मुकाबले के लिए तटीय जिलों में एकीकृत कमान का गठन।

इसके अलावा खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्री जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच

समन्वय बढ़ाने के लिए मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट-ब्लेयर में संयुक्त कार्यवाही केन्द्रों की स्थापना की गई है। भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बलों के साधनों यथा-जहाजों, नावों, हेलीकॉप्टरों तथा विमानों आदि में वृद्धि कर इन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी। नौसेनिक संपत्ति तथा पूर्वी, पश्चिमी और द्वीपीय क्षेत्रों में नौसेनिक अड्डों की रक्षा के लिए एक सागर प्रहरी बल की स्थापना की गई है।

द्वीपीय प्रदेशों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार में एक संयुक्त कमान की स्थापना की है, जिसे 'अंडमान और निकोबार' कमांड कहा जाता है। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना तथा तटरक्षक चारों बलों के कर्मी शामिल होते हैं। अन्य जिम्मेदारियों के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की रक्षा का दायित्व भी इसी पर है। अंडमान और निकोबार में एक समर्पित पुलिस बल भी है, जिसका गठन 1957 में किया गया था। तटों पर चौकसी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस चौकियों की स्थापना तथा द्वीप के निवासियों को पहचान पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार लक्षद्वीप में तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है तथा नौसेना और तटरक्षक बलों ने इसके चारों ओर चौकसी बढ़ा दी है।

तटीय सुरक्षा प्रबंधन (मूल्यांकन)

यह कहना उचित है कि पहले की अपेक्षा 'तटीय सुरक्षा' का विषय अब अधिक महत्वपूर्ण तथा संतोषजनक है परंतु अभी भी तटीय राज्य सरकारें 'तटीय सुरक्षा' के मामले में पूर्णरूप से क्रियाशील नहीं हैं। देखा जाए तो तटीय सीमा से लगे 'पुलिस-बल' जो राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, इस उत्तरादायित्व से अलग स्वयं को दिखाना चाहते हैं। 26 नवम्बर-2008 के घटनाक्रम के 13 साल बाद भी आज तटीय सुरक्षा को पूर्ण रूप से संतोष जनक मानना "आत्म मुग्धता" ही हो गया। देखा जाए तो कई स्तर पर बुनियादी-ढांचे तथा कानून-प्रवर्तन में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा तटीय रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया गया है तथा इसके तहत भारतीय नौ-सेना, तट-रक्षक और समुद्री पुलिस संयुक्त रूप से तटीय सुरक्षा को देखते हैं।

पिछले 12 सालों में एक तथ्य जो संतोषजनक है कि तटीय सुरक्षा के मामले में "अंतर एजेंसी समन्वय" में सुधार तो हुआ है पर इन तट-रक्षक बलों तथा स्थानीय पुलिस बल के बीच कोई भी बड़े स्तर का समन्वय अभी तक नहीं बन पाया है। देखा जाए तो कुछ विशेषज्ञों का कहना यह सही है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खतरे पर

2009 के बाद अधिक ध्यान दे दिया परंतु मानव-तस्करी, अवैध मछली पकड़ना तथा गैर-कानूनी समुद्रीय क्रिया-कलाप पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया। इसके बावजूद नौ-सेना तथा कॉस्ट-गार्ड दोनों ने ही इस संबंध में अपनी क्षमता में सुधार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोस्ट गार्ड ने यह खुलासा किया है कि वर्ष 2023 तक उनके पास 190 जहाज और 100 विमान होंगे।

भारत की सीमा सुरक्षा प्रबंधन : मूल्यांकन (Border security management of India : Evaluation)

1. "सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केन्द्र की शक्ति तथा इससे संबंधित नीति निर्माण को न्यायालय में चुनौती"
2. चीन के द्वारा भूटान से लगी सीमा पर कई गांव बसाने की योजना का खुलासा।
3. चीन का नया 'सीमा कानून' तथा इससे उत्पन्न भारत की चुनौतियां।
4. "चीन-भूटान के बीच की नयी सीमा संबंधी संधि तथा भारत पर इसका प्रभाव"
5. भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ में आयी कमी।
6. भारत की चीनी सीमा से लगे सड़कों तथा जगहों पर ब्रह्मोस की तैनाती का निर्णय:-

'बी.एस.एफ.' के 'अधिकार क्षेत्र' पर फैसला करने को केन्द्र की शक्ति को न्यायालय में दी गयी चुनौती

- भारत सरकार के गृह-मंत्रालय की एक स्थायी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 'BSF' को भारत सरकार ने कुछ नये अधिकार प्रदान किए हैं।
- 'उपरोक्त अधिकार के तहत 'BSF' को पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम राज्य से संबंधित बांग्लादेश की सीमा पर 15 कि.मी. के बदले अब 50 कि.मी. के अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, जब्ती तथा गिरफ्तारी के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- इस अधिकार के विरोध में 17 नवम्बर 2021 को पश्चिम बंगाल की विधान-सभा ने BSF के अधिकार-क्षेत्र को बढ़ाने का केन्द्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है क्योंकि यह एक राज्य को दिये गये कानून व्यवस्था के अधिकार का उल्लंघन है।

- देखा जाए तो पंजाब विधान सभा ने भी BSF को दिए गए उपरोक्त अधिकार के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब विधान सभा ने इसे “संघीय ढांचे पर हमला” कहा है।
- यह सूचना योग्य है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में BSF अधिनियम में संशोधन कर जहां पाकिस्तान से लगे गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF के अधिकार क्षेत्र को 80 कि.मी. से घटाकर 50 कि.मी. कर दिया है वहीं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF के अधिकार क्षेत्र ‘50 किमी’ को समान रूप से ही रहने दिया है।
- BSF अधिनियम में संशोधन के खिलाफ “कोलकाता उच्च न्यायालय” में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका दायर कर्ता ने दावा किया है कि BSF अधिनियम की धारा-139 के उपबंध-(8) के तहत बल के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केन्द्र की शक्ति संघीय ढांचे के विरुद्ध है।

चीन के द्वारा भूटान से लगी सीमा पर कई गांव-बसाने की योजना का खुलासा

- चीन अपनी विस्तारवादी तथा आक्रामक रवैया से बाज नहीं आ रहा है। देखा जाए तो एक तरफ वह अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर गांवों का निर्माण कर भारत के लिए नयी चुनौती पेश कर रहा है वहीं दूसरी तरफ भूटान से लगी सीमा पर भी कई क्रिया-विधि को अंजाम दे रहा है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार भूटान सीमा से लगे क्षेत्रों में चीन के द्वारा कई गांवों का निर्माण किया जा रहा है। ‘इंटेल् लैब’ के साथ काम कर रहे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शोधकर्ता ने यह दावा किया है कि चीन के द्वारा भूटान से लगी सीमा के तहत 100 km² के क्षेत्रों में कई गांव नजर आ रहे जो कि चिंता का एक विषय है।
- भूटान को सीमा संबंधी समस्या का सामना चीन के तरफ से लगातार करना पड़ रहा है जो एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर देखा जा सकता है। पिछले 14 अक्टूबर को भूटान और चीन के बीच सीमा संबंधी चुनौतियों तथा विवाद को कम करने के उद्देश्य से कई स्तर की बातचीत होने के बाद “समझौता ज्ञान (MOU)” का आदान-प्रदान हुआ है।
- भारत की प्रतिक्रिया इस ‘भूटान-चीन’ संबंधी सीमा समझौता प्रक्रिया के विषय में सतर्कता तथा धैर्यपूर्ण रहा है

जो भारतीय विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है।

चीन का नया “सीमा-कानून” तथा इससे उत्पन्न भारत की चुनौतियाँ

- चीन ने पिछले दिनों अपनी एक ‘आंतरिक सुरक्षा’ संबंधी नीति के तहत “भूमि-सीमा कानून” में बदलाव किया है। इस कानून में चीन के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों संबंधी विभिन्न क्रिया-कलापों में परिवर्तन देखा जा रहा है।
- चीन अपने इस नये “भूमि-सीमा संबंधी कानून” के तहत अपने सीमा से सटे क्षेत्रों में बुनियादी-विकास को आक्रामक तरीके से बढ़ाने के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रावधानित किया है।
- देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पर चीन के पड़ोसी देशों यथा भारत के लिए पेश हो सकता है। देखा जाए तो इससे एक तरफ भारत की सामरिक चुनौतियाँ इस प्रावधान से बढ़ गयी है तथा दूसरी-तरफ भारतीय सुरक्षा बलों को अब सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक क्रियाशील होने का भी विकल्प प्रदान करती है।

चीन-भूटान के बीच की नयी सीमा संबंधी संधि तथा भारत पर इस संधि का प्रभाव:-

- 14 अक्टूबर 2021 को एक ‘वीडियो कांफ्रेंसिंग’ के द्वारा चीन और भूटान के बीच सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने का एक वृहत्तम प्रयास किया गया। देखा जाए तो कई वर्षों से चले आ रहे विवाद तथा डोकलाम के बाद की चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में यह एक सार्थक योगदान दे सकता है।
- इस सम्मेलन के बाद के समझौते को “सार्थक-योगदान” के लिए राजनयिक संबंध स्थापित करना तथा इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है।
- भूटान से लगे चीन के वृहत्तम सीमा के 764 कि.मी. के भाग को चीन अपना बताता रहा है। भारत की आपत्ति इस मामले में ये रही है कि भारत-भूटान के बीच 1949 ई. की एक संधि के तहत यह समझौता हो चुका है कि कोई भी देश विदेश नीति संबंधी फैसले लेने पर दूसरे को सूचित करेंगे।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर घूसपैठ में आयी कमी

- हाल ही में राज्य सभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में गृह-राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2016 ई. से बांग्लादेश की सीमा पर घूसपैठ की समस्या कम हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में:-
 - जहाँ 2016 ई. में घूसपैठ के 654 मामले दर्ज हुए थे वहीं 2020 ई. में इससे जुड़े 489 मामले ही दर्ज हुए।
 - लगातार घट रहे घूसपैठ के मामले:-
 - 2016 : 654 मामले
 - 2017 : 456 मामले
 - 2018 : 420 मामले
 - 2019 : 500 मामले
 - 2020 : 489 मामले
 - 2021 : 403 मामले

भारत-चीन सीमा पर 'ब्रह्मोस' तैनात

- ऐसे भारत कभी-भी अपनी सीमा संबंधी तैयारियों का खुलासा नहीं करता तथा इसे किसी देश के विरुद्ध अपनी नीति में शामिल नहीं कर "आंतरिक सुरक्षा" का विषय मानता है परंतु पिछले दिनों एक जबाब में सरकार के फैसलों को सार्वजनिक किया गया कि भारत चीन से सटे 'सीमावर्ती क्षेत्रों' में सड़कों का निर्माण तथा चौड़ीकरण इसीलिए कर रहा है, ताकि "ब्रह्मोस" मिसाइल स्थापित या तैनात करने में उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
- 'चार-धाम प्रोजेक्ट' के विरोध में दायर हुए एक याचिका पर जबाब देते हुए भारत सरकार ने कहा है कि देश को चीन से सटे सीमा पर सड़कों को चौड़ी करना अनिवार्य हो गया है। इसको पीछे का उद्देश्य यह है कि भारत अपनी सुरक्षा के कारण इस क्षेत्र में "ब्रह्मोस मिसाइल" को लगाना चाहता है।
- भारत के इस निर्णय का चीन के सरकारी "ग्लोबल-टाइम्स" अखबार ने तनाव बढ़ाने वाला कहा है।

भारतीय सीमा सुरक्षा हेतु सुझाव (Suggestion for Indian border security)

दुर्गम क्षेत्र और जटिल सामाजिक आर्थिक परिवेश असहयोगी और दुर्भावनापूर्ण पड़ोसियों के साथ मिलकर भारत की

अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रबंधन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तस्करी, नशीली दवाओं और मानव तस्करी, वस्तुओं, विद्रोहियों और अपराधियों की अवैध आवाजाही, दो देशों के सीमा रखवाली बलों के बीच तनाव आदि इन चुनौतियों में आगे जोड़े जा सकते हैं। ये समस्याएं केवल क्षेत्रों को असुरक्षित नहीं बनाती बल्कि पड़ोसियों के बीच तनाव भी पैदा करते हैं। हालांकि बड़ी बाधाओं जैसे- राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निहित स्वार्थ, केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी तथा पड़ोसियों की असंवेदनशीलता दूर करने के लिए काफी समय तथा ठोस प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन छोटे मुद्दों को यदि ठीक से संभाला जाय तो उन्हें निश्चित रूप से हल किया जा सकता है।

भू-सीमा के प्रबंधन के लिए सुझाव (Suggestion for management of land-border)

1. रखवाली (Surveillance)

- सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और सीमा चौकियों की संख्या में वृद्धि। इसके अलावा संवेदनशील चौकियों में कर्मियों की संख्या बढ़ाना।
- रखवाली बलों को प्रशिक्षित करना और सीमा की बेहतर निगरानी के लिए आधुनिक उपकरण तथा हथियार प्रदान करना।
- बाड़ों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए अलार्म प्रणाली तथा त्वरित कार्यवाही।
- सीमा सुरक्षा के लिए प्रत्येक समय पर्याप्त संख्या में कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। इनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए काम तथा रहन-सहन की दशा को सुधारना।
- सीमा सुरक्षा में शामिल सभी एजेंसियों जैसे सीमा रखवाली बल, कस्टम, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।
- सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संवेदित तथा प्रोत्साहित कर उन्हें सीमा रखवाली बलों के आंख-कान की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
- सीमा सुरक्षा बल में स्थानीय लोगों की भर्ती करना क्योंकि उन्हें स्थानीय उच्चावच तथा भाषा की जानकारी होती है, जैसे-ITBP जवानों को चीन की मंदारिन भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया है।

2. विनियमन (Regulation)

- बाड़ तथा सीमा के बीच मानव बस्ती या खेती की अनुमति न दी जाय। इससे दृष्टि बाधा उत्पन्न होती है।

- आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को कानूनी बना दिये जाने से इनकी तस्करी रुकेगी। सीमा के पास बाजार खोले जाएं जहां लोग बिना किसी शुल्क के वस्तुएं खरीद और बेच सकें।
- सीमा के साथ निवास करने वालों को बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए ताकि नागरिकों और गैरकानूनी प्रवासियों में अंतर किया जा सके।

3. विकास (Development)

- सीमावर्ती लोगों को गैरकानूनी कार्यों से बचाने तथा उनके मन से अलग-थलग होने की भावना दूर करने के लिए सीमा के सर्वांगीण विकास का कार्य करना चाहिए।
- सीमावर्ती लोगों के आर्थिक विकास में उनकी अधिक से अधिक जनसंख्या की भागीदारी सुनिश्चित करना।

4. द्विपक्षीय तंत्र (Bilateral mechanism)

- तनाव तथा सीमा विवाद कम करने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक का अक्सर आयोजन करके द्विपक्षीय तंत्र को मजबूत करना।

तटीय सुरक्षा के लिए सुझाव (Suggestion for coastal security)

हाल ही में सरकार ने क्रीकों और तटों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन चिंता के कई क्षेत्र अभी भी बने हुए हैं। रखवाली बलों के लिए एक बड़ी चुनौती स्थापित तथा मंजूरी प्राप्त बुनियादी ढांचे और कर्मियों की संख्या के बीच बढ़ती खाई है। सरकार द्वारा धन के रिलीज में देरी उनकी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने में बाधा का कार्य करती है। कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:—

- तटीय पुलिस में मानव शक्ति की कमी को नौसेना तथा कोस्ट गार्ड/तट रक्षक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति द्वारा पूरा करना।
- तटीय पुलिस फोर्स में तटीय गांव के लोगों को नियुक्त करना। उनके मल्लाह के काम का अनुभव एक परिसंपत्ति साबित हो सकता है।
- पुलिस कर्मियों की तट पर गश्त लगाने की अनिच्छा को दूर करने के लिए भत्तों तथा बीमा जैसे प्रोत्साहन देना।
- तटीय पुलिस कर्मियों के तटीय सुरक्षा के प्रति उदासीन रवैये को बदलने के लिए व्यापक और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन पर भारी जुर्माना तथा उल्लंघन दोहराने पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं का लाइसेंस रद्द करना।

आकाशीय सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन (Airspace border security challenges and management)

आकाशीय क्षेत्र (Air space): किसी देश का आकाशीय क्षेत्र वातावरण का वह हिस्सा है जो प्रादेशिक जल सहित इसके किसी भी क्षेत्र के ऊपर अवस्थित होता है एवं उस देश के द्वारा नियंत्रित होता है। इसे क्षैतिज व उर्ध्वाधर रूप से फैली त्रि-आयामी सीमा के रूप में देखा जा सकता है।

- **क्षैतिज सीमा (Horizontal border):** अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी देश के आकाशीय क्षेत्र, उसके प्रादेशिक जलीय सीमा की तारतम्यता में होता है, जो 12 समुद्री मील (22.2 किमी.) है। वैसे आकाशीय क्षेत्र जो किसी देश के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय आकाशीय क्षेत्र कहा जाता है। इस पर सामान्यतः किसी का नियंत्रण नहीं होता। हालांकि कोई सक्षम देश अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र) के नियंत्रण की जिम्मेदारी ले सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका प्रशांत महासागर के एक बड़े भाग पर हवाई यातायात नियंत्रण करता है।

- **उर्ध्वाधर सीमा (Vertical border):** आकाशीय क्षेत्र की उर्ध्वाधर सीमा पर अभी तक कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं हो पाया है। इस बारे में कई सुझाव हैं, कुछ कहते हैं कि यह उर्ध्वाधर सीमा 30 किमी. (19 मील)– जो कि सबसे ऊंचे उड़ने वाले हवाई जहाज या बैलून की ऊंचाई है– होनी चाहिए, तो कुछ लोग/देश का सुझाव है कि यह सीमा 160 किमी. (99 मील) होनी चाहिए– जो कि एक अल्पकालिक स्थायित्व वाली सबसे निचली उपग्रहीय कक्षा है।

विश्व वायु खेल महासंघ (The World Air Sports Federation) कहता है कि यह सीमा 'कारमन रेखा' (Karman Line) से निर्धारित होनी चाहिए जो 100 किमी. (62 मील) है– यह रेखा पृथ्वी के वातावरण तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा मानी जाती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 80 किमी. (50 मील) से ऊपर की ऊंचाई पर उड़ने वाले को अंतरिक्ष यात्री मानता है। [दरअसल नीचे आते अंतरिक्ष यान दूसरे देशों के ऊपर 80 किमी. से कम ऊंचाई पर आ जाते हैं, जैसे– कनाडा के ऊपर]

- **आकाशीय क्षेत्र तथा बाह्य आकाश कानून (Law of airspace and outer space):** प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व आकाशीय क्षेत्र की कोई स्पष्ट संकल्पना नहीं थी। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में हमलों के लिए वायुयानों के प्रयोग के कारण आकाशीय क्षेत्र का विस्तार एक देश की सीमा के अनुसार माना गया एवं तय किया गया कि किसी देश के वायुयान को तब तक दूसरे देश के हवाई सीमा में उड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि संबंधित देश उसे अनुमति न दे। इसे 1944 के शिकागो अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय में भी दोहराया गया।

आकाशीय क्षेत्र तथा बाहरी अंतरिक्ष के समसामयिक नियमों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है-

- **आकाशीय क्षेत्र के नियम/कानून (Rule of airspace):** आकाशीय क्षेत्र के नियमों का संकलन मुख्यतः 1944 के शिकागो सम्मेलन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर शिकागो अभिसमय एक अन्तर्राष्ट्रीय तथा बहुपक्षीय समझौता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कानूनों के मूलभूत नियम देता है तथा 'अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन' की स्थापना भी करता है जो 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की एक विशेषज्ञ एजेंसी भी है।

मुख्य प्रावधान-

- सभी देशों की, अपने भूमि क्षेत्र के ऊपर के, आकाशी क्षेत्र पर संपूर्ण प्रभुता होगी।
- विमान की नागरिकता वहाँ की मानी जाएगी जहाँ वह पंजीकृत है।
- एक देश किसी दूसरे देश में तय कार्यक्रम (Scheduled) विमान का परिचालन केवल तभी कर सकता है जब दूसरा देश अनुमति प्रदान करे।
- ऐसे विमान, जो तय कार्यक्रम परिचालन में संलग्न नहीं हैं, किसी दूसरे देश के आकाशीय क्षेत्र में जा सकते हैं परंतु संबंधित देश अगर उसे रोकना चाहे या निर्देशित करना चाहे तो विमान दल को मानना पड़ेगा।
- शिकागो अभिसमय केवल नागरिक विमानों पर ही लागू होता है।
- **बाह्य अंतरिक्ष के नियम/कानून (Rule/law of outer space):** 1957 में सोवियत संघ द्वारा पहले उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद से अंतरिक्ष अन्वेषण तथा

तकनीक में काफी तेज गति से विकास हुआ, जिसने बाह्य अंतरिक्ष के लिये नियमों की आवश्यकता को जन्म दिया।

1957 से 1963 तक संयुक्त राष्ट्र की महासभा (general assembly) ने 6 प्रस्ताव अपनाए, ये प्रस्ताव '1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि' में शामिल किए गये हैं।

यह दृष्टव्य है कि अभी तक आकाशीय क्षेत्र तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच कोई सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि विश्व के देशों में अभी इसे लेकर चिंता उत्पन्न नहीं हुई है।

बाह्य अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। **इनमें मुख्य हैं-**

- **राष्ट्रीय स्वायत्तिकरण पर रोक:** बाह्य अंतरिक्ष, जिसमें चांद तथा अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं, पर कोई राष्ट्र कब्जा या किसी अन्य साधन से अधिकार नहीं जता सकता। बाह्य अंतरिक्ष मानवता की सामूहिक विरासत है।
- **अन्वेषण की स्वतंत्रता:** सभी राष्ट्रों को आकाशीय पिंडों के अन्वेषण की समान और संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता है।
- **संपूर्ण मानव जाति की संपत्ति:** अंतरिक्ष तथा सभी अंतरिक्ष पिंडों का अन्वेषण इस प्रकार किया जाएगा कि इसका लाभ समस्त मानवजाति को मिले।
- **जन-संहार के हथियारों पर रोक:** बाह्य अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के जनसंहार के हथियारों को तैनात नहीं किया जा सकता।
- **चांद तथा अन्य आकाशीय पिंडों का विसैन्यीकरण:** चांद तथा अन्य आकाशीय पिंडों का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का सैन्य उपयोग या हथियारों के परीक्षण पर रोक है।
- **नुकसान का दायित्व:** कोई देश यदि अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करता है और उससे किसी भी प्रकार की हानि यदि दूसरे देश को होती है तो पहला देश अन्तर्राष्ट्रीय रूप से नुकसान के लिए दूसरे देश के प्रति जिम्मेदार होगा।
- **वस्तु का स्वामित्व** बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपण या उसके वापस आने से नहीं बदलेगा।
- **वस्तु जिस देश के पंजीयन से अंतरिक्ष में भेजा गया है उसी देश की अधिकारिता तथा नियंत्रण में रहेगा।**

- अंतरिक्ष या वातावरण में किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को रोकना सभी देशों का कर्तव्य है।
- खतरे में पड़े अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष यात्रियों को बचाना तथा उन्हें संबंधित देश को वापस करना सभी देशों का कर्तव्य है।
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, जनता तथा अन्य देशों के वैज्ञानिक समुदाय को अपने खोजों से अवगत कराना।
- अपने सभी आकाशीय स्थापनों को अन्य देशों के निरीक्षण के लिए खुला रखना।

बढ़ते बाह्य अंतरिक्ष कानूनों के बावजूद अभी और प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है। खासकर सैन्य उपयोग, नौवहन, संचार तथा आकाशीय क्षेत्र व बाह्य अंतरिक्ष की सीमा के निर्धारण के संदर्भ में।

भारतीय सीमाओं की हवाई सुरक्षा तैयारियाँ (Air security preparedness of Indian borders)

भारतीय हवाई सीमा की रक्षा हेतु भारत में कई वायुसेना स्टेशन स्थापित हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रीय कमांड के अन्तर्गत आते हैं।

- **पश्चिमी कमांड**– पश्चिमी कमांड सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमांड स्टेशन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह कमांड जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की रक्षा सुनिश्चित करती है। इस कमांड के अंतर्गत लेह, श्रीनगर, अमृतसर, अंबाला, भटिंडा, हिंडन इत्यादि वायुसेना स्टेशन आते हैं।
- **पूर्वी कमांड**– इसका मुख्यालय मेघालय के शिलांग में है। पहले यह मुख्यालय कलकता में था, परंतु 1962 के युद्ध बाद इसे शिलांग स्थानांतरित कर दिया गया। इसके हवाई स्क्वाड्रन में मिग-21 तथा मिग-27 जैसे लड़ाकू विमान हैं।
- **केन्द्रीय कमांड**– इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। इसकी भी स्थापना पहले कलकता में हुई थी, परंतु 1962 के युद्ध के बाद पूर्वी कमांड शिलांग चला गया क्योंकि केन्द्रीय कमांड के लिए कलकता उपयुक्त जगह नहीं माना गया। अतः इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया।
- **दक्षिणी कमांड**– यह सापेक्षिक रूप से एक नया कमांड है, जिसकी स्थापना 1984 में श्रीलंका में चल रहे विवादों तथा हिन्द महासागर की सामरिक स्थिति को देखते हुए की गई।

- **दक्षिणी पश्चिमी कमांड**– इसकी स्थापना 1980 में जोधपुर में हुई थी बाद (1998) में इसे गुजरात के गांधीनगर स्थानांतरित कर दिया गया। यह अधिकतर राजस्थान, गुजरात, तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को रक्षा करता है।

भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण

भारतीय वायु सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है और पूरी क्षमता के साथ स्वयं को एक सामरिक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में परिवर्तित कर रही है। अपनी सक्रियात्मक क्षमता और प्रभाविता को मजबूत करने के लिए नये-नये उपकरण शामिल कर क्षमता में वृद्धि करने, पुराने उपकरणों के स्थान पर अत्याधुनिक उपकरण शामिल करने और विरासत में प्राप्त हथियारों को अपग्रेड करने के लिए मंच तैयार किए गए हैं। आगे आने वाले दौर में राफेल वायुयान, अपाचे हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर सतह से हवा में मार करने वाले हथियार और हवाई रक्षा रडार हासिल करना भविष्य के लिए वरदान साबित होगा। भारतीय वायु सेना में पहली तेजस स्क्वाड्रन शामिल होना भी राष्ट्रीय गौरव की बात है। इसके साथ ही, हवाई मैदानों की आधारिक संरचना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम और संचार नेटवर्क में अपग्रेडेशन से कारगर ऑपरेशनों के लिए सहायक ढांचे को मजबूती मिली है। अपने आधुनिकीकरण के दौरान भारतीय वायु सेना ने 'मेक इन इंडिया' योजना में सक्रिय और सतत योगदान दिया है ताकि अन्य वैमानिकी उपकरणों के अतिरिक्त लड़ाकू वायुयान, हेलीकॉप्टरों, वेपंस सेंसरों और सिस्टम के स्वदेशी उत्पादन को आगे बढ़ाया जा सके। सजग और समृद्ध घरेलू विमानन क्षमता से हमें सामरिक सैन्य स्वतंत्रता हासिल होगी और इससे हमारी आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।

अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारतीय वायु सेना के लिए महत्वपूर्ण परिणामी क्षेत्र है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र के साथ-साथ निर्माण क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं ताकि विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जा सके। रक्षा निर्माण क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, भारत में निर्मित उपकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

एस यू 30 एम के आई को शामिल और अपग्रेड करना (कोटि उन्नयन) –एस यू 30 एम के आई: भारतीय वायु सेना में एस यू 30 एम के आई वायुयान को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है और भारतीय वायु सेना में पहले

से ही कई स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं। एस यू 30 एम के आई वायु यान की मौजूदा खेप का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से एचएएल में निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 'अस्त्र बियाँड विजुअल रेंज (बीवीआर)' मिसाइलें तैयार की जा रही हैं और वायुयान से इनका टेस्ट फायर किया जा रहा है।

अभ्यास- भारतीय वायु सेना ने 18 मार्च, 2016 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में फायर शक्ति प्रदर्शन अभ्यास आयरन फिस्ट 2016 आयोजित किया गया। इस अभ्यास में लड़ाकू, परिवहन, प्रशिक्षक वायुयान तथा हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। पहली बार मिग-29 अपग्रेड वायुयान से स्वदेशी बियाँड विजुअल रेंज (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र आर-73 एएम और लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर से 70 एएमएम रॉकेट की फायरिंग का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रात में एम आई-17 वी 5 हेलीकॉप्टर द्वारा स्वतः बमबारी, सतह से सतह मार करने वाली 'आकाश' मिसाइल की फायरिंग और सी-17 से पैरा-ड्रॉप का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

स्वदेशीकरण- भारतीय वायुसेना के मुख्य क्षेत्रों में से एक रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशीकरण तथा रक्षा उपकरणों में विनिर्माण का समर्थन करना रहा है। जबकि हल्के लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, स्वदेशी रिमोट-पायलट विमानों, मध्यम क्षमता के रडारों, लो लेवल ट्रैकिंग रडारों, कई आयुधों और अन्य प्रणालियों के अभिकल्पन और विकास में सक्रिय सहायता कर रही है।

मेक इन इंडिया- स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और रक्षा विनिर्माण आधार तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है। भारतीय वायुसेना ने उन रक्षा उपकरणों की पहचान कर ली है जिनका मेड इन इंडिया के तहत विनिर्माण किया जा सकता है। भारत में रक्षा मंत्रालय भी रक्षा उपकरण के उत्पादन में, के-226 टी हेलीकॉप्टर का निर्माण, उपयुक्त फाइटर वायुयान इत्यादि के निर्माण में निजी क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार कर

रहा है, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को प्रोत्साहन मिलेगा और इसने वैश्विक रक्षा हस्तियों को भारत में निर्माण कार्य की शुरुआत करने में जबरदस्त रूचि पैदा की है। यह न केवल रोजगार का सृजन एवं कौशल स्तर को बढ़ाएगा बल्कि देश में अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

आकाशीय सीमा सुरक्षा के लिए किया गया प्रयास

आकाशीय सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तथा वायु सेना ने मिलकर एक 'वायु रक्षा कमान' को मंजूरी दी है जिसका नेतृत्व वायु सेना अधिकारी करेंगे तथा इसका महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण रूप से आगरा, ग्वालियर तथा बरेली जैसे महत्वपूर्ण हवाई ठिकानों पर नियंत्रण करना है। इस कमान का उद्देश्य तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक साथ करना और देश की हवाई सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा वायु सेना के लिए दो फाल्कन एयर बॉन चेटावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) खीदने का मन बना रही है। इसमें 73 अरब रुपये का निवेश किया जा रहा है इजरायल के साथ यह बातचीत अंतिम चरण में है। उपरोक्त कार्य के अलावा वृहत तौर पर कई और प्रयास किए जा रहे हैं। जैस-ब्रह्मोस मिसाइल को चीन से सटे सीमा पर लगाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न हवाई-पट्टी का निर्माण तथा कई स्तर पर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत 'उच्च निगरानी प्रणाली' का विकास इत्यादि।

सीमा सुरक्षा तंत्र (Border security mechanism)

उग्र अनुसरण (Hot pursuit)

उग्र अनुसरण को ताजा या तुरंत अनुसरण/पीछा करना भी कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी वारदात या सूचना पर संदिग्ध या शत्रु का अविलंब एवं सीधा सामना/पीछा करना।

यदि किसी देश के अन्दर कोई घटना होती है जिसे अपराधियों, आतंकवादियों या शत्रु देश द्वारा अंजाम दिया जाता है तो ऐसा करने वालों को पकड़ने या दंडित करने के लिए पीड़ित देश त्वरित कार्यवाही कर सकता है। इसे ही उग्र अनुसरण कहा जाता है। उग्र अनुसरण में शामिल होने वाले अधिकारियों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो सामान्य स्थितियों में नहीं होती।

उग्र अनुसरण के लाभ-

- उग्र अनुसरण तुरंत किया जाता है; अतः सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
- सबूत ताजे होते हैं, जिससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है।
- जनसमर्थन सरकार के पक्ष में होता है।
- अधिकारियों को अधिक अधिकार होते हैं।

शल्यक प्रहार (Surgical Strike)

शल्यक प्रहार वह सैन्य आक्रमण है, जिसमें कुछ चुनिंदा लक्ष्यों को निशाना बनाया जाता है तथा आक्रमण इस प्रकार किया जाता है जिससे आम जनता को कोई क्षति नहीं पहुंचे या बहुत कम क्षति पहुंचे। इससे यह फायदा होता है कि आम जनों को क्षति नहीं होती या बहुत कम होती है। इससे बड़े स्तर पर युद्ध फैलने का खतरा भी कम ही होता है।

शल्यक प्रहार के लाभ-

- अचानक होने से शत्रु सकते में रहता है।
- आम जन को हानि नहीं या बहुत कम होती है।
- संपूर्ण युद्ध का खतरा नहीं होता।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

सैन्य अभ्यास

जब सेना अपने साधनों का उपयोग अभ्यास हेतु तथा वास्तविक युद्ध की स्थिति में अपनी तैयारी को जांचने हेतु करता है तो उसे सैन्य अभ्यास कहते हैं।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

जब एक ही देश की विभिन्न सेनाएँ जैसे- थल सेना (Army), जल सेना (Navy) और वायु सेना (Airforce) एक साथ अभ्यास करती है तो यह संयुक्त सैन्याभ्यास कहलाता है। बाद में अन्य देशों के साथ होने वाले अभ्यास भी संयुक्त अभ्यास कहलाने लगे।

भाग लेने वाले देशों की संख्या के आधार पर यह द्विपक्षीय (bilateral), त्रिपक्षीय (trilateral) या बहुपक्षीय (multilateral) कहलाता है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास के लाभ-

- **विश्वास-** दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास तभी हो सकता जब दोनों देश एक दूसरे पर उच्च स्तर की विश्वसनीयता तथा भरोसा हो। अतः इसे मित्र देशों के बीच विश्वसनीयता तथा तालमेल बढ़ाए रखने के लिए किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में लाभ-** संयुक्त सैन्याभ्यास को अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थान प्राप्त है। देशों के मध्य सैन्याभ्यास आपसी विश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ संभावित शत्रु देशों को एकता का संदेश देने के लिए भी किया जाता है।
- **एक दूसरे की सैन्य कार्यविधि की समझ-** कार्यात्मक स्तर पर एक देश को दूसरे देश की सैन्य कार्यप्रणाली को समझने, भाषाई अवरोध समाप्त करने, साजो-सामान (equipments) की समझ विकसित करने इत्यादि में सहायता होती है।
- **तकनीकी जानकारी-** अन्य देशों की तकनीकों तथा युद्ध प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इससे उनकी क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है।
- **काम पर प्रशिक्षण-** दूसरे देश की तकनीकों पर काम करने से एक देश के कर्मियों को काम पर प्रशिक्षण (on the job training) मिल जाता है, जिसका उपयोग आगे किया जा सकता है।

- **समन्वय-** देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलता है, जिससे युद्ध के समय या उसके अलावा भी फायदा मिल सकता है जैसे- मलेशिया के एक विमान के हिन्द महासागर में गिरने के बाद उसे कई देशों के साथ मिलकर खोजा।

गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम)

अधिनियम (UAPA) (1967)

यूपीए, 1967 एक भारतीय कानून है, जिसका उद्देश्य देश के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों और संगठनों को लक्षित करना है। यह कानून कुछ संवैधानिक अधिकारों पर 'उचित' प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार तथा एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार। इसे लाने का उद्देश्य भारत से अलगाव मांगने वाले संगठनों के गतिविधियों पर रोक लगाना था।

2004 में किए गए एक संशोधन द्वारा आतंकवाद अधिनियम (पोटा), 2002 द्वारा कई प्रावधानों को शामिल किया। पोटा को संसद द्वारा वापस लेने के फलस्वरूप यही कानून पुनः प्रतिस्थापित हो गया है।

गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, 1967 में 2019 में संशोधन किया गया है।

इस संशोधन के बाद इस कानून के अंतर्गत जांच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है, जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती हैं। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है तो ऐसी संपत्ति की जब्ती से पहले NIA के महानिदेशक से पूर्व मंजूरी जब्ती से पहले NIA के महानिदेशक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

इसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है, अगर वह-

संयुक्त सैन्य अभ्यास के लाभ-

1. आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है।
2. आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है।
3. आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
4. अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल हैं।

इसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 (रासुका)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980), 23 सितंबर, 1980 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य इससे जुड़े कुछ मामलों के लिए निवारक रोकथाम प्रदान करना है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को जो भारत की सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंध, सार्वजनिक आदेश आदि के खिलाफ कार्य करता है, के गिरफ्तारी संबंधी विशेष अधिकार मुहैया करता है। इसके अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि 12 महीना है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकारिक अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस आयुक्त द्वारा भी जारी किया जा सकता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये बिना बारह दिनों से अधिक समय तक इस कानून को किसी व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता।

भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन

- **स्मार्ट बाड़ पायलट परियोजना-** भारत की पहली स्मार्ट फेंस/बाड़ पायलट परियोजना का शुभारंभ (उद्घाटन) जम्मू-कश्मीर में किया गया। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के हिस्से के रूप में इसकी पहल की है। पायलट प्रोजेक्ट में लेजर सक्रिय बाड़ और प्रौद्योगिकी सक्षम अवरोधों को तैनात करना शामिल है। इसमें थर्मल इमेजर, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार (SONAR) जैसे तकनीकों का आरोहण किया गया है।
- **महत्व-** स्मार्ट बाड़ प्रणाली तकनीकी आधारित समाधान है जो सीमाओं पर सुरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाता है। यह विपरीत मौसम (आंधी, बारिश, कोहरा) में भी सीमा पर 24 घंटे निगरानी प्रदान करने में सहायक होगा।

करतारपुर कॉरिडोर समझौता

- **स्थान-** गुरदासपुर जिला पंजाब (भारत), नारोवाल जिला पंजाब (पाकिस्तान)⁰⁰⁰
- 24 अक्टूबर, 2019 को ऐतिहासिक करतारपुर कॉरिडोर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया। गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में पाकिस्तान सरकार द्वारा गैर भारतीय सिक्खों को करतारपुर कॉरिडोर एवं देश के अन्य गुरुद्वारों में जाने के लिए पर्यटन बीजा जारी करने का फैसला किया गया।

समझौते की मुख्य विशेषता

- भारतीय मूल के सभी धर्मों के प्रत्येक भारतीय तीर्थयात्री गलियारे का उपयोग कर सकते हैं।
- यह बीजा मुफ्त है और तीर्थयात्रियों को केवल वैध पासपोर्ट की आवश्यकता है।
- गलियारा सुबह से शाम तक खुला रहेगा। हालांकि तीर्थयात्रियों को उसी दिन वापस आना होगा।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओ.आई.सी (OIC) कार्ड ले जाना आवश्यक होगा।
- **सुरक्षा चिंताएं-** भारतीय खुफिया विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नरोपाल जिले गुरुद्वारा स्थित कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को देखा। इसी प्रकार करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर के अंदर अस्पष्टीकृत बम को एक बैनर के साथ प्रदर्शित किया गया।
- भारतीय एजेंसियों द्वारा यह भी चिंता जताई जा रही है कि पाकिस्तान करतारपुर गलियारे का उपयोग मृदु शक्ति (Soft Power) के रूप में भी कर सकता है एवं भारतीय एवं भारतीय मूल के विदेशी सिक्खों से सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। संभावना यह भी है कि इसका उपयोग पाक खालिस्तान आतंकियों को पुनः भड़काने में भी कर सकता है।

मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशें

- गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने और भारत-पाक सीमा पर अवस्थित बाड़ में दरार एवं उसकी भेद्यता से संबंधित मुद्दे को सुलझाने के लिए सेवानिवृत्त गृह सचिव श्री मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अप्रैल 2016 में किया गया।

- समिति द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया गया है। समिति ने खतरों की अवधारणाओं पर चर्चा, क्षेत्रों के दौरे और हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के जरिये अध्ययन किया। समिति ने भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने हेतु व्यापक सिफारिशों की है।
- समिति द्वारा नदियों वाले इलाकों में जल सेंसर लगाने के अलावा भारत-पाक सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाने और बाड़ लगाने का सुझाव दिया गया है। इसने यह भी सुझाव दिया है कि भूमिगत सेंसर घुसपैठ की जोखिम वाले क्षेत्रों में लगाए जाएं और वनों एवं घनी झाड़ियों वाले इलाके में रडार से निगरानी की जाय। गौरतलब है कि 3323 कि.मी. लंबी भारत-पाक सीमा में से 1225 कि.मी. जम्मू-कश्मीर में स्थित है जिसमें नियंत्रण रेखा भी स्थित है। यह पंजाब में 553 कि.मी., राजस्थान में 1037 कि.मी. और गुजरात में 508 कि.मी. है। पठानकोट हमले के बाद इस समिति का गठन किया गया था।

भारत-चीन सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन

- RCEP से भारत की वापसी (Regional Comprehensive Economic Partnership)
- **चीनी एवं भारतीय सेना के बीच BPM (बी.पी.एम.) का आयोजन-** भारतीय सेना और चीन की PLA (People's liberation Army) के बीच एक 'बार्डर पर्सनल मीटिंग' का आयोजन 30 अक्टूबर, 2019 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में किया गया। बैठक PLA द्वारा आयोजित किया गया था।
- **BPM की विशेषता-** BPM को दोनों देशों (Indo-China) के राष्ट्रीय झण्डों को उखाड़ने से संबंधित मुद्दे को चिह्नित करने के लिए किया गया था। इसके बाद विश्व के दो सबसे बड़े सेनाओं के बीच मौजूदा आपसी विश्वास और संबंधों को बढ़ाने के लिये विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
- **बैठक के बारे में-** भारत एवं चीन के बीच 7 सितंबर, 1993 को बॉर्डर पीस और ट्रांक्विलिटी (Tranquillity) समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 30 अक्टूबर को प्रत्येक साल BPM का संचालन प्रचलन में है। पिछले 26 वर्षों में BPM विभिन्न मुद्दों को हल करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है।
- **ITBP का 62वां स्थापना दिवस-** भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) द्वारा 24 अक्टूबर, 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है।
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का गठन अक्टूबर, 1962 में किया गया था। इसका संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ITBP केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के 5 निकायों में से एक है। यह उत्तरी सीमाओं का निगरानी करना और सीमा उल्लंघन को रोकता है। यह अवैध आब्रजन, सीमा पर से होने वाली तस्करी की जांच करता है एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में मदद करता है।

- **भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा अरुणाचल प्रदेश में Advance landing Ground का उद्घाटन-** भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में Advance Landing Ground में पुनर्जीवित हवाई पट्टी का उद्घाटन किया जो चीन सीमा पर सैन्य परिवहन विमानों का संचालन को सक्षम करेगा। यह भारत के सबसे पूर्वी पड़ाव पर सैन्य परिवहन विमानों द्वारा संपर्क को पुनः स्थापित करेगा।
- चीन सीमा के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों के तहत IAF ने चीन के साथ सीमा पर विमान संचालन को सक्षम करने के लिए 8 ALGs को पुनः सक्रिय किया है। विजयनगर ALG 2011-12 में पहली बार सक्रिय हुआ था लेकिन 2016 के बाद Fixed wing संचालन के लिए गैर-परिचालन में था। हालांकि रनवे को हाल में पूरा किए गए कार्यों के तहत पुनः शुरू किया गया है।
- यह हवाई क्षेत्र बड़े परिवहन विमानों की आवाजाही क्षेत्र के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और यह स्थानीय लोगों के आवागमन को भी आसान बनाएगा। यह न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण है बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ALG म्यांमार और चीन के साथ सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करेगा और साथ ही विजयनगर की रक्षा हेतु भारतीय सेना एवं IAF द्वारा संयुक्त अभियान शुरू करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन

ऑपरेशन सनराइस-2

- 16 मई, 2019 से भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 सप्ताह तक चलने वाले समन्वित ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसे ऑपरेशन सनराइस -2 कहा गया। यह मणिपुर, नागालैण्ड तथा असम में सक्रिय आतंकवादी समूहों पर लक्षित था। इस Operation में भारतीय सेना के अलावा असम राइफल्स ने भी भाग लिया।
- इस ऑपरेशन के दौरान भारत और म्यांमार की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई उग्रवादी संगठनों के शिविरों का भंडाफोड़ किया जिसमें NSCN-K (खापलांग), KLO, ULF शामिल हैं।
- उल्लिखित समूहों से संबंधित कम से कम 6 दर्जन नकाबपोश आतंकवादी एवं उनके शिविरों को नष्ट किया गया।
- **ऑपरेशन सनराइस-1** भारत-म्यांमार सीमा के साथ फरवरी, 2019 में आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तर-पूर्व स्थित उग्रवादी समूहों के कई शिविरों का भंडाफोड़ किया गया था।

- ऑपरेशन के प्रथम चरण में भारतीय सेना ने अराकान सेना (म्यांमार का विद्रोही समूह) के विद्रोही समूहों को लक्षित किया, जो कालादान/कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (M.M.T.P) के विरोध में थे, जिसे भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।

पश्चिम बंगाल सीमा पर सीमा प्रबंधन के नये प्रयास

पश्चिम बंगाल से लगी बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाना

- भारत सरकार अपनी एक कार्य-योजना के तहत पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर जमीन अधिग्रहण कर बाड़ लगाने का कार्य कर रही है।
- गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 80% सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।
- बाड़ लगाने के कार्य में 'जमीन अधिग्रहण' एक भारी चुनौती है जिसका समाधान हो रहा है तथा अभी भी लगभग 30 से अधिक मामले लंबित हैं।
- बाड़ लगाने के बाद भी ये चुनौती कम नहीं होती क्योंकि मौसमी परिस्थितियाँ बाड़ के लिए उपयोगी नहीं हैं। इस कारण इनके नष्ट होने की स्थिति बन जाती है।

संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली का विकास

- भारत-बांग्लादेश संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली का विकास कर दशकों पुराना भूमि-सीमा विवाद को सुलझाया गया है।
- 2015 ई. में एक समझौते के तहत 'भूमि-सीमा समझौता' संबंधी कार्य को सहमति प्रदान की गयी। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 161 एनक्लेवों का आदान-प्रदान किया गया है। इस समझौते में बांग्लादेश को 111 सीमाई एनक्लेव हस्तांतरित किए गए, जबकि 51 एनक्लेव भारत के हिस्से में आया।
- साधारण रूप में देखा जाए तो इस सीमा संबंधी समझौते के तहत भारत को 500 एकड़ भूमि प्राप्त होगी तथा बांग्लादेश को 10 हजार एकड़ जमीन मिलेगी। इस समझौते से 50 हजार नागरिकों की नागरिकता संबंधी समस्या भी सुलझ जाएगी।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास को लगातार महत्व दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ 2020 ई. में 'संप्रति-9' मेघालय में आयोजित किया गया वहीं भारतीय सैन्य अभ्यास का बहुराष्ट्रीय प्रकार 'शांतिर-ओग्रोशेना-2021' बांग्लादेश के बंगबंधु सेना निवास में आयोजित हुआ। जुलाई, 2022 ई. में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश की यात्रा की तथा बांग्लादेश के सैनिकों को संबोधित भी किया।

सीमा अवसंरचना और प्रबंधन

- 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन** (Border Infrastructure and Management) की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।

सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु की गई पहलें:

जीवंत ग्राम कार्यक्रम:

- विरल आबादी वाले सीमावर्ती गाँव सीमित संपर्क एवं बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण प्रायः **‘विकास के लाभ’** से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गाँवों को बजट 2022-23 के तहत घोषित नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम’ में कवर किया जाएगा।
- इन गतिविधियों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन एवं शैक्षिक चैनलों का प्रत्यक्ष प्रसारण और आजीविका सृजन हेतु समर्थन शामिल होगा।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब चीनी मॉडल गाँवों का मुकाबला करने के लिये यह कदम उठाया गया है। यह मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण होगा।

BIM योजना:

- इस योजना के माध्यम से भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिये विभिन्न अवसंरचना जैसे- सीमा बाड़, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी संचालन केंद्रों या ऑपरेटिंग बेस (Company Operating Bases (COBs) के निर्माण में काफी मदद मिलेगी।
- यह सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली में सुधार के लिये सीमा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जाएगा।

जीवंत ग्राम कार्यक्रम:

- विरल आबादी वाले सीमावर्ती गाँव सीमित संपर्क एवं

बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण प्रायः **‘विकास के लाभ’** से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गाँवों को बजट 2022-23 के तहत घोषित नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम’ में कवर किया जाएगा।

- इन गतिविधियों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन एवं शैक्षिक चैनलों का प्रत्यक्ष प्रसारण और आजीविका सृजन हेतु समर्थन शामिल होगा।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब चीनी **‘मॉडल गाँवों’** का मुकाबला करने के लिये यह कदम उठाया गया है। यह मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण होगा।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (BADP) की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिये की गई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करना और केंद्रीय/राज्य/BADP/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण तथा भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को संतुष्ट करना है।

भारत में स्मार्ट फेंसिंग (CIBMS):

- यह भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) और भारत-बांग्लादेश सीमा (61 किलोमीटर) पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत 71 किलोमीटर की दो पायलट परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- इस योजना के तहत सीमाओं पर अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की एक शृंखला को तैनात किया जाना शामिल है- थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रा-रेड और लेजर-आधारित घुसपैठ अलार्म, हवाई निगरानी हेतु एयरोस्टेट, बिना सेंसर वाले ग्राउंड सेंसर जो रडार, सोनार सिस्टम का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, फाइबर-ऑप्टिक सेंसर तथा एक कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम जो वास्तविक समय (Real Time) में सभी निगरानी उपकरणों से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है।

- बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्नीक (BOLD-QIT) का इस्तेमाल CIBMS के तहत असम के धुबरी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी किया जा रहा है।

सीमा सड़क संगठन (BRO):

वर्ष 1960 में स्थापित यह संगठन सड़कों, पुलों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, सुरंगों, इमारतों और ऐसी अन्य संरचनाओं सहित रक्षा बुनियादी ढाँचा प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

BRO द्वारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिये 53,600 किलोमीटर से अधिक की जीवन रेखा (सड़क) का निर्माण किया गया है।

सूचना संलयन केंद्र

- भारतीय नौसेना औपचारिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region-IOR) के लिये सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre-IFC) की स्थापना की गई है।
- इस केंद्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हिंद महासागरीय देशों के साथ व्हाइट शिपिंग (white shipping) या वाणिज्यिक शिपिंग संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- IFC-IOR की स्थापना इस क्षेत्र के लिये समुद्री सूचना केंद्र के रूप में कार्य करके क्षेत्र में और उससे परे समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के दृष्टिकोण से की गई है।
- IFC की स्थापना गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre- IMAC) में की गई है।
- भारत के साथ पहले से ही व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौतों (white shipping information exchange agreements) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में लगभग 21 देश IFC साझेदार हैं।
- IFC-IRO की स्थापना से पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा इसके अलावा यह क्षेत्र में व्याप्त चिंताओं और खतरों को समझने में भी सहायक होगा।

- IFC-IOR एक अलग मंच है जिसमें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium- IONS) के सभी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। 2008 में लॉन्च IONS हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की मांग करता है
- शुरुआत में सूचनाओं का आदान-प्रदान वर्चुअल माध्यम- टेलीफोन कॉल, फैक्स, ई-मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बेहतर इंटरनेक्शन और समय पर प्राप्त सूचनाओं के त्वरित विश्लेषण के लिये, IFC-IOR में दूसरे देशों के संपर्क अधिकारी भी तैनात किये जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त यह केंद्र समुद्री सूचना संग्रह और साझाकरण में समुद्री अभ्यास और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी का संग्रहण भी करेगा।

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स' (एसएफएफ) इकाई जिसे 'विकास बटालियन' के रूप में भी जाना जाता है, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी कब्जे को रोकने में ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसे 1962 के चीन-भारत युद्ध के तुरंत बाद स्थापित किया गया था। भारत में बसे तिब्बती शरणार्थियों (अब इसमें तिब्बतियों और गोरखाओं का मिश्रण है) को इसमें भर्ती किया जाता था। उन्हें शुरू में शत्रु इलाकों में गुप्त ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, रां द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।

प्रारम्भ में इसे 'इस्टेब्लिशमेंट 22' (Establishment 22) के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे खड़ा करने की जिम्मेदारी 22-माउंटन रेजिमेंट के मेजर जनरल सुजान सिंह उबन को सौंपी गई थी।

यह अब कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है। इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक (Inspector General) करता है, जो मेजर जनरल रैंक का एक सैन्य अधिकारी होता है।

ईकाइयों सेना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करती हैं।

1971 के युद्ध में चटगांव की पहाड़ियों को 'ऑपरेशन ईगल' के तहत सुरक्षित करने में, 1984 में 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन विजय' में एसएफएफ की अहम भूमिका थी।

निसार

- नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar&NISAR) मिशन को संयुक्त रूप से अमेरिकी-भारत नागरिक अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा एक पृथ्वी निगरानी उपग्रह को विकसित, प्रक्षेपित और संचालित करने के लिए आरम्भ किया गया है।
- यह पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार-इमेजिंग सेटेलाइट होगा जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करेगा। इसे 2021 में प्रक्षेपित किए जाने की सम्भावना है।

इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं:

- तटीय और समुद्री प्रक्रियाओं के अस्थायी व्यवहार का निरीक्षण करना।
- भविष्य के संसाधनों में वृद्धि और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए पृथ्वी की भूपर्पटी की स्थिति, क्रमिक विकास एवं जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। इन जटिल प्रक्रियाओं में पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान, हिम-चादर में कमी तथा भूकंप, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी और भूस्खलन आदि जैसे प्राकृतिक संकट समाविष्ट हैं।
- क्रायोस्फेयर की गतिशीलता को समझना और हिमालयी ग्लेशियरों में स्थानिक-अस्थायी परिवर्तनों का निर्धारण करना तथा क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन पर इनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
- कृषि और अन्य गतिविधियों में सहायता के लिए पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता एवं कार्बन-चक्र का अध्ययन करना।
- वास्तव में स्पेस एंड टाइम में मिशन के अभूतपूर्व कवरेज के परिप्रेक्ष्य में, भारत को ऐसे कार्यक्रमों को लॉन्च करने में सक्रिय सहयोग की तथा साथ ही इस प्रकार के प्लेटफार्मों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने की भी आवश्यकता है। भारत को ऐसे सहयोगी प्रयासों के माध्यम से निम्नलिखित अंतरालों को कम करने हेतु महत्वाकांक्षी होना चाहिए:
- बजटीय आवंटन और वित्तीय संसाधनों की सीमाओं का समाधान किया जा सकता है।
- **डेटा एकीकरण, विश्लेषण और अनुप्रयोगों का सृजन:** ये प्रक्रियाएं विश्व स्तरीय शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मानव पूंजी के विकास को संभव बनाती हैं।

रक्षा नियोजन समिति

रक्षा मामलों के लिए व्यापक और एकीकृत योजना को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता में रक्षा नियोजन समिति (DPC) को स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया है।

इसकी मुख्य विशेषताएं:

समिति में सिविल और सैन्य सेवाओं जैसे तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) के उच्च विभागों से सदस्यों को शामिल किया जाता है।

इसे निम्नलिखित मुद्दों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है

- राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं,
- विदेश नीति की अनिवार्यताएं,
- परिचालन निर्देश और संबंधित आवश्यकताएं,
- प्रासंगिक रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत,
- रक्षा अधिग्रहण और अवसंरचनात्मक विकास योजनाएं,
- रक्षा प्रौद्योगिकी और भारतीय रक्षा उद्योग का विकास
- DPC के कार्य संचालन में सहायता करने हेतु, नए तंत्र के तहत चार उप-समितियों की व्यवस्था की गयी है,
- नीति और रणनीति
- योजनाएं और क्षमता विकास
- रक्षा कूटनीति
- रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

DPC की रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी जाती है तथा आगे के लिए स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है। मौजूदा नियोजन प्रक्रिया में रक्षा तैयारियों से संबंधित विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्र विद्यमान हैं, जैसे कि:

- उनके सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी
- लक्ष्यों को प्राथमिकता प्रदान करना
- रक्षा मामलों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव
- कार्यबल संचालित सैन्य स्वदेशीकरण के क्रम में नई प्रौद्योगिकीय प्रगति पर कम ध्यान केंद्रित करना
- रक्षा खरीद मामलों के संबंध में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर कम ध्यान देना
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), जिसकी कल्पना सशस्त्र बलों और रक्षा नियोजन तंत्र से संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए मध्यस्थ के रूप में की गई थी, परन्तु इसका गठन राजनीतिक कारणों के चलते नहीं किया गया था।
- मौजूदा प्रणाली का उन्नयन DPC के रूप में हुआ है:
- इसके द्वारा दीर्घकालिक रक्षा आवश्यकताओं संबंधी रणनीति निर्माण हेतु भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय का लाभ प्राप्त किया जाएगा।
- DPC के पास अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित डोमेन पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करने हेतु चार उप-समितियां हैं।

DPC महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सैन्य लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह उभरती सुरक्षा चुनौतियों, प्रौद्योगिकीय प्रगति और एक सुदृढ़ स्वदेशी रक्षा विनिर्माण आधार की स्थापना करने पर पर्याप्त ध्यान

केन्द्रित करेगा। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि DPC भारत की रक्षा तैयारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए समय पर उठाया गया कदम है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (Chief of Defence Staff-CDS)

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी। यह भारत के जल, थल एवं वायु सेना के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा व आपस में उनके संपर्क को स्थापित करेगा।

- इसका गठन रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के तहत किया जायेगा और वह उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं सर्विस चीफ (Service Chief) के बराबर होंगी।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs-DMA) का भी प्रमुख होगा।

CDS के नेतृत्व में DMA निम्नलिखित कार्यों का नेतृत्व करेगा:

- संघ की सशस्त्र सेना अर्थात सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े कार्य।
- प्रादेशिक सेना, सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े कार्य।
- रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और रक्षा मुख्यालय शामिल हैं।
- चालू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर सेवाओं के लिए विशिष्ट खरीद।
- सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होने के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे।

वे सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सलाह देना जारी रखेंगे।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांड (Command) नहीं करेंगे और नहीं किसी अन्य सैन्य कमान के लिये अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों में निष्पक्ष सुझाव दे सके। इसके अलावा सैन्य मामलों के विभाग के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी-

एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के माध्यम से सैन्य सेनाओं की खरीद, प्रशिक्षण और स्टॉफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय लाना। संयुक्त संचालन के माध्यम से संसाधनों के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिये सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त थिएटर कमानों के गठन की सुविधा।

सेनाओं द्वारा स्वदेश निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

अध्यक्ष के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ निम्नलिखित कार्य करेंगे-

ये तीनों सैन्य सेवाओं के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करेंगे। तीनों सेवाओं से जुड़ी एजेंसियों, संगठन तथा साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस के हाथों में होगी।

CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य होंगे। परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे।

प्रथम CDS के पदभार संभालने के बाद तीन वर्षों के भीतर तीनों ही सेवाओं के परिचालन, लॉजिस्टिक्स, आवाजाही, प्रशिक्षण, सहायक सेवाओं, संचार, मरम्मत एवं रखरखाव इत्यादि में संलग्नता सुनिश्चित करेंगे।

अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे और तीनों ही सेवाओं के बीच संलग्नता के जरिये इसे तर्कसंगत बनायेंगे।

एकीकृत क्षमता विकास योजना (Integrated Capacity Development Plan- ICDP) के बाद आगे के कदम के रूप में पंचवर्षीय 'रक्षा पूंजीगत सामान अधिग्रहण योजना' और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (Annual Acquisition Plans) को कार्यान्वित करेंगे।

अनुमानित बजट के आधार पर पूंजीगत सामान खरीद के प्रस्तावों को अंतर-सेवा प्राथमिकता देंगे।

अपव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताएं बढ़ाने के लिये तीनों सेवाओं के कामकाज में सुधारों को लागू करेंगे।

इस सुधार से उच्च रक्षा प्रबंधन में सशस्त्र बल समन्वित रक्षा सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने में समर्थ हो जायेंगे।

इससे तीनों सेवाओं के बीच एक साझा रणनीति के साथ एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालनों के साथ-साथ खरीद को प्राथमिकता देने में संयुक्त रणनीति अपनाने के लिये समन्वित प्रयास करने से देश लाभान्वित होगा।

1. भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दर्शाते हुए इनसे निपटने के उपायों को समझाएँ।
2. चीन के साथ लगी भारतीय सीमा से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार द्वारा, किए गए प्रयासों की समीक्षा करें।
3. सर क्रीक विवाद क्या है? इस पर भारत सरकार के मत को रखते हुए बताएं कि क्या ये तर्कसंगत हैं?
4. बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा पर अवैध प्रवासन से भारतीय आंतरिक सुरक्षा के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं? उत्तर पूर्व के हाल की घटनाओं के संदर्भ में विशेष प्रकाश डालते हुए समीक्षा करें।
5. हाल के वर्षों में उत्पन्न भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाइये एवं इन चुनौतियों के संदर्भ में 'India-US Logistic Exchange Memorandum of Agreement-2016' के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए?
6. सरक्रीक व सियाचीन विवाद क्या है? इसके सामरिक एवं आर्थिक महत्व की चर्चा करें।
7. भारत की नृजातीय विविधता तथा भारत-पाक सीमा विशेषकर कश्मीर से लगी सीमा पार क्षेत्रों से नृजातीय समरूपता (धार्मिक समरूपता), सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न करती है व इसके प्रबंधन हेतु किस प्रकार की रणनीति अपेक्षित है? उत्तर दीजिए।
8. भारत-पाक सीमा सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु किए गए भारत के कूटनीतिक प्रयासों की समीक्षा करें। क्या आप सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच के प्रयोग के बिना इस समस्या का स्थायी समाधान सम्भव नहीं है? उत्तर के पक्ष में तर्क दें।
9. चीन के 'Maritime Silk Road Project' को भारत के लिए सामरिक चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इस संदर्भ में भारत के 'Project Mausam' के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए?
10. हाल के दिनों में भारत-चीन संबंध व भारत-पाक संबंध की प्रकृति में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इनका भारत-पाक सीमा सुरक्षा व भारत-चीन सीमा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए।
11. 'चाबाहार पोर्ट समझौता' के सामरिक महत्व को दर्शाइए। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारत-चीन, भारत-पाक सीमा प्रबंधन व समुद्री सीमा प्रबंधन में मजबूती आएगी? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
12. भारत-चीन सीमा भारत के आंतरिक सुरक्षा से किस प्रकार संबंधित है? हाल की कुछ घटनाओं को संदर्भित करते हुए उत्तर दें और भारत द्वारा किए गए सीमा सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें।
13. भारतीय सीमा पर अवस्थित सियाचीन एवं अक्साई चिन के सामरिक महत्व को बताएं और इस सन्दर्भ में भारत की प्रबंधन प्रणाली पर टिप्पणी करें।
14. हाल के दिनों में भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की गतिविधियाँ, अवसरचंत्नात्मक विकास व सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। इसका भारत की सीमा सुरक्षा से क्या सरोकार है? इस संदर्भ में भारतीय सीमा प्रबंधन प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए।
15. हाल के दिनों में हिन्द महासागर में चीन की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जो भारत के तटीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इस चिंता के प्रमुख बिंदुओं को दर्शाइए एवं इस चिंता को दूर करने की भारतीय रणनीति की समीक्षा कीजिए?
16. भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में नेपाल के लोगों का तीव्र आप्रवास एवं उनका एकत्रीकरण भारत में पृथक्तावाद की संभावना को पुष्ट करता है। इस पर आप अपनी राय दें और इस दिशा में उपयुक्त समाधान सुझाएं।
17. भूटान भारत एवं चीन के बीच 'बफर जोन' का निर्माण करता है। सीमा सुरक्षा के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट करें और भारत-भूटान सीमा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करें।
18. सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार सीमा प्रबंधन से किस प्रकार संबद्ध है? भारत-म्यांमार सीमा के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
19. भारत-बांग्लादेश से लगी 4096 किमी. लम्बी सीमा अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक बड़ी सीमा है। इस सीमा पर उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ और इससे निपटने हेतु भारतीय प्रयासों की चर्चा कीजिए।

20. भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवासन भारत के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसे रोकने हेतु भारतीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए व इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाए।
21. भारत-बांग्लादेश सीमा एवं समुद्री सुरक्षा के विशेष संदर्भ में 'भारत-बांग्लादेश सड़क सीमा समझौता' पर टिप्पणी कीजिए।
22. भारत व बांग्लादेश द्वारा एक 'सड़क सीमा समझौता' पर हस्ताक्षर किया गया है व इसके द्वारा भारत के 111 Enclaves व बांग्लादेश के 51 Enclaves की अदला-बदली की गयी है। भारत की सीमा सुरक्षा के संदर्भ में इस घटना की समीक्षा कीजिए।
23. उत्तर-पूर्व के राज्यों में अलगाववाद की समस्या के समाधान हेतु भारत से लगी बांग्लादेश व म्यांमार सीमा का प्रबंधन कहाँ तक उपयोगी हो सकता है। हाल के कुछ उदाहरणों के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
24. 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' क्या है? सीमा सुरक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।
25. भारतीय की तटीय सीमा निर्जन द्वीपों, मैंग्रोव वनों के साथ खाड़ियों, नदियों व नालियों से भरी है जो सीमा को छिद्रिल बना देती है। इस तटीय सीमा के प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों व इसके प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा कीजिए।

परिचय

आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है।

आज पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छद्म युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिये बड़ी चुनौती बन गई है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा में क्षेत्रीय अखण्डता, संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हितों की उन्नति शामिल होती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाली मंशा की उद्घोषणा को सुरक्षा के खतरे के रूप में परिभाषित किया जाता है।

आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में क्रान्तिकारी गतिविधियों, धरना-प्रदर्शन, रैलियाँ, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद प्रमुख थे तो वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी के विकास ने आंतरिक सुरक्षा को और अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाता है ये हैं- आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा

एक देश के अंदर अपनी बाह्य सुरक्षा से आशय, सीमाओं की सुरक्षा को सीमाओं की सुरक्षा है आंतरिक सुरक्षा कहाँ जाता जिसमें विदेशी आक्रमण से है। सुरक्षा प्रदान की जाती है।

इसका उद्देश्य, अपने इसका उद्देश्य, देश की अधिकार क्षेत्र में शांति संप्रभुता, एकता व अखंडता व्यवस्था स्थापित करना की रक्षा करना है।

एवं देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखना।

भारत में, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा, की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय की है। एवं पुलिस के माध्यम से यह सेना के विभिन्न संगठनों की जाती है। के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

आंतरिक सुरक्षा के अवयव

आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव हैं:

- देश की सीमाओं की अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण करना।
- देश में आंतरिक शांति बनाए रखना।
- कानून व्यवस्था बनाए रखना।
- विधि का कानून और कानून के समक्ष एकरूपता-बिना भेदभाव के सभी को देश के कानून के अनुसार न्याय करना।
- डर से मुक्ति, संविधान में व्यक्ति को दी गई। स्वतंत्रता का संरक्षण करना।
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं साम्प्रदायिक सदभाव का बनाए रखना।

गृह मंत्रालय की भूमिका

देश की आंतरिक सुरक्षा में गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें वह निम्नलिखित दाइत्वों का निर्वहन करता है।

- देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना।
- केंद्र राज्य संबंधों का सुचारू संचालन करना।
- केंद्रीय सशस्त्र बलों का प्रबंधन करना।
- आपदा प्रबंधन करना।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में लोक व्यवस्था और पुलिस राज्यों का उत्तरदायित्व है।

- इसके अतिरिक्त सातवीं अनुसूची में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है, कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना साथ ही प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा रहा है।

इन दायित्वों के अनुसरण में राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने में कई कदम उठाता है जैसे-

- आंतरिक सुरक्षा की लगातार निगरानी करना।
- आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करना।
- राज्य सरकार को उपयुक्त सलाह देना।
- जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं राय प्रदान करना।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को सृजित करने में विभिन्न कर्ताओं की भूमिका-

- भारत की आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां मुख्यतः आंतरिक सुबेद्यताओं और छद्म युद्ध संचालित करने वाले बाह्य प्रयासों का परिणाम रही है।
- इसके अतिरिक्त **सामाजिक-आर्थिक विकास**, लोगों की **वास्तविक शिकायतों/आपत्तियों** के प्रति उदासीनता, राजनीतिक अस्थिरता के साथ-साथ अन्य कारणों ने भारत में आंतरिक स्तर पर विशेषताओं को उत्पन्न किया है, जिसके कारण दशकों से आंतरिक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
- इस प्रकार, वर्तमान में देश के समक्ष उत्पन्न कई आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को पाकिस्तान द्वारा समर्थित और नियंत्रित किया जा रहा है।
- भारत के पड़ोस में **शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों** की उपस्थिति ने देश में आंतरिक संघर्षों को बाह्य समर्थन, जैसे- धन, हथियार, सुरक्षित आश्रय आदि प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है।
- **बाह्य समर्थन प्रदान** करने वाले **अधिकर्ताओं** द्वारा इन स्थितियों का फायदा/अनुचित लाभ अपने निहित स्वार्थों तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उठाया जाता रहा है।
- भारत की **विशाल जनसंख्या** और **पहचान संबंधी** विविधता तथा संकुचित हो रहे संसाधनों ने समाज में

संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने और उसमें वृद्धि करने का कार्य किया है। जब लोकतांत्रिक संस्थान और राज्य की संरचना शांतिपूर्ण तरीके से इन संघर्षों का पूर्ण रूप से समाधान करने में विफल रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में **हिंसक संघर्ष** को बढ़ावा मिलता है।

- इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शत्रुतापूर्ण/विरोधी बाह्य शक्तियों द्वारा **विध्वंसक अधिप्रसार** के माध्यम से इन संघर्षों को और बढ़ावा प्रदान किया जाता रहा है।
- इन बाहरी शक्तियों द्वारा इस **आंतरिक असंतोष** की भावना को और अधिक बेहतर करने का प्रयास किया जाना है।
- इसके तहत बाह्य शक्तियों द्वारा एक छोटी अल्पसंख्यक आबादी को इस स्तर तक आवश्यक सामग्री और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया जाता है कि वह भी राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करने के लिए उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने की तैयारी हो जाती है।
- कुछ विश्लेषक के अनुसार भारत को पारंपरिक अर्थों में बाह्य खतरे का नहीं, बल्कि बाह्य स्रोतों से केवल आंतरिक सुरक्षा संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- इन बाह्य या बाहरी स्रोतों में राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिकर्ता शामिल हैं, जिन्होंने भारत में सक्रिय राज्य विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर इस स्थिति की ओर अधिक जटिल बना दिया है।

राज्येतर कर्ताओं की भूमिका

वैश्वीकरण के कारण किसी राज्य में राज्येतर कर्ताओं एवं **अधिकर्ताओं की भूमिका** बढ़ी है, लेकिन ये कर्ता राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य नहीं करते।

- इनका झुकाव अपने समुदाय, समुह, निगम की तरफ होता है।
- ये कर्ता राष्ट्र की संप्रभुता एवं **आंतरिक सुरक्षा** के कुछ मामलों, जैसे- पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार इत्यादि कारणों का सहारा लेकर दबाव बनाते हैं।
- वहीं कुछ राज्येतर कर्ता सुरक्षा और विकास की दृष्टि से **सकारात्मक भूमिका** निभाते हैं। जैसे- अनेक गैर-सरकारी संगठन
- विभिन्न राज्येतर कर्ताओं में- ग्रीनपीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुराष्ट्रीय निगम, धार्मिक, जातिय समूह इत्यादि।

राज्येतर कर्ताओं द्वारा उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियाँ

निम्न हैं-

- **मादक द्रव्यों की तस्करी:** मादक द्रव्यों (हेरोइन और चरस) के सबसे बड़े उत्पादकों, यथा- गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड, म्यांमार व लाओस) एवं गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान) से निकटता ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए सुभेद्य बना दिया है। मादक द्रव्यों की तस्करी समुद्र और वायु मार्गों के साथ-साथ स्थलीय सीमाओं के माध्यम से भी होती रही है।
- **मानव तस्करी:** भारतीय विधि के तहत मानव तस्करी को एक अवैध गतिविधि के रूप में संदर्भित किया गया है, तथापि भारत में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। वाणिज्यिक स्तर पर लैंगिक शोषण और बलपूर्वक/बंधुआ मजदूरी के उद्देश्य से भारत के माध्यम से लोगों का प्रायः दुर्व्यापार होता रहा है।
- **वामपंथी उग्रवाद:** यह राष्ट्र द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा संबंधी खतरों में से एक है, जो देश के अति पिछड़े या निम्नतम विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथी ही, वामपंथी अधिप्रचार के माध्यम से लोगों को पथभ्रष्ट भी किया जाता रहा है।
- **पूर्वोत्तर में विद्रोह:** अंतर-जनजातीय संघर्षों, बेरोजगार युवाओं सीमापार अवैध अप्रवासन गैर-राज्य अभिकर्ताओं को इस क्षेत्र में उग्रवाद को एक उद्योग की भाँति पनपने का अवसर दिया है।
- **नागरिक समाज संगठन:** इस संगठनों द्वारा सरकारी एवं विदेशी दाताओं से प्राप्त धन के दुरुपयोग एवं विकास परियोजनाओं के विरुद्ध स्थानिय समुदायों में असंतोष को बढ़ाने के आरोप लगे हैं।

बाह्य राज्यों की भूमिका

प्रायः बाह्य राज्यों को देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से खतरा माना जाता है। जो युद्ध या अविश्वास के रूप में व्यक्त किया जाता था। अतः प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी सीमाओं को अधिक मजबूत तथा सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करती है।

- लेकिन आज बाह्य राज्यों द्वारा किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को अनेक माध्यमों से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी, सीमापार प्रायोजित आतंकवाद, नकली नोटों का प्रसार इत्यादि।

- सूचना क्रांति के युग में बाह्य राज्य, विरोधी राज्य के गोपनीय एवं सुरक्षित सूचनाओं को हैक कर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बाह्य राज्यों में हैं-

पाकिस्तान

- यह भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आदि विभिन्न मोर्चे पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने (Bleed India through a thousand cuts) की पाकिस्तान की राज्य नीति का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक युद्ध लड़ने वाले मोर्चे पर पाकिस्तान अपनी अलाभकारी स्थिति से अवगत है।
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा अधिकांश छद्म तरीकों का उपयोग किया जाता रहा है, जो पाकिस्तान को इस संबंध में अपनी संलग्नता से इनकार करने का अवसर प्रदान करता है।
- पाकिस्तान से सक्रिय वित्त पोषण, लॉजिस्टिक और सैन्य समर्थन के बिना लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे तथा कथित गैर-राज्य अभिकर्ता में से कोई भी मुक्त रूप से अपनी गतिविधियों को निष्पादित कर सकता है।
- अन्य हमलों में प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) और छद्म समूहों के घनिष्ठ संबंधों के प्रमाण को भलिभाँति प्रकट किया गया है। इन समूहों का लक्ष्य न केवल जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में अस्थिरता उत्पन्न करना रहा है, बल्कि उनका वृहद लक्ष्य भारत को अस्थिर करना भी रहा है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छिटपुट आतंकवादी हमलों को निष्पादित करते रहते हैं, जिससे आतंक और भय की स्थिति उत्पन्न होती है।
- जाली मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का एक तरीका है।

चीन:

- चीन द्वारा भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए नागा, मिजो और मैती उग्रवादियों को वित्तीय सहायता, हथियार एवं सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाता रहा है।
- चीन भारत में पूर्वोत्तर के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद में भी अपने निहित स्वार्थ के कारण अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता रहा है और वह अपने इन

हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता रहा है।

• बांग्लादेश

- बांग्लादेश से अवैध प्रवासन भी भारत में सांप्रदायिक और नृजातीय तनाव का मूल कारण रहा है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं।
- भारतीय क्षेत्र में सीमा-पार (बांग्लादेश से) लोगों

का पुनर्वास स्थानीय समुदायों (भारत में) के मध्य सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को बढ़ावा देता रहा है, जो प्रायः सांप्रदायिक हिंसा में परिणत हो जाते हैं।

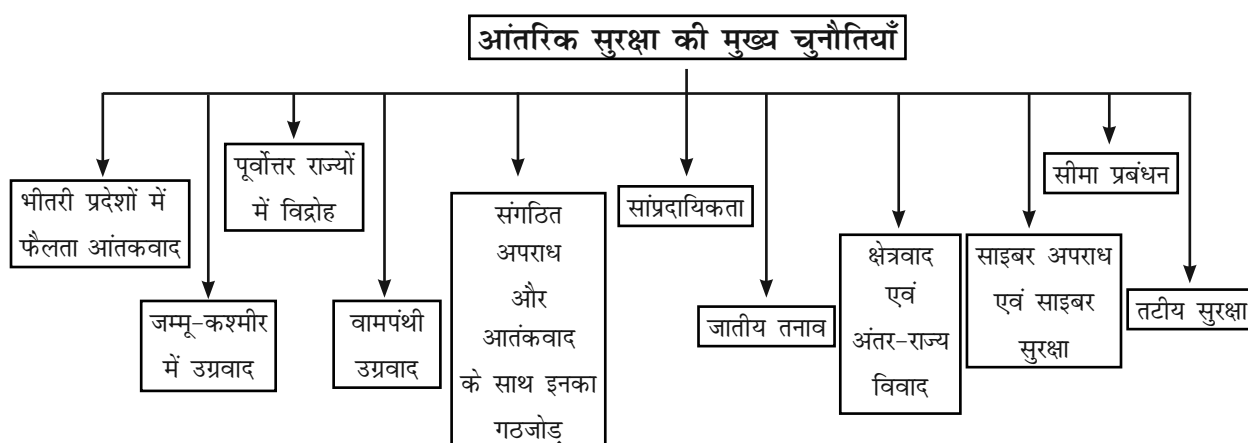
- इस मामले में राज्य (बांग्लादेश) की प्रत्यक्ष भागीदारी के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, परंतु इस मुद्दे के समाधान में राज्य की निष्क्रियता अवश्य परिलक्षित हुई है, जो एक चिंता का विषय है।

आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौतियाँ

भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आईं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भारत में विलय के समय से ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं।

आजादी के समय हुए बंटवारे के दौरान अप्रत्याशित हिंसा हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार साम्प्रदायिकता की समस्या रूपी राक्षस आजादी के दौरान ही सक्रिय हो गया तो कि बाद में दंगों के रूप में बार-बार सामने आता रहा है।

- एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में हमें आशा थी कि हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे और राष्ट्र को **नवनिर्माण और विकास** के रास्ते पर ले जाएंगे लेकिन देश के अलग-अलग भागों में उभरी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं ने



देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है।

- **भाषाई उपद्रवों**, राज्यों के आपसी विवादों, धार्मिक एवं जातीय वैमनस्य इत्यादि कारणों से कई वर्षों से भारत की आंतरिक समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं।
- 1956 में **भाषाई उपद्रवों** के कारण देश को भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
- 1950 के दशक में **पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैली**, 1954 में **नागालैण्ड**, में **फिजो** ने विद्रोह का झंडा उठाया और बाद में यह विद्रोह मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों में भी फैल गया।
- **साठ के दशक** के अंतिम चरण में **नक्सलवाद** के

रूप में एक नई समस्या सामने आई स्वतंत्रता के समय भारत एक अल्प विकसित देश था और हमने देश के नवनिर्माण का कार्य प्रारम्भ किया।

- विकास और तरक्की का जो मॉडल हमने अपनाया वह समतामूलक एवं सर्वव्यापी विकास का था, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि हम गरीबी हटाने, बेरोजगारी की समस्या हल करने और देश के कई दूरस्थ क्षेत्रों का विकास करने में असफल रहे हैं। इस स्थिति का कई लोगों द्वारा गलत फायदा उठाया गया और माओवाद/नक्सलवाद/वामपंथी उग्रवाद के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार भी किया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के

लिए नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा है।

- **अस्सी के दशक** में पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित पंजाब का उग्रवाद देखने को मिला। पंजाब में उग्रवाद का बहुत ही घातक स्वरूप देखने को मिला। इस आंदोलन को चलाने के लिए सहायता पड़ोसी शत्रु देश से मिल रही थी।
- **1990 के दशक में कश्मीर** में फिर से राष्ट्र विरोधी बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित आतंकवाद का दौर प्रारम्भ हुआ जो पिछले एक दशक के दौरान पूरे देश में फैल चुका है। अखिल भारतीय आतंकवाद का महत्त्व 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। इसके बाद केंद्र ने आतंकवादरोधी तंत्र को मजबूत करने लिए कई ठोस कदम उठाने प्रारम्भ किए।
- अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों/माफिया संगठनों ने संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ स्थापित कर इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को और बढ़ावा दिया है। इनका धन एकत्रित करने का काम करने का तरीका मुख्य रूप से हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हवाला लेने-देने, काले धन को वैध करने (मनी लाँड्रिंग) और देश के विभिन्न भागों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों को चलाना था।
- **साइबर सुरक्षा** हमारे लिए नवीनतम चुनौति है। हम साइबर युद्ध के निशाने पर हो सकते हैं। हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अब पूरी तरह साइबर पद्धति पर आधारित होते हैं जिन्हें खतरा सकता है।
- साइबर हमलों को रोकने की अक्षमता हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। 2013 के विकीलीक्स इसका एक सजीव उदाहरण है। इंटरनेट और मोबाइल संचार में हुई अभूतपूर्ण क्रांति से यह बात सामने आई है कि सामाजिक मीडिया दुष्प्रचार करने और हिंसा को हवा देने में एक खतरनाक भूमिका निभा सकता है। 2012 में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों का दक्षिण राज्यों से पलायन और वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के जातीय दंगे ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कुछ समस्याओं में वृद्धि तेजी से बढ़ रही संचार प्रणालियों का दुष्परिणाम है।
- **हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन** एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक कमजोर सीमा प्रबंधन विभिन्न सीमाओं के आतंकवादियों, अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ और हथियारों, ड्रग्स और जाली मुद्रा की तस्करी में सहायक हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों

के खिलाफ घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह सुरक्षा की एक गंभीर समस्या है जिसका अभी हमें संतोषजनक हल खोजना है चाहे वह समाधान राजनीतिक हो या सामाजिक या फिर आर्थिक।

- हमारी सुरक्षा को लेकर कुछ गैर-परम्परागत, **गैर-सैन्य समस्याएं** भी हो सकती हैं जैसे-प्राकृतिक आपदा, महामारी, ऊर्जा और पानी की कमी, खाद्यान्न सुरक्षा, संसाधनों की कमी, गरीबी, आर्थिक असमानताएं इत्यादि। परंतु इन्हें इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है।

आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए जिम्मेवार कारक

हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और गैर-ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां हैं। इनके बारे में विस्तार से आगामी अध्यायों में चर्चा की गई। हालांकि कुछ मूल कारण नीचे वर्णित हैं:

1. गरीबी
2. बेरोजगारी
3. पड़ोसी देश (शत्रु देश)
4. असमान, असंतुलित विकास
5. अमीरी-गरीबी के मध्य बढ़ती खाई
6. प्रशासनिक मोर्चों पर विफलता या सुशासन का अभाव
7. साम्प्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि
8. जातिगत जागरूकता और जातीय तनाव में वृद्धि
9. साम्प्रदायिक, जातीय, भाषायी या अन्य विभाजनकारी मापदण्डों पर आधारित विवादास्पद राजनीति का उदय
10. कठिन भूभाग वाली खुली सीमाएं
11. कमजोर आपराधिक न्यायिक, व्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों, पुलिस एवं राजनेताओं के बीच सांठगांठ, जिस कारण संगठित अपराधों का बेरोकटोक होना।

आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत

हमें उपयुक्त आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों की आवश्यकता है जो कि **निम्नलिखित व्यापक घटकों पर आधारित** हो सकते हैं:

राजनैतिक: सर्वप्रथम हमारे लिए चुनौति के स्वरूप को जानना आवश्यक है कि वो अलगाववादी है, क्षेत्रीय है या कोई अन्य है।

- यह देखना होगा कि क्या मांगें संविधान के दायरे में हैं।
- सिद्धांत के तौर पर एक अलगाववादी आंदोलन को

सख्ती के साथ समाप्त करना चाहिए।

- अलगाववादी तत्वों से निपटने लिए हमारी नीति स्पष्ट व कड़ा कानून होना चाहिए। क्षेत्रीयतावादियों के प्रति अपेक्षाकृत कुछ नरम दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- इसी धर्म या जाति संबंधित मांगों को, जब तक कि वे अत्यधिक विखंडनकारी न हो, सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए।

सामाजिक-आर्थिक- भारत के लिए खतरा बने कई आंदोलनों की पृष्ठभूमि में सामाजिक एवं आर्थिक कारक होते हैं कई बार सामाजिक-आर्थिक समस्याएं बहुत असली होती हैं जिनकी जड़ में गरीबी, बेरोजगारी या विस्थापन हो सकता है।

ऐसे मामलों में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर सुनियोजित तरीके से, बिना भेदभाव निवारण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों को योजना का लाभ बराबर मिल सके और सबका विकास हो सके।

प्रशासनिक- सुशासन की कमी भी राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए वरदान साबित होती है। ये लोग कुप्रबन्धन, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, दूरस्थ क्षेत्रों में शासनतंत्र की कमी, तथा कानून का सही तरीके से लागू न होना आदि का भरपूर उपयोग करते हैं।

हमें देखना होगा कि क्या प्रशासनिक तंत्र कुछ क्षेत्रों में सचमुच अक्षम हो गया है? यदि हाँ, तो शासन में सुधार करना होगा। देश की अपराधिक न्याय प्रणाली का पुनरुत्थान करने की जरूरत है और कानून प्रवर्तन तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत करने की आवश्यकता है।

पुलिस सहित सिविल सेवा तंत्र को बाहरी राजनीतिक प्रभावों से दूर रखना चाहिए। सुशासन प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है।

भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और विकास साथ-साथ नहीं चल सकते।

पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल: पुलिस अत्याचार के आरोप और लोगों की समस्याओं के प्रति पुलिस की संवेदनहीनता पर मतभेद, आंतरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ाते हैं। कई बार पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। अफसोस (ए.एफ.एस.पी.ए.) इनमें से एक उदाहरण है। पुलिस को संयमित होने की जरूरत है और इसके जन-सहयोगी बनाने की जरूरत है। हमें पुलिस सुधार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस निष्पक्ष, पारदर्शी

और व्यवहारिक बन सकें।

स्थानीय हालात को समझ और क्षमताओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस में परस्पर समन्वय और सहयोग से आंतरिक सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है।

केंद्र-राज्य समन्वय: केंद्र-राज्य के बीच समन्वय के अभाव ने भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई समस्याओं को बढ़ाया है।

इंटेलीजेंस से लेकर आप्रेशन तक सभी जगह समन्वय की समस्या है। हमें एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है जो केंद्र और राज्यों की समन्वय समस्याओं को सुलझा सकें और सभी स्तरों पर आपसी सहयोग सुनिश्चित कर सकें।

आसूचना: आसूचना आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। हमें आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर रहे हैं।

मुख्य आप्रेशन आसूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। हमें समय से सचेत करने, आसन्न खतरों को निष्क्रिय करने और आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए, रक्षात्मक के साथ-साथ आक्रामक इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है।

विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आसूचनाओं को इकट्ठा करने, उनका परस्पर मिलाप करने और फिर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए नियमित संस्थागत ढांचे की भी जरूरत है। इस दिशा में मल्टी एजेंसी सेंटर (एम.ए.सी.) ने अच्छा कार्य करना शुरू किया है।

सीमा प्रबन्धन: हमारे देश की लगभग 15,000 किलोमीटर लम्बी जमीनी अंतराष्ट्रीय सीमाएं छः देशों से लगती हैं। हम हमारी जमीनी सीमाओं के तीन तरफ लगने वाले देशों-चीन, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं।

पंजाब और कश्मीर की सीमाओं से घुसपैठ, बांग्लादेश से अवैध अप्रवास और इंडो-म्यांमार सीमाओं से हथियारों की तस्करी की समस्याओं से भी हम जूझ चुके हैं।

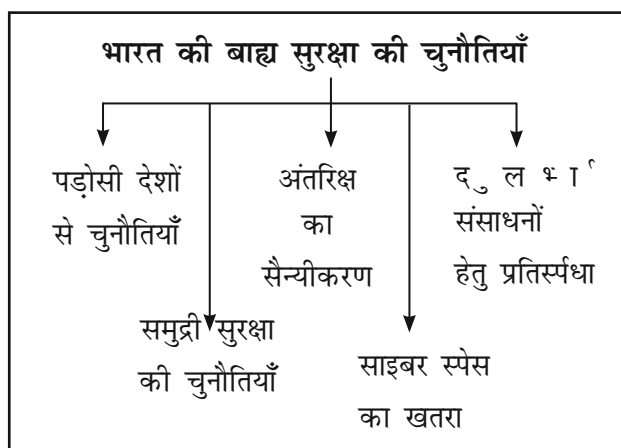
कश्मीरी उग्रवादी पाक अधिकृत कश्मीर में शरण लेते हैं जबकि उत्तर-पूर्व के दहशतगर्द, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में शरण लेते रहे हैं। हमें आतंकवादियों की घुसपैठ, अवैध प्रवासन, हथियारों और ड्रग की तस्करी आदि रोकने के लिए, हमारी जमीनी सीमाओं की निगरानी प्रभावी रूप से करने की जरूरत है।

तटीय सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि नौसेना, कोस्ट गार्ड एवं कोस्टल पुलिस का रोल सुस्पष्ट होना चाहिए और आपस में कार्य करने में सद्भाव एवं तालमेल होना चाहिए।

साइबर सुरक्षा: 2013 (विकीलीक्स) स्नोडन के खुलासे से स्पष्ट होता है कि भविष्य के युद्ध, पारंपरिक नहीं होंगे, जो कि जल थल और नभ में लड़े जाते हैं। वास्तव में, यह माना जाता है। कि 21वीं सदी में साइबर स्पेस ही युद्ध क्षेत्र होगा। इसलिए इस पहलू से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ठोस सिद्धांत की जरूरत होगी। भारत ने अभी इस दिशा में कार्य करना आरम्भ ही किया है। हमें इस पर बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम कह सकें कि हमारे पास सुरक्षित साइबर स्पेस है।

भारत की बाह्य सुरक्षा

- भारत की बाह्य के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे- चीन से लगी सीमा एवं पाकिस्तान से लगी सीमा।
- इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारत को ढाई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इनका आशय आतंकवाद आंतरिक सुरक्षा एवं छद्म युद्ध (proxy war) के मोर्चे से था।



पड़ोसी देशों से चुनौतियाँ

भारत की सीमाएं कई देशों के साथ थल और समुद्री सीमा साझा करता है। इन पड़ोसी भारत के हमेशा मैत्री संबंध बरकरार नहीं रहता है।

- देश के हित एवं नीतियाँ, इन देशों के साथ व्यवहार की प्रकृति को निदर्शित करती है।
- भारत के विदेश नीति का सबसे नाजुक पहलू, इसका

अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध रहा है।

- भारत एवं पाकिस्तान की सीमा का अस्पष्टता एवं प्रादेशिक बटवारे के कई मुद्दों पर संबंध तनावपूर्ण रहें हैं। अतः पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अनेक छद्म को प्रोत्साहन किया जा रहा है। जैसे- सीमापार आतंकवाद, घुसपैठ, आतंकवाद

समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ

भारत एक वृहद सीमाओं वाला राष्ट्र है तीनों ओर से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है निम्नलिखित है।

- समुद्री डकैती
- आतंकवाद एवं मानव दुर्व्यवहार सहित गैर राज्यकर्ताओं से बढ़ता खतरा
- निम्न तीव्रता वाले संघर्ष
- इसके साथ ही वैश्वीकरण के कारण, वस्तुओं एवं संसाधनों के वैश्विक व्यापार के कारण पूरे हिंद महासागर में नवीन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे-
- वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा अपने विस्तार की नीति में, भारत एवं चीन के संबंधों में तनाव बना हुआ है।
- इसके अतिरिक्त बांग्लादेश एवं श्री लंका दोनों से भारत में समय-समय पर अपने भू-भाग में शरणार्थियों के आने से जातीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जैसे- श्री लंका से तमिल शरणार्थी एवं बांग्लादेश से चकमा शरणार्थियों का आना।
- भारत एवं नेपाल सहयोग एवं मित्रता का संबंध साझा करते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं खुली सीमाएं एवं राजनीतिक व संस्कृति द्वारा एक दूसरे से गहरा संबंध है।
- इस क्रम में नेपाल द्वारा अपने सीमा को पुनर्परिभाषित करने एवं लिपुलेख एवं कालापानी के मुद्दे को उठाया जाना। जिस पर भारत सरकार ने गंभीर चिंता प्रकट किया।
- पर्यावरणीय निम्नीकरण
- संसाधनों का अवक्षय
- जलवायु परिवर्तन
- प्राकृतिक आपदाएं

साइबर अपराध

- आज विभिन्न पड़ोसी देशों द्वारा शत्रु देश की सुचनाएं चुराई जा रही है।

- जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर **डोमेन द्वारा बहुआयामी**, बहुस्तरीय प्रयासों एवं प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- यह सरकारों के समक्ष एक चुनौति साबित हो रही है क्योंकि यह मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ा होता है।
- साइबरों खतरों की विभिन्न समस्याओं एवं अपराधियों के सामने न होने की वजह से यह मुद्दा अत्यंत जटिल होता जा रहा है।

दुर्लभ संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा

- संसाधनों के स्रोत एवं सुरक्षा के बीच संबंध पाया जाता है। इस क्रम में बंगाल की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी में संसाधनों के भण्डार के दोहन को लेकर संघर्ष हो सकता है।
- इसी तरह भारत एवं चीन के बीच सीमा तनाव का मुख्य कारक पानी है।

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु कुछ सुझाव

- राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। एक संघीय खुफिया एजेंसी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए इस प्रस्ताव पर सहमति हेतु राज्यों सरकारों से संपर्क किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ **एक प्रभावी जवाबी रणनीति** तैयार करनी चाहिये। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिये।
- केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा **सुरक्षा प्रबंधन** के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये।
- जिस समय सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हों, उस समय राज्य सरकार को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में **SAMADHAN** पहल एक सराहनीय कदम है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSE) और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति को पाक खुफिया एज आई.एस.आई. से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक **प्रभावी जवाबी रणनीति** तैयार का चाहिए। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिये।
- केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्रियों को उनके द्वारा **सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता** देने आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये।
- जिस समय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं उस समय मुख्य एवं सम्पूर्ण राज्य प्रशासन को विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।
- प्रभावी रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुशल पुलिस संगठन के देख-रेख लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिए।
- **राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण** की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आधुनिकीकरण अनुदान प्रदान किया जाना चाहिये।
- केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सुप्रशिक्षित और सुविधाओं से लैस नागरिक एवं सैन्य बलों को रखने के लिये सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेषीकृत सैन्यबलों को तैयार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक राज्य को सुविधाओं से लैस एवं आधुनिक फ़ोरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। राज्य सरकारों को पुलिस चौकियों की नियमित एवं सुनियोजित कार्यपति को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।
- माओवादियों की कार्यवाही के विषय में भले कितना ही क्यों न प्रासंगिक हो परन्तु अनावश्यक राजनीतिक बयान एवं विरोधी बयान केन्द्र बनाम राज्यों को दोष देने के खेल खुफिया तन्त्र और सुरक्षा की विफलता पर अभियोग से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए।
- सरकार के प्रति विश्वसनीयता की कमी एक गंभीर विषय है और जब यह विषय सुरक्षा मामलों से संबंधित है तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विश्वसनीयता की कमी अपनी क्षमतानुसार देश की स्थिरता को खतरा एवं औचित्य के क्षरण को जन्म दे सकती है। देश को इस स्थिति से निपटने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हो सकता है।
- **एक नई राष्ट्रीय नीति एवं रणनीति** के प्रतिपादन

क्षमता निर्माण की दिशा में पहल और उनकी सामरिक योजना को दबाने के लिये अभिनव युक्तियों एवं कड़े नियमों की अपराधियों को स्पष्ट और असंदिग्ध सूचना होना चाहिए।

- **उग्रवादियों को भी एक स्पष्ट एवं जोरदार संदेश** देने की आवश्यकता है कि राज्य अपने अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिये अपने सभी संसाधनों एवं शक्तियों का योग करेगा।
- जो लोग मुख्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विचार मंचों के रूप में धोखा देते हैं एवं कुशलतापूर्वक असंतोष उत्पन्न करने तथा शोषण करने में चरमपंथियों की सहायता करते हैं, उन्हें बंदूक का सहारा लेने के लिये प्रवृत्त करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- भारत को अपने महत्वपूर्ण आर्थिक हितों की रक्षा एवं दो लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुये विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये अपने समुद्री तटों की सुरक्षा-व्यवस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये संबंधित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिये। 'केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो' इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- संगठित अपराध से निपटने के लिये अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
- साइबर सुरक्षा के लिये प्रत्येक विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ-साथ आई.टी. अधिनियम में संशोधन करने तथा सजा के सख्त प्रावधान किये जाने चाहिये।
- सीमा को सूचना प्राद्यौगिकी तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है।
- **निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि क्रियान्वयन** एवं त्वरित तथा कुशल न्यायिक व्यवस्था, इस देश में धार्मिक कट्टरपंथ को नियंत्रित करने के लिए अत्यावश्यक उपकरण हैं। चाहे यह कट्टरपंथ अल्पसंख्यकों का हो या बहुसंख्यकों का।
- **एकीकृत कमांड व्यवस्था** (Unified Command System) जुलाई 2010 में दिल्ली में हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से एक एकीकृत मुख्यालय के निर्माण एवं प्रति-माओवादी अभियानों को सशक्त करने के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों की तैनाती का निर्णय लिया गया। वामपंथी

उग्रवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया रिजर्व बटालियन की 34 नई बटालियनों की तैनाती को भी मान्यता दी गई।

- **एकीकृत कार्ययोजना** (Integrated Action Plan) भारत का योजना आयोग (नीति आयोग) 82 चुने हुए जनजाति एवं पिछड़े हुए जिलों में त्वरित विकास के लिए इसे अग्रणी योजना के रूप में लागू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचनाओं एवं सेवाओं की अदायगी है।
- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण:** राष्ट्रीय अभिकरण (एनआईए) एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए की है।
- **नेटग्रिड:** राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड या नेटग्रिड एक एकीकृत आसूचना ग्रिड है जो आसूचना का व्यापक स्वरूप इकट्ठा करने के लिए कई विभागों और भारत सरकार के मंत्रालयों के डाटाबेस में एक कड़ी का काम करेगी और आसूचना एजेंसियों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी।
- **मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) का पुनर्गठन:** आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मैक एक मल्टी एजेंसी सेंटर है इसका कार्य आतंकवाद, कारगिल युद्ध के बाद संबंधित प्राप्त सूचना को दैनिक आधार पर साझा करना है।
- **मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) की स्थापना 2002** में दिल्ली में की गई थी और विभिन्न राज्यों की सहायक मल्टी एजेंसी सेंटरों (एसएमएसी) में आसूचना प्रयासों को साझा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
- मल्टी एजेंसी सेंटर आसूचना ब्यूरो में, पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा और वित्तीय आसूचना एजेंसियों सहित कई एजेंसियों के साथ आसूचना साझा करती है।
- **एनएसजी के चार नए केंद्रों की स्थापना:** सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए मानेसर के अतिरिक्त चार स्थानों-मुंबई, कोलकाता, चैन्नई और हैदराबाद में एनएसजी के केंद्र बनाए गए हैं ताकि मुश्किल हालातों में और अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
- **तटीय सुरक्षा योजना का नवीकरण:** मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए। इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों की तटीय सीमा की सुरक्षा

की जिम्मेवारी तट रक्षक दल को सौंपी गई है। लेकिन समुद्री सीमा की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी भारतीय नौसेना की है।

- तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिये गये हैं कि तटीय पुलिस स्टेशनों, चैक पोस्टों, आउट पोस्टों इत्यादि के निर्माण की स्वीकृत तटीय सुरक्षा योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।
- भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी तट रक्षक दल को सौंपी गई है। लेकिन समुद्री सीमा की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी भारतीय नौसेना की है।
- तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिये गये हैं कि तटीय पुलिस स्टेशनों, चैक पोस्टों, आउट पोस्टों इत्यादि के निर्माण की स्वीकृत तटीय सुरक्षा योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।
- भारत सरकार को एक 'समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति' बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय' तथा 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा' नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा गठित किया जाना चाहिये।

आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार ने आंशिक प्रयास जरूर किये हैं, जैसे, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने-अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले। आज कि परिस्थितियों में बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में भेद करना कठिन हो गया है। हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा गुप्त कार्रवाइयों, विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से है अतः इस संदर्भ में एकीकृत प्रयास करने की आवश्यकता है।

समसामयिकी

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को आधुनिक बनाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे:

- निर्णय लेने की समग्र प्रक्रिया को तीव्र बनाने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता में एक रक्षा योजना समिति की स्थापना।
- SPG (रणनीतिक नीति समूह) द्वारा लिए गए निर्णयों के सुचारु समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट सचिव के बजाय छै। को प्रमुख के

रूप में नियुक्त कर SPG का पुनर्गठन।

- तीनों सशस्त्र बलों में साइबर, अंतरिक्ष और विशेष अभियानों के लिए एक संयुक्त संरचना बनाने के लिए तीन त्रि-सेवा एजेंसियों का गठन।
- समन्वय सुनिश्चित करने हेतु तीन नए उप NSAS की नियुक्ति और एक सैन्य सलाहकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) का पुनर्गठन।
- सभी उप NSAS के लिए स्पष्ट अधिदेश, जिनमें से प्रत्येक को क्रमशः तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों, रणनीतिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा का प्रभार सौंपा गया है।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, जो सरकार के लिए एक एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में है। साथ ही यह तीनों सेनाओं की दीर्घकालिक नियोजन खरीद, उनके प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स का समन्वय करने हेतु भी उत्तरदायी है।
- देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए NCIIPC का गठन करना। साथ ही, किसी भी साइबर सुरक्षा खतरे पर नजर रखने के लिए CERT-In को और सचेत बनाना।
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना और रक्षा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना। साथ ही रक्षा में महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को आधुनिक बनाने एवं अधिक मजबूत बनाने का हिस्सा है।
- हालांकि, सुधारों के कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से एक आतंक से संबंधित खुफिया जानकारी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक समन्वय केंद्र के निर्माण से संबंधित है। एक अन्य क्षेत्र खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरकार की जनशक्ति नीति से संबंधित है। इन एजेंसियों में नियमित नौकरशाहों की तुलना में विशेषज्ञों की अधिक आवश्यकता होती है। अंत में, व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करके सुरक्षा-अभिशासन पर एक सर्वसम्मत नीति विकसित करने की अविलंब आवश्यकता है।

परिचय

आतंकवाद न केवल राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को नष्ट करता है बल्कि देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा भी पहुँचाता है, प्रजातंत्र को कमजोर करता है और यहाँ तक कि सामान्य नागरिकों को जीने के उनके अधिकार सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है। स्थायित्व, विकास, सुशासन और कानून का शासन एक दूसरे से संबद्ध हैं और अशांति को उत्पन्न कोई भी खतरा देश के सतत विकास के उद्देश्य में बाधा बनता है।

आज आतंकवाद ने आधुनिक संचार प्रणालियों, संगठित अपराध, मादक द्रव्य के अवैध व्यापार, जाली मुद्रा और वैश्विक स्तर पर इनके प्रयोग सहित विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को खतरा पहुँचाते हुए नया तथा अधिक खतरनाक आयाम प्राप्त कर लिया है।

परिभाषा

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय (The Comprehensive Convention on International Terrorism & CCIT) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा किये जाने वाले अपराध का उद्देश्य लोगों को डराना या सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य को करने से रोकना या ऐसा कार्य करने के लिये मजबूर करना हो, जिसके कारण-

- किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट, या सार्वजनिक उपयोग की जगह, कोई सरकारी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, अवसंरचना या पर्यावरण सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्षति, या संपत्ति, स्थान, सुविधाओं या प्रणालियों को नुकसान पहुँचता हो जिसके परिणामस्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान हो, को आतंकवाद की परिभाषा के तहत माना जाएगा।
- आतंकवाद को धार्मिक, राजनैतिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा के सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन चुका है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे परिभाषित करना चुनौति बन चुका है। इसके दो कारण हैं।

- विभिन्न देशों द्वारा दूसरे देशों में किए जा रहे आपराधिक आतंकवादी कृत्यों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है।
- एक देश के आतंकवादी को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है।

इन समस्याओं के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि-

जब अपनी मांगें मनवाने या राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग करके डर, आतंक और दहशत का माहौल पैदा करना आतंकवाद कहलाता है।

- इससे विभिन्न समूहों एवं अधिकारियों को मजबूर किया जा सके।
- हाल ही जारी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स में आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों की सूची में दुनिया में भारत का 8वां स्थान है।
- भारत की आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है। साथ ही यह राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में भी प्रमुख अवरोधक का कार्य करता है। विज्ञान एवं तकनीक के विकास के साथ ही आतंकवाद के स्वरूप एवं तीव्रता में परिवर्तन हुआ है। आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है तथा भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर इसके समाधान हेतु संयुक्त प्रयास कर रहा है।

‘आतंकवाद का वर्गीकरण’

आतंकवाद का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में बाटा जा सकता है-

गैर-राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद

- इसके अंतर्गत आतंकवाद की कार्यवाही ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा की जाती है, जो कि न किसी सरकार के

साथ जुड़ा है और न ही किसी सरकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी एजेंसियों से कोई संबंध नहीं होता है।

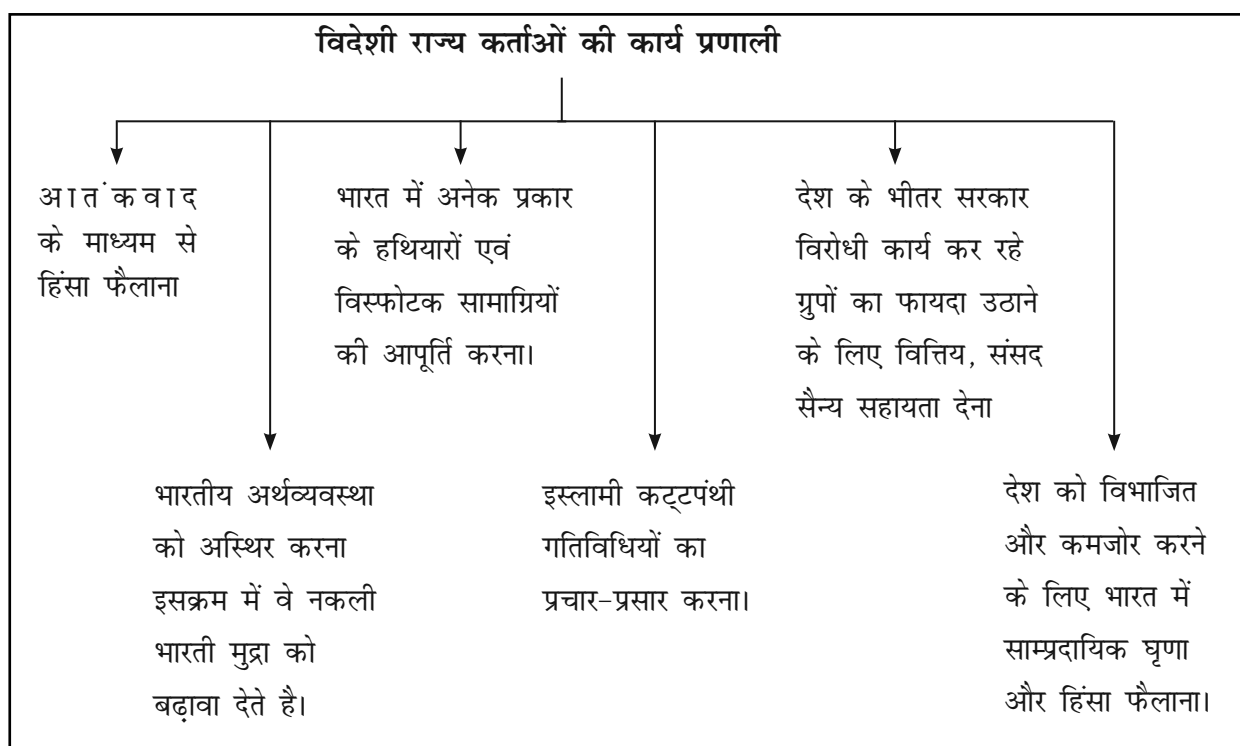
- इनके उदाहरण हैं- लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन-मुजाहिदिन जैसे कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादी गुप्त हैं। ये गैर-राज्य कर्ता होने का दावा करते हैं लेकिन इनको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त होता है।

विदेशी राज्य कर्ताओं द्वारा आतंकवाद

- इसके अंतर्गत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों या अन्य देश के लोगों के विरुद्ध

आतंकवाद में लिप्त हो तो उसे 'राज्य कर्ताओं का आतंकवाद' कहा जाता है।

- इसके उदाहरण हैं- कश्मीर में आतंकवाद, जो पाकिस्तान सरकार एवं आई.एस.आई. से प्रभावित है।
- इस क्रम में पाकिस्तान जो विदेशी राज्यकर्ता है, तो भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनौति दे रहा है।
- अतः विदेशी राज्य कर्ताओं द्वारा आतंकवादी संगठनों को अनेक तरह से, अनेक प्रकार से मदद की जाती है। जैसे- वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता एवं हथियार प्रशिक्षण इत्यादि।



आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवाद के बीच क्या अन्तर है?

आतंकवाद

राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य के लिए योजनाबद्ध, संगठित और व्यवस्थित तरीके से हिंसा का प्रयोग करना आतंकवाद है।

विद्रोह

सरकार को अपरदस्थ करने की दृष्टि से समाज के एक वर्ग द्वारा सशस्त्र संघर्ष और हिंसक कार्यवाही 'विद्रोह' की परिभाषा में आता है। यहां पर महत्वपूर्ण कारक यह है कि विद्रोहियों को सदैव ही जनता का समर्थन मिलता है।

नक्सलवाद

कम्युनिस्ट छापामारों का हिंसक गतिविधियों के माध्यम से राज्य को अस्थिर करना 'नक्सलवाद' है।

- भारत में नक्सलवाद अधिकतर माओवादी विचारधारा पर आधारित है जिसके माध्यम से वे लोगों की सरकार स्थापित करने के लिए सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं।
- विद्रोह और नक्सलवाद आतंकवाद के विभिन्न रूप हैं लेकिन सभी आतंकवाद विद्रोह या नक्सलवाद नहीं हैं।

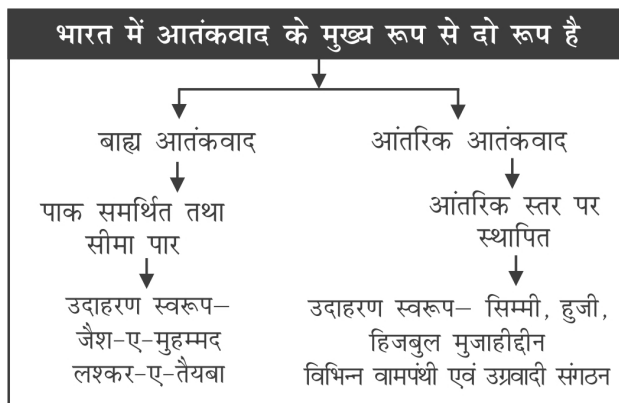
भारत में आतंकवाद की शुरुआत और उसका प्रसार

भारत में आतंकवाद ऐसा आतंकवाद है जो देश के दूर-दराज इलाकों तक फैला है। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं पूरे भारत वर्ष में बिना किसी कारण के हो रही हैं।

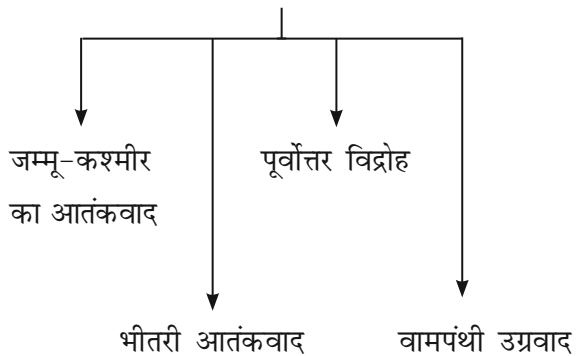
- यदि हम पीछे मुड़ कर देखें और विश्लेषण करें तो पायेंगे कि भारत में आतंकवाद की बढ़ोतरी सिलसिलेवार और सुनियोजित तरीके से हुई है।

1. भारत के विरुद्ध दो परम्परागत युद्धों में मात खाने के बाद, विशेषकर 1971 में हुई अपमानजनक हार के पश्चात् पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देकर पिछले 3 दशकों से भारत में खून-खराबा करने के उद्देश्य से गैर-परम्परागत अप्रत्यक्ष/परोक्ष युद्ध का रास्ता अपनाया।
2. वर्तमान आतंकवाद के बीज 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के साथ बोये गये थे।
 - भारत के लिए यह बहुत ही घातक आंदोलन सिद्ध हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य जम्मू एवं काश्मीर और बाकी भारत के बीच एक प्रतिरोधी प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की स्थापना करना था।
3. पंजाब के पश्चात् 80 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने अपना लक्ष्य कश्मीर को बनाया और कश्मीरी लोगों के एक समूह की भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने का प्रयत्न किया जो कि आजतक जारी है।
 - कश्मीरी आतंकवाद मूलतः पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आई.एस.आई. से प्रशिक्षित, प्रेरित एवं निर्देशित एल.ई.टी., जे.ई.एम. हिजबुल मुजाहिदिन इत्यादी इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
4. इसी बीच 1977 में अलीगढ़ में भारतीय मुस्लिमों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने और उनसे इस्लामिक आचरण संहिता का अनुसरण करवाने के उद्देश्य से सिमी की स्थापना की गई 80 व 90 के दशक में सिमी एक दुर्दांत आतंकवादी एवं उग्रवादी दल बन गया और इसने और अधिक उग्र रूप धारण कर लिया।
 - इसलिए इसे 2001 में गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया।
5. 1992 में आयोध्या घटना के बाद, पूरे भारत में विशेषकर मुम्बई में (1993 के सीरियल धमाके) प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद का उदय हुआ। इससे आई.एस.आई. को भारत में आतंकवाद और साम्प्रदायिकता की आग फैलाने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान हुआ।
6. सिमी पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् 21वीं शताब्दी में इण्डियन मुजाहिदीन (आई.एम.) का गठन हुआ।
 - इसका गठन बाहरी देशों में यह प्रचारित करने के लिए किया गया था कि भारत का आतंकवाद पूरी तरह से घरेलू है जो कि मुस्लिमों को साथ किए गए अत्याचार के कारण हुआ है न कि अन्य देशों द्वारा प्रायोजित है।
7. आई.एस.आई. ने भारतीय युवा मुस्लिमों को भड़काने के लिए हमेशा अयोध्या की घटना और गुजरात दंगों जैसी घटनाओं का फायदा उठाने का प्रयास किया।
 - युवाओं को लामबंद करने, आतंकवादी बनाने और भर्ती करने के लिए आई.एस.आई. द्वारा जाली विडियो का प्रयोग किया गया।
 - आई.एस.आई. की साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के प्रयासों की वजह से भारतीय मुस्लिम समुदाय को आसानी से लामबंदी, अतिवादी और आतंकवादी गुटों में भर्ती करने का खतरा बना रहता है।
 - हाल ही में मुजफ्फरनगर जिले के दंगा प्रभावी क्षेत्र से लश्कर-ए-तैयबा द्वारा युवा मुस्लिमों की भर्ती करने की खबरें मिली थीं।
8. 2006-07 में मालेगांव, मेका मस्जिद हैदराबाद, अजमेर, शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों के रूप में प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद देखा।
 - प्रारंभ में इन मामलों में विभिन्न राज्यों की पुलिस की जाँच एजेसियों ने कथित तौर पर बेकसूर मुस्लिम युवाओं को फंसाया।
 - इससे मुस्लिमों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और आई.एस.आई., सिमी और आई.एम इत्यादी आतंकवादी ग्रुपों को युवा मुस्लिमों को अतिवादी बनाने का एक और मौका मिला।
9. बंगलादेश का हरकत-उल-जिहाद-एल-इस्लामी (एच.यू.जे.आई.) भी भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में लिप्त पाया गया।

भारत में आतंकवाद का स्वरूप एवं विस्तार (Nature and expansion of terrorism in India)



भारत में आतंकवाद की श्रेणियाँ



बाह्य तथा आंतरिक आतंकवाद के प्रसार को भारत में निम्नवत् देखा जा सकता है:-

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in Jammu & Kashmir)

जम्मू-कश्मीर राज्य में दो तरह के आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं-

- आंतरिक आतंकवादी संगठन (Internal Terrorist Organization)
 - ♦ जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF)
 - ♦ हिजबुल मुजाहिद्दीन
- पाक समर्थित या विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign terrorist organization)
 - ♦ लश्कर-ए-तैयबा
 - ♦ जैश-ए-मोहम्मद
 - ♦ हरकत-उल-मुजाहिद्दीन

जम्मू - कश्मीर के आतंकवादी संगठन

भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा अवैध (Unlawful) गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अर्न्तगत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित मुख्य आतंकवादी संगठन हैं-

- **जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF)**- इस संगठन की स्थापना 1960 के दशक में पाक अधिकृत कश्मीर में की गई थी तथा यह कश्मीर की आजादी के उद्देश्य के साथ आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। इसकी प्रवृत्ति दुलमुल है तथा यह साम्प्रदायिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है।
- यह आजाद कश्मीर की माँग पर अडिग है। दूसरा, कश्मीर में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इस संगठन

का नेता मो. यासीन मलिक है जो हाजी (HAJY) संगठन से संबंधित है।

- मो. मलिक जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक राजनीति में उतरने हेतु प्रयासरत है और इसके लिए ऑल पार्टी हुरियत कॉफ्रेंस से जुड़ चुका है, जिसके नेता सैयद अली शाह गिलानी हैं। इस समय भारत का जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रति कठोर रुख नहीं है। 2005 से यह दोनों संगठन एक ही है।
- **हिजबुल मुजाहिद्दीन**- इस संगठन की स्थापना नवंबर, 1989 में मो. एहसान डार एवं सैयद सलाहुद्दीन द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है।
- यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई. एस.आई. (ISI) का पसंदीदा तथा उसके द्वारा समर्थित संगठन है। हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ अटल जी की सरकार के समय युद्ध विराम समझौता हुआ था।

विदेशी आतंकवादी संगठन

- **लश्कर-ए-तैयबा**- इसकी स्थापना 1980 में अफगानिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान द्वारा जम्मू-कश्मीर में की गई थी।
- वर्तमान में हाफिज सईद इसका नेता है। इस संगठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से कश्मीर की स्वतंत्रता तथा परोक्ष रूप से कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करना है।

प्रमुख आतंकवादी गतिविधियाँ

- इस संगठन ने 18 अप्रैल, 1998 को उधमपुर में 30 निर्दोष हिन्दू नागरिकों की हत्या कर दी थी।
- जुलाई, 1998 में इस संगठन द्वारा अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी गई थी।
- 2008 मुम्बई हमला।
- **जैश-ए-मोहम्मद**- इस संगठन की स्थापना वर्ष 2000 में पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर द्वारा पाकिस्तान में की गई थी।
- पाकिस्तान प्रायोजित इस संगठन का उद्देश्य कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन (UNO) ने इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है।
- इसके आतंकवादियों ने ही 2 जनवरी, 2016 को प्रातः लगभग 3 बजे पंजाब के पठानकोट स्थित भारतीय

वायु सेना की पश्चिमी कमान के एयरफोर्स स्टेशन पर भारी मात्रा में हथियारों से लैस होकर सेना की वर्दी में हमला किया था।

- **हरकत-उल-मुजाहिद्दीन**— पाकिस्तान प्रायोजित इस संगठन की स्थापना अप्रैल, 1993 में पाकिस्तान निवासी मौलाना अबु तालीम द्वारा की गई तथा वर्तमान में तालीम ही इस संगठन का प्रमुख है।
- इस संगठन का उद्देश्य कश्मीर का पाकिस्तान में विलय तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाना है। 1997 में इस संगठन पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रमुख आतंकवादी गतिविधियाँ

- इस संगठन ने जून, 1993 में 12 यूरोपीय पर्यटकों का अपहरण कर, उनमें से दो की हत्या कर दी तथा शेष 10 को रिहा कर दिया।
- जुलाई, 1995 में इस संगठन द्वारा 4 यूरोपीय पर्यटकों का अपहरण कर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
- वर्तमान में अन्य कई आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हैं जिनमें हरकत-उल-अंसार, अल बदर, जामियत-उल-मुजाहिद्दीन, अल कायदा आदि प्रमुख हैं।
- भारत सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ आदि में बहाल कर उनके प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ उठाया जा रहा है। साथ ही सरकार इसके माध्यम से कश्मीरी जनता को विश्वास में लेने का प्रयास कर रही है।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में घटित होने वाली कुछ आतंकवादी घटनाएँ—

- **14 फरवरी, 2019** पुलवामा अटैक-40 CRPF जवान शहीद हुए।
- **18 सितंबर, 2016** उरी अटैक-23 शहीद और 8 घायल हुए।
- **3 अक्टूबर, 2016** बारामूला हमला 5 लोगों की मौत हुई।
- **29 नवंबर, 2016** नगरोला हमला 10 लोगों की मौत हुई।
- अगस्त, 2019 में धारा-370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आयी है।

भारत के अन्य आतंकवादी संगठन

1. हुजी (हरकत उल-जिहाद-अल-इस्लामी)

1984 में तालिबान और अल-कायदा द्वारा प्रायोजित (HUJI) हुजी की स्थापना PAK में मौलाना फजलुर रहमान खलील द्वारा की गयी थी। 1992 में हुजी की बांग्लादेश इकाई का गठन-कमान इलियास कश्मीरी के हाथ में थी। इसका उद्देश्य इस्लामिक पुनःप्रवर्तनवाद है।

हुजी द्वारा प्रमुख आतंक गतिविधियाँ

- 2006-बनारस में बम बिस्फोट
- 30 अक्टूबर 2008 को असम में बम विस्फोट हुआ था जिसमें 84 लोग मारे गये। (HUJI+ULFA)
- 2010 में पुणे, जर्मन बेकरी में 60 लोग मारे गये (HUJI+IM)

2. SIMI (Student Islamic Movement of India)

25 अप्रैल 1997 को अलीगढ़ में 'जमायते-ऐ-इस्लामी हिन्द' के Student wing के रूप में मो. अहमदुल्ला सिद्दीकी द्वारा गठन किया गया। इसका भी उद्देश्य इस्लामिक पुनः प्रवर्तनवाद था।

11 सितम्बर, 2001 को भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया।

3. इंडियन मुजाहिद्दीन

2001 में सिमी पर प्रतिबंध के बाद सिमी के सदस्यों द्वारा संगठित किया गया था। यह भारत में सर्वाधिक सक्रिय आतंकवादी संगठन है। 4 जून 2010 को भारत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा सितम्बर 2011 को यू.एस.ए. ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया।

पंजाब में आतंकवाद (Terrorism in Punjab)

पंजाब में आतंकवाद को अलग देश की माँग के रूप में देखा जा सकता है।

- यहाँ खालिस्तान नामक अलग सिक्ख राष्ट्र की माँग को लेकर कुछ संगठनों द्वारा 1970 एवं 1980 के दशक में सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया गया।
- इन विद्रोहों को प्रतिबंधित कर सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।
- इस आंदोलन को कई बाहरी संगठनों एवं समुदायों द्वारा नैतिक तथा वित्तीय समर्थन भी प्राप्त था।
- इस आंदोलन से निपटने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1984 में **ऑपरेशन ब्लू स्टार** नामक अभियान चलाया गया तथा इस पर काबू पाया गया।

पंजाब में होने वाली कुछ आतंकवादी घटनाएँ

- 27 जुलाई, 2015 को गुरदासपुर हमला में 10 लोगों की मौत तथा 15 घायल हुए।
- 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट हमला
- पंजाब में आतंक गतिविधियों में ऑपरेशन-ब्लू स्टार (जून 1984) के बाद कमी आयी तथा 1995 ई के बाद कोई बड़ी घटना नहीं घटी है।

महाराष्ट्र में आतंकवाद (Terrorism in Maharashtra)

महाराष्ट्र में मुंबई तथा पुणे में कई आतंकी घटनाएँ घटित हुई हैं। मुंबई आतंकवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केन्द्र है।

- इस क्षेत्र में घटने वाली आतंकवादी घटनाओं में प्रमुखतः पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का हाथ होता है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ आतंकी हमलों की एक शृंखला निर्मित हुई है।
- 1993 की आतंकी घटना से लेकर 2008 में आतंकी हमले से होते हुए 2011 के बम विस्फोट की घटना तक की पूरी शृंखला में हजारों लोगों की जानें गईं तथा एक वृहद् समूह का सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

महाराष्ट्र में होने वाली कुछ आतंकवादी घटनाएँ

- 29 सितंबर, 2008 को सिरियल बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत तथा 80 लोग घायल हुए।
- 26 नवंबर, 2008 को मुंबई हमला में 171 लोगों की मौत तथा 239 लोग घायल हुए।
- फरवरी 2010 को पुणे बम ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत तथा 54 लोग घायल हुए।
- 13 जुलाई, 2011 को मुंबई बम ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत 130 लोग घायल हुए।
- 1 मई, 2019 को गढ़चिरौली नक्सल हमला में 16 लोगों की मौत हुई।

पश्चिम एवं मध्य भारत में आतंकवाद (Terrorism in Western and Central India)

पश्चिम एवं मध्य भारत में छिट-पूट आतंकी घटनाएँ घटित होती रहती हैं। आतंकवाद ने भारत के पश्चिमी भाग में भी अपने पाँव पसारे हैं।

- 2001 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला इस तथ्य की पुष्टि करता है। मध्य भारत के क्षेत्र में मुख्यतः आंतरिक आतंकवाद (नक्सलवाद) ने तेजी से अपना प्रसार किया है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नक्सलवाद एक प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है।
- हाल के दिनों में इन क्षेत्रों में कई नक्सली घटनाएँ घटित हुई हैं।

पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद (Terrorism in North-Eastern India)

पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्तता एवं पृथक राष्ट्र के मुद्दे को लेकर आंतरिक विद्रोह की शृंखला विद्यमान रही है जिसे अलगाववाद के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- इस अलगाववादी आंदोलन को कई बार बाह्य तथा आंतरिक आतंकवादी संगठनों द्वारा समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

- उल्फा (ULFA) इस क्षेत्र में प्रमुख आतंकी संगठन के रूप में क्रियाशील है।

पूर्वोत्तर भारत की कुछ आतंकवादी घटनाएँ

- 23 दिसंबर, 2014 को असम हिंसा में 85 लोगों की मौत हुई।
- 4-9 जून, 2015 को मणिपुर हमले में 176 लोगों की मौत हुई।
- 5 अगस्त, 2016 को असम (कोकराझोर) हमले में 14 लोगों की मौत तथा 15 लोग घायल हुए।

पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में विभिन्न अलगाववादी संगठनों के द्वारा आतंकी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। देखा जाए तो नागालैंड में विभिन्न विद्रोही संगठन से लेकर असम के उल्फा तथा भूटान और म्यांमार की सीमा पर विभिन्न आतंकवादी संगठनों के द्वारा घटनाओं को हिंसात्मक तरीके से अंजाम दिया जाता है। मणिपुर में आतंकवादी संगठनों के तौर पर पिपुल्स लिबरेशन-आर्मी के गठन का समाचार 1990 के दशक में एक बहुत ही चर्चित समाचार था। इसी तरह मिजोरम नेशनल फ्रंट के तरफ से भी कई सुरक्षा बलों को चुनौती दिया जाता रहा है।

प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी आतंकवाद

मालेगांव विस्फोट, मक्का मस्जिद विस्फोट (हैदराबाद), समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट और अजमेर दरगाह विस्फोटों में लिप्त होने का आरोप कुछ संगठनों पर लगा है।

- ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथाकथित राइट विंग आतंकवाद आई.एस.आई. प्रायोजित आतंकवाद और भारत सरकार द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ और इसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को लक्षित करने की कोशिश की।
- इन हमलों में कथित तौर पर सेना के एक अधिकारी कर्नल श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और स्वामी

असीमानंद की अध्यक्षता वाले पूणे स्थित समूह “अभिनव भारत” शामिल है।

- ये सभी घटनाएं 2006 और 2007 के दौरान हुई 2007 में गिरफ्तारियाँ किए जाने के पश्चात् ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिक्रियावादी आतंकवाद एक बड़ा संगठित आंदोलन नहीं था, बल्कि **व्यक्तिपरक प्रकृति** का आंदोलन था।

शहरी आतंकवाद (Urban Terrorism)

शहरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं को शहरी आतंकवाद कहा जाता है।

- इसके तहत शहरी आबादी को लक्षित किया जाता है। दक्षिण एशिया में शहरी आतंकवाद एक अपेक्षाकृत नई परिघटना है।
- हाल के वर्षों में, आतंकवादी गतिविधियों को सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर शहरों और कस्बों में निष्पादित किया जा रहा है।

इस प्रकार के हमलों में वृद्धि के कारण

आसान लक्ष्य: शहरी संकुलों और शहरी सार्वजनिक परिवहन संबंधी निर्मित सघन अवसंरचनात्मक परिवेश के कारण होने वाले लोगों के सामूहिक एकत्रण आतंकवादी हमलों के प्रभाव को अधिकतम करने हेतु आसान लक्ष्य निर्मित करते हैं।

अज्ञात बने रहने के अवसर: ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, शहरों और कस्बों में पर्यावास प्रतिरूप अधिक विषय होते हैं तथा ये आतंकवादियों को अपनी पहचान छिपाए रखने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। इससे आत्मघाती विस्फोटों का समय पर पता लगाने या रोकने में बहुत कठिनाई होती है।

सुविधाओं की उपलब्धता: शहरी क्षेत्रों में रसद आपूर्ति जैसे कि हथियार, सार्वजनिक परिवहन आदि आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है।

आसान भर्ती: शहरों में सामान्य रूप से लोगों में असंतोष की संभावना अधिक होती है।

सरकार की विश्वसनीयता पर हमला: अधिक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर हमला करने से सरकार की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचती है तथा इन हमलों से आतंकी समूहों को लोगों के मध्य सरकार की विश्वसनीय के प्रति संशय (जब सरकार अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रक्षा करने में ही विफल है तो वह सामान्य लोगों की रक्षा क्या करेगी) उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

विवेकहीन आतंकवाद रोधी अभियानों से संरक्षण: इस प्रकार के अभियानों से शहरी क्षेत्रों में व्यापक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शहरों में ऐसे अभियानों का संचालन करने से बचा जाता है। इस प्रकार, आतंकवादियों को इस तरह के अभियानों से संरक्षण मिलता है।

कम श्रम वाले आतंकी कृत्य: पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्रों में पाशविक शारिरीक शक्ति और क्षमता की कम आवश्यकता होती है। साथ ही, उन्हें वांछित नुकसान पहुंचाने के लिए परिष्कृत लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की भी आवश्यकता नहीं होती है।

भय का सुगम प्रसार: चूँकि आतंकवाद एक मंशा आधारित अधिप्रचार का परिणाम होता है, इसलिए अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने संबंधी आतंकवादियों के लक्ष्य को शहरी परिवेश में भलीभाँति से संपादित किया जा सकता है।

यहाँ तात्कालिक श्रोताओं (Immediate audience) की संख्या भी अधिक होती है। साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि आसानी से उपलब्ध होते हैं, जो इससे संबंधित रिपोर्ट को कवर करने के लिए अत्यधिक उत्सुक होते हैं। मीडिया द्वारा इस प्रकार के कवरेज से आतंकवादी गतिविधियों द्वारा भय उत्पन्न करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है।

इंटरनेट के कारण सुभेद्यता: व्यक्तिगत डेटा की बढ़ती उपलब्धता ने व्यक्तियों को आतंकवाद के प्रति सुभेद्य बना दिया है। इस प्रकार की जानकारी का उपयोग हिंसात्मक कृत्यों के लिए कट्टरता या लक्ष्यीकरण के उद्देश्य से किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी के युग में आतंकवाद (Terrorism in the Age of Technology)

यह इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से व्यापक स्तर पर लोगों को प्रभावित भी कर सकती है।

- आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस का उपयोग अपने हितों के लिए आवश्यक संसाधनों का अन्वेषण करने तथा अधिप्रचार से संबंधित गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए किया जाता रहा है।
- इसके माध्यम से आतंकी संगठनों द्वारा विश्व में कहीं भी अपने विरोधी/प्रतिपक्षी पर हमला करना संभव हो जाता है।

सोशल मीडिया: यह आधुनिक आतंकवाद का एक अनिवार्य घटक बन गया है।

- ये प्रभावशाली मंच आतंकवादियों को परस्पर संवाद स्थापित करने, अधिप्रचार करने और उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान को छिपाए रखने में मदद करने के साथ-साथ नए समर्थकों को शामिल करने के अवसर भी प्रदान करते हैं।

उग्रवाद के अधिप्रचार में तकनीक का उपयोग कैसे किया जा रहा है?

(How technology is being used in propagating extremism?)

अधिप्रचार: इसके तहत मल्टीमीडिया संचार के माध्यम से प्रायः वैचारिक या व्यावहारिक निर्देश दिया जाता है तथा आतंकवाद गतिविधियों को न्यायोचित ठहराया जाता है या प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

इसके साथ ही, इसका उपयोग हिंसा, समर्थकों की भर्ती, प्रोत्साहन और कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता रहा है।

वित्तपोषण: समर्पित वेबसाइटों या संचार प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान सुविधाएँ सहयोगी पक्षकारों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन के अंतरण की प्रक्रिया को सरल बना देती हैं।

धर्मार्थ संगठनों जैसे प्रतीत होने वाले वैध संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को भी अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रशिक्षण: प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ निर्देशात्मक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ ऑनलाइन आसूचना-रोधी और हैंगिंग गतिविधियों की भी सुविधा प्रदान करती है।

योजना निर्माण: प्रौद्योगिकी, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित विभिन्न आतंकी संगठनों के मध्य और संगठनों के भीतर तथा संचार चैनलों के माध्यम से आतंकी गतिविधियों के निष्पादन संबंधी सुविधा प्रदान करती है।

कार्यान्वयन: आतंकवाद के कृत्यों को वास्तविक धरातल पर निष्पादित करने के दौरान समन्वय के लिए इंटरनेट संचार का एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

साइबर-हमले: ये हमले सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर या आधारभूत अवसंरचना के समुचित कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं।

नेशनल साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber co-ordination center)

- यह एक केंद्रीकृत इंटरनेट स्कैनिंग एजेंसी है।
- साइबर सुरक्षा निगरानी पर देश का पहले स्तर (First Layer) का संगठन होगा तथा सरकार व निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच संचार का एक मात्र जरिया होगा।
- सरकार की सभी प्रमुख गुप्तचर व तकनीकी एजेंसियाँ 1000 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली इस एजेंसी (एनसीसीसी) का हिस्सा होंगी।
- प्रमुख भूमिका निभाने वाली संस्थाएँ: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (NTRO), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), DIARL, थल सेना, वायु सेना, जल सेना तथा दूर संचार विभाग।
- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित।
- इंटरनेट की 24 घंटे निगरानी हेतु सरकार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की भी सेवा लेगी।
- आवश्यकता पर निजी क्षेत्र व अन्य संगठनों के अनुभव से भी फायदा उठाया जा सकता है।

भारत में आतंकवाद के कारण (Causes of Terrorism In India)

भारतीय समाज में आतंकवादी गतिविधियाँ कई कारकों का संयुक्त परिणाम रही हैं जिसमें से कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जा सकती है:—

- **साम्प्रदायिक कारण:**— वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का सर्वप्रमुख कारण धर्म रहा है।
- सामान्यतः कुछ अतिवादी इस्लामिक संगठनों द्वारा जिहाद तथा इस्लाम की रक्षा के नाम पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। भारत में धर्म आतंकवाद का प्रमुख कारण रहा है।
- **खुफिया तंत्र तथा सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी:**— भारत में कई आतंकी घटनाओं के घटित होने की खुफिया जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है।
- तकनीकी सुविधाओं तथा आधुनिकीकरण के अभाव, उचित प्रशिक्षण की कमी आदि ने खुफिया व्यवस्था की सुदृढ़ता की राह में चुनौती प्रस्तुत की है।
- इसके अतिरिक्त कई बार खुफिया एजेंसियों द्वारा पूर्व सूचना प्राप्त होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था की शिथिलता के कारण आतंकी समूह घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं।

- **कानूनी असफलता:**— भारत में आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कानूनों का नितांत अभाव है। साथ ही संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन में उदासीनता ने आतंकी संगठनों को हिंसक कार्रवाईयों के लिए प्रोत्साहित किया है।
- टाडा एवं पोटा जैसे कानूनों का राजनीतिक उद्देश्यों से उपयोग के कारण विरोध और अंततः इसे समाप्त कर दिया जाना आतंक के विरुद्ध कानून के संबंध में सरकार की दुलमुल नीति को स्पष्ट उजागर करती है।
- **क्षेत्रीय स्तर पर अलगाववाद की प्रवृत्ति:**— भारत में क्षेत्रीय असंतोष एवं अलगाववादी प्रवृत्तियों का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमी तथा नृजातीयता रही है।
- जम्मू-कश्मीर, विकास प्रक्रिया में पीछे छूट जाने के कारण एवं विदेशी ताकतों द्वारा वहाँ के नागरिकों को धर्म के नाम पर उकसाये जाने के कारण आतंक का केन्द्र रहा है।
- वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कम विकास के साथ-साथ नृजातीय तत्वों की विद्यमानता ने स्थानीय लोगों को अलगाववादी प्रवृत्तियों के लिए उकसाया है।
- **सामाजिक आर्थिक असंतुलन:**— सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक कार्यक्रम के लाभों का असमान वितरण, भूमि सुधार में तार्किकता एवं निष्पक्षता का अभाव तथा हरित क्रांति का क्षेत्र विशेषों तक सीमित हो जाना ऐसे कारण रहे हैं जिसने संयुक्त होकर आम जनता में असंतोष को जन्म दिया है।
- भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास का लाभ एक खास समूह को ही प्राप्त हो पाया है तथा देश की अधिकांश जनता इस लाभ से वंचित रह गई है।
- विकास के लाभ से वंचित जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति को आतंकी एवं चरमपंथी गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है।
- **अशिक्षा एवं बेरोजगारी:**— भारत में अशिक्षा एवं बेरोजगारी आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार का एक प्रमुख कारण है।
- अशिक्षित लोगों को साम्प्रदायिक विचारधारा के बहकावे में आसानी से लाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु बाध्य किया जाता है।
- इसके साथ ही बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी एवं धन का प्रलोभन देकर ऐसे कार्यों में संलिप्त कर लिया जाता है।
- इसके अलावा कई अन्य कारण भी परोक्ष रूप से आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं।
- भारत में काले धन का एक बड़ा हिस्सा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में लगा दिया जाता है और यह हथियार भारत में आतंकी गतिविधियाँ फैलाने में सहायक होते हैं।
- **पड़ोसी राज्यों से कटुतापूर्ण संबंध:**— पड़ोसी देशों से भारत के कटुतापूर्ण संबंध भारत में आतंकवाद के प्रसार का एक प्रमुख कारण रहा है।
- कश्मीर में संचालित आतंकी गतिविधियों को जहाँ पाक का समर्थन प्राप्त है वहीं भारत के कई राज्यों में संचालित नक्सलवादी गतिविधियों में चीन सहयोग करता आया है।
- इसके साथ ही प्रमुख शहरों पर हाल में हुए आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका के साक्ष्य पाये गये हैं।
- **सरकार की दुलमुल नीति:**— प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का संवेदनहीन होना भी आतंकवाद एवं नक्सली हिंसा का कारण बनता है।
- इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान न दिये जाने पर भी पीड़ित जनता को विश्वास हो जाता है कि हिंसा ही एक रास्ता है जिससे सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।
- इसके कारण लोग संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास खो देते हैं एवं सरकारी अधिकारियों एवं संस्थाओं को हिंसा का शिकार बनाते हैं।
- **तकनीकी एवं संचार साधनों का विकास:**— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार ने आतंकवाद को वैश्विक स्तर तक प्रसारित होने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। विश्व के विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मध्य अंतर्संबंध की स्थापना हुई है तथा वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घटनाएँ तीव्र हुई हैं।
- संचार तथा परिवहन अवसरों ने आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय जाल को कुछ अंश तक केन्द्रीकृत संगठनात्मक संरचना के आधार पर विकसित किया है।
- सैद्धांतिक रूप से जुड़े हुए समूहों और समान राजनैतिक स्वार्थों वाले समूहों के बीच सहयोग ने ऐसे संबंध बनाए हैं जिनमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, सामाग्रियों की आपूर्ति, संगठनात्मक सहायता और संयुक्त आक्रमण शामिल हैं।

- संचार के माध्यमों से आई क्रांति के द्वारा आतंकवादी केवल तात्कालिक पीड़ितों को ही अपनी हिंसा का निशाना नहीं बनाते, बल्कि उसकी दिशा को अधिक व्यक्तियों की ओर भी मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और ब्लैकमेल के लिए मोड़ सकते हैं।
- संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित होने वाली सूचनाएँ भी आतंकवादी तकनीकों और प्रेरणाओं को अन्य आतंकवादी समूहों को निर्यात करती हैं।

भारत में आतंकवाद के दुष्परिणाम (Consequences of Terrorism in India)

आतंकवादी गतिविधियाँ वर्तमान भारत की प्रमुख समस्या बन गई है तथा कुछ कारकों के साथ संयुक्त होकर कई अन्य समस्याओं को पैदा कर रही है। आतंकवाद के दुष्परिणाम को नीचे देखा जा सकता है:—

- **हिंसात्मक गतिविधियों से क्षति:**— आतंकी गतिविधियों के पश्चात् व्याप्त हिंसा में सैकड़ों लोगों को अपनी जान व संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही कई लोग घायल, बेघर एवं अनाथ हो जाते हैं।
- **कानून-व्यवस्था की समस्या:**— आतंकवादी गतिविधियाँ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरी है।
- **संप्रभुता को खतरा:**— आतंकवाद कई बार धार्मिक, नृजातीय आदि कारकों के कारण भी उत्पन्न होता है। परिणामतः राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता खतरे में पड़ जाती है।
- **देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव:**— आतंकवाद के कारण व्याप्त हिंसा तथा अस्थिरता की स्थिति देश में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियों को दुष्प्रभावित करती है।
- **पर्यटन तथा संस्कृति पर दुष्प्रभाव:**— आतंकी कार्यवाही एवं सुरक्षा बलों के द्वन्द्व से क्षेत्र विशेष का पर्यटन एवं औद्योगिक विकास दुष्प्रभावित होता है, जिससे क्षेत्र का विकास रुक जाता है। जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्य इसके उदाहरण हैं।

आतंकवाद की समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संस्थागत ढांचा
भारत में 2008 से पहले आतंकवाद का मुकाबला मुख्यतः

राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों की मदद से आसूचना ब्यूरो (आईबी) द्वारा किया जाता था। आईबी ने विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय का कार्य करने वाली आसूचना एजेंसी की भूमिका निभाई जांच करने और कार्यवाही करने का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जाता था।

26/11 के पश्चात् नये बदलाव — 26/11 के दौरान मुंबई पुलिस और एनएसजी द्वारा की गई कार्यवाही की सर्वत्र सराहना की गई है, तथापि प्रारंभिक प्रतिक्रिया और बलों द्वारा प्रयोग में लाए गए हथियारों, प्रशिक्षण और उपलब्ध आसूचना के अनुसार की गई कार्यवाही के बीच समन्वय में गंभीर खामियां नजर आई इसलिए 26/11 के पश्चात भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए नये कदम

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण: राष्ट्रीय अभिकरण (एनआईए) एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए की है।

नेटग्रिड: राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड या नेटग्रिड एक एकीकृत आसूचना ग्रिड है जो आसूचना का व्यापक स्वरूप इकट्ठा करने के लिए कई विभागों और भारत सरकार के मंत्रालयों के डाटाबेस में एक कड़ी का काम करेगी और आसूचना एजेंसियों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) का पुनर्गठन: आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मैक एक मल्टी एजेंसी सेंटर है इसका कार्य आतंकवाद, कारगिल युद्ध के बाद संबंधित प्राप्त सूचना को दैनिक आधार पर साझा करना है। मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) की स्थापना 2002 में दिल्ली में की गई थी और विभिन्न राज्यों की सहायक मल्टी एजेंसी सेंटरों (एसएमएसी) में आसूचना प्रयासों को साझा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर आसूचना ब्यूरो में, पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा और वित्तीय आसूचना एजेंसियों सहित कई एजेंसियों के साथ आसूचना साझा करती है।

एनएसजी के चार नए केंद्रों की स्थापना: सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए मानेसर के अतिरिक्त चार स्थानों—मुंबई, कोलकाता, चैन्नई और हैदराबाद में एनएसजी के केंद्र बनाए गए हैं ताकि मुश्किल हालातों में और अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

तटीय सुरक्षा योजना का नवीकरण: मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस

हुई देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए।

- इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी तट रक्षक दल को सौंपी गई है।
- लेकिन समुद्री सीमा की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की है। तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिये गये हैं कि तटीय पुलिस स्टेशनों, चैक पोस्टों, आउट पोस्टों इत्यादि के निर्माण की स्वीकृत तटीय सुरक्षा योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए

कानूनी रूपरेखा

- आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम टाडा (टीएडीए) था जो कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लागू किया गया। परंतु टाडा के दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगने के पश्चात् 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया और दिसंबर 2001 में संसद पर हमले के बाद पोटा (पीओटीए) अधिनियम बनाया गया।
- वर्ष 2004 में पोटा को भी समाप्त कर दिया गया। 26/11 मुंबई हमले के बाद यूएपीए संशोधन अधिनियम दिसंबर 2008 में लागू हुआ और 2012 में इसमें और संशोधन किए गए।

आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण)

अधिनियम या टाडा अधिनियम— पंजाब आतंकवाद की पृष्ठभूमि के तहत टाडा अधिनियम एक आतंकवादरोधी कानून था जो पूरे भारत में 1985 से 1995 के बीच अस्तित्व में था (1987 में इसमें संशोधन किया गया)।

- टाडा अधिनियम के दुरुपयोग के व्यापक आरोप लगने के कारण 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आतंकवाद को परिभाषित करने और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया यह पहला आतंकवाद विरोधी कानून था।

26/11 के बाद किए गये बदलाव

26/11 के बाद, पहले से विद्यमान गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम में कई सुसंगत संशोधन किए गए।

1. **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) संशोधन अधिनियम (यूएपीए)–** व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों के निवारण के लिए यूपा एक प्रभावशाली अधिनियम है।

- यूपा 1967 में बना और 1969, 1972, 1986, 2004, 2008 और 2012 में इसमें संशोधन किए गए। 2012 में किए गए संशोधन में यूपा में आतंकवादी कार्यों की परिधि में आर्थिक अपराधों को भी शामिल किया गया।
- 'आतंकवादी कार्य' की परिभाषा को विस्तृत किया गया है, इसमें देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधों हथियारों के खरीदारी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना, भारतीय जाली मुद्रा तैयार करना आदि शामिल हैं।
- यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसे किसी समूह को 'गैरकानूनी संघ' अथवा 'एक आतंकवादी संगठन' घोषित करे और इस समूह या संगठन के होने वाले सदस्यों या उन्हें सहयोग देने वाले को जुर्म करार दे।

गैरकानूनी संघ क्या है–

- केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संघों की एक सूची रखी है, जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। एक बार किसी संगठन के इसमें दर्ज होने पर उसकी सदस्यता लेना यूएपीए के तहत जुर्म माना जाएगा।
- इस कानून के तहत उस संगठन को मिलाने वाले धन पर पाबंदी लगाई जा सकती है और उसके दफ्तर की निगरानी की जा सकती है। किसी संगठन की भारत से अलग होने का समर्थन करने उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने वाली गतिविधियाँ।
- स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की हैसियत को दुष्प्रभावित करने वाली गतिविधियाँ। भारत के प्रति वैमनस्य का भाव रखने वाले संगठन।
- आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए उठाये गए कदम
- आतंकवाद के लिए धन जुटाना अपराध घोषित किया गया।
- वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ सुरक्षा एजेंसियों की एकीकृत कार्यवाही,
- विमुद्रीकरण, इसी दिशा में उठाया कदम था।
- नई करंसी (मुद्रा) में बेहतर सुरक्षा-व्यवस्था,
- आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोधक (सीएफटी) विशेष प्रकोष्ठ (गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में गठित)

धनशोधन से संबद्ध उपबंध धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम

धनशोधन से संबद्ध उपबंध धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) में विहित है।

PMLA धनशोधन के अपराध को निम्नानुसार परिभाषित करती है-

- 'जो कोई भी प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपराध की आय से संबंधित किसी प्रक्रिया अथवा कार्यकलाप में लिप्त होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर उसमें सम्मिलित है या उसमें वास्तविक रूप से शामिल है और उसे निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करता है, धनशोधन के अपराध का दोषी होगा।'
- धनशोधन 'अपराध से आय' से संबंधित कार्यकलापों/अपराधों तक सीमित है। 'अपराध की आय' को अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यकलाप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्राप्त किसी संपत्ति के रूप में अधिनियम की धारा 2 (Y) में परिभाषित किया गया है।
- इस प्रकार धनशोधन एक अपराध तभी होगा अगर यह अपराध की आय, जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में किया गया है, से संबंधित किसी कार्यकलाप से संबद्ध है। इन अनुसूचित अपराधों से असंबद्ध लेन-देन अधिनियम के सीमाक्षेत्र से बाहर होगा।
- अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों पर नजर डालने से पता चलता है कि संगठित अपराध और धोखाधड़ी, आतंकवादी वित्तपोषण सहित आतंकवाद, मानव तस्करी, चुराई गई और अन्य वस्तुओं का अवैध व्यापार, धोखाधड़ी, विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी; सामग्रियों की जालसाजी एवं चोरी, तस्करी और इनसाइडर ट्रेडिंग व पूंजी बाजार की जालसाजी आदि उसमें सूचीबद्ध नहीं हैं।

धनशोधन अपराधों की जाँच

- PMLA कानून प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों की शक्ति और प्राधिकार का वर्णन करता है।
- यह अधिनियम लेन-देन सूचना प्रणाली (Transaction Reporting Regime) की भी व्यवस्था करता है, जिसे

एक पृथक वित्तीय आसूचना यूनिट द्वारा प्रशासित किया जाता है।

- PMLA के मामले में प्रवर्तन निदेशालय कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

वित्तीय आसूचना यूनिट

- PMLA के दिनांक 1 जुलाई, 2005 से लागू होने के बाद, अधिनियम में यथा संकल्पित वित्तीय लेनदेन के संबंध में रिपोर्टिंग प्रणाली भी लागू हुई। इससे भारतीय वित्तीय आसूचना यूनिट (FIU-इंडिया) का सृजन हुआ। FIU-इंडिया को लेनदेन सूचित करने के प्रारूप मार्च, 2006 में अधिसूचित किये गए थे।
- विनियमनों में निर्धारित लेन-देनों के रिकार्ड का रख-रखाव, निर्धारित प्रारूप में FIU-इंडिया को सूचना प्रस्तुत करना और निर्धारित तरीके से ग्राहकों का सत्यापन शामिल है।
- FIU-इंडिया इन रिपोर्टों का विश्लेषण करती है और सूचना का प्रचार उपयुक्त प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों को करती है।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019

वर्तमान में अपराधों की परिवर्तित प्रकृति तथा उनसे प्रभावी रूप से निपटने हेतु संसद ने हाल ही में इस संशोधन को पारित किया है। इस संशोधन के माध्यम से अधिनियम में निम्न नये पहलुओं को शामिल किया गया है-

- इसके तहत केंद्र सरकार को किसी संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- NIA के जांच अधिकारी को अब आतंकवाद से संबंधित संपत्तियां जब्त करने के लिये संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक के बजाय केवल NIA महानिदेशक को स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- इस संशोधन के माध्यम से इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले NIA अधिकारियों को भी मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

उपरोक्त संशोधन से प्राप्त होने वाले लाभ

- लोन बुल्फ अटैकर, खतरनाक आतंकी संगठनों के प्रमुखों को आतंकी घोषित कर पाना संभव हो पायेगा।
- पुलिस महानिदेशक से स्वीकृति प्राप्त न करने के प्रावधान के कारण जांच प्रक्रिया में तेजी आयेगी।
- इस संशोधन के कारण NIA के पास जांच अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी जिससे मानव संसाधन संबंधी अभावों में कमी आयेगी।

उपरोक्त संशोधनों से जुड़ी चिंताएँ
- केंद्र सरकार को प्राप्त अत्यधिक शक्ति राजनैतिक विरोधियों के उत्पीड़न का कारण बन सकती है। - आतंकी प्रचार, आतंकी विचारधारा व साहित्य की अस्पष्ट परिभाषा प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना को विस्तृत करती है। - कई संगठनों ने ऐसी आशंका जताई है कि इससे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों तथा पत्रकारों का स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करना बाधित हो जायेगा।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019
संसद ने इस संशोधन के माध्यम से NIA की शक्तियों एवं अधिकारों में वृद्धि की है। जैसे-
- NIA द्वारा जांच किये जाने वाले अपराधों के दायरे को विस्तृत किया गया है। जैसे- मानव तस्करी, नकली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत किये जाने वाले अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है। - NIA को अब अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा अन्य राष्ट्रों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत से बाहर किये गये अधिसूचित अपराधों की जांच करने का अधिकार होगा। - इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को अधिसूचित अपराधों की जांच के लिए विशेष न्यायालय गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

योजनागत प्रयास

- रक्षा एवं आसूचना ढाँचे को मजबूत करने का प्रयास:-** आतंकवाद से लड़ने हेतु प्रमुख उपकरण रक्षा तथा आसूचना एजेंसियाँ हैं। सरकार ने इन एजेंसियों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु इनका आधुनिकीकरण तथा तकनीकीकरण करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है।
- इसके तहत पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियार, नवीनतम संचार उपकरण, आवाजाही तथा अन्य अवसंरचनात्मक मामलों के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है।
- इसके अतिरिक्त इंटरनेट प्रहरी की स्थापना, विभिन्न एजेंसियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने की योजना आदि भी महत्वपूर्ण है।
- इन एजेंसियों को मजबूत बनाने हेतु इनके बीच समन्वय की स्थापना का भी प्रयास किया गया है। इसके लिए NCTC की स्थापना का प्रयास तथा नैटग्रिड (NATGRID) की स्थापना की योजना महत्वपूर्ण है।
- विभिन्न अभियान (ऑपरेशन):-** 1980 के दशक में पंजाब में संचालित आतंकवादी गतिविधियों को

नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा ले० जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' नामक अभियान चलाया गया।

- इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान समर्थक आतंकियों को नियंत्रित करना था। इसके अलावा असम में ऑपरेशन राइनो, गोल्डेन बर्ड; मिजोरम में ऑपरेशन जेरिको के विरुद्ध कार्यवाई आदि द्वारा आतंकवाद पर नियंत्रण किया गया।
- हाल ही में भारत सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति अपनाते हुए सीमा पारीय आतंकवाद से निपटने हेतु क्रमशः उरी हमले के पश्चात सर्जिकल स्ट्राइक (2016) तथा पुलवामा हमले के पश्चात एयर स्ट्राइक (2019) को भी अंजाम दिया है, जिससे आतंकी संगठनों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है तथा उनके मनोबल में कमी आयी है।
- बुनियादी-संरचना का विकास:-** सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की अपर्याप्तता तथा असफलता विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ आतंकवाद की समस्या को भी सबलता प्रदान करती है।
- सरकार ने नागरिकों के समावेशी विकास के लक्ष्य का निर्धारण करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है।
- इसके साथ ही, इन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि प्रदान कर इनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके तथा इनके असंतोष को दूर किया जा सके।
- इन कार्यक्रमों में मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना आदि प्रमुख हैं।
- बातचीत का प्रयास:-** आतंकवाद के मामले से निपटने के लिए भारत सरकार ने बातचीत के रास्ते को अपनाया है जो मुख्यतः हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को संदर्भित करता है।
- हमने पाकिस्तान से यह बार-बार कहा है कि वह अपने भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न होने दे और भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले संगठनों के सदस्यों को जल्द से जल्द सजा दिलाए।
- भारत-पाकिस्तान ने मिलकर आतंकवाद नियंत्रण हेतु एक साझा तंत्र भी बनाया है।

ऑपरेशन ऑल आउट (Operation All out)

भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद से सख्ती से निपटने हेतु इस अभियान को शुरू किया था। विगत वर्षों में इस अभियान के तहत 600 से अधिक आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें 30 से अधिक इनामी एवं नामी आतंकी कमांडर भी शामिल रहे हैं। इस अभियान के कारण कश्मीर में आतंकियों को प्राप्त होने वाले समर्थन एवं सुख-सुविधाओं पर रोक लगा पाना भी संभव हो सका है।

सर्जिकल स्ट्राइक

29 सितम्बर, 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर इन लॉन्च पैड्स को समाप्त कर दिया था। देखा जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के द्वारा किया गया सबसे बड़ा आतंक-रोधी अभियान था। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी-सैन्य कारवाई है जिसमें एक से अधिक सैन्य लक्ष्यों को एक साथ पूरा किया जाता है। भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार सटे हुए विशेष आतंकी प्रशिक्षण कैंपों पर हमला कर कई लॉन्च पैडों को खाक कर दिया। यह एक ऐसा स्ट्राइक का जो कई स्तर पर भारतीय सैन्य बल के स्वाभिमान को बल दिया।

जम्मू कश्मीर में किए गए विशेष प्रयास:-

- **जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य बल:-** अवसंरचना की कमियों के विशेष संदर्भ में जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों की जाँच करने और उचित सिफारिशें करने के उद्देश्य से जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः **डॉ० अभिजीत सेन और डॉ. नरेन्द्र जाधव** (योजना आयोग के सदस्य) की अध्यक्षता में दो विशेष कार्य बलों (एस टी एफ) का गठन किया गया है।
- इस कार्यबल ने 24 माह की समय सीमा के अंदर जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः 497 करोड़ रुपये और 416 करोड़ रुपये की कुल लागत से तुरन्त कार्यान्वयन के लिए अल्पावधिक परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।
- संस्तुत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान विशेष योजना सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- **चुटक और उरी-2** नामक दो परियोजनायें पूरी होने वाली हैं। पूरे राज्य के सभी गाँवों का विद्युतीकरण परियोजना के तहत नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) ने गाँवों का विद्युतीकरण

किया और गरीबी रेखा से नीचे के 42,133 परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

- **डोमेल-कटरा और नरवल-तंगमार्ग** नामक दो सड़क परियोजनायें लगभग पूरी हो गई हैं। मुगल सड़क अगस्त, 2012 तक पूरी हो चुकी है। दो लेन वाली बटाटा-किश्तवाड़ सड़क (एन एच-18), दो लेन वाली कारगिल से होकर श्रीनगर-लेह सड़क (एन एच-1 डी) और श्रीनगर-उरी-एल.ओ.सी. सड़क के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।
- कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरे वाले मकान नामक परियोजना अपने अंतिम चरण में है।
- **डॉ. सी. रंगराजन** की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित विशेष दल की सिफारिश के आधार पर आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने जुलाई 2011 को जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल नामक योजना का अनुमोदन किया।
- यह योजना कौशल प्रदान कर उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में पांच वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष जम्मू और कश्मीर से 8,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। कार्यक्रम का लक्ष्य सुप्रशिक्षित मानव शक्ति को अच्छा भुगतान करने वाले रोजगार प्रदान करना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन पी.पी.पी. मोड में राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (एन.एस.डी.सी.) और कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में स्नातकों, स्नातकोत्तरों और व्यावसायिक डिग्री धारकों को शामिल किया जाएगा।
- एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किए जाने को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर-मुजफ्फराबाद पाक्षिक बस सेवा शुरू की गई थी और इसके बाद पुंछ-रावलकोट मार्ग पर शुरू की गई थी।
- विश्वास निर्माण के इस उपाय पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण रेखा के दोनों ओर श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्ग की पाक्षिक बस सेवा को साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया है।
- भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की 2011 में हुई बैठक के दौरान बस सेवा के दिनों में परिवर्तन करने, पर्यटन और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने सहित नियंत्रण रेखा के दोनों ओर नियंत्रण रेखा के पार यात्रा का विस्तार करने, नामित प्राधिकारियों द्वारा छः माह में अनेक बार नियंत्रण रेखा के आर-पार यात्रा की प्रविष्टि की अनुमति देने आदि सहित नियंत्रण

रेखा के दोनों ओर यात्रा को और सरल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।

- वर्ष 2011 में जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है जो विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन चुनावों में 77% मतदाताओं ने हिस्सा लिया।
- 2014 के विधान सभा चुनाव में 65.23% मतदाताओं ने मतधिकार का प्रयोग किया। यह जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की दृष्टि से अहम है।
- जम्मू कश्मीर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए **उम्मीद कार्यक्रम**, युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और रोजगार के लिए **हिमायत कार्यक्रम**, युवाओं के कौशल प्रदान करने के उद्देश्य **उड़ान परियोजना**।
- जम्मू कश्मीर से पूरे भारत के लोगों से संपर्क करने के लिए **भारत दर्शन कार्यक्रम** प्रारंभ किया गया है।

संविधान की धारा 370 एवं 35A का निरसन

हाल में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है तथा राज्य का पुर्नगठन किया गया है। उक्त संशोधन हेतु निम्न कदमों को उठाया गया है-

- राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से **संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) आदेश 2019** लागू किया है, इसके तहत भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को राज्य में प्रवर्तनीय बनाया गया है तथा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले सभी प्रावधानों जैसे- 35A को निरस्त किया गया है।

- इसके अतिरिक्त **जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019** को पारित कर जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों यथा **जम्मू और कश्मीर डिवीजन** तथा **लद्दाख डिवीजन** में विभाजित कर दिया गया है।

उपरोक्त संशोधनों का जम्मू एवं कश्मीर के आतंकवाद पर प्रभाव

- केंद्रीय योजनाओं के लागू होने से जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आयेगी, जिससे वहाँ के नागरिकों में अलगाववाद की भावना कम होगी।
- अनुच्छेद 370 के निरसन से पाकिस्तान के इस मंसूबे कि वह कश्मीर को भारत से अलग कर सकता है, गहरा धक्का पहुँचेगा जिसका परिणाम भविष्य में आतंकवाद की कमी के रूप में सामने आयेगा।

संविधान की धारा 370 एवं 35A का निरसन

- दोहरी नागरिकता, पृथक संविधान एवं झण्डे के निरसन से जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों में यह भावना कम होगी कि वे भारत से पृथक हैं तथा उनमें भारतीय नागरिक होने की भावना का विकास होगा। इसके परिणामस्वरूप कश्मीर में आतंकवाद की भावना के प्रसार में कमी आयेगी।
- भारतीय दण्ड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता तथा अन्य आतंकवाद विरोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा जिसके कारण आतंकवादी संगठनों एवं व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए विशेष प्रयास:-

- पूर्वोत्तर राज्यों में अलग-अलग वंशीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता के लिए तैयार है जो चरणबद्ध तरीके से हिंसा को छोड़ने और हथियार डालने के लिए तैयार है।
- परिणामस्वरूप, जिन दलों ने हिंसा त्यागने की मंशा व्यक्त की और भारत के संविधान की रूपरेखा के तहत अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल चाहा, उन कई ग्रुपों के साथ कार्रवाई स्थगन (एस.ओ.ओ.) करार किए गए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाना सरकार की पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिबद्धता को इंगित करता है।
- जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय के द्वारा ब्रू जनजातीय समस्या के समाधान की घोषणा की गयी। इसके अंतर्गत ब्रू जनजाति अब अपने मूल (native) गाँव लौट सकते हैं। इन्हें मिजोरम में वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त होगा।
- शेष भारत के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और इन क्षेत्रों को हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में हेलिकॉप्टर सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

आतंकवाद संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- आतंकवादी के अपने अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव हैं, अतः इन पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण हो गया है।
- उदाहरण स्वरूप भारत जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के

प्रस्ताव संख्या 1267 के तहत वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करता रहा है किंतु चीन उसके ऐसे सभी प्रयासों को अवरूद्ध करता है।

आतंकवाद से निपटने हेतु संयुक्त कार्य समूह(जेडब्ल्यूजीएस)

- आतंकवाद और अंतर्राष्ट्र संगठित अपराध से लड़ने के लिए सूचना के आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने हेतु आतंकवाद निरोध संबंधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना हेतु विदेशी मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है।
- द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और अन्य देशों के बीच स्थापित आतंकवाद निरोध संबंधी संयुक्त कार्य समूहों से संबंधित मुद्दों पर पीडी डिवीजन, एमईए के साथ एक इंटरफेस (मंच) के तौर पर कार्य करता है।

सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2322

- सुरक्षा परिषद ने 12 दिसंबर, 2016 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका मकसद आतंकवाद के प्रतिरोध के लिए द्वि-स्तर पर परस्पर न्यायिक सहयोग को बढ़ाना

वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद (Global Counter Terrorism Council& GCTC)

- GCTC एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक-टैंक काउंसिल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की आतंकवाद के प्रति सुभेद्यता को कम करना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
- आतंकवाद का मुकाबला करना और आतंकवाद के लिये उकसाने एवं आतंकी गतिविधियों के लिये भर्ती करने वालों पर मुकदमा चलाना है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2006 में वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (Global Counter-Terrorism Strategy) का अंगीकरण।
- वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निकायों की साझेदारी में आतंकवाद-रोधी क्रियान्वयन कार्य बल (Counter-terrorism Implementation Task Force: CTITF)

का गठन किया गया था। वर्तमान में इस कार्य बल में तीस से अधिक संयुक्त राष्ट्र इकाईयां और इंटरपोल कार्यरत है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के भीतर आतंकवाद-रोधी प्रयासों को सुव्यवस्थित और समन्वित करना है।

- क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS) का उद्देश्य आतंकवाद का सामना करने के संबंध में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) के सदस्यों के मध्य बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना है। भारत, आतंकवाद का सामना करने में RATS को एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संगठन के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 2, 500 आत्मघाती हमलावर और 69 आतंकवादी संगठनों के डेटा संग्रहित है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता (CCIT):

वर्ष 1996 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक बोधगम्य कानूनी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने UNGA को 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता' (Comprehensive Convention on International Terrorism&CCIT) को अपनाने का प्रस्ताव दिया था। CCIT आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा, विशेष कानूनों के तहत आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, सीमा पार आतंकवाद को दुनिया भर में एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध बनाने की मांग करता है।

- वित्तीय कार्यवाई कार्य बल (Financial Action Task Force FATE) और द ग्रुप ऑफ़ ऐंट (G8) काउंटर टेररिज्म एक्शन ग्रुप (CTAG)।
- यूरोपीय संघ (European Union: EU) की EU न्यायिक सहयोग इकाई "यूरोजस्ट (EUROJUST)" और के पुलिस बल "यूरोपोल (EUROPOL)" को आतंकी गतिविधियों को रोकने हेतु संचालित किया गया है।
- **क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन:** यह सरकारों और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं की सामूहिक व स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन उपलब्ध हिंसक चरमपंथी सामग्री के मुद्दे का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखते हुए इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना है।
- **ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म (GIFCT),** उद्योग के नेतृत्व वाली एक पहल है। यह

आतंकवादियों की आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा हिंसक अतिवादी अधिप्रचार का प्रसार करने की क्षमता को प्रभावी रूप से बाधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यकारी निदेशालय (UN Counter Terrorism Executive Directorate: UNCTED) के साथ घनिष्ठ साझेदारी में कार्यरत हैं।

भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति

भारत में आतंकवाद-रोधी रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के समग्र संदर्भ में विकसित किया जाना अभी शेष है। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

- **वर्तमान संदर्भ में सामाजिक- आर्थिक विकास** अत्यंत आवश्यक है, ताकि समाज के कमजोर या सुभेद्य वर्ग को आतंकवादियों के धन और समता संबंधी अधिप्रचार के प्रभाव में आने से रोका जा सके।
- प्रशासन को लोगों की **शिकायतों के प्रति जवाबदेह** होने की आवश्यकता है, ताकि इनका कुशलतापूर्वक शीघ्र निवारण किया जा सके और आतंकवादी समूहों द्वारा उनका शोषण न किया जा सके।
- अपराधिक तत्वों से निपटने के लिए सुदृढ़ उपायों की आवश्यकता है। हालांकि, इन उपायों को मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।
- इस संबंध में **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद एक वैश्विकपूर्ण खतरा है और इसे देशों के संयुक्त प्रयासों द्वारा ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
- **द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय** मंचों पर सक्रिय भागीदारी, मुख्यतः आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रणनीति संबंधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए **विभिन्न हितधारकों**, यथा-सरकार, राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और मीडिया की भागीदारी के साथ एक व्यापक रणनीति की भी आवश्यकता होगी। ऐसी रणनीति के आवश्यक घटक नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।
- **राजनीतिक सहमति**: संघ सरकार को राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण करने के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ गहन वार्ता को बढ़ावा देना चाहिए।
- इसके साथ ही, भारत सरकार के नोडल मंत्रालय के

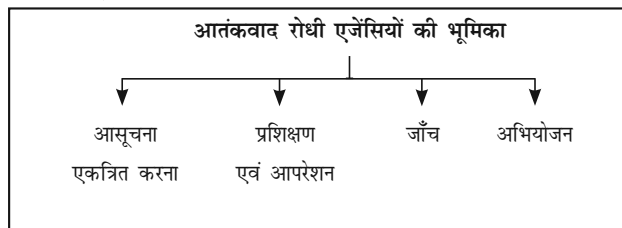
साथ परामर्श करने में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी।

- **सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास**: इसके लिए विकास संबंधी कार्यों को उच्च प्राथमिकता देना और वास्तविक धरातल पर इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- इसके साथ ही, सभी स्तरों पर एक स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह प्रशासन को अनिवार्य रूप से स्थापित करना नितांत आवश्यक है।
- **विधि के शासन का स्थापित करना**: उग्रवाद या आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिमपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों को भी विधि का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि वर्तमान विधियाँ इन असाधारण/जोखिमपूर्ण स्थितियों का समाधान करने में असमर्थ हों, तो नई विधियों को अधिनियमित करना चाहिए, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ विधिबाह्य (Extra-legal) या अवैध तरीकों का आश्रय न लें सकें।
- **आतंकवादियों की विध्वंसक गतिविधियों का सामना करना**: सरकार को दोषपूर्ण राजनीतिक विचारधारकों (आतंकवादियों और माओवादियों द्वारा) को रोकने हेतु प्रभावपूर्ण प्रयास करने चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने के लिए सैन्य उपायों की बजाए असैन्य कार्यवाहियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **उपयुक्त विधिक ढांचा प्रदान करना**: आतंकवादी को पकड़ने या उनके दोष को सिद्ध करने के लिए देश की वर्तमान सामान्य विधि पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। इसके लिए विशेष विधियाँ और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र अनिवार्य हैं। हालांकि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान से रखा जाना चाहिए।
- **आवश्यक क्षमता का निर्माण करना**: क्षमता निर्माण अभ्यासों का विस्तार खुफिया तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक प्रशासन और समाज में व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों के स्तर का विश्लेषण

आतंकवाद रोधी एजेंसियों की चार प्रमुख भूमिकाएं

निम्नवत् हैं:



आसूचना एकत्रित करना

- आसूचना एकत्रित करने का कार्य वर्तमान में राज्य पुलिस और केंद्रीय सरकार एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। 26/11 के बाद स्थापित नेटग्रिड और मैक बहुत ही उपयोगी है।
- वित्तीय लेन-देन, पासपोर्ट, वीजा से संबंधित अपराधों सीमा पार घुसपैठ, जाली मुद्रा की वसूली इत्यादि से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण सूचनाएं सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों से इकट्ठा कर परस्पर मिलान करने की अभी भी जरूरत है ताकि आतंकी गतिविधियों की जांच एवं पर्दाफाश करने में मदद हो सके।
- हमें समाज, मीडिया, कार्पोरेट घरानों, होटल मालिकों इत्यादि को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है और ये आसूचना एकत्रित करने के काम में सहायता कर सकते हैं।
- आतंकवादी हमलों को रोकने में जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है।
- संदिग्ध व्यक्तियों या सामग्री के बारे में बिना किसी उत्पीड़न के, भय के, सभी आयु वर्ग और लिंग के व्यक्तियों को छोटी से छोटी सूचना प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।
- आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए जनता के साथ मिल कर कार्य करने हेतु पुलिस को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।
- इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण एवं आपरेशन

- प्रशिक्षण एवं उपकरणों के संबंध में राज्य पुलिस की क्षमता सीमित है। पिछले पांच वर्षों से केंद्रीय सरकार की एजेंसियों ने अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू किया है लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है।

- वर्तमान में आपरेशनों के लिए विभिन्न राज्य की पुलिसों के साथ आईबी समन्वय की भूमिका निभाती है। परंतु यदि एक ही समय में हमें कई राज्यों में आपरेशन एक साथ करना हो तो इसके लिए कोई एकीकृत कमाण्ड नहीं है।
- कुछ राज्यों के पास वांछित सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए पूरे देश में आपरेशनों के समन्वय के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है लेकिन इस केंद्रीय एजेंसी को राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए न कि राज्य पुलिस से स्वतंत्र हो कर।

जाँच

- एन.आई.ए. का गठन बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और अब तक यह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। यदि हम राज्य पुलिस की जांच करने की योग्यता को देखें तो पायेंगे कि इसमें अभी भी सुधार करने की गुंजाइश है।
- यदि एक केंद्रीय एजेंसी आतंकवाद के ऐसे सभी मामलों, जो विभिन्न राज्यों में हुए हैं और आपस में जुड़े हैं, की जांच करे तो ऐसे मामलों की जांच भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
- हमारे पास देश के अंदर और देश से बाहर सक्रिय विभिन्न आतंकवादी नेटवर्क का अच्छा डाटा बैंक तैयार हो जाएगा।

अभियोजन

- हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत ही सुस्त है और इसके प्रक्रियात्मक पहलुओं में काफी समय व्यतीत होता है। आतंकवादी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष द्रुत न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- इस दिशा में हमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। एन.आई.ए. एक्ट में विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

चहुँमुखी (360-डिग्री) दृष्टिकोण

- भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बदलावों को लागू करें। इसके अपनी खुफिया और जाँच एजेंसियों की तत्परता में वृद्धि के साथ-साथ संपूर्ण उपमहाद्वीप में आतंकवाद का सामना करने के लिए कुछ कूटनीतिक उपाय करें।
- इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, बिग डेटा विश्लेषण, आतंकवाद के वित्तपोषण और तकनीकी

आसूचना आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भर्ती की जानी चाहिए।

- इंटरनेट पर ISIS के प्रभाव पर निगरानी रखने के लिए आसूचना साझाकरण, **संयुक्त ऑनलाइन अभियान** और डेटाबेस अभिसरण के लिए एक सुसंचालित ऑनलाइन खुफिया नेटवर्क का विकास करना चाहिए।

प्रारंभिक रोकथाम और कट्टरपंथीकरण का निषेध (Early Prevention and Deradicalisation)

- प्रारंभिक रोकथाम, लक्षित दमन और हस्तक्षेप की एक **व्यापक रणनीति** का निर्माण करना चाहिए।
- साथ ही, उसमें **सरकारी और गैर-सरकारी** दोनों अभिकर्ताओं को शामिल करना चाहिए।
- युवाओं को विशेष रूप से सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म के माध्यम से कट्टरपंथी विचारों के अधिप्रचार के प्रभाव में आने वाले **रोकने की अपील** करने के लिए प्रभावशाली अल्पसंख्यक धार्मिक नेताओं के प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए।
- सरकार को सामाजिक समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और छात्र निकायों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, जो राज्य के संस्थानों की तुलना में विशाल आबादी तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

आतंकवाद से निपटने के लिए सुझाव

- आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक विस्तृत एवं एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है जिसमें सरकार, राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समितियों और मीडिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

पुलिस: आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य पुलिस को मजबूत बनाना, उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं में वृद्धि करने, निगरानी करने, जांच करने और ऑपेशन के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया करवाना समय की मांग है।

- हमें आधुनिक वैज्ञानिक फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है। अधिकतर आतंकवादी साइबर नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे हैं इसलिए साइबर क्राइम के विरुद्ध विशेष उपकरणों की जरूरत है।

विधिक: आतंकवाद के विरुद्ध हमें एक सख्त अधिनियम की आवश्यकता है। हमें ऐसी फास्ट-ट्रैक

न्यायालयों की आवश्यकता है जो 3-4 माह में फैसला दे सके।

- आतंकवादियों के विरुद्ध पुलिस के पास शक्तियाँ सीमित हैं। आतंकवाद कानून व अन्य अपराध कानून में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। उदाहरण के तौर पर दोनों मामलों में हिरासत में रखने की अवधि क्वेल 24 घंटों की है।
- कई बार आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आतंकवादी को न्यायालय में पेश करना मुश्किल हो जाता है।
- हमें अपराधिक न्याय व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें सुनवाई और दोषिसिद्धि 3 से 4 माह में हो जाए तब तक लोगों की याददाश्त ताजा होती है।
- न्यायिक पद्धति में बचाव के रास्ते और न्याय में देरी भी आतंकवादियों को हिंसा में लिप्त होने के लिए निर्भिक बनाती है।
- सख्त कानून, बचाव के रास्ते बंद होने और बिना देरी के न्याय मिलने से परिवार वाले भी अपने सदस्यों को आतंकवाद के कार्य में लिप्त होने से रोकने में भूमिका निभाएंगे।

राजनीतिक: देश में एक मजबूत राजनीतिक सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरी हो। चूँकि राष्ट्रहितके मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

- इनकी चर्चा मीडिया में या किसी अन्य सार्वजनिक मंच पर नहीं की जानी चाहिए। इनका निर्णय वोट बैंक की राजनीति या पार्टी की विचारधारा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मीडिया प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनावश्यक बहस में लिप्त होता है। लोकतंत्र में बहस का हमेशा स्वागत है परंतु कुछ मामलों में मीडिया को अधिक तटस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए।

जनता: आम जनता को हमारे पड़ोसी देशों के बुरे इरादों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। बहुतसंख्यक और अल्पसंख्यक, दोनों समुदायों को धार्मिक सद्भाव और शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पर्यावरणीय जागरुकता की तरह की सुरक्षा जागरुकता विद्यालयों में एक

विषय होना चाहिए ताकी सभी नागरिक मूलभूत सुरक्षा मुद्दों के प्रति जागरूक हो और एक मंच पर हों।

नागरिक समाज: आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और बहुआयामी कार्यवाई में नागरिक समाज के महत्व को संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा मान्यता 8 सितंबर, 2006 दी गई। सदस्य राष्ट्रों ने इस कार्यनीति के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रयासों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- अब सार्वजनिक कार्यों में नागरिक समाज के समूहों की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। वे नागरिकों की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में सहायक कर रहे हैं और वे आतंकवादियों से निपटने समय सुरक्षा बलों द्वारा 'मानवाधिकारों के उल्लंघनों' का विशेष उल्लेख करने में भी सक्रिय रहे हैं।

सुशासन, विकास, और कानून का शासन एक दूसरे से सहसंबद्ध हैं और अशांति से उत्पन्न कोई भी खतरा देश के सतत विकास के उद्देश्य में बाधा बनता है। अतः सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतत और सख्त कार्रवाई करने के अतिरिक्त नागरिक समाज भी आतंकवादी कार्यकलापों को रोकने और आतंकवाद की विचारधारा का प्रतिरोध करने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में नागरिकों और प्रचार माध्यम द्वारा सहयोग भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक जागरूक नागरिकता के साथ कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आतंकवाद के किसी भी रूप को परास्त कर सकता है।

समसामयिकी

तीसरे मंत्रिस्तरीय 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) सम्मेलन

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के प्रयासों और खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रकाश डालता है।

सम्मेलन का उद्देश्य: इसका उद्देश्य आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। यह आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी पहलुओं के

तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहयोग पहलुओं पर चर्चा को भी शामिल करेगा।

इस सम्मेलन में चर्चा के मुख्य विषय थे -

- उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण पर।
- आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान पर।
- आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों के उपयोग पर।
- आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग पर।

सम्मेलन का मुख्य एजेंडा:

भारत द्वारा कई मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। जैसे-

- साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों पर सार्वभौमिक सहमति का अभाव।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमजोर नियंत्रण और आतंकवादी और चरमपंथी समूहों द्वारा उनका दुरुपयोग।
- डार्क वेब और क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित मुद्दे।
- आतंकवाद के वित्तपोषण की गुमनाम, विकेन्द्रीकृत और अप्राप्य प्रकृति के साथ-साथ क्राउडफंडिंग।
- उभरते आतंकवाद-वित्तपोषण तंत्र के खतरों की पहचान और शमन में प्रभावी बहुपक्षीय और बहु-हितधारक दृष्टिकोणों पर ध्यान।
- आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठनों के फ्रंट स्ट्रक्चर के रूप में दुरुपयोग को रोकना।

जम्मू में आतंकवाद के नाम पर हिन्दूओं की हत्या के संदर्भ में उठाए गए कदम

जम्मू के राजौरी में दो अलग-अलग आतंकवादी घटनाओं में 6 लोगों की लक्षित हत्या की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए 'लश्कर-ए-तैयबा' एवं 'जैस-ए-मोहम्मद' के समर्थित दो संगठनों TRF एवं PAFF को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)- 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में प्रतिबंधित किया गया। साथ ही चार व्यक्तियों को UAPA-1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया

सरकार के प्रयास

- आतंकवाद के विरुद्ध अंतराष्ट्रीय माहौल तैयार करना।
- आतंकी गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों को प्रतिबंधित

करना।

- संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य तैनाती को बढ़ावा देना
- पीड़ितों को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा देना।
- VDGs की स्थापना की दिशा में सक्रिय प्रयास किया जाना।
- J&k में विकास योजना के माध्यम से लोगों की आय सृजित करना तथा निवासियों को मुख्यधारा में लाना। 'उड़ान योजना' (जो एक औद्योगिक पहल है) तथा मिशन यूथ जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना

गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 क्या है: मूल रूप से 1967 में अधिनियमित UAPA को 2004 एवं 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था।

अगस्त 2019 में संसद ने इस अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2019 को मंजूरी दी थी।

UAPA ट्रिब्यूनल: UAPA उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधीन एक न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है। ट्रिब्यूनल के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहां वह अपनी बैठकें करता है। इस प्रकार यह उन राज्यों से संबंधित आरोपों के लिए विभिन्न राज्यों में सुनवाई कर सकता है। पूछताछ करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास 'सिविल प्रक्रिया संहिता- 1908' के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं।

संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध (Relation between Organised Crime & Terrorism)

वर्तमान समय में किसी देश की आंतरिक और वैदेशिक नीतियों में सामरिक के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों में बढ़ते अपराधीकरण, अपराधों के प्रकार और क्षेत्रों में विस्तार के कारण देश और नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता रहता है। अपराधों की बढ़ती संख्या के अलावा, एक अन्य मुद्दा भी उभरता है, जो कि देश व नागरिकों की सुरक्षा के लिए सही नहीं है और वो है विभिन्न अपराधों का एकीकरण और फिर इनका आतंकवाद से जुड़ाव, जिस पर 'संगठित अपराध और आतंकवाद' नामक शीर्षक से चर्चाएँ, वार्ताएँ की जाती हैं और इसे रोकने हेतु नीतियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार का जुड़ाव अपराध की प्रकृति को अत्यधिक खतरनाक बना देता है।

संगठित अपराध (Organised Crime)

संगठित अपराध किसी भी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है यह वर्तमान में एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। संगठित अपराध का समकालीन पैटर्न और विस्तार इतिहास के किसी समय में किए गए अपराध से अधिक जटिल है।

समकालीन प्रौद्योगिकियाँ और उभरती विश्व व्यवस्था राज्य की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सीमाओं के पारम्परिक मानदंडों की प्रभावकारिता को कम करती हैं। संचार और सूचना क्रांति तथा संपर्क परिवहन और लेन-देन के विस्तार की प्रक्रियाओं ने सीमापार पहुँचने की क्षमता में वृद्धि की है। इससे अच्छाई तथा बुराई दोनों के लिए सूचना तथा अवसर के अभूतपूर्व मार्ग खुल गए हैं। विकास के पैटर्न ने भी जनसंख्या विस्फोट, दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा तथा अस्तित्व के लिए संघर्ष के रूप में ढेर सारी समस्याओं में योगदान दिया है। इस विकासात्मक प्रक्रिया के कारण कई नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जैसे-गरीबी, बेरोजगारी, अपराध आदि।

इस संदर्भ में, संगठित अपराध ने अपने आप को दुनिया के सबसे गंभीर और हिंसक अभिव्यक्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया है।

संगठित अपराध का अर्थ

(Meaning of Organised Crime)

यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें 'अपराध' शब्द का तो अर्थ अत्यंत सरल गैर कानूनी कार्य है, परन्तु 'संगठित' शब्द थोड़ा जटिल है, जो व्यापकता, योजना, लक्ष्य आदि को स्वयं में समाहित करता है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व अन्य लाभों के लिए तीन या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल जो गंभीर अपराध करने के लिए कुछ समय से एकजुट होते हैं, संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, परन्तु राष्ट्रीय संगठित अपराध पर **संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन, 2000** के अनुसार इसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है जिसमें कम से कम 4 वर्ष की सजा हो।

साधारण शब्दों में संगठित अपराध बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तथा इनके पीछे अपराधियों का एक बड़ा समूह कार्य करता है। इनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है तथा इनके पास अत्यधिक संसाधन होते हैं।

इंटरपोल के अनुसार "कोई भी उद्यम (Enterprise) या व्यक्तियों का समूह जो ऐसी गतिविधियों को जारी रखने में लगे हुए हैं, जिसकी प्राथमिक गतिविधियाँ ऐसे ग्राहकों से संबंध स्थापित करना है जो अवैध सामान तथा सेवाओं की एक लंबी शृंखला की माँग करते हैं।"

इस प्रकार के संगठन अपहरण, जबरन वसूली, सुरक्षा के लिए पैसे की माँग, अनुबंध हत्या (Contract Killing), जुआ, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध हथियारों का व्यापार आदि गतिविधियों में शामिल रहते हैं।

विभिन्न देशों के अपनी अपराध विरोधी नीतियों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा बनायी गयी संकेत के अनुसार संगठित अपराध के निम्न अंग हैं:-

- **निरंतरता (Continuity)** - ये समूह सदस्यों के व्यक्तिगत जीवनकाल से परे संचालित होते रहते हैं अर्थात् अगर एक या कुछ सदस्यों की मृत्यु हो भी जाए तो भी यह निरंतर चलता रहता है तथा यहाँ नेतृत्व में बदलाव के बावजूद भी यह बना रहता है।
- **संरचना (Structure)** - आपराधिक समूह पदानुक्रम

व्यवस्था में परस्पर निर्भर कार्यालयों का एक समूह है जो एक निश्चित कार्यप्रणाली के प्रति समर्पित रहते हैं। ये ज्यादा या कम संगठित हो सकते हैं तथापि इन्हें पहचाना इस प्रकार से जा सकता है कि ये क्रम शक्ति और अधिकार द्वारा निर्धारित होते हैं।

- **सदस्यता (Membership)** – कोर आपराधिक समूह की सदस्यता प्रतिबंधित या नस्ल, आपराधिक पृष्ठभूमि, साझा हित आदि से निर्धारित होती है। सदस्यता से पहले गहन जांच की जाती है तथा समूह के लिए उपयोगिता तथा वफादारी साबित करनी होती है। सदस्यता के नियमों में गोपनीयता, समूह के लिए कोई कार्य करने की इच्छा तथा समूह की रक्षा करना भी शामिल होता है। बदले में सदस्य आर्थिक लाभ, सम्मान तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं।
- **अपराध (Crime)** – आपराधिक समूह अपने आय के लिए अपराधों पर निर्भर होता है। अतः अपराधिक साजिशें करना इस संगठित अपराध में निहित होता है। कुछ गतिविधियां जैसे- अवैध माल तथा सेवाओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से आय का साधन है, वहीं दूसरी गतिविधियां जैसे- चोरी, धमकी तथा हत्या आदि समूह के आय की क्षमता तथा शक्ति में वृद्धि करते हैं। आपराधिक समूह एक साथ वैध तथा अवैध दोनों तरह की कारोबारी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।
- **हिंसा (Violence)** – समाज में हिंसा अक्सर कोई प्रत्यक्ष कारण के बिना प्रकट होती है। यह शादी, समारोहों जैसे-सामाजिक सम्मेलनों में प्रकट हो सकती है तथा संपत्ति को नुकसान, व्यक्ति पर हमला या अन्य लापरवाह कृत्य जैसे हवा में फायरिंग, भीड़ भरे स्थानों में उच्च गति से ड्राइविंग आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल व्यक्तियों का मकसद डराना और बड़े समुदाय में भय का महौल व्याप्त करना होता है।
- **धमकी (Threat)** – धमकी प्रत्यक्ष और खुली या गुप्त और परोक्ष हो सकती है। इसका प्रयोग किसी अवैध कार्य को करने में सहयोग लेने या किसी वैध कार्य को करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। लोगों को किसी संपत्ति के वैध खरीद बिक्री से दूर रहने के लिए कहा जा सकता है या सरकारी अधिकारियों को धमकी देकर कुछ मदद हासिल की जा सकती है। धमकी का प्रयोग गिरोह के आंतरिक तथा बाहरी मामलों को सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है।
- **लोक विकार (Public Disorder)** – इसमें गिरोह द्वारा

शक्ति का प्रदर्शन शामिल है। प्रतियोगियों के समारोहों में परेशानी खड़े करना, आम लोगों को कानून की कोई परवाह किए बिना परेशान करना जैसे कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं।

- **कुछ व्यापारों पर एकाधिकार (Monopoly on some trade)** – आपराधिक गिरोह बाहुबल के माध्यम से किसी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं जैसे- महत्वपूर्ण रेलवे केन्द्रों में रेलवे के ठेके, औद्योगिक शहरों में मजदूरों के ठेके तथा उच्च व्यापारिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में परिवहन के ठेके।
- **भ्रष्टाचार (Corruption)** – भ्रष्टाचार संगठित अपराध के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह आपराधिक गिरोहों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। प्रवर्तन अधिकारियों को अपने साथ मिलाना संगठित आपराधिक गतिविधियों की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार आपराधिक गिरोहों को बेहद प्रोत्साहित व मजबूत करता है।
- **संरक्षक (Patron)** – ये भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारी, वकील और व्यापारी हैं जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी स्थिति और मिलीभगत के द्वारा कानून के दुरुपयोग या उलंघन करके आपराधिक समूहों की रक्षा करते हैं।

संगठित अपराध के प्रकार

1. पारंपरिक

- ♦ अपहरण
- ♦ डकैती
- ♦ लूट
- ♦ ब्लैक मेल
- ♦ जबरन वसूली
- ♦ अवैध शराब का धंधा

2. आधुनिक

- ♦ हवाला कारोबार
- ♦ मनी लॉन्ड्रिंग
- ♦ साइबर अपराध
- ♦ मानव तस्करी
- ♦ हथियारों एवं पदार्थों की तस्करी
- ♦ अवैध व्यापार

3. सिंडिकेट अपराध

- **सिंडिकेट अपराध (Syndicate Crime)** – इसमें संगठित

अपराधियों द्वारा अवैध वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। अवैध वस्तुओं में मादक दवाएं, शराब इत्यादि हो सकती हैं, जबकि अवैध सेवाओं में कॉल गर्ल्स, जुआ, सट्टा इत्यादि हो सकते हैं।

ये अपराधी हिंसा या धमकी के प्रयोग से बचते हैं जो इन्हें अन्य संगठित अपराधों से अलग करता है।

समाज इन सिंडिकेट के सदस्यों को सम्मानित नागरिकों के रूप में जानता है जो उन आलीशान (Posh) आवासीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जहाँ संचार, परिवहन तथा माल वितरण के बड़े केन्द्र होते हैं।

बड़े सिंडिकेटों के नेता समय-समय पर आपसी हित और चिंताओं पर चर्चा के लिए विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा होते हैं। गिरोहों के आपराधिक ऑपरेशन के दायरे तथा प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकते हैं। सबसे धनी और प्रभावी गिरोह मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में तथा कुछ राज्य की राजधानियों जैसे-पटना, लखनऊ अहमदाबाद, हैदराबाद आदि में हैं।

सभी सिंडिकेट का एक मालिक (Boss) तथा एक उसके नीचे काम करने वाला होता है। मालिक के नीचे का सदस्य बॉस के निर्देशों को नीचे तक पहुँचाता है तथा नीचे की जानकारी, सूचनाएं आदि बॉस को देता है। इसके नीचे बिचौलिए के रूप में कुछ अपराधी होते हैं। इनमें से कुछ कार्यवाही इकाई के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। इसके नीचे के स्तर पर साधारण अपराधी होते हैं और फिर बड़ी संख्या में कर्मचारी तथा एजेंट होते हैं। भारत में भी संगठित अपराध के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, चूंकि इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है अतः ये अधिकांशतः शहरों में सक्रिय होते हैं तथा किसी एक स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली गैंग, लतीफ गैंग (अहमदाबाद), रशीद गैंग (कलकत्ता) आदि। परन्तु वर्तमान समय में यह संगठन अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तथा इसके लिए अन्य अपराधिक संगठनों या आतंकवादियों का सहारा ले रहे हैं। जिसके संदर्भ में डी (D) कम्पनी का उदाहरण लिया जा सकता है।

अतः इस प्रकार शक्ति, धन और समर्थन के कारण ये संगठन विभिन्न प्रकार के अवैध कार्यों/अपराधों को अंजाम देते हैं।

संगठित अपराध का भारत में स्वरूप (Nature of the Organised Crime in India)

- **ड्रग्स का दुरुपयोग और तस्करी/अवैध शराब**

की तस्करी (Misuses of Drugs/Illicit Liquor smuggling)- आपराधिक संगठनों द्वारा ड्रग्स, तस्करी का प्रयोग प्रमुखतः अपने को धन की पूर्ति करने हेतु किया जाता है तथा भारत इस अवैध कार्य के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि एक तरफ तो भारत में अफीम की खेती की जाती है तो दूसरी तरफ भारत की सीमा कई देशों से मिलती है तथा इसकी समुद्री सीमा भी काफी व्यापक है। भारत में ड्रग्स तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत-म्यांमार सीमा और भारत-श्रीलंका सीमा है।

- **तस्करी / अवैध व्यापार (Smuggling Illicit Trade)**- इस प्रकार के व्यापार का कोई रिकार्ड नहीं होता है अतः इससे सरकार को हानि होती है। तस्करी की मात्रा और वस्तु का निर्धारण राज्य की राजकोषीय नीति से होता है, अर्थात् जिस वस्तु पर ज्यादा टैक्स होता है उसी का सामान्यतः अवैध व्यापार होता है। चूंकि भारत की 7 हजार किमी. की तटीय सीमा है तथा भूटान और नेपाल के साथ खुली सीमा है, जिससे उपभोक्ता वस्तु और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की जाती है। तस्करी की जाने वालों वस्तु और मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि सुरक्षा बलों द्वारा जब्त की गई मात्रा, कुल मात्रा का अंश मात्र ही होती है।

- **मनी-लॉन्ड्रिंग और हवाला (Money Laundering/Hawala)**- मनी-लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध कराना ताकि उसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में खुले रूप से किया जा सके। नशीले पदार्थों के व्यापार से प्राप्त मुद्रा, पूरे विश्व में अवैध मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा कर वंचना, विनिमय नियमों का पालन नहीं करना भी अवैध मुद्रा को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त हवाला प्रणाली (अवैध रूप से मुद्रा का लेन-देन) के द्वारा भी इस अवैध धन का प्रयोग विभिन्न अपराधिक कार्यों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सभी योजनाएं गड़बड़ियों के लिए खुली हैं। इसे सबसे अच्छी तरह Value Based Advance License (VABL) Scheme से समझा जा सकता है।

इसमें निर्यात मूल्य के 60% तक विदेशी विनिमय पर कोई आयात शुल्क तथा कोई आयकर नहीं लगता है। इससे हवाला (अवैध धन हस्तांतरण) रैकेट का रास्ता खुल गया। बेइमान निर्यातकों ने फर्जी निर्यात ऑर्डर के बल पर निर्यात लाइसेंस लेना शुरू कर दिया तथा हवाला

चैनलों के माध्यम से विदेशी प्रेषण की व्यवस्था द्वारा भारी लाभ कमाया। एक अनुमान के अनुसार 1999 में 305 बिलियन रुपये का हवाला लेन-देन हुआ। यह व्यापार अंडरवर्ल्ड के लिए अभी भी आकर्षक है।

मुंबई बम विस्फोट के अभियुक्त टाइगर मेनन तथा मूलचंद शाह उर्फ 'चौकसी' ने अपनी अवैध आय को इसी हवाला मार्ग के जरिये ठिकाना लगाया, जिसका प्रयोग इन्होंने अपने बमबारी के कार्यों के वित्तीयन में भी किया। इस संदर्भ में शारदा समूह का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माओवादी, उल्फा और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों, बंगाल में गोरखालैंड आन्दोलनकारियों के चिटफंड से आर्थिक संबंधों का खुलासा होने के कारण अब साफ हो चुका है कि माओवादियों, आतंकवादियों और उग्रवादियों को मदद करने में इन चिटफंड कंपनियों के कारोबार की व्यवस्था सहायक बनती है। अतः यह मामला सिर्फ देश के आर्थिक प्रबंधन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की एकता और अखण्डता के लिए भी चुनौती बन गया है।

- **फिरौती के लिए अपहरण (Kidnapping for Ransom)** - इसका प्रयोग सामान्यतः अपराधिक संगठनों के द्वारा धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अपहरण के पीछे स्थानीय गैंगों से लेकर कभी-कभी बड़े स्तर के माफियाओं का भी हाथ होता है।
- **अवैध प्रवासन (Illegal Migration)** - इसके अंतर्गत इन संगठनों के द्वारा युवा लोगों को विदेशों विशेषकर खाड़ी देशों में अवैध रूप से भेजा जाता है। भारत में आपराधिक संगठनों का यह कार्य काफी बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आ रहा है। चूंकि भारत में जनसंख्या अधिक है तथा रोजगार कम है तथा विदेश जाने की औपचारिकताएं भी अधिक हैं। अतः युवा इन संगठनों या एजेंट्सियों के माध्यम से विदेश जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं।
- **वेश्यावृत्ति या देह व्यापार/मानव तस्करी (Prostitution / Human Trafficking)** - यह अवैध व्यापार में तेजी से लाभ देने वाले व्यापारों में से एक है तथा इस कार्य में अपराधिक संगठनों के साथ अंडरवर्ल्ड (अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माफिया) भी जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें युवा लड़कियों को विभिन्न देशों में भेजा जाता है। भारत में भी

वेश्यावृत्ति की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक कुरीति है पर आर्थिक-मजबूरी तथा लैंगिक असमानता के साथ असंतुलित व्यवस्था को भी दर्शाती है।

- **हथियारों का अवैध व्यापार/तस्करी (Arms Trafficking/Smuggling)** - अपराधिक संगठनों द्वारा, देश में सक्रिय विद्रोही समूहों को हथियार बेचकर भी आर्थिक लाभ कमाया जाता है। कभी-कभी इन संगठनों के संबंध अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से भी होते हैं जो इन्हें अवैध व्यापार के जरिए हथियार उपलब्ध करवाते हैं। रियल स्टेट में भी कई तरह के संगठित अपराध की गुंजायश है तथा इसमें कई तस्कर अपना धन निवेश करना चाहते हैं, परन्तु भारत सरकार की समय-समय पर कराधन की नीति तथा व्यापार सवर्धन नियमों और सभी पेपर डिजिटल करने की कोशिश से सुधार हो रहा तथा इस क्षेत्र में संगठित अपराध की गुंजाइश भी कम हो रही है।

आतंकवाद (Terrorism)

आतंकवाद का तात्पर्य ऐसी हिंसक गतिविधियों से है, जिन्हें अपने राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, सरकार और जनता को भयभीत करने के लिए किया जाता है। भारत में आतंकवाद अपने कई अलग-अलग स्वरूप में है जैसे राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद तथा मादक द्रव्य से संबंधित आतंकवाद। जो क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से लम्बे समय से जुड़े हुए हैं उनमें जम्मू-कश्मीर, मुम्बई, मध्य भारत (नक्सलवाद) और उत्तर-पूर्व के सात राज्य शामिल हैं।

एक आँकड़े के अनुसार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 2019 के बाद कमी आयी है, धारा-370 को हटाने के बाद पहले के अपेक्षा आतंकवादी घटनाओं में 50% की कमी आयी है।

भारत में आतंकवाद निम्न 4 स्वरूपों में देखा जाता है (Terrorism in India is seen in the following four ways)

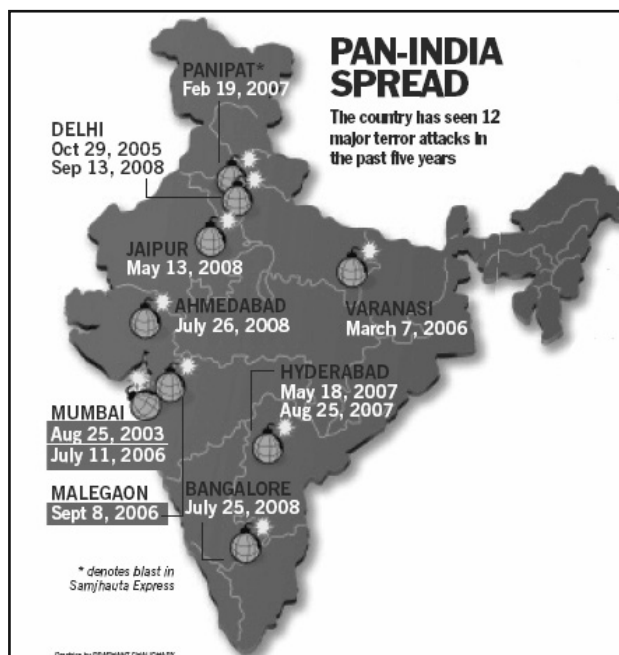
- **राष्ट्रवादी आतंकवाद (Nationalist Terrorism)** - इसमें आतंकवादी भारत के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर, या भारत से पृथक होकर या फिर भारत के पड़ोसी राज्य में, अपने अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें आतंकवादियों द्वारा किसी विशेष प्रजाति/जाति के

लोगों को अन्य के विरुद्ध भड़काया जाता है, ताकि वे स्वयं को दूसरे से पृथक मान सकें। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के कुछ उग्रवादी तमिल प्रजाति के लोग, श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों के लिए आंदोलन करते रहते हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत में कुछ प्रजातीय समूह भी स्वयं को भारत से पृथक करने की माँग करते हैं।

- **धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism)**– इस प्रकार के आतंकवाद का आधार और अनिवार्य तत्व कोई विशिष्ट धर्म होता है, इसमें किसी एक विशिष्ट धर्म के लोगों को, अन्य धर्मों के लोगों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 2008 का मुंबई हमले के पीछे एक पाकिस्तानी धार्मिक समूह का हाथ बताया जाता है।
- **वामपंथी आतंकवाद (Leftist Terrorism)**– इसमें आतंक का केन्द्र बिन्दु आर्थिक विचारधारा होती है। वामपंथी आतंकवाद ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेता है, जहाँ पर मौजूदा सामाजिक और राजनैतिक ढाँचा आर्थिक शोषण का जरिया बना हुआ है। अतः इसी शोषण की समाप्ति के लिए वामपंथी आतंकवाद का जन्म होता है। इस विचारधारा की शुरुआत मार्क्स, लेनिन, हीगल, माओ ने की थी। भारत में झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में माओवादी आन्दोलन, वामपंथी आतंकवाद के ही उदाहरण हैं।

भारत में आतंकवाद का विस्तार (The Spread of Terrorism In India)

एक आँकड़े के अनुसार गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के द्वारा 41 आतंकवादी समूहों को चिह्नित कर प्रतिबंधित कर दिया है। दक्षिण एशियाई देशों को मिलकर लगभग 180 आतंकवादी संगठनों की सूचना भारत को 2018 में मिली थी जिसमें कई संगठन अपना नाम बार-बार बदलते रहे हैं तथा संयुक्त भी होते रहे हैं।



पश्चिम भारत (West India)– मुम्बई ज्यादातर आतंकवादी संगठनों का सबसे पसंदीदा लक्ष्य रहा है, मुख्य रूप से कश्मीर की अलगाववादी ताकतों का, परन्तु यहाँ की कई आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तानी सहयोग की बात भी सामने आती है। पिछले कुछ वर्षों में जिन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है उनमें जुलाई 2006 में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोट और 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में हुए हमले शामिल हैं।

मुम्बई के अलावा पुणे में भी आतंकी घटनाएँ दिखती हैं, उदाहरण के लिए फरवरी 2010 में एक जर्मन बेकरी में हुए बम धमाके में 14 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए।

पश्चिम भारत में आतंकवादी समूहों के द्वारा कई वारदातों को अंजाम देने के पीछे कई कारण हैं जिनमें प्रमुख रूप से इस क्षेत्र का औद्योगिक विस्तार तथा थल, समुद्री सीमा का लगा होना भी है।

उत्तर भारत (North India)– कश्मीर में उग्रवाद विभिन्न रूपों में मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप 1989 के बाद से उग्रवाद और उसके दमन की प्रक्रिया दोनों ही वजहों से हजारों लोग मारे गए हैं। 1987 के एक विवादित चुनाव के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर सशस्त्र उग्रवाद की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य विधान सभा के कुछ तत्वों ने एक आतंकवादी खेमे का गठन किया, जिसने इस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह के भड़काने में एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई। भारत द्वारा पाकिस्तान की इंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा जम्मू और कश्मीर में मुजाहिद्दीन का समर्थन करने और प्रशिक्षण देने के लिए दोषी ठहराया जाता है।

बिहार में आतंकवाद के स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, परन्तु यहाँ पर CPI-ML, पीपुल्स वार, MCC जैसे कुछ सक्रिय समूह हैं और वे अक्सर पुलिस और नेताओं पर हमला करते हैं। राज्य में इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों का मूल कारण विभिन्न जातीय समूह के बीच भारी विषमता है तथा आतंकी समूहों ने इसी विषमता का लाभ उठाकर निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के विरुद्ध हथियारबंद किया। परन्तु वर्तमान समय में इन समूहों का संबंध आतंकवाद से जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं और इस बात का भी संदेह है कि बिहार का इस्तेमाल छोटे हथियार, जाली मुद्रा और नशीले पदार्थों के डीलरों द्वारा नेपाल से प्रवेश के लिए परागमन बिन्दु के तौर पर किया जाता है और आतंकवादी कथित तौर पर नेपाल और बांग्लादेश में घुसपैठ करते रहते हैं।

पश्चिमोत्तर भारत (North-West India)

दिल्ली (Delhi)– पिछले कुछ वर्षों में राजधानी में भी आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 13 दिसम्बर 2001 को संसद पर हुआ हमला था, जिसमें आतंकवादियों ने कमांडों की वर्दी पहनकर संसद परिसर में प्रवेश किया।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)– अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद जुलाई 2005 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों और भारतीय पुलिस में मुठभेड़ हुई। 2006 में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी में आतंकी हमला हुआ।

पूर्वोत्तर भारत (Eastern India)– इन राज्यों में सरकार और इस राज्य के मूल निवासी, आदिवासी और भारत के अन्य भागों से आए प्रवासी लोगों के बीच तनाव होते रहते हैं, तथा इसी तनाव का लाभ उठाकर आतंकवादी इन विद्रोही तत्वों को अपना समर्थन देते हैं तथा हथियार और धन की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। इन क्षेत्रों के विद्रोही संगठन, जैसे ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) NNC-F [नागा नेशनल काउंसिल-फेडरल (नागालैण्ड)] सक्रिय है। चूंकि इन राज्यों की सीमा कई अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है अतः आतंकवादियों को यहाँ तक पहुँच बनाने में आसानी होती है तथा अवैध व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी वारदातों की योजना इधर लगातार बढ़ती जा रही है इसके पीछे कई अलगाववादी संगठनों की भूमिका है जो नागालैण्ड तथा असम के साथ मणिपुर में सक्रिय है। भारत सरकार लगातार इसे कम करने को तत्पर है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता देने की बात कही है जो आतंकवादी या

अलगाववादी वारदातों का सबसे सटीक जबाब है।

दक्षिण भारत (South India)– इस क्षेत्र में आतंकवाद प्रत्यक्षतः तो नहीं दिखता है, परन्तु नक्सलवाद के रूप में इसकी उपस्थिति दिखती है। नक्सलवाद का उदय भी विषमता की पृष्ठभूमि के कारण होता है, जो कि कश्मीरी आतंकवादियों और उल्फा (ULFA) के विपरीत माओवादी आतंकवादी संगठन है और कट्टर साम्यवाद इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। यह मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में सक्रिय है तथा इसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है और यह समूह साम्यवाद के नाम पर भारतीय पुलिस, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य प्रभावशाली संस्थाओं को अपना निशाना बनाता है। वर्तमान समय में इन नक्सलवादियों के संबंध नेपाल के माओवादी और श्रीलंका के लिट्टे (LTTE) के साथ होने का भी संदेह व्यक्त किया जाता है। यद्यपि अब लिट्टे का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में आतंकवाद देश में अलग-अलग तरह से प्रवेश कर रहा है, कहीं पर विद्रोही तत्वों की सहायता के रूप में, तो कहीं पर अवैध व्यापार के रूप में।

संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध (Association of Organised Crime with Terrorism)

हालांकि ये दोनों शब्द अलग-अलग हैं तथा इनके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, लक्ष्य और योजनाएँ भी भिन्न होती हैं। जहाँ एक ओर आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक और वैचारिक होता है, वहीं दूसरी तरफ संगठित अपराध का उद्देश्य आर्थिक होता है। आतंकवाद सरकार विरोधी होती है, परन्तु संगठित अपराध, किसी आर्थिक लाभ या सामाजिक रूप से अपनी गलत पहचान बनाने के लिए किए जाते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में हिंसा और आतंक का डर बैठाना होता है। परन्तु संगठित अपराध में यह व्यापक रूप से न होकर, केवल अपने लक्ष्य तक सीमित होता है।

परन्तु दोनों के मूल में भय और आतंक का समान तथ्य होने के कारण, कभी-कभी ये मिलकर कार्य करते हैं। विकसित राष्ट्रों में जहाँ इस प्रकार के संबंध आंशिक या लगभग 'न' ही मिलते हैं, वहीं विकासशील देशों में 'आतंकवाद, संगठित अपराध के बीच संबंध विभिन्न रूपों में नजर आता है।

वर्तमान समय में कुछ आतंकवादी स्वयं को संगठित अपराधी के रूप में बदल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठित

अपराधी भी आंशिक तौर पर आतंकी तरीकों को अपनाने लगे हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अबू सय्यफ ग्रुप (Abu Sayyaf Group - ASG) के उदाहरण को लिया जा सकता है।

ASG का गठन एक आतंकी संगठन के रूप में फिलीपीन्स में हुआ था, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए फिलीपीन्स से एक अलग राज्य का गठन करना था, परन्तु 1998 में इस समूह ने व्यापक एवं सक्रिय रूप से फिरौती हेतु अपहरण जैसे कार्यों को अपनाया, जिसके फलस्वरूप इस समूह का उद्देश्य राजनैतिक मांग से हटकर आर्थिक लाभ हो गया।

भारत में भी इस प्रकार का उदाहरण दाउद इब्राहिम का लिया जा सकता है, जो कि प्रारम्भ में एक छोटा (ड्रग्स की तस्करी करने वाला) अपराधी था, परन्तु कालान्तर में बाबरी मस्जिद कांड में हिन्दू-मुसलमानों को भड़काने और 1993 के बम धमाकों में इसका हाथ पाया गया।

इन उदाहरणों से यह बात स्पष्टतः सामने आती है कि विचारधारा इस प्रकार के संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जब एक आतंकी संगठन के उद्देश्यों में राजनैतिक या धार्मिक तथ्य गायब होने लगता है तथा उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ और अपने सदस्यों की अधिकाधिक उपभोग वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करना बन जाता है, तभी वह अन्य प्रकार के अपराधों को अपनाते हैं।

इसके अतिरिक्त संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच एक प्रमुख अंतर, सरकार की विरोधात्मक नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया का भी है, क्योंकि जहाँ एक ओर संगठित अपराधी घूस अथवा किसी अन्य माध्यम से सरकार को खुश रखना चाहते हैं, ताकि उनका अस्तित्व यथासंभव सुरक्षित रह सके। दूसरी ओर सरकार द्वारा कठोर नीति अपनाने पर वे या तो स्वयं आतंकी तरीके अपनाते हैं या फिर आतंकी समूहों से संबंध स्थापित करते हैं।

क्रिमिनल नेटवर्क (Criminal Network) के कारण भी संगठित अपराधी और आतंकवादी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बरकरार रखते हुए, अपनी सुरक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते हैं।

अतः संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध की सटीक व्याख्या, संगठित अपराधी द्वारा अपनाए जाने वाले आतंकी तरीकों से की जा सकती है, हालांकि दोनों के द्वारा हिंसा ही की जाती है, परन्तु फिर भी दोनों के द्वारा की जा रही हिंसा की प्रकृति, उसके उद्देश्य और उसकी बारम्बारता (Frequency) में अंतर होता है।

चूंकि सामान्यतः संगठित अपराधियों का मुख्य उद्देश्य

आर्थिक लाभ कमाना होता है। अतः आतंकवादी समूहों द्वारा इन अपराधियों को आर्थिक लाभ प्रदान कर अपने साथ मिला लिया जाता है तथा अपनी गतिविधियों में इनकी सहायता प्राप्त की जाती है। उदाहरण स्वरूप किसी विशेष स्थान पर छुपने में सहायता, देशीय मुद्रा प्राप्ति में सहायता, सूचना एवं तकनीकी संबंधी सहायता इत्यादि। आर्थिक लाभ के अतिरिक्त आतंकवादी समूह इन अपराधियों के अवैध व्यापारों में भी सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि सीमापार तस्करी में सहायता, देह व्यापार में सहायता, अन्य देशों के अपराधिक गिरोहों से सम्पर्क बनाने में सहायता या फिर कभी-कभी अपहरण, फिरौती, हत्या में भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त संगठित अपराधी इन आतंकी समूहों से शस्त्रों के अवैध व्यापार में भी सहयोग प्राप्त करते हैं, चूंकि आतंकवादियों के अन्य देशों के अपराधियों के साथ भी सम्बंध होते हैं। अतः इन्हें उन देशों से हथियार प्राप्त करने में आसानी होती है। तत्पश्चात् इन हथियारों को या तो अन्य देशों में बेचा जाता है या अपने ही देश के विद्रोही तत्वों को बेचा जाता है तथा कभी-कभी इन्हीं हथियारों का प्रयोग आतंकी गतिविधियों को सम्पन्न कराने में होता है जैसा कि अब्दुल लतीफ के संबंध में 1993 के बम्बई बम कांड में हुआ।

इसी प्रकार राजनेताओं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हत्या या अपहरण से इनके दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, एक तरफ तो इन्हे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरी तरफ ये जनता और सरकार में अपना भय पैदा करने में सफल हो पाते हैं।

संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच संबंधों के बढ़ने के मुख्यतः चार कारण हैं-

(There are four reasons to increase relations between organised crime and terrorism)

- **वैश्वीकरण (Globalization)**- वैश्वीकरण का अर्थ जहां एक ओर बेरोक-टोक आवाजाही तथा शुल्कों को घटाना है, वहीं दूसरी ओर इसका अर्थ वैश्विक भ्रमण से भी है। इस वैश्विक भ्रमण का फायदा उठा कर संगठित अपराधी तथा आतंकवादी अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा रहे हैं तथा एक दूसरे से मिलकर अपनी दक्षताओं को भी बढ़ा रहे हैं।
- **शीत युद्ध की समाप्ति (End of Cold War)**- शीत युद्ध समाप्त होने से आतंकवादियों को विभिन्न देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता रूक गई, इस कारण ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

संगठित अपराध की ओर मुड़े तथा किसी संगठित अपराध गिरोह की सहायता ली या खुद इसमें संलिप्त हो गए।

- **आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध (Global War against Terrorism)** - अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिकी नेतृत्व में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गई तथा इनके आर्थिक स्रोतों को सील किया गया या इन्हें रोकने के प्रयास किए गए। इससे आतंकी संगठनों को राज्य प्रायोजित सहायताएं मिलनी भी बंद या कम हो गई और ये संगठित अपराधियों से नजदीकी बनाने लगे।
- **सूचना प्रौद्योगिकी का विकास (Development of Information on Technology)** - इससे आतंकवादी समूह तथा संगठित गिरोहों की पहुंच वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक बन गई। इसके अलावा इसका प्रयोग ये संगठन नई भर्ती, ट्रेनिंग, रेकी तथा एक दूसरे से संचार करने के लिए करते हैं। इसकी रोकथाम बहुत कठिन है, क्योंकि पहचान छुपाने की नई-नई तकनीकें ईजाद होती रहती हैं।

संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंधों को समझने के लिए इन्हें 3 प्रकारों या आयामों में विभाजित किया जा सकता है-

1. **मिलकर कार्य करना (CO-EXISTENCE)**
2. **एक दूसरे का सहयोग करना (CO-OPERATION)**
3. **दोनों का एक दूसरे में समावेशन/ संगम (CONFLUENCE)**

1. मिलकर कार्य करना (CO-EXISTENCE)

इस प्रकार की परिस्थिति में अपराधिक संगठनों और आतंकवादियों के तरीके और कार्य लगभग एक समान होते हैं परन्तु इनके पास स्पष्टतः अपनी भिन्न-भिन्न संस्थाएं होती हैं।

इस प्रकार के संबंधों में ये अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए किसी राज्य में संगठित अपराध, वहाँ की सरकार की शक्ति को कमजोर करता है, वहाँ के नौकरशाही और प्रशासकों में लालच या भयवश भ्रष्टाचार को बढ़ाता है तथा कहीं-कहीं पर मजदूर यूनियन आदि के द्वारा इन्हें जन-समर्थन भी प्राप्त होता है तथा ये स्वयं भी बड़े वैध व्यापारों से जुड़े होते हैं।

अतः इस प्रकार की कमजोर सरकार और तानाशाही प्रवृत्ति वाली परिस्थितियाँ उस राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सरल पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। यहाँ पर आतंकवादी संगठन आर्थिक लालच देकर आसानी से इन अपराधिक

संगठनों को अपने साथ मिला लेते हैं। इस प्रकार मिलकर कार्य करना (Coexistence) सीमावर्ती इलाकों और अशांत इलाकों में ज्यादातर देखने को मिलता है।

उदाहरण के लिए- किसी राज्य में संगठित अपराधी नौकरशाह को अपनी तरफ मिलाकर आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, केरोसीन आदि पर अपना कब्जा कर लेते हैं तथा फिर इसी सरकारी माल को आम जनता में ऊँची कीमत पर बेचकर लाभ कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन राज्यों में आतंकवादी संगठन सरकार विरोधी तत्वों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करते हैं।

2. एक दूसरे को सहयोग करना (CO-OPERATION)

अपराधिक संगठनों और आतंकवादियों में आपसी सहयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि इनके उद्देश्यों में भिन्नता होती है। जहाँ एक तरफ आतंकवादी राजनैतिक तख्तापलट का उद्देश्य लिए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधिक संगठन भी राजनैतिक परिवर्तन की कोशिश करते हैं, जब उनकी गतिविधियों में अड़चने आने लगती हैं, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य अवैध कार्यों से धन कमाना होता है। अतः ये दोनों प्रकार के समूह अपने कार्यों से अन्य समूहों को दूर ही रखते हैं।

परन्तु कभी-कभी इन दोनों समूहों में अल्पकालीन सहयोग दिखाई देता है, जब इन्हें किसी विशेष मकसद को पूरा करना हो या फिर किसी विशेष सेवा की आवश्यकता हो। जैसे कि यदि आतंकवादी संगठन को झूठे वैध कागजात बनवाने हो, संचार सुविधा की आवश्यकता हो या फिर किसी अन्य प्रकार की सूचना की तब ये संगठन उस क्षेत्र विशेष के अपराधिक संगठनों से सम्पर्क करते हैं। इस प्रकार के संबंधों को ग्राहक सेवा प्रदाता संबंध (Customer - Service Provider Relationship) कहा जा सकता है। इन संबंधों में परिवहन और अवैध कर संबंधी तत्व भी जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए तस्करी और अवैध व्यापार में कई बार आतंकवादी संगठन सुरक्षा के बदले 'कर' (Tax) लेते हैं तथा कई मामलों में अपराधिक संगठन आतंकवादियों के रसद और हथियारों के परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।

3. दोनों का एक दूसरे में समावेशन/संगम (Confluence)

इस परिस्थिति में इन दोनों समूहों की अलग-अलग संस्थाएं नहीं रहती हैं, बल्कि ये दोनों एक ही संस्था के लिए कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार के संबंधों में अपराधिक संगठनों के सम्पर्कों का प्रयोग आतंकी नीतियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के संबंधों की सर्वाधिक परिणति नारको आतंकवाद (Narco-terrorism) के रूप में

होती है, जिसके अंतर्गत हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम, आदि नशीले पदार्थों के द्वारा जनता से आर्थिक लाभ प्राप्त करने और सरकार को हानि पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। क्योंकि इस प्रकार के व्यापार के द्वारा आतंकी समूहों को धन की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। विश्लेषकों द्वारा ऐसे संकेत दिए जाते हैं कि कालान्तर में इस धन का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा अन्य अपराधों के लिए किया जाता है। इस प्रकार अंततः एक आतंकवादी व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तथा उसका उद्देश्य भी राजनैतिक परिवर्तन के बजाए आर्थिक लाभ कमाना बन जाता है।

विश्व में स्थिति (World Status)— वर्तमान में यह संबंध लगभग पूरे विश्व में विकसित हो रहे हैं, परन्तु इन संबंधों के आधार एवं उद्देश्यों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है जैसे कि —

पश्चिमी यूरोप में संगठित अपराधी और आतंकवादियों के बीच परमाणु बम हेतु कच्चे माल की तस्करी (रशिया से जर्मनी), शस्त्रों का व्यापार तथा नशीले पदार्थों के लेन-देन पर आधारित संबंध बन रहे हैं।

एशिया में इस प्रकार के संबंधों को मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों के व्यापार में विकसित होते हुए देखा जा सकता है।

भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य सहयोग (Co-operation between organized crime and terrorism in India)

भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य सहयोग/संबंध को निम्नांकित आधार पर अंकित किया जा सकता है:—

- वैचारिक आधार पर (On conceptual basis)
- वित्तीय आधार पर (On Financially basis)
- कार्यात्मक सहयोग (विस्फोट, दंगा, आदि घटनाओं) के आधार पर (Functional support)
- **वैचारिक आधार पर (On conceptual basis)**
 - अपराधी सरगनाओं के पास जब पर्याप्त संसाधन/धन हो जाता है तो वे अपनी क्रियाओं को वैचारिक आधार प्रदान करना चाहते हैं अतः ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। पैसा आने से राजनीतिक सत्ता पाने की इच्छा बढ़ती है क्योंकि राजनीतिक सत्ता आने से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान भी बढ़ता है।
 - अपराधी ज्यादातर कम पढ़े लिखे होते हैं अतः आतंकवादी उनका Brain Wash करके आसानी से अपने साथ जोड़ लेते हैं।

- अपराधी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भी इस प्रकार के विचारों से जुड़ता है।
- आतंकवादियों से ज्यादा संपर्क में आने पर भी अपराधी उनकी विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं।

• **वित्तीय आधार पर (On financial Basis)**

- आतंकवादी समूह कालाबाजारी, तस्करी इत्यादि का प्रयोग अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं और इस कार्य में वे संगठित अपराधियों से सहयोग प्राप्त करते हैं।
- आतंकवादी समूह वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन जैसे मादक द्रव्यों का उत्पादन करते हैं। इन द्रव्यों को बेचने के लिए ये संगठित अपराधियों का सहारा लेते हैं।
- आतंकवादी समूह धन के लिए हथियारों की तस्करी भी करते हैं। संगठित गिरोह इन हथियारों के खरीदार होते हैं। ये संगठित गिरोह इनको हथियार के आपूर्ति का कार्य भी करते हैं।
- संगठित अपराधी का उद्देश्य धन-कमाना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे मादक द्रव्य एवं हथियारों की तस्करी करते हैं और इस कार्य में वे आतंकवादियों की मदद प्राप्त करते हैं।
- आतंकवादियों द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ड्रग्स की खेती एवं तस्करी की जाती है तथा इसके लिए संगठित अपराधियों का सहयोग लिया जाता है।
- आतंकवादियों द्वारा धन प्राप्ति हेतु हथियारों की तस्करी की जाती है और इस कार्य में संगठित अपराधियों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जो किसी देश में काफी गहराई तक होते हैं।
- आतंकवादियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में संगठित अपराधियों का प्रयोग किया जाता है।
- आतंकवादियों द्वारा नकली नोटों की तस्करी में संगठित अपराधियों का सहयोग लिया जाता है तथा संगठित अपराधी भी इस तस्करी में आतंकवादियों से सहयोग लेते हैं।
- आतंकवादियों द्वारा संगठित अपराधियों को वित्तीय मदद भी की जाती है ताकि संगठित अपराधी आतंकवादियों के साथ रहें।
- संगठित अपराधियों द्वारा धन प्राप्ति हेतु हथियारों और ड्रग्स की तस्करी तथा इस कार्य में आतंकवादियों

का सहयोग लिया जाता है।

आतंकवादी समूह तथा संगठित अपराधियों के बीच संबंधों का सबसे बड़ा उदाहरण दाउद इब्राहीम की डी-कंपनी तथा जम्मू-कश्मीर से जुड़े हुए सीमा पार आतंकी संगठनों के बीच के संबंध हैं। इस संबंध में डी-कंपनी तथा 'लश्कर-ए-तैयबा' नामक संगठन के बीच कई कार्य को लेकर हुए संचार के साक्ष्य भारतीय खुफिया एजेंसी को मिले हैं। डी-कंपनी के साथ इन आतंकी संगठनों के संबंध के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी इनके संबंध हैं।

- **कार्यात्मक सहयोग के आधार पर (On the Basis of Functional Support)**

- ♦ आतंकवादियों द्वारा संगठित अपराधियों का बम विस्फोट, दंगा आदि में प्रयोग क्योंकि संगठित अपराधियों की पहचान सार्वजनिक तौर पर नहीं रहती तथा बिना कोई प्राथमिक रिपोर्ट के इनकी खोज तथा पहचान भी नहीं होती तथा इस कारण इन्हें आतंकी वारदात में अधिक प्रयोग किया जाता है।

भारत में देखा गया है कि संगठित अपराधी आतंकवाद की छतरी के नीचे विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, नशीले पदार्थों की तस्करी इत्यादि। भारत में इस प्रकार के संबंधों की शुरुआत 1980 में पंजाब में देखी गई थी तथा वर्तमान समय में यह पूर्वोत्तर भारत में ULFA और NSCN के रूप में विद्यमान है। हालांकि हमेशा यह संबंध एक ही प्रकार के हो यह आवश्यक नहीं है। भारत में कुछ क्षेत्र विशेष में इनमें भिन्नता प्रकट होती है। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में फिरौती इस प्रकार के अपराधियों के लिए धन जुटाने का सबसे प्रमुख जरिया है। इसके अलावा अपहरण भी दहशत फैलाने और धन जुटाने का माध्यम है। साथ ही मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, इत्यादि गतिविधियों को भी अपनाया जाता है।

पूर्वोत्तर के विपरीत जम्मू-कश्मीर में नकली नोटों की जालसाजी धन जुटाने का प्रमुख जरिया है। यहाँ की परिस्थितियाँ पूर्वोत्तर भारत से भिन्न हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संगठित अपराधियों की समानान्तर सरकार नहीं है तथा न ही यहाँ के संसाधन किसी राजद्रोही समूह के हाथों में हैं। अतः यहाँ के विद्रोहियों को धन बाहर से आता है

जैसे कि पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देश जिनमें खाड़ी देश प्रमुख हैं। इस प्रकार की धन प्राप्ति का सबसे चर्चित उदाहरण मार्कर दावा-अल अर्शद (Markar Dawa-al Arshad) का है, जिसके द्वारा कश्मीर में विद्रोहियों को सहायता देने के आरोप लगते हैं। भारत में मुइज्जुद्दीन भी धन प्राप्ति के लिए भारत में अपराधों को बढ़ावा देता है, जिसमें अपहरण, डकैती प्रमुख हैं। जम्मू-कश्मीर में विद्रोहियों को आर्थिक सहायता मनी-लॉन्ड्रिंग के द्वारा भी दी जाती है तथा इस प्रकार की गतिविधियों में भारतीय नेता, व्यापारी, अपराधिक संगठन संलिप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हवाला बाजार भी तेजी से कश्मीर में इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। चूंकि हवाला बाजार गैर-कानूनी रूप से पूंजी का लेन-देन है, अतः इसमें काले धन के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कश्मीर में नोट जालसाजी का मुद्दा विद्रोहियों की मदद के अलावा आतंकवादियों और अपराधिक संगठनों के बीच के संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है, क्योंकि कश्मीर में छपे ये नकली नोट कश्मीर से बाहर पूरे देश में भी भेजे जाते हैं, इसी प्रकार अन्य जगहों पर इन्हें पहुंचाने और प्रसार के लिए इन लोगों को अपराधिक संगठनों की सहायता लेनी पड़ती है।

इस संदर्भ में भारत में आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में लश्कर-ए-तैय्यबा का उदाहरण लिया जा सकता है जो कि पाकिस्तान का इस्लामिक आतंकवादी समूह है जिसका प्रमुख लक्ष्य भारतीय सैनिक, कश्मीर के जन साधारण तथा भारत में आतंकी हमले करवाना है। ऐसा माना जाता है कि मुम्बई हमलों के पीछे इसी समूह का हाथ था। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया में इस्लामिक राज्य स्थापित करना है, जिसमें भारत भी शामिल है।

भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र और कश्मीर के अलावा माओवादी इलाकों में भी इस प्रकार के संबंध सामने आते हैं। माओवादी इलाकों में भी धन जुटाने का प्रमुख जरिया फिरौती है। परन्तु यहाँ पर कभी-कभी बैंकों को भी लूटा जाता है तथा ये अपने इलाकों में जबरदस्ती नशीले पदार्थों की खेती करवाते हैं। भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत एशिया के दो भागों को जोड़ता है तथा भारत की कई सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित नहीं हैं। अतः यहां से अवैध व्यापार आसानी से हो सकता है। उदाहरण के लिए म्यांमार और श्रीलंका।

**संगठित अपराध और आतंकवाद के प्रभाव
(Impact of Organized Crime and Terrorism)**

संगठित अपराध और आतंकवाद के व्यक्ति, समाज और वैश्विक समुदाय पर प्रभावों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- **जान-माल का नुकसान**- इसका सर्वाधिक दृश्य प्रभाव है।
- **व्यक्ति पर शारीरिक और मानसिक आघात** - चूंकि इस प्रकार की हिंसक घटनाओं में कभी-कभी किसी विशेष व्यक्ति या संस्था को लक्षित तो किया जाता है, परन्तु सामान्यतः इनका उद्देश्य सरकार या जनता को भयभीत करना होता है अतः ये ज्यादातर निर्दोष लोगों को ही लक्ष्य बनाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। जिससे सामाजिक और राजनैतिक अस्थिरता का जन्म होता है, क्योंकि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, उगाही, नशीले पदार्थों तथा मानव तस्करी और अन्य संगठित अपराधों से जो धन सृजित होता है, उसका इस्तेमाल बाद में अधिक हथियारों, हिंसक अपराधों तथा आतंकवाद में किया जाता है।
- **भारी आर्थिक क्षति**- जो कि अवैध बाजारों एवं व्यापारों के पनपने से होती है, क्योंकि सामान्यतः अवैध व्यापार उन्हीं वस्तुओं का होता है जिन पर सरकार द्वारा या तो रोक लगी हो या फिर उन पर अधिक टैक्स लगता हो, दूसरी तरफ आतंकवादी और संगठित अपराधियों के आर्थिक संबंधों में काला धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि काले धन का सही आकलन करना संभव नहीं है पर माना जाता है कि दुनिया भर में अपराधिक गतिविधियों तथा मनी लॉन्ड्रिंग वाला धन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2-5% के बीच है।
- **भ्रष्टाचार**- जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि भ्रष्टाचार को संगठित अपराधी अपने फायदे के लिए प्रश्रय देते हैं और इसके लिए लालच या धमकी का सहारा लेते हैं। संगठित अपराध के बढ़ने से तथा कई स्तर पर इसके विभिन्न उपद्रवी संगठनों के साथ संबंध से देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सूचकांकों में अच्छी नहीं कही जाती तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश का आकर्षण भी देश के लिए कमजोर होता है। 2022 ई. के अंतर्राष्ट्रीय अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 76वां है। प्रथम स्थान जहां वेनेजुएला का है वहीं चीन का स्थान 115वां है।

भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद को रोकने हेतु सरकार के प्रयास (Efforts of Government to Prevent Organized Crime and Terrorism in India)

भारत में संगठित अपराध अपने कुछ रूपों में हमेशा से ही विद्यमान रहा है। परन्तु वर्तमान समय में यह अपने सबसे विकराल रूप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जहां एक ओर इसे केवल शहरों तक सीमित होना था, आज यह गाँवों में भी फैल रहा है। भारत में संगठित अपराधों पर समन्वित रूप से कोई एक कानून नहीं है वरन् 'अपराधिक साजिश' के लिए बनाए कानूनों के अनुसार ही, संगठित अपराधों के मामलों को सुलझाया जाता है जिसके लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों को देखा जा सकता है।

• **आपराधिक षड्यंत्र संबंधी प्रावधान (Criminal conspiracy provisions)**

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-A अपराधिक षड्यंत्र को इस प्रकार परिभाषित करती है-

- एक अवैध कार्य, या
- अवैध कार्यों को करने में किसी प्रकार का सहयोग

• **डकैती संबंधित अपराध (Robbery and Related offences)**

डकैती भारत में लूट और प्रताड़ना के पुराने तरीकों में से एक है, जिसे दण्ड संहिता की धारा 391 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

परिभाषा- जब 5 या अधिक व्यक्ति एक साथ लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या फिर इस प्रकार के कार्यों में सहायता देते हैं, तो उसे डकैती या इससे संबंधित अपराध के अंतर्गत रखा जाता है।

इस प्रकार के कार्य के लिए आजीवन कारावास या 10 साल 5 महीने के सश्रम कारावास का प्रावधान है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 400 के अनुसार डकैत गिरोहों की सहायता को भी अपराध के रूप में घोषित करता है। इसके साथ ही फिरौती के लिए अपहरण की बढ़ती घटनाओं के कारण भारतीय संसद ने धारा 364-A को जोड़ा है, ताकि इस प्रकार के अपराधों पर कठोर दण्ड दिए जा सकें।

• **गिरोहों के विरुद्ध कानून (Law Against Gangsters)**

गिरोहों की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है, परन्तु विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में इसके लिए प्रावधान किए हैं।

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ने 1986 में उत्तर प्रदेश अपराधी और विरोधी सामाजिक गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम [Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention Act)] पारित किया। यह कानून संगठित अपराध के काफी बड़े दायरे को कवर करता है, परन्तु यह अन्य देशों में बने कानूनों से भिन्न है, जैसे कि इसमें नोट जालसाजी, चुनाव संबंधित अपराधी गतिविधियों, वैध व्यापार में रुकावट, सांप्रदायिक हिंसा आदि पर भी कार्यवाही के संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के प्रावधान हैं।

उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में MCOCA (Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999) पारित किया गया। जिसका उद्देश्य राज्य में संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। इसके अंतर्गत संगठित अपराध जैसे- अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही सहित ऐसे कोई भी गैर कानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं, शामिल हैं। 2002 में दिल्ली सरकार ने भी इसे अपना लिया है। हाल ही में हरियाणा और तमिलनाडु ने भी संगठित अपराध के विरोध में कानून बनाने का निर्णय किया है।

• अन्य कानून (Other Provisions)

केन्द्र सरकार द्वारा संगठित अपराध पर कोई अलग कानून तो नहीं बनाया गया है परन्तु सरकार द्वारा कई अन्य प्रावधान किए गए हैं जो कि संगठित अपराध के कई पहलुओं से संबंधित हैं, जैसे-

- अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकने में सहायक (Custom Act - 1962)
- मादक पदार्थ अधिनियम-1884 (Psychotropic Substances Act-1884)
- अनैतिक आवागमन (निरोधक) अधिनियम - 1956 अवैध आवागमन, वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को रोकने में सहायक है। (Immoral Traffic (Prevention) Act 1956)
- विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन और हवाला बाजार को रोकने में सहायक (The Foreign Exchange Regulation Act 1973)
- सार्वजनिक जुआ अधिनियम-1867 (Public

Gambling Act -1867)

- राज्यों ने भी उत्पाद, निषेध और जुए जैसे विषयों पर कानून बनाए हैं।

• निवारक निरोध (Preventive Detention)

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 केन्द्र और राज्य सरकार को निवारक निरोध की शक्ति प्रदान करता है। निवारक निरोध एक साल के लिए जारी किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति को भारतीय सुरक्षा और भारत-विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके।

• ड्रग्स तस्करी एवं मानव तस्करी से संबंधित कानून (Law related to Drug Trafficking and Human Trafficking)

नारकोटिक ड्रग्स में आधिकारिक ट्रेफिक की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक पदार्थ अधिनियम-1988 (The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988), यह अधिनियम उन लोगों को रोकने का प्रावधान करता है जो इस प्रकार के पदार्थों की तस्करी में शामिल होते हैं। इस तरह के निरोध 1 साल तथा विशेष परिस्थितियों में 2 साल तक बढ़ाये जा सकते हैं।

मानव तस्करी पर कड़ी सजा और पीड़ित को सुरक्षा व पुनर्वास का प्रावधान करने वाले मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मानव तस्करी मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। इस अपराध से निपटने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं था। इसीलिए मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018 तैयार किया गया है।

प्रमुख मुद्दे

व्यक्तियों का दुर्व्यवहार (निवारण, संरक्षण, पुनर्वास) विधेयक 2018 की विशेषताएँ

- यह विधेयक मानव तस्करी पर लगाम लगाने और पीड़ित को सुरक्षा और पुनर्वास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
- इसमें न्यूनतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- पीड़ित की गोपनीयता बनाये रखने के लिए उसके बयान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है।

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी विरोधी ब्यूरो की तरह काम करेगी।
- यह कानून अपराध से अंतराष्ट्रीय स्तर पर निपटने की भी व्यवस्था करता है।
- इसके अंतर्गत पहली बार पुनर्वास कोष बनाया गया है जिसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक, मनोविज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिए होगा।
- **आतंकवाद निरोध कानून 2002 (POTA)** – आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 2002 में इसे लागू किया गया, इसके अंतर्गत शस्त्रों और विस्फोटकों की सहायता से किए गए प्रत्येक विध्वंस कार्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य को आतंकवाद माना गया, हालांकि 2004 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।
- **आतंकवाद तथा विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम 1987 (TADA)** – इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सक्षम कानून बनाना था। इसके अत्यधिक कठोर प्रावधान और इसके दुरुपयोग के मामले सामने आने पर इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया।
- **गैरकानूनी क्रिया-कलाप (रोकथाम) अधिनियम 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act 1967)** – भारतीय क्षेत्र की एकता और अखण्डता पर सवाल उठाने वाले समूह और गतिविधियों पर कार्यवाही करने हेतु इसे लाया गया था। आलोचकों का मानना है कि इसमें POTA के तत्व मौजूद हैं। परन्तु अनेक समान प्रावधानों के बावजूद यह एक दूसरे से भिन्न है। 2004 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

काउंटर-टेररिज्म कोऑपरेशन एनिशिएटिव समझौता (2010)

भारत और अमेरिका ने 'आतंकवाद रोधी सहयोग शुरूआत' (Counter terrorism Cooperation Initiative-CCI) पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने, संबंधित सूचनाओं के अदान-प्रदान व क्षमता निर्माण में निकट एवं प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन गृह सचिव जी.के. पिल्लई और भारत में अमेरिकी राजदूत ने की थी।

उल्लेखनीय है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग पर सहमति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नवंबर 2009 में अमेरिकी यात्रा के समय बराक ओबामा के साथ बातचीत के बाद बनी थी। समझौते के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:-

- आतंकवादी गतिविधियों की संयुक्त रोकथाम का प्रयास करेंगे।
- दोनों देश बम विस्फोटों की संयुक्त जांच करेंगे।
- दोनों देश बड़े आयोजनों, शहरों एवं पारगमन की संयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे।
- दोनों देश में मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मुद्रा, आतंकवादियों की वित्तीयन पर संयुक्त रूप से निगरानी के क्षेत्र में सहयोग करेंगे।
- सामुद्रिक सुरक्षा, बंदरगाह और सीमा पर चौकसी, साइबर सुरक्षा में सहयोग करेंगे। सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेना और कोस्ट गार्ड के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- मेगासिटी पॉलिसिंग में सहयोग पर समझौता हुआ।

संस्थागत प्रयास (Institutional Efforts)

उपरोक्त कानूनों और प्रावधानों के अतिरिक्त भारत सरकार की कुछ संस्थाएँ भी हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करती हैं।

- **प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)** – यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जो निम्नलिखित विधियों को प्रवर्तित करता है-
 - विदेशी विनिमय प्रवधान अधिनियम, 1999, के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच, मामलों का निपटारा आदि कार्य प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- **इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (I.B.)** – यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसका प्रयोग भारत के अन्दर से खुफिया जानकारीयों इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ खुफिया-विरोध और आतंकवाद विरोधी कार्यों के लिए भी इसका सहयोग लिया जाता है। इस संस्था की कई सफलताएँ हैं, परन्तु चरम गोपनीयता के कारण-इन सफलताओं के आंकड़े कम ही सामने आ पाते हैं। वर्तमान में यह संगठित अपराधों और आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध भी मिश्रित सफलता के साथ कार्य कर रही है।
- **रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) (Research & Analysis Wings)** – 1968 में स्थापित यह भारत की अंतराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना आतंकवाद को रोकना एवं गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना है।
- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation**

Agency)– इसका गठन देश की सुरक्षा, एकता, और अखण्डता को आतंकवादियों से बचाए रखने के लिए किया गया है। चूंकि इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है, अतः अप्रत्यक्षतः यह भारत में आंतरिक रूप से आतंकवाद को समर्थन देने वाले तत्वों पर भी कार्यवाही करती है।

संगठित अपराध से निपटने के लिए किए गए
अन्य उपाय

भारत द्वारा आरंभ की गई पहलें (Indian Initiatives)

- मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों पर विभिन्न निर्णयों और आगे की कार्यवाही के वर्धन के लिए तस्करी-रोधी नोडल प्रकोष्ठ (Anti-Trafficking Nodal Cell) को गृह मंत्रालय द्वारा एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को-
 - उज्ज्वला कार्यक्रम** के माध्यम से निधि प्रदान करता है, जो महिला और बच्चों को विशेष रूप से लैंगिक उद्देश्यों की तस्करी से पीड़ित महिला को आश्रय एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं;
 - स्वाधारा कार्यक्रम** के माध्यम से निधि प्रदान करता है, तो कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं।
- तस्करी पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल और बहरीन इत्यादि देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
- मादक द्रव्यों की तस्करी (Drug Trafficking)**
 - वैधानिक उपाय:** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:NDPS) तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of illicit Trafficking of Narcotics Drug and Psychotropic Substances Act, 1988) को अधिनियम किया है, जिनके माध्यम से देश में मादक द्रव्यों से संबंधित समस्या के विभिन्न पहलुओं का समाधान किया जा रहा है।
 - अंतर्राष्ट्रीय समझौतें:** भारत संयुक्त राष्ट्र के सभी तीन समझौतों, यथा-स्वापक औषधि पर

एकल अभिसमय 1962 (Single Convention on Narcotics Drugs, 1962), मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988 (UN Convention against illicit Trafficking of Narcotics Drugs, Psychotropic Substances, 1988) का हस्ताक्षरकर्ता है। साथ ही, भारत मादक पदार्थों से संबंधित खतरों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC) के नेतृत्व में वैश्विक प्रयासों का समर्थन भी करता है।

- सरकार ने लोक सभा में व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निर्वाण, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक, 2018 (The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation Bill, 2018) पुनः स्थापित किया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जांच एवं पुनर्वास प्राधिकरणों की स्थापना की जाएगी तथा पीड़ितों को छुड़ाने तथा दुर्व्यापार के मामलों की जांच के लिए एंटी-ट्रैफिकिंग या तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
- पुनर्वास समितियां छुड़ाए गए पीड़ितों को देखभाल और पुनर्वास उपलब्ध काएंगी।
- संरक्षण और पुनर्वास:** इस विधेयक के तहत केंद्र या राज्य सरकारों को पीड़ितों हेतु आश्रय, भोजन, परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संरक्षण गृह को स्थापित करना अनिवार्य है।
- पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी-रोधी समितियों की स्थापना की जाएगी।
- विशेष न्यायालय:** यह विधेयक प्रत्येक जिले में विशिष्ट न्यायालय (Designated Courts या अभिहित न्यायालय) की स्थापना का प्रावधान करता है, तो दुर्व्यापार से संबंधित मामलों की सुनवाई को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करेगा।
- हालांकि भारत के पास संगठित अपराध पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, फिर भी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organized Crime Act: MCOCA), 1999 ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों को कुख्यात गैंगस्टर्स एवं आपराधिक

गिरोहों (सिंडिकेट) की गतिविधियों को समाप्त करने में सहायता प्रदान की है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयास

भारत का मानना है कि आतंकवाद और पारदेशीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष सभी मोर्चों पर और निरंतर होना चाहिए, क्योंकि भारत ने पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के साथ ढाई दशक से 'आतंकवाद और अपराधों' को झेला है तथा भारत विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों जैसे अल कायदा, 'लश्कर-ए-तैयबा' जमात-उल-दावा, तालिबानियों के विध्वंसक गतिविधियों का सामना कर रहा है। चूंकि आज आतंकवादी एक देश में भर्ती करते हैं, दूसरे में धन इकट्ठा करते हैं और अन्य देशों में सक्रिय रहते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ असंयमित हमले करते हैं। इसके साथ ही आतंकवादियों का कई राष्ट्रों में होने वाले संगठित अपराध, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी में सुव्यवस्थित 'वास्तविक गठजोड़' है। अतः सभी देशों को एक साथ मिलकर प्रयास करना जरूरी है। इस संदर्भ में भारत के निम्न प्रयास प्रमुख हैं:-

भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहा है। ब्रिक्स, जी-20 तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों में भारत के द्वारा बार-बार आतंकवाद के विरोध में मजबूत आवाज उठाया जाता है। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा बनाने तथा अर्न्तसरकारी आतंकवाद विरोधी संगठन बनाने की मांग करता रहता है।

यह प्रयास भारत एवं पाकिस्तान के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों देशों की सबसे बड़ी समस्या संगठित अपराध और लगातार आतंकी वारदातों का होना है। ये दोनों देश हमेशा इसी मुद्दे पर आमने सामने रहते हैं। भारत ने गुजरात प्रान्त और कुछ अन्य इलाकों में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। अफगानिस्तान में भी भारतीय दूतावास के सामने आत्मघाती हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है।

दूसरी तरफ श्रीलंका भी तमिल ईलम के सशस्त्र और आत्मघाती हमलों से जूझ रहा है, जिसका प्रभाव भी भारत पर पड़ने की आशंका बनी रहती है। अतः समस्या के पूर्ण समाधान हेतु देशों में आपसी सहयोग आवश्यक है।

- भारत ने इस दिशा में अपने निकट पड़ोसी और विवादित

सीमा क्षेत्र वाले देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं जिनमें हाल ही में बांग्लादेश के साथ किया गया समझौता महत्वपूर्ण है जिसके प्रमुख प्रावधान हैं:-

(a) आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता।

(b) सजायाफ्ता कैदियों का स्थानान्तरण।

(c) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मिलकर लड़ना।

- भारत ने थाइलैण्ड के साथ भी इस दिशा में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक के वित्त पोषण करने वालों और सजायाफ्ता कैदियों की अदला-बदली को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए भी एक करार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सहयोग पर यह सहमति आतंकवाद एवं संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और जालसाजी से मुकाबले की साझी प्रतिबद्धता का एक बड़ा संकेत देती है।

अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं और समाज विरोधी समूहों के लिए थाइलैंड लम्बे समय से एक आश्रय स्थल रहा है। भारत दाउद के सहयोगी मुन्ना झिंगाडा का जल्द प्रत्यर्पण चाहता है। मुम्बई पुलिस को उसकी कई मामलों में तलाश है लेकिन वह करीब एक दशक से बैंकाक की जेल में है। उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा कर रहे हैं।

नागा उग्रवादियों के नेताओं का भी थाइलैंड में ही दफ्तर है। असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठन भी अपनी गतिविधियां चलाने के लिए थाइलैंड को सुरक्षित स्थान मानते हैं।

- भारत-अमेरिकी सामरिक वार्ता में, दक्षिण एशिया में आतंकवाद सहित आतंकवाद से उत्पन्न एक समान खतरे को देखते हुए दोनों देशों के नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार, परमाणु आतंकवाद, सीमापारीय अपराध से निपटने तथा संबंधित कानूनों के अनुपालन में आतंकी प्रयोजन के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के प्रयासों पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की प्रक्रिया, वरिष्ठ विशेषज्ञों के निरन्तर आदान-प्रदान का स्वागत किया।

- सितम्बर, 2018 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता में रक्षा के मोर्चे पर कई अहम कदम उठाये गये। अफगानिस्तान में शान्ति स्थापित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई तथा पाकिस्तान पर पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद आतंकी

संगठनों पर कार्यवाही करने के लिए दबाव बनाया गया।

नए साइकोट्रोपिक पदार्थ (New Psychotropic Substance & NPS):
ऐसे नशीले पदार्थ जिनका निर्माण, क्रय-विक्रय और उपयोग संयुक्त राष्ट्र के नशीली दवाओं संबंधी अभिसमय (United Nations Drugs Convention) द्वारा नियंत्रित नहीं किये जाते और लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं NPS की श्रेणी में आते हैं।
NPS को लीगल हाई (Legal high), बाथ सॉल्ट (bath salt) या शोध रसायन भी कहते हैं, जिसे स्पष्ट करने के लिये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने इसे NPS नाम दिया है।

वैश्विक पहलें (Global Initiatives)

- पार देशी संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
 - यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 55/25 द्वारा अंगीकृत किया गया था। यह पारदेशीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय साधन है।
 - यह अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने की दिशा में प्रमुख कदम है। साथ ही, यह सदस्य देशों द्वारा संगठित अपराध के माध्यम से प्रस्तुत की गई समस्या की गंभीरता की स्वीकृति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, यह इन समस्याओं का समाधान करने के संबंध में घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सवर्धन और सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
 - जो देश इस अभिसमय की पुष्टि करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना करने हेतु कई उपायों के प्रवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गतिविधियों को आपराधिक अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध करना (संगठित आपराधिक समूह, धन शोधन, भ्रष्टाचार और न्याय में बाधा उत्पन्न करने में भागीदारी जैसी गतिविधि);
 - प्रत्यर्पण के लिए नवीन एवं विस्तृत संरचना का अंगीकरण करना एवं पारस्परिक रूप से कानूनी

सहायता और कानून प्रवर्तन में सहयोग करना;

- राष्ट्रीय प्राधिकारियों में आवश्यक क्षमता का निर्माण या उन्नयन के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- इस अभिसमय में निहित त्रुटियों का तीन प्रोटोकॉल के माध्यम से निवारण किया गया है, जो संगठित अपराध के विशिष्ट क्षेत्रों और स्वरूपों को लक्षित करते हैं;
 - विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, समाप्त करने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल (The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children);
 - भूमि, समुद्र और वायु के माध्यम से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air);
 - आग्रेयास्त्रों, उनके कलपुर्जों एवं घटकों और विस्फोटक के अवैध विनिर्माण के विरुद्ध प्रोटोकॉल (The Protocol against the illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition)।
- देश इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल के पक्षकार बन सकते हैं, परंतु इससे पूर्व उन्हें स्वयं इस अभिसमय का पक्षकार बनना होगा।

संयुक्त राष्ट्र औषधि नीति संबंधी अभिसमय (United Nations Drugs Convention):
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 अभिसमय अपनाए गए, जो एक साथ मिलकर औषधि नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय कानून की रूपरेखा तैयार करती हैं:
• नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय, 1961 • साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय, 1971 • नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक औषधि की तस्करी के विरुद्ध अभिसमय, 1988
भारत इन तीनों अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट 1985

(Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act 1985):

- NDPS का अधिनियमन वर्ष 1985 में मादक औषधि नीति संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय को पूरा करने के लिये किया गया था।
- इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने तथा रसायनों व औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गए थे।
- वर्ष 2001 में NDPS अधिनियम के सजा संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया।
- इसके तहत 10 से 20 वर्ष का कारावास, आर्थिक दंड और दोहराए गए अपराधों के लिये कुछ मामलों में जुर्माने के साथ मौत की सजा का भी प्रावधान है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम
(United nation's Office on Drugs and Crime & UNODC):

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई।
- यह संयुक्त राष्ट्र के औषधि और अपराध नियंत्रक कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करता है।

बाधाएँ (Barriers)

उपर्युक्त कानूनों तथा सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद संगठित अपराध और आतंकवाद की समाप्ति में हमें आंशिक सफलता ही मिल पाई है। इनकी पूर्णतः समाप्ति में निम्न बाधाएँ सामने आती हैं:-

- **अपर्याप्त कानूनी ढाँचा (Insufficient Legal Framework)**- इस प्रकार के संबंधों पर कोई विशेष या पृथक कानून नहीं है। अपराधी को जिस अपराध के लिए पकड़ा जाता है, मुकदमा उसी के लिए चलाया जाता है।
- **सबूत जुटाने में कठिनाई (Difficulty in collecting evidence)**- इस प्रकार के संबंधों में सबूत बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि इसमें एक तरफ तो आतंकवादी शामिल होते हैं जो कि बहुत ही चालाक व होशियार

होते हैं तथा दूसरी तरफ अपराधिक संगठन होते हैं, जिनके पास धन, सहयोग और अफसरों व नौकरशाही से मेल होता है।

- **ट्रायल और अपराध सिद्धि का निम्न स्तर (Low level of Trial and conviction)**- न्यायालयों में लंबित मुकदमों के ढेर के कारण इस प्रकार के अपराधों में भी दोष सिद्ध होने में काफी समय लग जाता है, जिससे अपराधी किसी तरह अपने बचाव का रास्ता निकाल लेते हैं।
- **संसाधनों और ट्रेनिंग का अभाव (Lack of Resources and Training)**- जहाँ एक ओर आतंकवादी और संगठित अपराधी नई-नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं वहीं दूसरी तरफ हमारी पुलिस व सेना में इस तत्व का अभाव है।
- **आपसी तालमेल का अभाव (Lack of Coordination)**- चूंकि इस प्रकार के संबंधों से अपराध का कार्यक्षेत्र में विस्तार होता है इसीलिए कभी-कभी स्थानीय पुलिस के अलावा सेना या सुरक्षा एजेंसियों की सहायता ली जाती है। परन्तु इनमें तालमेल के अभाव के कारण तुरन्त और सटीक निर्णय नहीं लिए जा पाते हैं।
- **अपराधियों का राजनेताओं और नौकरशाहों से सम्पर्क (Criminal Contact of Politicians and Bureaucrats)**- अपराधियों के देश के भीतर और बाहर अफसरों और एजेंसियों से सम्पर्क होते हैं। यह संबंध सहभागिता पर आधारित होते हैं, जहां एक ओर अपराधियों को सुरक्षा और धन की प्राप्ति होती है वहीं दूसरी तरफ इन्हीं अपराधियों के दम पर कई बार चुनाव जीते जाते हैं, अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों की हत्या करवाई की जाती है।

इसी राजनैतिक सहयोग के कारण इन अपराधियों पर कार्यवाही करना कठिन हो जाता है।

सुझाव (Suggestion)

- **अपराधी कानूनों में सुदृढ़ता लाई जाए (Strengthen Criminal Laws)**- कानूनों के प्रत्येक स्वरूप जैसे कि मौलिक कानून, प्रक्रियात्मक कानूनों और प्रमाण सबूत संबंधी कानूनों में स्पष्टता और सुदृढ़ता लाई जानी चाहिए ताकि कानूनी दाव-पेचों और अस्पष्टता का लाभ उठाकर अपराधी छूट न पाए।

इसके अतिरिक्त प्रमाण जुटाने के साधनों में भी नवीन

तकनीक और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए फॉरेंसिक ऐवीडेन्स (Forensic Evidence) के मामलों में उच्च तकनीक और विशेषज्ञता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त संचार सुविधा और अन्डर कवर एजेंट (Undercover agents) जैसे मामलों में भी कानून के बंधनों को कम करना चाहिए।

- **गवाहों की सुरक्षा (Witness Protection)** - इस प्रकार के अपराधों में कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है क्योंकि या तो उसे लालच देकर खरीद लिया जाता है या फिर सत्ता और शक्ति का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि गवाह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि नागरिक भी इस प्रकार के अपराधों में सरकार की सहायता करने से पीछे नहीं हटें।
- **पुलिस, सेना और एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास करना (Try to Build coordination between police, army and agencies)** - राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के अपराधों के लिए विशेष कानून बनाये जाएं तथा संबंधित संस्था को कार्यवाही के विशेष अधिकार दिये जाएं एवं इसमें राज्यों के सहयोग प्राप्ति को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
राज्यों में छोटे स्तर पर भी संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के निर्देश पुलिस को दिए जाने चाहिए।
सूचना तकनीक का प्रयोग कर एक कॉमन डाटाबेस (Common Database) का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि सूचना का आदान-प्रदान तुरन्त और आसानी से हो सके।
पुलिस और सेना को इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होने चाहिए (Efforts should be made at the International Level)** - मादक पदार्थों की तस्करी के कारण, आतंकवाद एवं अपराध वृत्ति का पोषण बराबर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रश्न बना हुआ है। चूंकि मादक पदार्थों की तस्करी संगठित अपराध से जुड़ी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति के लिए खतरा होना स्वभाविक है, इसी कारण आतंकवाद भी अपनी जड़ें जमाता है तथा हवाला कारोबार, ड्रग माफिया व शस्त्र विक्रेता का उस दुष्चक्र से जुड़ा होना स्थिति को और गंभीर बनाता है।

अतः इस संदर्भ में भारत का मत स्पष्ट एवं व्यवहारिक है कि देशों को मजबूत राजनैतिक संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोड़े अपराधियों के संबंध में देशों को आपस में प्रत्यर्पण की सुविधा देनी चाहिए। इससे इस प्रकार के अपराधों को रोकने के वैश्विक सहभागिता का विकास होगा।

- **राजनैतिक प्रतिबद्धता (Political Commitment)** - देश के नेताओं को राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु इन अपराधियों की सहायता न लेने के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी तथा सरकार को भी इनके रोकथाम हेतु स्पष्ट कानून बनाने होंगे, जिसे प्रत्येक दल (पक्ष/विपक्ष) को अपने प्रान्त में प्रतिबद्धता से लागू करना होगा।
- **मीडिया की भूमिका (Role of Media)** - मीडिया को जनता को जागरूक करने और इनके विरुद्ध जनमत तैयार करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
- अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने आतंकवादी संगठनों और आपराधिक समूहों के लिए अपनी गतिविधियों के साथ मिलकर संचालन करने और अपने संसाधनों को साझा करने हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया है। इसके विपरीत दुर्भाग्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधान तीव्रता से विकसित संगठित अपराध और आतंकवाद का सामना करने में विफल रहे हैं।
- वर्तमान और उभरते हुए खतरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:
- संगठित अपराध से निपटने के लिए बेहतर समन्वय और विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की आवश्यकता है।
 - ♦ भारत में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक समूहों, विदेशों में सक्रिय भारतीय आपराधिक समूहों और राज्यों में सक्रिय प्रमुख आपराधिक समूहों से संबंधित सूचनाओं का एकत्रण करना, विश्लेषण करना, आंकड़ों को अद्यतित एवं उनका दस्तावेजीकरण करना तथा उनके आदान-प्रदान के लिए केंद्रीय एक्सचेंज के रूप में कार्य करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय की स्थापना करना।
 - ♦ नगर पुलिस प्रतिष्ठानों में संगठित अपराध शाखा या विंग की स्थापना करना।

**सीसीआईटी पर यूएई का भारत को समर्थन
(UAE Support on CCIT to India)**

विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत द्वारा प्रस्तावित कंप्रीहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (Comprehensive Convention on International Terrorism, CCIT) को समर्थन दिया है। सीसीआईटी का प्रस्ताव भारत ने आतंकवाद को प्रतिबंधित करने तथा देशों द्वारा आतंकवादी संगठनों को धन न उपलब्ध कराने के लिए 1996 में किया था। इसके लिए यूएई का भारत को समर्थन महत्व रखता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (Organisation of Islamic Cooperation, OIC) के बहुत से देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन देने का फैसला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुला जायेद की वार्ता में लिया था। दोनों पक्षों ने इस वार्ता में इस्लामिक स्टेट के खतरों के विषय में बात की और इस बात पर बल दिया कि सीसीआईटी के द्वारा इस प्रकार के संगठनों को दिए जा रहे वित्तीय सहायता को रोका जा सकता है। इस वार्ता के बाद संयुक्त घोषणा-पत्र में कहा गया कि दोनों पक्ष किसी भी प्रकार के आतंक का विरोध करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगस्त माह में यूएई यात्रा के दौरान भी दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त विरोध दर्ज किया था। दोनों पक्षों के इस कदम को वैश्विक स्तर पर चर्चा मिली थी।

कंप्रीहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) (Comprehensive convention on international Terrorism)

CCIT भारत द्वारा प्रस्तावित समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सभी रूपों को गैरकानूनी घोषित (Criminalize) करता है। इसके साथ ही CCIT आतंकवादियों के वित्त, हथियार, सुरक्षित स्थल आदि तक पहुँच को भी कम करता/रोक लगाता है। यह वर्ष 1996 से संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा के तदर्थ कमेटी के माध्यम से वार्ता के स्तर पर है।

वर्तमान में UN के सदस्य देशों में आतंकवाद की परिभाषा को लेकर मतभेद है अतः CCIT पर वार्ता किसी नतीजा पर नहीं पहुँच पा रही है। हिंसा करने वाला संगठन/व्यक्ति एक देश के लिए आतंकवादी होता है तो दूसरे देश के लिए स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए राजनीतिक संगठन। उदाहरण के लिए पाकिस्तान की सरकार द्वारा कश्मीर के आतंकवादियों को 'कश्मीरी नेता' कहा जाता है।

हालांकि CCIT को लागू करने के बारे में UN महासभा में सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है लेकिन CCIT पर वार्ता तीन अलग-अलग प्रोटोकॉल के उत्पन्न होने एवं लागू होने में सहायक रहा है, जो निम्नलिखित है:—

1. आतंकवादी बमबारी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)

2. आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)
3. परमाणु आतंकवाद के कार्य को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)

समसामयिक तथ्य एवं घटनाएँ

भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2016-17 में 3,50,862 कि.ग्रा. मादक पदार्थ जब्त किया गया जिसमें गांजा, मेथक्वालोन्, एफेड्रिन, हशीश और हेरोईन इत्यादि शामिल थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार इसी वर्ष कुल 25147 मामले दर्ज किये गये हैं। इसके साथ ही मानव तस्करी से संबंधित एंटी ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना की गई है।

इन नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के निम्नलिखित कारण हैं—

- देश में अनेक दर्द निवारक दवाइयों, जैसे-प्रॉक्सीवॉन, ब्यूप्रेनॉर्फिन तथा कोडीन आधारित कफ सिरप आदि का दुरुपयोग होना।
- देश के अंतर्गत अनेक राज्यों द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 जैसे कानूनों का अप्रभवी तथा मंद गति से क्रियान्वयन करना।
- बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसियों (आभासी मुद्राओं) में वृद्धि से तस्करों के लिए वित्तीयन के नये स्रोतों का खुलना।

आतंकवाद से लड़ने के लिए U.N.O और F.A.T.F के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की माँग- 30 अक्टूबर, 2019 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी संगठनों और पारंपरिक संगठित आपराधिक नेटवर्क के गठजोड़ से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्यवाही बल (FATF-Financial Action Task Force) जैसे संगठनों के बीच आपस में सहयोग बढ़ाने की मांग की है। भारत की ओर से यह मांग U.N.O में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'तृतीय समिति' को संबोधित करते हुए की। FATF का गठन 1989 में पेरिस में G-7 सम्मेलन के दौरान किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग की अवधारणा (Concept of Money Laundering)

मनी लॉन्ड्रिंग अवैध ढंग से प्राप्त किए गए पैसे को वैध बनाने का एक तरीका है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि उक्त पैसा वैध साधनों से अर्जित किया गया है। 'मनी लॉन्ड्रिंग' प्रायः विश्व स्तर पर नशीली-दवाओं, हथियारों की तस्करी, आतंकवाद तथा फिरौती आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

“यह संपत्ति रूपान्तरण का तरीका है, जो अवैध तरीके से उपार्जित सम्पत्ति पर पर्दा डालने, छुपाने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने से संबंधित है, जो अपने कार्यों के संदर्भ में सम्भावित न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अपराध या अपराधों में लिप्त है।”

इस प्रकार 'मनी लॉन्ड्रिंग' कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है, बल्कि यह दूसरे अपराधों पर निर्भर होती है। वैधानिक दृष्टिकोण से 'मनी लॉन्ड्रिंग' की परिभाषा तथाकथित उन निषेध अपराधों से जुड़ी होती है जो वस्तुतः उन आपराधिक गतिविधियों से ही उपजते हैं जो 'मनी लॉन्ड्रिंग' की प्रक्रिया को अंजाम देने के क्रम में आवश्यक रूप में किए जाते हैं। कतिपय गतिविधियों को छुपाने अथवा उनका रूप बदल देने मात्र को तब तक 'मनी लॉन्ड्रिंग' से नहीं जोड़ कर देखा जा सकता है, जब तक कि वो किसी आपराधिक गतिविधि के रूप में सामने नहीं आती है। अतः 'मनी लॉन्ड्रिंग' के उद्देश्य से किए गए वैधानिक अपराध के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कानूनी सुनवाई, मुकदमा तथा कार्यवाही पर ही अधिकांश चीजें निर्भर करती हैं।

'मनी लॉन्ड्रिंग' का गहरा सम्बन्ध संगठित अपराध से है। 'मनी लॉन्ड्रिंग' करने वाले अपराधी नशीली दवाओं की तस्करी, अन्तर्राष्ट्रीय जालसाजी, हथियारों की सौदेबाजी इत्यादि से अकूत लाभ कमाते हैं। 'मनी लॉन्ड्रिंग' के लिए नकदी हस्तांतरण व लेन-देन इस प्रकार किया जाता है कि वो पैसे के उद्गम के संदर्भ में एकदम वास्तविक तथा विधिसम्मत लगे। यह स्पष्ट है कि अपराधियों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अन्य गैर कानूनी तरीकों से कमाए

गए विशाल लाभ के सहारे राज्य की संरचना (राजकीय संरचना एवं व्यवस्था) को प्रायः प्रत्येक स्तर पर दूषित एवं भ्रष्ट बनाया जाता है तथा इससे एक संगठित भ्रष्टाचार तथा संस्थानिक भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को बल मिलता है। इसके अलावा, इससे नवीन आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर अन्य क्षेत्रों में भी कमाने की प्रक्रिया को अनवरत रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

'मनी लॉन्ड्रिंग' के जरिए संगठित अपराधी अपने आय के स्रोतों के साथ-साथ अपनी गतिविधियों का भी कई अन्य क्षेत्रों में विस्तार करता है। 'मनी लॉन्ड्रिंग' के सामाजिक खतरों में आपराधिक संगठनों की आर्थिक शक्ति का एकत्रीकरण शामिल है, जिसके द्वारा वे वैध अर्थव्यवस्था में अपनी पैठ बनाने लगते हैं। आपराधिक संगठन आजकल व्यापारिक उद्यमों, वैधानिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के संचालन के साथ-साथ विशेषज्ञता, विकास एवं संवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार तथा अन्य उद्यमों के साथ संबंध स्थापित करने इत्यादि की ओर उद्धत हुए हैं। अवैध स्रोत से उत्पन्न हुई पूँजी के स्वामी आजकल इनके वैध उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई भी उल्लेखनीय मूल्य चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं।

ऐतिहासिक उद्विकास/क्रमिक विकास

न्यायिक अथवा वैधानिक संदर्भ में, इसे सबसे पहले 1982 में अमेरिका में एक केस में देखा और सुना गया था। 'मनी लॉन्ड्रिंग' शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 'लाउन्डोमेट्स' के माफिया स्वामित्व से हुई मानी जाती है। वहाँ के अपराधी संगठन फिरौती, वैश्यावृत्ति, जुआ तथा अवैध शराब के धंधे से विशाल धनराशि अर्जित किया करते थे और इनको अपने पैसे को वैध साबित करने के लिए वैध स्रोतों की आवश्यकता थी, ऐसा करने का एक तरीका बाहर के वैध व्यापारों को खरीद कर उससे होने वाली आमदनी में अपनी अवैध धनराशि को मिलाकर कुल 'आमदनी' को वैध बना देना था। 'लाउन्डोमेट्स' को अपराधी संगठनों ने इसलिए चुना था, क्योंकि वो नकदी व्यवसाय में थे तथा उन पर किसी को शक नहीं होता था।

वैश्वीकरण के इस युग में धन-शोधन एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन व्यापार, विश्व की डिजिटल प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रभाव ने इसे और भी सहायता प्रदान की है जो एक चुनौती है।

धन शोधन से संबंधित चेतावनी पूर्ण आँकड़े

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा किसी अन्य देश में वास्तव में कितनी धनराशि की 'मनी लॉन्ड्रिंग' की गई है, इसका आकलन करना वास्तव में अत्यंत ही कठिन है। 'मनी लॉन्ड्रिंग' वास्तव में एक गुप्त तथा छुपी हुई परिघटना होती है। प्रति वर्ष कितने व्यक्ति 'मनी लॉन्ड्रिंग' में संलिप्त हैं, किस क्षेत्र में कितनी 'मनी लॉन्ड्रिंग' हुई तथा 'मनी लॉन्ड्रिंग' के लिए किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यह अज्ञात ही है। फिर भी, वित्तीय उत्तरदायित्व कार्य बल (FATF) ने 1996 तथा 2000 के बीच लगातार कुछ प्रयास किया, ताकि उपरोक्त का आकलन किया जा सके, परन्तु वह विफल रहा। वास्तव में इस प्रकार का कोई भी आँकड़ा उपलब्ध नहीं है कि वित्तीय व्यवस्था की कितनी धनराशि मनी लॉन्ड्रिंग से गुजरती है।

'मनी लॉन्ड्रिंग' में पैसे की मात्रा तथा इसके प्रारम्भिक प्रभावों को गंभीरता से जानने की दिशा में सबसे पहला गम्भीर प्रयास जॉन-वॉकर (1995) द्वारा किया गया। उनके मॉडल ने बताया कि 2.85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वैश्विक स्तर पर 'मनी लॉन्ड्रिंग' के अन्तर्गत है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक आकलन के अनुसार, विश्व में 'मनी लॉन्ड्रिंग' की कुल रकम विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से 5% के बीच हो सकती है। यद्यपि 'मनी लॉन्ड्रिंग' की राशि का ठीक-ठीक आकलन करना प्रायः असम्भव है, तथापि इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष गम्भीर अपराधों (कर चोरी को छोड़कर) के माध्यम से 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन (UNODC के अनुसार) USD (अमेरिकन डॉलर) की 'मनी लॉन्ड्रिंग' की जाती है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में वैश्विक अथवा स्थानीय स्तर पर अत्यंत ही कम तथा अपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं, तथापि UK तथा USA के कर्मचारियों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 'मनी लॉन्ड्रिंग' हुई, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 2% थी। अन्तर्राष्ट्रीय गणना प्रतिष्ठानों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 40% के बराबर एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलती है, जिसका संबंध 'मनी लॉन्ड्रिंग' से है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (United Nations office on Drugs and Crime-UNODC) की स्थापना 1997 में की गयी थी। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केन्द्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के तहत किया गया था। इस कार्यालय का अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न समझौतों में निहित है, जैसे—

- मादक पदार्थों के बारे में तीन समझौते।
- UN कनवेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम।
- थल, जल और वायु के रास्ते तस्करी के बारे में।
- आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौम समझौते आदि।

इस कार्यालय के द्वारा समुद्री श्रेण में जाकर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर नशीले पदार्थों की खेप पहुँचाने पर भी रोक की कोशिश की जा रही है।

'मनी लॉन्ड्रिंग' की प्रक्रिया (Process of Money Laundering)

'मनी लॉन्ड्रिंग' किसी एक गतिविधि का परिणाम न होकर तीन चरणों में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का परिणाम होती है—

- **स्थापन (Placement)**— स्थापन का तात्पर्य, अवैध गतिविधि से प्राप्त धन को किसी स्थान पर सुरक्षित करने से है। यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, जिसमें अधिकारियों की दृष्टि से अथवा जांच से बचाने के उद्देश्य से उस स्थान से अवैध धनराशि को हटाया जाता है, जहां से प्राप्त की जाती है। ऐसे अपराध से प्राप्त धन को वैध वित्तीय व्यवस्था में विनिवेश किया जाता है। इसके लिए छद्म नामों से बैंक खाते खोले जाते हैं, ऐसे खाते व्यक्तियों या संस्थानों या संगठनों के नाम वाले हो सकते हैं तथा इन्हीं में उक्त धनराशि जमा की जाती है।
- **स्तरीकरण (Layering)**— 'स्तरीकरण' से तात्पर्य, वित्तीय लेन-देन की जटिल परतों के निर्माण के जरिए, अवैध ढंग से अर्जित राशि को उसके उद्गम स्थान से पृथक् करने से है। यह ऑडिट तथा नाम को छुपा देता है। ऐसा सुदूर के बैंकों के बैंक खातों में शेल कम्पनियाँ खरीदने, मूल्यवान वस्तुओं यथा हीरा इत्यादि खरीदने के नाम पर हस्तांतरण करने तथा उन्हें उनके अधिकार क्षेत्रों में पुनः हस्तांतरित करने के रूप में किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों के संदर्भ में 'इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर' (EFT) एक वरदान के

रूप में सामने आया है। बिना ब्याज अथवा कम ब्याज के ऋण, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, मुद्रा विनिमय कार्यालयों, तत्क्षण ऋण (Back to Back Loan), काल्पनिक खरीद बिक्री, ट्रस्ट कार्यालय तथा हाल ही में स्पेशल पर्पज व्हीकल (Special Purpose Vehicle) जैसी तकनीक एवं उपाय 'मनी लॉन्ड्रिंग' के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं।

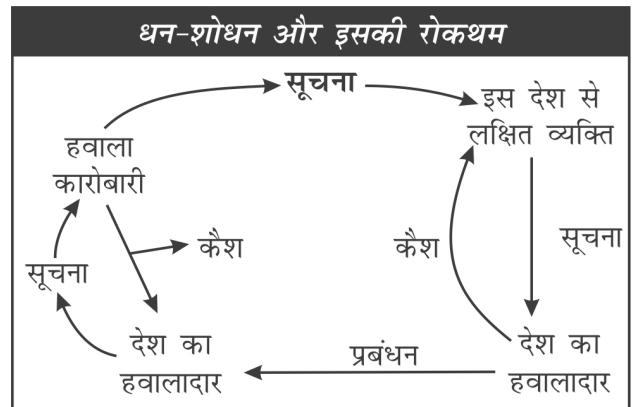
- **एकीकरण (Integration)** - एकीकरण से तात्पर्य, 'मनी लॉन्ड्रिंग' वाली धनराशि, जिसका स्तरीकरण किया जा चुका होता है, उसको अर्थव्यवस्था में इस प्रकार वापस लाने से है, जिससे कि वो वित्तीय व्यवस्था में सामान्य व्यापारिक राशि के रूप में पुनः प्रवेश कर सके। सामान्य तौर पर इसमें शामिल व्यक्ति उन देशों में, जहाँ गोपनीयता की गारंटी होती है, अज्ञात संस्थान खोलते हैं। व्यापार के नए तरीके भी एकीकरण के लिए एक अच्छा आधार उपलब्ध करा रहे हैं। आजकल कोई व्यक्ति एक वेबपेज के जरिए व्यापार प्रारम्भ कर सकता है तथा वेबपेज से प्राप्त 'नाम' को दिखाकर अवैध धनराशि को वैध रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा पूँजी बाजार निवेश, रियल स्टेट, भू-सम्पत्तियों के अधिग्रहण, उद्योग, स्वर्ण बाजार, हीरा बाजार जैसे उदाहरण भी हैं।

'मनी लॉन्ड्रिंग' की कुछ तकनीकें (Some Techniques of Money Laundering)

'मनी लॉन्ड्रिंग' के इन तीनों चरणों में कई तकनीक तथा विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। हालाँकि 'मनी लॉन्ड्रिंग' में उपयोग की जाने वाली तकनीक को सूचीबद्ध करना सम्भव नहीं है, तथापि समझने की दृष्टि से कुछ तकनीकों का वर्णन किया गया है—

- **हवाला (Hawala)** - हवाला एक वैकल्पिक अथवा समानांतर प्रेषण (धन प्रेषण) व्यवस्था है। यह परम्परागत बैंक व्यवस्था अथवा वित्तीय संस्थाओं के बाहर अथवा उसके समानांतर संचालित होता है। पाश्चात्य बैंकिंग व्यवस्था में शुरू करने से पूर्व यह भारत में चालू हुआ था तथा वर्तमान में यह वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक धन प्रेषण प्रणाली के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। हवाला नेटवर्क में धन-राशि भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाती है। इसके लिए, उदाहरण के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के एक व्यक्ति द्वारा, जो वहाँ कोई व्यापार कर रहा

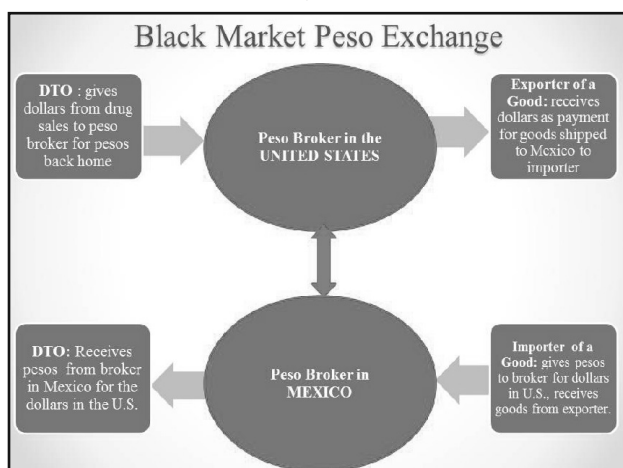
है, भारत में रह रहे अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजना चाहता है, उसके पास दो विकल्प होते हैं या तो वह बैंकिंग व्यवस्था के औपचारिक माध्यम से पैसा भेजे अथवा हवाला व्यवस्था के माध्यम से। हवाला व्यवस्था में कमीशन की मात्रा अथवा प्रतिशत बैंकों की तुलना से कम होता है तथा उसमें बैंक खाता खोलने जैसी औपचारिकता से सम्बन्धित जटिलता भी नहीं होती है। इसके माध्यम से उसके रिश्तेदार को अपेक्षाकृत सस्ते दर से तथा जल्दी ही घर बैठे पैसा पहुँच जाता है।



- **स्मर्फिंग (Smurfing)** - इसे 'जमा की संरचना' (Structuring Deposits) के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बड़ी धन राशि को छोटी-छोटी कई धनराशियों में विभाजित कर उन्हें अपेक्षाकृत कम सदेहास्पद बनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह छोटी राशि 10,000 अमेरिकन डॉलर से कम होनी चाहिए। यह वो राशि है जिसके लेन-देन के बारे में बैंकों को सरकार को सूचित करना पड़ता है। तब यह राशि एक अथवा अधिक बैंक खातों में या तो कई लोगों या किसी एक ही व्यक्ति द्वारा समय-समय पर एक निश्चित अन्तराल अथवा अवधि में जमा कराई जाती है।
- **तृतीय पक्ष चेकर/हुंडी (Third Party Chequer)** - बैंकर्स ड्राफ्ट अथवा काउंटर चेकों का उपयोग करते हुए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन्हें विभिन्न तृतीय पक्ष चेकों (Third Party Cheque) के सहारे स्वच्छ बनाना। तृतीय पक्ष चेक तथा यात्री चेक (Traveller's Cheque) प्रायः अपराधजन्य राशि का उपयोग करते हुए खरीदे जाते हैं। चूँकि कई देशों में ये बिक्री योग्य होते हैं इसलिए राशि के मूल स्रोत से इनके सम्बन्ध को स्थापित करना मुश्किल होता है।
- **क्रेडिट कार्ड या साख-पत्र (Credit Cards)** - विभिन्न बैंकों के काउंटर पर क्रेडिट या चार्ज कार्ड के जरिए पैसों को वैध बनाना तथा इनको अन्तर्राष्ट्रीय

सीमाओं के परे भी उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नकदी वितरण मशीन (Card Dispensing Machines) के वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते हुए सम्पत्ति खरीदने, सेवाओं के भुगतान हेतु तथा प्राप्त वस्तुओं के लिए भुगतान करने हेतु।

- **पेसो ब्रोकर (Peso Broker)** – नशीले पदार्थों का एक तस्कर अवैध अमेरिकी डॉलर को कोलम्बिया में एक 'पेसो ब्रोकर' को दे देता है। उसके बाद पेसो-ब्रोकर उन डॉलर्स के माध्यम से कोलम्बिया के आयातकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान खरीदता है। आयातक सरकार की नजरों से बचे रहते हुए उन वस्तुओं को प्राप्त करता है तथा कोलम्बिया में उन्हें 'पेसो' के लिए बेच देता है तथा प्राप्त पैसे को पुनः वापस 'पेसो' को अदा कर देता है। पेसो ब्रोकर अब उन पैसों को वापस नशीले पदार्थों के उस तस्कर को अपना कमीशन काट कर वापस कर देता है, जो अब स्वच्छ धन बन जाता है।



यह सूची अन्तहीन है तथा कुछ तकनीक ऐसी है, जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो 'मनी लॉन्ड्रिंग' के किसी एक चरण विशेष से ही सम्बन्धित नहीं होती है। 'मनी लॉन्ड्रिंग' में शामिल व्यक्ति किसी गम्भीर शोधकर्ता की भाँति होते हैं तथा कर्मचारी/उनकी शोध रिपोर्टों के पाठक मात्र नजर आते हैं।

'मनी लॉन्ड्रिंग' गतिविधि के कुछ नए क्षेत्र

सरकारी अधिकारी तथा मनी लॉन्ड्रिंग में संदिग्ध व्यक्ति, दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने तथा इससे बचने की प्रथा में लगातार अपने व्यवहारों एवं गतिविधियों को बदलते रहते हैं। नियमों एवं कानूनों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की विधियों में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग हेतु सदैव ही नए रास्तों तथा

उपायों की तलाश करते रहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में वित्तीय खतरों से निपटने के कम साधन होते हैं। फलतः विकासशील अर्थव्यवस्था मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में ज्यादा संवेदनशील होती है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में प्रमुख हैं-

- **बीमा क्षेत्र (Insurance Sector)** – वित्तीय सेवाओं के अन्य रास्तों तथा बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में बीमा अपेक्षाकृत कम उपयोग में लाया गया एक क्षेत्र है। हालांकि बीमा में भी मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का क्रमिक विस्तार अब देखने को मिलने लगा है। बीमा में मनी लॉन्ड्रिंग या तो आन्तरिक अथवा बाह्य प्रकृति का होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आन्तरिक माध्यम में बीमा में धोखाधड़ी, तथा किराया सम्पत्ति योजनाएं (Rented Asset Schemes) इत्यादि शामिल होते हैं। नकली बीमा कम्पनियों, गैर सूचीबद्ध विदेशी इंटरनेट कम्पनियों, फर्जी दुर्घटनाएं (जानबूझकर की गई वाहन दुर्घटनाएं इत्यादि) मनी लॉन्ड्रिंग के बाह्य तरीके हैं।
- **मुक्त प्रतिभूति बाजार (Open Security Market)** – 'मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले परम्परागत रूप से बैंकों को अपना लक्ष्य बनाते रहे हैं, जो नकदी ग्रहण करना स्वीकार करते हैं तथा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय कोष अन्तरणों को सम्भव बनाते हैं। हालांकि प्रतिभूति बाजार जो अपनी तरलता के लिए जाने जाते हैं, को भी उन अपराधियों द्वारा अपना शिकार बनाया जा सकता है, जो अपने आपराधिक धन को छुपाने अथवा उन पर पर्दा डालने के लिए प्रयासरत होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले व्यक्ति किसी भी व्यापार को अपना शिकार बना सकते हैं, जो प्रतिभूति उद्योग से सम्बन्धित होते हैं। ऐसा हेज फंड्स एवं पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसी चीजों के चलते सम्भव हो पाता है, जिनके स्रोत के बारे में प्रायः बहुत कम जानकारी हो पाती है। ऐसी धनराशि को लाउन्ड्रोमेट्स के रूप में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है।

- **साइबर अपराध (Cyber Crime)** – आज के समय में व्यक्तियों को मिली-जुली प्रकृति वाले ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी विशेषताएं एवं गुण भी कई प्रकार के हैं। इस समय पाँच प्रकार के अपराध एक साथ मिल रहे हैं-**कैप्टन रघु रामन** के अनुसार, साइबर अपराध, यथा पहचान की चोरी (Identity theft), ईमेल तक अवैध पहुँच (illegal access to

email) तथा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी (Credit Card fraud) मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी घटनाओं के साथ, एक साथ सामने आ रहे हैं। आजकल बड़ी मात्रा में धनराशि डिजिटल रूपों में जमा की जा रही हैं। अब आप पैसे को इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन माध्यमों (Gateways) के कई खातों में हस्तांतरित (Transfer) कर सकते हैं। इस प्रकार के सम्मिलन (Convergence) के कारण, एक ही साथ कई मुद्दों का सामना करने की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

क्रिप्टोकॉरेसी और धन-शोधन

- क्रिप्टोकॉरेसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित समाधान लागू किए जा सकते हैं:
- वित्तीय संस्थानों में धन-शोधन रोधी (AML) प्रक्रियाओं** को सुदृढ़ किया जा सकता है;
- लेनदेन संबंधी निगरानी बढ़ाई जा सकती है और विनियमों में सुधार किया जा सकता है। अनामिता के स्तर के बावजूद, अपराधियों को कुछ बिंदुओं पर क्रिप्टोकॉरेसी को अधिदिष्ट मुद्रा/वैध मुद्रा (Fiat Money) में परिवर्तित करने के लिए विनियम (एक्सचेंज) करना पड़ता है। ऐसे में इस प्रकार के विनियम की निगरानी (ब्लॉकचेन के भीतर और बाहर) अपराधियों की पहचान को सार्वजनिक करने में मदद कर सकती है।
- तृतीय पक्ष ID प्रदाताओं को राज्य की निगरानी में रखा जा सकता है।
- क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों विशेष रूप से उन्नत डिजिटल एक्सचेंजों और प्राथमिक क्रिप्टोकॉरेसी खरीदने के लिए एक्सचेंजों की पेशकश को विनियमित किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन को एक प्रभावी समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म संभवतः विनियामकों, लेखा परीक्षकों और अन्य हितधारकों को जटिल लेनदेन की निगरानी करने के लिए उपकरणों का एक प्रभावी एवं शक्तिशाली समुच्चय प्रदान करेगा। साथ ही, संपूर्ण प्रणाली में संदिग्ध लेनदेन के लेखा सत्यापन को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करेगा।

अवैध वन्यजीव व्यापार और धन शोधन:

- FATF ने उल्लेख किया है कि धन के प्रवाह की निगरानी करना देशों को सिडिंकेट प्रमुखों और वित्तदाताओं के व्यापक नेटवर्क की पहचान सुनिश्चित करने तथा अपराध की लाभप्रदता को कम करने में सक्षम बनाता है।

- वन्यजीव तस्करी और पशुजन्य रोगों के संभावित प्रसार को रोकने के लिए आपराधिक संगठनों के विरुद्ध उनके वित्तीय प्रवाह के माध्यम से कार्यवाई करना एक महत्वपूर्ण विधिक एवं अन्वेषणात्मक साधन है।
- लुप्त (endangered) प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, वन्यजीवों के अवैध व्यापार संबंधी गतिविधियों को रोकने, उनका पता लगाने और उन्हें बाधित करने तथा, इन अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले धन की निगरानी करने और संबंधित संगठित अपराध गिरोह, अवैध शिकारियों एवं तस्करों की निगरानी करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक-निजी भागीदारी का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर IWT से होने वाली आय 7 से 23 बिलियन डॉलर है। इसलिए, FATF ने सभी सदस्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वन्यजीव व्यापार से संबंधित वित्तीय पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, धन शोधन संबंधी विधियों को वन्यजीव व्यापार पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाली आय धन-शोधन के माध्यम से वैश्विक बाजार में प्रवेश करती है।
- क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों विशेष रूप से उन्नत डिजिटल एक्सचेंजों और प्राथमिक क्रिप्टोकॉरेसी खरीदने के लिए एक्सचेंजों की पेशकश को विनियमित किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन को एक प्रभावी समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म संभवतः विनियामकों, लेखा परीक्षकों और अन्य हितधारकों को जटिल लेनदेन की निगरानी करने के लिए उपकरणों का एक प्रभावी एवं शक्तिशाली समुच्चय प्रदान करेगा। साथ ही, संपूर्ण प्रणाली में संदिग्ध लेनदेन के लेखा सत्यापन को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करेगा।

मनी लॉन्ड्रिंग में वृद्धि तथा नियंत्रण में असमर्थता के कारण

मनी लॉन्ड्रिंग में वृद्धि के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ को निर्मांकित बिन्दुओं के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है। इनको एक आदर्श वित्तीय स्थिति की विशेषताओं (Features of an Ideal Financial heaven) के रूप में भी जाना जाता है-

- अन्य देशों के साथ कर सूचना (Tax information) साझा करने के बारे में कोई समझौता नहीं या बहुत कम समझौता।
- कॉरपोरेट गोपनीयता कानून कतिपय देशों के कॉरपोरेट कानून मनी लॉन्ड्रिंग में संप्लित व्यक्तियों को छद्म कम्पनियों की आड़ में छुपाने में मदद करते हैं।

- उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था।
- सख्त बैंक गोपनीयता कानून।
- वित्तीय सेवा क्षेत्र (Financial Service Sector) में आर्थिक निर्भरता का उच्च स्तर।
- ऐसी विशेष भौगोलिक स्थिति जो पड़ोस के धनी देशों से आने-जाने को सुगम और सहज बनाती है।

मनी लॉन्ड्रिंग के दुष्प्रभाव (Consequences of Money Laundering)

सम्पूर्ण विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के द्वारा कुछ विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत की गई हैं—

1. आतंकवाद का विस्तार (Expansion of Terrorism)

आतंकवाद एक ऐसी बुराई है, जो सबको प्रभावित करती है। पहले भी और आज भी हम आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले आतंकवादी गतिविधियों को देखते आ रहे हैं। ये हमले निश्चित तौर पर पैसे के बिना नहीं किए जा सकते हैं। 'मनी लॉन्ड्रिंग' आतंकवाद के वित्तपोषण (Financing) के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है।

आतंकवादी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में, पर्याप्त अनुकूलनशीलता एवं अवसरवादिता का प्रदर्शन करते हैं। आतंकवादी संगठन धन की व्यवस्था सहायतार्थ संस्थाओं तथा वैध व्यापार के अवैध उपयोग तथा स्व-वित्तपोषण के माध्यम से आते हैं। आतंकवादी धन की व्यवस्था कई प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से भी करते हैं जिनमें निम्न स्तरीय अपराध से लेकर संगठित धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अस्थिर राज्यों में की जाने वाली कतिपय गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। आतंकवादी संगठन के भीतर तथा अन्य संगठनों के साथ पैसे की लेन-देन के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें वित्तीय क्षेत्र, कुरियर के द्वारा नकदी के भौतिक अंतरण (हस्तांतरण) तथा व्यापार व्यवस्था के माध्यम से वस्तुओं के संचालन जैसी विधियाँ प्रमुख हैं। सहायतार्थ तथा अन्य वैकल्पिक धन प्रेषण (remittance) व्यवस्थाएँ भी आतंकवादियों के लिए धन संचार को छुपाने के काम आती हैं।

2. बैंकिंग व्यवस्था को खतरा (Threat to Banking System)

पूरे विश्व में बैंक मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों एवं वित्तीय

अपराधों का प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं, क्योंकि वो कई प्रकार की ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो धन के उद्गम अथवा स्रोत को छुपा देते हैं। अपने आकर्षक व्यवहार के कारण व्यवहार के साथ मनी-लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्ति बैंकों को उनके सुरक्षा स्तर को कम कर देने हेतु मजबूर कर देते हैं, ताकि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। हालांकि रिकॉर्ड रखने, रिपोर्ट करने, खाता खोलने तथा लेन-देन की निगरानी करने से सम्बन्धित मानदंड पूरे विश्व में केन्द्रीय बैंक द्वारा लागू किए जा रहे हैं तथा बैंक के कर्मचारी भी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, ताकि वे संदेहास्पद लेन-देन की पहचान कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में बैंकर का द्वंद इस बात को लेकर बना हुआ है कि वैध व्यापारों एवं बैंकिंग गतिविधियों से अपना ध्यान हटाकर अनियमित एवं संदेहास्पद लेन-देन पर किस प्रकार और कैसे लगाएँ। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग, सामान्यतः इन माध्यम का उपयोग दो चरणों में करते हैं, ताकि धन के उद्गम को छुपाया जा सके। पहला, अवैध बनाए गए धन को वैध बनाने के लिए वित्तीय व्यवस्था में डालना तथा दूसरा, जब एक बार ऐसा धन बैंकिंग व्यवस्था में प्रविष्ट हो जाता है, तब लेन-देन की एक श्रृंखला बनाकर इसे इनके अवैध स्रोत से दूर कर दिया जाता है।

3. आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिरता को खतरा (Threat to Economic and Political Stability)

वैध वित्तीय व्यवस्थाओं एवं राष्ट्रीय खातों में अवैध धन की संलिप्तता के कारण आर्थिक एवं राजनैतिक दायित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक शोध पत्र के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय व्यवहारों तथा वृहत आर्थिक निष्पादनों पर कई प्रकार से प्रभाव डालती है। यह प्रभाव नीतिगत गलतियों, सीमा पार भेजे जाने वाले धन की अप्रत्याशितता तथा अनिश्चित व अनियमित विनिमय दर के रूप में परिलक्षित होती है।

मनी लॉन्ड्रिंग का नियमन : अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में एक वैश्विक परिघटना है। तकनीकी विकास तथा पूँजी की मुक्त प्रवाह की दिशा में निरन्तर कम होते गए अवरोधों के कारण विश्व की वित्तीय व्यवस्था के एकीकरण का एक परिणाम यह भी रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति इस व्यवस्था का उपयोग अपने बुरे धन को छुपाने हेतु भी कर सकते हैं। बुरे एवं आपराधिक तरीके से कमाए गए धन को अब वो राष्ट्रीय न्यायक्षेत्रों में भेज सकने योग्य हो गए हैं। वह

भी इस रूप में कि उनकी परिसम्पत्तियों का पता लगाना तथा उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल हो जाती है। हाल ही में 'ऑपरेशन ग्रीन आइस (Operation Green Ice- 1992) ने आधुनिक मनी लॉन्ड्रिंग की अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति को प्रदर्शित किया है। 1980 के अन्त तक औद्योगिकृत पश्चिमी देशों में से कुछ एक के पास ही एक व्यवस्था बन गई थी। इसके कारण कई सरकारों ने यह बात माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है तथा इसके खतरों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समझौते भी किए गए हैं। आज ऐसे देशों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जो इस संदर्भ में नियमों-कानूनों का निर्माण कर उन्हें लागू कर रहे हैं, परन्तु UNDCP का आकलन है कि लगभग 70% सरकारों के पास अभी भी पर्याप्त एवं प्रभावी कानूनों वाली व्यवस्था नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास 1988 में दो महत्वपूर्ण पहलों के साथ प्रारम्भ किया गया- **बैंकिंग नियमन पर बेसल समिति** (The Basel Committee on Banking Regulations) तथा **पर्यवेक्षणीय गतिविधियों एवं नशीली दवाइयों एवं मादक पदार्थों में अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** (Supervisory Practices and the United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance)

बैंकिंग नियमन तथा पर्यवेक्षणीय गतिविधियों पर बेसल समिति

बेसल कथन (Basel Statement) वस्तुतः बैंकिंग व्यवस्था व आपराधिक उपयोग को रोकने के बारे में है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय मोर्चे पर मनी लॉन्ड्रिंग पर एक सीमा तक नियन्त्रण कर पाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सफलता था। बेसल कथन, मात्र नशीली दवाइयों से सम्बन्धित मनी लॉन्ड्रिंग तक ही स्वयं को सीमित नहीं रख कर बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से की जाने वाली प्रायः प्रत्येक प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग यथा जमा (Deposits), स्थानान्तरण या अन्तरण (Transfer) तथा अवैध एवं आपराधिक ढंग से आर्थिक धन को छुपाने (डकैती, आतंकवाद, धोखाधड़ी, नशीली दवाएँ इत्यादि) जैसे कार्य शामिल करता है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग रोकने के लिए यह चार मूलभूत सिद्धान्तों को उपयोग में लाता है-

- **अपने ग्राहक को जानिए (KYC- Know your Customer)**- यह बैंक को उनके ग्राहकों की सही पहचान जानने के लिए यथोचित प्रयास करने के लिए

कहता है, तथा साथ ही एक नए ग्राहक की सत्यता के बारे में पता लगाने के लिए प्रभावी विधियों को अपनाने के संदर्भ में निर्देशित करता है।

- **कानूनों का अनुपालन (Compliance with Laws)**- नियमों एवं कानूनों के अनुपालन के संदर्भ में बैंक प्रबंधन को उच्चस्तरीय नैतिक मानदंड सुनिश्चित करने चाहिए तथा इस बात के बारे में निरन्तर चौकस रहना चाहिए कि यदि किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियाँ शामिल हों तो उसे किसी प्रकार की सेवाएँ नहीं दी जाएँ।
- कानून प्रवर्तन संस्थानों (Law enforcement Agencies) के साथ सहयोग तथा
- कथन का अनुपालन (Adherence to the Statement) आदि।

नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों में अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र का यह सम्मेलन उन ऐतिहासिक सम्मेलनों में से एक, जिसमें भाग लेने वाले विभिन्न पक्षों ने इस बात को पहचाना और मान्यता प्रदान की कि नशीली दवाओं की तस्करी तथा अन्य सम्बन्धित संगठित अपराधों की साँठ-गाँठ ने वैध अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर किया है तथा उनके स्वामित्व को खतरा उत्पन्न किया है साथ ही साथ राष्ट्रों की स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया है। अवैध तरीके से की जाने वाली नशीली दवाओं की तस्करी एक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक घटना है, जो विशाल मात्रा में फायदा एवं धन प्रदान करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को सरकारी ढाँचों में पैठ बनाने, उनको भ्रष्ट बनाने एवं नुकसान पहुंचाने में मदद करती है, समाज तथा वैध वाणिज्यिक एवं वित्तीय व्यापारों को प्रत्येक स्तर पर नुकसान पहुंचाने का भी कार्य करती है। इस संधि में हस्ताक्षर करने वालों से नशीली दवाओं से प्राप्त धन की लॉन्ड्रिंग को आपराधिक घोषित करने के साथ-साथ इसे पाए जाने पर जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी राष्ट्रों ने इन बात की पुष्टि की है तथा इस बात पर सहमति जताई है कि नशीली दवाओं से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने तथा नशीली दवाओं की तस्करी की पहचान, उनका पता लगाने इत्यादि के लिए व्यापक अपराध कानून के निर्माण की आवश्यकता है। इस सम्मेलन के आधार पर कई राष्ट्रों ने अपने यहाँ राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया है।

बेसल समिति के सिद्धान्त के अलावा वियना कन्वेंशन

तथा वित्तीय कार्य-करण पर टास्क फोर्स संबंधित क्रियाकलापों को भी हाल ही के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास में शामिल किया जा सकता है। जहाँ वियना कन्वेंशन में नशा की तस्करी से प्राप्त धन की वैधता के मामले में स्थानीय सरकार को धोखा देकर भाग जाने या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे वैध करने की कोशिश के विरोध में विभिन्न देशों के बीच अपराधियों के कारण की नीति सुनिश्चित होती है।

उपरोक्त कोशिश के अलावा FATF भी एक जरूरी संगठन है जिसका सदस्य देश भारत है। FATF आतंकवाद से लड़ने उसके धन का पता लगाने तथा विभिन्न आतंकी वित्तपोषण के मामले में जाँच करने तथा उन पर न्यायिक कारवाई करने का अधिकार है।

मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध वैश्विक कार्यक्रम (GPML) (The Global Programme Against Money Laundering)

मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध वैश्विक कार्यक्रम की स्थापना 1997 में नशीली दवाइयों एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा UNODC को दिए गए आदेश के परिणाम स्वरूप हुई। GPML के निर्देश को 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध राजनैतिक घोषणाओं तथा कार्ययोजना के माध्यम से सम्मत बनाया गया। इसने इसका कार्यक्षेत्र नशीली दवाओं के अलावा अन्य सभी गंभीर अपराधों तक विस्तृत कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित अपराधों के बारे में तीन अन्य सम्मेलन भी किए गए हैं—

- आतंकवाद वित्तीयन के दमन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Convention For the Suppression of the financing of Terrorism) - 1999
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Convention Against Transnational Organised Crime) -2000
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Convention Against Corruption) - 2003

वित्तीय कार्यवाई कार्यबल (Financial action task force)

वित्तीय कार्यवाई कार्यबल (FATF) G-7 राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक 'अन्तर्राज्यीय निकाय' (Inter Government) है, जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को रोकने के लिए, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय

नीतियों के विकास एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग पर FATF द्वारा 40 संस्तुतियाँ की गई हैं, जो लॉन्ड्रिंग रोकने के मानकों का अन्तर्राष्ट्रीय आधार भी है। FATF नियमित रूप से अपने संस्थाओं का निगरानी इन चालीस संस्तुतियों के संदर्भ में करता रहता है, ताकि वो उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में बता सके, जिनमें उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में उभरते नए तरीकों एवं विधियों की भी पहचान करता है। तत्पश्चात् उनसे निबटने के उपाय भी सुझाता है। इन विद्यमान 40 संस्तुतियों के अलावा FATF ने आतंकवादियों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में 9 विशिष्ट संस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की हैं।

उपर्युक्त चालीस सिफारिशें वित्तीय व्यवस्था के नियमों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग से निबटने हेतु निरोधात्मक उपायों की एक सम्पूर्ण व्यवस्था प्रदान करती है। ये कार्यवाही के सिद्धान्त की व्यवस्था करते हैं तथा राष्ट्रों को इन बात की अनुमति प्रदान करते हैं कि अपने संवैधानिक ढांचे एवं परिस्थितियों के अनुसार, वो इनमें आवश्यक लचीलापन ला सकें। हालांकि किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से नहीं बंधे होने के बावजूद विश्व में कई राष्ट्रों में इन 40 संस्तुतियों को लागू करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की दिशा में एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का निर्माण अवश्य किया है। इनके साथ ही FATF की संस्तुतियों को संयुक्त राष्ट्र का भी समर्थन प्राप्त है। प्रारम्भ में (1990 में) विकसित ये संस्तुतियाँ 1996 में पहली बार परिभाषित की गयीं। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में आए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में तथा भविष्य के संभावित खतरों का अनुमान लगाते हुए हाल ही में FATF ने 2004 में इन 40 संस्तुतियों की पूर्ण समीक्षा कर इन्हें अद्यतन बनाया है।

लॉन्ड्रिंग, अन्वेषण एवं अधिग्रहण पर यूरोपीय परिषद् का सम्मेलन

'स्ट्रासबर्ग सम्मेलन (Strasbourg Convention)' के रूप में प्रसिद्ध यह सम्मेलन नशीली दवाइयों की तस्करी के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आपराधिकता के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहमति बनाने हेतु आयोजित किया गया था। इसके अलावा 'मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से वित्तीय व्यवस्था के उपयोग को रोकने हेतु यूरोपीय कमीशन (EC) की निर्देशिका-1991 एक निर्धारित तिथि तक सदस्य राष्ट्रों द्वारा लागू कर दिए जाने के संदर्भ में अनिवार्य बल पर एक कानूनी विनियमन है। इस स्थिति से

निपटने हेतु यूरोपियन यूनियन के अन्य प्रयासों में आतंकवाद से निपटने के लिए सामान्य स्थिति वाली एक परिषद् भी है। इसके अलावा वारसा सम्मेलन मनी लॉन्ड्रिंग पर यूरोप सम्मेलन की परिषद् तथा खोज, जब्ती एवं अधिग्रहण, आतंकवाद के वित्त पोषण तथा अपराध के अर्जित धन के बारे में निर्देशिका 2005 भी मौजूद है। इसके अलावा वियना सम्मेलन तथा G-20 सम्मेलन भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग निरोध के विरुद्ध अन्य संगठन तथा पहल

मनी लॉन्ड्रिंग कई दिशाओं में फैलती हुई जटिल परिघटना है, जिसमें एक एकीकृत एवं अन्तर्विषयक ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पूरे विश्व में कई ऐसे संगठन हैं, जो परस्पर समन्वयात्मक ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संगठन के बारे में नीचे बिंदुवार ढंग से चर्चा की गई है-

अन्तर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सूचना नेटवर्क

The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) एक इंटरनेट आधारित नेटवर्क है, जो सरकारों, संगठनों एवं व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद के वित्त पोषण से लड़ने में सहायता करता है। IMoLIN की स्थापना विश्व के अग्रिम मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी संगठनों के आपसी सहयोग द्वारा की गयी है। यह मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय डाटाबेस (AMLID) के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय डाटाबेस से सुसज्जित है, जो न्यायक्षेत्र विशेष के अन्तर्गत आने वाले मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानूनों का विश्लेषण करता है। यह उन व्यक्तियों के लिए एक उपकरण की भांति कार्य करता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रयासों में सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं। UNODC द्वारा 27 फरवरी 2006 को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अन्तर्राष्ट्रीय डाटाबेस [AMLID] के कानूनी विश्लेषण का द्वितीय चक्र शुरू किया गया। IMoLIN के 12 सहभागी संगठन, चार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं 5 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इनके वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहे हैं।

वोल्फ्सबर्ग AML सिद्धान्त (Wolfsberg AML Principle)

यह मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार एवं अन्य सम्बन्धित गम्भीर अपराधों के विरुद्ध संघर्ष के संदर्भ में ग्यारह सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। बर्लिन आधारित एक स्वयंसेवी संगठन

‘ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल (TI)’, स्टैनली मॉरिस एवं प्रो. मार्क पीक की विशेषज्ञ सहभागिता एवं 11 अन्तर्राष्ट्रीय निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक महत्वपूर्ण वैश्विक दिशा-निर्देशों के साथ सामने आया है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय निजी बैंकिंग में व्यापार कार्य भलीभांति हो सके। इन सिद्धान्तों की महत्ता इस बात में है कि ये निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहलों एवं प्रयासों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। सामान्य तौर पर अब तब ऐसे अधिकांश प्रयास, सरकारों एवं उनकी नियामक एवं कानून प्रवर्तनकारी अभिकरणों के नेतृत्व में संचालित किए जाते रहे हैं। वोल्फ्सबर्ग सिद्धान्त निजी क्षेत्र के बैंकों एवं उनके ग्राहकों के सम्बन्धों की स्थापना एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में वह तमाम कार्यप्रणालियों का एक अनिवार्य समूह है।

वित्तीय खुफिया इकाईयों का एगमॉन्ट समूह

एगमॉन्ट समूह ‘अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाईयों की एक समन्वयक संस्था के रूप में 1995 में निर्मित हुआ, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण एवं मनी लॉन्ड्रिंग निरोध हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना एवं उनमें वृद्धि करना था। पूरे विश्व की 108 वित्तीय खुफिया इकाईयाँ एगमॉन्ट समूह में शामिल हैं। वित्तीय खुफिया इकाईयाँ धन की पहचान करने तथा मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने हेतु उत्तरदायी होती हैं। एगमॉन्ट समूह (Egmont Group) में भाग लेने वाली वित्तीय खुफिया इकाईयों को FIUs (Financial Intelligence Units) के विकास हेतु अपनी प्रतिबद्धता तथा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने एवं आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में सहयोग (आपसी एवं इकाईयों के बीच भी) की पुष्टि करनी होती है।

मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-प्रशांत समूह

मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-प्रशांत समूह 38 सदस्य राष्ट्रों तथा कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षणों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक भी शामिल हैं, वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। यह FATF से निकटता से सम्बद्ध है तथा यह OECD मुख्यालय, पेरिस, फ्रांस में अवस्थित है। सभी APG सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक एवं आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध FATF के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, जो 40 + 9 संस्तुतियों के रूप में निर्दिष्ट हैं, के प्रभावपूर्ण ढंग से अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हैं। इन प्रतिबद्धता के एक भाग में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ‘1267 समेकित सूची’ (1267 consolidated List) में सूचीबद्ध आतंकवादियों

के विरुद्ध कार्यवाहियों के अनुपालन से सम्बन्धित है। APG का मुख्य लाभ APG सदस्यों के वैश्विक AML/CFT मानकों के अनुपालन को पारस्परिक मूल्यांकनों के द्वारा आकलित करना, दाता संस्थाओं (donor Agency) एवं APG न्याय क्षेत्रों के साथ तकनीक सहायता एवं प्रशिक्षण का समन्वय करना है, ताकि AML/CFT के मानकों का अनुपालन किया जा सके, अन्तर्राष्ट्रीय AML/CFT नेटवर्क से सहयोग करना, मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद वित्तपोषण विधियों, रुझानों, जोखिमों/खतरों एवं भेद्यता इत्यादि के क्षेत्र में शोध-अनुसंधान करना है। उपरोक्त से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निबटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने कतिपय प्रयत्नों को कितने उत्साहपूर्वक लिया है। जैसे-जैसे वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाएं अधिकाधिक परस्पर सम्बन्धित होती जा रही हैं वैसे-वैसे नशीली दवाइयों की तस्करी, वित्तीय जालसाजी, अन्य गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय अपराध एवं ऐसे अपराधों से उत्पन्न लॉन्ड्रिंग इत्यादि के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते दुष्प्रभावों से निबटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखना आवश्यक हो गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियन्त्रणों को विकसित एवं लागू करने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत, ग्राहकों की निजता को अधिकतम स्तर तक बनाए रखते हुए सरकारें संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन का पता लगाने एवं जाँच करने हेतु वित्तीय रिकार्ड्स तक अपनी पहुँच बना सकें तथा साथ ही बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी अव्यवहारिक एवं जटिल नियमों के बोझ से बच सकें।

एक तरफ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, ट्रांस गवर्नमेंट समूह, वित्तीय, नियामक एवं न्यायक्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्मित मनी लॉन्ड्रिंग एवं अन्य अपराधों से लड़ने के लिए सूचनाओं एवं विशेषज्ञता को साझा करने के लिए कई उपायों का सहारा ले रहा है, जबकि दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तथा इसके विरुद्ध लड़ाई, दोनों ही तुलनात्मक रूप में नवीन परिघटनाएँ हैं, और इस संदर्भ में, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु किये गये प्रयास

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को दो परिप्रेक्ष्यों में देखे जाने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा देश के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग। जहाँ तक सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग की बात है ऐतिहासिक रूप से भारत के सख्त विदेशी

विनियम कानून तथा रिपोर्टिंग के मानदण्डों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने में वृहद स्तर पर अपना योगदान दिया है। हालाँकि अनौपचारिक लेन-देन यथा हवाला जैसे खतरे भी विद्यमान रहे हैं।

भारतीय पर्यवेक्षकों के अनुसार, हवाला बाजार के माध्यम से स्थानान्तरित धन औपचारिक बाजार का 30 से 40 प्रतिशत के बीच है। भारत के केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का आकलन है कि 2006-07 के मध्य एवं औपचारिक माध्यमों से भारत को भेजा गया धन 28.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। उत्तरी अमेरिका एवं मध्य पूर्व में भारतीय कामगारों की बड़ी संख्या होने के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, जहाँ विदेशों से धन आता है, इसके बाद चीन और मैक्सिको का स्थान आता है।

भारत में **मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002** (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के लागू होने से पूर्व इस प्रश्न से निबटने के लिए अद्योलिखित कानून थे—

- विदेशी विनियम संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निरोधक अधिनियम, 1974
- आयकर अधिनियम, 1961
- बेनामी लेन देन (निरोधक) अधिनियम, 1988
- भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code-IPC) एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure-CRPC-1973)
- मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थ अधिनियम, 1985
- नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी निरोधक अधिनियम, 1988

कालाधन और कर अधिनियम 2015

- बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015
- वित्तीय खुफ़ीया इकाई

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ

उपरोक्त अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम तथा मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अथवा इसके द्वारा कमाए गए धन को जब्त करने के लिए प्रभाव में लाया गया था। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश में प्रभावी है। इस अधिनियम में 10 अध्याय, 75 धाराएँ तथा 01 अनुसूची हैं।

- **मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एवं दण्ड**— मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से तात्पर्य, अवैध धन (अपराध से अर्जित

धन) को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ बनाने अथवा ऐसे कार्यों में जानबूझ कर अथवा अनजाने में उस व्यक्ति/दल को, जो ऐसी गतिविधि में संलिप्त हैं, का सहयोग करने से है। ऊपर वर्णित अपराध द्वारा अर्जित धन सम्पत्ति में सामान्य अपराध तथा अनुसूचित अपराध भी सम्मिलित है। सामान्य अपराध के माध्यम से प्राप्त किए गए धन जैसे अपराध के लिए 3-4 वर्ष तक के सख्त कारावास तथा 5 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। हालांकि अपराध जन्य धन, जो मनी लॉन्ड्रिंग में भी प्रयुक्त है तथा जो अनुसूची के भाग 'अ' के अनुच्छेद 2 में वर्णित किसी भी अपराध से सम्बन्धित है, के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

- **मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल सम्पत्ति की कुर्की/जब्ती**— यदि निदेशक के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि किसी सम्पत्ति विशेष का मालिक मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है अथवा वह ऐसी सम्पत्तियों का कारोबार कर रहा है तो उसे वैसी सम्पत्ति की कुर्की/जब्ती करने का अधिकार है। जहाँ तक NDPS (Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act 1985, NDPS) अधिनियम के अनुसार परिभाषित अपराधों का प्रश्न है, निदेशक को नशीली दवाइयों से सम्बन्धित मामले जैसे ही पुलिस द्वारा उसको भेजे जाते हैं अथवा कोई शिकायत निवारण हेतु न्यायालय के समक्ष दर्ज कराई जाती है वैसे ही उनकी कुर्की/जब्ती करने के अधिकार से लैस हो जाता है। हालांकि कुछ अन्य मामलों में कुर्की/जब्ती के सन्दर्भ में कुछ सुरक्षा प्रावधानों की भी व्यवस्था है कि कुर्की/जब्ती तभी की जा सकेगी, जब आपराधिक कानूनी व्यवहार संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत जाँच पूरी कर ली जाए। प्रस्तावित बिल के अन्तर्गत यह अन्तर हटाया जा चुका है तथा अब ऐसे सुरक्षा प्रावधान सभी अनुसूचित अपराधों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, निदेशक द्वारा की जाने वाली कुर्की/जब्ती अनन्तिम (Provisional) प्रवृत्ति की है, 90 दिवस अवधि के लिए तथा PMC - 02 की धारा 8 के अन्तर्गत निर्णय प्राधिकार द्वारा इसकी पुष्टि होनी आवश्यक है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

- **निर्णय प्राधिकार**— इस अधिनियम के अन्तर्गत, सम्पत्ति की कुर्की एवं जब्ती से सम्बन्धित मामलों की देख-रेख करने तथा उनके निष्पादन के लिए तीन सदस्यों वाले

एक निर्णय प्राधिकार की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम के अन्तर्गत सूचना अथवा शिकायत की प्राप्ति के पश्चात् निर्णय प्राधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस यह जानने के लिए जारी करता है कि उक्त सम्पत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में क्यों नहीं घोषित की जा रही है।

- **प्रशासक**— भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के बराबर का एक अधिकारी कुर्की एवं जब्ती के अध्याय के अन्तर्गत अधिग्रहित सम्पत्तियों के प्रबंधन के सन्दर्भ में प्रशासक की भूमिका निभाता है।
- **अपील अधिकरण/प्राधिकरण**— इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमन प्राधिकार के आदेशों के विरुद्ध की गयी अपीलों की सुनवाई हेतु है। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष (वो व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है) तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। प्रस्तावित बिल के अनुसार, प्राधिकरण के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही हटाया जा सकता है। विशेष न्यायालय की अवधारणा पर समीक्षा की जा रही है।
- **अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण**— अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राधिकरणों की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है—
 - ♦ निदेशक या अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक,
 - ♦ उप-निदेशक,
 - ♦ सहायक निदेशक, तथा
 - ♦ नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी की कोई अन्य श्रेणी आदि।

इसके अलावा यह अधिनियम अधिकारियों यथा सीमा शुल्क अधिकारी, पुलिस अधिकारी, रिजर्व बैंक के अधिकारी इत्यादि, जिनकी आवश्यकता इस अधिनियम के क्रियान्वयन में प्राधिकरण की त्वरित सहायता हेतु होती है, की एक सूची का भी उल्लेख करता है। प्रवर्तन सामग्री (अधिकरण) को अधिनियम के अन्तर्गत, कर्तव्यों के निर्वहन के सन्दर्भ में व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। अधिनियम के उद्देश्यों के सन्दर्भ में न्याय प्राधिकरण में दीवानी अदालत व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ न्यायिक प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code), 1908 के अन्तर्गत निहित की गयी है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय को वैसे व्यक्ति की खोज, वैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, सम्पत्ति के प्राधिकरण

का अधिकार है तथा इसके पास व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ धारा 13 के अनुसार हैं, ताकि वो उन लोगों या इकाईयों पर जुर्माना लगा सके, जो संतोषपूर्ण उत्तर देने में असफल रहे हैं। हालांकि अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरणों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी है, साथ ही अन्यायपूर्ण निर्णय अनुसंधानों के सन्दर्भ में दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण निर्णयों के सन्दर्भ में दो वर्ष तक की कैद अथवा 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

हाल ही के परीना स्वरूप बनाम भारत संघ (Union of India) के एक केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय PMLA-2002 के अन्तर्गत में न्याय प्राधिकरणों तथा अपील अधिकरण/प्राधिकरण की संवैधानिकता के मुद्दे पर एक विस्तृत सुनवाई की है। दायर जनहित याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम, 2002 की कुछ धाराएँ संविधान के प्रावधानों तथा न्यायपालिका के अधिकारों का उल्लंघन करती है, इसलिए इन्हें अवैध घोषित किया जाए। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों में दम पाया और माना कि “यह आवश्यक है कि न्यायालय एक ऐसी रेखा खींचे, जिसे कार्यकारी अपने दिग्भ्रमित हितों के प्रभाव में भलीभाँति निर्मित न्यायालयों द्वारा उपयोग में आ जाने वाले प्रकार्यों एवं शक्तियों पर अधिकार करने के सन्दर्भ में पार नहीं कर पाए। न्यायाधिकरणों के लिए नया रास्ता बनाने के क्रम में यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि वो न्यायिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता एवं कार्यकारी शक्ति के विभाजन की मूलभूत संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं करें। उपरोक्त बिन्दुओं को धन-शोधन निवारण संशोधन अधिनियम में महत्व दिया गया।

- **कतिपय संस्थाओं की रिपोर्टिंग सम्बन्धी आवश्यकताएँ**— प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्था एवं मध्यस्थ को एक रिकॉर्ड रखना तथा सूचनाओं को समेकित रखने की आवश्यकता होती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो समय के अनुसार निदेशक के साथ साझा कर सके (सभी उल्लिखित लेन देन के ब्यौरे के साथ), चाहे उनमें एक महीने में मात्र एक लेन देन हुआ हो अथवा लेन-देने की एक विस्तृत श्रृंखला हो (एक महीने के अन्तर्गत)।

ऐसे रिकॉर्ड ग्राहकों एवं बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान या अध्यक्ष जैसा भी मामला हो, के बीच प्रथम लेन-देन से 10 वर्ष तक बनाए रखे जाने की

आवश्यकता होती है।

- **सम्पन/नोटिस, अन्वेषण/खोज एवं जब्ती इत्यादि**— PMLA-2002 के अध्याय V में सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं जब्ती के सम्बन्ध में एक व्यापक प्रणाली की व्यवस्था दी गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारियों को सर्वेक्षण हेतु किसी भी स्थान में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, यदि उनके पास यह विश्वास करने के लिए एक कारण उपलब्ध है कि स्वामित्व वाली सम्पत्ति का सम्बन्ध मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों से सम्बन्धित है। उनसे सम्बन्धित व्यक्ति को सर्वेक्षण की प्रक्रिया से सहयोग करना अनिवार्य है। यदि किसी निदेशक के पास कोई ऐसी सामग्री है, जिसके आधार पर वह यह विश्वास कर सकता है कि अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया है तो उसे अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को किसी भी भवन, स्थान, जलयान, जहाज, वाहन इत्यादि में प्रवेश कर किसी भी ताले, लॉकर या दरवाजे को खोल/तोड़कर किसी भी रिकॉर्ड को जब्त कर, अनुसंधान करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार है हालांकि ऐसी खोज या जब्तियाँ तभी की जा सकती हैं, जब ऐसे अपराधों में सम्बन्धित आपराधिक कार्यविधि संहिता के भाग 173 के अन्तर्गत दण्डाधिकारी/न्यायाधीश कोई एक रिपोर्ट अग्रेषित कर दे।
- **जुर्माना, दण्ड तथा सबूतों के बोझ का रद्दीकरण**— उपरोक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बरती गयी लापरवाही या विफलता के कारण, कम से कम 10 हजार रुपए तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। जहाँ तक आपराधिक मामलों का सम्बन्ध है, अधिनियम में सबूतों के बोझ के उत्क्रम का प्रावधान है। किसी भी सुनवाई में सबूत का सामान्य नियम यह है कि सबूतों के बोझ की जिम्मेदारी वादी या शिकायतकर्ता पर ही होती है। हालांकि अधिनियम के अन्तर्गत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति को ही विवादित सम्पत्ति अथवा पैसे के सन्दर्भ में उसे बेदाग प्रदर्शित कर स्वयं को निर्दोष साबित करना होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति से जब्त किए गए रिकार्ड या सम्पत्ति के बारे में यह अनुमान लगा लिया जाता है कि यदि उक्त व्यक्ति उन रिकार्ड्स एवं सम्पत्ति से अपने सम्बन्ध का खण्डन नहीं करता है तो वो उसी के हैं। ऐसे मामलों में, जिनमें कई लेन-देन एक-दूसरे से सम्बन्धित पाए जाते हैं, यह मान लिया जाएगा कि ये वास्तव में परस्पर सम्बन्धित हैं, यदि

उनका खंडन नहीं किया जाता है, या उनको गलत सिद्ध नहीं किया जाता है तो अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है। अधिनियम के अन्तर्गत, संज्ञेय अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायालय में तभी की जा सकती है, जब केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अथवा निदेशक लिखित में एक शिकायत करे।

- **अनुबंधकारी राज्यों की पारस्परिकता का विस्तार-** अनुबंधकारी राज्य भारत के बाहर कोई स्थान अथवा देश हो सकता है, जिसकी सरकार से केन्द्र सरकार कोई संधि करती है। अधिनियम अनुबंधकारी राज्यों से भारत से अनुबंधकारी राज्यों से पाई गयी मनी लॉन्ड्रिंग राशि की पहचान तथा उसका पता लगाने हेतु अथवा अनुबंधकारी राज्यों से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा भेजी गयी राशि की पहचान तथा पता लगाने के सन्दर्भ में अनुरोध पत्रों के सम्बन्ध में यथोचित आवश्यक सहयोग करने का प्रावधान करता है। अधिनियम अनुबंधित देशों में हमारे सौजन्य से अथवा भारत में अनुबंधित देशों के सौजन्य से कुर्की, जब्ती एवं अधिग्रहण का भी प्रावधान करता है। इस भाग की सफलता मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर निर्भर करता है। वर्तमान बिल में जब्तशुदा सम्पत्ति के निराकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को सम्मिलित करने का कार्य किया जा रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2008 एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ

तात्कालीन वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने राज्य सभा में मनी लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम, 2002 (PMLA - 02) को संशोधन के लिए प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत बिल की मुख्य विशेषताएँ अद्योलिखित हैं—

- इस अधिनियम के रिपोर्टिंग क्षेत्र में 'फुल फ्लेज्ड मनी चेन्जर्स, मनी ट्रांसफर सर्विस तथा 'मास्टर कार्ड' को लाया जाए।
- सीमापार स्वरूप एवं प्रभावित वाले नए प्रकार के जटिल स्वरूप वाले आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे अपराधों की श्रेणी से निबटने के लिए उपाय शामिल किये गये।
- सीमापार से सम्बन्ध रखने वाले अपराधों को अधिनियम की अनुसूची के भाग 'स' में प्रस्तुत किया गया, 30 लाख की अनिवार्य सीमा को हटाते हुए। हालांकि भाग 'क' में वर्णित अपराधों के लिए मौद्रिक सीमा पहले

जैसी ही रखी गयी है।

- जाँच करने वाली संस्था द्वारा जाँच पूरी कर लिए जाने के पश्चात् कुर्की की अन्तिम अवधि को 90 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है तथा सम्पत्ति की कुर्की एवं किसी व्यक्ति की खोज के सन्दर्भ में नए सुरक्षा प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया है।
- प्रवर्तन निदेशालय अपराध तथा पुलिस द्वारा CRPC की धारा 157 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कर लेने के तुरन्त बाद स्थानों की जाँच करने के बेहतर अधिकार रखता है।
- अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यावधि के अधिकाधिक एवं यथा आवश्यक संरक्षण के प्रावधान भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किए गए हैं, अध्यक्ष/सदस्य की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी है।
- अपील प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के सन्दर्भ में यह प्रावधान है कि उसे उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिए, को अन्य योग्यताओं को यथावत ध्यान रखते हुए हटा दिया गया है।
- सीमापार से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति में प्रस्तुत बिल केन्द्र सरकार को भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में आग्रह करने वाले देश को जब्त की गयी सम्पत्ति लौटा सकती है।
- अधिनियम की अनुसूची के भाग 'अ' एवं भाग 'ब' में विभिन्न कानूनों/विधियों के अन्तर्गत कई और अपराधों को शामिल करके अधिनियम के दायरे को बढ़ाया गया है।
- समय-समय पर नकदी अथवा वस्तुओं के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट व्यापार या व्यवसाय के रूप में चिह्नित कर सकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को अधिक सशक्त बनने हेतु प्रत्यायोजित विधान प्रदान किए गए हैं।
- **PMLA-2008 में नई परिभाषाओं का समावेश-** नवीन बिल में कुछ नई परिभाषाओं के निर्माण तथा कुछ में संशोधन किया गया ताकि अधिनियम को और भी स्पष्ट एवं विस्तृत बनाया जा सके।
 - **अधिकृत व्यक्ति-** से तात्पर्य FEMA, 1997 के खण्ड 2 के अनुच्छेद (स) में परिभाषित एक अधिकृत व्यक्ति से है तथा इनमें वह व्यक्ति शामिल है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

सामान्य अथवा विशेष अनुमति प्रदान की गई है अथवा उसे अधिकृत किया गया हो तथा विदेशी प्रमुखों जिनके साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अन्तरणों से सम्बन्धित सेवाओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो।

- **नामित व्यापार या व्यवसाय-** इससे तात्पर्य नकदी अथवा वस्तुओं के मौके का खेल खेलने वाली गतिविधियों को करने से है तथा इसमें, 'जुआघरों अथवा वैसी ही अन्य गतिविधियों से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार समय-समय पर नामित कर सकती है।

'वित्तीय संस्थाओं' (Financial Institutions) की परिभाषा इस प्रकार से संशोधित की गई है कि इसमें एक अधिकृत व्यक्ति तथा भुगतान करने वाला व्यक्ति शामिल किया जा सके। साथ ही, अब 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी' (Non-Banking Financial Company) में अब नियम के अनुसार नामित व्यापार या व्यवसाय को करने वाला एक व्यक्ति भी शामिल है।

- **सीमापार की जटिलताओं वाले अपराध-** आतंकवाद से लड़ने के लिए बिल सीमा पार से सम्बन्धित अपराधों की एक नवीन श्रेणी प्रस्तुत करती है। इस विशेष प्रावधान से भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून को असीमित क्षेत्रीय विस्तार एवं पहुँच हासिल होती है। इस प्रावधान के अन्तर्गत एक व्यक्ति, जो भारत के बाहर है तथा इस प्रकार से व्यवहार करता है कि वह उस स्थान विशेष के संदर्भ में एक अपराध है तथा जो अनुसूची के किसी भाग के संदर्भ में भारत में भी एक अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है अथवा जो भारत में उपरोक्त भागों के संदर्भ में एक अपराध करता है तथा अवैध धन या उसके किसी हिस्से को भारत के बाहर भेजता है, उसे सीमापार से सम्बन्धित एक अपराध माना जाएगा। अब सीमापार से संचालित होने वाले अवैध आय आधारित अपराधों को भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानूनों की जांच के अन्तर्गत रखा जा सकता है।
- **भुगतान प्रणाली संचालकों का विनियमन (Regulation of Payment System Operators)-** भुगतान मार्गों यथा वीजा एवं मास्टर कार्ड, मुद्रा

परिवर्तन, मुद्रा स्थानांतरण एवं कैसिनो इत्यादि शीघ्र ही भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आ गये हैं तथा अब वे रिपोर्टिंग से सम्बन्धित अनिवार्य दायित्वों का सामना करेंगे।

- **सशक्तिकृत प्रवर्तन निदेशालय (Strengthen of Enforcement Directorate)-** जैसा कि पूर्व वर्णित है, कानून का प्रारूप प्रवर्तन निदेशालय को अपराध के तुरन्त बाद स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार प्रदान करता है। जांच संस्था सम्पत्ति को जब्त कर सकती है। यह सम्पत्ति के जब्तीकरण की अन्तिम अवधि को बढ़ाकर 100 दिवस तक भी कर सकता है।
- **बेहतर रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ (Enhanced Reporting Requirement)-** वर्तमान में, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं मध्यस्थों पर अनिवार्य - रिपोर्टिंग की शर्त लागू हैं। वित्तीय संस्थाओं एवं मध्यस्थों को 10 वर्षों के दौरान किए गए सभी प्रकार के लेन-देन का लेखा-जोखा रखना होता है। लेन-देन के उन सभी लेखा-जोखा को वित्तीय खुफिया इकाई जो आंकड़ों का प्रबंधन एवं विश्लेषण करती हैं, को प्रस्तुत करने हेतु अनुबद्ध हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभिन्न संस्थाएं भी उनका उपयोग कर सकें। इस संशोधन के माध्यम से जिन नवीन संस्थाओं को PMLA-2008 के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है, वे अब लेन-देन का ब्यौरा FIU (वित्तीय खुफिया इकाईयों) को देंगे।

उपरोक्त अधिनियमों के अलावा कुछ संस्थाएं व अधिकरण भी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं- जैसे- वित्तीय खुफिया इकाई, रिज़र्व बैंक, सेबी, इरडा इत्यादि।

बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 (Benam Transaction Informants Rewards Scheme, 2018)

- देश में बढ़ती आर्थिक आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु धन शोधन, विदेशी काले धन पर कानून बनाने के पश्चात् बेनामी संपत्ति देन-देन पर अंकुश लगाने हेतु 'बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' शीर्षक से नई पुरस्कार योजना आरंभ की गई।
- इस योजना को आयकर विभाग द्वारा आरंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छिपे हुए निवेशकों और लाभकारी स्वामियों द्वारा किये गए बेनामी लेन-देन, संपत्तियों तथा ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्ति हेतु विदेशी भी पात्र हैं तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट न करते हुए पूरी गोपनीय रखी जाएगी।

- योजना के अंतर्गत बेनामी लेन-देन तथा संपत्तियाँ और ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियाँ जो बेनामी लेन-देन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी संपत्ति इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति रुपया 1 करोड़ तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।

आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 (Income Tax Informants Rewards Scheme, 2018)

- काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने 'आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' नामक नई पुरस्कार योजना आरंभ की है। यह योजना 2007 में जारी पुरस्कार योजना का स्थान लेगी।
- इस संशोधित योजना के अंतर्गत भारत में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में आयकर विभाग में जांच निदेशालय के निर्दिष्ट अधिकारियों को तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाला व्यक्ति रुपया 50 लाख की पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकता है।
- भारत सरकार ने इससे पहले काला धन (अधोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 लागू किया था ताकि भारत में कर योग्य लोगों द्वारा विदेशों में रखी गई उनकी आय और परिसंपत्तियों की जांच की जा सके। इन पर करों की वसूली की जा सके तथा दंड और मुकदमे जैसे कदम उठाए जा सकें।
- काल धन (अधोषित विदेशी आय परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कार्यवाई योग्य ऐसी आय और परिसंपत्तियों के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई पुरस्कार योजना में रुपया 5 करोड़ तक का पुरस्कार शामिल किया गया है। इस योजना के तहत पुरस्कार राशि अधिक रखी गई है ताकि विदेशों के संभावित स्रोत आकर्षित हो सकें।
- इस योजना के अंतर्गत काला धन (अधोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के तहत कार्यवाई योग्य विदेशों में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाले व्यक्ति पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सूचना निर्धारित प्रक्रिया में आयकर महानिदेशक (जांच) या अधिकृत अधिकारी को देने होगी। इस योजना के लिए विदेशी भी पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।

वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND)

वित्तीय खुफिया इकाई संदेहास्पद लेन-देन से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने, समाधान करने, विश्लेषण करने तथा उनको प्रचारित-प्रसारित करने के उत्तरदायित्वों के साथ

स्थापित की गई थी। FIU-IND राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं, जांच एवं प्रवर्तन अभिकरणों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग एवं सम्बन्धित अपराधों को रोकने हेतु वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में समन्वय एवं सशक्तिकरण की भूमिका निभाती है। FIU-IND एक स्वतंत्र विभाग है, जो वित्त मन्त्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद् (EIC) को सीधे रिपोर्ट करती है। FIU-IND अद्योलिखित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की एक श्रृंखला के सम्बन्ध में शासनादेश जारी करती है।

• नकदी लेन-देन की रिपोर्ट (Cash Transaction Reports)

- दस लाख रुपए अथवा समान मूल्य वाली विदेशी-मुद्रा से अधिक सभी नकद लेन-देन की रिपोर्टिंग।
- एक माह के अन्तर्गत किए गए वो सभी लेन-देन, जो 24 लाख रुपए अथवा समान मूल्य वाली विदेशी मुद्रा से कम के हो, तो वो एक श्रृंखला के रूप में एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हो, इन रिपोर्ट्स को आने वाले महीने के 15वें दिन तक पूरा करना होता है।

• संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (Suspicious Transaction Report)-

प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं मध्यस्थ को सभी संदेहास्पद लेन-देन, चाहे वो नकदी में किए गए हो अथवा नहीं, का विवरण प्रस्तुत करना होगा। एक बार संतुष्ट हो जाने के बाद भी लेन-देन संदेहास्पद है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 7 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

• नकली मुद्रा रिपोर्ट-

प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं मध्यस्थ को FIU-IND सूचनाएं, जो जाली अथवा नकली मुद्रा या बैंक नोट्स के लेन-देन से सम्बन्धित हो तथा जिनको असली रूप में अथवा जहां किसी मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेज की जालसाजी के द्वारा लेन-देन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया हो, से सम्बन्धित रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगी। ऐसे लेन-देन के किए जाने के 7 कार्य-दिवसों के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति एवं प्रेषण के बारे में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है तथा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी जा रहा है, परन्तु इतने से संतुष्ट हो जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका (Role of RBI)

भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक कार्यक्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं का एक बड़ा भाग, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं तथा विभिन्न वित्तीय बाजार शामिल हैं, 'वित्तीय पर्यवेक्षण मंडल (Board of Financial Supervision-BFS) रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वित्तीय संस्थाओं के इस भाग पर अपनी पर्यवेक्षकीय भूमिकाएं लगातार निभाता रहता है।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों के लेन-देन की देख-रेख करने के संदर्भ में 'मास्टर सर्कुलर' की एक शृंखला जारी की है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहकों को जानने-समझने की पूंजी तथा ग्राहकों के किए जाने वाले बर्ताव से सम्बन्धित नोट है। ग्राहकों की पृष्ठभूमि तथा उनकी स्थिति की पहचान न केवल शुरुआत के समय ही जांच की जानी चाहिए, अपितु उन्हें समय-समय पर (update) अद्यतन भी बनाया जाना चाहिए, ताकि खाते के संचालन की प्रकृति तथा परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को भी देखा-समझा जा सके। AML गतिविधियों में भारतीय रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्विस बैंक UBS का बैंकिंग लाइसेंस का आवेदन को रद्द कर दिया, क्योंकि वह 8 अरब अमेरिकन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UBS का आवेदन यह कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले, जिनमें मुम्बई को एक व्यापारी हसन अली खान शामिल था, में सहयोग नहीं किया था। खान पर भारतीय मुद्रा नियंत्रणों के गंभीर उल्लंघनों का आरोप था। भारतीय रिजर्व बैंक के जांचकर्ताओं ने UBS और खान के बीच सम्पर्क पाया था, चूंकि व्यापारी ने UBS के भी ज्यूरिख शाखा में 8 अरब अमेरिकन डॉलर जमा करवाए थे। उन्होंने भारत में बैंक के लाइसेंस को निरुद्ध करने हेतु इसे एक प्रत्यक्ष साक्ष्य संबूत के रूप में उद्धृत किया।

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (SEBI) की भूमिका

मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में प्रतिभूति बाजार की कमजोरियों के बारे में इस प्रपत्र में पहले चर्चा की जा चुकी है। भारतीय प्रतिभूति बाजार मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का भी सहज शिकार बन सकता है। SEBI के अन्तर्गत पंजीकृत मध्यस्थों को PMLA-2002 के अन्तर्गत रिपोर्टिंग की जवाबदेहियाँ पूरी करनी होती हैं। FIU - IND ने भी KYC (अपने ग्राहक को

जानिए) से सम्बन्धित कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन करना इन मध्यस्थों के लिए आवश्यक है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत 'Participatory Notes Transaction तथा 'Overseas Direct Investment Routes' होते हैं। UBS मामले के जाँच परिणामों में PN/ODI चिंता का विषय है। इसकी पहचान छुपाने की व्यवस्था कतिपय ऐसी संरचनाओं द्वारा किया जा रहा है, जो जाँच के दौरान वास्तव में विद्यमान ही नहीं रही है। बाजार की सुदृढ़ता, एकता तथा निवेशकों के हितों के संदर्भ में ऐसी स्थितियाँ गंभीर संकेत करती हैं। PN/ODI मार्ग तरीके से भारत के बाहर की संरचनाओं के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार को खोलने की प्रणाली पंजीकृत मध्यस्थों (FIIs) पर एक अनुषंगी उत्तरदायित्व आरोपित कर देता है। नियामक अनुपालनों के उच्च स्तर का अनुपालन करने तथा इनमें आई किसी भी कमी अथवा अन्तराल के कारण बाजार में गम्भीर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं। सहभागी नोट्स (Participatory Notes) जारी करने पर SEBI एक परिपत्रक जारी कर चुका है। सेबी ने संस्थागत विदेशी निवेशकों (FII) तथा अपंजीकृत विदेशी निवेशकों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने को इच्छुक है। पूंजी बाजार के फीके प्रदर्शन को देखते हुए तथा भारत में विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहित करने के क्रम में सेबी (SEBI) के सहभागी नोट्स (PNs) के रूप में प्रचलित ODIs जारी करने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है, जिन्हें विगत वर्ष अक्टूबर में FIIs पर लगाया गया था। यह बाजार की शक्तियों द्वारा नियामकों को नियमन के कड़े स्वरूप को परिवर्तित करने हेतु बाध्य करने का एक प्रमाण है। यह इस बात का एक उदाहरण है कि 'पैसा क्या कर सकता है'।

धनशोधन निवारण में चुनौतियाँ

भारत के मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक प्रयास कागजों पर सराहनीय हैं। भारत के लिए एक प्रभावी AML - व्यवस्था निर्मित कर पाने के संदर्भ में कई समस्या होती हैं। इन समस्याओं को बढ़ाने में कई कारण उत्तरदायी हैं अतः समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख समस्या क्षेत्रों की ओर आगे संकेत किया गया है।

- **प्रवर्तन प्रणाली की कमियाँ**— भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक प्रयास 1998 में प्रारम्भ किया, जो कि एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसका संचालन ठीक से

नहीं किया गया तथा इसका प्रवर्तन सर्वप्रथम 2005 में ही देखने को मिला। जब PMLA- 2002 वर्ष 2005 में संशोधनों के साथ प्रभावी हुआ तब इनमें कई कमियाँ भी छुपी हुई थीं, क्योंकि इन 7 वर्षों में कई प्रकार के ऐसे नए विकास हुए थे जिनका निराकरण करने में आमतौर पर विफल रहा। नवीन संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई फलतः PMLA बिल, 2008 संसद के पटल पर रखा गया।

- **तकनीक का विकास-** तकनीक के विकास ने आम आदमी की ही सहायता नहीं की है, बल्कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त लोगों के लिए भी एक वरदान का काम किया है तथा भारत भी इसका अपवाद नहीं है। इस विकासशील अर्थव्यवस्था में साइबर वित्त एक वृद्धिमान अवधारणा हैं। जिस गति से तकनीक बढ़ रही है, उससे प्रवर्तन संस्थाएँ मेल नहीं बैठा पा रही हैं, विशेषकर साइबर अपराधों के बारे में अपनी अपूर्ण जानकारी एवं अक्षमता के परिप्रेक्ष्य में।
- **समस्या के बारे में जागरूकता का अभाव-** आम जनता के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या के बारे में जागरूकता का अभाव एक समुचित AML व्यवस्था लागू करने में एक बाधा है। भारत में लोग, विशेषकर निर्धन एवं अशिक्षित, बैंकों पर विश्वास नहीं करते हैं तथा किसी वित्तीय संरचना के माध्यम से पैसा भेजने के लिए कागजी कार्यवाहियों से बचना चाहते हैं। पैसे भेजने के संदर्भ में हवाला व्यवस्था भी बैंकों की ही तरह की सेवाएँ प्रदान करती है, परन्तु बैंकों की तुलना में कम शुल्क एवं कागजी कारवाई न के बराबर होती है और अधिकांश लोग ऐसा करने को अपराध के रूप में नहीं देखते हैं तथा वो इस अपराध के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं।
- **KYC मानदंड - क्या वो उद्देश्य की पूर्ति करते हैं-** अब भारत में भी मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजारों में KYC मानदंड लागू हो चुके हैं। हालांकि ये KYC मानदंड हवाला लेन-देनों पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक उनका नियमन नहीं कर सकता है। इसके अलावा KYC मानदंड उपहास बन कर रह गए हैं, क्योंकि इन्हें लागू करने वाली संस्थाओं ने इनके संदर्भ में उपेक्षा एवं उदासीनता का भाव प्रदर्शित किया है। कागजों में KYC मानदंडों का तो पालन होता है। परन्तु इनके वास्तविक पालन किए जाने की आवश्यकता है। बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण बैंकों

को अपने सुरक्षा स्तरों को कम करने हेतु अभिप्रेरणा मिली है। विशेषकर बैंकों के फ्रेंचाइजी को बैंक-खाते खोलने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

- **तस्करी - एक अनियंत्रित एवं आक्रामक कृत्य-** भारत में सामानों की बिक्री के लिए अवैध काला बाजार है। तस्करी के सामान यथा खाने-पीने की चीजें, कम्प्यूटर के पुर्जों, मोबाइल फोन, सोना तथा उपभोक्ता वस्तुओं इत्यादि को काला-बाजार में नियमित रूप से बेचा जाता है। नकदी में लेन-देन करने तथा सीमा शुल्क एवं कर अदा नहीं करने के कारण, ऐसे व्यापारी नियमों का पालन करने वाले पंजीकृत व्यापारियों की तुलना में सस्ते दर पर सामान बेच पाते हैं। हालांकि सरकार की उदारीकरण की नीति के कारण इस समस्या में कमी आई है।
- **कर नियम/कानून-** न्यायाधीश लर्नर्ड हैन्ड ने 'कमिशनर बनाम न्यूमैन' मामले में कहा कि 'बार-बार न्यायालयों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति करों को यथासंभव कम रखने का प्रयास करता है तो इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। सारे लोग ऐसा करते हैं, निर्धन या धनवान और सारे लोग उचित करते हैं, कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान करने का सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं निभाता है। कर अध्यारोपित आहरण है, स्वैच्छिक योगदान नहीं। नैतिकता के नाम पर अधिक का भोग करना एक प्रकार की जबरदस्ती है।' भारत में सुप्रीम कोर्ट में आजादी बचाओ आन्दोलन एवं अन्य में लॉर्ड टॉमलिन को IRC बनाम ट्यूब वेस्टमिनिस्टर में उद्धृत किया है। 'एक संधि की वैधता की समीक्षा के क्रम में यहां कर अवहेलना तथा कर चोरी में अन्तर स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस बात की आशंकाएं हैं कि दोहरी कर संधियों के कारण मनी लॉन्ड्रिंग चैनल में वृद्धि हो सकती है।
- **PMLA, 2002 के अन्तर्गत प्रारम्भिक सीमा-** मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा दो प्रकार के अनुसूचित अपराधों की श्रेणियों का निर्माण करती है। राज्य तथा नशीली दवाइयों के सम्बन्ध में किए गए अपराधों से सम्बन्धित सम्पत्ति चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, को जब्त किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के अनुसूचित अपराध के संदर्भ में, जो अनुसूची 'ब' के अन्तर्गत आता है, जिसका कुल अधिकतम मूल्य 30 लाख निर्धारित किया गया है अपेक्षाकृत छोटे अपराधों एवं सम्पत्तियों को

बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। दुर्भाग्यवश, यह अधिकतम मूल्य ही बच निकलने के लिए एक रास्ता उपलब्ध कराता है। क्योंकि इस सीमा के भीतर ही किसी व्यक्ति का कई मनी लॉन्ड्रिंग वाले कई छोटे लेन-देन की एक शृंखला का हो सकता है। इसकी चर्चा इस प्रपत्र में पूर्व में 'स्मर्फिंग की अवधारणा' के अन्तर्गत किया गया है।

- **एक व्यापक प्रवर्तन अभिकरण संस्था की अनुपस्थिति**—जैसा कि पूर्व में देखा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग एक संकर (हाइब्रिड) गतिविधि बन चुकी है तथा यह केवल NDPS से सम्बन्धित नहीं होकर कार्य संचालन के कई क्षेत्रों में फैल चुकी है। कानून प्रवर्तन संस्थाओं की अलग-अलग शाखाएँ डिजिटल अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराधों तथा आतंकवादी अपराधों से निपट रही हैं। इन अभिकरण/संस्थाओं के आपसी ताल-मेल नहीं हैं, लेकिन अपराधियों में हैं। अपराधी बिना किसी सीमा के काम कर रहे हैं, परन्तु एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य में रह रहे व्यक्ति को किस प्रकार गिरफ्तार करे, इसी कानूनी प्रक्रियाओं से जूझती रहती है।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त एक AML व्यवस्था की स्थापना में आने वाले लागत भी प्रासंगिक है।

- भारत द्वारा धन-शोधन के विरुद्ध उठाए गए विभिन्न कदम पूर्णतया सफल नहीं रहे हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि PMLA अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2002 में इसके अधिनियम होने के उपरांत से केवल एक ही दोषसिद्ध देखी गई है। धन-शोधन रोधी प्रयासों के प्रभावी कार्यान्वयन में सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
- साइबर प्रौद्योगिकियों सहित प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की तीव्र गति धनशोधकों पर दृष्टि रखने में समस्याएँ उत्पन्न करती है। प्रवर्तन एजेंसियाँ विकास की इतनी उच्च दर से समन्वय स्थापित करने में विफल रही हैं।
- **विधेय-अपराध-उन्मुख विधि (Predicate-offence-oriented law):** इसका अर्थ यह है कि अधिनियम के तहत कोई मामला (case) केवल CBI, आयकर विभाग या पुलिस जैसी प्राथमिकता एजेंसियों द्वारा की गई कार्यवाही के ऊपर निर्भर करता है। (विधेय अपराध-ऐसा कोई भी अपराध जो अत्यधिक गंभीर अपराध का घटक है।)
- **जागरूकता की कमी:** सामान्य जन में धन-शोधन की

गंभीरता के संबंध में जागरूकता की कमी है। इसके कारण उन्होंने अल्प जटिलताओं और औपचारिकताओं वाली हवाला प्रणाली का उपयोग करना जारी रखा है।

- RBI द्वारा यथा निर्धारित KYC मानदंडों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में बैंकों की विफलता।
- अनेक ब्लैक मार्केट चैनल आयातित तस्करी वाली वस्तुएं विक्रय करते हैं और नकद लेनदेन में सौदेबाजी कर सीमा शुल्कों से बच जाते हैं। इस प्रकार वे काले धन से सृजन में मदद करते हैं।
- धनशोधन, साइबर अपराध, आतंकवादी अपराध, आर्थिक अपराध इत्यादि से निपटने वाली एजेंसियों की बहुतायत आदि। ऐसी एजेंसियों में इनके बीच अभिसरण की कमी है। यह धन-शोधन की बहुविध और वैश्विक प्रकृति से निपटने के लिए आवश्यक है।
- कई टैक्स हैवन देश हैं। ये देश विदेशी कर अधिकारियों को वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण प्रतिबंधित करने वाले कठोर वित्तीय गोपनीयता कानूनों के साथ अनाम खाता सृजन की अनुमति देते हैं।
- अन्य देशों में वित्तीय गोपनीयता का प्रावधान, जो इस गोपनीयता के साथ समझौता करने के लिए अनिच्छुक हैं।
- धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यथा परिकल्पित धन-शोधन रोधी प्रावधानों के लिए प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना। ऐसी प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तीन विशिष्ट मापदंड सम्मिलित किए जाने चाहिए, जो समग्र ग्राहक उचित कर्मिष्ठता प्रक्रिया से संबंधित हैं:
 - ग्राहकों की स्वीकार्यता के लिए नीति।
 - ग्राहकों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया।
 - लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग (विशेष रूप से संदिग्ध लेनदेन से संबंधित)।

सुझाव एवं निष्कर्ष

मनी लॉन्ड्रिंग एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त अपराधी अपने गैरकानूनी कार्यों के संदर्भ में निरन्तर नए रास्तों की खोज करते रहते हैं। इसके अलावा, नियमित अध्ययनों के आधार पर FATF को यह स्पष्ट हो गया है कि इसके सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग से जूझने के लिए जैसे ही स्वयं को सक्षम बनाते हैं वैसे ही अपराधी उनके कार्यक्षेत्र की कमियों के सहारे अपनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों

के संचालन हेतु नवीन रास्तों की खोज कर लेते हैं।

कई महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों ने नशीली दवाओं से सम्बन्धित मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए कानून का सहारा लिया है। हालांकि कई प्रमुख प्राथमिकता वाले वित्तीय केन्द्रों ने अभी भी न तो कानूनों को अपनाया है और न ही इस सन्दर्भ में किसी नियमावली की पुष्टि की है। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि नशीली दवाओं से सम्बन्धित मनी लॉन्ड्रिंग कानून, जिन्हें दशक के प्रारम्भ में कई सरकारों ने अपनाया था वो पर्याप्त है भी अथवा नहीं, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में नवीन तकनीकी के उपयोग का स्तर तब से काफी बढ़ चुका है। प्रमुख बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में संगठित अपराधी समूह एक प्रमुख कारक रहे हैं तथा उनके धन के विभिन्न स्रोतों के कारण उनके मौद्रिक लेन-देन को अनूठे अपराधों यथा नशीली दवाईयों की तस्करी को जोड़ना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। इसके साथ ही, अपराधी संगठन अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के विशिष्ट तरीके अपनाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के वित्तपोषण को कम करने के लिए एक जरूरी टास्क-फोर्स तथा ईमानदारीपूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय कमिटी बनाने की जरूरत है।

सुझाव

- जैसा कि हमने पूर्व में देखा है, मनी लॉन्ड्रिंग में अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ भी बड़े स्तर पर शामिल होती हैं, इसलिए एक इन्टरपोल विशेषज्ञ श्री ब्राउन की यह सलाह उपयुक्त होगी कि “मनी लॉन्ड्रिंग कानून को प्रभावी बनाने की कुंजी यह होगी कि विश्व के सभी देशों में समान अधिनियमों को जोड़ा जाए और लागू किया जाए।

चूंकि यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वो यह तय करें कि कौन-से अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आएंगे। इसके कारण, अन्तर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग निरोध कानूनों में एकरूपता लाने में बाधा उत्पन्न होती थी। अधिकांश देशों ने गंभीर अपराधों को संज्ञेय अपराधों के रूप में सूचीबद्ध किया है परन्तु इस सन्दर्भ में वास्तव में एक गंभीर अपराध क्या है, के बारे में उनके मत अलग-अलग रहे हैं, यह भी सही है इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि सीमापार के सम्बन्ध में संज्ञेय अपराधों की एक समान सूची निर्मित की जाए, विशेषकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप

तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के उपायों को ध्यान में रखते हुए।

- मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाने के क्रम में सरकारों को मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा बनने वाले नियमों, कानूनों एवं प्रणालियों को अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
 - सीमापार वित्तीय गोपनीयता एक मुद्दा है। राज्य अपनी वित्तीय गोपनीयता से समझौता करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं। इस बात की आवश्यकता है कि वित्तीय गोपनीयता तथा इनके कारण मनी लॉन्ड्रिंग को स्वर्ग जैसा बनाने के बीच एक संतुलन की स्थिति निर्मित की जाए।
 - अधिकांश व्यक्तियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा अपराध है, जिसका कोई शिकार नहीं है हालांकि इस चर्चा के प्रारम्भ में बताया गया है कि लोगों का ऐसे अपराधों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु प्रेरित हो सकें। एक बार यदि यह समस्या लोगों को दिख जाती है, तो इससे कानून के बेहतर प्रवर्तन (लागू करना) में मदद मिलेगी, क्योंकि यह एक पुलिस निरीक्षण/जाँच का विषय होगा।
 - निजी क्षेत्र को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक गतिविधियों के सन्दर्भ में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में बोल्फ्सवर्ग सिद्धांतों का उदाहरण है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोध मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका होनी चाहिए।
 - सूचनाओं को नियमित रूप से अद्यतन बनाने एवं प्रसारित करने की आवश्यकता है। FIU-IND वेबसाइट अभी भी उन लिंक से नहीं जुड़ी है, जो AML रणनीतियों की नियमित अवधि पर समीक्षा कर सकें। प्रवर्तन अधिकरणों/संस्थाओं को मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों की जानकारी करने, पता लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्ति की नकल करने से आगे निकलना होगा।
- विगत 20 वर्षों में विभिन्न देशों में कानून प्रवर्तन प्राधिकरण तथा FIU मनी लॉन्ड्रिंग के कामों के तरीकों की पहचान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि तुलनात्मक रूप से छोटी मनी लॉन्ड्रिंग

की गतिविधियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समय-समय पर इनमें संज्ञेय अपराधों में शामिल होने की प्रवृत्ति भी देखी गयी है। इस पक्ष पर कई अधिकारिक रिपोर्ट हैं, परन्तु अब तक सार्वजनिक ध्यान सर्वाधिक सनसनीखेज मामलों की ही तरफ आकर्षित हो पाया है।

- सूचनाओं को परस्पर साझा करना आवश्यक है तथा इन बात की भी आवश्यकता है कि विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों/संस्थाओं में समन्वय एवं एकरूपता हो।
- इस बात की सलाह दी जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए। आर्थिक खुफिया इकाई (EIC) की तर्ज पर जो AML के विकास एवं अनुसंधान पर अनन्य रूप में काम करती हैं। यह विशिष्ट प्रकोष्ठ इण्टरपोल तथा वैसी अन्य संस्थाओं से जुड़ा होना चाहिए, जो AML (मनी लॉन्ड्रिंग निरोध) की दिशा में कार्यरत है। RBI, SEBI इत्यादि जैसे सभी प्रमुख सहभागी इसमें शामिल होने चाहिए।
- इस समस्या से निपटने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। मात्र कानूनों की संख्या से भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। एक प्रभावी AML व्यवस्था के निर्माण हेतु केन्द्र तथा राज्य के बीच खींच तान की स्थिति को हटाना होगा।
- कानूनों को राज्य स्तर पर लागू किया जाना चाहिए तथा यह मात्र केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। कानून जितने ही विकेन्द्रीकृत होंगे, उनकी पहुँच एवं प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होगी। हालाँकि राज्य एवं केन्द्र की संस्थाओं/अभिकरणों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
- एक प्रभावी AML व्यवस्था के निर्माण के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सोचना होगा तथा इसे वृहत् परिप्रेक्ष्य में समझना भी होगा क्योंकि यह सीधे वित्तीय सीमा-पार का मामला है।

निष्कर्ष

भारत सरकार को यथाशीघ्र PMLA में संशोधनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए तथा आतंकवाद के वित्त पोषण को विशेष रूप में आपराधिक मामलों के रूप में देखने, साथ ही उसे संज्ञेय अपराधों की सूची के रूप में परिभाषित करना चाहिए, ताकि वो FATF की मुख्य संस्तुतियों का पालन कर सके। कर सुधार की दिशा में उठाए गए कदम

भी, हवाला की लोकप्रियता को कम करने में सहायक होंगे साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी तथा वित्तीय अपराधों को कम कर सकने में भी ये उपयोगी होंगे। भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों एवं भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की संस्तुतियों का अनुकरण करना चाहिए। भारत सरकार को सरकारी संगठनों के लिए नए नियमों के निर्माण तथा उनके अनुपालन की आवश्यकता है। भारत में हुए आतंकवादी हमलों की संख्या को देखते हुए तथा इस तथ्य के आलोक में कि हवाला का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आतंकवाद के वित्त पोषण से है, भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ सहयोग करना चाहिए। किसी उपयुक्त वैकल्पिक धन संप्रेषण विकल्प को पूर्ण पारदर्शिता के साथ (पूर्ण पारदर्शिता वाली वैकल्पिक व्यवस्था) व्यवहार में अपनाना चाहिए। भारत को कानून के प्रवर्तन पर बल देने के साथ हीरा के व्यापार में सीमा शुल्क संसाधनों के सहारे अपराधों पर अंकुश लगाना चाहिए। एक व्यापार पारदर्शिता इकाई (TTU) के निर्माण एवं स्थापना के बारे में भी विचार करना महत्वपूर्ण है, ताकि भारत में व्यापारिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया जा सके, भारत में व्यापार भूमिगत वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए चोर दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार को कानूनों को सशक्त बनाने के साथ-साथ अनौपचारिक माध्यमों से अवैध लेन-देन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।

समसामयिक तथ्य एवं घटनाक्रम

ऑपरेशन रेड स्पाइडर-2

कोबरा पोस्ट डॉट कॉम द्वारा किए गए 'ऑपरेशन रेड स्पाइडर' स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह दावा किया गया कि निजी (एचडीएफसी, आईसीआईसीआई व एक्सिस बैंक) और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के 23 बैंकों व बीमा कंपनियों काले धन को वैध बनाने में लोगों का सहयोग कर रही हैं और इसी वित्तीय गड़बड़ी के खुलासे के बाद 'मनी लॉन्ड्रिंग' या 'धन शोधन' (Money Laundering) शब्द चर्चा में है।

- कोबरा पोस्ट ने खास तौर पर बैंकों पर यह आरोप लगाया है कि अपने शाखाओं में न केवल काले धन को अपनी योजनाओं में खपाते हैं, बल्कि इसके लिए वे नया खाता भी खोलते हैं। साथ ही काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने वालों के लिए ये खाते, पैन (Permanent Account Number-PAN) कार्ड

और केवाईसी (Know Your Customer - KYC) के नियमों का अनुपालन किए बगैर ही खोले जाते हैं और इस प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है।

- बैंक, काले धन को सफेद करने हेतु ग्राहक के काले धन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर बैंक में जमा करते हैं।

भारत-स्विट्जरलैंड के बीच ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (AEDI) समझौता

नवंबर, 2017 में भारत-स्विट्जरलैंड के बीच AEOI संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत स्विस् बैंक 1 जनवरी 2018 से भारतीय खाता धारकों के बारे में सूचना साझा करेगा। सूचना का आदान-प्रदान 'ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलेपमेंट' (OECD) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि 1 जनवरी 2018 से भारतीय खाताधारकों की सूचना सितंबर 2019 से प्राप्त होनी थी किंतु 6 अक्टूबर 2019 को इस समझौते के तहत सूचनाएँ साझा की गयीं। स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने भारत सहित 75 देशों के साथ सूचनाएँ साझा की हैं। इन सूचनाओं में बैंक अकाउंट, संबंधित नाम आदि जानकारी हैं। इन सूचनाओं के आधार पर यह बताया गया है कि भारत स्विट्जरलैंड के बैंकों में अवैध रूप से धन रखने के मामले में विश्व में 74वें स्थान पर है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में किये गये हालिया संशोधन

सरकार ने वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों को और कठोर बनाने हेतु कुछ संशोधन किये हैं जो कि निम्न हैं-

- इन संशोधनों के तहत अपराध से अर्जित लाभ की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है अब इसके तहत किसी भी आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्ति या परिसंपत्ति को शामिल किया जा सकता है। भले ही वे संपत्ति इस अधिनियम के तहत शामिल न हो।
- एक अन्य संशोधन के तहत विभिन्न विधानों के अंतर्गत अपराधों को शामिल कर इस अधिनियम की पहुंच में वृद्धि की गयी है। जैसे- भारतीय दण्ड संहिता, स्वापक

औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि।

- इसी प्रकार इस अधिनियम के प्रावधानों को सीमा पार धन शोधन संबंधी गतिविधियों में लागू करने हेतु तथा इस अधिनियम के तहत किये गये अपराधों की सूचना के आदान-प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को किसी अन्य देश के साथ समझौता करने हेतु संशोधन किया गया है।
- केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित राज्यों में इस अधिनियम के तहत अपराधों का निवारण एवं अभियोग चलाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

PMLA में संशोधनों के बारे में प्रकट की गई चिंताएँ

- इसकी संभावना है कि PMLA को किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या विरोधी के विरुद्ध इन शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कार्रवाई स्वयं में एक दंड की तरह है।
- ECIR से संबद्ध समस्याएँ: ECIR (Enforcement Case Information Report), जो FIR के समान है, जिसे एक 'आंतरिक दस्तावेज' माना जाता है और आरोपी को नहीं सौंपा जाता है।
- इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोप के तथ्य भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि एकमात्र दस्तावेज जिसमें आरोप दर्ज होता है, वह ECIR है जो आरोपी व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाता है।
- अभियुक्त को साक्षी बनने के लिये बाध्य करना: PMLA की धारा 63 में कहा गया है कि आरोपी द्वारा सूचना प्रदान करनी होगी; झूठी सूचना या सूचना छुपाने को एक अन्य आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
- अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिये बाध्य करना आत्म-दोष के विरुद्ध निषेध के अधिकार (Right against Self-Incrimination) का उल्लंघन है।
- सामान्य आपराधिक कानून के विपरीत: PMLA सामान्य आपराधिक कानून से अलग है।
- सामान्य आपराधिक कानून में दोषी साबित होने तक प्रत्येक आरोपी निर्दोष माना जाता है।
- लेकिन PMLA में यह बोझ आरोपी व्यक्तियों पर

स्थानांतरित कर दिया गया है वे अपना निर्दोष होना स्वयं साबित करें।

- **ED की अक्षमता:** इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की दोषसिद्धि दर बहुत कम है; जबकि हजारों मामले दर्ज किये गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया गया।

अतः आवश्यकता यह है कि इसके अधिकारों में आंतरिक नियंत्रण और संतुलन लाया जाए क्योंकि इस कानून ने ED को अभियुक्तों से निपटने के लिये प्रबल शक्तियाँ प्रदान की हैं जो इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा सकती है।

- PMLA के तहत प्रावधान की संवैधानिकता का पालन करने के लिये अधिनिर्णयन प्राधिकरण और म् अधिकारियों के बीच एक आम सहमति होनी चाहिये ताकि जाँच अधिकाधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी हो।

- इसकी कार्रवाई की प्रक्रिया अपने-आप में ही दंडात्मक

न हो, ED की विस्तारित शक्तियों का स्वागत मामलों को तेजी से निपटाने की अधिक प्रतिबद्धता के साथ किया जाना चाहिये, ताकि न्यायपालिका और प्रवर्तन एजेंसियां दोनों त्वरित परीक्षण और दोषसिद्धि के साथ आगे बढ़ सकें।

- प्रवर्तन निदेशालय के कार्यक्रम और वर्तमान प्रकृति की लगातार निगरानी होनी चाहिये।

काला धन (अधोषित विदेशी आय और संपत्तियों और कर अधिनियम, 2015 का प्रभाव

एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि इस अधिनियम के लागू होने से वित्तीय पारदर्शिता काफी बढ़ी है तथा विदेशी आय को घोषित करने में आसानी के कारण सरकार को कराधान में लाभ हुआ है।

अब प्रत्येक बीमा कंपनी अपने ए.एम.एल. या सी.एफ. टी. कार्यक्रमों में आंतरिक ऑडिट को प्राथमिकता देने पर कार्य कर रही है तथा बीमा लाने वालों को अपनी सभी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता भी पूरी हो रही है।

धन शोधन और इसे रोकना : संभावित प्रश्न

1. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? (150 शब्द)
2. विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देश की अर्थव्यवस्था मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने

- उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)
3. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के संदर्भ में भारत के समक्ष क्या समस्याएँ हैं? (150 शब्द)
 4. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का निर्धारण कीजिए। (150 शब्द)

भारत में नक्सलवाद (Naxalism in India)

नक्सलवाद मार्क्सवाद से अभिप्रेरित एक विचारधारा है जो हिंसापूर्ण क्रांति के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन द्वारा समानतापूर्ण समाज की स्थापना की बात करता है। नक्सलवाद लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पूर्णतः विरोध करता है और गुरिल्ला युद्ध द्वारा भूमिहीनों एवं कृषकों के हितों की रक्षा को प्रोत्साहित करता है।

भारत में नक्सली संगठनों को अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकी संगठन करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्ष 2006 में 'रॉ' (RAW) ने 50,000 नियमित सशस्त्र नक्सली कैडरों तथा 20000 अतिरिक्त सशस्त्र नक्सली कैडरों के कार्यरत होने का अनुमान लगाया था। भारत में नक्सलियों के विस्तार तथा इस चुनौती की भयावहता का अंदाजा भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के उस अंश से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि "नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे गंभीर खतरे के रूप में विद्यमान है।"

भारत में नक्सलवाद के कारण (Causes of Naxalism in India)

नक्सलवाद का मूल कारण देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानता थी। इस घोर विषमता की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती थी। गरीब एवं वंचित अत्याचार व शोषण के शिकार हो रहे थे जिनकी सुध सरकार द्वारा भी नहीं ली गई। ऐसी परिस्थितियाँ में सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाते हुए, इन शोषितों ने नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ किया। नक्सलवाद के प्रारंभ के पीछे निम्न कारणों को देखा जा सकता है:-

- **अन्यायपूर्ण कृषिगत संरचना**— नक्सलवाद के प्रारंभ के पीछे सबसे प्रमुख कारण हमारी विषमतापूर्ण कृषिगत संरचना थी। अधिकांश कृषि भूमि पर एक छोटे से सामाजिक समूह का कब्जा था। यह सामाजिक समूह समाज के उच्च वर्ग से संबंध रखता था। एक-एक जमींदार के पास हजारों-हजार एकड़ जमीन हुआ करती थी, जबकि अधिकांश लोग भूमिहीन कृषक की श्रेणी

में आते थे। वास्तविक कृषि कार्य इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता था, किन्तु इन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। जमींदार इनका विभिन्न तरीकों से शोषण करते थे। इन मेहनतकश मजदूरों को जब अपनी स्थिति में सुधार की संभावना नहीं दिखी तब इन्होंने हथियार उठा लिए। 'नक्सलवादी' में आरम्भ हुए विद्रोह में यही प्रेरक तत्व था। वहाँ किसानों ने जमींदारों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और अनाज को अपने घरों में जमा कर लिया।

- **भूमि सुधारों की असफलता**— असमान व विषमतापूर्ण कृषि संरचना में सुधार के महत्व को समझते हुए सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात् ही 'भूमि सुधार' का 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' प्रारंभ किया। इसमें जमींदारी प्रथा समाप्त करना, ठेकेदारों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, जमींदारों से ली गई अतिरिक्त जमीन का भूमिहीनों में पुनर्वितरण करना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे, परन्तु सरकार की इच्छाशक्ति की कमजोरी, जमींदार वर्ग के विरोध व इन कानूनों के कमजोर बिंदुओं के कारण भूमि सुधार कार्यक्रम पूर्णतः लागू नहीं हो पाये। कानूनी कमियों का लाभ उठाते हुए कई जमींदारों ने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों व यहाँ तक कि अपने विश्वस्त नौकरों के नाम कर दिया। इस प्रकार भूमि सुधार की असफलता ने कृषक वर्ग में निराशा की भावना पैदा की, जिससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। सामंतवादी प्रवृत्ति के कारण नक्सली समस्या अधिक पनपी जो कहीं न कहीं सामाजिक असंतुलन के साथ आर्थिक असंतुलन का परिणाम है।
- **न्यूनतम मजदूरी का न प्राप्त होना और बेगारी**— गरीब तबकों के लोगों के शोषण का एक तरीका उनसे बेगार कराना या अत्यंत कम मजदूरी देना था। दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें इतना भी प्राप्त नहीं होता था कि वे दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पायें। यह समस्या कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी थी।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की असफलता**— भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् से संचालित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का लाभ

उच्च वर्गों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा वास्तविक लक्षित वर्ग इसके लाभों से वंचित रह गया है। इस समस्या ने देश में आर्थिक असमानता की खाई को अधिक चौड़ी कर 'सामाजिक विभाजन' की स्थिति को उत्पन्न किया है।

- **भ्रष्टाचार की समस्या**— विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ वंचित समूहों को प्राप्त नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार की इस समस्या के समाधान हेतु एक वर्ग ने हिंसक माध्यम को अपनाना ज्यादा उचित समझा और नक्सलवाद को सुदृढ़ता मिली।
- **जातिगत शोषण**— आर्थिक शोषण व असमानता के साथ ही जातिगत आधार पर शोषण ने भी नक्सलवाद को व्यापक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। हमारी कृषि संरचना की विशेषता यह थी कि यहां जमींदार वर्ग उच्च-जाति से संबंधित और भूमिहीन कृषक निम्न जाति से संबंधित थे। इस परिस्थिति ने समस्या को जातीय रंग दे दिया तथा यहां नक्सलवादी आंदोलन ने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया।
- **आदिवासी समूहों का अपने संसाधनों पर अधिकार न मिलना**— यह बात ध्यान देने योग्य है कि आज नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित अधिकांश क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। यह तथ्य इस तरफ संकेत करता है कि आदिवासी समूहों के साथ लंबे समय तक असमान व्यवहार होता रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और नक्सलवाद को अपना समर्थन प्रदान किया।
- **विस्थापन की समस्या**— स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने औद्योगीकरण की नीति अपनाई। अधिकांश उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाए गए जहाँ कच्चे माल अर्थात् खनिज संसाधन उपलब्ध थे। ये क्षेत्र मुख्यतः आदिवासी बहुल क्षेत्र थे। इन स्थानों पर उद्योग की स्थापना से आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि न वे शिक्षित थे और न ही उनको किसी प्रकार की तकनीकी क्षमता का ज्ञान था, जिस कारण इन उद्योगों में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। दूसरी बात यह है कि इन उद्योगों की स्थापना से व्यापक स्तर पर जंगलों व वनों को काटना पड़ा। इससे इन आदिवासियों के आजीविका पर संकट आ गया। इस परिस्थिति में इनके समक्ष अपने क्षेत्र छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। इस स्थिति ने इन आदिवासियों के आक्रोश व विक्षोभ को बढ़ावा दिया, जिसके चलते ये नक्सलवादी आंदोलन की ओर मुड़े।

- **सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता व लोगों तक पहुंच का अभाव**— नक्सलवाद के प्रसार में स्वयं सरकारी तंत्र की उदासीनता व अक्षमता ने भी भूमिका निभाई है। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुंचाने में हमारी सरकारी नीतियां विफल रहीं। इससे लोगों में सरकार व व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ा और इसका फायदा नक्सलवादियों ने उठाया।

दूसरी तरफ पिछड़े व वंचित तबकों तथा आदिवासी समूहों की समस्याओं का समाधान कर पाने में सरकार की अक्षमता ने भी नक्सलवाद के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न की। इन लोगों को जब सरकार से न्याय नहीं मिला तब इन्होंने सामाजिक व आर्थिक न्याय का दावा करने वाले नक्सलवादियों से संपर्क किया और इन्हें वहां अपनी समस्याओं का निवारण मिला। इसके परिणामस्वरूप सामान्य जनता प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व से दूर हटती गई और उनके चरित्र को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा।

- **संचार एवं तकनीक का प्रसार**— संचार एवं तकनीक के प्रसार ने नक्सली समूहों को सशक्त किया है। विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा वे आसानी से संगठित हो जाते हैं तथा उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर पुलिस बलों के लिए अधिक घातक सिद्ध हो रहे हैं।

भारत में नक्सलवाद का विस्तार (Expansion of Naxalism in India)

नक्सल शब्द का उद्भव पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी के नाम पर हुआ है जहाँ 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के चारू मजूमदार, कानू सान्याल, राम प्रभाव सिंह तथा जंगल-संथाल ने जमींदारों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को प्रारंभ किया। 18 मई 1967 को सिलीगुड़ी किसान सभा के अध्यक्ष जंगल संथाल ने भूमिहीनों को भूमि के पुनर्वितरण हेतु सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। अगले सप्ताह नक्सलबाड़ी गांव में जमींदार के एक आदमी ने भूमि विवाद के कारण एक ग्रामीण किसान पर आक्रमण कर दिया। 24 मई को किसानों के नेता को पुलिस गिरफ्तार करने आयी जिस पर घात लगाकर बैठे जनजातीय समूहों ने जंगल संथाल के नेतृत्व में हमला कर दिया तथा एक पुलिसकर्मी की हत्या हो गई। इस घटना ने कई आदिवासियों तथा अन्य गरीब लोगों को प्रोत्साहित किया तथा वे इस आंदोलन से जुड़ने लगे। परिणामतः जमींदारों के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन प्रारंभ हो गया। सन् 1969 में

चारू मजूमदार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नामक पार्टी का गठन किया तथा सामाजिक समानता की स्थापना हेतु गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हिंसक क्रांति का रास्ता अपना लिया। धीरे-धीरे यह आंदोलन मध्य एवं उत्तरी भारत के कम विकसित क्षेत्रों यथा-छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विस्तारित हो गया। पिछले 10 वर्षों में इसका विस्तार उन विस्थापित आदिवासियों के आवासीय क्षेत्रों में हुआ है जो प्रमुख भारतीय कॉरपोरेट एवं स्थानीय अधिकारियों के शोषण तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

1969 में सीपीआई (एम.एल) की स्थापना होने के बाद से **चारू मजूमदार**, कानू सान्याल आदि के नेतृत्व में इस आंदोलन का तेजी से विस्तार हुआ। स्वाधीनता प्राप्ति के दो दशक बाद भी भारत की आबादी का बड़ा तबका जैसे-किसान, श्रमिक और आदिवासी शोषण का शिकार हो रहे थे। ऐसा महसूस किया गया कि शांतिपूर्ण तरीकों से जरूरी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निहित स्वार्थों के हाथ में सत्ता और उद्योगों का नियंत्रण बना हुआ है और खेतिहर वर्ग पर प्रमुखतः सामंती पकड़ बनी हुई है। उनका विचार था कि इन सबसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका सशस्त्र क्रान्ति है।

सरकार ने देश के सीमावर्ती राज्यों, खासतौर से पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना की सहायता से संयुक्त अभियान शुरू किया। ये अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त 1971 तक चले और इन्हें 'ऑपरेशन स्टीपलचेज' का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के अच्छे परिणाम निकले तथा इन जिलों में नक्सलवादियों का संगठन तहस-नहस हो गया। हिंसा की वारदातें कम हो गईं सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के मन में सरकार की क्षमता के प्रति विश्वास बहाल हुआ। 16 जुलाई 1972 को कोलकाता पुलिस ने **चारू मजूमदार** को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के साथ नक्सलवादी आंदोलन के एक अध्याय का अंत हो गया। इसके बाद इस पार्टी में फूट और बिखराव का दौर शुरू हो गया।

1975 तक तीन संगठित पार्टियों का गठन किया गया-सीपीआई (एम-एल-1969)-लिबरेशन, सीपीआई (एम-एल-1969) तथा एम० सी० सी० (1975)। तीनों पार्टियों के कार्यक्रम, नीतियाँ तथा रणनीति अलग-अलग थी। वस्तुतः तीनों पार्टियों में वैचारिक स्तर पर समानता थी क्योंकि तीनों का उद्देश्य सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव करना तथा

सत्ता प्राप्त करना था। इनमें से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा शेष संगठनों ने राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करना प्रारंभ किया।

उधर बिहार में एक अन्य नक्सलवादी संगठन-माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) सक्रिय हुई और उसने अनेक हिंसक गतिविधियाँ की। 1987 से 1992 के छह वर्षों के दौरान गया, चतरा और औरंगाबाद जिलों में आठ बड़ी वारदातें हुईं, जिनमें 100 से अधिक लोग मारे गये। बिहार के नक्सलवादी आंदोलन की विशेषता यह थी कि इस आंदोलन का प्रारम्भ सामाजिक और आर्थिक न्याय के नाम पर हुआ तथा यह जातीय लड़ाई में बदल गया। कुछ जगहों पर एमसीसी द्वारा जन अदालत के नाम पर समानांतर अदालतों का संचालन किया जाता था।



उधर सन् 1980 में आंध्र प्रदेश में **कोडापल्ली सीतारमैया** के नेतृत्व में **पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी)** की स्थापना के साथ इस आंदोलन में फिर जान आ गई। पीडब्ल्यूजी के कार्यक्रम में निम्न बातें शामिल थी:-

- भूमि का पुनर्वितरण
- खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना
- कर और जुर्माना लगाना
- जन आंदोलनों का संचालन करना
- सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
- सरकारी कर्मचारियों का अपहरण करना
- पुलिसकर्मियों पर हमला करना और
- सामाजिक संहिता लागू करना

नक्सलवाद एक ऐसा आंदोलन है जो बंगाल के एक जिले में एक पुलिस स्टेशन (नक्सलबाड़ी गाँव) से प्रारंभ हुआ तथा अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए पूरे देश में फैल गया। अपनी हिंसक गतिविधियों के कारण इस आंदोलन ने हमेशा सरकार के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत की है। यह भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इसका उन क्षेत्रों में तीव्र विस्तार हुआ है जो

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध हैं तथा इन क्षेत्रों में सरकार तेजी से औद्योगिक विकास करना चाहती है। यह आंदोलन इस रूप में भी अद्वितीय है क्योंकि इसने समाज के शोषित तथा हाशिये पर अवस्थित वर्गों को काफी तीव्रता से लामबंद किया है तथा समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में एक दरार उत्पन्न कर दी है। नक्सलवाद का उद्देश्य भारत से अलग किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र की स्थापना नहीं है, बल्कि यह भारतीय सामाजिक ढांचे को पुनर्गठित कर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

भारत में नक्सलवाद के दुष्परिणाम (The consequence of Naxalism in India)

भारत में नक्सलवाद ने कई दुष्परिणामों को उत्पन्न किया है जिनको नीचे देखा जा सकता है:-

- **जानमाल की हानि एवं भय का माहौल**— नक्सलवादी घटना के पश्चात् पुलिस बलों तथा कई बार आम नागरिकों को जानमाल की व्यापक हानि उठानी पड़ती है। पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की घटना तथा छत्तीसगढ़ में विशेष पुलिस अधिकारियों को ले जा रही बस को उड़ाए जाने के पश्चात् आम नागरिकों को भी जानें गंवानी पड़ी थी। साथ ही ऐसी घटनाओं के पश्चात् कई दिनों तक आस-पास के क्षेत्रों में भय का माहौल बना रहता है। हाल के दिनों में नक्सली बंद की घटनाएँ, नक्सलियों द्वारा राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के अपहरण की घटनाएँ, झारखण्ड के गढ़वा जिले के कुछ गाँवों को बंधक बनाकर रखे जाने की घटनाओं ने आम नागरिकों को अधिक भयभीत कर दिया है।
- **देश की आर्थिक प्रगति दुष्प्रभावित**— नक्सलवादियों द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाने के फलस्वरूप देश के महत्वपूर्ण संसाधनों का ह्रास होता है। इसके अतिरिक्त नक्सली बंद की घटनाओं के कारण व्यापक स्तर पर व्यापार व वाणिज्य दुष्प्रभावित होता है। इन घटनाओं ने भारत की आर्थिक प्रगति के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत की है।
- **कानून व्यवस्था की समस्या**— भारत में नक्सलवाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के समक्ष सर्वप्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। नक्सलियों द्वारा पुलिस बलों से अधिक उन्नत हथियारों के प्रयोग, सुदृढ़ खुफिया तंत्र आदि ऐसे

कारण हैं जिसने भारत की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों को कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करने की राह में बाधा उत्पन्न की है।

- **राष्ट्रीय एकता को खतरा**— किसी भी देश की आंतरिक अस्थिरता देश की एकता तथा अखण्डता को चुनौती प्रस्तुत करती है। नक्सलवादियों द्वारा आम लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना भारत की सुरक्षा के साथ-साथ एकीकरण के लिए भी प्रमुख चुनौती है।
- **देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान**— भारत में नक्सलवाद का प्रसार मुख्यतः उन क्षेत्रों में है जहाँ आर्थिक विकास की दृष्टि से खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा आदि राज्य इनमें प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलीकरण के कारण देशी कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियाँ भी उद्योग-धंधे स्थापित करने से पीछे हट जाती है। साथ ही नक्सलवादी घटनाओं के कारण देश में उत्पन्न अशांति एवं अस्थिरता ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत की है। उक्त परिस्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान हुआ है।
- **देश विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन**— देश विरोधी शक्तियाँ हमेशा इस मौके की तलाश में होती हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विरोधी देश के अंदर निर्मित हों ताकि वे अपने हितों की आसानी से पूर्ति कर सकें। नक्सलवाद की घटनाओं के कारण उत्पन्न परिस्थितियों ने इन संगठनों को यह अवसर प्रदान किया है। वर्तमान समय में कई ऐसी शक्तियाँ नक्सली समूहों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं और देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दुष्प्रभावित कर रही हैं।

नक्सली आंदोलन का अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध

नक्सलबाड़ी गाँव से 1967 में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रमुख चारू मजूमदार भी माओ के सशस्त्र आंदोलन की तरह भारत में व्यवस्था बदलना चाहते थे। उस समय बीजिंग रेडियो से भी नक्सली आंदोलन के समर्थन की खबरे प्रसारित हो रही थी। नक्सलियों द्वारा अपनायी गयी रणनीति में माओ की विचारधारा स्पष्ट परिलक्षित होती है। नक्सली गतिविधियाँ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उससे स्पष्ट होता है कि इसके उभरने के लिए मात्र गरीबी एवं पिछड़ेपन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बाहरी संपर्क नक्सली आंदोलन के लिए खाद एवं पानी का कार्य कर रहा है। नक्सली संगठनों के सबसे करीबी संबंध नेपाली माओवादियों से है। इनके नेपाली माओवादियों से हथियार खरीदने के प्रमाण मिल चुके हैं। विभिन्न नामों से सक्रिय माओवादियों का देश के भीतर सुचारू नेटवर्क है। इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों और कई अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी संगठनों के साथ इनके गहरे संबंध हैं। नक्सलियों की योजना भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय लाल गलियारा बनाने की है। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक इनके तार फैले हैं। पेरू की लिबरेशन आर्मी और कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी से भी पीपुल्स वार ग्रुप के घनिष्ठ संबंध हैं। वर्ष 1995 में बेल्जियम की वर्क्स पार्टी ने लगभग 40 देशों के 60 संगठनों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसमें पीपुल्स वार ग्रुप ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लिट्टे ने पीपुल्स वार ग्रुप को प्रशिक्षण एवं हथियार दिए हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया के तमाम माओवादी संगठनों से पीडब्ल्यूजी के संबंध पहले ही उजागर हो चुके हैं। वर्ष 2001 में भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के 9 माओवादी संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम 'कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एंड आर्गनाइजेशन' रखा गया। इस संगठन का लक्ष्य है-दक्षिण एशिया की सभी माओवादी पार्टियों और संगठनों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

भारत में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति (Current Situation of Naxalism in India)

वर्तमान में नक्सलवादी आंदोलन अत्यंत व्यापक हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। नक्सलवादियों की हिंसक क्षमता काफी बढ़ गई है। इस आंदोलन को भरपूर

प्रोत्साहन तब मिला जब इसके दोनों घटक पी.डब्ल्यू.जी. और एम.सी.सी. ने 21 सितम्बर, 2004 को आपस में विलय का फैसला किया। इस एकीकृत संगठन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) कहा गया। इस विलय से जहाँ इस आंदोलन का समर्थन आधार बढ़ा है, वहीं इससे अखिल भारतीय क्रांतिकारियों को स्वरूप भी मिला है। दोनों गुटों के एकीकरण के बाद नक्सलवादियों का उद्देश्य एक लाल गलियारे (Red Corridor) का निर्माण करना है, जो भारत नेपाल सीमा से लेकर दंडकारण्य क्षेत्र तक विस्तृत होगा।

वर्तमान नक्सलवादी आंदोलन की साँठ-गाँठ अन्य उग्रवादी संगठनों से होने के भी प्रमाण मिले हैं। इससे यह समस्या और भी जटिल हो गई है। नेपाल के माओवादियों के साथ तो इनके संबंध काफी पुराने हैं, किन्तु हाल ही में एल.टी. टी.ई. व आई.एस.आई.से भी इनके रिश्ते होने के संकेत मिले हैं। देश के अंदर कार्यरत अन्य उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (आईएम) तथा उल्फा के साथ भी इनका सहयोग है।

परन्तु जो नक्सलवादी आंदोलन 45 वर्ष पहले **चारू मजूमदार** के चमत्कारी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, आज वह अपना बौद्धिक व वैचारिक आधार लगभग खो चुका है। इस आंदोलन का आज अपराधीकरण हो चुका है और इसमें अनेक विकृत मानसिकता के असामाजिक तत्व प्रवेश कर चुके हैं, जिससे यह आंदोलन दिशाविहीन हो गया है। हालांकि इन्हें आज भी शोषित व वंचित वर्गों का समर्थन प्राप्त है।

नक्सलवादी सरकारी प्रतिष्ठानों व पुलिस बलों पर हमला करने के साथ ही सामान्य जनता को भी निशाना बनाने लगे हैं। अप्रैल 2010 में हावड़ा से मुंबई जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर माओवादी हमला, अक्टूबर 2009 में भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी को बंधक बनाया जाना, छत्तीसगढ़ में नागरिक बस पर हमला आदि इन बातों का प्रमाण है कि यह आंदोलन अब भटक चुका है। नक्सलवादी जिस विकास के अभाव को आधार बनाकर आंदोलन करते हैं वे स्वयं उन विकासात्मक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करते हैं। नक्सलवादियों के डर से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों का ठेका लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इन क्षेत्रों के ठेकेदारों से जबरन वसूली की जाती है। नक्सलवादी स्कूल व कॉलेज की बिल्डिंग तक को अपना निशाना बनाने लगे हैं।

नक्सलवादी आंदोलन 14 राज्यों के 165 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें सर्वाधिक प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं। नक्सली कर्नाटक, केरल

व तमिलनाडु में भी अपना प्रभाव फैलाते जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित है। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर सितंबर 2005 के हमले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सीपीआईएम को प्रतिबंधित कर दिया। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर आदि जंगल का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। 2012 में नक्सलवादियों ने सुकमा जिले के डीएम का अपहरण कर लिया था, हालांकि बाद में उन्हें सकुशल रिहा कर दिया गया। 2018 में 13 मार्च को सुकमा में CPI (M) के द्वारा IED के धमाके द्वारा CRPF के 'माइन प्रोटेक्टेड' वाहन पर हमला किया गया। इसमें 9 जवान मारे गये एवं 6 अन्य घायल हुए।

मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद यहाँ नक्सलवाद सिर्फ बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और सीधी जिलों तक सीमित रह गया है। झारखंड के 24 में से 17 जिलों में नक्सलवादी सक्रिय हैं, जिनमें चतरा, लातेहार, पलामू, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा आदि प्रमुख हैं। वहीं बिहार के 38 में से 20 जिले नक्सलवाद की चपेट में है, जिनमें औरंगाबाद, गया, सासाराम आदि प्रमुख हैं।

आंध्र प्रदेश में 2004 तक नक्सली बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक पर हमला कर दिया था। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में चलाए गए सघन नक्सल विरोधी अभियान ने नक्सलवादियों के प्रभाव को काफी सीमित कर दिया।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का जोर अपेक्षाकृत कम है। इसका श्रेय 'ऑपरेशन बरगा' नामक एक सफल अभियान को दिया जाता है जिसके अंतर्गत बटाई पर खेती करने वालों को पंजीकृत करके उन्हें स्थायी और विरासत में मिलने वाले अधिकार दे दिए गए ताकि वे खेती करते रहें।

ओडिशा के उत्तरी जिलों और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में ज्यादा अस्थिरता है। फरवरी, 2017 में ओडिशा आन्ध्र प्रदेश सीमा पर बारूदी सुरंग के विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं। हाल ही में नक्सलियों ने ओडिशा में दो विदेशी पर्यटकों तथा एक विधायक का अपहरण कर लिया था तथा कुछ महत्वपूर्ण मांगों के माने जाने के बाद इनको रिहा किया गया।

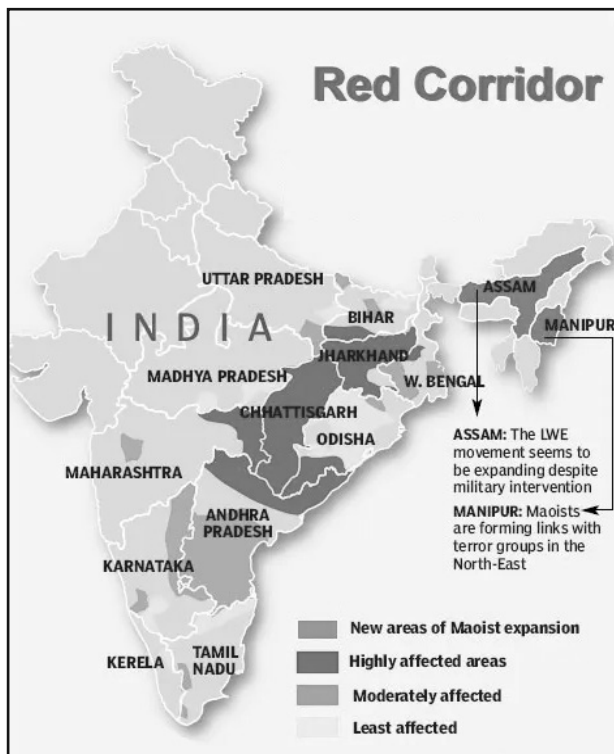
महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला नक्सलवाद से खासा प्रभावित इलाका है हालांकि भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया में भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। 27 मार्च 2012 को महाराष्ट्र

के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट कर 12 सीआरपीएफ कर्मियों की हत्या कर दी थी। मई 2017 में C-60 कमाडों पर हमले में 1 पुलिसकर्मी शहीद तथा 19 घायल हो गये। 2019 ई. में हुए कुल 670 नक्सली हमले में 150 नागरिकों और 52 जवानों की मृत्यु हो गयी।

लाल गलियारा

लाल गलियारा भारत के पूर्वोत्तर, मध्य तथा दक्षिणोत्तर हिस्सों में नक्सलवाद-माओवाद प्रभावित इलाका है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के हिस्से आते हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार माओवादियों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। अप्रैल 2018 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 90 हो गयी (पहले 126 के मुकाबले)। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 44 जिलों में लापरवाही के कारण नक्सल घटनाएँ हुई थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया है किंतु रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नक्सल प्रभाव 8 नए जिलों (मध्य प्रदेश - मांडला, छत्तीसगढ़ - कबीरधाम, केरल - वायनाड, पलक्कड तथा मलप्पुरम तथा आंध्र प्रदेश - पश्चिम गोदावरी) में पहुँच गया। इसके अंतर्गत 30 सर्वाधिक प्रभावित जिलें हैं (पहले 36 थे)। वर्ष 2015 में सरकार के द्वारा 'नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान' लागू किया गया। जो Left wing Extremism (LWE) की चुनौती के समाधान से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार माओवादी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं एवं पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के राज्यों तक अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए माओवादी त्रिकोणीय जंक्शन पर खुद के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। माओवादी असम एवं अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ना नई चुनौती पैदा करेगा।



विभिन्न सक्रिय नक्सलवादी संगठन

MCC (Maoist Communist Centre)

जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) 1969 में स्थापित हुई तब से कुछ माओवादी समूहों ने अलग अस्तित्व बनाए रखा। इन्हीं समूहों में एक का उपनाम दक्षिण देश था। यह समूह श्रम संघ कार्यकर्ताओं के एक क्षेत्र से जुड़ा था। 1975 में इस समूह ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर नाम अपना लिया। हालांकि कई वर्षों के राजनीतिक तथा सशस्त्र गतिविधियों के पश्चात् भी यह जंगल महल इलाके में पैठ बनाने में असफल रहा। 1976 में इसने देश के अन्य भागों में गतिविधियों को बढ़ाने का फैसला किया तथा जल्द ही यह बिहार में फैल गया।

PWG (People's War Group)

पीपुल्स वार ग्रुप का गठन 22 अप्रैल 1980 को कोंडापल्ली सीतारमैय्या द्वारा दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में किया गया था। पीडब्ल्यूजी की विचारधारा माओत्से तुंग के संगठित किसान विद्रोह के सिद्धांत से चालित होती है। यह संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है तथा गुरिल्ला युद्ध आधारित संघर्ष के माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने में विश्वास रखता है। संक्षेप में पीडब्ल्यूजी दावा करती है कि यह एक नई लोकतांत्रिक क्रांति की शुरुआत करना चाहती है।

CPI(M) (Communist party in India) (Marxist)

इसकी स्थापना दो खूंखार नक्सली संगठनों के आपसी विलय के बाद हुई माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी और भाकपा माले, पीपुल्सवार ने साल 2004 में 21 सितम्बर को आपस में विलय कर लिया। वैसे विलय की आधिकारिक घोषणा उसी साल 14 अक्टूबर को की गयी। विलय के बाद तदर्थ केन्द्रीय कमेटी बनी जिसका महासचिव पीपुल्स वार नेता गणपति को बनाया गया। उनका सही नाम मुप्पला लक्ष्मणा राव है। 22 जून, 2009 को भारत सरकार ने भाकपा माओवादी को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया। अब भाकपा माओवादी के कार्यकर्ताओं पर यूएपीए (UAPA) के तहत कार्रवाई हो सकेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में पहले से ही संगठन पर प्रतिबंध लागू है। देशव्यापी प्रतिबंध लगने के बाद रैलियों, आमसभा और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही उनके कार्यालय और बैंक अकाउंट भी जब्त हो जाएंगे।

नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की रणनीति (Strategy of Government against Naxalism)

सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा, विकास, प्रशासन तथा प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद से समग्र रूप से निपटने का है। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि “नक्सली समस्या से निपटने की हमारी रणनीति के दो स्तंभ होंगे, पहला प्रभावी पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और दूसरा वंचना और अलगाव के बोध को कम करना।” प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि “पुलिस अनुक्रिया आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के राष्ट्रीय दायित्व के लिए यह जरूरी है।”

नक्सलवाद के प्रति उपर्युक्त दृष्टिकोण रखते हुए सरकार ने नक्सलवाद से निपटने की एक समग्र नीति बनाई है। इस नीति के तहत सरकार ने मार्च 2006 में नक्सलवाद से निपटने के लिए **14 सूत्री रणनीति** की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह स्वीकार करते हुए कि नक्सलवाद केवल विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है, सरकार ने एक साथ राजनीतिक सुरक्षा विकास और जन अवबोधन प्रबंधन के मोर्चे पर होलिस्टिक तरीके से कार्य करना शुरू किया है। इस 14 सूत्रीय रणनीति के अन्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

- सामूहिक और समन्वित दृष्टिकोण।
- बेहतर पुलिस प्रतिक्रिया।

- जब तक नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होते उनसे बातचीत न करना।
- तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास।
- गरीबों को भूमि का वितरण और भूमि सुधार का तीव्र कार्यान्वयन।
- सरकारी तंत्र की पुनर्स्थापना।
- सरकार में जनता के विश्वास की पुनर्बहाली।
- नक्सली हिंसा व जान-माल के नुकसान की व्यर्थता के बारे में जनता को बताने के लिए जन-संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग।

देश को इस समस्या से निपटने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न उच्च स्तरों पर विचार-विमर्श तथा बातचीत करने के बाद यह उचित समझा गया है कि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने से परिणाम सामने आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए वामपंथी उग्रवादी हिंसा के विस्तार तथा प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया तथा नौ राज्यों के सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को चिन्हित किया गया जिन पर नियोजन तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिहाज से विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नक्सलवाद तथा मोदी सरकार

सबसे पहले मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए नक्सलवाद के विरोध में विशेष अभियान की चर्चा करना आवश्यक है, देखा जाए तो ऐसे मोदी सरकार के पहले भी कई अभियान चलाए गए हैं उदाहरणस्वरूप स्टीपेलचेस अभियान (1971), ग्रीनहंट अभियान (2009) इत्यादि परन्तु जून-2017 ई. में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा नक्सली अभियान चलाया गया। इस अभियान को 'प्रहार' नाम दिया गया। इस अभियान में 'केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तथा इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया था। इस अभियान को चिंतागुफा पुलिस स्टेशन में चलाया गया जहाँ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इस अभियान में तीन जवाद शहीद हो गए तथा कई अन्य घायल हो गए। इसमें अनगिनत नक्सलियों को मारे जाने की सूचना मिली। 25 जून, 2017 को इस अभियान को समाप्त कर दिया गया।

देखा जाए तो मोदी सरकार के आने के बाद विशेष रूप से नक्सलवाद की समस्या में कमी देखने को मिली है। भारत में जहाँ पहले 16 राज्य नक्सलवाद से पीड़ित थे वहीं अब

11 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है। ऐसे तो गृह मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि समय के साथ सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण, जंगल आधारित क्षेत्रों का बुनियादी विकास तथा आर्थिक सामाजिक विकास को मजबूती दे साथ आगे बढ़ाने के कारण नक्सलवाद की समस्या में कमी आयी है। परन्तु साथ में यह भी कहना सही होगा कि कई चुनौतियाँ भी एक साथ आ रही हैं; जैसे—

नक्सलवाद-आतंकवादी संगठनों में मेल-मिलाया तथा इस्लामिक संगठनों का नक्सलवादियों से संचार तथा लेन-देन का रिपोर्ट इत्यादि। देखा जाए तो इस तरह से नक्सलवाद की सहयोगी शक्तियों से मोदी सरकार को सावधान रहने की आवश्यकता है। देखा जाए तो यह कहना सही होगा कि वर्तमान से नक्सलवाद को लेकर चीन-पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जैसे देशों में कई समूह सक्रिय हैं तथा वो भारतीय नक्सली संगठन को सहायता कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह चिह्नित हुआ है कि नक्सलियों के पास बांग्लादेश तथा म्यान्मार के रास्ते हथियार आते हैं तथा इसमें एक नया टर्म 'अर्बन नक्सल' ने ले लिया है।

सरकार का कहना है कि जितना खतरा नक्सलवाद को लेकर है उतना ही खतरा नक्सलवाद को लाभ पहुँचाने के लिए क्रियाशील भारत के कई बुद्धिजीवी संगठन या समूह है। देखा जाए तो विभिन्न स्तर पर यह कहना सही होगा कि इन समूहों में कई विद्वान, लेखक, फिल्मकार तथा संगठनकर्ता आते हैं। देखा जाए तो इन समूहों की विद्वता तथा बुद्धिमत्ता भारत को अस्थिर करने में लग रही है, ऐसा सरकार को आदेश है परन्तु 'मानवाधिकार' भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में इसके आड़े आ रहा है।

नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास (Efforts made to solve the problem of Naxalism)

A. संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास

- **IPC एवं CRPC में प्रावधान:-** नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु IPC एवं CRPC में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों तथा नक्सलियों को सहयोग प्रदान करने वाले लोगों आदि के संबंध में दण्डात्मक उपबंध दिए गए हैं।
- **TADA, POTA एवं UAPA जैसे कानून:-** टाडा, पोटा तथा UAPA जैसे कानूनों का प्रयोग नक्सलवादियों के

विरुद्ध समय-समय पर किया जाता रहा है। इन कानूनों के अंतर्गत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों अथवा संगठनों के लिए कठोर दण्डात्मक प्रावधान किए थे। इन पर दुरुपयोग के आरोपों के बाद टाडा एवं पोटा कानून को निरस्त कर दिया गया है। परन्तु UAPA अभी भी लागू है। वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ॰ विनायक सेन की गिरफ्तारी इसी कानून के तहत नक्सलियों को सहयोग पहुँचाने का आरोप लगाते हुए किया गया था। प्रमुख नक्सली कोबाद गांधी की गिरफ्तारी भी इसी कानून के तहत की गई है। POTA को UPA की सरकार ने वापस ले लिया था

B. योजनागत प्रयास

- **सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम:-** सामाजिक-आर्थिक असमानता भारत में नक्सलवाद के प्रसार का प्रमुख कारण रही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ताकि वंचित समूहों के जीवन स्तर में सुधार हो सके एवं वे मुख्य धारा से जुड़ सकें।

रोशनी परियोजना

- नक्सली हिंसा से ग्रसित जिलों में युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास हेतु प्रारम्भ।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा (जून 2013 में) नक्सल प्रभावित 24 जिलों में 3 वर्ष के लिए लागू।
- 50000 युवाओं को कौशल दक्षता प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है (18-35 वर्ष आयु वर्ग)।
- 24 जिलों में प्रायोगिक तौर पर लागू होगा।
 - 6 - झारखंड
 - 6 - ओडिशा
 - 5 - छत्तीसगढ़
 - 2 - बिहार
 - 1 - आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश
- कुल व्यय का वहन अनुपात, केन्द्र : राज्य - 75 : 25
- लाभान्वितों में कम से कम 50% महिलाएँ होंगी।
- जनजातीय जनसंख्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

- **शिक्षा तथा जागरूकता का प्रसार:-** सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार तथा नक्सलियों के विरुद्ध लोगों में जागरूकता के प्रसार हेतु कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। सर्वाधिक नक्सलवाद प्रभावित जिलों में 8 नए केंद्रीय विद्यालय एवं 5 नए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना (जहाँ केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय

नहीं है) किया जा रहा है। इसके अलावा 35 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में 1590 नए विद्यालय खोलना या पहले से स्थापित को सुधारना एवं 350 लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत आदि कार्यक्रम इनमें प्रमुख हैं। सरकार नागरिकों को यह समझाने का प्रयास करती है कि नक्सली विकास विरोधी हैं तथा विकास में आम जनता के सहयोग के बिना गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

- **सुरक्षा बलों एवं आसूचना एजेंसियों का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण:-** सरकार ने सुरक्षा बलों के सुदृढीकरण हेतु इससे संबंधित मुद्दों के लिए निधियों की स्वीकृति प्रदान की है। अत्याधुनिक हथियार, उन्नत प्रशिक्षण, बुलेट प्रूफ वाहनों, संचार के उन्नत साधनों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण आदि के द्वारा सुरक्षाबलों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न आसूचना एजेंसियों को भी उन्नत तकनीकी संसाधनों के माध्यम से उत्कृष्ट बनाया जा रहा है।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट:-** यह अभियान अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस के सम्मिलित सहयोग से नक्सलवादियों के खिलाफ नवम्बर 2010 में प्रारंभ किया गया। इसका कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व एक नवगठित सुरक्षा बल कोबरा द्वारा किया गया। नक्सलवादियों में इसकी खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया चल रही है।
- **सलवा जुद्ध:-** वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों से निपटने हेतु स्थानीय आदिवासियों को प्रशिक्षण देकर विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा प्रदान किया और उन्हें नक्सलियों के साथ लड़ाई में उतार दिया। इस अभियान को सलवा जुद्ध का नाम दिया गया। इस अभियान के बहुत निराशाजनक परिणाम रहे तथा सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई। अंततः वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में सलवा जुद्ध को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। सलवा जुद्ध को एक असफल योजना माना जाता है। इस योजना के तहत कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं।
- **आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति:-** नक्सलवादियों को हथियार छोड़ विकास की मुख्य धारा में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का संचालन किया जा रहा है। इस नीति

के तहत विभिन्न हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को एकमुश्त राशि तथा मासिक/वार्षिक वजीफा प्रदान किया जाता है। साथ ही इनको स्वास्थ्य, बच्चों के लिए शिक्षा तथा रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

- **नक्सली क्षेत्र में विशेष बुनियादी विकास की योजनाएँ**— एक तरफ सरकार सुरक्षा संबंधी ढाँचे को मजबूत करने के कार्यक्रम व केन्द्र व राज्य तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय हेतु कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए संवेदित प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि इन क्षेत्रों को अविकास से मुक्ति दिलाकर इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस संबंध में प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:—

- **एकीकृत कार्य योजना**— यह योजना आयोग की अनुशंसा से वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना को 9 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित 35 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके तहत व्यापक अवसंरचनात्मक और आर्थिक विकास के साथ पेसा एक्ट, 1996 और संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 के उचित लागूकरण के माध्यम से जनजातियों को माओवादियों को सहानुभूति देने से दूर लाया जाएगा। इस योजना में निम्न प्रस्ताव किए गए:—

1. गौण वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिवादियों और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार सशक्तिकृत ग्राम पंचायत का प्रस्ताव।
2. अति प्रभावित 35 जिलों में आई.टी.आई. की स्थापना।
3. उनके द्वारा खेती के लिए उपयोग की जाने वाली जमीन को प्रमाणित मानचित्र तैयार करने एवं राजस्व रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकृत तंत्र बनाने के बाद पारंपरिक रूप से जोड़ने वालों के नाम से कर दी जायेगी।
4. राज्य सरकार को अधिसूचना के द्वारा राज्य खनिज फंड के नाम से एक फंड बनाना चाहिए और राज्य से निकाले जाने वाले प्रमुख या गौण खनिज पर संग्रहित रॉयल्टी का 10 प्रतिशत इस फंड में जमा किया जाएगा।

- **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड योजना**— सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड योजना के अंतर्गत अति

प्रभावित नक्सल जिलों को इसके अंतर्गत लाने का फैसला किया है और इसके अंतर्गत फंड की राशि बढ़ा दी गयी है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक वर्ष में 20 करोड़ की राशि विकास संबंधी कार्यों पर खर्च करने के लिए दी जाती है।

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फैलोशिप कार्यक्रम (PMRDFS)**— इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत मार्च, 2011 में करने की घोषणा की गई इस योजना का मूल उद्देश्य बताते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि “यदि माओवादी अपनी विचारधारा से युवाओं को आकर्षित करते हैं, तब सरकार को भी इसी तरीके से उनका प्रतिरोध करना होगा।” इस कार्यक्रम के तहत प्रबंधन में डिग्री प्राप्त छात्रों को 78 अति प्रभावित जिलों में नियुक्त किया जाएगा, जो कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों को लागू करने के संबंध में जिलाधिकारियों की मदद करेंगे। इस कार्यक्रम को लागू करने में सरकार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मदद मिलेगी।

- **रोड रिक्वायरमेंट प्लान- 1 (RRP)** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के द्वारा 2009 में शुरू की गई थी। यह 8 राज्यों के 34 नक्सलवाद प्रभावित जिलों के सड़क संपर्क को बढ़ाता है। वर्तमान में (RRP II) अंतर्गत 5,422 किमी. सड़क का निर्माण करने का लक्ष्य है।

- **नक्सलवाद प्रभावित जिलों में कौशल विकास**— यह कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत 47 नक्सलवाद प्रभावित जिलों में ITI (प्रत्येक में 1) एवं 34 नक्सलवाद प्रभावित जिलों में 68 कौशल विकास केंद्र की स्थापना (प्रत्येक में 2)।

- **नक्सली हिंसा पीड़ितों को सहायता**— सरकार द्वारा नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का वृहत् उद्देश्य नक्सली हिंसा के पीड़ितों के परिवारों की सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवार को किसी विशेष घटना में एक परिवार में हुई मौतों की संख्या पर गौर किए बिना 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत नक्सली हिंसा के पीड़ित होने के कारण लाभ भोगियों को दी जाने वाली सहायता सुरक्षा संबंधी व्यय

की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि एवं अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त है।

- **सुरक्षा संबंधी व्यय:-** सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत सुरक्षा बलों के बीमा, प्रशिक्षण तथा ऑपरेशनल जरूरतों से जुड़े व्यय के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों पर होने वाले व्यय, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों द्वारा सुरक्षा अवसंरचना और प्रचार सामग्री के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- **विशेष अवसंरचना संबंधी योजना:-** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना की शुरुआत 500 करोड़ रुपये के आवंटन से 11वीं योजना के प्रारंभ में की गई थी ताकि महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। ये कार्य दुर्गम क्षेत्रों में मौजूदा सड़क मार्गों का उन्नयन करके पुलिस सुरक्षा बलों की संचलता आवश्यकताओं, दूरवर्ती और आंतरिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षित कैम्पिंग ग्राउंड्स और हैलीपैड की व्यवस्था, सुभेद्य क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों चौकियों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों आदि से संबंधित हो सकती है।
- **अन्य योजनागत प्रयास:-** वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को और अधिक सहायता मुहैया करवाने हेतु अनेक निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के अनुसरण में निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:-
 - वामपंथी उग्रवादी हिंसा से प्रभावित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में से प्रत्येक में एकीकृत कमान की स्थापना। इस एकीकृत कमान में सिविल प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल अधिकारियों के अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी भी शामिल होंगे तथा यह कमान सावधानीपूर्वक सुनियोजित नक्सलरोधी अभियानों का संचालन करेगी।
 - केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के थानों में 400 किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण सुदृढीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक नई योजना शुरू की है जिसमें मौजूदा आवंटन

के अतिरिक्त केन्द्र और राज्यों के हिस्से का अनुपात 80:20 होगा।

- केन्द्र सरकार के स्तर पर एक अधिकार प्राप्त अधिकारी दल का गठन किया गया है जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थितियों के आलोक में विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी मौजूदा अनुदेशों के अधिक्रमण या उनमें सुधार करने का कार्य करेगा।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार), अधिनियम 1996 (पेसा एक्ट) के उपबंधों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें लघु वन उत्पादों के अधिकार विशिष्ट रूप से ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं।
- 35 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता- यह सहायता योजना 27.09.2017 को प्रारम्भ हुई। इसके अंतर्गत इन जिलों में आधारभूत संरचना के विकास एवं बेहतर सेवा (लोक सेवा) उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को विशेष सहायता देती है।

C. अन्य प्रयास

- **बातचीत का प्रयास:-** नक्सलियों को हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए जाते रहे हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से बातचीत की जाती है। कई गैर-सरकारी संगठनों के लोग जैसे स्वामी अग्निवेश, महाश्वेता देवी आदि भी नक्सलियों की समझाने हेतु प्रयास करते रहे हैं।
- **सामुदायिक पुलिसिंग:-** जनता का विश्वास हासिल कर नक्सलियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। प्रारंभ में इसे दक्षिण भारत के राज्यों में शुरू किया गया तथा इसकी सफलता के पश्चात् झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि उत्तर भारत के राज्यों में भी इसे अपनाया गया। इसके तहत पुलिस प्रशासन आम जनता के कल्याण हेतु अपनी भूमिका सुनिश्चित करती है। इसमें अनाथ बच्चों को गोद लेना, आपदा पीड़ितों की सहायता, गरीबों को भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं।
- **केन्द्र सरकार द्वारा की गयी समन्वयात्मक पहल एवं**

राज्यों को मदद:- पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय होने से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना मुख्यतः उन संबंधित राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार है, जो राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का निपटान करती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती है और राज्यों के प्रयासों में उनकी अनेक प्रकार से मदद करती है। इनमें शामिल हैं:-

- दृढ़ कार्रवाई के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा कमांडो बटालियनों (कोबरा) को उपलब्ध कराना।
- इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति
- विद्रोहरोधी तथा आतंकरोधी स्कूलों की स्थापना
- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन
- सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना से संबंधित योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना
- रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता
- आसूचना का आदान-प्रदान
- अंतर-राज्य समन्वय को आसान बनाना
- राज्य के भीतर तथा दूसरे राज्यों के साथ राज्य के विशेष समन्वित संयुक्त अभियानों में सहायता करना।
- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा नागरिक कार्यों (सिविल एक्शन) में सहायता करना तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की अनेक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में सहायता करना।

ऑपरेशन 'समाधान'

यह गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली समस्या के समाधान के लिये किया गया प्रयास है। समाधान (SAMADHAN) का पूरा नाम निम्नलिखित है-

- **S-स्मार्ट लीडरशिप-** राज्यों पर नक्सल विरोधी अभियानों का 'उत्तरदायित्व' होगा और राज्य 'गुरिल्ला हमलों से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीति' तैयार करेंगे।

- **A-एग्रेसिव स्ट्रैटजी-** नक्सल बेल्ट में ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त हेलिकॉप्टर सहयोग तथा 1100 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- **M-मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग-** भारतीय सेना या ग्रेहाउंड्स जैसे विशेष बलों द्वारा नक्सलियों का सामना करने के लिए बलों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **A-एक्शनेबल इंटेलिजेंस-** अन्तर्राज्यीय सीमाओं के साथ ऑपरेशन के संचालन हेतु संयुक्त कार्य बल की स्थापना। बेहतर अन्तर-राज्य समन्वय और आसूचना साझाकरण।
- **D-डैशबोर्ड-** डैशबोर्ड विकास के लिए एवं KPI (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) और KRAs (की रिजल्ट एरिया) आधारित।
- **H-हरनेसिंग टेक्नोलॉजी-** माओवाद के 'हॉटबेड एरियाज' में उग्रवाद समाप्त करने के लिए नई एवं उन्नत तकनीक का प्रयोग करना।
- **A-एक्शन प्लान-** प्रत्येक थियेटर के लिए एक्शन प्लान।
- **N-नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग-** LWE (Left Wing Extremist) समूह को प्राप्त होने वाले वित्त प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु वर्तमान कानूनों (यथा-प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की समीक्षा की जाएगी।

उपरोक्त प्रयास के अलावा सही रूप में सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार देने, खुफिया एजेंसियों को चौकस रहने तथा कई स्तर पर विभिन्न तरह से संवेदनशील रहने को कहा गया है।

मूल्यांकन एवं सुझाव (Evaluation and Suggestion)

नक्सलवादी समस्या के प्रति सरकार की नीति एक संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें इसे केवल कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में भी देखा जाता है। अतः नीतिगत दृष्टिकोण से सरकार का उपागम उचित है। हाल के दिनों में किशन जी जैसे नक्सली नेता की हत्या तथा कोबाद गांधी जैसे नक्सली की गिरफ्तारी ने सरकारी रणनीति के सकारात्मक पक्ष को परिलक्षित किया है। साथ ही कई स्थानों पर विकासात्मक कार्यक्रमों यथा मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान आदि ने आम लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त कर नक्सलवाद के प्रति उनका मोहभंग किया है। समस्या सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन व प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव तथा केन्द्र व राज्यों तथा

विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की है। सरकारी की नक्सल विरोधी रणनीतियों में निम्न कमियां हैं:-

- **आसूचना संग्रहण की कमजोर यांत्रिकी**— नक्सलवादी गतिविधियों के संबंध में आसूचना संग्रहण की हमारी पद्धति अत्यंत कमजोर है। दुर्लभ व सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले नक्सलवादियों के बारे में बहुत कम सूचना मिल पाती है। इसके चलते नक्सलरोधी अभियानों की सफलता सीमित हो जाती है।
- **विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय का अभाव**— अधिकांश नक्सल प्रभावित राज्य एक दूसरे के सीमावर्ती हैं और नक्सली एक राज्य में कार्रवाई को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में आसानी से शरण प्राप्त कर लेते हैं। इन राज्यों के बीच समन्वय के अभाव में इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
राज्यों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान को लेकर भी कोई यांत्रिकी विकसित नहीं की गई है। हालांकि अभी कुछ राज्यों को लेकर एकीकृत कमान स्थापित की गई है, लेकिन इसके परिणाम ज्यादा सकारात्मक नहीं रहे हैं।
- **पुलिस बलों के पर्याप्त आधुनिकीकरण का अभाव**— पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए चल रहे कार्यक्रम के बावजूद इस क्षेत्र में हमारे पुलिस बल अभी बहुत पीछे हैं। चूंकि पुलिस ही नक्सलियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्राथमिक एजेंसी है, अतः इनका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में एक समस्या वित्त की कमी के रूप में सामने आती है। एक अध्ययन के अनुसार, झारखंड राज्य के पुलिस बल का वार्षिक बजट 520 करोड़ का है, जबकि नक्सली प्रतिवर्ष झारखंड राज्य से 710 करोड़ रुपये की वसूली करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि नक्सलियों की स्थिति पुलिस से बेहतर है।
- **प्रतिबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों का अभाव**— नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएँ तो अनेक चल रही हैं लेकिन इनका प्रभावी कार्यान्वयन एक समस्या बना हुआ है। समस्या यह है कि इन क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं करना चाहता। नक्सली क्षेत्रों में पोस्टिंग को प्रशासनिक अधिकारी सजा के रूप में देखते हैं। कोई भी अधिकारी वहां ज्यादा समय तक रुकना नहीं चाहता। इस कारण विकास कार्यों की निरंतरता में बाधा पहुँचती है।
- **खनिज संसाधन से युक्त क्षेत्रों में नीतिगत असमानता**— नक्सली समस्या का मूल क्षेत्र आदिवासी बहुल ऐसा

इलाका है, जो खनिज के मामले में संपन्न हैं। इन क्षेत्रों में खनिजों से होने वाली आमदनी का लाभ इन आदिवासियों को नहीं मिलता, जो इनके असंतोष का प्रमुख कारण है। खनिजों से होने वाले लाभ को इन्हें हस्तांतरित किए जाने की प्रविधि विकसित नहीं करने के कारण समस्या बढ़ती जा रही है।

- **मानवाधिकार का हनन**— नक्सल गतिविधियों में शामिल पुलिस बलों द्वारा निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाना तथा इनपर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने अथवा नक्सलियों की मदद करने का आरोप लगाकर इन पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की कई घटनाएँ सामने आती रहती हैं। परिणामतः कई मानवाधिकार संगठनों जैसे-PUCL आदि द्वारा पुलिस बलों पर मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाया जाता है।

अतः इन कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त निम्नलिखित सुझाव वामपंथी उग्रवाद से लड़ने में मददगार हो सकते हैं:-

A. संवैधानिक एवं वैधानिक स्तर पर सुझाव

- नक्सलवाद पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कठोर कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही वर्तमान समय में लागू कानूनों का भी कठोरता से प्रवर्तन निश्चित किया जाना चाहिए।

B. योजनागत स्तर पर सुझाव

- विकास कार्यक्रमों को अत्यंत संवेदित करने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत जिले को इकाई बनाया गया है, किन्तु कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ वामपंथ की समस्या केवल कुछ प्रखंडों में ही केन्द्रित है। अतः नक्सलवाद से निपटने एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड को प्राथमिक इकाई बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि फंड का सही उपयोग किया जा सके।
- हमें एक ऐसी यांत्रिकी विकसित करने की जरूरत है जिससे खनिज बहुल इलाके में खनिज से होने वाले आय का एक निश्चित हिस्सा आवश्यक रूप से इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब व वंचित समुदाय को प्राप्त हो।
- भूमि सुधार कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के असमान वितरण की समस्या का समाधान किया जा सके।
- विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनसंख्या को उचित मुआवजा प्रदान करने के साथ-साथ

उनको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

- नक्सलवाद से निपटने में बेहतर तकनीकी व मानवीय आसूचना अत्यंत मददगार होती है, अतः पुलिस बल के अंतर्गत नक्सल संबंधी आसूचना संग्रहण हेतु हमें एक समर्पित इकाई की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न राज्यों व सुरक्षा बलों के बीच समय-समय पर आसूचना आदान-प्रदान की भी स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- नक्सली क्षेत्रों में कार्य करने हेतु हमें एक विशेष और प्रतिबद्ध प्रशासनिक वर्ग की जरूरत है, ताकि विकास कार्यक्रमों को समय पर पूरा किया जा सके। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि इन क्षेत्रों में ऐसे लोगों को ही नियुक्त किया जाए जिनका प्रशासनिक अनुभव व कार्यक्षमता उन्नत किस्म का हो।
- उग्र वामपंथी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावित राज्य आपसी समन्वय स्थापित कर इसके विरुद्ध कार्य करें। इसके लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।
- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों को अत्याधुनिक तकनीकों एवं अन्य सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए।
- वन अधिकार कानूनों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा आदिवासी बहुल इलाकों में खनिज संसाधनों का संरक्षण करते हुए इनका समुचित उपयोग किया जा सके।
- आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग की व्यवस्था द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर उनके साथ मित्रवत संबंध विकसित किया जाना चाहिए।

C. अन्य सुझाव

- प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना बहुत आवश्यक है, तभी जनता का सरकार में विश्वास बहाल हो सकता है। इसके लिए विभिन्न नवाचार आधारित कदम उठाये जा सकते हैं—जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का प्रभावित क्षेत्रों में नियमित दौरा कार्यक्रम, नियमित पर्यवेक्षण, जनता की शिकायतों को प्रत्यक्ष रूप से सुनकर निवारण करना।

- नक्सलवादियों के विरुद्ध हमें एक बौद्धिक आंदोलन भी प्रारंभ करना होगा। हमें सामान्य जनता को नक्सलवादियों के पथभ्रष्ट आंदोलन की वास्तविकता को समझाना होगा। इसके लिए हमें जनसंचार के साधनों व सिविल समाज का सहयोग लेना चाहिए।
- जिन स्थानों पर नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मिलकर नागरिक सुरक्षा समितियों की स्थापना करनी चाहिए।
- नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सलियों के नाम पर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित न किया जाय।
- नक्सली गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को जनता के बीच अधिकाधिक प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए तथा नक्सल विरोधी अभियानों में जनभागीदारी को मजबूत बनाने हेतु उचित प्रयास किए जाने चाहिए।
- ऐसे प्रशासन की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार मुक्त तथा जन सहयोगी हो।

भारत में नक्सलवाद : समसामयिक तथ्य एवं घटनाक्रम

- **पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु हालिया प्रयास-**
 - **सुरक्षा संबंधी व्यय योजना 2017-** इसका उद्देश्य नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों की इससे निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
 - **विशेष केंद्रीय सहायता योजना-** नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए।
 - **विशेष अवसंरचना संबंधी योजना-** इसका उद्देश्य नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में 250 सुदृढ़ीकृत पुलिस स्टेशनों का निर्माण करना है।
 - **सिविल एक्शन प्रोग्राम-** यह प्रोग्राम सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों के मध्य व्यक्तिगत अंतरक्रिया के माध्यम से व्याप्त अंतराल को कम करने के लिए शुरू किया गया है।
 - **ब्लैक पैन्थर काम्बैट फोर्स-** इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ग्रहाउंड्स यूनिट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाही करने के लिए गठित किया गया है।

- ♦ **बस्तरिया बटालियन**- यह छत्तीसगढ़ के चार अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिले में 534 से अधिक जनजातीय युवाओं वाली एक सीआरपीएफ की नवगठित बटालियन है। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। एक बहुआयामी योजना है।

• पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2017-20 के अंतर्गत प्रमुख उप-योजनाएँ

सुरक्षा संबंधित व्यय (SRE) योजना (2017 में अनुमोदित):

- इसका उद्देश्य प्रभावशाली ढंग से वामपंथी चरमपंथ (LWE) समस्या का सामना करने के लिए LWE प्रभावित राज्यों की क्षमता का सुदृढीकरण करना है।
- इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार 106 जिलों में LWE की हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण एवं परिचालन आवश्यकताओं की आपूर्ति, आत्मसमर्पित LWE कैडर को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्रामीण सुरक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना और प्रचार
- सामग्री आदि के सन्दर्भ में किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय का पुनर्भुगतान करेगी।
- 35 सर्वाधिक LWE प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA), इसका लक्ष्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में उभरती प्रकृति के महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है।
- LWE प्रभावित राज्यों में 250 सुदृढ पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष आधारभूत संरचना योजना (SIS) । इस योजना का उद्देश्य राज्यों के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ करके राज्यों का क्षमता निर्माण करना है।
- **LWE प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों की सहायता योजना:** LWE प्रभावित उन राज्यों में जिनकी क्षमता सीमित है; CAPFs, कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन), भारतीय वायु सेना जैसी केन्द्रीय एजेंसियों को LWE के विरुद्ध ऑपरेशन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु हालिया प्रयास**
 - ♦ **सड़क संपर्क परियोजना-II**- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की नक्सलवाद प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में सड़क संपर्क सुधार हेतु विस्तृत परियोजना है। इसे 2016 में शुरू किया गया।

- ♦ **आजीविका केंद्र**- दतेवाड़ा जिले में शैक्षिक एवं आजीविका केंद्र की सफलता से प्रेरणा लेते हुए सरकार ने अब सभी नक्सलवाद प्रभावित जिलों में इसे स्थापित करने की योजना बनाई है।

- ♦ हाल ही में सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित सभी जिलों में संचार सुविधाओं को सुदृढ करने हेतु **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि** के तहत विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम (Civi Action Programme)

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2010-11 में लागू किया गया है इसका उद्देश्य व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों मध्य व्याप्त दूरी को कम करना।

मीडिया योजना

माओवादी अपनी तथा तथाकथित निर्धन-हितेष्टी क्रांति द्वारा छोटे-छोटे प्रलोभनों के माध्यम से अपनी दमनकारी रणनीति का अनुसरण करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों निर्दोष आदिवासियों को बहकाते रहते हैं। इनके द्वारा सुरक्षा बलों के विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया जाता है। अतः इस योजना के तहत नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से गति, एवं पैम्फलेट द्वारा सरकार के प्रयास को बताया जाता है।

आकाशी जिला- गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों आकाशी जिला कार्यक्रम की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015

- सुरक्षा संबंधी उपायों में CAPF के लिए हेलीकॉप्टर, UAVs, सुदृढ पुलिस स्टेशनों का निर्माण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, हथियार और उपकरण, प्रशिक्षण सहायता, खुफिया जानकारी साझा करके LWE प्रभावित राज्यों को सहायता आदि शामिल है।

भौगोलिक सूचना प्रणालीयां G7.5 मैपिंग

नक्सल से प्रभावित 35 जिलों में आवश्यक सेवाओं की G7.5 मैपिंग का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो समय-समय पर वित्तीय सेवाओं, स्कूलों, डाकघरों, सड़कों आदि की समयबद्ध तरीके से मैपिंग करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई है। इससे विभिन्न हितधारकों को विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय ले सहायता मिलेगी।

एकीकृत कमान:

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में एकीकृत कमान की स्थापना की गयी है। इस एकीकृत कमान

में नागरिक प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए असैन्य अधिकारियों के साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी सामिल होंगे। यह कमान सावधानी पूर्वक निर्धारित किए गए उग्रवाद रोधी उपायों को लागू करेगी।

नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बैठक

सितम्बर 2021 ई. में केन्द्रीय गृहमंत्री के साथ 10 नक्सल-प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में गृहमंत्री ने यह आँकड़ा पेश किया कि भारत में नक्सलवाद में अब कमी आ रही है। देखा जाए तो इसके लिए मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए तीन सूत्रीय योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया:—

1. फंडिंग को बंद करने का प्रयास
2. फ्रंटल संगठन पर शिकंजा कसने का प्रयास
3. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने पर फोकस

पिछले कुछ वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय ने नक्सल फंडिंग को रोकने में विशेष सफलता पायी है। इस बैठक में यह भी बताया गया कि वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में 23% की कमी आई है तथा मौतों की संख्या में 21 प्रतिशत की कमी आई है। इस बैठक में बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखण्ड के मुख्यमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के गृहमंत्री भी उपस्थिति थे।

केन्द्र नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में 17,600 किमी. सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिया है तथा इसमें 9,343 किमी. के कार्य को पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा नक्सली क्षेत्रों में 2,343 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। अगले 18 महीने में 2,542 अतिरिक्त टावर लगाए जाएंगे इसके अलावा 1789 डाकघर, 1236 बैंक शाखाएँ तथा 1077 एटीएम लगाए गए हैं। एकलव्य आदर्श विकास विद्यालय आवासीय के तौर पर कई सौ विद्यालय खोले गए हैं।

केंद्र राज्य की समन्वित रणनीति का परिणाम

केंद्र एवं नक्सलवादी प्रभावित राज्यों के समन्वित ठोस प्रयासों ने माओवादी-प्रायोजित हिंसा में कमी आयी है।

3. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 44 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया, वहीं सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी में आने वाले जिलों की संख्या 36 से

घटकर 30 हो गई है।

- इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने शीर्ष नेताओं को निष्क्रिय कर असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस क्रम में विगत दो वर्षों में केंद्रीय समितियों के 39 सदस्यों में से 26 प्रमुख सदस्यों को निष्प्रभावी करने में भी सफल रहे हैं।
- सुरक्षा बलों ने विगत वर्षों में 7000 से अधिक कैडरों की गिरफ्तारी की है, जबकि इतनी ही संख्या में माओवादियों ने विभिन्न राज्यों में प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
- आज वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाएँ 800 रह गई हैं। वहीं मौतों की संख्या 2019 में 150 हो गई है।
- आर्थिक महत्व की अवसंरचना पर हमलों की संख्या जहां 2010 में 365 थी जो 2019 में घटकर वर्ष 2019 में 64 हो गई थी।
- 4. इन नक्सलवादी घटनाओं में गिरावट का कारण
- सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा बेहतर प्रदर्शन।
- प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं की बेहतर निगरानी।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की व्यापक प्रभावी उपस्थिति।
- नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी, आत्म-समर्पण और परित्याग के कारण कैडरों और नेताओं की क्षति।

भारत में नक्सलवाद की समस्या

2019-20 में वामपंथी उग्रवाद के संबंध में महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ और क्रियाशीलता की स्थिति।

- वर्तमान में सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं तेलंगाना) के 30 जिले विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

इस योजना के तहत सरकार ने इन जिलों में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए जो समस्या को हल करने में सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है।

विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति

झारखंड

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में अवसंरचना के विकास पर केंद्रित योजना के तहत विगत तीन वर्षों (2016-2019) में राज्यों द्वारा आवंटित धनराशि का 44 प्रतिशत झारखंड पर खर्च किया गया।
- झारखंड में वामपंथी उग्रवाद अपनी क्षमता वृद्धि में

सफल रहा है।

- 15 नवम्बर 2015 तक 579 घटनाओं में से 160 घटनाएँ झारखंड में घटित हुई थी।

छत्तीसगढ़

- विगत कुछ वर्षों उग्रवाद जनित हतोहित की संख्या में गिरावट आयी है फिर भी यह सर्वाधिक प्रभावित वाले राज्यों में बना हुआ है।
- वर्ष 2019-20 में कुछ घटनाओं का लगभग 40 प्रतिशत एवं सुरक्षा बलों के कुल क्षति का 46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से संबंधित है।
- सुधार के बावजूद कई आंतरिक जिलों में उग्रवादी अधिपत्य में व्यापक संख्या में न जाने योग्य क्षेत्र (No-Go Areas) बने हुए हैं।
- इन क्षेत्रों में स्वीकृत 19 राज्य सड़कों और विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संचालनरत 13 निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है।
- 70 से अधिक सुरक्षा बलों के बटालियन होने के बावजूद, सड़क निर्माण करने की अवधि केवल 3 से 4 घंटे तक सीमित हो गई है।

दक्षिण भारत में प्रसार

- कई खुफिया रिपोर्ट दक्षिण भारत में वामपंथी उग्रवाद का विस्तार करने संबंधी निरंतर प्रयासों की ओर संकेत करती हैं।
- केरल, तमिलनाडु के एक कैडर, और कर्नाटक में एक कैडर सहित चार माओवादी मारे गये थे। कर्नाटक में लगभग 12 माओवादी कैडरों की पहचान की गयी थी।

अर्बन या शहरी नक्सलवाद

देश की वर्तमान पीढ़ी को भारत की संस्कृति से अलग करने की कोशिश को शहरी नक्सलवाद कहा जा सकता है। शहरी नक्सली मुख्यतः चरम वामपंथी, माओवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना।

शहरी क्षेत्र नामक एक सीपीआई (माओवादी) दस्तावेज शहरी नक्सलवादी रणनीति पर विस्तारित था। मुख्य रूप से इसने शहरी क्षेत्रों का नेतृत्व और विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक श्रमिकों तथा शहरी गरीबों को संगठित करने, अग्रणी संगठनों की स्थापना, छात्रों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत समेकित संगठनों के कुशल संयुक्त

मोर्चों का निर्माण करने तथा कर्मियों को तकनीकी सामग्री तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही सैन्य गतिविधियों में शामिल होने पर जोर दिया।

इनकी गतिविधियां

- शहरी नक्सलवाद के मामले में शहर में रहने वाले शिक्षित व्यक्ति नक्सलियों को कानूनी और बौद्धिक समर्थन प्रदान करते हैं।
- शहरों में नक्सलवाद के बढ़ने का सबसे पहला मामला केरल में दिखाई दिया था जब एक नक्सली वर्ग को पुलिस ने पकड़ा था। फिर यह बात निकलकर सामने आई कि अब नक्सली अपना नेटवर्क शहरों में फैला रहे हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सलवाद के पीछे जो विचारधारा है उसको प्रोत्साहित करने वाले लोग शहरों में छिपे बैठे हैं और अपनी गतिविधियों को शहरों से ही अंजाम दे रहे हैं।
- शहरी नक्सलियों का मुख्य एजेंडा शहरों में नक्सलवाद का गुणगान करना और लोगों को नक्सली विचार धारा से जोड़ना है तथा विकास के किसी भी दावे को झुठलाना है।

शहरी नक्सलवाद की एक अन्य परिभाषा के अंतर्गत यह एक ऐसी घटना है जिसे एक या अधिक या निम्नलिखित सभी विशेषताओं द्वारा चिह्नित किया जा सकता है:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधा डालकर किसी भी रूप में विकास कार्यों को रोकने का प्रयास (उदाहरण के लिये बांध निर्माण, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं आदि के खिलाफ पीआईएल दायर करके)।
- देश की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना
- देश की सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप
- देश में हिंदू संस्कृति पर हमला (उदाहरण के लिये हिंदू त्योहारों, रीति-रिवाजों आदि पर हमला)।
- की एकता के लिये शहरी नक्सलवाद बड़ा खतरा

प्रभाव

- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सही मायने में माओवाद को जिंदा रखने वाले बौद्धिक रूप से मजबूत विचारक कई मायनों में पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक हैं।
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफनामे में यह भी कहा था कि ये माओवादी विचारक 'मास ऑर्गेनाइजेशन' या 'फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन' के जरिये शहरी आबादी के खास लक्षित वर्ग को मोबलाइज करने तथा मास ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार संस्थाओं की आड़ में काम करते हैं।
- नक्सलवाद का चेहरा कितना भयानक होता जा रहा है

इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नक्सलवाद ने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिये जम्मू-कश्मीर के आतंकियों के साथ हाथ मिला लिया है।

- ऐसे संगठनों के खिलाफ सीधी लड़ाई हमेशा मुश्किल भरी होती है क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीच ही घुले मिले होते हैं इसलिये इनके साथ संवेदनशीलता और भावनाओं के साथ लड़ना पड़ता है।
- नक्सलवादी, संगठनों को विचारधारा और भावना के साथ जोड़ते हैं इसलिये ऐसे संगठन की विचारधारा और भावना पर हमला बोलना बेहद जरूरी है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी नक्सलवाद हमारे समाज में शुरुआत से ही बसा हुआ है लेकिन गुजरे कुछ वर्षों से इसका भयानक चेहरा सामने आने लगा है।
- देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की लिये कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन शहरी नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं।

नक्सलियों का शहरी नेटवर्क

- गुजरात के सूरत में 2006 से पहले और बाद में कई अन्य औद्योगिक बेल्टों पर माओवादी गतिविधियों का पता लगने से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई है।
- शहरी आंदोलन ने छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में माओवादी गुटों की ओर आकर्षित किया है।
- सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन संगठनों ने शिक्षा क्षेत्र में भी जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है तथा वे कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों को इस आंदोलन से जोड़ने में सफल भी हुए हैं।
- माओवादियों ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में

छात्रों और शिक्षकों समेत शहरी बौद्धिक और मध्यम वर्ग के बीच कुछ सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर लिया है।

- कई अवसरों पर सीपीआई (माओवादी) के महत्वपूर्ण शीर्ष स्तर के नेताओं को नागरिक समाज में छिपे शहरों और कस्बों से गिरफ्तार किया गया है।

2015 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि माओवादी होने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा रखना कोई अपराध नहीं है जब तक कि पुलिस उचित साक्ष्य न प्रस्तुत कर दे कि उसकी गतिविधियाँ गैरकानूनी हैं।

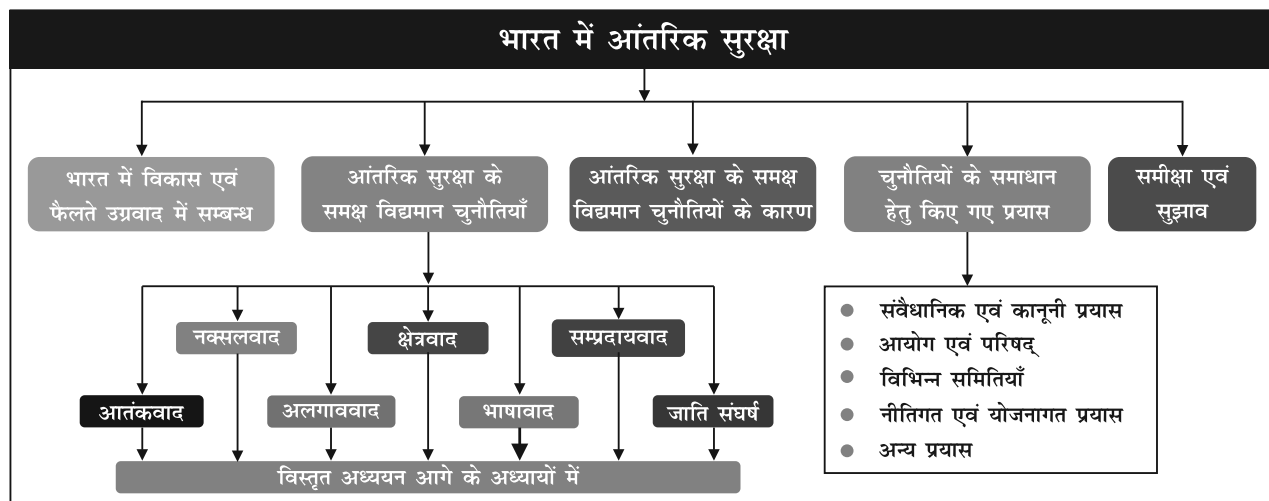
अगर व्यक्ति या संगठन केवल नफरत फैलाने के लिये शारीरिक हिंसा का सहारा लेता है, तो कानूनी एजेंसी उस हिंसा को रोक सकती है अथवा व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

पुणे पुलिस की कार्रवाई से स्पष्ट है कि शहरी समाज में नक्सलियों के प्रति हमदर्दी रखने के साथ ही उनकी हरसंभव तरीके से मदद करने वाले तत्व सक्रिय हैं। इसका प्रमाण तब मिला था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा को नक्सलियों की मदद के अपराध में सजा सुनाई गई थी। निःसंदेह ऐसे तत्वों के खिलाफ आरोप साबित करना कठिन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शहरी समाज में नक्सलियों के दबे-छिपे मददगार मौजूद नहीं हैं।

हाल में गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वामपंथी चरमपंथी चुनौतियों से निपटने की रणनीति में शहरी नक्सलवाद से निपटने की योजना शामिल होनी चाहिये। राज्य सरकारों को माओवादी फ्रंट संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। देश का युवा जैसे-जैसे जागरूक हो रहा है वह देश के विकास में भागीदार बनना चाहता है। वैसे-वैसे नक्सलवाद की विचारधारा से उसका मोहभंग हो रहा है।

भारत में नक्सलवाद की समस्या : संभावित प्रश्न

1. भारत में नक्सलवाद की समस्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।
2. विभिन्न सरकारी तथा अन्य प्रयासों के बावजूद आज देश में नक्सलवाद प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। इसके समाधान हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तुत करना चाहेंगे?
3. “नक्सलवाद की समस्या सरकार की विकासात्मक नीतियों की असफलता का परिणाम है।” आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं?
4. “नक्सलवाद की समस्या ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है।” इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारत के विकास पर नक्सलवाद के प्रभाव की समीक्षा कीजिए।



भारत में विकास और इसमें निहित असंतुलन (Development in India & Inequality inherent in it)

सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन की एक विशिष्ट और काफी लोकप्रिय प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च-भौतिक रहन-सहन के स्तर, स्वास्थ्य के स्तर एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार तथा अधिकाधिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सामाजिक विकास कहते हैं।

सामाजिक विकास में परिवर्तन और वृद्धि दोनों को सम्मिलित किया जाता है, परंतु परिवर्तन का अर्थपूर्ण और सामाजिक विकास का उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक है।

सामान्यतः सामाजिक विकास के अन्तर्गत निम्न लक्ष्यों को प्रमुखता दी जाती है:-

- भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए अर्थात् जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए।
- संसाधन, लाभ एवं आय का समान वितरण होना चाहिए अर्थात् सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- शक्ति के केन्द्रीकरण को नियंत्रित कर समानता तथा विकेन्द्रीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- मानव संसाधन का विकास होना चाहिए।

स्पष्ट है सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ सामाजिक न्याय को भी जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य है कि (समृद्ध व्यक्तियों की) की तरह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विकास की नीतियों और स्वरूपों को भी महत्व मिले।

सम्प्रति सामाजिक विकास के नये विकल्पों की खोज भी जारी है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, प्रदूषण पर रोक, ऊर्जा के नये स्रोतों का ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना को प्रमुखता दी जा रही है।

भारत में विकास (Development in India)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु परिवर्तन के लक्ष्य के रूप में सामाजिक, आर्थिक, विकास के प्रारूप को अपनाया गया। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आधुनिक विकसित समाज बनाना है। इसका अर्थ है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जहाँ लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इनको प्राप्त करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि बनायी गयी और मानवीय तथा भौतिक स्रोतों को संगठित किया गया जिससे संविधान द्वारा निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नीति आयोग ने एजेण्डा-15 में सामाजिक न्याय तथा विकास को एक

अहम् स्थान दिया है तथा महत्वपूर्ण रूप से इस पर कई प्रकार के लक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया गया है।

भारत में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रारूप नियोजन रहा है। भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक विकास को स्वाधीन भारत के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, जहाँ सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति एवं धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता आदि की स्थापना पर बल दिया गया और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित सामाजिक विकास को एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। 1950 में इस नियोजित विकास के एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को राष्ट्र की प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों को जाँचने का कार्य सौंपा गया ताकि नियोजन के द्वारा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। योजना आयोग के द्वारा विकास हेतु इन स्रोतों को संगठित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनायी गयीं और योजनाबद्ध विकास के माध्यम से भारत को आधुनिक विकसित समाज के रूप में परिणत करने का प्रयास किया गया। भारत में इस नियोजित विकास का एक प्रमुख पक्ष पंचवर्षीय योजनाएँ रही हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए योजना का निर्माण करके विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः वृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया।

इस तरह नियोजन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वृद्धि, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को केन्द्र में रखते हुए सामाजिक विकास की क्रिया प्रगतिशील रही है और इसने विकास के लक्ष्यों को कुछ हद तक प्राप्त किया है। परंतु यह भी सत्य है कि हम लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं। नियोजित विकास के भारतीय दृष्टिकोण एवं राजनीति के आलोचकों के अनुसार विकास के इन सभी प्रयासों में केवल कुछ विशिष्ट वर्गों को ही लाभान्वित किया है। बेरोजगार एवं अल्प रोजगार से ग्रसित युवाओं की बढ़ती संख्या यह बताती है कि आर्थिक रूप से लाभप्रद उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकास के मानवीय स्रोतों का उपयोग नहीं हो पाया है विभिन्न क्षेत्रों एवं समूहों के मध्य असमानताएँ बढ़ी हैं। आर्थिक सुधार (1991) के बाद से इन असमानताओं में और वृद्धि दर्ज की गयी है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक नियोजित विकास के बावजूद भूमि सुधार, ग्रामीण संरचना का आधुनिकीकरण, जनसंख्या नियंत्रण आदि आधारभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

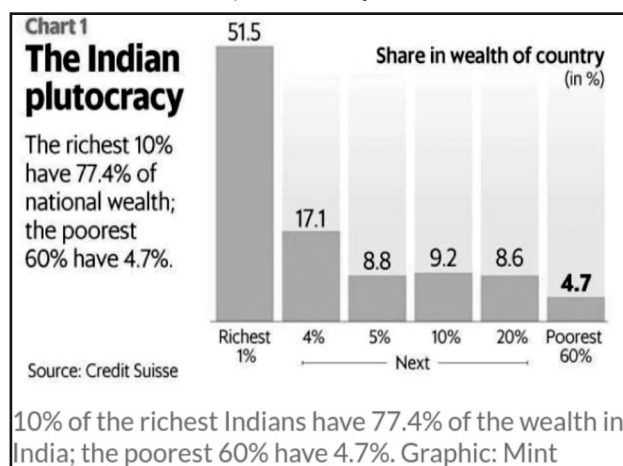
भारत के विकास में निहित असंतुलन (Inequality Inherent in India's Development)

आजादी के बाद से भारत ने विकास के लिए कई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सुधार किए तथा उस समय से अभी तक विकास कार्यों पर लगातार कार्य किया जा रहा है फिर भी इस विकास कार्य में सबकुछ सही नहीं चल सका है तथा विकास में कुछ असंतुलन भी सामने आए हैं। इन्हे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं:-

- **आर्थिक क्षेत्रों में असंतुलन:-** भारतीय आर्थिक क्षेत्रों यथा प्राथमिक (कृषि), द्वितीयक (उद्योग) तथा तृतीयक (सेवा) में पर्याप्त असंतुलन को देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में भारत की आधी से अधिक श्रमसंख्या लगी है परन्तु उत्पादन में इसका योगदान 17-18% से भी कम है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र का योगदान उत्पादन तथा रोजगार में 1/5 (20%) ही है। सभी देशों में क्रम से, पहले कृषि क्षेत्र फिर उद्योग तथा अंत में सेवा क्षेत्र का विकास होता है परन्तु भारत में उद्योगों के पर्याप्त विकास से पहले ही सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गई। इससे आय में वृद्धि तो हुई परन्तु मांग बढ़ने तथा उत्पादन के रुके रहने से भारत को गंभीर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा तथा सेवा क्षेत्र की अतिरिक्त आय इस मुद्रास्फीति के प्रभाव में नाकाम सिद्ध हुई। कोरोना महामारी के बाद इस तरह के असंतुलन की स्थिति और भी बिगड़ गयी है जिसमें बेरोजगारी, बाजार में मंदी तथा आयात-निर्यात में कमी इत्यादि इसके परिणाम के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है।
- **भूमि सुधार कानून असफलता:-** सरकार द्वारा स्वतंत्रता पश्चात् से ही भूमि सुधार के प्रयासों के बावजूद अभी तक जमींदार वर्ग के विरोध, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा कमजोर कानूनी प्रावधानों के कारण ये प्रयास सीमित हो गए और इन प्रयासों का लाभ इसके असल हकदारों तक नहीं पहुंच पाया।
- **कृषि क्षेत्र का पीछे छूटना:-** भारतीय कृषि अभी भी परंपरागत तरीकों पर टिकी है। अधिकांशतः कृषि मानसून पर निर्भर है जो एक प्रकार के जुए की तरह है। कृषि क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण, ऊर्जा, मशीनीकरण, भूमि सुधार, तथा उत्पादन बाद उचित सुविधाओं से युक्त एक कृषि बाजार का होना नितांत आवश्यक है जिस पर अभी तक उचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है। कृषि क्षेत्र को इसके अलावा कई चुनौतियों

से सामना करना पड़ रहा है, MSP कृषि नीति कानून तथा किसानों में असमानता को भी इसके मद्देनजर रखना होगा।

- **बेरोजगारी:**— माना जाता है कि विकास से अच्छी गुणवत्ता के रोजगार का सृजन होता है। लोग औपचारिक क्षेत्र की बड़ी-बड़ी इकाइयों में नौकरी पाते हैं परन्तु भारतीय विकास अभी तक इस प्रकार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पायी है। भारत की जनसंख्या के लगभग 25 करोड़ की आबादी, 15-24 साल के आयुवर्ग की है जो एक कामकाजी वर्ग है परन्तु इनके शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए अभी तक एक व्यापक योजना निर्माण नहीं हो सका है।
- **बुनियादी संरचनाओं का अभाव:**— भारत के सभी क्षेत्रों में अधिकांश जन के लिए किसी न किसी बुनियादी संरचना का अभाव है। कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं, कहीं शिक्षा सुविधाओं, कहीं परिवहन सुविधाओं इत्यादि का अभाव बना रहता है। किसी भी जगह इन सभी सुविधाएँ एक साथ, उचित मूल्य पर उपलब्धता नहीं हैं। ये आधारभूत अभाव भारतीयों के जीवन को कष्टकारी बना रहे हैं।
- **विषमताएं:**— भारत में विकास के साथ विषमताएँ भी तेजी के साथ बढ़ी है। आय की विषमता इन सब में प्रमुख है। भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास भारत की 77.4% संपत्ति है जबकि निचले 60% लोगों के पास मात्र 4.7% संपत्ति है।



इसी प्रकार यहाँ शहरी-ग्रामीण-विषमता, राज्य-राज्य विषमता, राज्य के अन्तर्गत क्षेत्रीय विषमता आदि तेजी से बढ़ी है।

- **मुद्रास्फीति:**— यहां विकास के साथ-साथ मुद्रास्फीति भी, खासकर आवश्यक वस्तुओं में, तेजी से बढ़ी है। मुद्रास्फीति ने लोगों की अतिरिक्त आय को सोख सा

लिया है। आय तो बढ़ी है परन्तु मुद्रास्फीति के कारण यह बढ़ी हुई आय प्रभावी रूप से जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में काम नहीं आ सकी है।

- **वित्तीय समावेशन का अभाव:**— अन्य सेवा क्षेत्रों के साथ बैंकिंग का विकास भी भारत में तीव्र गति से हुआ है। परन्तु इसके बावजूद एक बहुत बड़ा वर्ग इन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है और इस वर्ग को इन सुविधाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये वर्ग कम आय वाला वर्ग है जिनकी आर्थिक स्थिरता पर सदैव खतरा मंडराता रहता है। इनकी पहुँच बैंकिंग सुविधाओं तक न हो पाने के कारण ये वर्ग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए स्थानीय साहूकारों के ऋणजाल में फँसकर शोषित होने के लिए मजबूर होते हैं। यह अभाव मानवीय विकास के साथ वित्तीय समावेशन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **विस्थापन:**— विकास कार्यों के लिए विस्थापन एक आवश्यकता हो सकती है परन्तु इसका इस्तेमाल अत्यंत सावधानी तथा संवेदनशीलता से किया जाना चाहिए। अब तक विकास कार्यों के लिए विस्थापन असंवेदनशील तथा मनमाने तरीकों से होता रहा है। विकास कार्यों से विस्थापितों में सबसे अधिक प्रभावित जनजातीय समुदाय रहा है। विस्थापन के पश्चात् उनके आजीविका, रहन-सहन तथा सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा है जिससे इनमें गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएँ फैली हैं तथा इनमें असंतोष भी फैला है।
- **भ्रष्टाचार:**— विकास के साथ भारत में भ्रष्टाचार अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाओं का जो लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए था वह नहीं पहुँच पाया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को भ्रष्टाचार से शोषित महसूस कर रहा है तथा इस असंतोष की अभिव्यक्ति हाल के जन आंदोलनों में दिखी जिसमें लाखों लोगों ने सहभागिता की।
- **अपर्याप्त सामाजिक सुधार:**— भारत में आर्थिक विकास पर तो ध्यान दिया गया पर सामाजिक विकास के लिए ठोस नीति के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज भी भारत में जातिवाद का इतना प्रभाव है कि जातिगत वैमनस्यता के कारण कई संघर्ष तथा नरसंहार होते रहते हैं। उच्च जाति के लोगों तथा दलितों के बीच के सामाजिक संबंध अभी भी कई जगहों पर वैसे ही हैं जैसे सैकड़ों साल पहले शोषण आधारित थे। 'ऑनर किलिंग' जैसे मुद्दे को जोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा सांप्रदायिक वैमनस्यता भी कम नहीं हो पाया है। राजनीतिक लाभ के लिए तो कभी-कभी इसे जानबूझकर उभारा जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में निहित उपरोक्त असंतुलन ने भारत के वंचित वर्गों के असंतोष में तीव्र वृद्धि को संभव बनाया है जिसकी परिणति उग्रवाद के विभिन्न स्वरूपों के रूप में अभिव्यक्त हुई है। हाल ही में हुए दिल्ली दंगे इसका जीता-जागता उदाहरण के तौर पर है।

भारत में उग्रवाद के विभिन्न स्वरूप (Various forms of extremism in India)

वर्तमान भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती के रूप में उग्रवाद के निम्न स्वरूप विद्यमान हैं:-

- **आतंकवाद-** आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हिंसक माध्यम द्वारा किसी क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास करती है। भारत में घटित अधिकांश आतंकी गतिविधियाँ अधिकतर सीमा-पार तथा पाकिस्तान प्रायोजित होते हैं। वर्तमान समय में आतंकवादी गतिविधियों ने भारतीय जनसमुदाय को सुरक्षा के प्रति अति भयभीत कर दिया है।



हाल के वर्षों में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली आदि प्रमुख शहरों में कई आतंकी घटनाएँ घटित हुई हैं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न की है। कई बार 'जेहाद' के नाम पर आतंकी समूहों द्वारा सांप्रदायिक ताकतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हाल के वर्षों में आतंकवाद को संप्रदायवाद से भी जोड़कर देखा जाने लगा है तथा विविधतापूर्ण भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विद्यमान सहिष्णुता को कमजोर करने हेतु उत्तरदायी शक्ति के रूप में भी

इसे देखा जा रहा है। यह पूरी तरह अनुचित है कि आतंकवाद को किसी धर्म या सम्प्रदाय से जोड़ा जाए क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।

- **नक्सलवाद-** नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष वर्तमान में सर्वप्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। देश में भूमि सुधार कानूनों की असफलता तथा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों से एक वृहद समुदाय की वंचना ने नक्सलवाद के प्रसार में प्रमुख भूमिका अदा की है। वर्तमान समय में विभिन्न नक्सली घटनाओं में बड़ी संख्या में पुलिस बल तथा आम नागरिकों की जानमाल की हानि हुई है। अपनी विचारधारा से हाल के वर्षों में भटकाव के कारण नक्सलवाद को अब आंतरिक उग्रवाद की संज्ञा दी जाने लगी है।



चूँकि नक्सलवाद से संबंधित घटनाओं में देश के ही नागरिकों की पूर्ण भागीदारी होती है, अतः इन्हें पहचान पाना काफी कठिन होता है। साथ ही भारत विरोधी विदेशी ताकतों द्वारा हाल के वर्षों में नक्सलवाद को सहायता प्रदान किये जाने की जानकारी ने इस संबंध में हमारी सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

India Fatalities : 1994 - 2019

Years	Civilians	Security Force Personnel	Terrorists	Total
1994	1696	417	1919	4032
1995	1779	493	1603	3875
1996	2084	615	1482	4181
1997	1740	641	1734	4115
1998	1819	526	1419	3764
1999	1377	763	1614	3754
2000	1803	788	2384	4975
2001	1693	721	3425	5839
2002	1174	623	2176	3973

2003	1187	420	2095	3702
2004**	886	434	1322	2642
2005	1212	437	1610	3259
2006	1118	388	1264	2770
2007	1013	407	1195	2615
2008	1007	374	1215	2596
2009	720	431	1080	2231
2010	759	371	772	1902
2011	429	194	450	1073
2012	252	139	412	803
2013	303	193	388	884
2014	407	161	408	976
2015	181	155	386	722
2016	202	180	516	898
2017	206	170	427	803
2018	216	183	536	935
2019	78	114	202	394
2020	18	24	216	288
2021	26	49	169	244

India Fatalities, 2019*

	Civil-ians	Security Force Personnel	Terror-ists	Total
Arunachal Pradesh	11	3	0	14
Assam	0	0	0	0
Gujrat	0	0	0	0
Jammu and Kash-mir	22	72	124	218
Karnataka	0	0	0	0
Madhya Pradesh	0	0	0	0
Manipur	0	0	0	0
Meghalaya	1	0	0	1
Mizoram	0	0	0	0
Nagaland	0	2	0	2
Punjab	0	0	0	0
Telangana	0	0	0	0
Uttar Pradesh	0	0	0	0
West Bengal	0	0	0	0
Left-wing Extrem-ism	44	37	78	159
Total	78	114	202	394

*Data till June 23, 2019

2019 में जहाँ 61 जिलों से नक्सली हिंसा की रिपोर्ट आयी थी, जबकि 2020 ई. में यह घटकर 45 हो गई, आँकड़ों के अनुसार 2015 से 2020 के बीच बामपंथी

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के करीब 380 सुरक्षाकर्मी, 1000 नागरिक तथा 900 नक्सली मारे गए 42 नक्सलियों ने आत्म-समर्पण भी किया है।

- **अलगाववाद**- अलगाववाद किसी विशेष पहचान के आधार पर देश से अलग संप्रभु राष्ट्र की माँग से संबंधित विचारधारा है। भारत में मुख्यतः जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में उपजे इस समस्या ने भी देश में सामुदायिक सौहार्द के समक्ष खतरा उत्पन्न किया है।
- **क्षेत्रवाद**- क्षेत्रवाद मुख्यतः किसी क्षेत्र विशेष से प्रबल लगाव की भावना से संबंधित है। लेकिन इस प्रवृत्ति का प्रयोग अन्य क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध होने लगा है और इसने भी देश में सामुदायिक सौहार्द के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है।
- **भाषावाद**- भाषावाद का तात्पर्य किसी विशिष्ट भाषा की संरक्षा एवं उसके विकास हेतु किए जाने वाले आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान अन्य भाषायी समूहों से होने वाले टकराव ने भी देश में सामुदायिक सौहार्द के समक्ष समस्या उत्पन्न की है।
- **संप्रदायवाद**- संप्रदायवाद का संबंध सामान्यतः दो धर्मों के बीच होने वाले संघर्षों से है। भारतीय समाज में सामुदायिक सौहार्द के समक्ष यह सबसे प्रमुख चुनौती है। औपनिवेशिक शासनकाल में पनपे इस संप्रदायवाद ने देश के विभाजन के बाद भी अपनी उपस्थिति बनाये रखी। विगत वर्षों में देश के दो प्रमुख धर्मों हिन्दू तथा मुस्लिम के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर हुए सांप्रदायिक संघर्ष ने इसे देश में सौहार्द व शांति की स्थापना के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है।
- **जातीय संघर्ष**- विभिन्न जातीय समूहों की सोपानिक अवस्थिति एवं इसी सोपान के आधार पर प्रदत्त सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रतिफल की स्थिति भारत में जातीय संघर्ष के लिए उत्तरदायी रही है। जातीय संघर्ष की इस समस्या ने भारतीय समाज में सामुदायिक सौहार्द को कमजोर कर उसके समक्ष खतरा उत्पन्न किया है।

नोट: इन चुनौतियों का विस्तृत विवरण अलग- अलग चुनौतियों से संबंधित अध्याय में आगे दिया गया है।

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के संबंध में किए गए प्रयास

भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों से निपटने तथा देश में शांति, स्थायित्व व सामाजिक सहिष्णुता स्थापित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं; जो निम्नवत हैं:-

A. संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास

- **भारत का संविधान:-** संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, विभिन्न अनुसूचियों, विभिन्न आयोगों के गठन आदि के द्वारा शासन में सामुदायिक सौहार्द बनाकर रखने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न न हो।
- **आतंकवाद तथा विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (TADA):-** देश में बढ़ती हुई आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इस अधिनियम को 1987 में 2 वर्षों के लिए लागू किया गया था जिसे बाद में लागू होने की अवधि को कई बार बढ़ाया गया समय-समय पर इस कानून के दुरुपयोग के आरोपों के पश्चात् 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- **लोक संपत्ति नुकसान (निवारण) अधिनियम (1984):-** हड़ताल, सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान की रोकथाम के उद्देश्य से लाए गए इस अधिनियम के अंतर्गत दोषियों को 6 माह से 5 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
- **निवारक निरोध अधिनियम (1950):-** निवारक निरोध अधिनियम राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने आदि के उद्देश्य से लाया गया था। 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- **आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) (1971):-** 1971 में लाए गए इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा आंतरिक शांति बनाए रखना था। 1978 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।
- **आयुध अधिनियम (1959):-** इस अधिनियम में आयुधों या अग्न्यायुध के कब्जे के संबंध में प्रावधान किया गया है कि इन्हें वही धारण कर सकता है जिसे शासकीय अनुज्ञप्ति इस संदर्भ में दी गई हो। अपने साथ कोई व्यक्ति एक समय में तीन से अधिक आयुध धारण नहीं कर सकता। आज्ञा के बिना आयुध या अग्न्यायुध रखने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान भी

अधिनियम में किया गया है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980):-** यह अधिनियम निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान करता है। इसके अधीन यदि कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो सरकार उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसका मामला अधिनियम के तहत गठित सलाहकार परिषद् देखती है।
- **विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967:-** इस अधिनियम के द्वारा उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है, जो अलगाववादी या विघटनकारी कार्यों में संलग्न हैं अथवा इसे उत्प्रेरित करते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार को दिया गया है।
- **पुलिस अधिनियम, 1861:-** इस अधिनियम में पुलिस बल को गठित करने, पुलिस द्वारा अपराधों को रोकने की शक्ति तथा पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन के लिए उनको दिए जाने वाले दंड के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
- **उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम:-** यह अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया है कि रामजन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद के सिवाय किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को, जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था, परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- **भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, 1860):-** यह संहिता प्रमुख आपराधिक विधि से संबंधित विधियों को निर्मित करती है। इसमें सामान्य अपराधों को परिभाषित किया गया है तथा उसके लिए दंड विहित किया गया है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973):-** इसके अधीन अपराध के संबंध में न्याय सुनिश्चित करने तथा अपराधी को दंडित करने के लिए पुलिस तथा न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSC)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् देश की राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा तथा सामरिक सुरक्षा चिंताओं की देख-रेख करने वाली शीर्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 19 नवम्बर, 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा की गयी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना से पूर्व ये गतिविधियाँ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की देख रेख में थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक हितों से सम्बंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सदस्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)
- उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (DNSA)
- रक्षा मंत्री
- विदेश मंत्री
- गृह मंत्री
- वित्त मंत्री
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष

इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार किसी अन्य सदस्य/व्यक्ति को भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की मीटिंग में बुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की त्रि-स्तरीय संरचना में (NSC) सर्वोच्च संस्था है। अन्य दो स्तर या संस्था सामरिक नीति समूह (Strategic Policy Group) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board) हैं।

सामरिक नीति समूह NSC के निर्णय निर्धारण प्रणाली में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इस समूह के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। इसके द्वारा 'सामरिक रक्षा समीक्षा (Strategic Defence Review)' की जाती है। सामरिक रक्षा समीक्षा देश के सामने उपस्थित कम तथा लंबी अवधि के सुरक्षा चुनौतियों का खाका (blueprint) होता है, साथ ही इसमें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध नीतिगत विकल्प भी होते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, रणनीति विशेषज्ञता, विदेशी मामले, रक्षा तथा सशस्त्र बल, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों का एक समूह है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को देश में सुरक्षा से संबंधित नीतियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री पी.एस. राघवन हैं।

सलाहकार बोर्ड महीने में कम से कम एक बार या ज़रूरत पड़ने पर ज्यादा बार मिलती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को उन मुद्दों पर दीर्घकालिक समाधान देता है जो इसे सुपुर्द किए जाते हैं।

B. अन्य प्रयास

- **सुरक्षा एवं आसूचना** ढाँचे को मजबूत करने हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण, नैटग्रिड की स्थापना,

NCTC की स्थापना, कोबरा जैसे बटालियन का गठन, उन्नत प्रशिक्षण, संचार साधनों एवं परिवहन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, तकनीकी क्षमता का विकास आदि का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है।

- **आतंकवाद** की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण रणनीतियाँ अपनायी गयी हैं। रक्षा एवं आसूचना ढाँचे को मजबूत करना, अन्य देशों के साथ आसूचना को साझा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे को उठाना, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग, पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की स्थापना का प्रयास, बातचीत व समझाने-बुझाने का प्रयास, विभिन्न कानूनी प्रावधान आदि इन प्रयासों में महत्वपूर्ण हैं।
- **नक्सलवाद** देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष वर्तमान में एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। इस समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयासों में पुलिस बलों के प्रशिक्षण व सूचना तंत्र की मजबूती, अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग, समावेशी विकास योजनाएँ, केन्द्र व विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, भूमि सुधार, संचार माध्यमों का विकास, सुरक्षा संबंधी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण आदि प्रमुख हैं।
- **अलगाववाद** भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान रही है। इसके समाधान हेतु संविधान में विभिन्न उपबंधों के माध्यम से भाषायी एवं नृजातीय पहचान की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार, स्वायत्त परिषदों के गठन, जनजातीय क्षेत्रों हेतु संरक्षणात्मक उपायों आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।
- भारत में क्षेत्रीय पहचान को लेकर किए गए आंदोलनों को **क्षेत्रवाद** के रूप में देखा जा सकता है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय संविधान में एकता एवं अखंडता की भावना को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी प्रयास भी किए गए हैं। इन प्रयासों में सामाजिक-आर्थिक विकास, स्वायत्त परिषदों का गठन, विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा जनजातीय क्षेत्रों में संरक्षणात्मक प्रशासनिक कदम महत्वपूर्ण हैं।
- **भाषावाद** भारत में स्वायत्तता, संप्रभुता तथा राष्ट्रीय

एकीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान रही है। इस समस्या के निदान हेतु भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बनाए रखने, विभिन्न विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन, भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विभिन्न भाषाओं को संरक्षण, शिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता का प्रसार आदि के संबंध में किए गए प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

- हाल के वर्षों में **सांप्रदायिकता** भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न संवैधानिक व कानूनी तथा विकासात्मक प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों [अनुच्छेद 15, 25, 28, 29, 30, 51(क) जिसमें मौलिक कर्तव्य भी शामिल है] के माध्यम से देश में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता परिषद् के गठन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन, भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति, शैक्षिक प्रसार, सामाजिक-आर्थिक कल्याण कार्यक्रम, स्वायत्त परिषद् की स्थापना, विशेष अनुदान आदि ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से इस समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।
- **जातिवाद एवं जाति संघर्ष** की समस्या ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उपबंध तथा अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी संवैधानिक व कानूनी प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त समावेशी विकास का प्रयास, अंतर्जातीय विवाह को मान्यता, सामाजिक जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार आदि को महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत देखा जा सकता है।

नोट:- किये गये प्रयासों का विस्तृत विवरण अलग-अलग चुनौतियों से संबंधित अध्याय में आगे दिया गया है।

मूल्यांकन एवं सुझाव (Evaluation and Suggestion)

निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सौहार्द के समक्ष विद्यमान चुनौतियों

के समाधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन प्रयासों के कई सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ हुई है। देश की एकता एवं अखण्डता की भावना आम नागरिकों में प्रबल हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में हाल के वर्षों में शांति एवं स्थायित्व में महत्वपूर्ण सुधार, पंजाब में अलग राष्ट्र की माँग की समस्या पर नियंत्रण आदि ने इस तथ्य को पुष्ट किया है।

सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप देशवासियों के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को सबलता मिली है। निश्चित रूप से इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में आतंकवादी एवं नक्सलवादी गतिविधियों में कमी आई है। साथ ही ऐसी प्रायोजित घटनाओं की पूर्व जानकारी खुफिया तंत्र की सुदृढ़ता का परिणाम है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा संवैधानिक एवं कानूनी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतें कमजोर हुई हैं। हाल ही में बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय समस्त देश में एक चिन्ता का माहौल विद्यमान था कि इस फैसले के बाद कहीं देश में सांप्रदायिकता की लहर न उमड़ पड़े। परन्तु ऐसी किसी भी स्थिति की संभावना के बीच देश की जनता ने राष्ट्रहित को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए एकता एवं अखण्डता का परिचय दिया। यह इस बात का संकेतक है कि देश में सांप्रदायिक ताकतें कमजोर हुई हैं तथा आम जनता के बीच जागरूकता का प्रसार हुआ है।

संचार साधनों के विकास आदि ने भी देश में इस प्रकार की चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग प्रदान किया है। परन्तु केवल इन आधारों पर हम यह नहीं कह सकते कि भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सौहार्द के समक्ष अब कोई चुनौती विद्यमान नहीं है। हाल के वर्षों में असम के कोकराझार में हुई सांप्रदायिक नृजातीय हिंसा, नक्सली घटनाएँ, हाल में घटित आतंकी घटनाएँ आदि ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जिन्होंने इस समस्या की विद्यमानता को परिलक्षित किया है। निश्चिततः पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात् खालिस्तान समर्थित हिंसक आंदोलन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, परन्तु आज भी समय-समय पर कुछ संगठन अलग राष्ट्र के रूप में खालिस्तान की माँग करते नजर आते हैं।

अतः भारत में एक ऐसी मशीनरी की आवश्यकता महसूस की जाती है जो बहुलक भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधकर रख सके। वर्तमान समय में आम जनता

की भागीदारी का अभाव इसके समक्ष एक प्रमुख समस्या है। हाल के वर्षों में बाबरी मस्जिद कांड, गुजरात दंगा, दक्षिण भारत की कुछ घटनाएं तथा असम के कोकराझार की हाल की घटनाएं भारत में सामुदायिक सौहार्द के समक्ष विद्यमान चुनौती की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

निश्चिततः इस समस्या से निपटने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने, मौजूदा कानूनों में प्रभावी संशोधन करने तथा ऐसे षडयंत्र में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दिलाने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार, विभिन्न विकासात्मक उपाय आदि भी कारगर कदम सिद्ध होंगे।

अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रयासों के कई सकारात्मक परिणामों के बावजूद देश की आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सौहार्द से संबंधित चुनौतियाँ पूर्णतः समाप्त नहीं हो पायी हैं। अतः इस पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं:—

- देश की खुफिया प्रणाली को अधिक आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाये।
- देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न संगठनों तथा व्यक्तियों को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त वित्तीय स्रोतों को पूर्णतः प्रतिबंधित कराने हेतु कठोर कदम उठाए जाएँ।
- कठोर कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाए ताकि आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सौहार्द को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटा जा सके।
- देश में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाए तथा पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाए।
- सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज की जाय तथा इसका लाभ समावेशी रूप से समाज में वितरित करने की व्यवस्था की जाए।
- शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार कर सामुदायिक भागीदारी तथा समन्वय को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
- भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विकेन्द्रीकरण की तीव्र प्रक्रिया, राष्ट्रहित उन्मुख राजनीति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, मीडिया की सकारात्मक भूमिका एवं संवेदनशीलता जैसे उपाय भी देश में आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सौहार्द की स्थापना हेतु अपेक्षित हैं, ताकि देश को शांति एवं स्थायित्व की स्थिति प्रदान कर इसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इस परिप्रेक्ष्य में वृहत् रूप से समावेशी विकास तथा विभिन्न स्तर पर बेरोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों

पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

नोट: मूल्यांकन एवं सुझावों के बारे में विस्तृत विवरण अलग-अलग चुनौतियों से संबंधित आगे के अध्यायों में दिया गया है।

समसामयिकी

भारत में कट्टरता

बढ़ती कट्टरता (De-Radicalization) का मुख्य कारण

- सामाजिक असमानता, सीमांतीकरण (marginalization) और बहिष्करण।
- समुदायों का निर्धनता, बीमारी, निरक्षरता तथा द्वेषपूर्ण निराशा से प्रभावित होना।
- राजनीतिक उत्पीड़न और मौलिक अधिकारों का हनन।

अन्याय, दुःख, भुखमरी, ड्रग्स, बहिष्करण, पूर्वाग्रह तथा संभावनाओं के अभाव में निराशा। यद्यपि भारत ने दशकों से देश के कई हिस्सों में विभिन्न कट्टरपंथी क्षेत्रीय और धार्मिक संगठनों द्वारा विद्रोहों और आतंकवादी कार्यवाहियों का सामना किया है, किन्तु विचारधारात्मक और परिचालन संबंधी स्तरों पर ऐसी समस्याओं का मुकाबला करने हेतु एक व्यापक नीति विकसित नहीं की गई है।

इस्लामी आतंकवाद के उदय के साथ, कट्टरवाद का खतरा बढ़ गया है। इस सन्दर्भ में, भारत काउंसलिंग से संबंधित विभिन्न उपायों के माध्यम से कट्टरपंथ के प्रसार और कट्टर समूहों में भर्ती के प्रयासों का मुकाबला करने हेतु एक समेकित रणनीति तैयार कर रहा है;

इस्लामिक स्टेट (IS) की विचारधारा का सामना करने के लिए सुभेद्य और कट्टरपंथी युवाओं के साथ-साथ उनके परिवारों की काउंसलिंग तथा इस्लाम की 'उदार' व्याख्याओं का प्रसार करना।

हाल ही में ऑस्ट्रिया द्वारा स्थापित 'इक्स्ट्रीमिस्ट काउंसलिंग हॉटलाइन' जैसे विभिन्न उपायों ने भारतीय अधि कारियों का भी ध्यान आकर्षित किया है।

अमेरिका के कट्टरपंथी-विरोधी कार्यक्रमों की व्यवहार्यता समुदाय की पहुँच पर केंद्रित है और भारतीय संदर्भ में UK के प्रिवेंट द्य एंड चैनल कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है।

कट्टरता के संदर्भ में राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम कर्नाटक द्वारा निम्नलिखित उपायों किए गए हैं—

- मदरसों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया है

- अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ कुरान की वास्तविक शिक्षाओं को समझना
- मस्जिदों और मदरसों का गहन सर्वेक्षण और विस्तृत डेटाबेस तैयार करना

महाराष्ट्र

- महाराष्ट्र ने फरवरी 2016 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक तक पहुँच स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है।
- पुलिस को बिना बल प्रयोग के सांप्रदायिकता की किसी भी भावना को पहचानने और इसमें कमी लाने का निर्देश दिया गया है।
- एक समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग और पीड़ित देशों की सहायता, जैसे कि हाल ही में भारत vs ISIS के
- विरुद्ध युद्ध में इराक को सैन्य सहायता की पेशकश की है।

कट्टरता रोकने के सुझाव

समस्या की वास्तविक पहचान करना

- सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को हल्के में लेकर या किसी एकजुट किन्तु विवादग्रस्त परिवार में होने वाली आम घटना के जैसा मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
- भारत में पहले से ही बड़ी संख्या में संप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित कट्टरपंथी जनसंख्या उपस्थित है।

युवाओं के साथ मेल-मिलाप की नीति

- युवाओं की आत्मानुभूति के लिए उनकी शिक्षा एवं ज्ञान के साथ-साथ सहिष्णु चेतना एवं व्यवहार को विकसित करने हेतु एक सकारात्मक परिवेश निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- युवाओं को सशक्त बनाना, उनकी कानूनी जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- कोई भी देश अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता है। रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय/सीमा-पारीय चुनौतियाँ हैं। इनका सामना करने के लिए पर्याप्त बहुपक्षीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

सिविल सोसायटी को शामिल करना:

- यह संबद्ध एवं साझी पहचान की भावना को प्रोत्साहन दे सकते हैं और सुभेद्य समुदायों के सदस्यों के मध्य वास्तविक और कथित अलगाव को कम कर आंतरिक समुदाय के विभाजन को समाप्त करने का कार्य कर सकते हैं।

सामुदायिक पहुँच:

- सामान्य जनसंख्या से कट्टरपंथियों को अलग करने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित सशक्त सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सभी समुदायों में उदार विचारधारा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

वित्तपोषण को रोकना:

- कुछ धार्मिक संगठनों के वित्त पोषण के माध्यम को भी ट्रैक करने की आवश्यकता है जो कट्टरवाद की समस्या को बढ़ा रहे हैं।

धर्म के राजनीतिकरण को रोकना:

- प्रशासनिक स्तर पर, मौजूदा कानूनों का कठोरता से क्रियान्वयन और चुनाव के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कर राजनीति के क्षेत्र में धर्म के बढ़ते राजनीतिकरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष अकादमिक अध्ययन के विषय के रूप में धार्मिक अध्ययन का आरंभ किया जाए, ताकि विदेशी चरमपंथी समूहों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से फैलाए जा रहे भ्रामक धार्मिक विचारों को रोका जा सके। धार्मिक नेताओं को भी कट्टरपंथ के विरुद्ध अपना विचार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

साइबर स्पेस का उपयोग

- वर्तमान साइबर विश्व में एक सशक्त काउंटर-रेडिकलाइजेशन तंत्र के विकास के महत्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाना चाहिए जिनमें ISIS और अलकायदा धीरे-धीरे अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं।
- IB द्वारा संचालित 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' की भांति अन्य अभियानों का संचालन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अधिकारियों का एक समर्पित समूह पूरे दिन वेब पर नजर रखता है और उन युवाओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है जो ISIS ऑपरेटर्स के संपर्क में हैं या उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री का अवलोकन करते हैं।

1. किस प्रकार भारत की प्रमुख विशेषता के रूप में विद्यमान 'विविधता' भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख समस्या है? इस समस्या के समाधान हेतु संभावित उपायों की चर्चा कीजिए।
2. भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक सौहार्द्र के समक्ष विद्यमान समस्याओं की चर्चा कीजिए। इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत कीजिए।
3. सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
4. भारत में सामुदायिक सौहार्द्र के समक्ष विद्यमान समस्या के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?
5. भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के कारणों को चिह्नित कीजिए।

भारत में अलगाववाद की समस्या (Problem of Separatism in India)

अलगाववाद किसी राष्ट्र-राज्य के किसी अंग अथवा क्षेत्र द्वारा, राष्ट्र-राज्य से अलग होकर एक नए राष्ट्र-राज्य की स्थापना की मांग को अभिव्यक्त करता है जो वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। अलगाववाद हमेशा किसी भी राष्ट्र के संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

भारत में विभिन्न अलगाववादी आंदोलनों को देखा जा सकता है, इसमें पंजाब में खालिस्तान, पूर्वोत्तर भारत तथा कश्मीर के आंदोलन प्रमुख हैं। कश्मीर में अलगाववाद, भारत के सर्वप्रमुख एवं अतिसंवेदनशील पृथकतावादी आंदोलन के रूप में विद्यमान रहा है।

भारत में अलगाववाद का स्वरूप व प्रसार (Nature and spread of separatism in India)

भारत में अलगाववाद की समस्या बहुत सीमित क्षेत्रों में विद्यमान है और इसे जनता का सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का समर्थन प्राप्त है जिनको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है—

जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद (Separatism in Jammu-Kashmir) (1931-2021)

कश्मीर में अलगाववाद की नींव 1846 में तब पड़ी जब लद्दाख के हिन्दू राजा गुलाब सिंह ने मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी को 75 लाख रुपये में अंग्रेजों से खरीद लिया। यहाँ 1931 में तत्कालीन राजा हरि सिंह के खिलाफ पहली बार अब्दुल कादिर के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1932 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू-कश्मीर मुस्लिम कांग्रेस (AJKMC) दल का गठन कर कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1946 में नेशनल कॉन्फ्रेंस (AJKMC का परिवर्तित नाम) द्वारा कश्मीर छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। 1947 में मुस्लिम बहुल पुंछ क्षेत्र की जनता ने भी हरि सिंह द्वारा लगाए गए कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात् 24 अक्टूबर 1947 को पुंछ की जनता ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों के आक्रमण



के विरुद्ध भारत की सहायता प्राप्त करने हेतु हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय संबंधी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। समझौते के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य स्वायत्त रूप से भारत का अभिन्न अंग बना रहा। 27 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला ने इस संधि का विरोध किया तथा जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की, जिसके तहत कश्मीर की जनता को यह तय करना था कि वह भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में।

1947 में भारत सरकार तथा शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता किया गया तथा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बरकरार रखते हुए भारत का अभिन्न अंग माना गया। 60 के दशक में अमानुल्ला खान एवं मकबूल बट द्वारा जम्मू-कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन कश्मीर को भारत से आजाद कराने के उद्देश्य से किया गया जो एक अलोकतांत्रिक संगठन था। परन्तु 1977 में शेख अब्दुल्ला द्वारा पुनः कश्मीर की स्वायत्तता की मांग प्रारंभ कर दी गई।

1987 में कश्मीर में हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (MUF) ने इसका विरोध किया। 1989 में सैयद सलाहुद्दीन द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना की गयी।

इस तथाकथित चुनावी धांधली के पश्चात् चुनाव में हार चुके कई उम्मीदवारों के द्वारा आतंकवादी संगठनों की स्थापना की गयी। कश्मीर समाज के कुछ सदस्यों के द्वारा इन आतंकवादियों को समर्थन भी दिया गया। इससे भारत सरकार के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गयी। कश्मीर में समस्या का उत्पन्न होना पाकिस्तान के लिए एक अवसर था। पाकिस्तान

के द्वारा आतंकवादियों को राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक आदि तरीकों से समर्थन दिया गया। कश्मीर में भारत-पाक सीमा के छिद्रित होने का लाभ पाकिस्तान एवं आतंकवादियों दोनों द्वारा उठाया गया। ISI (पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था) के द्वारा इन्हें प्रशिक्षण, हथियार, पैसा आदि प्रदान किया गया। ISI के समर्थन से कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लाम, अल बद्र आदि आतंकवादी संगठनों की स्थापना की गयी।

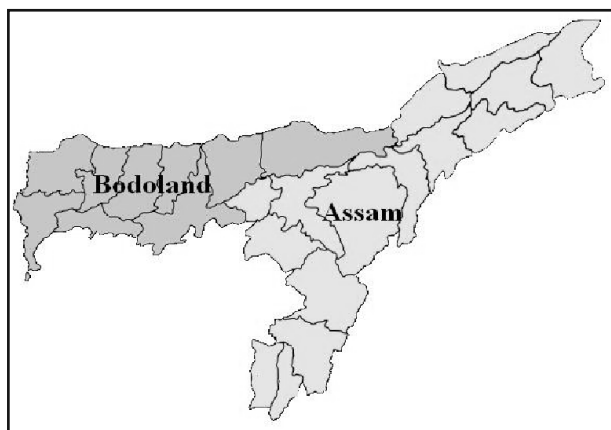
ओसामा-बिन-लादेन के द्वारा दक्षिण एशिया में अपने लक्ष्य की घोषणा के बाद से 'अल-कायदा' भारत में तथा इसके आस-पास अपनी गतिविधियां चलाने लगा। देखा जाए तो कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवादी घटनाओं में 'अल-कायदा' का हाथ भी बताया जाता रहा है।

उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने उग्रवाद से प्रतिकूल रूप से प्रभावित विधवाओं, अनाथों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1995 में एक परिषद का गठन किया था। इस परिषद का पंजीकरण, 'जम्मू और कश्मीर में विधवा, अनाथ, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों (उग्रवाद से पीड़ित) के पुनर्वास परिषद' के नाम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में किया गया है। भारत सरकार भी स्कीम के अंतर्गत समय-समय पर कॉरपस/अनुदान के रूप में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्वास परिषद को सहायता प्रदान कर रही है। अब तक, 3944 विधवाओं, 2,247 अनाथों, 2,525 वृद्ध व्यक्तियों तथा 1,080 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

उत्तर-पूर्व में अलगाववाद

(Separatism in North East)

पूर्वोत्तर भारत की भू-राजनैतिक स्थिति तथा इस क्षेत्र के नागरिकों की सांस्कृतिक विशेषता कहीं-न-कहीं सभी समस्याओं के जड़ में है अपितु भारत की बहु-सांस्कृतिक विविधता तथा अनेकता में एकता की पहचान रही है परंतु पूर्वोत्तर में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अलगाववाद की भावना फैली। इसी समस्या के कारण इस क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियों को प्रश्रय मिला है। इस क्षेत्र में अलगाववाद की प्रमुख समस्या असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा के क्षेत्रों में विद्यमान है। बीसवीं शताब्दी के मध्य में बांग्लादेश के नागरिकों का प्रवास असम क्षेत्र में प्रारंभ हुआ तथा इस घटना ने भी अलगाववादी भावना को प्रश्रय प्रदान किया।



नागालैंड क्षेत्र में 1951 में अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल द्वारा स्वयं को भारत का अंग नहीं मानते हुए भारत से आजादी की घोषणा की गई फलतः 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ और आज भी 'National Socialist Council of Nagaland (NSCN)', के खापलांग ग्रुप द्वारा भारत से पृथक देश के निर्माण हेतु सशस्त्र आंदोलन चलाया जा रहा है। हालांकि 2015 में भारत सरकार तथा इसी संगठन के इसाक-मुइवा ग्रुप के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था इस समझौते के सभी बिन्दुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया था। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थ R. N. Ravi ने इस पर हस्ताक्षर भी किए थे।

वर्ष 2019 ई० में रवि को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। परंतु आज 6 वर्ष बाद भी कोई महत्वपूर्ण हल नहीं दिख रहा है।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN)

NSCN एक नागा राष्ट्रवादी आतंकवादी समूह है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में सक्रिय है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत तथा म्यांमार में बसे नागा लोगों को एकीकृत करके एक संप्रभु नागालिम (Nagalim) राज्य की स्थापना करना है।

इसकी स्थापना 31 जनवरी 1980 को इसाक चिशीस्वू, थ्विंगालेंग मुइवा तथा एस.एस. खापलांग ने नगा नेशनल काउंसिल (NNC) द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित शिलांग समझौते का विरोध करते हुए की।

बाद में भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के मुद्दे पर संगठन के नेताओं में मतभेद हो गया तथा 30 अप्रैल, 1988 को NSCN दो भागों में बंट गया। एक NSCN-K एस.एस. खपलांग के नेतृत्व में तथा दूसरा NSCN-IM इसाक चिशी स्व तथा थुआंगेलेंग मुइवा के नेतृत्व में, विभाजन ने गुटीय विवाद तथा संघर्ष को जन्म दिया।

2015 ई० में भारत सरकार और नागा विद्रोही गुट एन०एस०सी०एम० के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लग रहा था कि समाधान निकल गया है परंतु 2020 ई० के उत्तरार्ध में एन०एस०सी०एम० (मुइवाट) गुट और सरकार के बीच फिर से मतभेद उत्पन्न होने लगा। तत्कालीन राज्यपाल एन० रवि के बारे में विद्रोही गुट ने कहा कि राज्यपाल नागालैण्ड के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं तथा कभी भी समझौते में यह नहीं था कि 'Nagaa भारतीय संविधान के भाग होंगे।'

वास्तव में एन० रवि ने एक पत्र लिखकर मुख्य सचिव को कहा था कि नागालैण्ड में 6 से अधिक ऐसे हथियार बंद संगठन हैं जो प्रदेश में अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाए कि एक शपथ पत्र पर बताएं कि उनके परिवार का किस विद्रोही गुट के साथ संबंध है। हालांकि नागालैण्ड की सरकार ने यह घोषणा की कि "ऐसा आदेश कोई भी पारित नहीं हुआ है।"

देखा जाए तो अभी भी केन्द्र सरकार "नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड" के नेताओं के साथ शांति समझौता जारी रखा है परंतु कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नागा विद्रोहियों की यह प्रमुख मांग है कि उनका अपना संविधान और भाग हो।

8 सितंबर 2021 ई० को भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (निकी) समूह से युद्ध विराम समझौता हुआ परंतु लगातार कोई-न-कोई घटना नागालैण्ड में घटती रहती है जो चिंताजनक है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर की परिस्थिति से परिचित विशेषज्ञों के नजर में इस समस्या का समाधान अनिवार्य हो गया है।

मिजोरम में 1960 में लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की गई तथा भारत से अलग देश की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष चलाया गया। जिसकी अंतिम परिणति 1987 में मिजोरम राज्य के गठन के रूप में हुई। वर्तमान में इस राज्य में शांति स्थापित हो चुकी है।

मिजो नेशनल फ्रंट

मिजो नेशनल फ्रंट भारत के मिजोरम में एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका उद्भव मिजो नेशनल अकाल फ्रंट (Mizo National Famine Front) के रूप में लाल डेंगा के द्वारा असम के मिजो क्षेत्र के 1959 के अकाल के प्रति भारत सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में हुआ था। वर्षों के भूमिगत गतिविधियों के बाद 1966 में इसके प्रमुख विद्रोह दर्ज किये गये। 1986 में इसने हिंसा तथा अलगाववाद छोड़ने के मिजो समझौते पर भारत सरकार के साथ संधि की। इसने चुनावों में भाग लिया तथा मिजोरम में दो बार (1986-88 तथा 1998-2008) सरकार का गठन किया।

असम में अवैध घुसपैठ ने असमवासियों को अपनी

सांस्कृतिक पहचान तथा सामाजिक-आर्थिक जीवन के प्रति चिंतित कर दिया है। 1979 में 'असम गण परिषद्' एवं 'अखिल असम छात्रसंघ' ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन को आम जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ।

1950 के पश्चात इस क्षेत्र में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (NDFB) जैसे अलगाववादी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। 1959 में उल्फा नामक आतंकी संगठन ने भी भारतीय राष्ट्र-राज्य से अलग एक संप्रभु राष्ट्र के निर्माण हेतु सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया। भारत सरकार ने 1990 में उल्फा को प्रतिबंधित कर दिया तथा इसे आतंकी समूह में वर्गीकृत किया गया। इस संगठन के विरुद्ध भारतीय सेना की मदद से सैनिक अभियान प्रारंभ किया गया तथा वर्तमान समय तक इसके बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप लगभग दस हजार लोगों की जानें गयी हैं। हाल के दिनों में उल्फा को चीन तथा पाकिस्तान से सहायता प्राप्त होने की भी पुष्टि हुई है।

कौन	क्या प्राप्त करना चाहता है?
यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (UKLF)	ये 'कुकी' समुदाय के लिए एक पृथक् 'कुकीलैंड' प्राप्त करना चाहते हैं।
कुकी नेशनल फ्रंट (KNF)	कुकी 'मंगोलॉयड' मूल की नृजातीय जनजातियाँ हैं तथा असम, मिजोरम और मणिपुर में विस्तृत हैं।
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (NSCN-IM)	एक एकीकृत नागालैंड प्राप्त करना चाहता है।
नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (NDFB)	यह बोडो लोगों के लिए पृथक् 'बोडोलैंड' प्राप्त करना चाहता है,
डीमा हॉलीम	डिमासा जनजाति के लिए एक संप्रभु राज्य प्राप्त करना चाहता है, जिसमें कछार, नगांव, कार्बी आंगलोंग शामिल हों।
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)	एक पृथक् असम प्राप्त करना चाहता है।
कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (KLO)	कामतपुर जनजाति के लिए पृथक् राज्य प्राप्त करना चाहता है, जिसमें कोकराझार, बोंगाईगांव, धुबरी और गोलपारा शामिल हों।

कौन	क्या प्राप्त करना चाहता है?
राजनीतिक दल और मुख्य विचारधारा के भारतीय राजनीतिक दल	कुछ नहीं- वे केवल अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के वोट प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वे असम में शासन करते रहें और अत्यधिक भ्रष्टाचार में लिप्त रहें।

असम में 1996 में मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर ऑफ असम (MULTA) नामक अलगाववादी संगठन निर्मित हुआ। इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (I.S.I.) से सहयोग प्राप्त होने की पुष्टि हुई है।

इसी प्रकार बोडो भाषा से संबंधित नृजातीय समूहों ने बोडोलैंड नामक राष्ट्र की मांग को लेकर अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ किया। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल इंडिया टाइगर फोर्स नामक संगठनों ने भी त्रिपुरी लोगों के प्रतिनिधि होने का दावा किया तथा इस समुदाय को आर्थिक लाभ से वंचित बताते हुए अलग होने की मांग रखी।

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद कई दशक पुराना है परंतु हाल के वर्षों तक कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी थी परंतु जुलाई 2021 ई० में इन दोनों राज्यों के बीच 'अंतर्राज्यीय सीमा' पर गोलीबारी में असम के कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई तथा 50 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक संसदीय सवाल के जबाब में कहा गया है कि दोनों राज्यों में सीमांकन तथा जमीन के अलग-अलग कुछ विवाद हैं। 164 किमी० लंबी अंतर्राज्यीय सीमा के बीच कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों को और मिजोरम के कोलासिब, ममिता और आइजोल जिलों को छूती है।

औपनिवेशिक शासन के काल में मिजोरम असम का हिस्सा था। इस क्षेत्र को केवल 1972 में एक अलग संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया था और 1987 ई० में एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। देखा जाए तो दोनों राज्यों के बीच विवाद की मुख्य वजह ब्रिटिश काल की दो अधिसूचनाएँ हैं। मिजोरम के लोग 1875 की उन अधिसूचना को मानते हैं जिसमें लुशाई हिल्स (ब्रिटिश काल का मिजोरम) को कछार के मैदान से अलग कर दिया था। इस अधिसूचना को मानने के पीछे वजह यह है कि मिजो लोग मानते हैं कि ये अधिसूचना अदिवासी प्रमुखों के साथ बातचीत करने के बाद की गयी थी।

दूसरी तरफ देखा जाए तो 1933 ई० में जारी एक ब्रिटिश अधिसूचना को असम स्वीकार करता है जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमांकन किया गया था। इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि मणिपुर की सीमा लुशाई हिल्स, असम के कछार जिले और मणिपुर के त्रिकोणीय जंक्शन में आरंभ होती है।

वास्तविकता यह है कि मिजोरम के लोग इस सीमांकन को स्वीकार नहीं करते हैं तथा 1875 ई० की सीमा की बात करते हैं जो उनके प्रमुखों के साथ कई दौर की बातचीत के परिणाम थे।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (United Liberation Front of Assam) भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक प्रमुख उग्रवादी संगठन है।

सशस्त्र संघर्ष के द्वारा असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना इसका लक्ष्य है। भारत सरकार ने इसे सन् 1990 में प्रतिबन्धित कर दिया और इसे एक 'उग्रवादी संगठन' के रूप में वर्गीकृत किया है।

उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है लेकिन संगठन उल्फा के नाम से ही प्रचलित है। सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम को स्थापित करने के मकसद से भीमकांत बुरागोहेन, राजीव राजकोन्वर उर्फ अरबिंद राजखोवा, गोपाल बरूआ उर्फ अनूप चेतिया, सामिरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरूआ ने 7 अप्रैल 1979 में शिवसागर के घर में उल्फा की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि 1986 में उल्फा का संपर्क नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) और म्यांमार में सक्रिय संगठन काछिन रेबेल्स से हुआ। 1989 में इसे बांग्लादेश में कैप लगाने की छूट मिल गई और 1990 के आते-आते उल्फा ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया। आतंकवादी संगठनों की सूची में उल्फा को भी शामिल किया गया है। संगठन के प्रमुख नेता परेश बरूआ (कमांडर-इन-चीफ), अरबिंद राजखोवा (चेयरमैन), अनूप चेतिया (जनरल सेक्रेटरी) (वर्तमान में बांग्लादेश सरकार की कस्टडी में हैं), प्रदीप गोगोई (वाइस चेयरमैन) (असम सरकार की कस्टडी में) को क्रांतिकारी संगठन का नेता माना जाता है, उल्फा अपने-आप को भारत के खिलाफ संप्रभु और स्वतंत्र असम की स्थापना में संघर्षरत क्रांतिकारी राजनीतिक संगठन कहता है। उल्फा का कहना है कि असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उल्फा का दावा है कि असम जिन ढेर सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है उनमें राष्ट्रीय पहचान सबसे प्रमुख समस्या है। इसलिए उल्फा स्वतंत्र दिमाग से संघर्षरत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे लोग जो नस्ल, जनजाति, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं हैं।

हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उल्फा के साथ बातचीत चल रही है तथा उल्फा की वह माँग कतई नहीं मानी जा सकती जो भारत के संप्रभुता को चोट पहुँचाए। हरेक तीन-महीने पर उल्फा के द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा होती है जो सकारात्मक है।

पंजाब में अलगाववाद (Separatism in Punjab)

पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को प्रमुख अलगाववादी आंदोलन के रूप में देखा जाता है। 1970 एवं 1980 के दशक में यह आंदोलन खालिस्तान नामक अलग सिख राष्ट्र के निर्माण से संबंधित रहा है। इस आंदोलन में विभिन्न खालिस्तान समर्थकों ने भारत सरकार के विरुद्ध हिंसक गतिविधियों का संचालन किया। इस आंदोलन को भारत

से बाहर रह रहे सिख समुदायों का नैतिक तथा वित्तीय समर्थन प्राप्त था।

1980 में खालिस्तान समर्थकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ किये जाने के बाद भारत सरकार ने ले० जनरल कुलदीप सिंह बरार के नेतृत्व में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' नामक सैन्य कार्रवाई प्रारम्भ की और इस आंदोलन पर काबू पाया गया। फिर भी समय-समय पर कुछ संगठन अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग करते देखे जा सकते हैं।

भारत में अलगाववाद के कारण (Reasons of Separatism in India)

भारत में अलगाववाद की समस्या मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यमान है। भारत में अलगाववाद धार्मिक, भाषायी और जातीय अल्पसंख्यकों की देश के प्रति निष्ठा में कमी का दुष्परिणाम है। भारत और बाहर के अनेक अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि धार्मिक और जातीय समूहों की उपस्थिति इस विवाद का स्वाभाविक कारण नहीं है। यह विमुख होने की एक भावना है जो किसी समूह में कई कारणों से हो सकती है। ये कारण निम्नलिखित हैं—

- रोजगार के अवसरों से वंचितता— भारत में कई भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यह वंचना इन अल्पसंख्यकों में अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता की भावना उत्पन्न कर उन्हें अलगाववादी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करती है।
- भू-स्वामित्व में असमानता— भारत में कई भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को पारंपरिक भूस्वामित्व से वंचित कर दिया गया। इस वंचना ने इन समुदायों को अलगाववादी गतिविधियों के लिए उकसाने का कार्य किया है।
- आर्थिक असमानता— भारत में आर्थिक विकास का असमान वितरण कई अन्य समस्याओं के साथ-साथ अलगाववाद की समस्या के लिए भी उत्तरदायी रहा है। आर्थिक विकास कार्यक्रमों का अधिकांश लाभ बहुसंख्यक समुदायों को मिलने के कारण अल्पसंख्यक समूहों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। परिणामतः इन समुदायों ने अलगाववादी आंदोलनों के माध्यम से इस समस्या का समाधान ढूँढने का प्रयास किया है।
- भाषागत संस्कृति की समस्याएं— सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों में अल्पसंख्यकों की भाषा के प्रयोग की कमी ने अल्पसंख्यकों के समक्ष भाषा के विकास एवं संरक्षण की समस्या उत्पन्न की है जिसका समाधान यह समुदाय भाषा आधारित अलग देश के रूप में देखते हैं।

- सरकारी तंत्र के द्वारा किसी मांग पर कड़ा रुख अपनाना— कई बार कुछ समूहों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाता है जिन्हें सरकारी मशीनरी द्वारा दबा दिया जाता है। ऐसे में यह समूह देश में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग बंद होता देखता है। परिणामतः इनके द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य की मांग हेतु अलगाववादी आंदोलनों का संचालन किया जाता है।
- सीमा से सटे देश से संस्कृति एवं परंपरा की समानता— कई सीमावर्ती राज्यों के लोग सांस्कृतिक, नृजातीय एवं परंपरागत दृष्टि से पड़ोस के देश के निवासियों से समानता रखते हैं। यह समानता भी इन समुदायों को अलगाववादी आंदोलनों के लिए प्रोत्साहित करता है।
- अशिक्षा, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या— अशिक्षा, गरीबी एवं बेरोजगारी भारत में कई सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ अलगाववाद की समस्या के लिए भी उत्तरदायी कारक हैं। शिक्षा के अभाव में सही-गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है तथा ऐसे लोग कुछ असामाजिक तत्वों की बातों में आकर समाज विरोधी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। साथ ही गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या भी कई लोगों में असंतोष का भाव उत्पन्न कर ऐसे कार्यों हेतु उन्हें प्रेरित करता है।
- राजनीतिक हित— कई राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में अपना हित साधने हेतु ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही कई क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिज्ञ ऐसे आंदोलनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की आकांक्षा को सिद्ध करना चाहते हैं।
- मीडिया का विकास एवं संचार-तकनीकी में वृद्धि— संचार एवं तकनीक के प्रसार के परिणामस्वरूप अलगाववादी गतिविधियों की तीव्रता में वृद्धि हुई है। संचार माध्यमों के द्वारा विभिन्न अलगाववादी संगठनों के बीच वैचारिक तथा भौतिक संसाधनों की पहुँच के सुअवसर उपलब्ध हुए हैं। परिणामतः वे आपस में नजदीक आए हैं तथा अपनी गतिविधियों को अत्यधिक आसानी से क्रियान्वित कर रहे हैं।

भारत में अलगाववाद के दुष्परिणाम (Consequences of separatism in India)

- संप्रभुता के विरुद्ध— बहुलवादी भारत में अलगाववाद राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के समक्ष प्रमुख चुनौती है। अलगाववादी गतिविधियों के दौरान कुछ विशेष

समूहों द्वारा अन्य समूहों को निशाना बनाया जाता है। परिणामतः राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया दुष्प्रभावित हो जाती है।

- आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध— अलगाववादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप हिंसा की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना होती है। इससे वृहद् पैमाने पर जानमाल एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। साथ ही अलगाववाद देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान हो जाता है।
- कानून-व्यवस्था की समस्या— अलगाववादी गतिविधियों के दौरान हिंसा एवं तोड़फोड़ की स्थिति देश में कानून एवं व्यवस्था की समस्या के रूप में सामने आती है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव— अशांति एवं उथल-पुथल की स्थिति में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन कठिन हो जाता है। साथ ही अलगाववादी गतिविधियों के दौरान व्याप्त हिंसा के कारण आम आदमी अपनी सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न नहीं हो पाता है। परिणामतः देश का सामाजिक-आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होता है।

अलगाववाद की समस्या के समाधान हेतु किए गये प्रयास

A. संवैधानिक तथा वैधानिक प्रयास

- संविधान में एकता व अखण्डता की भावना:— भारतीय संविधान में एकता एवं अखण्डता की भावना सम्मिलित कर राष्ट्रवाद को अलगाववाद, नृजातीयता, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि से ऊपर स्थान दिया गया है।
- भेद-भाव रहित समान अधिकार:— संविधान के मूल अधिकार भाग के अंतर्गत देश में सभी जाति, नृजातीय, भाषायी, धार्मिक आदि समूहों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14), विभेद का निषेध (अनुच्छेद-15), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19) के माध्यम से एकसमान अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही वंचित तथा विशेष समूहों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। इन उपबंधों द्वारा अलगाववादी शक्तियों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।
- अल्पसंख्यक आयोग एवं भाषायी आयुक्त:— अल्पसंख्यक समूहों तथा भाषायी समूहों को समाज में उचित स्थान दिलाने, विकासात्मक कार्यक्रमों का उन पर प्रभाव तथा उनकी समस्याओं के आंकलन हेतु 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' का गठन किया गया है।

- जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान:— जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लाभों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा वहाँ बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संविधान की अनुसूची-V एवं VI में विशेष प्रावधान किए गए हैं तथा अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किये गये हैं।

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA)

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA) 1958 में अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया। यह सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ एवं प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को किसी विशेष क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने से मना (Prohibit) करने का भी अधिकार प्रदान करता है। किसी मानव को कानून उल्लंघन (Contravention) करते हुए पाए जाने पर चेतावनी देने के पश्चात्, अगर जरूरत हो तो, सुरक्षा बलों के द्वारा बल का प्रयोग या गोली भी चलाया जा सकता है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को युक्ति-संगत (Reasonable) संदेह होने पर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का भी अधिकार देता है। इसके अलावा बिना वारंट के सुरक्षाबल किसी भवन (Premise) में प्रवेश या खोज भी करने की शक्ति यह अधिनियम प्रदान करता है।

वर्तमान में यह नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के 7 (सात) विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर) तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है। जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसी तरह का कानून लागू है जो कई स्तर पर कार्य कर रहा है।

B. योजनागत प्रावधान

- गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम:— सरकार द्वारा देश में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजना आदि प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर तथा विशेष क्षेत्रों के लिए अधिक अनुदान दिए जाते हैं ताकि यहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार किया जा सके तथा अलगाववादी ताकतों को हतोत्साहित किया जा सके।
- समावेशी विकास का प्रयास:— सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों में समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। समावेशी विकास के माध्यम से सरकार विभिन्न

व्यक्तियों, समूहों, क्षेत्रों आदि के बीच व्याप्त असमानता को दूर कर सभी को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहती है। ताकि इस असमानता के प्रति आम जनता में व्याप्त असंतोष को दूर कर अलगाववाद जैसी समस्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

उग्रवाद के खिलाफ त्रिपुरा मॉडल

1990 दशक के अन्तिम वर्षों और 2000 दशक के शुरूआत में त्रिपुरा ने राज्य में शांति स्थापना के लिए अद्वितीय मार्ग को अपनाया। यह केवल सुरक्षा उपायों पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें मानव विकास और सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों में लोगों की भागीदारी पर भी बल दिया गया। लगभग एक दशक बाद राज्य में शांति स्थापना करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। वर्ष 2015 में अफस्पा (AFSPA) को राज्य से हटाया जाना इस मॉडल की सफलता की कहानी स्वयं बयां करता है।

इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार प्रमुख स्तंभ हैं। राज्य में उग्रवाद, साक्षरता में प्रमुख बाधक था। इसके बावजूद सरकार के प्रयासों के कारण साक्षरता दर 2001 के 73% की तुलना में वर्ष 2011 में 87% हो गयी। साक्षरता वृद्धि राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों में देखी गई।

उदाहरण के लिए त्रिपुरा का एक पिछड़ा एवं जनजाति गांव खाकचांग (उत्तरी जिला) में वर्ष 2005 में 18-45 आयु वर्ग की 50% से अधिक महिलाओं ने 1 वर्ष से भी कम विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं वर्ष 2016 तक उपर्युक्त आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा प्राप्त विद्यालयी शिक्षा की माध्यिका 7 वर्ष थी।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS) के डाटा के अनुसार राज्य में नवजात शिशु मृत्युदर 2005-06 की तुलना में 2014-15 में लगभग आधी हो गई है। वर्ष 2004-05 में राज्य में नवजात मृत्युदर 51 प्रति हजार था, वहीं 2014-15 में घटकर 27 प्रति हजार हो गया। यह 2015 के अन्त तक घटकर 20 प्रति हजार रह गया।

वर्ष 2005-06 से 2014-15 के दौरान 10 वर्षों में से 8 वर्ष राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 8% से भी अधिक रही है। पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान त्रिपुरा मनरेगा के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति परिवार रोजगार पाने का औसत 40-50 दिन रहा है। त्रिपुरा में यह औसत 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान 80 दिन प्रति परिवार रहा है। वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 94 दिन हो गया।

त्रिपुरा में श्रम भागीदारी- विशेष रूप से महिलाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे के अनुसार जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी 2004-05 में 49% के स्तर से घटकर 2011-12 में 36% हो गई है वहीं त्रिपुरा में इसी अवधि के दौरान ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी 17% से बढ़कर 38% हो गई।

इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों द्वारा सामाजिक- राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया गया है। इन सबका समन्वित परिणाम यह रहा है कि राज्य में उग्रवाद की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

- अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु विशेष प्रयास:- सरकार द्वारा भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर

में सुधार हेतु विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, वित्तीय कार्यक्रमों आदि के माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार कर इनके मन में व्याप्त अलगाववाद की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

- विशेष भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण:- भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य बोलियों एवं संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।
- पृथक राज्य एवं स्वायत्त परिषद् का गठन:- उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्वायत्त परिषदों का गठन कर उन्हें इन क्षेत्रों में प्रशासन संचालन एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया है। इसमें असम के बोडो क्षेत्रीय परिषद्, गोरखा पर्वतीय परिषद् आदि प्रमुख हैं।
- शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार:- विभिन्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों जैसे 'सर्व शिक्षा अभियान', 'साक्षर भारत' आदि के माध्यम से सरकार साक्षरता दर में वृद्धि का प्रयास कर रही है। साथ ही आम नागरिकों में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता तथा अलगाववाद जैसी समस्या के दुष्प्रभाव के प्रसार आदि के माध्यम से जनता को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- विभिन्न एजेंसियों का आधुनिकीकरण व विभिन्न अभियान:- अलगाववादी आंदोलनों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु विभिन्न एजेंसियों को अत्याधुनिक हथियारों, तकनीकों, प्रशिक्षण, वाहनों, संचार उपकरणों आदि से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इन गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न अभियानों का संचालन किया गया है।

पूर्वोत्तर में विद्रोह से निपटने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई पहले

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (Armed forces Special powers) Act 1958 (AFSPA)
- पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया के लिए सरकार संविधान के ढांचे के अंतर्गत समसौता-वार्ता की नीति अपना रही है।
- पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के लिए आत्म समर्पण एवं पुनर्वास संबंधी योजना
- इसके अंतर्गत प्रत्येक आत्म समर्पण करने वाले उग्रवादी को 4 लाख रुपये का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्ष

के लिए बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा।

- इसके साथ प्रत्येक आत्मसर्पण करने वाले उग्रवादी को 3 वर्ष की अवधि के लिए 600 रुपये प्रतिमाह के वजीफे का भुगतान करना।
- आत्म समर्पण करने वाले को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक कार्यवाई कार्यक्रम-

- स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने और जन सामान्य के मध्य सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के क्रम में सुरक्षित पुलिस थानों का निर्माण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन किया जा रहा है।
- मिजोरम में बू प्रवासियों की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण, उनका त्रिपुरा में पुर्नवास किया गया है।

मूल्यांकन एवं सुझाव

निश्चित रूप से अलगाववाद भारत में एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। अलगाववादी ताकतों ने भारतीय राष्ट्र-राज्य की एकता एवं अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। यद्यपि संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत अलगाववाद को पूर्णतः खारिज कर दिया गया है तथा सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों एवं विशेष भाषा, संस्कृति व परंपरा आदि के संरक्षण के माध्यम से इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में अलगाववादी प्रवृत्तियों में कमी परिलक्षित होती है, लेकिन इस पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। अतः भारत में अलगाववाद की समस्या के पूर्ण समाधान हेतु निम्न सुझावों पर अमल किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है-

संवैधानिक तथा वैधानिक स्तर पर सुझाव

1. अलगाववादी ताकतों से निपटने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित कानूनों की समीक्षा कर उन्हें अधिक कठोर बनाया जाय तथा इनका पूर्ण-इच्छाशक्ति के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

योजनागत स्तर पर सुझाव

1. देश में विद्यमान विशेष संस्कृतियों के संरक्षण हेतु सकारात्मक पहल किए जाएं तथा इन संस्कृतियों को

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाय।

2. विकास के लाभों को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया जाए जो अभी तक सामाजिक-आर्थिक विकास से अछूते हैं। साथ ही विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनजातीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।
3. देश में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तीव्र की जाय तथा सामाजिक न्याय को हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।
4. विभिन्न कट्टरपंथी एवं अलगाववादी शक्तियों को हतोत्साहित किया जाय तथा समाज में वैमनस्य फैलाने वाले इन समूहों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।
5. विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जनजातियों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

अन्य सुझाव

1. भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा इन समूहों पर अत्याचार करने वाले लोगों एवं समुदायों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय।
2. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा स्वच्छ एवं राष्ट्रहित की राजनीति हेतु सर्वसम्मति बनायी जाय।

अलगाववाद को खत्म करने के लिए कुछ वैधानिक प्रावधान

सर्वप्रथम अलगाववाद को समाप्त करने में आई.पी.सी. की धारा 124'A' की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है। देखा जाए तो यह राजद्रोह से जुड़ा प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि किसी भी स्तर पर भारतीय संप्रभुता तथा एकता के विरुद्ध कोई भी विद्रोह दण्डकारी होगा तथा 124'A' के तहत इस पर कार्रवाई होगी।

ऐसे सुरक्षा बलों तथा सैन्य बलों को कई स्तर पर अधिकार देकर अलगाववाद के खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं। इस कोशिश में अफस्पा से लेकर 'विशेष सैन्य बल अधिनियम' को अंकित किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में धारा-370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में 'भारतीय दण्ड संहिता' को लागू होने में कोई अड़चन नहीं तथा वहाँ भी वही सभी कानून लागू है जो किसी भी भारतीय केन्द्र-शासित प्रदेश में लागू है।

समय के साथ भारत सरकार ने अपने प्रावधानों में

बदलाव कर अलगाववाद के खिलाफ कई तात्कालिक प्रावधान तथा वैधानिक प्रावधान किए हैं जो अलगाववाद के खिलाफ प्रभावी हो रहा है।

भारत में अलगाववाद की समस्या : समसामयिक तथ्य एवं घटनाक्रम

इसके तहत दोनों देश की सेनाओं ने कामतपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और ऑफ असम (आई) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सहित कई विद्रोही गुटों के शिविरों करने के लिए परस्पर समन्वय पर बल दिया है।

ऑपरेशन सनराइज का प्रथम चरण फरवरी 2019 में भारत- म्यांमार, बांग्लादेश और यहां तक कि चीन और नेपाल में पूर्वोत्तर-आधारित विद्रोही गुटों के कई शिविरों को नष्ट किया गया था।

भूटान द्वारा प्रारंभ किया गया एक ऐतिहासिक अभियान था। इसे भूटान के दक्षिण क्षेत्रों में असम के अलगाववादी विद्रोही समूहों के विरुद्ध संचालित किया गया था इस प्रकार के संयुक्त अभियान उत्तर पूर्व में विद्रोह का सामना करने में सहायता करेगा।

पडगाँवकर समिति

जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा गठित पडगाँवकर समिति ने अक्टूबर, 2011 में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी। यह दिलीप पडगाँवकर की अध्यक्षता में गठित एक तीन सदस्यीय समिति थी। इस समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में अलगाव के कारणों तथा इसके निदान हेतु उपायों पर विचार करना है। समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्न संस्तुतियाँ की गई हैं:-

- अलगाव वाले क्षेत्रों को स्वायत्तता दी जाय।
- इन क्षेत्रों को लक्षित आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।
- सीमा पार आदान-प्रदान जैसे उपायों को अपनाया जाय।
- लेह एवं कारगिल क्षेत्रों के लिए बहुदेशीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाय।
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का प्रयोग सार्थक तरीके से किया जाय।

समीक्षा

अलगाव की समस्या जम्मू-कश्मीर की प्राचीन समस्या रही है। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए

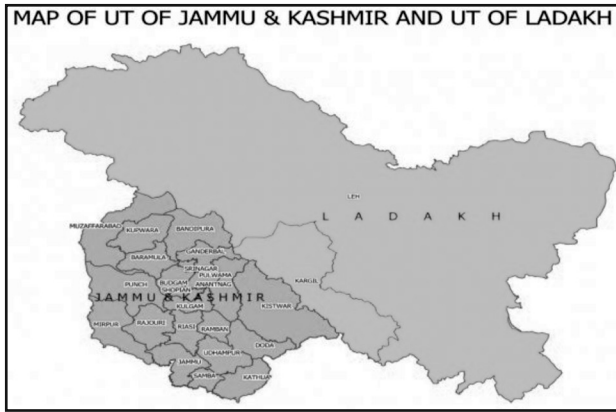
अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन, कानूनों का निर्माण तथा समितियों का गठन किया जा चुका है। हाल ही में पडगाँवकर समिति द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर की समस्या के समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं एवं अभिव्यक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समिति ने क्षेत्र के सभी लोगों से सलाह-मशवरा कर उनकी बातों को रिपोर्ट में शामिल करने का प्रयास किया है। इस अर्थ में यह अब तक की सबसे व्यापक रिपोर्ट है। समिति ने क्षेत्र में अलगाव के कारणों एवं इससे निपटने के व्यावहारिक उपायों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अतः अपेक्षा है कि सरकार इस रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करते हुए इसमें अपेक्षित संशोधनों के साथ इसके प्रस्तावों को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करेगी ताकि इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम हो और इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके तथा क्षेत्र से अलगाववादी समस्याओं का समाधान संभव हो सके।

दिनेश्वर शर्मा

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के I.P.S. अधिकारी तथा भूतपूर्व IB चीफ दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर में अलगाववाद की समस्या के स्वरूप को समझने एवं उसके समाधान का सुझाव देने के लिये प्रमुख वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें इस बात की पूरी छूट प्रदान की गई थी वे बिना किसी दबाव के किसी भी राजनैतिक दल, संस्था या व्यक्ति से मिल सकते हैं। दिनेश्वर शर्मा ने अपने कई दौरों के माध्यम से कश्मीर की समस्या को समझने का प्रयास किया तथा अलग-अलग संगठनों, छात्रों, सिविल सोसायटी के सदस्यों से मिलकर कश्मीर में अलगाववाद के समाधान का हल ढूँढ़ने की कोशिश की। कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि दिनेश्वर शर्मा द्वारा दिये गये सुझावों से ही संविधान की धारा 370 तथा 35A की हटाय जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

संविधान के अनुच्छेद 370 व 35A के हटने तथा जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का अलगाववाद की समस्या पर प्रभाव



हाल में भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति को निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 370 तथा 35A को हटा दिया है तथा जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए उसे केंद्रशासित राज्य घोषित कर दिया है। इन कदमों से भविष्य में अलगाववाद की समस्या का समाधान किया जा सकेगा जैसे-

- भारत सरकार की विकासन्मुखी योजनाओं को बिना किसी रोक-टोक के धरातल पर पहुंचाना संभव हो सकेगा जिसके कारण वहां के निवासियों में अलगाववाद की समस्या कम होगी।
- पुलिस प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण से आतंकवाद एवं आतंकवादी संगठनों के घाटी में समर्थकों पर कड़ी कार्यवाही संभव हो सकेगी।
- जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति (पृथक संविधान एवं झण्डा) के निरसन से भारत में उसका पूर्ण एकीकरण संभव हो सकेगा। इससे भविष्य में उसके पृथक अस्तित्व की संभावना भी समाप्त हो जायेगी।
- अलगाववादी संगठनों तथा नेताओं की राजनीति का आधार ही समाप्त हो जायेगा। इन कदमों के पश्चात वे राज्य के नागरिकों को स्वतंत्रता व अलगाववाद के नाम पर नहीं भड़का पायेंगे।

निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा कि भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम जम्मू एवं कश्मीर में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगे तथा भविष्य में तीव्र सामाजिक व आर्थिक विकास से अलगाववाद की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त कर पाना संभव हो सकेगा।

पूर्वोत्तर में अलगाववाद से निपटने हेतु उठाये गये हालिया कदम

- हाल में सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया इससे लोअर दिबांग वैली, अजांव, नामसाई और दिबांग वैली जैसे पड़ोसी जिलों से केनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

- पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वोत्तर राज्यों में 10,500 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण हेतु नॉर्थ-ईस्ट रोड सेक्टर डवलपमेंट स्कीम नामक योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश राज्य में सड़क घनत्व बढ़ाने हेतु ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग परियोजना भी शुरू की है।
- रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों में 20 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है तथा 2020 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- हाल ही में सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी के सुधार हेतु 15000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।
- जैव विविधता के दोहन हेतु राष्ट्रीय बाँस मिशन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार व आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त खेलों के प्रति जागरूकता का लाभ उठाने हेतु तथा युवाओं को अलगाववाद से पृथक रखने हेतु मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
- हाल ही में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल नार्थ-ईस्ट विजन 2022 जारी किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रारम्भ की गई पहलें एवं उपलब्धियाँ

- असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए वर्ष 1985 से की गई कार्यवाहियों के आकलन और इस संबंध में किए जाने वाले उपायों को संबंध में सुझाव देने के लिए विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची के तहत स्वशासी परिषदों को सुदृढ़ करने वाला 125वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।
- त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों को बसाने के लिए, 6000 करोड़ रुपये के पैकेज के माध्यम से उनका पुर्नवास एवं सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
- भारत और बांग्लादेश के मध्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे तथा देशों के मध्य आपसी सहयोग सहित विश्वास निर्माण के उपाय के संबंध में गृहमंत्री स्तर की वार्ता की गई है।
- भारत एवं म्यांमार के मध्य क्षेत्रक स्तर की बैठक आयोजित की गई जिसमें सीमाओं के प्रबंधन, वन्य जीवों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम में सहयोग पर चर्चा की गई जिससे पूर्वोत्तर में विद्रोह और

उग्रवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलेगी।

इस प्रकार विगत सात वर्षों में संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार हुआ है। जिससे विद्रोह की घटनाओं में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है।

- वहीं सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने वाली घटनाओं में 78 प्रतिशत की गिरावट हुई है। साथ ही नागरिकों के हाने वाली मृत्यु में 80 प्रतिशत की गिरावट आयी है। उपरोक्त कदमों से स्पष्ट है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद के निदान हेतु व्यापक प्रयास कर रही है। विगत वर्षों में पूर्वोत्तर के विकास हेतु सरकार के प्रयासों में तेजी देखी गई है। यदि इन प्रयासों का धरातलीय क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संभव हो सका तो भविष्य में पूर्वोत्तर राज्यों

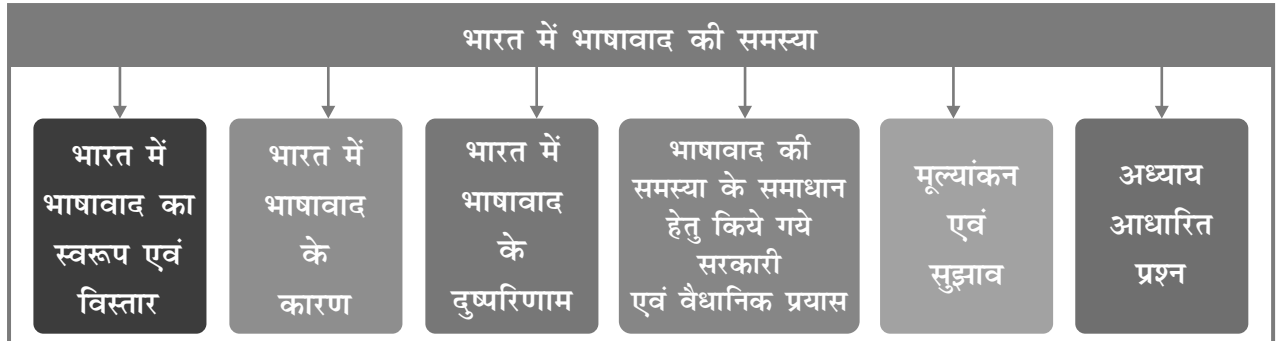
में व्याप्त अलगाववाद की समस्या का स्थायी समाधान निकालना संभव हो सकेगा।

“नागालैण्ड में दुखदायी घटना फिर घटित हुई”

4 दिसंबर, 2021 को भारतीय सेना के कुछ जवानों की गोलीबारी में लगभग 12 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई। देखा जाए तो सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह कहा है कि सेना ने अपने आत्मरक्षा में यह गोली चलाया है। म्यांमार सीमा पर भारतीय सैनिकों को एक ट्रक पर कुछ संशयपूर्ण गतिविधि को देखकर गोली चलानी पड़ी। देखा जाए तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।

संभावित प्रश्न एवं विगत वर्षों में पूछे गये प्रश्न

1. भारत में अलगाववाद के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को समालोचनात्मक परीक्षण करें।
2. अलगाववाद ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को किस प्रकार दुष्प्रभावित किया है? इसके और क्या-क्या दुष्प्रभाव परिलक्षित होते हैं? इस समस्या के समाधान हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तुत करना चाहेंगे?
3. पडगांवकर समिति रिपोर्ट की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या हैं? जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद की समस्या के समाधान हेतु इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए।



किसी भी समुदाय के द्वारा अपनी एक विशेष भाषा के आधार पर उस भाषा से प्रबल जुड़ाव की भावना भाषावाद है। भारत में भाषावाद के संदर्भ में प्रमुख समस्या विभिन्न भाषाओं एवं इनसे संबंधित समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से संबंधित है।

भारत एक बहुलवादी देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची-8 के अंतर्गत कुल 22 भाषाएँ अधिसूचित की गई हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 1 हजार से अधिक बोलियाँ पायी जाती हैं। भारत एक समन्वयकारी राष्ट्र के रूप में स्थापित है जहाँ एक ही समाज में इन विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसे में कई बार भाषायी आधार पर संगठित होकर कुछ समूह अपनी पहचान को लेकर संघर्ष एवं आंदोलन को जन्म दे देते हैं। अपनी भाषा के संरक्षण एवं विकास हेतु किया गया यह आंदोलन गंभीर समस्या के रूप में परिणत हो जाता है। कभी-कभी इस भाषायी आधार पर विभिन्न समूहों द्वारा अलग राज्य, स्वायत्तता अथवा संप्रभु राष्ट्र की भी माँग की जाती है जो भारतीय संघ के समक्ष कठिन चुनौती के रूप में परिलक्षित होता है।

भारत में भाषावाद का स्वरूप एवं विस्तार

(The Nature and Expansion of Lingualism in India)

भारत में भाषावादी प्रवृत्ति का विकास अंग्रेजी शासनकाल में ही प्रारम्भ हो चुका था। अंग्रेजी भाषा के प्रसार ने शासक एवं शासितों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। फलतः जनसंख्या का एक बड़ा भाग देश की राजनीतिक एवं विकासात्मक प्रक्रियाओं से निष्क्रिय एवं असंबद्ध हो गया। परिणामतः स्वतंत्रता संघर्ष में भाषा को भी एक प्रमुख मुद्दा के रूप में संबद्ध किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न कारणों ने भाषावाद के मुद्दे को तेजी से उभारा तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषावाद की समस्या विस्तृत हो गई। भाषावाद के प्रसार को भारत में निम्न रूपों में देखा जा सकता है-

- राजभाषा का मुद्दा।
- भाषायी पहचान को लेकर आंदोलन तथा भाषायी राज्यों की माँग।

राजभाषा का मुद्दा

संविधान सभा में भारत की राजभाषा के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो गए। एक वर्ग हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने की माँग कर रहा था, वहीं गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। इनका मानना था कि इससे हिन्दी का प्रभाव बढ़ेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत से संचार में बाधा उत्पन्न होगी।

इन विरोधों के बावजूद संविधान के अनुच्छेद-343 के तहत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा आगामी 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप दक्षिणभाषी राज्यों में इसका घोर विरोध हुआ तथा वहाँ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। विरोध के परिणामस्वरूप 1967 में राजभाषा संशोधन विधेयक के माध्यम से सभी राजकीय कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किया गया। यह प्रयोग राज्यों द्वारा तब तक किया जा सकता है जब तक संबंधित राज्य के विधान मंडल हिन्दी भाषा को अपनाने को तैयार नहीं हो जाते। इस प्रकार उपरोक्त मुद्दे के रूप में भाषावाद की स्पष्ट झलक परिलक्षित होती है। देखा जाए तो भाषावाद की समस्या को भारत में उत्तर-दक्षिण

के बीच की समस्या को भी कई वर्षों तक माना गया परंतु देखा जाए तो 1970 के दशक तक आते-आते इस समस्या को इस भाव से देखा जाना कम हो गया।

भाषायी पहचान को लेकर आंदोलन तथा भाषायी राज्यों की माँग

भारत में भाषायी पहचान से संबंधित आंदोलन तथा भाषायी राज्यों की माँग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- स्वतंत्रता के पूर्व भाषायी आंदोलन
- स्वतंत्रता पश्चात् भाषायी आंदोलन
- स्वतंत्रता के पूर्व भाषायी आंदोलन— स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के मजबूत होने के कारण जनचेतना का विकास हुआ तथा भाषायी आधार पर स्रोतों के गठन की तीव्र माँग हुई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए भाषायी आधार पर प्रांतों को मान्यता प्रदान की।

दक्षिण भारत में तमिल भाषा एवं द्रविड़ संस्कृति को लेकर द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ। सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1916 में रामास्वामी नायकर द्वारा **South India Liberation Federation** का गठन कर द्रविड़ पहचान की स्थापना का प्रयास किया गया। 1924 में नायकर के नेतृत्व में द्रविड़ पहचान की स्थापना हेतु आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। 1936 में मद्रास प्रेसीडेंसी के चुनाव के बाद नायकर एवं अन्नादुरई के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ तथा 1939 में कुछ तमिल भाषी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य 'द्रविड़नाडु' की माँग की गई।

1938 में आदिवासी विद्यालयों में संथाली भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की माँग की गई 'मुरमू सरना धोर्मा समलेट' प्रारंभ किया गया जो मूल संथाली लिपि और धर्मग्रंथों की पहचान स्थापित करने में प्रयत्नशील रही। साथ ही गुरु गोमके द्वारा "गुरु खेरवार वीर" की रचना की गई परिणामतः संथाली भाषा को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

- स्वतंत्रता पश्चात् भाषायी आंदोलन— स्वतंत्रता के बाद भी भाषायी आधार पर अलग राज्यों की माँग को लेकर विभिन्न आंदोलन किए गए। स्वतंत्रता पश्चात् भाषावाद की समस्या से संबंधित आंदोलनों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

- दक्षिण भारत में आंदोलन

- पंजाब में आंदोलन
- उत्तर-पूर्वी भारत में आंदोलन
- मराठी आंदोलन

- दक्षिण भारत में आंदोलन— आजादी के पश्चात् तमिल साहित्य और भाषा के पुनर्जागरण का दौर तीव्र हो गया तथा एम. करुणानिधि के द्वारा 1952 में तमिल नाटक 'परशक्ति' की रचना की गई जिसमें शिवाजी गणेशन ने अभिनय किया।

1952 में तत्कालीन मद्रास प्रांत के आंध्र क्षेत्र में तेलुगु भाषी राज्य की स्थापना हेतु पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक वृहद् आंदोलन प्रारम्भ हुआ। आंदोलन के दौरान श्रीरामुलु के निधन के पश्चात् सरकार ने आंध्र प्रदेश नामक तेलुगुभाषी राज्य का गठन किया। इसके साथ ही राज्यों के भाषायी आधार पर गठन की माँग के अध्ययन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग भी नियुक्त किया गया। केन्द्रीय सरकार ने इस मुद्दे पर जनभावना की गहराई को समझते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1956 में भाषायी आधार पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया।

राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद प्रत्येक राज्य में बहुत से ऐसे लोग रह गए जिनकी मातृभाषा बहुसंख्यक वर्ग की भाषा से भिन्न थी। परिणामतः 26 जनवरी 1965 से द्रविड़, संस्कृति एवं तमिल भाषायी पहचान आंदोलन ने हिन्दी विरोधी आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया और आंदोलन उग्र हो गया। फरवरी 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अनिश्चित काल तक अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में लागू रखने की घोषणा के पश्चात् 22 फरवरी को आंदोलन समाप्त हुआ। साथ ही डीएमके के भाषायी कट्टरपंथी रूख में नरमी आई तथा उनका तमिल भाषायी एजेण्डा कमजोर हो गया। इसके पश्चात् 1967 में द्विभाषा सिद्धांत पर आधारित राजकीय भाषा संशोधन अधिनियम लागू किया गया। 2014 ई० में आंध्र-प्रदेश के विभाजन के समय तेलंगाणा राज्य की स्थापना के कारणों में 'भाषावाद' को एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है।

- पंजाब में आंदोलन— स्वतंत्रता पश्चात् अकाली दल द्वारा गुरुमुखी लिपि में लिखे पंजाबी भाषा को मान्यता देने की माँग की गई 1950 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह द्वारा पंजाबी बोलने वाले और गुरुमुखी लिखने वाले लोगों के लिए पृथक भाषायी राज्य की माँग की गई तथा पंजाबी सूबा आंदोलन को तेज किया



गया। 1960 में तारासिंह की गिरफ्तारी के बाद फतेह सिंह ने आंदोलन को जारी रखा। यद्यपि 1962 के भारत-चीन युद्ध एवं 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ, परन्तु आंदोलन की माँग को लेकर नवम्बर, 1966 में भाषायी आधार पर पंजाब राज्य का गठन कर दिया गया।

- उत्तर-पूर्वी भारत में आंदोलन— उत्तर-पूर्वी भारत में भाषायी विविधता ने भाषावाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। असम में 1967 में 'ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन' के गठन तथा 'प्लेन ट्राइबल कौंसिल ऑफ असम' के गठन के साथ बोडो भाषा के लोगों के लिए उदयांचल राज्य की मांग प्रारंभ हुयी। इस मांग के तीव्र होने के पश्चात् बोडो भाषा को भाषायी स्वायत्तता प्रदान की गयी और 1993 में बोडो भाषायी लोगों के लिए बोडो पर्वतीय परिषद् के रूप में स्वायत्त परिषद् का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत 2003 में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् का गठन एक स्वायत्त परिषद् के रूप में किया गया।

अरुणाचल प्रदेश के मिशिंग या मीरी लोगों के द्वारा 'मिशिंग अगस के बंग' का गठन किया गया तथा मिशिंग भाषा को प्राथमिकता दिलाने के लिए आंदोलन किया गया।

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में नेपाली-गढ़वाली भाषा के आधार पर हिंसक नृजातीय आंदोलन का संचालन 1980 से किया जा रहा था। इस आंदोलन की समाप्ति हेतु 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद् का गठन किया गया। 2007 में विमल गुरुंग ने अलग गोरखालैंड राज्य की मांग हेतु गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन कर पुनः आंदोलन तेज कर दिया। यह आंदोलन आज भी जारी है।

- मराठी आंदोलन— भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भाषायी आधार पर दक्षिण भारत में चार राज्यों का निर्माण किया गया। ये राज्य थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल। जबकि भारत के चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी के लिए कोई अलग राज्य नहीं था। बंबई प्रांत मराठी तथा गुजराती भाषा वाले लोगों का द्विभाषायी राज्य था। परिणामतः संयुक्त महाराष्ट्र

समिति के तत्वावधान में मराठी भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग प्रारंभ हो गयी। बंबई प्रांत के गुजराती राजनेताओं ने मांग की कि मराठी भाषा के आधार पर राज्य विभाजन की स्थिति में बांबे शहर को गुजरात की राजधानी बनाई जाय। जनवरी, 1960 में समिति द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग की गई जिसमें 105 लोगों की मृत्यु हो गयी। फलतः बंबई प्रांत को गुजरात तथा महाराष्ट्र नामक दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया।

मराठी भाषा के आधार पर गठित महाराष्ट्र में (मुख्यतः मुंबई व आस-पास के क्षेत्रों में) तीव्र औद्योगिक विकास के कारण बाहरी लोगों का वृहद् स्तर पर प्रवेश हुआ। परिणामतः गैर-मराठी भाषा के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति हेतु गैर-मराठी भाषा के लोगों के विरुद्ध यहां समय-समय पर हिंसक आंदोलन किए जाते रहे हैं। मुख्यतः शिवसेना तथा मनसे ने हाल के वर्षों में इसे तेजी से उभारा है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा गैर मराठी (मुख्यतः उत्तर भारत के निवासी) लोगों के विरुद्ध हुए हिंसक आंदोलनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

भारत में भाषावाद के कारण (Causes of Lingualism in India)

- क्षेत्रीयता की भावना— भारत में सामाजिक विकास का विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमान वितरण विभिन्न समस्याओं का मूल कारण रहा है। इस तत्व ने भाषावाद की समस्या को भी प्रबलित किया है। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े भाषायी समूह अपने उत्थान एवं सुदृढ़ता हेतु भाषा को उपकरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। परिणामतः भाषावाद की समस्या का जन्म होता है।
- भाषा का संरक्षण व विकास— भाषायी अल्पसंख्यक के समक्ष अपनी भाषा के संरक्षण व विकास की चुनौती सर्वदा विद्यमान रहती है। संचार साधनों के विकास ने विभिन्न भाषाओं के प्रसार द्वारा इनकी चिन्ता को अधिक बढ़ा दिया है जहाँ नये भाषाओं के समक्ष इन्हें संरक्षण व विकास हेतु प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। साथ ही भाषायी बहुसंख्यकों ने भी विभिन्न शोषणकारी गतिविधियों से इन अल्पसंख्यकों को भयभीत किया है। परिणामतः भाषायी अल्पसंख्यक संगठित होकर भाषावाद की समस्या को जन्म देते हैं।

- पहचान का संकट— वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट ने विभिन्न भाषायी समूहों को भी इस समस्या से भयभीत कर दिया है। परिणामतः अपनी पहचान के माध्यम से अपना अस्तित्व स्थापित करने के उद्देश्य से इन समूहों द्वारा भाषा को आधार बनाकर विभिन्न आंदोलन किये जाते हैं।
- राजनीतिक कारण— वर्तमान सामाजिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर उच्च सामाजिक प्रस्थिति पर अवस्थित होना चाहता है। इस आकांक्षा की पूर्ति का एक प्रमुख माध्यम राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। भाषायी समूह भी इसी आकांक्षा की पूर्ति हेतु अपनी भाषा का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।
- चुनावी लाभ की मंशा— विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति, प्रजाति, संप्रदाय, धर्म आदि के साथ-साथ किसी विशेष भाषायी समूह को विशेष प्रलोभन देने के वायदे द्वारा अथवा किसी अन्य भाषायी समुदाय के प्रति विद्वेष पैदा कर इन दलों द्वारा भाषावाद की समस्या को प्रबलित किया जाता है।

भारत में भाषावाद के दुष्परिणाम (Consequences of Lingualism in India)

- भारत की राजव्यवस्था एवं शासन पर प्रभाव— भाषावाद ने भारतीयों में संकीर्ण भावना को उत्पन्न कर भारतीय राजव्यवस्था के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत की है। भाषावाद जनित आंदोलन तथा संघर्ष के कारण विधि व्यवस्था बनाए रखने की समस्या उत्पन्न होती है तथा संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को देश में शांति एवं स्थायित्व की बहाली हेतु चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- हाल के दिनों में महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर-मराठी की समस्या ने कई हिंसक झड़पों को जन्म देकर विधि-व्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है।
- अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव— भाषायी आंदोलन कई बार हिंसक रूप धारण कर लेता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचती है। इसके अतिरिक्त ऐसे आंदोलनों के दौरान आर्थिक क्रियाकलापों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित होती है।
- सामाजिक तनाव एवं संघर्ष— भाषावाद जनित आंदोलन समाज में तनाव एवं संघर्ष को उत्पन्न कर सामाजिक

एकता एवं समरसता के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। इससे भारत में 'विविधता में एकता' की भावना आहत होती है तथा राष्ट्रीय अखंडता के लक्ष्य को चुनौती मिलती है।

- राष्ट्रीयता की भावना को क्षति— इस प्रकार के आंदोलन देश में अव्यवस्था को उत्पन्न कर राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करते हैं। परिणामतः विरोधी शक्तियों को अपनी कुटिल मंशा को पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है।
- राजनीतिक स्वार्थ एवं गलत मंशा से किए गए आंदोलन को प्रोत्साहन— सामाजिक आंदोलन किसी भी समाज की जीवंतता तथा सामाजिक जागरूकता का प्रतीक है। परन्तु यदि यह आंदोलन देश एवं समाज के लिए हितकर न हो, तो यह समाज की जड़ों को खोखला बना सकता है। राजनीतिक स्वार्थ एवं गलत मंशा से किये जा रहे भाषायी आंदोलन गलत प्रवृत्ति को जन्म देकर देश के लिए अहितकर आंदोलनों का आधार तैयार करते हैं।

भाषावाद की समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास

A. संवैधानिक तथा वैधानिक प्रयास

- संविधान की उद्देशिका में निहित भावना— भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता जैसी भावना को समाहित कर राष्ट्रवाद को भाषावाद जैसी प्रवृत्तियों से ऊपर स्थान दिया गया है।
- मौलिक अधिकार के उपबंध— संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार (अनु-14), विभेद का प्रतिषेध (अनु-15), स्वतंत्रता का अधिकार (अनु-19) के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- मौलिक कर्तव्य— संविधान के अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत सभी नागरिकों को भाषावाद जैसी भावना का त्याग कर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- राज्य विधान मंडलों को शासकीय कार्यों में विशेष भाषा के प्रयोग का अधिकार— संविधान के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों को हिन्दी या उस राज्य क्षेत्र में

प्रयोग होने वाली किसी एक या अधिक भाषा को शासकीय कार्यों में प्रयुक्त करने हेतु उपबंध करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

- संविधान की आठवीं अनुसूची— संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है।
- अल्पसंख्यक आयोग का गठन— विभिन्न भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनके समस्याओं के समाधान तथा उनके लिए क्रियान्वित योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है।

आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं

देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। देखा जाए तो अंतिम बार 2003 ई० में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा तथा मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया।

22 भाषाओं की सूची इस प्रकार है:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. कश्मीरी भाषा | 12. तमिल भाषा |
| 2. सिन्धी भाषा | 13. मलयालम भाषा |
| 3. पंजाबी भाषा | 14. उर्दू भाषा |
| 4. हिन्दी भाषा | 15. संस्कृत भाषा |
| 5. बंगाली भाषा | 16. नेपाली भाषा |
| 6. असमिया भाषा | 17. मणिपुरी भाषा |
| 7. गुजराती भाषा | 18. कोंकणी भाषा |
| 8. मराठी भाषा | 19. संथाली भाषा |
| 9. ओडिया भाषा | 20. बोडो भाषा |
| 10. कन्नड़ भाषा | 21. डोंगरी भाषा |
| 11. तेलुगु भाषा | 22. मैथिली भाषा |

B. योजनागत प्रयास

- सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम— भारत में भाषावाद की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न विकासात्मक कार्यों एवं विभिन्न भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से भाषायी समूहों के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया है। भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु इन्हें आरक्षण एवं विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

- विभिन्न भाषाओं को संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन— सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न भाषाओं के प्रति जागरूकता के प्रसार एवं इन भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। भारतीय कला परिषद् जैसी संस्थाओं के माध्यम से इन भाषाओं के महत्व एवं इनकी गौरवशाली परम्परा को प्रचारित किया जाता है ताकि लोगों में सभी भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव विकसित किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिये जाने का प्रयास भी महत्वपूर्ण कदम है।
- उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त परिषद् का गठन— पूर्वोत्तर राज्यों में भाषावाद की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया है। इनमें बोडो क्षेत्रीय परिषद्, गोरखा पर्वतीय परिषद् आदि प्रमुख हैं।
- गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा के उन्मूलन हेतु कार्यक्रम— देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा को दूर करने हेतु मनरेगा, भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि का संचालन किया जा रहा है ताकि इनके माध्यम से लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें एवं भाषावाद जैसे आंदोलनों पर काबू पाया जा सके।
- विकासात्मक कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष अनुदान— विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर के राज्यों हेतु विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है ताकि इन क्षेत्रों का तीव्र विकास किया जा सके एवं इसका लाभ समावेशी रूप से आम जनता को प्राप्त हो सके।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत— इस योजना का उद्देश्य भारत जैसे बहु-भाषायी देश को संस्कृति, परम्पराओं तथा मूल्यों के आधार पर एक करना है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों के नागरिकों को एक-दूसरे की भाषा संस्कृति परम्परा मूल्यों को समझने के लिए कई गतिविधियों का संचालन हो रहा है। देखा जाए तो विशेष रूप में इस योजना के तहत एक-दूसरे के राज्यों में जाकर वहाँ की भाषा सीखने, संस्कृति, परंपरा तथा संगीत और पर्यटन तथा भोजन, खेल तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के साक्षात्करण के द्वारा एकता स्थापित

करना शामिल है।

मूल्यांकन एवं सुझाव

भाषावाद भारत के समक्ष एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट ने जहाँ इस समस्या को और प्रबलित किया है वहीं संचार क्रांति ने विभिन्न भाषाओं के प्रसार के माध्यम के रूप में इन भाषाओं को मजबूती प्रदान कर समन्वित संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि भारत में भाषावाद की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न संवैधानिक, विकासात्मक तथा अन्य प्रयास किए गए हैं, परन्तु इस समस्या को पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सका है। निश्चितः इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव तथा सामाजिक जागरूकता की कमी परिलक्षित होती है।

भाषावाद की समस्या भारतीय समाज को तात्कालिक रूप से दुष्प्रभावित करने के साथ-साथ कई भविष्यलक्षी दुष्प्रभाव भी उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में मराठी भाषा एवं गैर मराठी भाषा के बीच उत्पन्न संघर्ष ने भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त देश में अबाध संचरण एवं आजीविका के अधिकार को चुनौती प्रस्तुत की है। साथ ही इसने भारतीय 'विविधता में एकता' के सिद्धांत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। निश्चिततः इस घटना के पीछे राजनीतिक स्वार्थ निहित है, परन्तु समय-समय पर उत्पन्न इस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु मजबूत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

भाषावाद जनित संघर्ष सामाजिक तनाव के द्वारा समाज में अराजकता एवं अशांति को भी उत्पन्न करता है। परिणामतः सामाजिक समरसता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान हेतु कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, परन्तु अभी भी हमें संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हो सके हैं। अतः निम्न सुझाव भाषावाद की समस्या के समाधान हेतु उपयोगी हो सकते हैं—

A. संवैधानिक तथा वैधानिक प्रयास

- भाषायी आधार पर अराजकता फैलाने वाली शक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनों का निर्माण किया जाय तथा वर्तमान कानूनों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से

सुनिश्चित किया जाय।

B. योजनागत प्रयास

- तीव्र विकासात्मक प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक-आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जाय।
- गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाया जाय।
- शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार कर लोगों को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

- विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाय।

C. अन्य प्रयास

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से अधिकाधिक लोगों की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित की जाय।
- मीडिया द्वारा भाषावादी शक्तियों के विरुद्ध सकारात्मक कदम उठाया जाय।

- भाषावाद को राजनीति से नहीं जोड़ना तथा इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना शामिल है।

भारत में भाषावाद की समस्या : संभावित प्रश्न

1. हाल के वर्षों में भारत में भाषायी आधार पर उभरे आंदोलनों/ घटनाओं के संदर्भित करते हुए इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिए। इस समस्या के समाधान हेतु आप क्या उपाय प्रस्तुत

करना चाहेंगे?

2. भाषावाद की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का समालोचनापूर्ण परीक्षण करें।
3. भाषावाद के दुष्परिणामों को दर्शाते हुए इसके समाधान पर प्रकाश डालें।

भारत में जाति संघर्ष की समस्या

भारत में
जाति संघर्ष
का स्वरूप

भारत में
जाति संघर्ष
के कारण

भारत में
जाति संघर्ष
के दुष्परिणाम

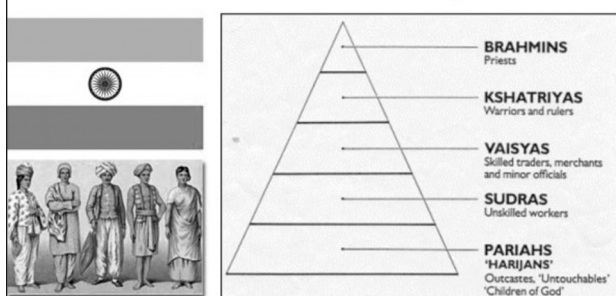
मूल्यांकन
एवं
सुझाव

समसामयिक
तथ्य एवं
घटनाक्रम

प्रश्न

जाति-संघर्ष (Caste Conflict) वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक गम्भीर समस्या या परिघटना के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसका तात्पर्य विभिन्न जातियों या जातीय समूहों के बीच संघर्ष के उस प्रारूप से है, जिसमें वे सामाजिक या सामूहिक हितों का त्याग कर अपनी जातिगत हितों की पूर्ति के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध संघर्षशील होते हैं। यह संघर्ष वैचारिक अथवा हिंसात्मक दोनों ही रूपों में अभिव्यक्त होता है। हिंसात्मक रूप से जाति-संघर्ष का उदाहरण 90 के दशक में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में तथा हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं जो अशोभनीय है।

The Indian Caste System



जाति व्यवस्था भारत की एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विशिष्टता है। उत्तर वैदिक काल (1000-500 ई० पूर्व) से ही भारतीय समाज को धर्म, कर्म अथवा व्यवस्था की दृष्टि से जाति व्यवस्था के रूप में सोपानिक रूप से स्तरीकृत किया गया है। इस सोपानिक व्यवस्था में औपनिवेशिक काल के पूर्व तक जाति-द्वंद्व या जाति-संघर्ष जैसी कोई चीज दृष्टिगत नहीं हुई।

औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी देशों में शिक्षा, संचार, औद्योगीकरण, तकनीकीकरण, नगरीकरण आदि के विकास तथा स्वतंत्रता, समानता और मौलिक अधिकारों

के प्रति वैश्विक जागरूकता ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के निम्न सोपानों पर स्थित जातियों को प्रभावित किया। परिणामतः वे अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्थिति में सुधार हेतु जागरूक हुए और उन्हें समाज की उच्च जातियों द्वारा अपने शोषण का एहसास हुआ जिसकी परिणति क्रमशः जाति संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त हुई।

भारत में जाति संघर्ष का स्वरूप

(The Nature of Caste Conflict in India)

भारत में जाति द्वंद्वों का प्रारम्भ मुख्यतः स्वतंत्रता के पश्चात् से देखा जा सकता है जिसके अंतर्गत उच्च जातियाँ, जो मुख्यतः भूमिपति थी, जिसके द्वारा निम्न जातियों को मुख्यतः बंटाईदार एवं कृषि श्रमिक थे, का शोषण किया जा रहा था तथा इसकी परिणति जाति संघर्ष के रूप में हुई। 90 के दशक तक आते-आते निम्न विकसित जातियाँ भी सशक्त हुई तथा उच्च विकसित जातियों से हिंसक प्रतिरोध प्रारम्भ हो गया। इन्हें क्रांतिकारी साम्यवादी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ जबकि उच्च जातियों ने भी इनके प्रतिरोध हेतु सशस्त्र संगठन का निर्माण कर लिया जिसे 'सांस्कृतिकरण' कहा गया तथा विभिन्न निम्न विकसित जातियाँ शिक्षित तथा जागरूक हो गयी।

90 के दशक में प्रारम्भ हुए हिंसक जातीय संघर्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति बिहार में परिलक्षित होती है, जिसके तहत विभिन्न नरसंहारों को अंजाम दिया गया। इनमें लक्ष्मणपुर-बाथे नरसंहार, बिहटा नरसंहार, बारा नरसंहार, नरसिम्हा नरसंहार आदि प्रमुख हैं। हरियाणा में भी दलित बस्तियों को जलाने की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी छिटीपुट घटनाएँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखी गई हैं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् पूरे देश में आरक्षण के समर्थन व विरोध में उच्च जातियों एवं मध्यवर्गीय जातियों के मध्य जाति संघर्ष परिलक्षित हुए हैं। हाल ही में राजस्थान में गुर्जर-मीणा संघर्ष इसका प्रमुख उदाहरण है।

भारत में जाति संघर्ष के कारण (Causes of Caste Conflict in India)

भारत में जाति संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारणों को निम्नवत देखा जा सकता है—

जाति व्यवस्था में निहित शोषण व कुरीतियाँ

हमारी परम्परागत जातिगत सोपानिक सामाजिक व्यवस्था पवित्रता तथा अपवित्रता जैसी धारणाओं पर आधारित रही है जिसमें धीरे-धीरे अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव आदि कुरीतियाँ प्रवेश करती चली गई। परिणामतः जहाँ इन्होंने उच्च वर्गों को अपनी उच्च सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्थिति को बनाए रखने में मदद की वहीं निम्न तथा पिछड़ी जातियों का उच्च जातियों द्वारा शोषण को सामाजिक वैधता प्रदान किया। जैसे ही अन्य कारकों ने पिछड़ी अथवा शोषित जातियों में जागरूकता उत्पन्न की, वे अपने शोषण के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हो गए।

मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन

परम्परागत सोपानिक व्यवस्था को परम्परागत धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा वैध ठहराया गया था। चूँकि निम्न पायदान पर अवस्थित जातियाँ उक्त मूल्यों से सहमत थीं। अतः विरोध या शोषण का कोई कारण उन्हें नहीं दिखाई पड़ता था। किन्तु, आधुनिक पश्चिमी मूल्यों के साथ संपर्क ने उन्हें प्रभावित किया और फिर उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था में निहित मूल्यों के शोषणकारी तथा विभेदकारी होने का आभास हुआ। फलतः वे अपने परम्परागत मूल्यों को त्यागकर आधुनिक मूल्यों को आत्मसात करने लगे और परम्परागत व्यवस्था के उच्च जातियों से उनका संघर्ष प्रारम्भ हो गया।

सामाजिक गतिशीलता की सम्भावना

आधुनिक मूल्यों के प्रसार ने लोकतांत्रिक, राजनीतिक व्यवस्था एवं योग्यता आधारित आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक रूप से निम्न पायदान पर अवस्थित जातियों को इस बात का एहसास दिलाया कि वे समाज में अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्थिति में

उध्वाधर गतिशीलता लाकर अपनी परिस्थिति में सुधार ला सकते हैं। चूँकि उच्च जातियाँ उनके इस उद्देश्य में सबसे बड़ी बाधक थीं फलतः दोनों के बीच संघर्ष स्वाभाविक हो गया।

संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की प्रत्याभूति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को समानता तथा नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता जैसे मौलिक-अधिकारों की समान प्रत्याभूति करता है। साथ ही इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ये संवैधानिक प्रावधान जहाँ एक ओर निम्न जातियों के विकास और उध्वाधर गतिशीलता में सहायक हुए हैं वहीं ये जातियाँ समाज की शोषक जातियों के विरुद्ध लामबंद और संघर्ष के लिए प्रेरित हुई हैं।

राजनीतिक दलों द्वारा स्वार्थ सिद्धि का प्रयास

भारत की बहुदलीय व्यवस्था में वोटों की राजनीति कई तथ्यों पर आधारित है, जिनमें जाति एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आई है। परिणाम यह है कि भारत में सभी प्रमुख राजनीतिक दल चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो या फिर लोजपा-सभी मुस्लिम, यादव, कुर्मी, लोध (मध्यमवर्गीय जातियाँ) तथा अन्य पिछड़ी जातियों को आधार बनाकर वोटों की जातिगत लामबंदी कर रहे हैं। परिणामतः जहाँ इन जातियों में राजनीतिक सहभागिता तथा महत्व का एहसास बढ़ा है, वे संदर्भ समूह, दबाव समूह के रूप में लामबंद हुए हैं, उनमें सामाजिक समता प्राप्त करने की प्रेरणा आई है, वहीं उनमें जातिगत विद्वेष भी उत्पन्न हुआ है जो जाति-संघर्ष या द्वंद के रूप में प्रतिफलित होता रहा है।

जातिगत समूहों की भूमिका

वर्तमान समय में प्रायः सभी जातियों के राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संगठन, क्रियाशील हैं चाहे वह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो या यादवों, कुर्मियों, भूमिहारों, राजपूतों या अन्य जातियों के संगठन। ये संगठन विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़कर अन्य दूसरी जातियों के विरुद्ध न केवल वैचारिक दृष्टि से वरन् कभी-कभी हिंसात्मक रूपों में संघर्षशील होते रहते हैं। बिहार के सेनारी, बारा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नरसंहार तथा राजस्थान के मीना-गुर्जर संघर्ष इसके कुछ प्रमुख उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं।

सामाजिक-आर्थिक असंतुलन

भारत में जाति संघर्ष का एक प्रमुख कारण भारतीय समाज में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता से उत्पन्न अभावबोध-जो मुख्यतः निम्न जातियों से जुड़ी रही है। ऊँची जातियों के विरोध के रूप में संगठित हुई है और इसके लिए परम्परागत जाति व्यवस्था में ऊँची जातियों का उच्च अनुक्रम और उनके द्वारा किए गए शोषण को उत्तरदायी ठहराया गया है। जिसकी अभिव्यक्ति जाति संघर्ष के रूप में हुई है।

जमींदारी मनोवृत्ति

कई जगहों पर यह देखा गया है कि आर्थिक विषमता में कमी आने के साथ सामाजिक विषमता में कमी नहीं आयी है और परंपरागत सामंती जातियों में आर्थिक रूप से अद्योमुखी गतिशीलता के बावजूद सामंती मनोवृत्ति की निरंतरता बनी हुई है। जो अभी भी निम्न व्यक्तियों के प्रति उनके व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। जातीय सोपान में निचले स्तर की जातियाँ, जिनमें आर्थिक रूप से अर्द्धमुख गतिशीलता संभव हुई, वह ऊँची जातियों के इस व्यवहार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके परिणति जाति संघर्ष के रूप में हुई है। बिहार के 'बारा' में 40 भूमिधरों की नृशंस हत्या के पीछे यह एक प्रमुख कारक के रूप में क्रियाशील रहा है। यह एक जातिगत विषमता तथा वैमनस्यता का रूप है।

नक्सली संगठनों की भूमिका

कई राज्यों में नक्सली संगठनों द्वारा भी निम्न जातियों में अपना जनाधार बढ़ाकर उनको ऊँची जातियों के विरुद्ध लामबंद किया जा रहा है और उनको ऊँची जातियों के खेतों से उनको फसल को काट लेने, घर को लूट लेने, उनके बंदूक को लूट लेने जैसे कार्यों के लिए प्रेरित किया गया है। जिसकी प्रतिक्रिया में ऊँची जातियाँ भी संगठित हुई है, जिसकी परिणति जाति संघर्ष के रूप में हुई है। बिहार के भोजपुर जिले में IPF के नेतृत्व में निम्न जातियों द्वारा ऊँची जातियों के खेतों पर लाल झंडा गाड़ देने और उनके फसलों को लूट लेने की प्रतिक्रिया में ऊँची जातियों द्वारा रणवीर सेना का गठन और जाति-संघर्ष इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।

रणवीर सेना

यह मुख्य रूप से बिहार राज्य में स्थित जमींदारों की नागरिक सेना है।

यह समूह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आकांक्षाओं को हिंसा व आयोजित हत्याओं द्वारा रोकने के उद्देश्य से उच्च वर्गीय जमींदारों द्वारा बनाया गया था। यह दलितों और अनुसूचित जाति के अन्य समुदायों के खिलाफ कार्यवाई करने के साथ-साथ नक्सलियों के खिलाफ भी कार्यवाही करता है क्योंकि इसे न्यायपालिका तथा नौकरशाही से मजबूत समर्थन मिलता है। यह समूह कई नरसंहारों, जैसे-लक्ष्मणपुर बाथे में संलिप्त रहा है तथा इस पर मानवाधिकारों के हनन के आरोप भी लगते रहे हैं। इसे एक आतंकवादी संगठन माना जाता है तथा सरकार ने भी इसे इसी प्रकार वर्गीकृत कर इस पर 1995 में प्रतिबन्ध लगा दिया है और तब से रणवीर सेना निषिद्ध बनी हुई है। आमतौर पर यह समूह खुलेआम अपने अपराधों की जिम्मेदारी लेता है।

सनलाइट सेना

पलामू के राजपूत जमींदारों के साथ गठबंधन में गढ़वा, पलामू और गया के मुस्लिम पठान जमींदारों द्वारा बनाई गयी थी तथा उपरोक्त क्षेत्रों में यह आज भी सक्रिय है। एमसीसी, पार्टी यूनिटी तथा लिबरेशन के सशस्त्र दस्तों ने इस सेना के खिलाफ अनवरत युद्ध छेड़ा है।

लोरिक सेना

1983 में ऊपरी पिछड़ी जाति के यादवों द्वारा बनाई गयी थी। लोरिक सेना शुरूआत में नालंदा जिले के हिलसा एकंगरसराय ब्लॉक में सामने आई थी लेकिन जल्दी ही इसने अपनी गतिविधियों को इस जिले के अन्य भागों, गया के घोषी ब्लॉक तथा पटना के धनरूआ ब्लॉक के कुछ गाँवों तक फैला दिया।

इस सेना के गठन के पीछे रामाश्रय सिंह का दिमाग था। इस सेना ने हत्या तथा जबरन वसूली की होड़ में यादवों तक को नहीं छोड़ा तथा यादव जान गए कि यह सेना एक सहायक की जगह एक दुश्मन है। यह सेना जहाँ उभरी थी वहाँ बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है हालांकि आजकल बिहार के कुछ जिलों में शक्तिशाली यादव गिरोह यह बिल्ला लगा रहे हैं।

माओवादी कम्यूनिस्ट सेंटर (MCC)

इस सेंटर की स्थापना 1975 ई० में हुई परंतु देखा जाए तो 1976 ई० में इसकी गतिविधि पूर्वी बिहार में अधिक दिखने लगी तथा इसके उद्देश्य के लिए MCC के द्वारा एक शीर्ष बंगाल-बिहार विशेष क्षेत्र समिति का गठन किया गया।

एक जातीय समूह के रूप में MCC का विकास बिहार में 'सुशील राम' के नेतृत्व में हुआ जो बिहार के निम्न रूप से विकसित जातियों को लामबंद करने लगे। देखा जाए तो इस समूह की पहचान एक ऐसे संगठन की हो गयी जो 'रणवीर सेना' का विरोध करते थे। देखा जाए तो 1995 ई० के बाद इस संगठन की अब चर्चा अधिक नहीं होती।

भारत में जाति संघर्ष के दुष्परिणाम (Consequences of Caste Conflict in India)

- सामाजिक अस्थिरता— जाति संघर्ष के परिणामस्वरूप समाज में हिंसा, तनाव तथा अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है। फलतः उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- एकता एवं अखण्डता की चुनौती— भारत की प्रमुख विशेषता 'विविधता में एकता' रही है। जाति संघर्ष के परिणामस्वरूप विभिन्न समुदायों के मध्य एकता को चुनौती मिलती है तथा सामाजिक सामंजस्य के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- कानून व्यवस्था की समस्या— जाति संघर्ष के कारण उत्पन्न तनाव तथा संघर्ष देश में कानून व व्यवस्था को चुनौती प्रस्तुत करते हैं। परिणामतः देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- आर्थिक विकास को क्षति— जाति द्वंद्व से उत्पन्न हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी आदि की स्थिति जहाँ एक ओर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है वहीं इसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुस्थिति व्यापार तथा वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर आर्थिक विकास को हानि पहुँचाते हैं।
- उग्रवाद को प्रोत्साहन— जाति द्वंद्व के परिणामस्वरूप उत्पन्न अस्थिर स्थिति वैसी शक्तियों को अपने स्वार्थ सिद्ध करने का मौका प्रदान करते हैं जो देश में अशांति फैलाकर उसका लाभ उठाना चाहते हैं।
- नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों का हनन— जाति द्वंद्व से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति मानवीय मूल्यों को दुष्प्रभावित कर नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों का हनन करते हैं।

मूल्यांकन एवं सुझाव

स्पष्ट है कि व्यवस्था में आंतरिक संघर्ष किसी भी समाज के लिए सकारात्मक परिणाम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ

त्रासदी का ही सूचक है। इसके परिणामों को हम सेनारी काण्ड, बाराकाण्ड, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की नक्सली हिंसा और राजस्थान के मीणा-गुर्जर संघर्ष के रूप में देख सकते हैं। यद्यपि आधुनिक मूल्यों के प्रभाव व प्रसार से निश्चित रूप से निम्न सोपानिक प्रस्थितियों में रहने वाली जातियों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास हुआ है। जातिगत संगठन आज दबाव समूह के रूप में विकसित होकर सरकार के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने में सक्षम हुए हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़ने के कारण उन्हें निश्चित ही पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका मिला है तथापि जाति-संघर्ष जो जाति उन्नयन का दूसरा व नकारात्मक पक्ष है, वह जातिवाद, नक्सलवाद जैसे विघटनात्मक तत्वों को ही मजबूत कर रहा है, जो अन्ततः राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए समस्या बनते हैं। इस समस्या के आलोक में निम्न सुझाव अपेक्षित हैं—

A. संवैधानिक तथा वैधानिक प्रयास

- जाति द्वंद्व को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों की नियंत्रित करने हेतु कठोर कानूनों का निर्माण तथा वर्तमान कानूनों का समुचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- ऐसे संगठनों पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए जो जाति द्वंद्व के लिए उत्तरदायी हैं।

B. योजनागत प्रयास

- भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन तथा सामंती व्यवस्था को समाप्त करने हेतु उचित प्रयास किया जाना चाहिए।
- सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा समावेशी विकास के प्रयास की प्रक्रिया तीव्र की जानी चाहिए।
- गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु तीव्र एवं सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए।
- शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार द्वारा लोगों के इस प्रकार के संघर्षों एवं इससे उत्पन्न हानियों के विरुद्ध जागरूक किया जाना चाहिए।
- बिहार जैसे राज्यों की सरकार के द्वारा भूमि संबंधी समस्याओं को हल के लिए किए गए त्वरित प्रयास

C. अन्य प्रयास

- विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया तथा प्रबुद्ध नागरिकों को भी सकारात्मक प्रयास कर समाज में जाति द्वंद्व को हतोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

- जातिय संघर्ष के निवारण के लिए, राज्य को एक मुक्त परिवेश में विभिन्न वर्गों के सदस्यों की बैठक के आयोजन को बढ़ावा देकर लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर सांस्कृतिक सम्मेलन और सामुदायिक रात्रिभोज। यह एक समूह के भीतर व्याप्त, अन्य समूह के प्रति गलत सूचनाओं को समाप्त करने में सहायता करता है।
- भेदभाव या हिंसा के मामलों में राज्य को केवल न्याय ही नहीं करना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय किया गया है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के प्रभावी प्रवर्तन और आदर्श आचार संहिता को सुदृढ़ करके जाति और सांप्रदायिक आधारित राजनीति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
- पुलिस बलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना और ऐसे प्रशिक्षण को बढ़ावा देना जो उनमें धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भावना की अभिवृत्ति को अंतर्निविष्ट करें।

भारत में जाति संघर्ष की समस्या : समसामयिक तथ्य एवं घटनाक्रम

मिजोरम में कुकी-चिन शरणार्थियों की समस्या

हाल ही में मिजोरम-बांग्लादेश सीमा पर शरणार्थी संकट के रूप में कुकी-चिन समुदाय के कई सदस्यों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा भारत में अवैध प्रवेश से रोका गया था।

कुकी-चिन शरणार्थी संकट:

म्यांमार के चिन, मिजोरम के मिजो और बांग्लादेश के कुकी के पूर्वज एक ही हैं। उन्हें सामूहिक रूप से जो (Jumma) लोग कहा जाता है। कुकी-चिन बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी इलाकों (बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी भाग) के ईसाई समुदाय हैं और मिजोरम में लोगों के साथ घनिष्ठ जातीय संबंध साझा करते हैं। वे म्यांमार के सैन्य जुंटा द्वारा कार्यवाही और बांग्लादेश में पहचान के नुकसान (Identity Crisis) से बच रहे हैं। लगभग 300 लोगों ने नवंबर 2022 में भारत में प्रवेश किया था। मिजोरम सरकार ने समुदाय से संबंधित कुछ विद्रोहियों के खिलाफ बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन की कार्यवाही के बाद, इस समुदाय के लिए अस्थायी आश्रयों और अन्य सुविध

ओं की स्थापना को मंजूरी दी है।

शरणार्थियों पर भारत का रुख:

भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

भारत शरणार्थियों को मान्यता नहीं देता है, अर्थात् बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों पर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। = गृह मंत्रालय के अनुसार, वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर): यूएनएचसीआर की स्थापना 1951 में उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए की गई थी, जो अपना घर छोड़कर भाग गए थे या खो गए थे।

यूएनएचसीआर शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

यह जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों तथा राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए समर्पित है।

निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद, भारत मानवीय आधार पर शरणार्थियों के प्रति उदार रहा है। भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को सम्मान दिया है। अतः वर्तमान भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विकास को देखते हुए इसे एक स्थायी नीति की आवश्यकता है।

भारत में जातीय तनाव: आईएस के विरोध में शिया स्वयंसेवकों ने भारत सरकार से की अनुमति की मांग

भारत के कुछ शिया स्वयंसेवकों ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) से लड़ने व विरासत स्मारकों को बचाने के लिए इराक या सीरिया के शिया मिलिशिया के साथ लड़ने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामों के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में इसके परिणामस्वरूप जातीय संघर्ष पैदा होने की आशंका के चलते यह अनुमति देने से मना कर दिया। गृह मंत्रालय का इशारा भारत में शिया-सुन्नी संघर्ष की ओर था। दरअसल इस्लामिक स्टेट

को सुन्नी संगठन माना जाता है और इसके खिलाफ भारत के शिया संगठनों को ईरानी शिया मिलिशिया के साथ लड़ना भारत के सुन्नी मुसलमानों को उकसा सकता है, ऐसी सरकार की सोच है। भारत में शिया मुसलमानों के संगठन 'अंजुमन-ए-हैदरी' के छह प्रतिनिधि सरकार से मिलकर इराक जाने की अनुमति मांग रहे थे। ये इराक में अपने स्मारकों को आईएस से बचाना चाहते थे। किन्तु सरकार ने इन्हें अनुमति नहीं दी थी। मेहमूद प्राचा, जो स्वयंसेवकों को आईएस के खिलाफ लड़ने के लिए जमा कर रहे थे, के खिलाफ सरकार ने नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस के खिलाफ उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसका जवाब सरकार ने हलफनामा के द्वारा दिया है। सरकार का तर्क है यदि इन स्वयंसेवकों को विदेशों में लड़ने की अनुमति दी जाती है तो संभव है कि वे कट्टर होकर भारत लौटे और भारत में उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दे जिससे देश में तनाव पैदा हो सकता है। सरकार का यह भी तर्क है कि किसी अन्य देश के संघर्ष (जिसे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के रूप में स्वीकार किया जाता है) में भाग लेने के लिए भारतीयों को जाने देने से भारत सरकार पर यह आरोप लगेगा कि वह किसी अन्य देश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है।

हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की उपर्युक्त सोच में कई दोष हैं। एक तो यह कि मध्य एशिया में शिया-सुन्नी के बीच कट्टरपन व संघर्ष विद्यमान है वैसी स्थिति भारत में नहीं है। भारत में दोनों उप-समुदायों के बीच उस तरह का मनमुटाव नहीं है। दूसरा यह कि आईएस को केवल सुन्नी मुसलमानों का संगठन नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि आईएस ने शिया मुसलमानों के खिलाफ कई हमले किए हैं परन्तु यह संगठन केवल शियाओं को ही अपना निशाना नहीं बना रहा है वरन अन्य धार्मिक संगठनों को भी नहीं बख्शा रहा। यहाँ तक कि सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत व जॉर्डन जैसे विश्व के सुन्नी बाहुल्य देश इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं। हो सकता है कि भारत के कुछ सुन्नी युवा कट्टरपंथी मुस्लिम आईएस से सहानुभूति रखते हो और उसके साथ लड़ने को तत्पर हो परन्तु अधिकांश भारतीय सुन्नी मुसलमान आईएस के खिलाफ हैं और उसके साथ सहानुभूति नहीं रखते। हाल ही में भारत के 1000 इस्लामिक नेताओं ने इस्लामिक संगठन के खिलाफ फतवा जारी किया और उस संगठन को गैर-इस्लामिक व अमानवीय करार दिया। इस फतवा

का अमेरिका ने भी स्वागत किया।

वैसे इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता कि भारत के मुसलमान, यदि एकाध मामले को छोड़ दें तो अभी तक इस्लामिक स्टेट के कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में नहीं आए हैं। भारत से एक-दो मुस्लिम ही आईएस का हिस्सा बने हैं और वे उसकी कट्टरता को देखकर वहाँ से भारत वापस भी आ गए हैं। पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जो शिया मुस्लिम इस्लामिक स्टेट से विरासतों को बचाने के लिए स्वयं सेवक बनकर जाएंगे, वे खुद को स्वयंसेवक तक ही सीमित रखें। उन सब पर निगरानी रखना संभव नहीं होगा। भारत का एक मुस्लिम जो आईएस के कैंप में प्रशिक्षण लेकर आईएस की ओर से लड़ा वह दरअसल भारत से धार्मिक यात्रा वीजा पर गया था। इससे सरकार की चिंताओं को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता।

भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग)

हाल के समय में भीड़ हिंसा मुख्यतः दो रूपों में सामने आयी है-

- गौ रक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा जानवरों (विशेषतः गायों) के अवैध व्यापार करने के संदेह या गौ मांस रखने के संदेह में किसी व्यक्ति के साथ भीड़ द्वारा हिंसा किया जाना।
- सोशल मीडिया का उपयोग कर गलत संदेश का प्रसारण एवं इसी गलत संदेश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भीड़ द्वारा हिंसा करना।

दोनों के मामले काफी संगीन हैं। भीड़ के द्वारा हिंसा का परिणाम काफी घातक होता है। अधिकांश घटनाओं में पीड़ित की मौत हो गयी या पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गये।

कानून व्यवस्था राज्य का विषय है अतः केन्द्र सरकार इस मामले को राज्य की कानून व्यवस्था का मामला मानकर इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर रही थी। इसके साथ ही राज्य इस गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या का सामना सही तरह से नहीं कर पा रहे थे। फलतः मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास नागरिकों के द्वारा PIL दायर की गयी।

सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2018 को भीड़ हिंसा की निंदा की तथा संसद को भीड़ हिंसा में शामिल लोगों को कठोर सजा देने के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की।

भीड़ हिंसा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- भीड़ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिला में SP रैंक के नोडल अधिकारी को पदनामित (designate) किया जाए।
- केन्द्र तथा राज्यों के द्वारा संचार के विभिन्न साधनों यथा रेडियो, TV एवं ऑनलाइन मैसेज का उपयोग कर भीड़ हिंसा में शामिल होने के गंभीर परिणाम की चेतावनी देना।
- गलत/गैरजिम्मेवार संवाद का प्रसार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करना।
- पुलिस या जिला प्रशासन को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को न मानना सोद्धेश्य (deliberate) लापरवाही मानी जाएगी।
- राज्यों को 'क्षतिपूर्ति स्कीम' लानी होगी। पीड़ित या उसके निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए 30 दिनों के भीतर सहायता राशि प्रदान करनी होगी।
- प्रत्येक जिला में 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' की स्थापना करना एवं भीड़ हिंसा के मामले इस कोर्ट में चलाना। भीड़ हिंसा से संबंधित मामले पर 6 माह के अंदर ही न्याय-निर्णयन देना।

जाट आरक्षण: हरियाणा

फरवरी 2016 में जाट आरक्षण की माँग के बीच हुई भीषण हिंसा और लूटपाट की घटनाएँ जातीय संघर्ष का एक अलग रूप दिखाती हैं। जाट आरक्षण की माँग के बीच हुई भीषण हिंसा और लूटपाट की घटनाएँ चिंताजनक थीं। एक अनुमान के अनुसार जाट आरक्षण आंदोलन से 34,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और लगभग 20 लोगों की जान गयी थी। इसके अतिरिक्त लगभग 7 रेलवे स्टेशनों पर तोड़-फोड़ की गयी थी और 800 ट्रेनें रद्द की गयी थी। इस आंदोलन का सबसे धिनौना पक्ष यह रहा कि इसमें गैर जाट की दुकानों एवं संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। जिसने एक बड़ी जातीय विभाजन रेखा खींच दी थी।

गुर्जर आरक्षण आंदोलन - राजस्थान

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी सबसे पहले वर्ष 2006 में भड़की थी। तब से लेकर अब तक रह-रहकर 6 बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं। वर्ष 2006

में ST में शामिल करने की माँग को लेकर पहली बार गुर्जर राजस्थान के हिंडौन में सड़कों व रेल पटरियों पर उतरे थे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का बिल पास किया था। राजस्थान सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन के समय जाम हटाने को लेकर मीणा और गुर्जर समुदाय के बीच विवाद तेज होने की आशंका पैदा हो गयी। मीणा समुदाय ने धमकी दी कि अगर जाम न हटाया गया तो वे खुद इसे हटायेंगे। मीणा समाज द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे जाम को हटाने की कार्रवाई किसी भी पल शुरू करने को देखते हुए गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच सीधे टकराव की स्थिति पैदा हो गयी। इस प्रकार की घटनाएँ राष्ट्रीय एकता की भावना को कमजोर करती हैं तथा जातीय विभाजन को और गहरा करती हैं।

शब्बीरपुर घटना: सहारनपुर

सहारनपुर से 25 किमी. दूर शिमलाना गाँव में 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए पास के शब्बीरपुर गाँव से कुछ लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस यात्रा पर दलितों ने आपत्ति जतायी इस कारण विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा और उच्च जाति के युवक की जान चली गयी। इसके बाद शिमलाना में जुटे हजारों लोग शब्बीरपुर गाँव आ गये। भीड़ ने दलितों के घरों पर हमला कर 25 घरों को जला दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस प्रकार की घटनाएँ राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती हैं तथा आंतरिक सुरक्षा को गंभीर क्षति पहुँचाती हैं। इससे जातियों के बीच एक लंबी रेखा खिंच जाती है जिसे मिटाने में काफी समय लगता है।

भीमा कोरेगाँव केस: महाराष्ट्र

भीमा कोरेगाँव महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक गाँव है। 200 साल पहले यानि जनवरी, 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा की सेना को हरा दिया था। पेशवा सेना का नेतृत्व वाजीराव द्वितीय कर रहे थे। बाद में इस लड़ाई को दलितों के इतिहास में एक खास जगह मिल गयी। बी.आर. अंबेडकर को मानने वाले दलित इस लड़ाई को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई नहीं कहते। दलित इस लड़ाई में अपनी जीत मानते हैं उनके मुताबिक इस लड़ाई में दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वाले पेशवा की हार हुई थी। महार जाति के लोग इस युद्ध को अपनी

जीत और स्वाभिमान के तौर पर देखते हैं और इस जीत का जश्न प्रत्येक वर्ष मनाते हैं।

1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगाँव की लड़ाई की 200वीं साल गिरह को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। भीमा-कोरेगाँव के विजय स्तंभ में शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा था। अचानक भीमा कोरेगाँव जाने वाली गाड़ियों पर किसी ने हमला बोल दिया। इस घटना के बाद दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसके कारण 2 दिनों तक मुंबई समेत नासिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, औरंगाबाद आदि शहरों में हिंसा फैल गयी। इस हिंसा में कई जानें गयी तथा संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। इस प्रकार की घटनाएँ राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है तथा जातीय वैमनस्यता की दीवार को और अधिक गहरा करती है।

उम्भा विवाद: सोनभद्र

उत्तर-प्रदेश के सोनभद्र में घटित खूनी संघर्ष में 10 लोगों की मृत्यु हो गयी। 200 बीघे जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पूरा मामला देखें तो विवाद यहां की दो जातियों के बीच काफी अरसे से जारी था। उम्भा गाँव में 200 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर गुर्जर (भूतिया)

और गोंड बिरादरी के लोग आमने-सामने आते रहे हैं तथा यह मामला बीच-बचाव से सुलझ जाता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और दोनों जातियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया तथा एक पक्ष ने गड़ासे और असलहों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था। इस हिंसक झड़प में 10 लोग मारे गये तथा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। इस प्रकार की घटनायें जातीय वैमनस्यता को बढ़ाने वाली तथा आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाली है।

ऊना हिंसा: गुजरात

ऊना में गोरक्षा के नाम पर बर्बरता से पीटे गये चार दलित युवकों के मामले ने तूल पकड़ लिया। दलित समुदाय के चार युवकों पर गौहत्या करने का आरोप लगाकर इनकी बर्बरता से पिटाई गौरक्षक दल के कुछ सदस्यों द्वारा की गयी तथा इस घटना का विडियो वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर बवाल बढ़ने के बाद गुजरात के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। इस प्रकार की घटनाएं जातीय विभेद को बढ़ाने वाली होती है।

भारत में जाति संघर्ष की समस्या : संभावित प्रश्न

1. विविधतापूर्ण भारत विभिन्न जातीय समुदायों के आवरण में घिरा है जहाँ जाति संघर्ष की समस्या समय-समय पर उत्पन्न होती रहती है। इन समस्याओं के कारण तथा इसके लिए संभावित उपायों पर प्रकाश डालें।
2. जातिगत-संघर्ष क्या अब 'राजनीतिक' अवधारणा से अधिक प्रेरित है?

पारिभाषिक शब्दावली

संचार (Communication)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिह्नों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न विचारों या भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। संचार का अर्थ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने से है। सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं हो सकती, जब तक सूचनाओं का आदान-प्रदान न हो। पहले सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफी समय लगता था। किन्तु वर्तमान में संदेशों का आदान-प्रदान बहुत ही आसान हो गया है और समय भी कम लगता है। सेटेलाइट व टेलीविजन ने सारी दुनिया को एक कर दिया है।

हमारे पास संचार के सबसे प्रबल माध्यम के रूप में हमारी आवाज और भाषा है और इसके वाहक के रूप में पत्र, टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, मोबाइल तथा इंटरनेट इत्यादि हैं। संचार का उद्देश्य संदेशों तथा विचारों का आदान-प्रदान है। संपूर्ण मानव सभ्यता इसी संचार पर आधारित है तथा इसी संचार को तेज व सरल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि का आविष्कार इसी संचार को तीव्र करने हेतु हुआ है। इंटरनेट एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया में कहीं भी व किसी भी समय, कम से कम समय व कम से कम खर्च में सूचनाओं व विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। संचार के दो प्रकार हैं—औपचारिक तथा अनौपचारिक। देखा जाए तो साइबर स्तर पर संचार औपचारिक अधिक होते हैं परंतु अनौपचारिक भी होते हैं परंतु विश्वसनीय स्तर पर नहीं।

मीडिया (Media)

मीडिया जन समूह तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का एक माध्यम है। यह संचार का सरल और सक्षम साधन है, जो देश के समग्र विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसे युग में जहां ज्ञान और तथ्य आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के औजार हैं। देश में सुदृढ़ और

रचनात्मक मीडिया की मौजूदगी व्यष्टियों, सम्पूर्ण समाज, लघु और वृहत् व्यवसाय और उत्पादन गृहों, विभिन्न अनुसंधान संगठनों, निजी क्षेत्रों तथा सरकारी क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मीडिया राष्ट्र के अंतःकरण का रक्षक है और हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में उसे बहुत से कार्य करने होते हैं। यह सरकार को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्य हासिल करने में सहायता करता है। शहरी और ग्रामीण जन समूह को शिक्षित करने, लोगों के बीच उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने और जरूरतमंदों को न्याय प्रदान करने में सहायता करता है। इसमें मोटे तौर पर प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल और अन्य प्रकाशन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि होते हैं। विश्व के बदलते परिदृश्य के साथ इसने उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

कंप्यूटर (Computer)

कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करके उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट साधन के जरिए उत्पन्न करता है। यह डाटा का भंडारण भी करता है। इसकी काम करने की गति बहुत तेज होती है तथा यह त्रुटिरहित कार्य करता है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है।

कम्प्यूटर में विभिन्न की सूचनाओं का संकलन समाविष्ट होता है तथा समय-समय पर संकलित सूचनाओं को आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार में लाया जाता है। कम्प्यूटर में सूचनाओं के संकलन की पद्धति से जगह की भी कम आवश्यकता होती है, वहीं समुचित बैकअप ले लिया गया हो तो उसके नष्ट होने की संभावना भी नगण्य होती है। कम्प्यूटर के जरिए इंटरनेट को व्यवहार में लाकर सूचनाओं का लेन-देन, आवाज तथा लेखबद्ध स्वरूप में किया जा सकता है। साथ ही साथ दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद

लोगों के साथ सभाएँ (Conference) भी आयोजित की जा सकती हैं। कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने तथा सम्प्रेषण के लिए मॉडम की अपरिहार्यता होती है।

प्रोग्रामिंग (Programming)

सामान्य जीवन में हम किसी कार्य विशेष को करने का निश्चय करते हैं तो उस कार्य को करने से पूर्व उसकी रूपरेखा सुनिश्चित की जाती है। कार्य के प्रारंभ होने से कार्य के संपन्न होने तक के एक-एक चरण पर पुनर्विचार करके रूपरेखा को अंतिम रूप देकर उस कार्य विशेष को संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा भी उसकी क्षमता के अनुसार, वांछित कार्य कराए जा सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर को एक निश्चित तकनीक व क्रम में निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि कंप्यूटर द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन कराकर वांछित कार्य को संपन्न किया जा सके। सामान्य बोल-चाल की भाषा में इन्हीं निर्देशों को प्रोग्रामिंग कहा जाता है।

कंप्यूटर नेटवर्क (Computer Network)

दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियाँ और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं।

कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक संयोजन के साथ बनाया जाता है।



इंटरनेट (Internet)

इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, जो अलग-अलग स्थानों पर लगे कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बनाया गया है। इंटरनेट वास्तव में हजारों अलग-अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इनमें हर नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है, जो एक से दूसरे नेटवर्क में आँकड़ों का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट की मदद से दुनिया के किसी भी जगह की जानकारी हासिल की जा सकती है। 1969 में जब ईसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय

ने Advance Research Project Agency यानी ARPA को नियुक्त किया था, उस वक्त चार कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था, जिसमें उन्होंने Data Exchange और Share किया था। बाद में इसे कई एजेंसियों के साथ जोड़ा गया और धीरे-धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और बाद में ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। इंटरनेट की सबसे अच्छी और बुरी बात ये है कि इंटरनेट पर किसी भी एजेंसी का नियंत्रण नहीं है।

इंडिया में सबसे पहले 15 अगस्त, 1995 को सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। बाद में धीरे-धीरे Private service providers जैसे Airtel, Reliance, Idea इत्यादि ने भी इंटरनेट को शुरू किया। अब बाजार में कई इंटरनेट प्रदाता कंपनियां हैं तथा दिनों-दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।



इंटरनेट कैसे चलता है?

कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा सिस्टम है, जिसके अन्दर इंटरनेट का सारा डाटा स्टोर रहता है और वहीं से इंटरनेट चलता है। लेकिन हम आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंटरनेट हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से भी नहीं चलता। उपग्रह से यह पहले चलता था, लेकिन ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डाटा भी स्लो लोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी तकनीक खोज निकाली, जिससे आज हम इंटरनेट का प्रयोग तेज गति से (Fast Internet use) कर रहे हैं। ये तकनीक है ऑप्टिकल फाइबर केबल (Optical Fiber Cable)। इन केबलों को जमीन के नीचे बिछाकर तथा महासागरों के नीचे जाल के रूप में बिछाकर डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान में समूचा विश्व इन केबलों के माध्यम से एकीकृत किया जा चुका है।

इंटरनेट सेवाओं का वर्गीकरण

1. संदेश सेवाएँ तथा

2. सूचना आपूर्ति सेवाएँ

संदेश सेवाओं को व्यक्ति से व्यक्ति एवं व्यक्ति से समूह दो भागों में बाँटा जाता है।

व्यक्ति-से व्यक्ति सेवाओं में विद्युतीय डाक सेवा समाविष्ट है, जो इंटरनेट पर मौजूद सेवाओं में सर्वाधिक व्यवहारिक तथा जन-प्रिय है। इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट का सर्वाधिक भाग ई-मेल के द्वारा ही व्यवहारित होता है।

व्यक्ति से समूह सेवाओं की कोटि में संदेश सेवाओं के अधीन एक खास सेवा है चैटिंग, जिसके माध्यम से तत्समय ही किसी भिन्न व्यक्ति से संदेशों का लेन-देन हो सकता है। संदेश सेवाओं के अधीन टेलीफोन व कॉन्फ्रेंसिंग सेवायें समाविष्ट हैं।

सूचना-आपूर्ति सेवाओं को इंटरनेट का विस्तार व लोकप्रियता का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि विगत वर्षों में इंटरनेट के क्षेत्र में होने वाली बढ़त में मूलभूत सहयोग सूचना पूर्ति सेवाओं का ही है। ये ख्याति प्राप्त सेवाएँ निम्न है, (1) www (2) Tel net (3) ITP।

आज, व्यापार वाणिज्य की नई विधियाँ, विभिन्न व्यापारिक कम्पनियों की गोपनीय सूचना तथा लगातार नित-नवीन जानकारीयों और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से जुड़े तत्वों को गोपनीय बनाकर अतिसंवेदनशील स्थान पर एकत्रित रखे जाते हैं। उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है, लेकिन फिर भी यह असुरक्षित होती रही है। विभिन्न साइबर अपराधी संगठन या आतंकवादी संगठन इसमें संध लगाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये संगठन इनका उपयोग विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से करते हैं।

सर्वर (Server)

सर्वर एक कंप्यूटर या एक हार्ड ड्राइव या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जिसे कंप्यूटर में लोड किया जाता है, ताकि वो दूसरे कंप्यूटर को डाटा और सूचना (Information) भेज सके। सर्वर का काम है इंटरनेट के यूजर को सेवा देना, यानि कि यूजर को वो सभी जानकारी देना जो वो जानना चाहता है। जैसे हम YouTube में Videos देखते हैं या फिर कोई Information हम अपने Device के Web Browser में जाकर सर्च करते हैं तो हमें जो भी रिजल्ट अपने Device पर देखने को मिलता है, वो website या Channel का डाटा कहीं न कहीं पर Store होकर रहता है, जो सर्वर हमारे Request भेजने पर हमें प्रदान करता है।

गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां से हम जो चाहे, जितने चाहे, डाटा हासिल कर सकते हैं।

गूगल हमें ये सभी डाटा अलग-अलग वेबसाइट के सर्वर से लाकर दे देता है।

सर्वर एक कंप्यूटर की तरह ही होता है और दुनिया में बहुत सारे अलग-अलग क्षमताओं के Servers भी मौजूद हैं। एक Normal laptop या Computer में अगर हम server का program Install कर दें तो वो कंप्यूटर भी एक सर्वर की तरह काम करेगा, ऐसे सर्वर को हम non-dedicated servers भी कहते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे चालू रहकर काम करने के लिए नहीं होते। Non-dedicated servers का इस्तेमाल Home, Schools, Colleges, Hospitals, Offices इत्यादि जगहों पर किए जाते हैं, जिसे हम Local Network भी कहते हैं। यह एक खोजी प्लेटफॉर्म है जो हमें घर बैठे कहीं भी ले जा सकता है।

वेब ब्राउजर (Web Browser)

वेब ब्राउजर एक एप्लिकेशन या सॉफ्टवेयर है, जो एक यंत्र (Device) में Installed होकर रहता है और जब यह यंत्र (Device) इंटरनेट से जुड़ा है, तब यह वेब ब्राउजर काम करना शुरू करता है। इंटरनेट और वेब ब्राउजर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिना इंटरनेट के ना हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बिना वेब ब्राउजर के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में ये वेब ब्राउजर यूजर के लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है, जो उसे इंटरनेट की दुनिया में ले जाता है। वेब ब्राउजर की मदद से ही हम इंटरनेट पर मौजूद जानकारीयों और वहां मौजूद फाइलों और दूसरे कंटेंट जैसे-वीडियो, चित्र इत्यादि को अपने यंत्र (Device) के स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें सिर्फ ब्राउजर के एड्रेस बार पर उस वेबपेज का यूआरएल (url) डालना होता है, जहां से हमें जानकारी प्राप्त करनी है उसके बाद ब्राउजर उस वेब पेज को हमारे स्क्रीन पर दिखा देता है।

सर्च इंजन (Search Engine)

वेबसाइट में सर्च इंजन एक अत्यधिक लोकप्रिय तथा सुविधाजनक प्रोग्राम है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूँढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, जैसे किसी संस्था, कंपनी, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, ताकि जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह जानकारी प्राप्त कर

सकते हैं। विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

1. Google
2. Yahoo
3. Bing
4. Ask.com
5. Baidu
6. Internet Archive
7. BHUVAN

यह सभी सर्च इंजन कॉफी लोकप्रिय हैं। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय तथा अत्यधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल है। गूगल सर्च प्लेटफॉर्म किसी सूचना को सर्च करने के लिए हैं-

गूगल के होम पेज पर प्रदर्शित सर्च बॉक्स में उस शब्द को टाईप करते हैं जिसको सर्च करना है, जैसे किसी विश्वविद्यालय, कंपनी का नाम इत्यादि। इसके बाद सर्च बटन पर Click करते हैं।

Search Engine Box में डाले गए शब्द के अनुरूप सूचना तथा लिंक स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं।

सामाजिक नेटवर्किंग साइट (Social Networking Site)

सामाजिक नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन सेवा, प्लेटफॉर्म या साइट होती है, जो लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्किंग अथवा सामाजिक संबंधों को बनाने अथवा उनको परिलक्षित करने पर केन्द्रित होती है, उदाहरण के लिए ऐसे व्यक्ति जिनकी रुचियाँ अथवा गतिविधियाँ समान होती हैं, उन्हें एक मंच प्रदान करना। एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट में अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रयोगकर्ता का निरूपण (अक्सर एक प्रोफाइल), उसके सामाजिक संपर्क तथा कई अन्य अतिरिक्त सूचनाएँ शामिल रहती हैं। अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग साइटें वेब आधारित होती हैं और प्रयोगकर्ताओं को इंटरनेट का प्रयोग करते हुए एक-दूसरे से संपर्क करने का साधन प्रदान करती हैं। उदाहरण के रूप में, ईमेल तथा इंस्टैंट मैसेजिंग, हालांकि ऑनलाइन समुदाय सेवाओं को भी कभी-कभी सामाजिक नेटवर्किंग साइट माना जाता है। व्यापक अर्थ में, सामाजिक नेटवर्किंग साइटें व्यक्ति केन्द्रित होती हैं, जबकि ऑनलाइन समुदाय सेवा समूह केन्द्रित होती हैं।

सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के मुख्य प्रकारों में श्रेणी स्थान (Category Places) में (पूर्व स्कूल वर्ष या सहपाठियों के रूप में), अपने मित्रों से जुड़ने की सुविधा (आमतौर

पर अपने विवरण के पेज के द्वारा), तथा एक संस्तुति प्रणाली जो विश्वास आधारित होती है, सम्मिलित होती हैं। लोकप्रिय पद्धतियों में इनमें से कई सम्मिलित हैं, जैसे कि फेसबुक तथा ट्विटर का प्रयोग विश्वभर में विस्तृत रूप से होता है, माईस्पेस तथा लिंकडइन का प्रयोग उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक होता है। नेक्सोपिया (अधिकांश, कनाडा में), बेबो, वीकोंटाक्टे, हाई, हाइव्स (अधिकांशतः नीदरलैंड्स में), स्टडीवीजी (अधिकांशतः जर्मनी में), आईडब्ल्यूआईडब्ल्यू (अधिकांशतः हंगरी में), ट्यूनटी (अधिकांशतः स्पेन में), नासजा-क्लासा (अधिकांशतः पोलैंड में), डेकायेन, टैग्ड, जिंग, बाडू तथा स्कार्डरॉक यूरोप के भागों में, (ऑरकुट) तथा हाई दक्षिण अमेरिका, भारत तथा मध्य अमेरिका में, तथा फ्रेंडस्टर, मिक्सी, मल्टीप्लाय, ऑरकुट, ब्रेच, रेनरेन व साईवर्ल्ड एशिया तथा प्रशांतीय द्वीपों में एवं ट्विटर, फेसबुक, ऑरकुट व लिंकडइन भारत में।

साइबर जगत (Cyber World)

साइबर जगत 'कंप्यूटर संजाल' की वह आभासी दुनिया है, जिसमें दुनिया के कई कंप्यूटर और अन्य यंत्र एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं। यह ऐसा वैश्विक परितंत्र है, जिसमें सभी उपकरण एक दूसरे से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। इन उपकरणों को जोड़ने का कार्य वर्ल्ड वाइड वेब करता है। साइबर जगत में आने वाले उपकरण व्यक्तिगत तथा संस्थागत कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एटीएम मशीन इत्यादि हो सकते हैं। ऐसा कोई भी परितंत्र जो कभी भी वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ता है उसे साइबर जगत का हिस्सा माना जाता है।

साइबर अपराध (Cyber Crimes)

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध का तात्पर्य ऐसे कम्प्यूटरीकृत अवैध कृत्य से है, जिसमें कम्प्यूटर या तो स्रोत या युक्ति या लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, या इन सभी या इनमें से एक से अधिक रूपों में प्रयोग किया जाता है। अतः यह सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इंटरनेट से सम्बंधित है। 'संयुक्त राष्ट्र कम्प्यूटर अपराध नियंत्रण और निवारण' मैनुअल के अनुसार, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसमें ठगी, जालसाजी और अनाधिकृत प्रवेश सम्मिलित होता है। साइबर अपराध करने में कम्प्यूटर का प्रयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इस तरह के अपराध में कम्प्यूटर या मोबाइल फोन एक उपकरण अथवा लक्ष्य दोनों ही हो

सकता है। इस तरह के अपराध किसी देश या काल की सीमा में नहीं होते, बल्कि बहुत व्यापक होते हैं। साइबर अपराध किसी व्यक्ति अथवा उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति अथवा पूरे समाज, या सरकार या कोई फर्म, कम्पनी या लोगों के समूह के खिलाफ किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—किसी व्यक्ति के खिलाफ ई-मेल अथवा प्रताड़नापूर्ण संदेश भेजना। साइबर अपराध करने में, कम्प्यूटर का प्रयोग, मानहानि, आर्थिक जालसाजी, अश्लील चित्रों, SMS, MMS तथा e-mail आदि भेजना। कम्प्यूटर पर अपनी अनाधिकृत पहुँच बना लेने, गोपनीयता का अतिक्रमण करने, बौद्धिक सम्पदा से सम्बंधित अपराध करने, इंटरनेट पर व्यक्ति का चोरी-छिपे पीछा (Follow) करना आदि में किया जाता है।

साइबर अपराध के प्रकार

साइबर अपराधों को मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा जा सकता है:-

1. हैकिंग
2. चोरी

साइबर अपराध के प्रमुख लक्षण

1. हैकिंग करना
2. डिनायल ऑफ सर्विस आक्रमण
3. स्पैम
4. ई-मेल बमबाजी
5. डाटा डिडलिंग
6. वेब हैकिंग
7. वेब हैकिंग
8. वेब डिफेसमेंट
9. मालवेयर
10. ट्रोजन्स
11. वायरस/वार्म आक्रमण
12. की-लॉगर्स

रैनसमवेयर

‘रैनसमवेयर’ एक प्रकार का हानिकारक (Malicious) सॉफ्टवेयर होता है, जिसका निर्माण ‘क्रिप्टोवायरोलॉजी’ के माध्यम से किया जाता है। यह कम्प्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित कमी का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता की डाटा तक पहुँच को अवरुद्ध कर देता है या पीड़ित के पहचान, निजी डेटा आदि को प्रकाशित करने की धमकी देता है, जब तक कि मांगी गयी धनराशि न प्रदान की जाय। साधारण

प्रकार के रैनसमवेयर एक उपयोगकर्ता के कम्प्यूटर सिस्टम को केवल लॉक कर देते हैं, जिसे खोला नहीं जा सकता। मगर उन्नत रैनसमवेयर (जैसे वानाक्राई) ‘क्रिप्टोवायरल’ तकनीक का प्रयोग कर कम्प्यूटर सिस्टम के पूरे फाइल को इन्क्रिप्ट (encrypt) कर देता है, जिससे उपयोगकर्ता की पहुँच अपने सिस्टम तथा फाइल तक नहीं हो पाती है। साधारणतः अपराधी ‘रैनसमवेयर’ के माध्यम से फाइल को ‘डिक्रिप्ट’ करने के लिए डिजिटल मुद्रा (जैसे Ukash तथा क्रिप्टोकॉरेंसी आदि) में ‘रैनसम’ की मांग की जाती है। चूँकि रैनसमवेयर से हमला करने की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले ली है। अतः एक देश की सरकार इस समस्या के विरुद्ध प्रभावी कानूनी उपचार पीड़ित को उपलब्ध नहीं करवा पाती है। क्रिप्टोकॉरेंसी में रैनसम का प्राप्त होना साइबर अपराधी की अनामता संरक्षित रखती है, इससे आगे अपराध करने के प्रति उसका मनोबल बढ़ता है।

रैनसमवेयर हमला आमतौर पर ट्रोजन के रूप में किया जाता है। ट्रोजन एक प्रकार का अवैध फाइल होता है, जो कम्प्यूटर सिस्टम के रक्षा प्रणाली एवं उपयोगकर्ता दोनों को वैध (Legitimale) फाइल के रूप में ‘डिसगाइज’ करता है। एक बार कम्प्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाने के पश्चात् उपयोगकर्ता अपना नियंत्रण फाइल पर खो देता है।

कुछ बदनाम (Notorious) रैनसमवेयर

- Reveton = 2012 में आया
 - CryptoLocker = 2013 में
 - CryptoLocker = तथा TorrentLocker = सितंबर 2014
 - Fusob = अप्रैल 2015 तथा मार्च 2016
 - Petya = मार्च 2016
 - Wannacry = मई 2017
1. सेवा से इंकार आक्रमण (Denial of Service Attack) – इस प्रकार के अपराध में साइबर अपराधी किसी कम्प्यूटर की सामान्य क्षमता से अधिक मात्रा में निवेदन (Request) करा देता है, जिससे उस कम्प्यूटर में ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो जाती है और कम्प्यूटर काम करना बन्द कर देता है। इसके परिणामस्वरूप उस कम्प्यूटर के अधिकृत उपयोगकर्ताओं को वह सेवा भी नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसके कि वे हकदार होते हैं। इसीलिए इस अपराध को ‘सेवा का इंकार आक्रमण’ के नाम से जाना जाता है।
 2. स्पैम— इंटरनेट पर लोगों को ऐसे संदेश या विज्ञापन

बार-बार भेजना जिसके लिए उन्होंने अनुरोध नहीं किया है अर्थात् अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। ऐसे ई-मेल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं।

3. ई-मेल बमबाजी (E-mail Bombing)– ई-मेल बमबाजी ऐसा अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति के ई-मेल खाते में बहुत बड़ी संख्या में ई-मेल भेजा जाता है जिससे कि उसका सम्पूर्ण खाता ध्वस्त हो जाए या किसी कम्पनी के ई-मेल खाते में बहुत बड़ी संख्या में मेल भेजा जाता है या किसी ई-मेल सेवा प्रदाता के ई-मेल खाते में बहुत बड़ी संख्या में मेल भेजा जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य उस कम्पनी या ई-मेल सेवा प्रदाता के ई-मेल खाते को ध्वस्त करना होता है।

अतः ई-मेल बमबाजी को सामान्यतः सेवा से इंकार करने वाला आक्रमण माना जाता है। जिसमें सर्वर या सेवा प्रदाता को एकाएक सूचनाओं का भण्डार भेज दिया जाए, जिससे वह स्वयं एकाएक ध्वस्त हो जाए।

4. डेटा डिडलिंग (Data Diddling)– शब्द Diddling का अर्थ है ऐंठना या तोड़-मरोड़ करना, यह भी एक प्रकार का सामान्य अपराध है। इसमें या तो आगत (Input) के पूर्व या आगत के समय या तो निर्गत (Output) के पहले किसी कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में अवैध डेटा का प्रवेश करा दिया जाता है या अप्राधिकृत डेटा का प्रवेश करा दिया जाता है। इसके माध्यम से साख (Credit) अभिलेख, तालिका (Inventory) अभिलेख, स्कूल अनुलिपियां (Transcripts) तथा बैंकों इत्यादि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे सन् 1996 में न्यू डेलही म्यूनिसिपल कौंसिल इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कपट का मामला।

5. वेब जैकिंग (Web Jacking)– वेब जैकिंग किसी वायुयान के हाइजैकिंग या अपहरण की तरह ही एक अपराध है, जिस तरह वायुयान के अपहरण के मामले में बल प्रयोग के द्वारा किसी वायुयान का अपहरण कर लिया जाता है ठीक उसी तरह साइबर अपराधी बलपूर्वक किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और जिस तरह वायुयान के अपहरण के मामले में उसे मुक्त करने में फिरौती की माँग की जाती है ठीक उसी तरह वेब जैकिंग के मामले में भी साइबर अपराधी सम्बन्धित वेबसाइट को मुक्त करने हेतु फिरौती की माँग करते हैं।

अतः वेब जैकिंग के अपराध का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक और शीघ्रताशीघ्र धन कमाना होता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित वेबसाइट के स्वामी का उस वेबसाइट पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, उसे सम्बन्धित वेबसाइट का कब्जा तभी प्रदान किया जाता है जब वह फिरौती का धन प्रदत्त कर देता है।

6. वेब हैकिंग (Web Hacking)– नेटवर्किंग एवं कम्प्यूटिंग में हैकिंग का अर्थ है तकनीकी प्रयास करके बिना किसी की अनुमति लिए हुए दूसरे नेटवर्क या कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करना। हैकिंग किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क पर बिना प्राधिकार के घुसपैठ (unauthorized intrusion) को कहते हैं जिसमें हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं।

एथिकल हैकिंग

अगर हैकिंग किसी अनुबन्ध के अंतर्गत अनुमति लेकर, किसी संगठन द्वारा अनुरोध करने पर, किया जाए जो कि कानूनी रूप से वैध हो तो यह एथिकल हैकिंग कहलाता है। इसके अन्य नाम पेनट्रेशन टेस्टिंग, इंट्रूजन टेस्टिंग या रेड टीमिंग भी हैं। इसके माध्यम से किसी कंप्यूटर सूचना प्रणाली (Information System) की कमजोरी या अरक्षितता (Vulnerabilities) का पता लगाया जाता है। आज दूर संचार तथा सूचना तकनीक के जमाने में विभिन्न संगठन इनका प्रयोग अपने सुरक्षा प्रणाली की जांच के लिए करते हैं। यह हैकिंग सामरिक सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों के किसी भी सूचना तक पहुँचने के लिए अनिवार्य होता है।

7. वेब डिफेसमेंट (Web Defacement)– ऐसा सामान्यतः साइबर अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि या उससे सम्बन्धित कोई अश्लील लेखन सामग्री वेबसाइट पर डालने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें किसी कम्प्यूटर की वेबसाइट के ओरिजिनल होम पेज को हटा कर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और धार्मिक विश्वास का फायदा उठाना होता है। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी अन्य प्रयोजनों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कभी-कभी निगमों की वेबसाइट पर भी इस तरह के अपराध किए जाते हैं।

इस अपराध का प्रयोग सामान्यतः किसी कम्पनी या संगठन की वेबसाइट को विकृत करने के लिए किया जाता है, ऐसी विकृति के बाद वह साइट काम करना बन्द कर देती है।

8. मालवेयर (Malware)– मालवेयर एक प्रकार का

सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन करते हैं। हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म का यूज वायरस, स्पाय वेयर और वर्म आदि के लिए किया जाता है।

मालवेयर आपकी निजी फाइलों तक पहुंचकर उन्हें दूसरी किसी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकता है। इनके जरिए हैकर्स आपकी सूचनाएं, फोटो, वीडियो, बैंक या अकाउंट से जुड़ी जानकारी चुरा सकते हैं।

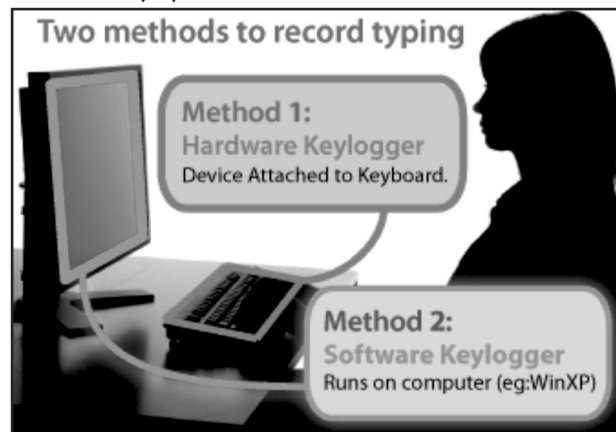
9. ट्रोजन्स (Trojans)– ट्रोजन एक अप्राधिकृत प्रोग्राम है, जो इस तरह जारी किया जाता है कि यह बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम जैसा लगे। अतः इसके माध्यम से वास्तविकता को छिपाते हुए उसे वास्तविक बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे किसी नुकसानदायक फाइल को फायदेमंद फाइल के रूप में दिखाना।

10. वायरस आक्रमण (Virus/Worm attack)– कम्प्यूटर वायरस सामान्यतः एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर जाने के लिए और उस दूसरे कम्प्यूटर में बाधा पहुँचाने के लिए बनाया जाता है, ये वायरस किसी व्यक्ति के कम्प्यूटर के डेटा को बेकार कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उसके कम्प्यूटर के सभी प्रोग्राम को किसी अन्य व्यक्ति के कम्प्यूटर पर ले जा सकते हैं, इनको सामान्यतः ई-मेल संदेशों या तत्काल संदेशीय संदेशों के माध्यम से एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर ले जाया जाता है।

ये ऐसे साफ्टवेयर प्रोग्राम हैं, जो सामान्यतः किसी प्रोग्राम में या किसी फाइल में या किसी साफ्टवेयर या ग्रीटिंग कार्ड या आडियो और वीडियो फाइल इत्यादि में छिपे रहते हैं, ज्यों ही कोई कम्प्यूटर आपरेटर अपने कम्प्यूटर को खोलकर उस प्रोग्राम, फाइल या साफ्टवेयर में जाता है, त्यों ही ये सक्रिय हो जाते हैं और अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं। हाल ही में रैनसमवेयर के आक्रमण से भारत सहित पूरा विश्व प्रभावित हुआ था।

11. की-लॉगर्स (Key-loggers)– यह ऐसा अपराध है, जो किसी कम्प्यूटर डाटा वेबसाइट पर कार्य के दौरान किया जाता है। यह तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने कम्प्यूटर का प्रयोग ऑनलाइन बैंकिंग या अन्य वित्तीय संव्यवहारों के सम्बन्ध में करता है। इसके लिए जैसे ही एक की-बोर्ड के माध्यम से

सम्बन्धित साइट पर जाता है और सम्बन्धित संव्यवहार को सम्पन्न करने के लिए ज्यों ही वह की-बोर्ड पर स्ट्रोक मारता है, वैसे ही वह उसे सेव कर लेता है और इसके माध्यम से जो भी धनराशि इण्टनेट के माध्यम से भेजी जाती है, उसको ये चोरी करके लाखों-करोड़ों का चूना लगा देते हैं। ऐसे अपराधों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और सम्पूर्ण विश्व के लिए एक समस्या बनती जा रही है।



जहां कंप्यूटर का प्रयोग अपराध करने के लिए किया जाता है पर उनका लक्ष्य कंप्यूटर या सर्वर नहीं होता है; जैसे– अपराध का लक्ष्य ही चोरी करना

1. वित्तीय अपराध
2. बौद्धिक सम्पदा अपराध
3. साइबर जालसाजी/छल
4. ऑनलाइन जुआ
5. अवैध वस्तुओं का विक्रय
6. ई-मेल कपट
7. ई-मेल, SMS स्पूफिंग
8. फिशिंग
9. सलामी आक्रमण
10. इंटरनेट टाइम चोरी
11. पहचान चोरी
12. साइबर मानहानि
13. साइबर अश्लील-लेखन, अश्लील SMS, MMS तथा E-mail भेजना/फोटोग्राफी
14. साइबर स्टाकिंग
15. साइबर बुलिंग
16. साइबर आतंकवाद
17. साइबर जासूसी

18. साइबर युद्ध

1. वित्तीय अपराध (Financial Crime)— सामान्यतः सभी अपराधों के पीछे अपराधी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना है अर्थात् रातों-रात अमीर बन जाने की चाहत ही सभी अपराधों की जड़ होती है। ठीक यही बात साइबर अपराध के सम्बन्ध में भी लागू होती है और अधिक से अधिक साइबर अपराध अधिकाधिक धन वह भी शीघ्रातिशीघ्र समय में कमाने के आशय से ही किए जाते हैं। ऐसे अपराध सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं।



मनी लॉन्ड्रिंग, खाता से सम्बन्धित घोटाले, कम्प्यूटर हेराफेरी, बैंक सेवाओं की हैकिंग, क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी कपट और साइबर चीटिंग इत्यादि अपराधों को वित्तीय अपराध के रूप में माना जाता है। इस तरह का अपराध लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में इस तरह के अपराध के बढ़ने की दर वार्षिक स्तर पर 65% है।

2. बौद्धिक सम्पदा अपराध (Intellectual Property Crime)— ऐसे अपराध जो बौद्धिक सम्पदा (जैसे- कॉपीराइट, पेटेन्ट राइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन इत्यादि) से सम्बन्धित होते हैं। प्रतिलिप्याधिकार अतिउल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन, पेटेन्ट अधिकार का उल्लंघन, सॉफ्टवेयर की चोरी, सॉफ्टवेयर पाइरेसी और कम्प्यूटर स्रोत कोड की चोरी इत्यादि जैसे अपराधों को बौद्धिक संपदा अपराध के रूप में माना जाता है। इस तरह के अपराध में अनुसंधान तथा विकास से जुड़ी संपत्तियों को हैक करना या चोरी करना शामिल है।
3. साइबर जालसाजी (Cyber Forgery)— जब कूटरचना का अपराध कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर्स के माध्यम से किया जाता है तो इसे साइबर कूटरचना के नाम से जाना जाता है। कूटरचित करेंसी नोट बनाना, कूटरचित

डाक टिकट और स्टाम्प पेपर बनाना और कूटरचित अंकपत्र तथा प्रमाण-पत्र बनाना इत्यादि जैसे अपराधों को साइबर कूटरचना के नाम से जाना जाता है।

4. ऑनलाइन जुआ (Online Gambling)— यह ऐसा अपराध है, जिसमें जुआ खेलने की सुविधा कम्प्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। इस अपराध के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि कई देश ऐसे हैं जो अपने देश में जुआ खेलने को अपराध नहीं मानते हैं वरन् वैध मानते हैं।
5. अवैध वस्तुओं का विक्रय (Sale of illegal articles)— इसमें ऐसी वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है, जिसका विक्रय सामान्यतः प्रतिबंधित होता है जैसे प्रतिबंधित हथियारों की चोरी छुपे बिक्री, प्रतिबंधित वन्य जीव वस्तुओं का विक्रय, प्रतिबंधित स्वापक औषधि और प्रतिबंधित मनःप्रभावी पदार्थ या प्रतिबंधित मादक द्रव्यों की बिक्री की जाती है। इसमें ऐसे पदार्थों की उपलब्धता की सूचना इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से दी जाती है और उनका मूल्य ऑनलाइन संदाय किया जाता है। ये ऐसे साधन हैं, जिनके माध्यम से इन अवैध पदार्थों की बिक्री को सुकर बनाया जाता है, जिससे ऐसे पदार्थों की बिक्री को प्रोत्साहन मिले।
वर्तमान समय में ऐसे अपराधों की व्यापकता, पुरानी वेबसाइटों को समाप्त करना, नई वेबसाइटों को समाप्त करना इत्यादि बातें अपराध निवारक व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक चुनौती बन गयी है।
6. ई-मेल कपट (E-mail Fraud)— जब कपट का अपराध कम्प्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो इसे ई-मेल कपट के नाम से जाना जाता है। इसमें सामान्यतः ई-मेल भेजकर कपट का अपराध किया जाता है। ऐसे सैकड़ों घोटाले नाइजीरिया में किए गए थे। नाइजीरिया में ऐसे घोटालों को नाइजीरियन 419 घोटाले के नाम से जाना जाता है। इसे नाइजीरियन 419 घोटाला कहने का मुख्य कारण यह है कि जिस तरह भारत में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420 में 'छल' या 'कपट' को परिभाषित किया गया है, ठीक उसी तरह नाइजीरिया में नाइजीरियन दण्ड संहिता की धारा 419 में इसे परिभाषित किया गया है।
7. ई-मेल स्पूफिंग (E-mail Spoofing)— जब किसी व्यक्ति-संस्था की ई-मेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है तो इसे ई-मेल स्पूफिंग/जाली

ई-मेल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ई-मेल जारी किया जाता है वह बिल्कुल उसी स्रोत से जारी किया गया प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह उसी स्रोत से जारी किया हुआ नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य स्रोत से जारी किया हुआ होता है। इसीलिए इसे ई-मेल स्फूफिंग कहा जाता है।

8. फिशिंग (Phishing)– अक्सर कुछ ऐसे ई-मेल मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे किसी बैंक से या किसी अन्य संस्था की वेबसाइट से हैं। यह आपके बैंक के खाते या अन्य व्यक्तिगत सूचना पूछने का प्रयत्न करते हैं। ये सारे ई-मेल फर्जी होते हैं और यह आपकी व्यक्तिगत सूचना को जानकर कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इसे फिशिंग कहा जाता है। इसके लिए एक अलग से सरकारी पोर्टल बनाया गया है जिसका नियंत्रण 'सूचना एवं तकनीकी विभाग' भारत सरकार के द्वारा किया गया है।
9. सलामी आक्रमण (Token Attack)– ऐसा आक्रमण सामान्यतः वित्तीय प्रयोजनों हेतु किया जाता है। इसमें साइबर अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति या संस्था के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति या संस्था को हेराफेरी का आभास ही नहीं हो पाता है। जैसे- यदि किसी बैंक का कर्मचारी बैंक के सर्वर में ऐसा प्रोग्राम डाल दे कि उस बैंक के प्रत्येक ग्राहक के खाते से कम से कम 2 रु. प्रति माह की कटौती होकर वह रकम उस व्यक्ति के खाते में जमा होती रहे तो ऐसी सूक्ष्म कटौती का किसी ग्राहक को आभास भी नहीं होगा और उस कर्मचारी को सभी ग्राहकों से कुल मिलाकर एक अच्छी-खासी रकम प्राप्त होती रहेगी। ऐसे आक्रमण को 'सलामी आक्रमण' के नाम से जाना जाता है।
10. इंटरनेट टाइम चोरी (Internet Time Theft)– इस प्रकार के अपराध में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिए गए इंटरनेट सुविधा का उपयोग उसकी जानकारी के बिना अवैध तरीके से कर लिया जाता है। जिससे उस व्यक्ति की इंटरनेट सुविधा की मात्रा व समय में कमी आ जाती है।
उदाहरण स्वरूप-यदि अपने समय के आधार पर 10 घंटे के लिए इंटरनेट कनेक्शन लिया है। और उसमें से उसकी जानकारी के बिना 2-3 घंटे किसी अन्य द्वारा उपयोग कर लिया जाता है।
11. पहचान चोरी (Identity Theft)– किसी व्यक्ति

द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान चोरी करना या उसका इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को हैक करना या किसी अन्य के नाम से फर्जी काम करना, पहचान की चोरी कहलाता है।

12. साइबर मानहानि (Cyber Defamation)– जब कभी कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से मानहानि का अपराध किया जाता है, तो इसे साइबर मानहानि के नाम से जाना जाता है।
आपत्तिजनक फोटोग्राफ को वेबसाइट पर डालना, किसी लड़की या स्त्री की नग्न तस्वीर को वेबसाइट पर जारी करना, मानहानिकारक कथन को वेबसाइट पर जारी करना या ऐसे कथनों का ई-मेल जारी करना इत्यादि जैसे अपराधों को साइबर मानहानि के रूप में माना जाता है।
13. साइबर अश्लील-लेखन (Cyber Pornography)– वर्तमान समय में साइबर अश्लील लेखन विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेबसाइटें वर्तमान समय में अश्लील लेखन की ही मिलेंगी, ऐसे अश्लील लेखन में कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अश्लील लेखन वेबसाइटों और अश्लील लेखन पत्रिकाओं इत्यादि को जारी किया जाता है, स्त्रियों या लड़कियों का कामुक और अश्लील चित्र वेबसाइट पर जारी करना, स्त्रियों की अश्लील तस्वीर की वेबसाइट बनाना और ब्लू फिल्म बनाना इत्यादि साइबर अश्लील लेखन के अन्तर्गत आते हैं।
14. साइबर स्टाकिंग (Cyber Stalking)– यह अपराध किसी व्यक्ति को तंग करने या परेशान करने के लिए किया जाता है। ऐसा इंटरनेट, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युनिकेशन डिवाइसेज् इत्यादि के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों को तंग किया जाता है, इसमें ऐसे संदेशों को भेजा जाता है। जिसका मुख्य प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्ति से धन प्राप्त करना होता है। इस तरह का सबसे पहला अपराध कैलीफोर्निया के एक 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा एक महिला को परेशान करने के लिए किया गया था।
15. साइबर बुलिंग (Cyber Bulling)– 'साइबर बुलिंग', यानि गंदी भाषा, तस्वीरों या धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी एक अपराधी के तौर पर देखा जाता है तथा इसके लिए दण्ड के प्रावधान हैं।

16. साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)— आतंकवाद के अंतर्गत कंप्यूटर का प्रयोग ही साइबर आतंकवाद कहलाता है। इसमें सूचनाओं के अदान-प्रदान, नीति निर्माण, वित्त सुविधा आदि के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग होता है।

यह किसी व्यक्ति, समाज, व्यवसायिक कंपनी या सरकार के खिलाफ हो सकता है।

17. साइबर जासूसी (Cyber Spying)— इसे एडवेयर या स्पाईवेयर भी कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में कभी आपकी अनुमति से कभी बिना अनुमति के स्थापित हो जाते हैं। यह आपकी गतिविधियों की जानकारी एवं व्यक्तिगत सूचना एकत्र कर उन्हें देते हैं, जिसके द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। यह आपके कंप्यूटर को धीमा भी कर देते हैं।

18. साइबर युद्ध (Cyber War)— इंटरनेट और कंप्यूटरों के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध साइबर युद्ध कहा जाता है। साइबर युद्ध में तकनीकी तरीकों से हमले किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर से जासूसी, वेबसाइट को ठप करना आदि। इसे भविष्य का युद्ध भी कहते हैं।

डार्क वेब

यह 'वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन' हैं जो 'डार्क नेट' पर उपस्थित होता है। इस तक पहुंच के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यह 'डीप वेब' का एक छोटा सा हिस्सा होता है।

डार्क वेब या डीप वेब पर अवैध सामग्री होती है। आमतौर पर इसका उपयोग असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है। यहां अवैध वस्तुओं, सेवाओं को खरीदा एवं बेचा जाता है। यह कानून व्यवस्था एवं संस्थानों के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। यहां व्यक्ति एवं संस्थाओं के निजी सूचनाएं, वित्तीय सूचनाएं भी असामाजिक तत्व बेचते एवं खरीदते पाए जाते हैं।

भारत में साइबर अपराध का स्वरूप

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 ई० में साइबर अपराध के 50,035 मामले सूचित किए गए। इसमें IT अधिनियम के अंतर्गत 44,735 मामले, IPC के अंतर्गत 27,248 मामले, तथा अन्य SLL (Special and Local Laws) के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में साइबर अपराधों में 2016 के मुकाबले 63.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा

A. राष्ट्रीय स्तर पर

1. रणनीतिक व सामरिक खतरा— किसी भी देश की कुछ आवश्यक एवं संवेदनशील सूचनाएं होती हैं, जो उसके दीर्घकालीन विकास एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। इन सूचनाओं में देश की दीर्घकालीन विकास व तैयारियों की रूपरेखा होती है। जैसे किसी देश की परमाणु ऊर्जा से संबंधित तैयारियों की रूप रेखा। साथ ही कई आधुनिक तकनीकों के खोज व प्रयास से संबंधित रूपरेखा (Blueprint) की गोपनीय जानकारीयों भी इन संवेदनशील सूचनाओं में हो सकती हैं।

इस प्रकार की संवेदनशील सूचनाओं का यदि विश्व के अन्य देशों को पता लगने से उस देश को (जहां से जानकारी मिली है) अनावश्यक रूप से दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इन दबावों में आर्थिक प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं।

शत्रु देशों को ये सूचनाएं हासिल होने से अशांति एवं अनावश्यक हथियारों की होड़ आदि, का सामना करना पड़ सकता है।

मित्र देशों में भी, बड़े हथियारों की तैयारी की जानकारी मिलने से अविश्वास फैल सकता है।

उदाहरण— (i) ईरान के परमाणु संयंत्रों पर Stuxnet Virus का आक्रमण। माना जाता है कि इसमें अमेरिका तथा इजराइल का हाथ था (हालांकि इन्होंने मना किया था)। (ii) 1998 में कुछ किशोरों द्वारा BARC (भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर) के आंकड़ों को हैक कर लिया गया था।

2. जनसामान्य में अविश्वास तथा राजनीतिक अस्थिरता— सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाती है। इनमें से कुछ कदम जैसे वैश्विक निगरानी (Universal Servillance) आदि व्यापक बहस के विषय है। यदि सरकार जनसामान्य की अवहेलना करके इस प्रकार की योजनाएं लाती है और साइबर हैकिंग या मीडिया द्वारा ये सूचना लीक हो जाती है तो लोगों का भरोसा सरकार से उठने लगता है। यह जनआंदोलन का भी रूप ले सकता है और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

उदाहरण— अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए में कार्यरत एडवर्ड स्नोडेन (Snowden) ने कई जानकारीयों पत्रकारों को दे दी, जिसमें कई वैश्विक (Universal) निगरानी

योजनाओं की जानकारीयां भी थी। इसने जनता तथा अन्य देशों में अमेरिका के प्रति अविश्वास जगाया।

3. अफवाहों के द्वारा सांप्रदायिक व नृजातीय हिंसा— आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सएप्प व फेसबुक की पहुंच छोटे-छोटे गांवों तक है। इन गांवों में शिक्षा का स्तर भी कम है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आयी जानकारीयों के सत्यापन की सुविधा न के बराबर है।

इंटरनेट पर मौजूद कई सारे एप्लीकेशनों की मदद से अफवाहें तैयार करना और इसे फैलाना और भी आसान है। इन अफवाहों में फंस कर लोग आपसी समन्वय भुलाकर दंगों पर उतर आते हैं।

उदाहरण— दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दंगे में इंटरनेट का प्रयोग

4. रणनीतिक महत्व के संस्थानों पर हमले से प्रशासनिक व्यवस्था को खतरा— हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में कई संस्थान बहुत महत्व के होते हैं। इन संस्थानों पर साइबर हमले होने से प्रशासनिक शिथिलता आ सकती है व देश में कुव्यवस्था फैल सकती है। सरकारी तथा निजी संस्थानों में बड़े पैमाने पर वायरस/रैनसमवेयर का वितरण करके इनके कार्य में बाधाएं पैदा की जा सकती हैं जैसे—पुलिस स्टेशन, विभिन्न मंत्रालय आदि।

उदाहरण— हाल ही के वानाक्राई रैनसमवेयर से आंध्र प्रदेश पुलिस भी प्रभावित हुई थी।

5. सार्वजनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण परितंत्रों पर हमले से लोकजीवन में अस्तव्यस्तता— लोकजीवन के कुछ परितंत्र लोकजीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे— रेल, विद्युत वितरण, तेल वितरण प्रणाली इत्यादि।

इन प्रणालियों को आज कल तीव्रता के लिए कंप्यूटरों की मदद से स्वचालित किया जा रहा है। यदि इस प्रणाली पर साइबर हमला होता है तो ये बंद या धीमी हो जाएगी। इस तरह सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा तथा बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा।

उदाहरण— 2015 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से महत्वपूर्ण आंकड़ों की चोरी हुई थी।

6. अर्थव्यवस्था पर खतरा— किसी देश की आर्थिक व्यवस्था वहां की बैंकिंग तथा पूंजी बाजार पर निर्भर होती है। आजकल हरेक देश की बैंकिंग तथा प्रतिभूति

बाजार (शेयर मार्केट) प्रणाली बड़े नेटवर्कों से जुड़ी रहती है। यदि इन संस्थानों पर साइबर हमले हो जाएं तो देश को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ में लोगों में इनके प्रति विश्वसनीयता में कमी आएगी।

7. ऑनलाइन कारोबार तथा कैशलेस व्यवस्था से विश्वसनीयता घटना— साइबर हमलों से ऑनलाइन कारोबार तथा मोबाइल या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इस प्रकार के हमलों से कैशलेस व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने में झिझक महसूस होगी।

यह वाइरस मोबाइल पर कई सारे सर्विसेज भी अपने आप एक्टिव कर देता है, जिससे और आर्थिक नुकसान होता है।

8. *व्यक्तिगत सूचनाओं की हमले* साइबर हमलों से बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत सूचनाएं चुराई जाती हैं। इन सूचनाओं का प्रयोग पुनः कोई अपराध करने में किया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे समाचार, विचार तथा मुद्दे के संबंध में कर सकते हैं। यह जिस प्रकार जनसाधारण के सामने दिखाया जायेगा उसी तरह आंतरिक सुरक्षा के आधार को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा। आज वैश्विक संसार में मीडिया को व्यक्ति के सूचना के अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक नीति के बीच संतुलन बनाना होता है। मीडिया के सकारात्मक कार्य निम्न हैं—

- (i) जनसाधारण तक सूचना पहुँचाना— मीडिया जनसाधारण तक सही सूचना पहुँचा कर आंतरिक सुरक्षा की वृद्धि में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जनता के अवबोधन (Perception) को आकार प्रदान करने में सहायक होता है। किसी गलत नीति के बारे में जनता को अवगत करा कर, सरकार को सही नीति के पुनः निर्माण को बाध्य करती हैं। इस तरह समाज गलत नीति के प्रभाव से बच जाता है।
- (ii) सरकार को समस्याओं से अवगत कराना— मीडिया 'ग्राउण्ड रिपोर्टिंग' करती है। अतः मीडिया उन

समस्याओं (Issues) के बारे में सरकार को अवगत कराती हैं, जो मुद्दे भविष्य में देश के समक्ष सुरक्षा चुनौति के रूप में उभर सकते हैं।

- (iii) सरकार को पहल से अवगत कराना- मीडिया जनता को सरकार के विभिन्न पहलों (Initiatives) की जानकारी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही इनके लंबे समय में पड़ने वाले प्रभाव से भी अवगत कराती हैं।
- (iv) नागरिकों में स्वाभिमान में वृद्धि एवं भातृत्व में वृद्धि- यह किसी देश के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में (जैसे आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी आदि) उपलब्धियों से जनता को अवगत करा कर लोगों के मनोबल तथा स्वाभिमान को बढ़ाता है। इसके साथ ही नागरिकों में राष्ट्रीयता तथा भातृत्व में वृद्धि होती है अगर उपलब्धियों का वितरण समान हो।
- (v) सामाजिक संयोजन (Cohesion) में वृद्धि- देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं सामाजिक संयोजन वृद्धि में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे विविधता में एकता की स्थापना होती है।
- (vi) सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही में सहायक- मीडिया सार्वजनिक संस्थानों के कार्य के दौरान हुई चूक, इनके किसी अत्याचार या अन्य कमियों को दर्शा कर इन संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।

आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के प्रति मीडिया का उचित प्रयोग जहाँ लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकता है वहीं इसका अनुचित प्रयोग से कई समस्याएं सामने आ सकती हैं, जैसे:-

1. पेड न्यूज- पेड न्यूज लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि यह सत्यता को छुपाता है तथा भ्रामक खबरों को बार-बार दिखाकर जनमत को बदलने का प्रयास करता है। पेड न्यूज के ज्यादातर मामले चुनाव में देखे जाते हैं। चुनाव आयोग के सामने इससे जुड़े सैंकड़ों मामले आए हैं, जिनमें कई प्रत्याशी दोषी पाए गए।
2. झूठी खबरें (फेक न्यूज)- कई बार मीडिया में गलती से या जानबूझकर झूठी खबरें दिखा दी जाती हैं। इससे बड़े पैमाने पर जनता उद्वेलित हो सकती है।
3. मीडिया ट्रायल/खबरों को सनसनीखेज बनाना- मीडिया

ट्रायल का अर्थ है कोर्ट के बाहर आरोपी को अपराधी सिद्ध करने की कोशिश मीडिया द्वारा करना। कई बार मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरों को सनसनीखेज बनाती है और मीडिया ट्रायल करने लगती है। इससे जांच एजेंसियों तथा न्यायिक अधिकारियों पर भी दबाव पड़ता है। इस मामले में मुम्बई पुलिस ने हाल ही में एक निजी चैनल के प्रबंध-निदेशक के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

4. संवेदनशील सूचनाओं को लीक करना- कई बार देश की संवेदनशील सूचनाएं मीडिया द्वारा खबर दिखाने के चक्कर में टीवी इत्यादि माध्यमों पर दिखा दी जाती है। जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं और देश में अशांति फैलाने के नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। इस तरह का उदाहरण मुंबई में 2008 के आतंकी हमलों में देखने को मिला था।

समाधान

मीडिया शासनकला का महत्वपूर्ण यंत्र हैं और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। हमारे संविधान में सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है (अनुच्छेद-19)। मगर इस स्वतंत्रता का प्रयोग जवाबदेही से करना, युक्ति-युक्त करना चाहिए, नहीं तो यह अव्यवस्था, भ्रम एवं अंधविश्वास फैलाने का यंत्र बन जाएगा।

इस समस्या के समाधान के लिए निम्न प्रावधान किए जा सकते हैं-

1. मीडिया घरानों (Media Houses) को अपने नीति संहिता का निर्माण करना चाहिए तथा स्व-नियमन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
2. सरकार को भी अग्रसक्रिय (Proactive) होना चाहिए। सरकार को तुरंत सही एवं भरोसेमंद सूचना प्रदान करनी चाहिए, ताकि जनता पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के प्रभाव में न आए।
3. मीडिया घरानों को लोकल नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वास्तविक स्थितियां (ग्राउंड रिपोर्ट) प्राप्त हो सके।
4. मीडिया के द्वारा प्रदान की जा रही सूचना विश्वसनीय स्रोत से होनी चाहिए। समाचार का विश्वसनीय होना अत्यन्त आवश्यक हैं।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में
सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका

सोशल नेटवर्किंग साइट्स को 'वेब' आधारित पोर्टल या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक व्यक्ति या संस्था को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम बनाता है। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ही सोशल मीडिया भी कहा जाता है। तकनीक के उन्नयन के साथ ही मोबाइल जैसे संचार उपकरण सस्ते होते जा रहे हैं। इसके साथ ही इंटरनेट तथा संचार सेवा के मूल्य में भी कमी हो रही है। इसके सम्मिलित प्रभाव के कारण इंटरनेट तक आमजन की पहुँच पहले से आसान हुई है। इससे सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं में भी वृद्धि हुई है।

परम्परागत मीडिया के विपरीत सोशल मीडिया आभासी संसार (Virtual world) में संचालित होता है। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता ही समाचार देने वाले, प्रसार करने वाले एवं ग्रहण करने वाले होते हैं। इनके सदस्य करोड़ों में (फेसबुक जैसे) होते हैं- जो विभिन्न देशों की सीमा के न्यायक्षेत्र में होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया सेवा प्रदाता कंपनी के सर्वर भारत से बाहर होते हैं। इन सभी कारकों का सम्मिलित परिणाम सरकार का सोशल मीडिया पर कमजोर नियंत्रण होता है। इस कमजोरी का लाभ असामाजिक तत्व आसानी से उठाते हैं और अवैध गतिविधियों का संचालन करते हैं।

परंतु सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष इसके नकारात्मक पक्ष से संख्या में ज्यादा हैं। सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष, जो देश की आंतरिक सुरक्षा में वृद्धि करते हैं जैसे-

- (i) सूचना तक आसान और सस्ता-सुलभ पहुँच- मोबाइल एवं इंटरनेट तक आसान पहुँच होने के कारण नागरिकों की सूचना तक पहुँच आसान हो गयी है। परंपरागत मीडिया की देश के दूर-दराज इलाकों में पहुँच कम होती है। मगर सूचना क्रांति के पश्चात् देश के दूर-दराज के क्षेत्रों एवं आम जन तक सूचना आसानी से पहुँच जाती है, जो सूचना के अभाव में अव्यवस्था को रोकता है।
- (ii) जागरूकता में वृद्धि- नागरिकों को देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यह नागरिकों को समस्या की गंभीरता से अवगत कराता है। साथ ही समस्या के प्रति जागरूकता को बढ़ाकर बेहतर समाज का निर्माण करता है।
- (iii) संकट के समय सहायता- सोशल मीडिया संकट

के समय काफी सहायक हो सकता है। यह अपने प्रियजनों के साथ ही सरकार के विभिन्न संस्थानों से जुड़ने का भी अवसर देता है। अतः संकट के समय इसका आसानी से प्रयोग कर समाधान निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए चेन्नई में बाढ़ के समय सोशल मीडिया ने लोगों को काफी सहायता की।

- (iv) सुशासन (Good governance) में सहायक- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सरकारी संगठनों की उपस्थिति है यह विभिन्न सरकारी संगठनों एवं नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संवाद बढ़ाने का कार्य करता है इससे सरकार को विभिन्न संगठनों के द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल जाती है इससे अच्छे शासन की स्थापना होती है, जो अंततः शांति एवं सद्भावना में वृद्धि करता है।
 - (v) अपराध रोकने में सहायक- सोशल मीडिया ने नागरिकों को सशक्त बनाया है। अब किसी अपराध या अपराधी की सूचना एक व्यक्ति आसानी से कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसी या आसूचना इकाई को प्रदान कर सकते हैं। त्वरित एवं आसानी से अपराध या अपराधी के बारे में सूचना उपलब्ध होना अपराध की दर को कम करता है।
 - (vi) बेहतर समाज एवं समुदाय का निर्माण- सोशल मीडिया समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच संवाद को बढ़ाता है। विभिन्न वर्गों के बीच बेहतर संवाद का होना किसी गलत सूचना के प्रसार के प्रभाव को कम करती है। यह विभिन्न समुदाय के बीच विश्वास के वातावरण को बढ़ावा देकर बेहतर समाज एवं समुदाय का निर्माण करने में सहायक होता है।
- नई तकनीक नए प्रकार की समस्याएं भी लेकर आती है। यह बात सोशल नेटवर्किंग साइट्स के मामले में भी सत्य है।
1. सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान काफी सरल हो गया है। इस तकनीक का फायदा आतंकवादी तत्व भी एक दूसरे से संप्रेषण के लिए करते हैं। वे ऐसे आधुनिक कूट (Encryption) तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जो बिना कोई सबूत छोड़े कार्य करती हैं। इससे अपराध का अनुसंधान करने वाली एजेंसियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
 2. सोशल नेटवर्किंग साइट्स द्वारा आतंकवादी संगठन अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करते हैं तथा अपने

संगठन को बढ़ाने का काम करते हैं। कई बार वे इन साइटों के द्वारा व्यक्ति को वश में करके कई आतंकी कृत्य करवा लेते हैं।

3. आजकल साइबर हमलों के अन्य रूपों में भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग अधिक हो रहा है। साइबर क्रिमिनल द्वारा पहले शिकार से दोस्ती की जाती है, फिर उसे इंफेक्टेड फाइलें भेजी जाती हैं। देखा गया है कि साइबर हमलों के अधिकांश मामलों में कोई न कोई परिचित ही रहा है। जैसे-मालवेयर या वाइरस फैलाना, व्यक्तिगत जानकारियां चुराना।
4. कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग करके वित्तीय छल किए जाते हैं। इन साइट्स के जरिए अपराधी अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं व उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। इसके साथ ही अपराधी अपने शिकार से दोस्ती करते हैं नजदीकियां बढ़ाते हैं फिर उनके साथ धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं।
5. साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने तथा विद्वेष पैदा करने के लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग होता रहता है, जिससे व्यापक पैमाने पर हिंसा फैल सकती है एवं देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए असम हिंसा प्रकरण।
- वैश्विक समाज में सोशल मीडिया सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है- आज 21वीं सदी में चौथी औद्योगिक क्रांति, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के समय में 'सूचना' एवं 'डाटा' काफी महत्वपूर्ण है। अतः सोशल मीडिया का युक्ति-युक्त प्रयोग होना चाहिए। सरकार को इसके गलत सूचना प्रसारण या गैर कानूनी कार्यों के लिए प्रयोग को रोकने का प्रावधान करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उपस्थित न हो।

भारत में साइबर अपराध के कारण

भारत में इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या तथा इसका दुरुपयोग करने वालों व इसे माध्यम बना कर अपराध को अन्जाम देने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध को अंजाम देने वालों में उस कम्प्यूटर शिक्षित वर्ग का स्थान है जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। साइबर अपराध को करने के पीछे अनेक कारणों की पहचान की जा सकती है जिसमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

1. नागरिकों का आर्थिक प्राणी होना- आजकल जल्दी से

जल्दी और अधिक से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति काफी तेज हो रही है। साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिये, ई-मेल के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का पासवर्ड हैक करके, बैंक एकाउंट हैक करके, पासवर्ड हैक करके लाभ उठाते हैं। इसमें दो युवकों के द्वारा भेल के 3500 शेयर हैक करके बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करने का उदाहरण प्रमुख है जिन पर कंपनी के द्वारा बाद में अपराध दर्ज कराया गया है।

लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का उपयोग न करना, बौद्धिक सम्पत्ति व कॉपीराइट संबंधी विधिक प्रावधानों का उल्लंघन इत्यादि भी इसी प्रकार के आर्थिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

2. बढ़ती प्रतिस्पर्धा- खुले बाजार तथा वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा को अति तीव्र कर दिया है। एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में सर्वाधिक साइबर अपराध व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुए हैं।
3. असहिष्णुता- स्कूल कॉलेज के साथी या सहकर्मी या प्यार में असफल व्यक्तियों के द्वारा अपनी शत्रुता को अन्जाम देने अथवा भयभीत करने के लिये, धमकी भरे ईमेल भेज कर, व्यक्तिगत या अश्लील चित्रों या वीडियों को अपलोड कर बदला लेने की नीयत से अपराध किया जाता है। इसके लिए समाज में घटती सहिष्णुता को दोषी माना जा सकता है।
4. यौन अपराध में वृद्धि- अश्लील वेबसाइट इसका एक प्रमुख कारण है। "निर्भया" मामले में एक बलात्कारी ने कोर्ट में यह स्वीकारा।
5. आतंकवाद का वैश्विक विस्तार- वर्तमान में साइबर आतंकवाद के रूप में इंटरनेट का उपयोग राष्ट्र के विरुद्ध आतंक फैलाने में किया जा रहा है। इसमें देश के प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत राष्ट्र प्रमुखों को धमकाना, बम धमाके के लिये ईमेल का प्रयोग करना, ई-बैंकिंग का उपयोग कर प्रतिबंधित या आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद करना आदि अपराध किये जा रहे हैं। इसमें राष्ट्र की प्रमुख वेबसाइटों को हैक कर सूचनाओं की चोरी करने का प्रयास भी शामिल है।
6. बेरोजगारी- बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग साइबर अपराध की ओर आकर्षित हो रहा है। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद रोजगार नहीं मिल पाने पर युवा रोजगार की तलाश में साइबर अपराधियों के

जाल में फँस जाते हैं और थोड़े पैसों के बदले साइबर अपराध में संलिप्त हो जाते हैं।

7. असुरक्षित इंटरनेट का प्रयोग— इंटरनेट प्रयोक्ताओं द्वारा असुरक्षित तरीके से इंटरनेट का प्रयोग करना, अपने ईमेल पासवर्ड को संभाल कर न रखना, लालच में आकर इंटरनेट पर अंजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सूचनायें प्रदान करना, वाईफाई को पासवर्ड से सुरक्षित न करना, एंटीवायरस या पाप-अप ब्लॉकर का उचित उपयोग न करना आदि अन्य कारण साइबर अपराध को बढ़ावा देते हैं।

साइबर सुरक्षा क्या है?

साइबर सुरक्षा से तात्पर्य 'सूचना एवं तकनीकी' की सुरक्षा या आधुनिक युग में 'कंप्यूटर जनित संपत्तियों' की सुरक्षा है। सही तौर पर 'साइबर सुरक्षा' कंप्यूटर के डाटा, नेटवर्क तथा 'साइबर सॉफ्टवेयर' को 'साइबर आक्रमण' से रक्षा करता है।

'साइबर सुरक्षा' में कंप्यूटर और इससे संबंधित नेटवर्क में उपलब्ध सूचनाओं तथा डाटा को गोपनीय रखा जाता है। देखा जाए तो इस सुरक्षा के तहत सॉफ्टवेयर या जो भी संबंधित डाटा है, उनको किसी भी चोरी या बर्बाद होने से बचाने का कार्य होता है।

साधारण तौर पर साइबर सुरक्षा (Cyber Security) का अर्थ 'इंटरनेट पर सुरक्षा' से भी लिया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार का खतरा आप पर बना रहता है क्योंकि साइबर चोर जिसे 'हैकर्स' कहते हैं वह आपके डाटा तक पहुँचकर उसके साथ तकनीकी रूप से कुछ भी कर सकते हैं।

साइबर सुरक्षा का संबंध

- इंटरनेट नेटवर्क की सुरक्षा से है।
- डिवाइसेज (Devices) की सुरक्षा से है।
- सॉफ्टवेयर (Software) की सुरक्षा से है।
- डाटा (Data) की सुरक्षा से है।

साइबर सुरक्षा के प्रकार

1. नेटवर्क सुरक्षा (Network Security)
2. एप्लीकेशन सुरक्षा (Application Security)
3. सूचना सुरक्षा (Information Security)
4. ई-मेल सुरक्षा (E-mail Security)

भारत में साइबर सुरक्षा : मूलभूत सिद्धांत

1. साइबर सुरक्षा की आवश्यकता सरकारी तथा निजी क्षेत्र

दोनों में ही है तथा साइबर सुरक्षा प्रणाली का विकास दोनों क्षेत्रों के परस्पर सहयोग से होना चाहिए।

2. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रतिरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ कंप्यूटर परितंत्रों को साइबर अपराध तथा अस्थिरता से बचाए रखना है। कंप्यूटरों के साइबर अपराध से प्रभावित होने के पश्चात् पुनर्स्थापना एक कठिन तथा धीमी प्रक्रिया होती है। अतः यथासंभव प्रतिरक्षण की दिशा में कार्य होना चाहिए।
3. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां तथा अधिनियम तकनीकी विकास की अपेक्षा देर से विकसित होती है। अतः तकनीकी विकास के साथ-साथ नीतियों एवं कानूनों का निर्माण होना चाहिए।
4. मानव संसाधन का क्षमता निर्माण (Capacity Building) एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस दिशा में तकनीकी प्रशिक्षण तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता पैदा करना दोनों ही आवश्यक है। भारत की साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार अगले पांच (5) वर्षों में पांच (5) लाख प्रशिक्षित टेक्नीशियन्स की आवश्यकता साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में होगी।

भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास

A. कानूनी प्रयास

भारत में साइबर क्राइम के मामलों में 'सूचना तकनीक कानून, 2000' और 'सूचना तकनीक (संशोधन) कानून, 2008' लागू होते हैं। मगर इस श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कॉपीराइट कानून, 1957 कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहां तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। साइबर क्राइम के कुछ मामलों में सूचना एवं तकनीकी से जुड़े नियम 2011 की तरफ से जारी किए गए सूचना एवं तकनीकी नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इन प्रावधानों को हम निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देख सकते हैं:-

1. हैकिंग: धाराएं और सजा- किसी कंप्यूटर, डिवाइस, इंफार्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। यह हैकिंग उस सिस्टम की फिजिकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसी हैकिंग के दौरान उस सिस्टम

को नुकसान पहुंचा ही हो। अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ है, तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के तहत आता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43(ए), 66-आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

2. जानकारी या डेटा चोरी- किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है, लेकिन आप अपनी उस वैध पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाजत के बिना, उसके दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो वह भी इसी अपराध के दायरे में आएगा। कॉल सेंटर्स या लोगों की जानकारी रखने वाले संगठनों में इस तरह की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43(बी), धारा 66(ई), 67(सी), आईपीसी की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से तीन साल तक की जेल या दो लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
3. वायरस, स्पाईवेयर फैलाना- अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हटाने पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनके सिस्टम से होते हुए ये वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाई-फाई कनेक्शनों और असुरक्षित फ्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैल जाते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी एक इंडस्ट्री है, जिनके खिलाफ वक्त बेवक्त कड़ी कार्रवाई होती रही है। लेकिन आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में कोई खतरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान कर दे। इस तरह के केस में आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43(सी), धारा 66, आईपीसी की धारा 268 और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66(एफ) भी लगाई जाती है। दोष सिद्ध होने पर साइबर-वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद का प्रावधान है। जबकि अन्य मामलों में तीन

साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

4. पहचान की चोरी- किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़ा डेटा, गुप्त सूचनाओं का उपयोग करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन की निकासी करता है तो वह इस अपराध में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई जुर्म करते हैं या उसका नाजायज फायदा उठाते हैं तो यह जुर्म 'पहचान' की चोरी के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले पर आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43, 66(सी), आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है। जिसमें दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
5. ई-मेल स्पाईफिंग और फ्रॉड- अक्सर आपके इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई तरह के ईनाम देने वाले या बिजनेस पार्टनर बनाने वाले या फिर लॉटरी निकलने वाले मेल आते हैं। ये सभी मेल किसी दूसरे शख्स के ई-मेल या फर्जी ई-मेल आईडी के जरिए किए जाते हैं। किसी दूसरे के ई-मेल पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों को ई-मेल भेजना इसी अपराध की श्रेणी में आता है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस, स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फर्जी ईमेल का इस्तेमाल अधिक होता है। ऐसा काम करने वाले अपराधियों का मकसद ई-मेल पाने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारी हासिल करना होता है। ऐसी जानकारीयों में बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई-कॉमर्स साइट का पासवर्ड वगैरह आ सकते हैं। इस तरह के मामलों में आईटी कानून 2000 की धारा 77बी, आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66डी, आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है। दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। 2013 के साइबर अधिनियम में भी इसे शामिल किया गया है।
6. पोर्नोग्राफी- इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फलफूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी

एक बड़ा कारोबार बन गई है। जिसके दायरे में ऐसे फोटो, विडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है, जो यौन, यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी सूचना के बिना अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता। जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है। इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67(ए), आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल या दस लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल तक बढ़ सकती है।

7. चाइल्ड पोर्नोग्राफी- बच्चों के साथ पेश आने वाले मामलों पर कानून और भी ज्यादा सख्त है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना या नग्न दिखाना या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई सामग्री प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना भी इसी कानून के तहत आता है। बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूँढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेनदेन करते हैं या बांटते हैं तो वह भी गैरकानूनी माना जाता है। बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसी के तहत आते हैं। इस कानून में 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67(बी), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। पहले अपराध पर पांच साल की जेल या दस लाख रुपये तक जुर्माना

हो सकता है। लेकिन दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल या दस लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

यह भी जानें!

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में निर्देश दिया है कि सभी सर्च इंजनों से बाल अपराधों से सम्बंधित पोर्न विडियोज को ब्लॉक कर दिया जाए। यहीं तक नहीं निर्णय देते समय उन 50 देशों का उदाहरण भी दिया जहाँ चाइल्ड पोर्न विडियोज पर रोक लगाने के लिए हॉट लाइन का मदद लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरपोल का भी मदद लेने का निर्देश दिया है जिसके माध्यम से विडियोज लोड होते ही पता चल जाता है। सरकार ने विभिन्न क्राइम रिसर्च पोर्टल के द्वारा इसे अधिक नियमित किया है तथा अब अश्लील साइटों तक पहुँचना आसान नहीं है।

8. साइबर स्टॉकिंग/बुलिंग- आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब चलन में हैं। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ई-मेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इस तरह के केस में आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 66(ए) के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66A निरस्त

आईटी एक्ट को 2000 में पास किया गया था, पर उस वक्त विवादास्पद धारा 66(ए) को शामिल नहीं किया गया था। 2008 में इस एक्ट में संशोधन करके धारा 66(ए) को जोड़ा गया जो फरवरी 2009 में लागू हो गया।

यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है। इसके तहत दोषियों को तीन साल की जेल या 5 लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। धारा 66ए में लिखा है...

1. कोई भी ऐसी सूचना जो आपत्तिजनक हो या फिर जिसका मकसद चरित्रहनन का हो।
2. कोई भी सूचना जो झूठी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के जरिए उस सूचना का इस्तेमाल किसी शख्स को परेशान करने, असुविधा पहुँचाने, खतरा पैदा करने, अपमान करने व चोट पहुँचाने के लिए किया जाए।

3. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जिसके जरिए किसी को व्यर्थ परेशान करने या उसके लिए समस्याएं बढ़ाने के लिए किया जाए, तो ऐसा करने वाले शख्स को जेल भेजा जाएगा। दोषी को दो-तीन साल की सजा हो सकती है साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो पुलिस उसे 66ए के तहत गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश कर सकती है, इसके साथ ही उस पर संबंधित मामले में उपयुक्त अन्य धाराएं जोड़कर भी मुकदमा चला सकती है।

इस कानून का इस्तेमाल कई बार हुआ है, खासकर इंटरनेट पर आलोचनात्मक व विपरीत राजनीतिक विचारधारा के पोस्ट करने के कारण कइयों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 11वीं क्लास के एक छात्र को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सांप्रदायिक वारदातों को आजम ख़ाँ से जोड़कर बताया था।

24 मार्च 2015 का सुप्रीम कोर्ट ने 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद' में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए को निरस्त कर दिया। ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादास्पद प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया।

9. 66एफ साइबर आतंकवाद के लिए दण्ड का प्रावधान- साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीक कानून, 2000 में धारा 66-एफ को जगह दी गई है:-

1. यदि कोई-

(A) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए-

- ♦ किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है।
- ♦ बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है।
- ♦ कंप्यूटर वायरस का प्रयोग देश के हितों के विरोध में करता है।

(B) अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझ कर किसी कंप्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता है, जो देश की सुरक्षा या अन्य देशों के साथ उसके संबंधों के नजरिए से संवेदनशील हैं या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता है, जिससे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता,

अन्य देशों के साथ इसके संबंध, सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो, देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती हो या ऐसा होने की आशंका हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या इसकी आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा पहुंचता हो, तो उसे 'साइबर आतंकवाद' का आरोपी माना जा सकता है।

B. नीतिगत एवं योजनागत प्रयास

देश की अधिकाधिक नागरिक सेवाओं तथा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संरचनाओं के साइबर जगत पर आधारित होने के कारण नीति निर्धारकों ने साइबर सुरक्षा पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के काल से विशेष महत्व दिया है।

साइबर सुरक्षा के लिए नीति आयोग के तहत की गई पहल

'नीति आयोग' ने भारत सरकार के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी घोषणाएं की हैं:

1. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर जोर तथा डिजिटल पहुँच के साथ डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
2. 2022-23 तक डिजिटल क्षेत्र में असमानता दूर करना तथा बुनियादी ढांचा को मजबूत करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए प्रयास

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में साइबर सुरक्षा से संबंधित पांच प्रमुख उद्देश्यों को लक्ष्य बनाया गया:-

1. भारत के साइबर जगत को सुरक्षित बनाना।
2. यथासंभव साइबर आक्रमणों को निरस्त करना अथवा उनसे बचाव।
3. देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्रों को साइबर आक्रमणों से पूर्णतया प्रतिरक्षित करना।
4. साइबर आक्रमण की दशा में यथासंभव शीघ्रता से कंप्यूटर तंत्र की पुनर्स्थापना करना तथा इस प्रकार के आक्रमण से होने वाले हानि को कम से कम स्तर पर रखना।
5. मानव संसाधन का क्षमता विकास।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्यारहवीं योजना के काल में निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) में संशोधन किए गए। इन संशोधनों की विशेषता साइबर सुरक्षा की दिशा में लाये गए ठोस प्रावधान हैं।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर सभी मंत्रालयों तथा विभागों में साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, आवश्यकतानुसार संबद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा नियमित अंतराल पर साइबर सुरक्षा के (Drill) ड्रिल किए जाते हैं।
3. सरकारी संस्थापनों जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि के स्तर पर साइबर सुरक्षा के विशिष्ट कोर्स शुरू किए गए हैं निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी इस प्रकार के कोर्स चलाने की अनुमति दी गयी है यद्यपि इनका प्रारूप सरकारी संस्थानों के द्वारा निर्धारित होता है।
4. कंप्यूटर इमरजेंसी रिसपॉन्स टीम ऑफ इण्डिया (Computer Emergency Response Team of India- CERT-in) की स्थापना की गयी। CERT-in का उद्देश्य साइबर आक्रमणों की स्थिति में कंप्यूटर परितंत्रों की अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। विकास के प्रथम चरण में CERT-in सिर्फ सरकारी परितंत्रों को सुरक्षा प्रदान करता था परन्तु बारहवीं योजना के काल में CERT की स्थापना राज्य के स्तर पर भी की गयी है तथा उनकी अब जिम्मेदारी निजी क्षेत्र में आने वाले अधिक महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है।
5. राज्य पुलिस, सीबीआई तथा CERT-in के अंतर्गत अनेक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्यारहवीं योजनाकाल में लगभग पच्चीस हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्रों का संचालन करते हैं। इसके लिए केन्द्र-सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न पोर्टलों का भी निर्माण किया गया है जहाँ विभिन्न स्तर पर शिकायतों की सुनवाई होती है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए प्रयास

ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यों को बारहवीं योजना के अंतर्गत यथावत रखा गया है तथा अभी तक की उपलब्धियों को और भी सबल करने की योजना बनाई गयी है। बारहवीं योजनाकाल में अभी तक के मुख्य कदम इस प्रकार से हैं:-

1. राष्ट्रीय साइबर आपदा प्रबंधन योजना बनाई गयी है तथा उसे CERT-in के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013 की घोषणा की गयी। सुरक्षा नीति के अंतर्गत चौदह (14) उद्देश्यों का उल्लेख है जिनके लिए निम्नलिखित रणनीति बनायी गयी है:-
 - राष्ट्रीय स्तर पर CERT-in एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसके अंतर्गत क्षेत्र तथा राज्य से संबंधित अलग-अलग CERT काम करेंगे। क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर CERT सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा प्रदान करेंगे।
 - एक राष्ट्रीय स्तर की क्रिटिकल इनफार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (Critical Information Infrastructure) प्रोटेक्शन टीम का गठन किया जाएगा इस टीम का उद्देश्य CII का निर्धारण तथा प्रतिरक्षण करना होगा। CII के अंतर्गत आने वाले परितंत्र रक्षा क्षेत्र से, ऊर्जा से, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए परितंत्र होंगे।
 - क्षमता विकास के लिए PPP मॉडल का अनुसरण किया जाएगा तथा अगले पांच वर्षों में पांच लाख प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाए जाएंगे।
 - साइबर आक्रमण के प्रमुख स्रोत पहचाने जाएंगे तथा उन पर आक्रमण कर उनको निरस्त करने की कोशिश होगी।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013

साइबर स्पेस पर खतरों को देखते हुए इसकी सुरक्षा की तीव्र आवश्यकता के मद्देनजर केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की है:-

1. 2 जुलाई, 2013 को केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की।
2. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का 'विजन' (दृष्टि) नागरिकों, व्यापारियों एवं सरकार के लिए सुरक्षित एवं लचीले साइबर स्पेस का गठन करना है।
3. साइबर सुरक्षा नीति के लिए निर्धारित 'मिशन' इस प्रकार हैं-
 - साइबर स्पेस में सूचनाओं एवं सूचना-संरचना को संरक्षित करना।
 - साइबर खतरों को रोकने और उनके जवाब की क्षमता निर्मित करना।

- संस्थागत संरचनाओं (Institutional Structures) लोगों, प्रक्रियाओं, तकनीक एवं सहयोग के समन्वय से साइबर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली क्षति एवं प्रभाव को कम करना।

4. साइबर सुरक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

- देश में सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी का सृजन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में विश्वासवर्धन का वातावरण निर्मित करना।
- साइबर स्पेस के परिवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियामक ढांचा को मजबूती प्रदान करना।
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 24 घंटे, सातों दिन संकट प्रबंधन के प्रति सचेतनता की व्यवस्था करना।
- नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) के संचालन हेतु व्यवस्था करना।
- योग्य स्वदेशी साइबर सुरक्षा तकनीक विकसित करना।
- कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में साइबर सुरक्षा को समर्पित 5 लाख विशेषज्ञों का कार्यबल गठित करना।
- साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना।

5. नीति को क्रियान्वित करने की रणनीति के मद्देनजर स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय नोडल एजेंसी पदस्थापित की जाएगी।

6. निजी एवं सरकारी संगठनों को एक वरिष्ठ प्रबंधक 'मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी' (CISO-Chief Information Security Officer) के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (CERT-In) समन्वय की स्थापना।

8. साइबर स्पेस सुरक्षा पर समग्र राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ करना।

9. नीति का क्रियान्वयन एवं संचालन व्यापक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 (National Cyber Security Strategy 2020)

‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)’ ने अपने ‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक’ कार्यालय द्वारा एक ‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020’ पर कार्य किया जा रहा है।

‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020’ का उद्देश्य है कि:

1. साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता में सुधार लाने के लिए बेहतर ऑडिट प्रणाली का विकास करना जिससे आम आदमी की साइबर संबंधी जागरूकता बढ़

सके।

2. इसके तहत ‘साइबर ऑडिटर’ पदों को सूचीबद्ध किए जाने का भी प्रस्ताव है जो विभिन्न संगठनों तथा फर्मों के साथ व्यक्तियों की साइबर सुरक्षा का ख्याल रखेंगे जो कानूनी तथा नैतिक दोनों रूप से सही है।

रणनीति से संबंधित तथ्य

- (i) ‘साइबर हमले’ को नियमित मानते हुए इस संकट से ‘प्रबंधन’ को जोड़ा जाएगा तथा कई स्तर पर इसके लिए अभ्यास किया जाएगा।
- (ii) इस रणनीति के तहत ‘साइबर तत्परता सूचकांक’ की बात की गई है जो कि साइबर तत्परता सूचकांक की निगरानी करेगा।
- (iii) रणनीति 2020 के तहत साइबर सुरक्षा के लिए अलग बजट का सुझाव दिया गया है, इससे साइबर सुरक्षा के लिए कार्य करने में सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 की आवश्यकता

- आज के युग में विश्व के लगभग अधिकतर विकसित तथा महत्वपूर्ण रूप से चर्चित देशों के पास साइबर हमले से बचने के लिए कई तरह के निवेश किए गए हैं तथा भारत को भी अब इसकी प्रखर रूप से आवश्यकता है।
- कोरोना महामारी के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि अधिकतर सांठनिक कार्यों का डिजिटलीकरण किया जाए तथा प्रमुख रूप से इनमें संवेदनशील संगठनों यथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा वित्तीय सेवाओं से संबंधित संगठनों का डिजिटलीकरण जरूरी है।
- देखा जाए तो भारत में साइबर हमले की संख्या लाखों में पहुँचने के कारण इस रणनीति को बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है तथा 5G तकनीक से इंटरनेट के प्रयोग में भी इस रणनीति की आवश्यकता बढ़ गयी है।
- सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी व्यक्ति द्वारा साझा की गई तस्वीरों, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों को अनुचित रूप से शेयर करने से रोकने में इस रणनीति का लाभ मिल सकता है।

C. अन्य प्रयास

1. CERT-In— Computer Emergency and Response Team-India (CERT-in) की स्थापना 19 जनवरी 2004 को की गयी जो इलेक्ट्रॉनिक व सूचना तकनीक मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के अधीन कार्य करता है। इसका विजन भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा करना है। इसका मिशन भारत के संचार एवं सूचना की आधारभूत संरचना की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यवाही एवं प्रभावशाली सहयोग करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य देश के साइबर स्पेस को साइबर हमलों से बचना, साइबर हमले की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, क्षति व रिकवरी समय को कम से कम करना, साइबर हमलों के प्रति देश की कमजोरियों को कम करना, आम जन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना आदि है।

2. नेशनल साइबर को-ऑर्डिनेशन सेंटर: केन्द्रीकृत इंटरनेट स्कैनिंग एजेंसी— नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (National Cyber Co-ordination Centre-NCCC) भारत सरकार की बहु-एजेंसी निकाय है जो कि देश में साइबर सुरक्षा खतरों का वास्तविक समय मूल्यांकन (Real Time Assessment) करेगा तथा जिसके आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसिया सक्रिय कार्रवाई रिपोर्ट/ अलर्ट सृजित करेंगी।

यह भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के तहत कार्य करेगी। इसके पहले चरण के चालू होने की जानकारी अगस्त 2017 में संसद में दी गयी। यह एक प्रकार की संघीय इंटरनेट स्कैनिंग एजेंसी है जिसकी पहुंच सभी इंटरनेट खातों तक हो जिनमें ई-मेल एकाउंट भी शामिल हैं। किसी केन्द्रीकृत स्थान पर बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के विभिन्न स्रोतों से आने वाले आंकड़ों को संग्रह, समन्वित एवं स्कैन किया जाएगा तथा उस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी या अलर्ट भेजा जाएगा जिस पर आंतरिक बाह्य सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियाँ त्वरित कार्रवाई कर सके। साइबर सुरक्षा निगरानी पर यह देश का पहला स्तर (फर्स्ट लेयर) संगठन होगा तथा सरकारें व निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच संचार का एकमात्र जरिया यही होगा। सरकार की सभी प्रमुख गुप्तचर व तकनीकी एजेंसियाँ 1000 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली (NCCC) का हिस्सा होगी। यह एजेंसी केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा

परिषद् सचिवालय (NSCS), इंटेलीजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड अनालिसिस विंग (RAW), इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In), नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (NTRO), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), डीआईएआरए, थल सेना, वायु सेना तथा दूरसंचार विभाग, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंटरनेट की 24 घंटे निगरानी हेतु सरकार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की भी सेवा लेगी, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र या अन्य संगठनों के अनुभवों का भी फायदा उठाए जाने की योजना है।

3. पॉक्सो ई-बॉक्स— साइबर अपराध के शिकार बच्चों हेतु 23 जनवरी 2017 को POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) E-Box की शुरुआत की गयी।

साइबर अपराध के शिकार बच्चे अब अपनी शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पॉक्सो ई-बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। बच्चों के साथ साइबर अपराध में वृद्धि को देखते हुए एनसीपीसीआर ने अब पॉक्सो के दायरे को बढ़ा दिया है ताकि साइबर धमकी, साइबर तरीके से पीछा करना, चित्रों की मार्फिंग, बाल अश्लील साहित्य की समस्या से निपटा जा सके। साइबर अपराध के शिकार बच्चे स्वयं या उनके मित्र, माता-पिता, संबंधी या अभिभावक आयोग की वेबसाइट www.ncpcr.gov.in पर उपलब्ध ई-बॉक्स बटन को दबाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

4. साइबर स्वच्छता केन्द्र— 22 फरवरी, 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेटवर्क एवं इंटरनेट प्रणालियों को मालवेयर एवं बॉटनेट से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 'साइबर स्वच्छता केन्द्र-बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस' का शुभारंभ किया। यह उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 'डिजिटल इंडिया' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित साइबर स्पेस का सृजन करना है। इस केन्द्र का परिचालन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया (CERT-In) द्वारा किया जा रहा है। साइबर स्वच्छता केन्द्र बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर उपयोगकर्ताओं की प्रणालियों (Systems) को सुरक्षित रखेगा, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके।

5. साइबर अपराध प्रकोष्ठ (Cyber Crime Cells)— साइबर क्राइम के केसों को रिपोर्टिंग एवं जांच के

लिए राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में साइबर अपराध कोष की स्थापना तथा सीबीआई द्वारा मार्च 2000 में Cyber Crime Investigation Cell की स्थापना की गयी है।

6. साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण एवं अन्वेषण लैब— कानून प्रवर्तन तथा न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केरल, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर तथा जम्मू एवं कश्मीर में सरकार द्वारा साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण एवं अन्वेषण लैब (Cyber Forensic Training and Investigation Labs) की स्थापना की गयी है।
7. साइबर फॉरेंसिक लैब— साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रशिक्षण के लिए Data Security Council of India (DSCI) तथा National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) के साथ मिलकर मुंबई, बेंगलुरु, पूणे तथा कोलकाता में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गयी है।
8. राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) : गृह-मंत्रालय (भारत सरकार) के द्वारा यह सभी राज्यों को कहा गया है कि 'राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर गंभीर होकर उस पर प्राप्त शिकायतों को जांचे तथा 'एफ॰आई॰आर॰' के रूप में उसका पंजीकरण करें। इस पोर्टल की आवश्यकता इसलिए अधिक है कि अभी तक साइबर अपराध से जुड़े मामलों में सिर्फ 2.5% मामलों को ही एफ॰आई॰आर॰ के तौर पर बदला जाता है।
देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष साइबर अपराध से जुड़े हुए मामले भारत में 65% की दर से बढ़ रहे हैं तथा इस पर कोई भी गैर-सावधानी भारतीय डिजिटल हितों के लिए ठीक नहीं है।
इस पोर्टल के उपयोग से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपना धन प्राप्त करने में तथा पुलिस को साइबर अपराधी को पहचानने में मदद मिलेगी तथा उस पर कानूनी कारवाई हो सकेगी।
इस पोर्टल का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2018 ई॰ में किया गया था।
8. सेबी का निर्देश— सितंबर, 2017 में बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बड़े रजिस्ट्रारों एवं शेयर हस्तांतरित करने वाले एजेंटों

(Registrars to an Issue/Share Transfer Agents'-RTAs) को साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है। हाल ही में दुनिया भर में साइबर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सेबी द्वारा जारी ये निर्देश महत्वपूर्ण हैं:—

सेबी का निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदु

1. सेबी ने संवेदनशील प्रणाली तक पहुँच रखने वाले बाहरी कर्मचारियों की कड़ी जाँच का निर्देश दिया है।
2. सेबी का यह निर्देश 2 करोड़ से अधिक एजेंटों पर लागू होगा।
3. इस निर्देश के क्रियान्वयन के लिए 1 दिसम्बर, 2017 तक आवश्यक प्रणाली जुटा लिया गया है।
4. सेबी ने सुरक्षा प्रणाली की वार्षिक जांच के साथ, असामान्य गतिविधि या असामान्य ऑनलाइन लेन-देन की पहचान होते ही, चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
एक अनुमान के अनुसार भारत में चार में से केवल एक कंपनी ही साइबर हमलों के खतरे का आकलन करवाती है। बाकी के पास साइबर हमलों से निपटने की कोई योजना नहीं होती है। इससे भारत को गंभीर आर्थिक क्षति हो रही है।
9. भारत-जापान साइबर और ग्रीन आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग— 4 दिसम्बर, 2014 को भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा, हरित क्रांति और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया। भारत-जापान ने संयुक्त कार्य समूह की नई दिल्ली में आईटीसी पर आयोजित बैठक के बाद अपने निर्णय की घोषणा की।
भारत का 'संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Ministry of Communication and Information Technology-MCIT) और जापान का 'आंतरिक मामले और संचार मंत्रालय' (Ministry of Internal Affairs and Communication- MIAC) दोनों देशों औद्योगिक भागीदारी को शामिल करके इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की गतिविधियों में सहयोग करेंगे।
दोनों देशों ने भविष्य में सहयोग के लिए, आईसीटी के क्षेत्र में मानकों के विकास पर आगे विचार-विमर्श करने का निर्णय भी लिया। भारत ने देश में विनिर्माण के लिए नए अनुकूल माहौल का लाभ उठाते हुए

जापान से आईसीटी उपकरणों का भारत में निर्माण करने की पेशकश भी की।

इस घोषणा के अनुसार दोनों देश पांच अलग-अलग परियोजनाओं में सहयोग करेंगे—

- ग्रीन आईसीटी: ग्रीन मोबाइल आधारित स्टेशन परियोजना।
- साइबर सुरक्षा सहयोग: जापान-भारत संयुक्त स्पैम परियोजना।
- आपदा प्रबंधन के लिए आईसीटी: आपदा प्रभावित क्षेत्रों की परियोजना में आईसीटी का उपयोग।
- साइबर हमलों के लक्षणों का पता लगाने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सहयोग परियोजना।
- सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के लिए आईसीटी का अनुप्रयोग: राष्ट्रीय पहचान अनुप्रयोग और उपयोग मंच परियोजना। जापान के अलावा 2013 ई० में भारत का दक्षिण-कोरिया के साथ साइबर सुरक्षा के मामले में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

10. इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर: गुलशन राय कमेटी रिपोर्ट, 2015— साइबर अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु गृह मंत्रालय ने गुलशन राय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन 24 दिसंबर 2014 में किया था। विशेषज्ञ समिति ने सितंबर माह में सौंपी अपनी रिपोर्ट में साइबर अपराध से निपटने के लिए इसी को समर्पित एक निकाय 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (Indian Cyber Crime Coordination Center-I4C) गठित करने की सिफारिश की है। यह निकाय साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को आसान बनाने के अलावा नए तरीके से साइबर अपराधों की निगरानी, विश्लेषण तथा सामना करेगा। इस निकाय को गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के तहत गठित किया जाएगा। यह निकाय 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम' (Crime and Criminal Tracking and Network System-CCTNS) तथा नैटग्रिड के द्वारा राज्य पुलिस के संपर्क में रहेगा। सीसीटीएनएस देश भर में फैले 15,000 पुलिस स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है:—

- विशेषज्ञ समिति ने इसके अलावा कई अन्य उपायों के

भी सुझाव दिए हैं जिस पर कार्यवाही की जा सकती है। मसलन साइबर क्राइम के उत्पीड़ितों विशेषकर महिलाओं को ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना, विश्लेषण का विकास, इंटरनेट बैंकिंग जालसाजी व जाली पहचान जैसे नए तरीके के साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता फैलाना, बाल पोर्नोग्राफी व साइबर बुलिंग जैसे अपराधों की निगरानी, साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी व क्षमता निर्माण।

- समिति ने सरकार को विदेशी सर्वरों पर निर्भरता कम करने का सुझाव दिया है। साथ ही सभी सरकारी संचारों के दौरान सुरक्षित गेटवे सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (Indian Evidence Act-1872) में संशोधन करना पड़ेगा। इसमें वर्ष 2000 में भी संशोधन किया गया था परन्तु तब पर्सनल कंप्यूटर का जमाना था जबकि आज मोबाइल फोन व क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है। इसलिए उसमें बदलाव की जरूरत है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(B)(2) के अनुसार 'न्यायालय में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तभी स्वीकार्य है जब वह उस संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित हो जिसका कंप्यूटर है। कंप्यूटर से सृजित किसी भी प्रकार के साक्ष्य के साथ प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होता है। व्हाट्सएप्प व अन्य मैसेंजर सेवाओं जैसी मोबाइल आधारित वेब एप्लिकेशन पर यह लागू नहीं होता। इसलिए साक्ष्य अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ेगी।

“साइबर सुरक्षित भारत” पहल

इसका आरंभ 2018 ई० में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। 'साइबर सुरक्षा पहल' एक जरूरी सरकारी पहल है जिसके द्वारा सभी सरकारी तंत्रों, विभागों तथा कर्मचारियों में साइबर सुरक्षा के उपायों हेतु क्षमता निर्माण करने एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।

‘साइबर सुरक्षित भारत’ का परिचालन तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा:

1. जागरूकता
2. शिक्षा
3. सक्षमता

- 'साइबर सुरक्षित भारत' के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम' सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों पर कार्यक्रम की एक श्रृंखला तथा साइबर खतरों को प्रबंधित करने तथा इनमें कमी लाने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी 'टूल-किट' देने तथा अधिकारियों को इसके लिए सक्षम करने का कार्यक्रम है।

साइबर अपराध रोकने में केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमिका

1. साइबर अपराध की रोकथाम के लिये सरकार तथा पुलिस का दायित्व न्यायिक प्रक्रिया में तीव्रता लाना- साइबर अपराधी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी की तीव्रता एवं व्यापकता के कारण अपराध कर विलुप्त हो जाते हैं जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाती। इस कारण ऐसे अपराधों के न्यायिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने तथा दिये गये प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। तभी सही समय पर साइबर अपराधी को कानून के दायरे में लाकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा सकता है और उन्हें उचित दंड दिलाया जा सकता है।
2. आकस्मिक योजना की आवश्यकता- साइबर अपराधी से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना की महती आवश्यकता है। इस प्लान में कुछ कार्यों का समावेश किया जा सकता है जो स्वतः उपयोगी सिद्ध होंगी।
3. नेटवर्क सुरक्षा पर ध्यान देना- देश में ई-कार्मस और ई-गवर्नेंस का दौर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के लागू हो जाने से काफी बढ़ा है इसके साथ साइबर अपराधों में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी तक यह देखने को मिला है कि कम्प्यूटर तकनीकी प्रणालियों का संचालन करने वाली कम्पनियाँ अपने नेटवर्क की सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दे रही है जिसकी अति आवश्यकता है। यदि इन्टरनेट पर धोखा-धड़ी और जालसाजी की घटनाएं बढ़ती हैं तो इस प्रौद्योगिकी के उपयोग की सम्भावनाएं बढ़ने के बजाए कम होने लगेंगी। इसलिए नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च को उचित महत्व दिया जाए। इसके लिए पुलिस तथा जाँच एजेंसियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस दिशा में भारत में CERT-In की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70-ख में की गयी है।

4. राष्ट्र की सुरक्षा तथा सम्प्रभुता- देश की एकता तथा अखंडता के लिये सरकार का कार्य है कि वह किस वेबसाइट के खिलाफ कार्यवाही करती है और कब करती है। इसका निर्धारण सरकार देश की अखंडता तथा प्रभुसत्ता को ध्यान में रखकर करती है।
5. इंटरपोल की सहायता लेना- साइबर अपराधी से निपटने के लिए इंटरपोल की सहायता ली जा सकती है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र को भी एक अन्तर्राष्ट्रीय साइबर नियमावली बनानी होगी जो दुनिया के समस्त देशों में लागू की जा सकती है। भौगोलिक सीमाओं से परे सभी देशों को एक सहयोगात्मक मानसिकता का विकास करना होगा।
6. देशों के बीच आपसी समझौता- साइबर अपराध के सम्बन्ध में एक मुख्य विशेषता पायी जाती है कि ये किसी देश की सीमा में आबद्ध नहीं होते बल्कि सम्पूर्ण विश्व में इनकी पैठ बनी रहती है ये अपराधी कहीं भी किसी भी जगह से व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं से भी चलते-फिरते कभी भी ये अपराध किये जा सकते हैं। इसलिए इन अपराधों से निपटने के लिए एक-दूसरे देशों के बीच आपसी समझौता, प्रत्यार्पण तथा ढूंढने में सहयोग की भावना बननी चाहिए। इस मामले में भारत का अभी तक 125 देशों से प्रत्यार्पण समझौता हो चुका है।

साइबर सुरक्षा हेतु सुझाव

संचार समाज बहुत ही विस्तृत एवं विजातीय है, इसमें शामिल हैं जो ऑपरेटर, वेंडर सेवा प्रदाता एवं इंटरप्राइजेज (जिसमें उद्योग से जुड़े संस्थान), मल्टी नेशनल कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने वाले संस्थान। इससे यह पता चलता है कि यह नेटवर्क काफी विस्तृत होता जा रहा है और यह अब काफी जटिल रूप ले चुका है, क्योंकि इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार के डाटा संग्रहित होते हैं और इन डेटाबेसों का उपभोग सरकारी स्तर पर या कम्पनी के आंतरिक स्तर पर गोपनीय उपभोग के लिए ही होता है, अतः इनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

उपभोक्ता एवं इंटरप्राइज को अपने डिवाइस, सेवा एवं संचार नेटवर्क को सुरक्षित रखना जरूरी होता है ताकि साइबर हमले से इसे नुकसान न पहुँचाया जा सके। इन स्थानों की सुरक्षा के लिए इनके निर्माण में लगे संस्थानों को यंत्रों की सुरक्षा सेवा प्रदाता संस्थान की सुरक्षा एवं इनके आकड़ों की सुरक्षा का अतिरिक्त दबाव बना रहता है। इन संस्थानों के किसी एक स्तर की सुरक्षा अन्य पर नहीं डाली जा सकती

क्योंकि संचार संजाल में हर स्तर की सुरक्षा अति विशिष्ट होती है। इसलिए इन सभी संस्थानों की जिम्मेदारी होती है कि वह साथ रहकर इसकी सुरक्षा करें। इसके लिए जरूरी सुझाव निम्नलिखित हैं:-

- स्वदेशी व भरोसेमंद तकनीकों का विकास एवं प्रयोग— दूरसंचार व सूचना तकनीक के क्षेत्र में नित नए खोज व आविष्कार हो रहे हैं। नई तकनीक नए तरह के खतरों को भी ला रही है। इस प्रकार के वातावरण में विदेशी तकनीक खासकर आक्रामक देशों (जैसे-चीन) की तकनीक या उपकरणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए चीन द्वारा बनाए गए कुछ उपकरणों में ऐसे एप्लिकेशन डाले गए थे जो सीधे मातृ देश चीन को सूचनाएं भेजते थे (चीनी कंपनी ZTE द्वारा बनाए गए उपकरण)। इसके तहत 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत बनाए गए विभिन्न तकनीकों को विकसित करना तथा 'स्वदेशी एप्लिकेशन' को भी बनाना शामिल है।

अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एन. श्री कृष्ण की अध्यक्षता में साइबर संरक्षण से जुड़ी समस्याओं एवं इनमें समाधान के लिए 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गयी।

27 जुलाई 2018 को इस समिति के द्वारा Meity (Ministry of Electronics and Information Technology) को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया गया। समिति ने रिपोर्ट के साथ निजी डेटा प्रोटेक्शन पर एक ड्राफ्ट बिल भी सौंपा। डेटा संरक्षण रिपोर्ट का शीर्षक 'A Free or Fair Digital Economy-protecting privacy, Empowering Indians' है। इस समिति के द्वारा की गयी अनुसंधान निम्नलिखित हैं:-

1. डेटा की प्रोसेसिंग (इकट्ठा करना, रिकार्ड, विश्लेषण आदि) स्पष्ट (Clear) सउद्देश्य एवं कानूनी तरीके से होना चाहिए। जिस डेटा की किसी खास कार्य के लिए आवश्यक है, वह डेटा ही इकट्ठा किया जाना चाहिए। डेटा कलेक्ट करने का उद्देश्य समाप्त होने पर व्यक्तिगत डेटा को मिटा दिया जाये।
2. डेटा प्रोसेसिंग कम से कम होना चाहिए तथा उसी उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए जिसके लिए उसे माँग गया है।
3. बदलती तकनीक को ध्यान में रखते हुए कानून भी परिवर्तनशील होना चाहिए। डेटा संरक्षण से संबंधित कानून सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू करना चाहिए।

4. डेटा वास्तविक होना चाहिए एवं जिससे डेटा लिया जा रहा है उसे पूरी सूचना दी जानी चाहिए जिस व्यक्ति का डेटा प्रोसेस किया गया है, उसे प्रोसेसिंग प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें डेटा की पुष्टि करने उस तक पहुँचने और सुधार करने का अधिकार शामिल है।
5. डेटा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
6. केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा अच्छे प्रकार के लिए व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है।
7. व्यक्तिगत डेटा को भारत स्थित सर्वर पर ही स्टोर किया जायेगा। किसी क्रांतिक (Critical) व्यक्तिगत डेटा को केवल देश के अंदर ही प्रोसेस किया जायेगा।
8. संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (जैसे पासवर्ड, व्यक्तिगत डेटा, धर्म, जाति आदि) को प्रोसेस करने के लिए उस व्यक्ति की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होगी।
9. 'डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी' की स्थापना जो डेटा संरक्षण से संबंधित कानून एवं अधिकार को लागू करने के लिए नियामक संस्था होगी। यह किसी प्राप्त शिकायतों की जाँ करने में सक्षम होगी।
10. डेटा संरक्षण को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति या संस्था को गलत कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।
11. UIDAI की स्वायत्तता को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बेहतर डाटा संरक्षण संभव हो सके।

- बड़ी-बड़ी सेवा प्रदाता कंपनियों के सर्वर भारत में स्थापित करवाना— बड़ी-बड़ी सेवा प्रदाता कंपनियों के सर्वर भारत के बाहर होने से निगरानी व्यवस्था कमजोर होती है। साथ ही देश की कानूनी एजेंसियों को किसी घटना की पड़ताल करने एवं सबूत जुटाने में भी काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि विदेशों में स्थापित सर्वरों पर वहां का कानून लागू होता है। अतः कंपनियां भारतीय कानून व्यवस्था की अनदेखी कर देती हैं।
कानूनी एजेंसियों की, सभी सूचना एवं आंकड़ों तक पहुँच आधिकारिक रूप से होनी चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए एक Proper Mechanism होना चाहिए, जो इसकी सुरक्षा के लिए Authentic एवं Authorise हो।
- विदेशों से साइबर सुरक्षा एवं जानकारी प्राप्ति हेतु समझौते— आजकल साइबर अपराध का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। दूर देशों में बैठे अपराधी साइबर हमले करते हैं। अतः इनकी रोकथाम व रिपोर्टिंग के लिए अन्य देशों से सूचना आदान-प्रदान व साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक समझौते करने चाहिए। इन समझौतों के तहत डिजिटल रूप से एक-दूसरे देश

को मदद करने के अलावा इंटरनेट मनी ट्रांसफर तथा 'अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स समूह' को नियंत्रित तथा नियमन के अंतर्गत लाना भी है।

- नए कानूनों की आवश्यकता— साइबर अपराधों के बदलते जटिल स्वरूप के कारण नए कानूनों की आवश्यकता है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार एवं मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे भी उल्लेखित हों।
- आसान व प्रभावी सुरक्षा तंत्र का विकास— सुरक्षा तंत्र ऐसा हो कि इसे कम समय में ही तैयार कर लिया जाए एवं सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द हो सके।

सभी संचार संजाल सुरक्षित हो इसके लिए सुरक्षा की व्याख्या अवश्य ही होनी चाहिए। अतः इसके क्रियान्वयन के लिए न सिर्फ तकनीकी हल की आवश्यकता है, बल्कि प्रक्रिया एवं प्रक्रियात्मक जाँच और लगातार इसकी ऑडिटिंग एवं इसके गुणात्मक सुधार के उपाए भी किए जाने चाहिए।

- जाँच एवं रिकवरी के लिए क्षमता निर्माण— जाँच एजेंसियों तथा अधिकारियों को सभी प्रकार की आवश्यकता, आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें गतिशीलता, संयोजकता तथा तकनीकी सभी प्रकार की सुविधाएँ सम्मिलित होनी चाहिए। किसी नए तरीके के अपराध का वैज्ञानिक तरीके से निपटारे के लिए भी क्षमता निर्माण होना चाहिए।
- जागरूकता का प्रसार— ज्यादातर साइबर क्राइम जागरूकता के अभाव के कारण होते हैं। जागरूकता फैलाने के नए तरीकों को प्रोत्साहन देना होगा। जैसे— सर्विस प्रोवाइडर द्वारा वार्निंग संदेश आदि। कई बार लोग अनजाने में भी अपराध कर बैठते हैं। यदि अपराधों के प्रकार और उसके लिए दण्ड समय-समय पर स्क्रीन या प्रदर्शित हों तो कुछ हद तक अपराधों में कमी आ सकती है।
- सजा के प्रावधानों को कठोर करना— साइबर अपराधों के लिए सजा इतनी हो कि न केवल यह बचाव के काम आए, बल्कि उदाहरणीय भी हों, जिससे अन्य लोग साइबर क्राइम के दुष्साहस करने को हतोत्साहित हों।
- साइबर बेंच का न्यायपालिका में गठन— ग्रीन बेंच की तरह साइबर अपराधों के मामलों को जल्दी व विशेषज्ञतापूर्ण निपटारे के लिए एक साइबर बेंच का भी गठन किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाइकोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा साइबर अपराध पर अब नियमित रूप से सुनवाई भी होने लगी है।

- प्रशिक्षण— जाँच एजेंसियों, ऑफिसरों, न्यायिक अफसरों तथा वकीलों के लिए समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इन अपराधों की समुचित जांच, बहस व सुनवाई हो सके।

साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें

इंटरनेट का प्रयोग- क्या करें, क्या न करें

इंटरनेट पर जरा सी असावधानी से हम एक बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसलिये सभी इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जा सकता है—

1. इंटरनेट पर माँगी गयी सूचना के समय—
 - ID बनाते समय सभी सही जानकारी देनी चाहिये।
 - फर्जी ID अथवा गलत सूचना के साथ ID नहीं बनाना चाहिये।
2. इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी, भुगतान आदि के समय—
 - आपकी असावधानी से क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाया जा सकता है। अतः सदैव किसी प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही खरीदारी करें। डेबिट कार्ड के प्रयोग की जगह विशिष्ट इंटरनेट कार्ड का प्रयोग करें। ऑनलाइन की सभी रसीद, ई-मेल, प्रिन्ट आउट, डिलिवरी रसीद, वारन्टी आदि के कागजात संभाल कर रखें।
 - अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करते रहें।
 - सदैव किसी वेबसाइट पर जाने से पहले <http://> के स्थान पर <https://> लगाये।
 - साइबर कैफे या बाहरी कम्प्यूटर से खरीदारी न करें।
 - सदैव अपने कम्प्यूटर से खरीदारी करें।
 - भुगतान के समय अपना क्रेडिट कार्ड सदैव अपने-सामने स्वैप (Swap) कराये तथा कार्ड तुरन्त वापस लें तथा इस समय अपना 'PIN No.' किसी को नहीं दिखाएं।
 - किसी दूसरे व्यक्ति को अपना क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड न दें।
3. ए.टी.एम कार्ड प्रयोग करते समय—
 - PIN नम्बर सदैव गुप्त रखें और किसी दूसरे को न बतायें तथा PIN बदलते रहें।
 - कभी भी कार्ड पर PIN नम्बर न लिखें।
 - पैसा निकालते समय आसपास कोई बाहरी व्यक्ति

आपका PIN न देख पायें।

- ए०टी०एम० मशीन को पहले चेक कर ले कि कोई छुपा हुआ कैमरा तो नहीं लगा है।
- अपना PIN नम्बर कभी भी ई-मेल अथवा चैटिंग में न लिखें।
- एकाउंट सदैव चेक करें तथा रसीद नष्ट कर दें।
- पैसा निकालते समय किसी बाहरी की सहायता न लें।
- सदैव PIN नम्बर याद रखें।
- खोने या गिरने पर बैंक को सूचित करें।

4. सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे ऑर्कुट, फेसबुक आदि प्रयोग करते समय—

- अनजान व्यक्ति से न मित्रता करें और न ही अनजान व्यक्ति की मित्रता पर आग्रह स्वीकार करें।
- सदैव शिष्टता बनाये रखें एवं अच्छी भाषा का प्रयोग करें तथा अश्लील सामग्री को लोड करने से बचें।
- जिसे आप न जानते हों उसे जबरदस्ती कमेंट न भेजें।
- मित्रता स्वीकार करने से पहले यह देख लें कि कोई म्यूचुअल मित्र हैं या नहीं।
- अपने मित्र लिस्ट को सूचीबद्ध ग्रुप में बांट लें।

5. मोबाइल फोन का प्रयोग करते समय—

- IMEI जानने के लिये * (स्टार), (हैश) # 06 (हैश) # (*#06#) डायल करें तथा डिस्पले नम्बर नोट करके रख लें। इससे फोन खोने या चोरी होने पर मदद मिल सकती है। इसमें 'लोकेशन ऐप' भी ऑन रखा जा सकता है जो काम आ सकता है।

6. मोबाइल फोन हैकिंग से बचने के लिए—

- हैकर पहले एक SMS/MMS/e-mail भेजते हैं। इस SMS/MMS/email के साथ एक लिंक होता है या स्वयं इस मैसेज में वायरस/मालवेयर/ट्रोजन होता है। लिंक पर क्लिक करने से यह ऐसे साइट पर ले जाता है, जो प्रयोगकर्ता के बिना जानकारी के वायरस/मालवेयर/ट्रोजन डाउनलोड कर देता है। अगर मैसेज में ही वायरस/मालवेयर/ट्रोजन हो तो इन पर क्लिक करते ही इंफेक्टेड फाइल डाउनलोड हो जाती है। जो मोबाइल/सिस्टम को 'इंफेक्ट' कर देती है। और इससे सिस्टम आसानी से हैक हो जाता है। हैकर उपभोक्ता की सारी कॉल सुनते हैं, SMS पढ़ते हैं, तथा उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तथा फोटो आदि देखते हैं। इसके अतिरिक्त सारा

डेटा भी बदल देते हैं।

- इस सम्बन्ध में यदि उपभोक्ता को इसकी आशंका होती है तो टोल फ्री नं. = 1800110420 या 1963 डायल कर सकते हैं (भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अनुसार)।

भारत में संचार संजाल के माध्यम से
आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ : समसामयिक
तथ्य एवं घटनाक्रम

बिटक्वाइंस

बिटक्वाइंस (Bitcoins) एक डिजिटल करेंसी है। इसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो द्वारा किया गया। ये आम रूप से जैसे भौतिक रूप में नहीं होती है, बल्कि एक कंप्यूराइज्ड कोड के रूप में होती है। वो भी ऐसा कोड जिसे ऑनलाइन वॉलेट या कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके जरिए पूरे दुनिया में आपसी लेन-देन संभव है। इस पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं है।

दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण करेंसियों को इससे एक्सचेंज किया जा सकता है। बिटक्वाइंस को क्रिप्टोकरेंसी के नाम से भी जाना जाता है। बिटक्वाइंस की सबसे छोटी इकाई का नाम सतोशी है। यह अनाम, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। इसे 'आभासी' मुद्रा भी कहते हैं।

निर्गत प्रक्रिया

बिटक्वाइन निर्गत करने की प्रक्रिया को 'बिटक्वाइन माइनिंग' कहा जाता है। बिटक्वाइन माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कम्प्यूटिंग पावर का प्रयोग कर ट्रांजेक्शन प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। इसके लिए शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता ज्यादा हो। बिटक्वाइन माइन करने वाले को बिटक्वाइन माइनर कहते हैं।

बिटक्वाइंस के लाभ

इसका इस्तेमाल फिलहाल सीमित हैं, लेकिन कुछ शॉपिंग मॉल्स, डोनेशन, बिजनेस संबंधी एक्सचेंज में इसका प्रयोग हो रहा है। दरअसल, बिटक्वाइंस पर किसी एक देश या बैंक का नियंत्रण नहीं है। ऐसे में सरकार या बैंकों के किसी आर्थिक संकट में पड़ने पर इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। बिटक्वाइंस का लेन-देन पर्सन-टू-पर्सन होता है, लिहाजा बैंक या गेटवे सिस्टम को ट्रांजिशन फीस के तौर

पर मोटी रकम नहीं चुकानी पड़ती है। इसमें मनी ट्रॉसफर काफी आसान है। यह मेल भेजने जैसा ही है, जिसमें एक देश से दूसरे में मनी ट्रॉसफर किया जा सकता है। इसमें करेंसी डाइल्यूट करना या फर्जी कोड जेनरेट करना आसान नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के मुकाबले यह काफी सुरक्षित है।

इस्तेमाल प्रक्रिया

इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर पर बिटकवाइंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले के जरिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही बिटकवाइंस कोड या बिटकवाइंस एड्रेस मिलता है। इसके लेन-देन में इस कोड की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यह बैंक अकाउंट की तरह कार्य करता है। किसी को बिटकवाइंस रकम भेजने के लिए बिटकवाइंस एड्रेस होना अनिवार्य है।

बिटकवाइंस एटीएम

कनाडा में दुनिया के पहले बिटकवाइंस एटीएम की शुरुआत अक्टूबर 2013 में की गई। इस एटीएम के जरिए किसी भी आधिकारिक मुद्रा को बिटकवाइंस में एक्सचेंज किया जा सकेगा। इस एटीएम का संचालन वैंकूवर स्थित बिटकॉनिएक्स और नेवादा स्थित रोबोकॉइन द्वारा किया जाएगा।

बिटकवाइंस का भविष्य

अर्थशास्त्रियों ने बिटकवाइंस के कार्यान्वयन से जुड़ी कई खामियों को इंगित किया है क्योंकि यह व्यापक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं। नाकामोतो ने कहा कि केवल 21 मिलियन बिटकवाइंस का उत्पादन किया जाएगा, जबकि अब तक 50% से ज्यादा जारी कर दिए गए हैं। व्यापक उपयोग की स्थिति में यह अवस्फीति उत्पन्न करेगा। यह इसकी एक बड़ी समस्या है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उपयोग में वृद्धि का सामना यह किस रूप में करेगा। इसकी संभावना कम ही है कि यह भौतिक मुद्रा या क्रेडिट कार्ड की जगह ले जाएगा।

आर.बी.आई. की नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी बैंको सहित 'रेग्युलेटेड इंटीटिज' किसी भी प्रकार डिजिटल मुद्रा में सेवा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार के वित्तीय सेवा न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह वित्त मंत्री के बजट भाषण के समरूप जिसमें उन्होंने डिजिटल करेंसी को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता न देने की बात की थी एवं देश के आर्थिक सुरक्षा तथा

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया था। बिटकवाइंस से सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा साइबर सुरक्षा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1965 ई० में John McCarthy के द्वारा किया गया था। AI कंप्यूटर विज्ञान का ऐसा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया देने वाले बुद्धिमान मशीन का निर्माण किया जाता है। मशीन विभिन्न उपलब्ध सूचनाओं को ग्रहण कर सीखता है, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। इसके साथ ही मशीन को तर्कबुद्धि का प्रयोग कर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने, स्वतः सुधार करने आदि में सक्षम बनाया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भविष्य का एक कारगर हथियार माना जाता है जो बहुआयामी तौर पर लोगों की मदद कर सकता है।

AI का साइबर सुरक्षा में प्रयोग

AI का साइबर सुरक्षा के लिए प्रयोग संभावनाओं से भरा है। इसकी संभावनाओं के आधार पर अमेरिका (USA) के National Security Agency के निर्देशक माइकल रोजर्स AI को 'भविष्य के साइबर सुरक्षा की आधारशिला' कहते हैं। साइबर सुरक्षा में AI के प्रयोग को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं।

1. साइबर सुरक्षा कमियों तथा हमले के वाहकों की खोज- AI तथा मशीन लर्निंग के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को इतना सक्षम बनाया जा सकता है कि वह साइबर सुरक्षा की कमियों एवं हमलों की पहचान कर सके। इसके अंतर्गत परंपरागत तथा नए खतरों दोनों की पहचान की जा सकती है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया, जिसमें 'मेलेसियस इनपुट' प्राप्त कर कमियों की पहचान की गयी। अमेरिकी सुरक्षा विभाग (US Department of Defense) द्वारा project Voltron शुरू किया गया जो एक ऑटोनोमस सिस्टम है। अमेरिकी US मिलिट्री साइबर सुरक्षा सिस्टम को स्कैन करता है तथा कमियों (Vulnerabilities) को सुधारता भी है।
2. डिप फेक की पहचान- डिप फेक से तात्पर्य ऐसी जाली सामग्री (जैसे डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो आदि) से है जो असली की तरह दिखते हैं। कई बार

असामाजिक तत्वों के द्वारा इसी नकली जाली सामग्री का उपयोग कर गलत कार्य संपन्न किए जाते हैं।

AI का प्रयोग कर आसानी से डिप फेक की पहचान की जा सकती है एवं इससे संबंधित किसी भी गलत कार्य को होने से रोका जा सकता है।

3. अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा युक्ति तक आसान पहुँच- AI का साइबर सुरक्षा में प्रयोग ऑटोमेशन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही श्रम शक्ति की आवश्यकता प्रभावी रूप से कम हो जाएगी इसका परिणाम कम लागत पर अत्याधुनिक सुरक्षा युक्ति की उपलब्धि होगी। इस तरह छोटे संगठन एवं आम आदमी की इस तक पहुँच आसान हो पाएगी।
4. ट्रॉलबोट की पहचान- ट्रॉलबोट से तात्पर्य ऐसे बोट (Bote) से है जिसका प्रयोग सोशल मीडिया पर किसी 'इंटिटी' को ट्रॉल करने के लिए किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2016 तक ट्विटर पर 9 से 15 प्रतिशत प्रयोगकर्ता 'बोट' थे। ट्विटर के द्वारा Botometer API मशीन लर्निंग मॉडल का प्रयोग कर बोट की पहचान तथा ऐसे 'प्रयोगकर्ता बोट' के अकाउंट को निष्क्रिय किया गया।
5. डेटा प्राइवेसी तथा डेटा प्रोटेक्शन में वृद्धि- आज डिजिटल दुनिया में डेटा को 'Oil of Digital World' की संज्ञा दी जाती है। डेटा का प्रयोग कर कंपनियाँ, सुरक्षा एजेंसी, सरकार के विभिन्न विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा डेटा गलत हाथों में जाने पर आइडेंटिटी थैफ्ट, फिक्सिंग, वित्तीय जालसाजी आदि अपराध होते हैं। इन सभी अपराधों से बचाव का एक ही तरीका है और वह है 'डेटा की सुरक्षा में वृद्धि'। AI का प्रयोग कर कमियों की पहचान की जा सकती है। इसके साथ ही मशीन लर्निंग का प्रयोग कर किसी 'डेटा सिक्योरिटी ब्रीच' की घटना पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है।
6. लक्षित प्रचार (Targeted Propaganda) पर प्रभावी नियंत्रण- साइबर संसार का प्रयोग असामाजिक तत्वों के द्वारा अपने हित की पूर्ति हेतु लक्षित प्रचार के रूप में किया जाता है। यह किसी व्यक्ति संस्था, देश आदि के विरुद्ध होता है। यह फेक न्यूज के रूप में भी हो सकता है।

AI का प्रयोग एक तरफ साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाता है-वहीं असामाजिक तथा आपराधिक तत्वों द्वारा इसका प्रयोग चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। इसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है।

1. साइबर हमला में प्रयोग- आपराधिक तत्वों द्वारा AI का प्रयोग नए मालवेयर/कम्प्यूटर वायरस के विकास, सिस्टम की कमियों का पता लगाने, फिक्सिंग के नए तरीकों की खोज आदि में किया जा सकता है। यह साइबर सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों के लिए डेटा सुरक्षा पर संसाधनों को खर्च करने को मजबूर करता है। 'साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स' नामक संस्था के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में साइबर सुरक्षा व्यापार 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD) का था जो वर्ष 2021 में 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD) होने का अनुमान है जो साइबर सुरक्षा पर बढ़ते खर्च को दर्शाता है।
2. एजेंडा सेटिंग तथा एंजलिफिकेशन में- बोट का प्रयोग कई संस्थान कृत्रिम रूप में एजेंडा सेटिंग के लिए करते हैं क्योंकि जिस कॉन्टेंट को कोई व्यक्ति जितनी बार देखता है उतना ही उससे संबंधित प्रतिक्रिया भी देता है। एजेंडा सेटिंग तथा एंजलिफिकेशन तकनीक का प्रयोग 'ट्रॉल फार्म' के द्वारा अपने हित में गलत सूचना के प्रसारण में किया जाता है।
3. प्रोपेगेंडा यंत्र (Propaganda Tool) की तरह प्रयोग- AI का प्रयोग कर सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट की जाँच, उसमें भावात्मक कॉन्टेंट की पहचान की जाती है। वर्तमान में गूगल फेसबुक जैसे संस्था इसका प्रयोग लक्षित प्रचार (Targeted Advertisement) के लिए करते हैं। मगर इस तकनीक का प्रयोग व्यक्तियों की पसंद को जानने एवं Propaganda Tool की तरह प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हाल ही में फेसबुक के डेटा ब्रीच को लिया जा सकता है। जिसका प्रयोग कैंब्रिज एनालिटिका नामक फर्म द्वारा अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों के चुनाव में प्रोपेगेंडा टूल की तरह किया गया।
4. डिप फेक के निर्माण में- AI सिस्टम वर्तमान में इतने सक्षम हो गए हैं कि किसी व्यक्ति के पर्याप्त मात्रा में आवाज के नमूने उपलब्ध होने पर पूरी तरह से वास्तविक (उस व्यक्ति की लगने वाले) आवाज

उत्पन्न कर सकते हैं। यह वीडियो के बारे में भी सत्य है। ये आवाज या वीडियो इतने वास्तविक होते हैं, जो किसी आम आदमी को धोखा दे सकते हैं। डिप फेक का प्रयोग अपराधियों द्वारा ब्लैकमेल, परेशान करने, छवि बिगाड़ने आदि में किया जा सकता है।

5. व्यवहार से संबंधित डेटा का दोहन- ऑनलाइन प्लेटफार्म के प्रयोग के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है, इस उत्पन्न डेटा से मेटाडेटा प्राप्त होता है। Metadata का प्रयोग कर किसी व्यक्ति या समाज के व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। इस व्यवहार से संबंधित जानकारी का प्रयोग विभिन्न हित समूह एवं अपराधी AI की सहायता से काफी दक्षता से कर सकते हैं। डेटा प्राइवैसी से संबंधित उचित कानून के अभाव में उपरोक्त समस्या गंभीर हो जाती है।

आगे की राह

AI द्वारा उपलब्ध तकनीकी संभावनाएं भविष्य को आकार देने में सक्षम है। व्यक्ति, समूह, राष्ट्र के पास AI के प्रयोग तथा इसके विभिन्न प्रयोगों के प्रति प्रतिक्रिया देने के विकल्प उपलब्ध है। AI के उपयोगी एवं सार्थक प्रयोग को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से साइबर सुरक्षा में वृद्धि होगी। जरूरत है AI से संबंधित संतुलित नीति की ताकि देश में AI का विकास संभव हो सके। नीति आयोग द्वारा हाल ही में इस विषय पर परिचर्चा पत्र (Discussion Paper) लाया जाना एक अच्छी पहल है।

भारत के साइबर सुरक्षा नीति 2013 को बदलते समय एवं परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता है। आज AI, IOT, मशीन लर्निंग, मेटाडेटा के समय में व्यक्तिगत डेटा पर नए-नए युक्तियों पर हमले बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा नीति को महज 'स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल' से अलग साइबर सुरक्षा को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना चाहिए। इसके लिए साइबर सुरक्षा में दक्ष पेशेवरों के सर्वोत्कृष्ट स्तर एवं पर्याप्त संस्था को बनाये रखना (2017 के अंत तक लगभग 50,000 थी जो 2013 की साइबर सुरक्षा नीति के लक्ष्य का मात्रा 10 प्रतिशत थी), निजी-सार्वजनिक भागीदारी, नागरिक सेवा भागीदारी में वृद्धि तथा ज्यादा सहयोग आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

साइबर सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी

1. साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय- हाल में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों की वृद्धि को देखते हुए

इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने का संकेत दिया है। क्या है- यह यूरोपीय परिषद का साइबर अपराधों से संबंधित एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह कॉपीराइट के उल्लंघन संबंधी धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री तथा नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों का समाधान करता है। वर्तमान में इसके 56 सदस्य हैं।

भारत को इससे जुड़ने से लाभ- यह भारत के लिये साइबर अपराध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वृद्धि करेगा। इसके अतिरिक्त यह साइबर अपराध के विरुद्ध राष्ट्रीय कानून, नीति-निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करेगा तथा क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

2. लंदन प्रक्रिया- लंदन प्रक्रिया साइबर स्पेस या "GCCS" पर वैश्विक सम्मेलन को रेखांकित करता है। यह प्रक्रिया 2011 से चला आ रहा है तथा द्वि-वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित 'बहु-हित धारकों' की बैठकों की एक श्रृंखला रूप है। देखा जाए तो प्रत्येक साइबर स्पेस के वैश्विक सम्मेलन में सरकारें, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज द्वारा साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाती है तथा विभिन्न मानदंडों पर भी चर्चा होती है। 'लंदन प्रक्रिया' की चर्चा पहली बार ब्रिटिश विदेश सचिव विलियम हेग ने 2011 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में किया था।
3. साइबर सुरक्षा हेतु वैश्विक केन्द्र- इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा भविष्य में साइबर सुरक्षा हेतु एक थिंक टैंक तथा प्रयोगशाला के रूप में लॉन्च किया गया है।
4. पेरिस कॉल- यूनेस्को इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ने साइबर स्पेस के संरक्षण हेतु साझा सिद्धांतों के विकास हेतु इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सरकार, निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसायटी के मध्य साइबर सुरक्षा में सुधार हेतु एक सुदृढ़ बहु हितधारक दृष्टिकोण अपनाना है। इस पर 190 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे जिसमें 50 से अधिक राष्ट्र शामिल थे। भारत, अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

साइबर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय समसामयिकी

1. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)- इसकी स्थापना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के अधीन हवाई नियंत्रण,

नाभिकीय तथा अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने हेतु की गई है।

2. नवीन साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS)- प्रभाग इसका निर्माण साइबर खतरों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे साइबर अपराधों से निपटने हेतु किया गया है। इसके तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (IC4) तथा साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स की भी स्थापना की गयी है।
3. डिफेन्स साइबर एजेंसी- सैन्य साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु इसका गठन रक्षा मंत्रालय ने किया है।
4. CERT- Fin- वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु इसे अनन्य रूप से प्रारंभ किया गया है।
5. NIC- CERT- सरकार ने इस नये निकाय की स्थापना सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं पर होने वाले साइबर हमलों को रोकने तथा उनका अनुमान लगाने हेतु किया है।
6. सरकार और ट्विटर के बीच का विवाद- सरकार के तरफ से अपने सूचना एवं तकनीकी कानून 2000 का हवाला देकर 'ट्विटर' को यह कहा गया था कि वह आम जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए तथा निजी हितों को ध्यान में रखकर एक 'कम्प्लेंट सुनवाई' अधिकारी को नियुक्त करें। आरंभ में 'ट्विटर' इस पर तैयार नहीं थी तथा कई महीनों की रस्सा-कशी के बाद एक 'जन-शिकायत' सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति हो गयी है।

सरकार का कहना था कि ट्विटर को विभिन्न स्तर पर भारत की सामरिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए तथा विशेष रूप में भारत के 'आई०टी० नियम' का आदर करना चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद हुए दंगे में जो शिकायतें आ रही थीं, उनमें ट्विटर अकाउंट्स के द्वारा फैलायी गयी 'झूठे खबरों' को दंगा का एक कारण माना गया था।

ट्विटर के द्वारा हद उस समय कर दिया गया जब BJP नेताओं के एक पोस्ट को ट्विटर के द्वारा 'मैनपुलेटेड' मीडिया कह दिया गया।

सरकार की चेतावनी के बाद ट्विटर को पीछे हटना पड़ा तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के एकाउंट्स के 'वेरिफिकेशन' के साथ महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न स्तर पर अपने प्लेटफॉर्म में जन-शिकायतों को सुनने

का प्रावधान भी किया गया।

2023 के लिए साइबर खतरा पूर्वानुमान रिपोर्ट

हाल ही में बाराकुडा नेटवर्क्स, एक विश्वसनीय भागीदार और क्लाउड-फर्स्ट सुरक्षा समाधानों का अग्रणी प्रदाता है, ने 2023 में संगठनों हेतु साइबर खतरे की भविष्यवाणियों का खुलासा किया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में, भू-राजनीतिक संघर्षों ने यह याद दिलाया कि साइबर खतरों की कोई सीमा नहीं होती है और दुनिया साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में जिन शीर्ष साइबर खतरों के लिए संगठनों को तैयार रहने की आवश्यकता है, वे हैं-

रैंसमवेयर-वर्ष 2022 में रैंसमवेयर हमले व्यक्तियों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर देखे गए। इस साल वाइपरवेयर का इस्तेमाल c SA 2023 में, रूस से निकलने वाला यह वाइपरवेयर संभवतः दूसरे देशों में फैल सकता है। इस प्रकार, संगठन नई रणनीति के साथ रैंसमवेयर हमलों की आवृत्ति में वृद्धि का अनुभव करेंगे। = अधिक शून्य-दिन भेद्यताएँ: वर्ष 2022 में 21000 सामान्य भेद्यताएँ और जोखिम (CVE) पंजीकृत हुए, जिनमें से कई को 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था तथा कई हमलावरों द्वारा सक्रिय रूप से शोषण किया गया था। इन संगठनों को सॉफ्टवेयर को पैच करने और जल्द से जल्द सुधार करने के लिए एक टीम तैयार करने की आवश्यकता है।

वेब एप्लिकेशन अटैक- वेब एप्लिकेशन अटैक, जिनमें कमजोर तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को लक्षित करना भी शामिल है, के भी 2023 में एक महत्वपूर्ण खतरा होने की उम्मीद है। संगठनों के लिए अपने वेब एप्लिकेशन को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से उनका परीक्षण और अद्यतन कर रहे हैं।

आपूर्ति शृंखला पर हमला- 2022 दुनिया भर में बड़ी संख्या में हाई-प्रोफाइल घटनाओं के साथ आपूर्ति शृंखला हमले का वर्ष था जिसने अधिक हमलावरों को हमलावर कंपनियों में सबसे कमजोर कड़ी की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।

क्रेडेंशियल चोरी- ये क्रेडेंशियल ग्राहक डेटा संग्रहीत करने वाले रिमोट एक्सेस, ईमेल और कॉर्पोरेट वेब एप्लिकेशन के लिए द्वार खोलते हैं।

आईओटी में कमजोरियों का शोषण- जैसे-जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इन उपकरणों में कमजोरियों का शोषण एक महत्वपूर्ण खतरा होने की उम्मीद है। संगठनों के लिए अपने IoT उपकरणों को ठीक से सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है कि हमलों से बचने के लिए उन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। = भारत भी इन साइबर खतरों से अछूता नहीं है। सीईआरटी-इन के अनुसार जनवरी से नवंबर 2022 के बीच देश में 12,67,654 साइबर अपराध देखे गए। 2023 में, संगठनों को उनके आकार या उद्योग क्षेत्र की परवाह किए बिना हर तरह के साइबर हमले के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2022

केंद्र सरकार ने हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 के रूप में संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया

इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **सूचना तक लोगों की पहुँच:** यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में बुनियादी जानकारी तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिये।
- **डेटा प्रिंसिपल और डेटा न्यासी (Data Fiduciary):** इसमें डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। डेटा न्यासी एक ऐसी संस्था या इकाई (व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि) है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्य और माध्यम का निर्धारण करती है।
- **सहमति का अधिकार:** व्यक्तियों के डेटा को संसोधित करने से पहले उनकी सहमति लेना आवश्यक होता है। व्यक्तियों को डेटा फिड्यूसरी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार है।
- **नष्ट करने का अधिकार:** डेटा देने वाले के पास डेटा फिड्यूसरी द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मिटाने और सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।
- **अधिकार हस्तांतरित करने के रूप में किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार:** डेटा देने वाले को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो इसकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा।

- **डेटा संरक्षण बोर्ड:** इसमें विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। इसमें डेटा फिड्यूसरी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता, डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

- **नागरिकों की निजता की सुरक्षा:** इस विधेयक में डेटा देने वाले की पोस्टमॉर्टम प्राइवसी (सहमति वापस लेने) के अधिकार को मान्यता दी गई इस विधेयक में व्यक्तियों को प्रदान किये गए विभिन्न अधिकार जैसे डेटा को संसोधित करने से पहले सहमति लेना, डेटा फिड्यूसरी द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मिटाने और उसमें सुधार की मांग करने का अधिकार और विधेयक के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान आदि के.एस. पुट्टास्वामी मामला के अनुरूप हैं, जिसमें सर्वसम्मति से यह माना गया था कि भारतीयों के लिये निजता का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

- **सीमा पार डेटा स्थानांतरण:** यह विधेयक प्रभावी डेटा सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए डेटा के सीमा पार भंडारण एवं कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। सरकार यहाँ से भारतीयों के डेटा को प्राप्त कर सकती है।

कुल मिलाकर प्रस्तावित विधेयक सरल और लचीला होने के साथ प्रभावी कानून का एक अच्छा उदाहरण है जिसमें निजता के वैश्विक प्रतिमानों को शामिल कर सभी हितधारकों के हितों को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

साइबर की सुरक्षा के संदर्भ में सर्ट-इन (CERT-In) ने सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को साइबर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं को रिपोर्ट करने के साथ छह घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से सूचित करने के लिये कहा है।

CERT-In को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का अधिकार है।

CERT-In के निर्देश:

अनिवार्य रूप से लॉग्स को सक्षम बनाना: यह सभी सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों, कॉरपोरेट्स और सरकारी संगठनों को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) प्रणाली के लॉग्स को अनिवार्य रूप से सक्षम करने का

निर्देश देता है। सभी सेवा प्रदाताओं को 180 दिनों की रोलिंग अवधि के लिये लॉग्स को सुरक्षित रूप से बनाए रखना होता है, जिसे भारतीय अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा। यह लॉग किसी भी घटना की रिपोर्टिंग के साथ या कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के निर्देश पर CERT-In को प्रदान की जानी चाहिये।

सभी ICT प्रणालियों को जोड़ना और समक्रमिक (Synchronize) करना: यह सुनिश्चित करने के लिये कि घटनाओं की शृंखला समय-सीमा में सटीक रूप से परिलक्षित हो, सभी सेवा प्रदाताओं को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली से युक्त क्लॉक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) के नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP) सर्वर से जोड़ने और करने का निर्देश दिया गया है।

नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP) एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग TCP/IP-आधारित नेटवर्क पर विश्वसनीय रूप से सटीक समय स्रोतों को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर की आंतरिक क्लॉक को एक सामान्य समय स्रोत से समक्रमिक करने के लिये किया जाता है।

रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता: पाँच साल की अवधि के लिये KYC और वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु इसे वर्चुअल परिसंपत्ति, एक्सचेंज और कस्टोडियन वॉलेट प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) प्रदान करने वाली कंपनियों को ग्राहकों के नाम, ईमेल और आईपी पते भी पंजीकृत करने होंगे।

सर्ट-इन (CERT-In) द्वारा ऐसे पहल की आवश्यकता क्यों:

- **समस्या समाधान की बाधाएँ दूर करना:** यह साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने तथा विश्लेषण में बाधा संबंधी मुद्दों के मामले में मदद प्रदान करेगा।
- **प्रतिदिन अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना:** अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ गैर-भंडारण या डेटा की उपलब्धता और मध्यस्थों तथा सेवा प्रदाताओं के साथ उचित रिकॉर्ड के मामलों की पहचान की गई है।
- ये दिशा-निर्देश बनाये रखने के लिए तारीख के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करेंगे और CERT-In को सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की उचित रिपोर्टिंग करेंगे।

उपयोगकर्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना:

- अंतिम उपयोगकर्ता को यह जानने का अधिकार है कि क्या उनका डेटा लोड किया गया है ताकि कोई व्यक्ति लेन-देन की धोखाधड़ी, नकली ऋण, आईडी के दुरुपयोग आदि से अपनी रक्षा कर सके।
- सरकार को भी कंपनियों को घटना के 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिये बाध्य करना चाहिये।
- कई उपयोगकर्ता अभी भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनका केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और वित्तीय डेटा सुरक्षित है या नहीं।

डेटा सुरक्षा (Data Protection)

- डेटा स्थानीयकरण कानून ऐसे कानून होते हैं जो देश के नागरिकों के डेटा को एकत्रित, संसाधित और संग्रहीत करने के तरीके को निर्धारित करते हैं। भारत में डेटा स्थानीयकरण के नियमों के अनुसार, भारतीय नागरिकों का डेटा भारतीय भू-भाग में ही स्थित किसी केंद्र में संग्रहीत किया जाना अनिवार्य है।

भारत में डेटा स्थानीयकरण कानून के संबंध में कौन-सी नीतियों का अनुपालन किया जाता है?

- जहाँ भारत में टेलीकॉम कंपनियों को दिये जाने वाले लाइसेंस की शर्तों के तहत यह आवश्यक है कि टेलीकॉम कंपनियाँ अपने उपयोगकर्ता से संबंधित जानकारी को संग्रहीत करें। यह विशेषता केवल भारत सरकार की नहीं है बल्कि जर्मनी जैसे देशों ने भी अपने टेलीकॉम क्षेत्र में कुछ हद तक भारत जैसे ही प्रतिबंध आरोपित किये हैं।
- दूरसंचार के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में सीमित डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता होती है जैसे कि बीमा (बीमा से संबंधित नीतियों और दावों का विवरण केवल भारत में ही संग्रहीत किया जाता है), बैंकिंग (जहाँ कुछ मूल अभिलेखों को केवल भारत में ही बनाए रखने की आवश्यकता होती है, हालाँकि इसकी प्रतिलिपियों के बाह्य स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं है)।

डेटा स्थानीयकरण कानून (Data&Localisation Laws) पर भारत में नीतियाँ

- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा डेटा सुरक्षा पर की गई सिफारिशें
- इस समिति ने डेटा के सीमा पार स्थानांतरण और भंडारण पर रोक लगाने हेतु इससे संबंधित मानकों को सख्त करने का सुझाव दिया है।

- महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा, जिसे सरकार द्वारा अधि सूचित किया जाता है, को भारत में स्थित डेटा सेंटर में संग्रहीत और संसाधित किया जाना चाहिये।
- भारतीय कानून के तहत डेटा की सुरक्षा, उद्देश्य सीमा, भंडारण सीमा, डेटा सिद्धांतों से संबंधित नियमों का अनुपालन करते हुए व्यक्तिगत डेटा को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- प्रत्येक डेटा न्यासी/फिड्यूसरी (Fiduciary) को भारत में स्थित सर्वर या डेटा सेंटर पर किसी के भी व्यक्तिगत डेटा की कम-से-कम एक प्रति को संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त सिफारिशों के अलावा डेटा स्थानीयकरण के संबंध में निम्नलिखित नीतियाँ भी हैं:

- पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (ड्राफ्ट) बिल, 2018 (Personal Data Protection (Draft) Bill] 2018) के अंतर्गत सीमा पार डेटा हस्तांतरण को लेकर विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं।
- ई-कॉमर्स नीति के मसौदे में भी डेटा के सीमा पार स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है।

क्यों महत्वपूर्ण है डेटा का स्थानीयकरण?

- सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के वित्तीय एवं और व्यक्तिगत सूचनाओं को सुरक्षित करने एवं विदेशी निगरानी को रोकने तथा स्थानीय सरकारों और नियामकों को आवश्यकता के समय डेटा के प्रयोग का अधिकार देने के लिये।
- स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रहीत करने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी अपराध का पता लगाने या साक्ष्य इकट्ठा करने के लिये आवश्यक जानकारी का उपयोग करने में मदद मिलती है। समय के साथ बढ़ती प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता के द्वारा अपराधों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
- जहाँ डेटा का स्थानीयकरण नहीं होता है वहाँ जाँच एजेंसियों को जानकारी प्राप्त करने के लिये पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (Mutual Legal Assistance Treaties-MLATs) पर निर्भर होना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप जाँच-पड़ताल में विलंब होता है।
- श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ऑन-शोरिंग वैश्विक डेटा भी डेटा भंडारण और एनालिटिक्स के क्षेत्र में घरेलू नौकरियों और कौशल का सृजन कर सकता है।

कंपनियाँ डेटा भंडारण और स्थानीयकरण में असमर्थ

क्यों हैं?

- भारत में सेवाएँ प्रदान करने वाली छोटी कंपनियों के लिये मानदंडों का अनुपालन करना मुश्किल होगा। वास्तव में डेटा स्थानीयकरण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत में स्टार्ट-अप क्षेत्र को बढ़ावा देना भी है। लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सख्त मानदंड छोटी कंपनियों के लिये इसे काफी महंगा बना सकते हैं जिससे सरकार के उद्देश्य को पूरा करना संभव नहीं होगा।
- नीति निर्माताओं को विश्व स्तर पर सफल होने के लिये भारतीय उद्यमियों की परिवर्तनकारी शक्ति पर विश्वास करना चाहिये और इन उद्यमियों को गोपनीयता और डेटा प्रवाह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करना चाहिये।
- उच्च लागत- डेटा के स्थानीयकरण का कार्य कंपनियों के लिये उच्च लागत वाला है क्योंकि इसके लिये उन्हें सर्वर, यू.पी.एस., जनरेटर, भवन और कर्मियों सहित बहुत सी अन्य भौतिक एवं अवसंरचनात्मक लागतों को वहन करना पड़ेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी के लिये आधारिक संरचना: कंपनियों को लगता है कि भारत में अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी के लिये अनुकूल परिस्थितियों तथा आधारिक अवसंरचना का अभाव है। भारत में किसी भी बड़े ई-कॉमर्स व्यापारी हेतु कानूनी प्रावधानों के तहत यह लागत 10% से 50% के बीच हो सकती है।

डार्क वेब अथवा डार्क नेट

इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में किया जाता है।

डार्क वेब की साइट्स को टॉर (TOR-The Onion Router) एन्क्रिप्शन टूल की सहायता से छुपा दिया जाता है जिससे इन तक सामान्य सर्च इंजन से नहीं पहुँचा जा सकता। इन तक पहुँच के लिये एक विशेष टूल टॉर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एकल असुरक्षित सर्वर के विपरीत नोड्स के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए परत-दर-परत डेटा का एन्क्रिप्शन होता है जिससे इसके प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनी रहती है।

डार्क वेब की उपयोगिता:

- **गुमनामी और गोपनीयता:** वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में सरकार द्वारा जासूसी और डेटा संग्रह के बारे में बढ़ रही अनियमितताओं के कारण खुले समाज के व्यक्तियों को भी डार्क नेट के उपयोग में रुचि हो सकती है।
- यह मुखबिरों और पत्रकारों के लिये संचार में गोपनीयता बनाए रखने तथा जानकारी लीक करने एवं स्थानांतरित करने हेतु उपयोगी है।
- **नियंत्रण/सेंसरशिप से बचाव के लिये:** बंद समाज अत्यधिक नियंत्रण या सेंसरशिप का सामना कर रहे लोग डार्क नेट का उपयोग अपने समाज से बाहर के दूसरे व्यक्तियों के साथ संवाद के लिये कर सकते हैं।

डार्क वेब से संबंधित चुनौतियां

- **अवैध गतिविधियों की सुगमता:** डार्क नेट पर संचालित गतिविधियों का एक बड़ा भाग अवैध है। डार्क नेट एक स्तर की पहचान सुरक्षा प्रदान करता है जो कि सतही नेट प्रदान नहीं करता है।
- डार्क नेट एक काला बाजार की तरह है जहाँ अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं
- अपराधी वर्ग किसी की नजर में आने और पकड़े जाने से बचने के लिये अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से डार्क नेट की ओर आकर्षित हुए हैं। इसलिये यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कई चर्चित हैक और डेटा उल्लंघनों के मामले किसी-न-किसी प्रकार डार्क नेट से संबद्ध पाए गए हैं।
- डार्क नेट की अभेद्यता ने इसे ड्रग डीलरों, हथियार तस्करों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी संग्रहकर्ताओं तथा वित्तीय और शारीरिक अपराधों में शामिल अन्य अपराधियों के लिये एक प्रमुख जोन बना दिया है।
- यदि संभावित क्रेता की डार्क नेट पर ऐसी वेबसाइट्स तक पहुँच हो जाए तो इनके माध्यम से विलुप्तप्राय वन्यजीव से लेकर विस्फोटक सामग्री एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की खरीद की जा सकती है।
- सिल्क रोड मार्केटप्लेस नामक वेबसाइट डार्क नेटवर्क का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिस पर हथियारों सहित विभिन्न प्रकार की अवैध वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री की जाती थी। यद्यपि इसे वर्ष 2013 में सरकार द्वारा बंद करा दिया गया किंतु इसने ऐसे कई अन्य बाजारों

के उभार को प्रेरित किया।

- सक्रियतावादियों और क्रांतिकारियों द्वारा डार्क नेट का उपयोग अपने संगठन के लिये किया जाता है जहाँ सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों की निगरानी या उन्हें पकड़े जाने का भय कम होता है।
- आतंकवादियों द्वारा डार्क नेट का उपयोग साथी आतंकवादियों तक सूचनाओं के प्रसार, उनकी भर्ती और उनमें कट्टरता का प्रसार, अपने आतंकी विचारों के प्रचार-प्रसार, धन जुटाने तथा अपने कार्यों व हमलों के समन्वय के लिये किया जाता है।
- आतंकवादी बिटकॉइन एवं अन्य क्रिप्टोकॉरेंसी जैसी आभासी मुद्राओं का उपयोग करके विस्फोटक पदार्थों एवं हथियारों की अवैध खरीद के लिये भी डार्क नेट का उपयोग करते हैं।
- सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हैकिंग और धोखेबाजी में शामिल व्यक्ति डार्क वेब पर चर्चा मंचों के माध्यम से पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण और औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली तक पहुँच की पेशकश करने लगे हैं जो विश्व भर के महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक नेटवर्कों की सुरक्षा के लिये बड़ी चुनौती हो सकती है।
- पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, तेल रिफाइनरियों और रासायनिक संयंत्रों जैसी सुविधाओं के संचालन के लिये किया जाता है इसलिये यदि साइबर अपराधियों को इन प्रमुख नेटवर्कों तक पहुँच प्राप्त हो गई तो इसके परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं।

निष्कर्षतः वित्तीय क्षेत्र में क्रिप्टोकॉरेंसी के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह संभव है कि भविष्य में प्रतिदिन के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिये भी डार्क नेट सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाएगा। वहीं अपराधियों के लिये पहचान और गतिविधियों को गुप्त रखने का माध्यम होने के साथ यहाँ पूर्ण गोपनीयता की गारंटी नहीं है। डार्क नेट द्वारा उत्पन्न खतरों से निपटने के लिये दुनिया भर की सरकारों को अपने साइबर सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करना चाहिये तथा विश्व भर के साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिये सरकारों को खुफिया जानकारी, सूचना, तकनीकी और अनुभवों को साझा करते हुए एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिये। भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पर पर्याप्त निवेश करना चाहिये।

साइबरडोम (Cyberdome)

केरल पुलिस ने इंटरनेट की डार्कनेट (Dark Net) जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु सॉफ्टवेयर को सक्षम करने के लिये एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना की है।

- डार्क नेट की चौबीस घंटे निगरानी के लिये चार विश्लेषकों के समूह को प्रशिक्षित और तैनात किया गया है।
- इजराइल के विशेषज्ञों द्वारा 14 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि देश में डार्क नेट पर नजर रखने हेतु विशेषज्ञता का अभाव है।
- केरल साइबरडोम की स्थापना करने वाला पहला राज्य था इससे प्रेरित होकर असम ने भी साइबरडोम की स्थापना की है।
- साइबरडोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है, जो साइबर सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी संवर्द्धन के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग (Policing) में सक्षमता प्रदान करता है।
- यह सक्रिय रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीक युक्त सार्वजनिक-निजी साझेदारी केंद्र है।
- साइबरडोम देश के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, अनुसंधान समूहों, गैर-लाभकारी संगठनों, समुदाय विशेष के विशेषज्ञों, नैतिक (Ethical) हैकर्स के मध्य सामूहिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है।

साइबरडोम (Cyberdome) के कार्य:

- साइबरडोम ने साइबर निगरानी उपकरण (Cyber-Surveillance Tools) का विकास किया है, जो औद्योगिक जासूसी (Industrial Espionage) के लिये जिम्मेदार लोगों का पता लगाएगा जिससे उन्हें अपराधी घोषित किया जा सकेगा।
- डार्कनेट पर बढ़ते आपराधिक गतिविधियों की जाँच और इन गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु सॉफ्टवेयर को सक्षम बनाने के लिये एक अत्याधुनिक लैब का निर्माण किया गया है।
- ब्लू व्हेल (Blue whale) जैसे ऑनलाइन गेम के विरुद्ध प्रचार करना। साइबरडोम ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की घटनाओं को कम करने के लिये गुप्त साइबर निगरानी और घुसपैठ कार्यक्रम (Covert Cyber Surveillance

and Infiltration Programme) शुरू किया है।

- साइबरडोम ने सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering) का इस्तेमाल कट्टरपंथी समूहों की निगरानी करने के लिये किया है जो चरमपंथी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

डेफकनेक्ट 2.0

रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2.0 (DefConnect 2-0) के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC 6) लॉन्च किया।

डेफकनेक्ट 2.0 रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिये स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों तथा सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक साथ लाने हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम है।

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence and Security) के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप/व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप/MSMEs/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।

पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) 4 अगस्त, 2018 को बंगलूरु में लॉन्च किया गया था।

इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) हमारे देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी भारत सरकार की प्रमुख पहल है।

कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप, भारतीय कंपनियाँ और व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्ता (अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित) भाग ले सकते हैं।

DISC 6 में पहली बार नवगठित सात रक्षा कंपनियों, भारतीय तटरक्षक बल और गृह मंत्रालय के अधीन संगठनों की भागीदारी देखी गई।

iDEX नवाचार

iDEX वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी रूप से उन्नत समाधान देने हेतु नए अन्वेषक और

उद्यमियों को शामिल करके रक्षा व एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा।

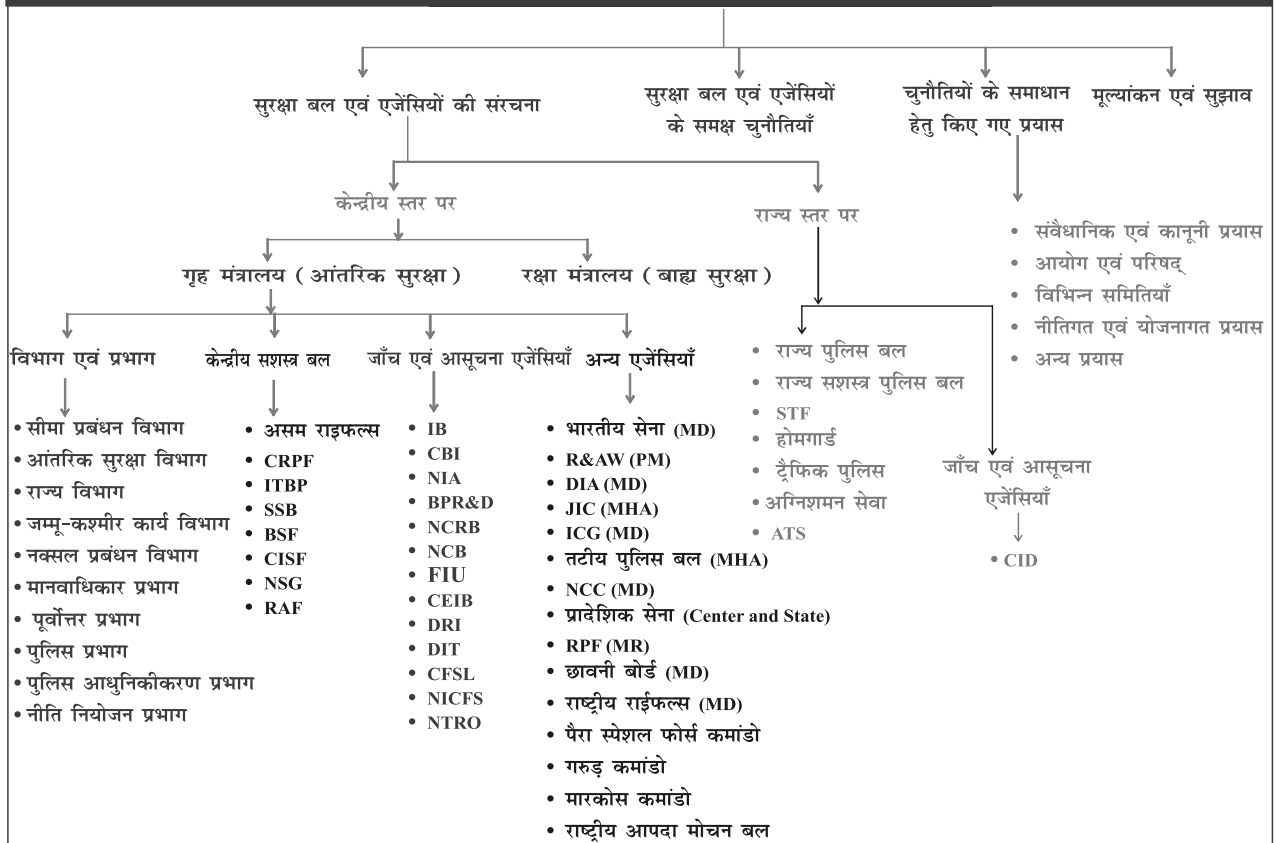
मुख्य उद्देश्य:

- **नवाचार:** सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उन्नत स्टार्टअप संस्कृति का निर्माण करना।
- **स्वदेशीकरण:** नई, स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास।
- यह अनुसंधान और विकास के लिये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs), स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों व शिक्षाविदों को अनुदान प्रदान करता है।
- 'iDEX प्राइम' का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्टार्टअप की मदद के लिये 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है।
- iDEX को 'रक्षा नवाचार संगठन' द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित किया जाता है।
- iDEX पोर्टल को व्यापक प्रचार और बेहतर दृश्य क्षेत्र प्रदान करने एवं iDEX गतिविधियों के बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों से अधिक कुशल तरीके निपटने के लिये लॉन्च किया गया है।

भारत में संचार संजाल के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ : संभावित प्रश्न

1. संचार क्षेत्र में नित नए आविष्कार के परिप्रेक्ष्य में, भारत में, संचार संजाल के माध्यम से उत्पन्न हो रही सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाएँ।
2. साइबर अपराध की रोकथाम में पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। साइबर अपराध में पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपायों को सुझाएँ।

भारत में सुरक्षाबल एवं संस्थाएँ और उनके अधिदेश



सुरक्षा भारत सरकार का एक प्रमुख विषय है जिसको दो भागों में बांटकर क्रियावित किया जाता है- बाह्य सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा का कार्य मुख्यतः रक्षा मंत्रालय के अधीन तथा आंतरिक सुरक्षा का कार्य मुख्यतः गृह मंत्रालय के अधीन संचालित किया जाता है।

संघीय व्यवस्था के रूप में भारत अपने राज्यों को आंतरिक सुरक्षा की संवैधानिक स्वतंत्रता देता है तथा पुलिस राज्य का विषय है परन्तु विधिक तथा सुरक्षा की दृष्टिकोण से केन्द्र एवं राज्य की सुरक्षा एजेंसियाँ मिलकर कार्य करते हैं।

केन्द्र स्तर पर सुरक्षा बल एवं एजेंसियों की संरचना

केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

भारत में गृह मंत्रालय अनेक कार्यों का निर्वहन करता है जिसमें आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना सर्वप्रथम है। यद्यपि

भारतीय संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है, परन्तु संविधान का अनुच्छेद-355 यह विनिर्दिष्ट करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। गृह मंत्रालय भारत में शांति और सौहार्द, व्यक्ति के विकास व उन्नति तथा सामाजिक आकांक्षाओं और एक शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न प्रयास करता है:-

- आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों यथा उग्रवाद, विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद एवं आतंकवाद को समाप्त करना।
- सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना।
- कानून का शासन लागू करना
- समाज को अपराधमुक्त वातावरण प्रदान करना।
- मानवाधिकार सिद्धांतों को कायम रखना।
- प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना तथा वृहत् स्तर पर उनका प्रबंधन करना

गृह मंत्रालय अपने अधीन कार्यान्वित निम्न विभागों एवं प्रभागों के माध्यम से उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है:-

सीमा प्रबंधन विभाग

(Department of Border Management)

अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसे आधारभूत कार्य करने तथा **सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)** का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

देश-विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य है, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सफल बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हो। सीमाओं का उचित प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सीमाओं का प्रबंधन कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें हमारे सीमावर्ती प्रांतों की सुरक्षा और इनके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा के लिए देश की प्रशासनिक, राजनैतिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वित और सुनियोजित कार्यवाही किया जाना शामिल है।

आंतरिक सुरक्षा विभाग

(Department of Internal Security)

पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। अतः अपराधों का निवारण, संसूचन, पंजीयन एवं जांच-पड़ताल करना तथा अपराधियों का अभियोजन करना राज्य सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आयुध, संचार, उपकरण, संचालनता, प्रशिक्षण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के रूप में अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देकर उनके कार्यों में सहयोग करती है। अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं का प्रशमन (Compounding) करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों तथा राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच नियमित भागीदारी की जाती है।

गृह मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी, **राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी)**, अपराध आंकड़ों को एकत्र करने, उनका संग्रहण करने तथा विश्लेषण करने के कार्य में लगी है ताकि अपराधों का अच्छी तरह निवारण एवं नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने में राज्यों को सहयोग मिल सके। इसके अतिरिक्त ब्यूरो ने **‘अपराध-अपराधी सूचना प्रणाली (सीसीआईएस) परियोजना’** के अंतर्गत पूरे देश में प्रत्येक जिले में **जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (डीसीआरबी)** और राज्य में **राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी)** नामक कम्प्यूटरकृत प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली में अपराधों, अपराधियों और सम्पत्ति से जुड़े अपराध में संलिप्त व्यक्तियों का राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस होता है जिसका उद्देश्य अपराध निवारण एवं संसूचना में विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता एवं सेवा सुपुर्दगी तंत्र में सुधार करना है। संगठित अपराध की चुनौती से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए एनसीआरबी के मार्गदर्शन में संगठित अपराध सूचना प्रणाली (ओसीआईएस) नामक एक अन्य प्रणाली विकसित की जा रही है। गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्न दो प्रभागों में विभक्त है:-

- **आन्तरिक सुरक्षा-1 प्रभाग:** यह प्रभाग विभिन्न गुटों/ आतंकवादी संगठनों के राष्ट्र-विरोधी तथा विध्वंसक कार्यकलापों, आतंकवाद संबंधी नीतिगत मुद्दों, सुरक्षा-अनापत्तियों, **आई. एस. आई.** की गतिविधियों की निगरानी सहित आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों और समग्र वार्ता प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आतंकवाद एवं नशीले पदार्थों की तस्करी तथा पाकिस्तान के साथ गृह सचिव-स्तरीय वार्ताओं से जुड़े मामलों को देखता है।
- **आन्तरिक सुरक्षा-2 प्रभाग:** यह प्रभाग शस्त्रों एवं विस्फोटकों, **मादक पदार्थों एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB- Narcotics Control Bureau)**, **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम**, अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखता है। यह प्रभाग संसद सदस्यों, कतिपय जांच आयोगों, अभियोजन एवं प्रत्यर्पण की मंजूरी आदि से संबंधित मामलों का समन्वय भी करता है।

राज्य विभाग (Department of State)

यह विभाग केंद्र राज्य संबंधों, अंतर्राज्यीय संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी मामलों को देखता है।

जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग
(Department of Jammu & Kashmir Affairs)

यह विभाग जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है, सिवाय उन मामलों के जो विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं।

नक्सल प्रबंधन प्रभाग
(Naxal Management Division)

इस विभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों ही दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 19 अक्टूबर, 2006 को किया गया था। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है। जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/की जाने वाली स्थान विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था दायित्वों में सुधार करना है और यह प्रभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का इष्टतम उपयोग और उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा करना है।

मानवाधिकार प्रभाग (Human Rights Division)

यह प्रभाग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव और इससे संबंधित मामलों को देखता है। देश के नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षित रखना इसका प्रमुख दायित्व है।

पूर्वोत्तर प्रभाग (NE) (North East Division)

यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहाँ पर सक्रिय विभिन्न अतिवादी संगठनों के साथ बातचीत करना भी शामिल है।

पुलिस प्रभाग (Police Division)

यह प्रभाग पुलिस बलों से संबंधित विभिन्न मामलों को देखता है। इसके अंतर्गत दो प्रभाग कार्यरत हैं।

- **पुलिस-I प्रभाग:** यह भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का कार्य करता है तथा सहायनीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक पुरस्कारों आदि सहित पुलिस कल्याण से जुड़े मामलों को भी देखता है।

- **पुलिस-II प्रभाग:** यह सीमा सुरक्षा बल के हवाई विंग सहित केंद्रीय पुलिस बलों से संबंधित कार्मिक एवं वित्तीय मामलों को देखता है। यह प्रभाग केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती, उनके प्रचालनात्मक मामलों तथा नीतियों को भी देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग
(Division of Police Modernization)

यह प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस सुधार और विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था करने से संबंधित मामलों को देखता है।

नीति नियोजन प्रभाग
(Division of Policy Planning)

यह प्रभाग आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, द्वि पक्षीय संधियों के बारे में नीति निर्धारण और इनसे संबंधित मामलों का कार्य देखता है।

आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरता-रोधी प्रभाग
(Division of counter terrorism and bigotry)

आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरता-रोधी प्रभाग आतंकवाद, कट्टरता को रोकने/कट्टरता को समाप्त करने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने से संबंधित नीतिगत एवं परिचालनात्मक मुद्दों तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

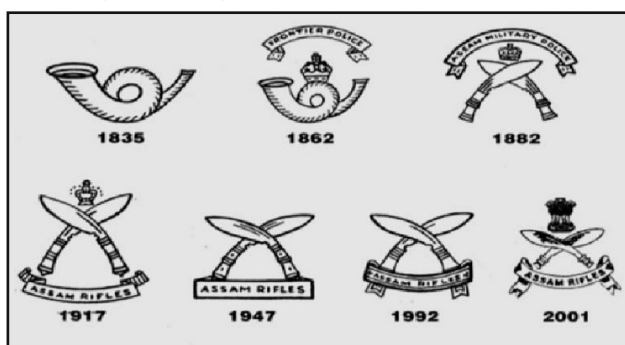
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यशील सुरक्षा बल

केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का दायित्व है, इसलिए उसके पास ज्यादा शक्तियाँ व अधिकार हैं, जो उसे इस दायित्व को पूरा करने में सहयोग करते हैं। केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों से संबंधित एजेंसियाँ केन्द्र-सरकार के उक्त दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नवत है:—

असम राइफल्स (Assam Rifles - AR)

असम राइफल्स भारत का एक प्रमुख अर्द्धसैनिक बल है। इसका गठन 1835 में 'कछार लेवी' नाम से किया गया

था। 1917 ई. में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। इसे 'फ्रेण्ड्स ऑफ द हिल पीपुल' के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके 46 बटालियन कार्यरत हैं। असम राइफल्स भारतीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत है। इस बल पर पूर्वोत्तर राज्यों के आंतरिक सुरक्षा और भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस बल का स्वामित्व तो गृह मंत्रालय के पास है परंतु इसके संपूर्ण परिचालन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास है। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा कार्यवाही, आपातकाल में संचार स्थापित करने, चिकित्सा सहयोग तथा आंतरिक क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार आदि हेतु प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है।



केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)

'केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल' भारत का सबसे बड़ा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 1939 में 'क्राउन रिप्रजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् 1949 में इसका नामकरण 'केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल' कर दिया गया।



केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रमुख महानिदेशक होता है जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत में सीआरपीएफ की कुल 246 बटालियन हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 1200 कॉन्स्टेबल कार्यरत हैं।

इसका प्रमुख कार्य पुलिस कार्यवाही में राज्य/केन्द्रशासित

प्रदेशों को सहयोग प्रदान करना है ताकि देश में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखा जा सके तथा विद्रोहों को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान समय में सीआरपीएफ भारत के सभी भागों में आंतरिक सुरक्षा की देखरेख में संलग्न है। साथ ही यह भारत से बाहर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

1992 में भारत में सांप्रदायिक हिंसा एवं संबंधित नागरिक अशांति के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ के 10 विशेषीकृत बटालियनों को मिलाकर **त्वरित कार्रवाई बल (RAF)** का गठन किया गया। इसी प्रकार संसद भवन की सुरक्षा हेतु सीआरपीएफ के विभिन्न इकाइयों से 1540 कर्मचारियों को मिलाकर '**पार्लियामेंट इयूटी ग्रुप**' का गठन किया गया है। सीआरपीएफ का एक अन्य विशेषीकृत संगठन '**ग्रीन फोर्स**' है। यह संगठन पर्यावरणीय हास एवं स्थानीय वनस्पति तथा प्राणी समूहों के सतत् विकास की जाँच करने में सक्षम है। प्रतिवर्ष इस संगठन के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों वृक्षारोपण किए जाते हैं।

त्वरित कार्यवाही बल (RAF)

'त्वरित कार्य बल' सीआरपीएफ का एक विशेषीकृत विंग है। इसकी स्थापना 1991 में हुई तथा यह 1992 से पूर्णतः क्रियाशील हो गया। इसका प्रमुख कार्य दंगों व नागरिक अशांति की स्थिति पर नियंत्रण करना है। स्थापना के समय इसमें 10 बटालियन कार्यरत थी परंतु 1 जनवरी, 2018 को 5 और बटालियनों की संख्या बढ़ा दिये जाने के कारण अब कुल 15 बटालियन कार्यरत है।

त्वरित कार्यबल सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के साथ-साथ आतंकी घटनाओं को रोकने में भी प्रभावी भूमिका अदा करती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकंप, चक्रवात तथा महामारी जैसी आपात स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर इसने मानवीय गरिमा की रक्षा हेतु भी कार्य किया है।

कमांडो बटालियन (कोबरा)

वर्ष 2008 में सरकार ने सी.आर.पी.एफ. (CRPF) में कोबरा नामक एक विशिष्ट बल की 10 बटालियनों गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया था। कोबरा बटालियनों को छोटे और आसूचना आधारित शीघ्र कार्रवाई वाले कमांडो के रूप में गुरिल्ला/जंगल युद्ध कला के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है और जिन्हें मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल की ही तरह इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षक के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया जाता है। कोबरा बटालियन के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सिलचर (असम) और शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में दो विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) स्कूल हैं। हाल ही में कर्नाटक के बेलगाँव में कोबरा कमाण्डो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का गठन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के बाद किया गया था। प्रारंभ में इसका नियंत्रण खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई जिसके तहत इसे सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उच्च अक्षांशों की सीमा सुरक्षा में इसको विशेषज्ञता प्राप्त है। ये बल लद्दाख में काराकोरम दर्रा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जलेप ला दर्रा तक भारत-चीन एवं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात है। यह एक बहुआयामी पुलिस बल है। यह उत्तरी सीमा के उल्लंघन की रोकथाम, स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा की भावना के विकास, अवैध प्रवास तथा सीमा पर तस्करी की जाँच, संवेदनशील प्रतिष्ठानों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, देश में अशांति की स्थिति में सुरक्षा बनाए रखने, देश में शांति की स्थापना में सहयोग करने जैसे कार्यों में संलग्न है।



भारत-तिब्बत सीमा पुलिस मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी होने के साथ-साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा/

संचार/स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी वहन करते हैं।

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

सशस्त्र सीमा बल का गठन 'विशेष सेवा ब्यूरो' के नाम से 1963 में किया गया था। इसका गठन 1962 के भारत-चीन युद्ध के मद्देनजर सीमा पर स्थित जनसंख्या में राष्ट्रीय भावना का विकास करने हेतु किया गया था। इसका प्रमुख कार्य प्रशिक्षण, विकास, कल्याण कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों की एक सतत् प्रक्रिया के माध्यम से अपनी क्षमताओं का विकास करना है ताकि संघर्ष के दौरान प्रतिरक्षात्मक उपायों को सुदृढ़ता प्रदान की जा सके। 15 सितम्बर, 2003 से 'विशेष सेवा ब्यूरो' का नाम बदलकर 'सशस्त्र सीमा बल' कर दिया गया। इस पर भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल, सीमा क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों में सुरक्षा की भावना के विकास, सीमा पार से होने वाले अपराधों की रोकथाम, तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम आदि के कार्यों में संलग्न है। पीछले एक दशक में सशस्त्र सीमा बल में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है तथा 2022 ई. के गणतंत्र दिवस समारोह में सशस्त्र सीमा पुलिस बल के परेड में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी।



सीमा सुरक्षा बल (BSF)

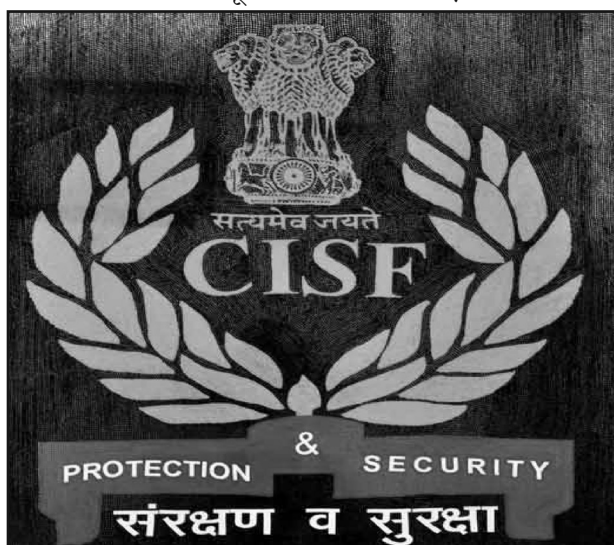
'सीमा सुरक्षा बल' भारत सरकार की सीमाओं पर चौकसी से संबंधित बल है। इसका गठन 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान मौजूदा सीमा प्रबंधन प्रणाली की अपर्याप्तता प्रदर्शित होने के उपरांत एक एकीकृत केन्द्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य शांतिकाल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी करना तथा पार-सीमा अपराध (Cross Border Crime) को रोकना है। सीमा सुरक्षा बल कुल 6385.36 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है, जो पर्वतीय, दुर्गम रेगिस्तानों, नदी-घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली हुई है। इसका नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह भारत की विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है। यह 186 बटालियनों के 2,40,000 जवानों के साथ विश्व

की सबसे बड़ी सीमा गश्ती बलों में से एक है। इसमें महिला बल भी शामिल हैं। इसे **भारत-पाकिस्तान सीमा** एवं **भारत-बांग्लादेश सीमा** की सुरक्षा हेतु तैनात किया गया है। इसकी एक पृथक एयर विंग भी है।



केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1969 में की गई थी। फिलहाल CISF सार्वजनिक क्षेत्र के 289 उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित सरकारी इमारतों, मेट्रो और हवाई अड्डों की सुरक्षा का दायित्व भी इसी सुरक्षा बल पर है। हाल में निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु अपनी सेवायें प्रदान करने की अनुमति इसे प्रदान की गयी है। इंफोसिस इसकी सेवायें प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा विभिन्न शहरों में मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा की जा रही है जो सफलता पूर्वक संचालन की एक मिशाल है।



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

NSG का गठन 1984 में आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों के संचालन के साथ-साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। यह समुचित ढंग से प्रशिक्षित और प्रेरित बल है, जिसका काम देश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटना है। यह राज्य पुलिस के कमांडो को प्रशिक्षण भी देता है ताकि आतंकवादी खतरों से निपटने, बम की तलाशी करने, उसे निष्क्रिय करने आदि में उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। NSG देश में एक मात्र राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र का संचालन करता है। NSG 2002 में अक्षरधाम मंदिर (गुजरात) पर आतंकवादी हमला विरोधी अभियान और 2008 के मुंबई हमलों के विरुद्ध सफल अभियान में संलग्न रह चुका है। इनका प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर (हरियाणा) में स्थित है। 2008 के मुंबई हमले के पश्चात इसके कई क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किये गये हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत का सबसे संवेदनशील आतंकरोधी सुरक्षा दस्ता है।



एनएसजी के अधीन राष्ट्रीय बम आंकड़ा केंद्र (NBDC)

एन एस जी का मानेसर, गुड़गांव में राष्ट्रीय बम आँकड़ा केन्द्र (एन. बी. डी. सी.) है जो विश्व में ऐसे छः केंद्रों में से एक है। यह केंद्र, अधिकांशतः राज्य प्राधिकरणों के अनुरोध पर देश के विभिन्न भागों में विस्फोट के बाद की स्थिति का अध्ययन करता है। यह रक्षा और पुलिस बलों के प्रयोग के लिए विस्फोटकों और विस्फोटों की घटनाओं का एक डाटा बैंक भी है। यह विश्व के अन्य बम आँकड़ा केंद्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। एन बी डी सी, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करता है और विस्फोट से संबंधित विषयों पर 'बमशेल' नामक एक व्यावसायिक पत्रिका प्रकाशित करता है। बम विस्फोट की घटनाओं की गहराई से जांच-पड़ताल एवं विश्लेषण करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर विस्फोट उपरांत अध्ययन दल भी नियुक्त करता है। गणतंत्र दिवस समारोह आदि जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान एन एस जी द्वारा तोड़फोड़ रोधी जांच भी की जाती है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन क्रियाशील जाँच एवं आसूचना एजेंसियाँ

भारत में विधि प्रवर्तन एवं आंतरिक सुरक्षा में क्रियाशील एजेंसियों को सहयोग प्रदान कर उन्हें मजबूत बनाने हेतु कुछ जांच एवं आसूचना एजेंसियाँ भी कार्य कर रही हैं। इन एजेंसियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. खुफिया ब्यूरो (IB)

खुफिया ब्यूरो भारत की आंतरिक जाँच एजेंसी है। इसका गठन 1887 में किया गया था तथा 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया है। यह भारत में खुफिया कार्यों का सम्पादन करता है तथा आतंक रोधी कार्यों को भी देखता है।

2. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु एक संघीय एजेंसी है। इस एजेंसी को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने हेतु शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसका गठन नवम्बर, 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों के पश्चात् किया गया था। एक अधिनियम के तहत इस एजेंसी की स्थापना 2009 ई. में की गयी थी।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के लक्ष्य-

- देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रशिक्षित, साझेदारी उन्मुख कार्यबल का विकास करना।
- आतंकवाद का मुकाबला एवं अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जाँच में उत्कृष्टता के मानकों का निर्धारण करना।
- आतंकवादी गतिविधियों की पूर्व जानकारी प्राप्त कर उस पर नियंत्रण करना तथा मौजूदा एवं संभावित आतंकी समूहों व व्यक्तियों की पहचान करना।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का मिशन-

- पेशेवर अपराधों की गहराई से जाँच करना तथा इसके लिए नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना।
- इस तरह के मानकों की स्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को सौंपे गए मामलों की उत्कृष्ट जाँच की जा रही है।
- प्रभावी एवं त्वरित ट्रायल सुनिश्चित करना।
- ऐसे पेशेवरों का विकास करना जो परिणाम उन्मुख संगठन के अनुरूप कार्य कर सकें। साथ ही भारतीय संविधान के अनुरूप कानूनों का क्रियान्वयन करना तथा मानवाधिकार एवं गरिमा को क्षति नहीं पहुँचाना।
- नियमित प्रशिक्षण तथा उत्कृष्ट अभ्यास के माध्यम से एक पेशेवर कार्यबल विकसित करना।
- सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वैज्ञानिक सोच एवं प्रगतिशील भावना का प्रदर्शन करना।
- एजेंसी की प्रत्येक गतिविधियों में आधुनिक तरीकों एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करना।
- राज्य सरकारों एवं संघशासित प्रदेशों तथा एनआईए अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ पेशेवर तथा सौहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित करना।
- आतंकवादी मामलों की जाँच में सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों की सहायता करना।
- आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं हेतु एक डाटाबेस का निर्माण करना तथा राज्यों व अन्य एजेंसियों के साथ उपलब्ध डाटाबेस साझा करना।
- अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन व विश्लेषण करना तथा नियमित रूप से भारत में मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।
- निःस्वार्थ एवं निडर प्रयासों से भारतीय नागरिकों का विश्वास जीतना।

3. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRND)

इस ब्यूरो का गठन 1970 में किया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। यह भारतीय पुलिस के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के बारे में अनुसंधान कार्य, विभिन्न पदों पर आसीन पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण तथा संघीय एवं राज्य स्तर पर पुलिस विभाग में आधुनिक तकनीकों के लागू करने से संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है।

4. नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB)

नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। यह भारत में नशीले पदार्थों एवं अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने संबंधी कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रमुख विधि प्रवर्तन एजेंसी है। यह भारत में आयकर निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भारतीय पुलिस विभाग, सीबीआई, केन्द्रीय आर्थिक जाँच ब्यूरो तथा अन्य केन्द्रीय व राज्य स्तरीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में संलग्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारियों को संसाधन व प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराती है।

5. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB)

इसकी स्थापना 1986 ई. में अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह के रूप में टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81) तथा एक टास्क फोर्स के सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

6. केन्द्रीय फोरेंसिक संस्थाएँ

- **केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL)** – केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, जो देश की फोरेंसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। देश में 7 केन्द्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ हैं।
- **अपराध और फोरेंसिक विज्ञान की राष्ट्रीय संस्थान (NICFS)** – इसकी स्थापना 7 जनवरी, 1972 को हुई थी। सितंबर, 1976 में इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग का रूप दे दिया गया। इस संस्थान को देश के आपराधिक न्याय प्रशासन की जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपराध और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के लिए व्यापक सुविधा के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

केन्द्रीय स्तर पर अन्य सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ

उपर्युक्त एजेंसियों के अलावा कुछ अन्य एजेंसियाँ भी हैं जो मुख्यतः अन्य कार्यों में संलग्न हैं परन्तु परोक्ष रूप से विधि प्रवर्तन एवं आंतरिक सुरक्षा के कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं। ये प्रमुख एजेंसियाँ निम्नवत् हैं:-

1. रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (RAW)

यह भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है तथा प्रत्यक्ष रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यों में संलग्न नहीं है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इसकी सेवाएँ इस कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती हैं। इसका गठन 1968 में किया गया था। 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण की खुफिया जानकारी जुटाने में खुफिया ब्यूरो की असफलता के बाद बाह्य खुफिया जानकारी जुटाने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गयी। इसकी परिणति 1968 में RAW के गठन के रूप में हुई। RAW का प्रमुख कार्य बाह्य खुफिया जानकारी जुटाना और आतंकी गतिविधियों तथा गुप्त ऑपरेशनों की जानकारी प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देने, विदेशी सरकारों, कंपनियों तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने व उनका विश्लेषण करने हेतु उत्तरदायी है। यह संगठन भारत के परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा से भी संबद्ध है। यह भारत के प्रधानमंत्री के अधीन क्रियाशील संगठन है तथा अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है।

2. एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC)

एविएशन रिसर्च सेंटर 'सिग्नल इंटेलिजेंस' के तौर पर राँ की एक इकाई है। यह अपनी रिपोर्ट राँ और सुरक्षा निदेशक को सौंपती है। इसकी स्थापना 1963 ई. में की गई थी।

3. डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA)

इस एजेंसी की स्थापना मार्च, 2002 में की गई थी। यह सुरक्षा मामलों की खुफिया जाँच के लिए बतौर केन्द्रीय एजेंसी की तरह कार्य करती है। यह अपनी रिपोर्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ को सौंपती है।

4. ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी (JIC)

इस एजेंसी का मुख्य दायित्व नागरिक, सैन्य और सरकारी जाँच एजेंसियों के बीच सूत्र समन्वयन है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति सचिवालय के थर्ड टियर के रूप में पुनर्गठित की गई है।

5. ज्वाइंट साइफर ब्यूरो (Joint Cipher Bureau)

ज्वाइंट साइफर ब्यूरो भारत की केंद्रीय खुफिया ब्यूरो और रॉ के साथ मिलकर कार्य करती है। जेसीबी इन संस्थाओं के लिए सूचना संकलन, संवेदनशील आंकड़ों व तथ्यों का गुप्त संकेत विश्लेषण और गूढ़ संकेतों के क्रिप्टोग्राफी (Cryptoanalysis) अर्थात् इसे तोड़ने का कार्य करती है। जेसीबी निजी और सार्वजनिक प्रबंधन संस्थाओं के लिए भी अपनी सेवाएं देती है। साथ ही यह सैन्य संगठनों के लिए भी उपर्युक्त कार्य करती है। पहले यह एजेंसी सिर्फ वायु सेना के पास थी तथा विभिन्न सेनाओं को सुरक्षा संबंधी गोपनीय सूचना मुहैया कराती थी।

6. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है जिसका नामकरण 1963 में CBI किया गया था। इसे पूर्व में 'स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट' के नाम से जाना जाता था जिसका गठन 1941 में किया गया था। यह देश में आपराधिक जाँच, आंतरिक सुरक्षा तथा जाँच एजेंसी के कार्यों का सम्पादन करती है। यह भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह भारत की आधिकारिक इंटरपोल इकाई भी है।

7. वित्तीय आसूचना इकाई (FIU)

इसकी स्थापना 2004 में हुई है। यह सदेहास्पद वित्तीय-लेनदेन से संबंधित सूचनाओं के प्रसार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय एजेंसी है। इसके अलावा यह मनी लांड्रिंग और संबंधित अपराधों के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में सहयोग एवं समन्वयक की भूमिका अदा करता है। यह एक स्वायत्त निकाय है, जो आर्थिक आसूचना परिषद् (अध्यक्ष वित्तमंत्री) को रिपोर्ट करता है।

8. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB)

इसकी स्थापना ऐसे निकाय की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी जो आसूचना संग्रहण गतिविधियों की मजबूती और उनका समन्वय करने का कार्य करती है। साथ ही साथ, जो एजेंसियाँ आर्थिक कानूनों को लागू करती हैं, उनके प्रयासों की भी यह जाँच करती है। इस एजेंसी का प्रमुख कार्य काले धन से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, आर्थिक अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखना, आर्थिक अपराध के क्षेत्र में अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना और समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा 1971 के

कोफेपोसा कानून को लागू करना है।

9. राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI)

'राजस्व आसूचना निदेशालय' भारत की एक प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह निदेशालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। DRI भारत की राष्ट्रीय एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाती है। DRI के अधिकारियों के द्वारा पिछले पांच वर्षों में 540 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा में हेरोइन एवं 7409 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा में इफेड्रिन (Ephedrine) बरामद कर जब्त किया गया इसके साथ ही अन्य नशीली दवायें, साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस, सोना, हीरा, नकली भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा आदि के अवैध व्यापार को रोकने की जिम्मेदारी DRI की होती है।

10. आयकर विभाग (Income Tax Department)

आयकर विभाग भारत की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जो विविध वित्तीय तथा राजकोषीय मामलों के लिए जिम्मेदार है। आयकर विभाग का नियंत्रण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा होता है।

11. भारतीय तटरक्षक बल (ICG)

भारतीय तटरक्षक बल एक सशस्त्र बल है। इसका लक्ष्य भारतीय समुद्री हितों की सुरक्षा तथा समुद्री कानूनों का प्रवर्तन करना है। इसका गठन 1978 में किया गया था। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्रियाशील है। यह भारतीय नौसेना, मत्स्यन विभाग, राजस्व विभाग तथा केन्द्र व राज्य पुलिस के साथ मिलकर कार्य करती है। इसके प्रमुख मिशन निम्न हैं—

- समुद्री संसाधनों की सुरक्षा।
- समुद्री सुरक्षा, बचाव एवं अनुसंधान।
- अपने क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में कानूनों का प्रवर्तन।
- समुद्री पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रक्षा।
- वैज्ञानिक आँकड़ा संग्रह व सहयोग।
- समुद्री रक्षा सहयोग।

12. तटीय पुलिस बल (Coastal Police Force)

तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, आतंकवाद गतिविधि निरोध, तस्करी निरोध एवं पर्यावरण सुरक्षा आदि के उद्देश्य से तटीय पुलिस बल की स्थापना की गई है।

13. राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

15 जुलाई, 1948 ई० में स्थापित राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) एक युवक संगठन है, जिसमें कॉलेज और विद्यालय के

छात्र-छात्राएँ स्वेच्छा से प्रवेश पा सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, चरित्र, सहयोग, देशप्रेम एवं सेवा भावना का विकास करना है तथा राष्ट्रीय संकट के समय इनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित करना है।

14. प्रादेशिक सेना (Territorial Army)

नागरिकों को अवकाश के समय सैन्य प्रशिक्षण देने एवं संकट काल में नियमित सशस्त्र सेना को टुकड़ियाँ भेजकर देश सेवा का अवसर देने के उद्देश्य से इसका गठन 1944 ई. में किया गया था। यह नागरिकों का स्वैच्छिक दल है, जिसमें पैदल सेना, इंजीनियरी तथा चिकित्सा इकाईयाँ हैं।

15. रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

आरपीएफ के मुख्य कर्तव्य रेलवे के मुक्त परिचालन के लिए सभी आवश्यक और निहितार्थ उपाय करना और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण करना है। यह एक अर्द्धसैनिक बल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित 'जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन-फोर्स एकेडमी' आर.पी.एफ. का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है।

16. छावनी बोर्ड (Cantonment Board)

1924 में स्थापित छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस समय देश में 63 छावनी बोर्ड विद्यमान हैं। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र में बसी असैनिक जनता को नगरीय प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

17. राष्ट्रीय राइफल्स (Rashtriya Rifles)

राष्ट्रीय राइफल्स की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्य दायित्व सीमा और राज्य क्षेत्र के भीतर शांति स्थापित करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल्स के पास 65 बटालियनों समेत 30 अन्य सेना द्वारा व्यवहृत बटालियनें हैं।

18. विशेष सीमांत बल (Special Frontier Force)

यह भारत का एक विशेष अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 14 नवम्बर 1962 में की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत-चीन युद्ध की स्थिति में चीनी इलाके में गुप्त ऑपरेशन चलाना था। चकराता, उत्तराखण्ड में स्थित यह बल पहले खुफिया ब्यूरो के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था बाद में इसे भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस (RAW) विंग के नियंत्रणाधीन कर दिया गया। यह बल महानिरीक्षक के नेतृत्व में कार्य करता है जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय के सुरक्षा महानिदेशक (यह पद सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा पदेन रूप से धारित किया जाता है) के नियंत्रण में कार्य करता है। यह बल विशेष टोही, सीधी कार्यवाही,

बंधक बचाव, आतंकवादी निरोधी गतिविधियाँ, अपरंपरागत युद्ध एवं गुप्त आपरेशन अंजाम देने में माहिर है।

19. नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (NATGRID)

सरकार ने देश में बढ़ते संदिग्ध आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए यह सूचना केंद्र बनाया है। इसकी मदद से कानून प्रवर्तन और जाँच/आसूचना एजेंसियों को संदिग्ध आतंकवादियों के भारत में आने तथा जाने के बारे में सभी जानकारीयों उपलब्ध हो सकेंगी। यह ग्रिड राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए घरेलू या विदेशी व्यक्तियों के भारत आने एवं जाने का वास्तविक समय एवं अन्य जानकारीयों उपलब्ध करायेगा। यह 21 श्रेणियों में डाटाबेस उपलब्ध कराएगा जिसमें रेलवे, हवाई परिवहन, आयकर, फोन कॉल, बैंक खातों का ब्यौरा, क्रेडिट कार्ड का लेन-देन, वीजा और आव्रजन रिकार्ड तथा देश के सभी नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण होगा। इससे कुल 11 एजेंसियाँ जुड़ी रहेंगी जिसमें नवगठित राष्ट्रीय जाँच एजेंसी भी शामिल है।

20. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (National Technical Research organisation NTRO)

2004 में स्थापित यह भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करती है। इसके तहत एशिया में अपनी तरह का प्रथम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (NIRCD) को भी शामिल किया गया है। यह एजेंसी विमानन एवं रिमोट सेंसिंग, डेटा एकत्रण एवं प्रसंस्करण, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम, रणनीतिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर विकास और रणनीतिक निगरानी में भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं का विकास करती है। इस एजेंसी को भारत के कई सैटेलाइट जैसे RISAT-1 और 2 का डेटा प्रयोग करने की अनुमति है।

21. विशेष सुरक्षा बल (Special Protection Group SPG)

इस सुरक्षा बल का गठन 1988 ई. में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया था, परन्तु 2019 ई. में एस.पी.पी. संशोधन एक्ट के तहत अब सिर्फ प्रधानमंत्री तथा उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले उनके परिवार के सदस्य की सुरक्षा SPG के तहत होगी।

22. पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो

एक गैर-परंपरागत बल के रूप में भारतीय सेना की इस इकाई की स्थापना 1966 में की गई थी। 90 दिनों के कठिनतम प्रशिक्षण के बाद ही कोई सैनिक इस बल में

कार्य करने हेतु चुना जाता है। इस प्रशिक्षण में 30 किलो तक सामान लादकर 30 से 40 किमी तक दौड़ना, 36 घंटे तक बिना सोये, खाए, पीये तक मिशन को अंजाम देना तथा 100 किमी का **इंड्युरेन्स रन** पूरा करना जैसे चरण शामिल होते हैं। यह बल विशेष अभियान को पूरा करने, बंधकों को छुड़ाने, आतंकरोधी कार्यवाही करने आदि के लिये प्रशिक्षित होता है। 2016 में उड़ी हमले के पश्चात Pok में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में इसकी विशेष भूमिका थी।

23. Air Force के गरुड़ कमांडो

भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज में एक इस बल की स्थापना 2001 में Air Force के हवाई अड्डों के आतंकी हमले की चपेट में आने के पश्चात एयरबोर्न ऑपरेशन, हवाई क्षेत्र में आतंकवादियों से मुकाबले करने हेतु तथा वायु सेना के एयरफील्ड की रक्षा करने हेतु 2003 में की गई थी। 52 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन्हें कई चरणों में भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा मार्कोस एवं पैरा कमांडो के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें हवाई जहाज या हेलीकाप्टर से प्रभावित क्षेत्र में जवाबी कार्यवाही करने के लिये एवं आतंकरोधी कार्यवाही करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

24. भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो

भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक मार्कोस या समुद्री कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इनका प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि ये आतंकी निरोधी कार्यवाही, नेवी ऑपरेशन एवं एंटी पायरेसी ऑपरेशन आदि सभी में कारगर होते हैं। इनके प्रशिक्षण में 25 किलो वजन रखकर जाघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर तक दौड़ लगाना, व 8 किमी ऊंचाई से कूदते हुए पैराशूट से नीचे उतरना, गोताखोरी करते हुए कार्यवाही करना आदि शामिल होता है। इन्हें चाकू, धनुष, स्नाइपर राइफल्स, हथगोले चलाने तथा नंगे हाथों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्होंने अब तक श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987 (लिट्टे के कब्जे से जाफना व त्रिकोमाली बंदरगाह आजाद कराना) मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस 1988 (सत्ता पलटने की आतंकी कोशिश को नाकाम करना) कारगिल युद्ध 1999 तथा ऑपरेशन ब्लैक टारनेडो 2008 (मुंबई हमले के दौरान) जैसे सफल ऑपरेशन किये हैं।

25. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

भारत में इस बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के दौरान

विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में इसमें 12 बटालियन हैं, जिनमें BSF व CRPF से 3-3 तथा CISF, SSB व ITBP से 2-2 बटालियन हैं। यह बल प्राकृतिक के साथ रेडियोलॉजिकल, जैविक, नाभिकीय व रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है।

राज्य स्तर पर विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियों की संरचना

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के स्तर पर विधि प्रवर्तन की अपनी संरचना और ढांचा होता है, जो उसे केंद्र सरकार से स्वायत्तता प्रदान करता है। विधि व व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस संदर्भ में प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केंद्र की भाँति राज्य स्तर पर भी एक गृह मंत्रालय होता है जो अपने राज्य क्षेत्र में विधि को लागू कर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होता है। इसके अधीन कार्यरत सुरक्षा बल एवं एजेंसियों की संरचना निम्न है:-

राज्य पुलिस बल (State Police Force)

सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में एक पुलिस बल होता है, जिसकी अध्यक्षता पुलिस आयुक्त या पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाती है। इस बल का नियंत्रण गृह मंत्रालय (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। राज्य पुलिस अपने राज्य क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है।

जिन कुछ शहरों में कमिशनरेट व्यवस्था लागू है, वहां पुलिस बल की संरचना और उसके अधिकार क्षेत्र भिन्न होते हैं। इस व्यवस्था में **मेट्रोपोलिटन पुलिस** का प्रमुख पुलिस आयुक्त होता है। अधिकांश मेट्रोपोलिटन पुलिस बल राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं। लेकिन इसका अपवाद दिल्ली पुलिस है, जो संघ राज्य क्षेत्र का भाग है और सीधे संघीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police)

छोटे शहरों में हाइवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस राज्य के अंतर्गत आते हैं, किंतु कमिशनरेट व्यवस्था वाले शहरों में ट्रैफिक पुलिस, मेट्रोपोलिटन पुलिस के अंतर्गत आती है। ट्रैफिक पुलिस, यातायात के बाधा रहित संचालन और ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए उत्तरदायी होती है।

राज्य सशस्त्र पुलिस बल (SAPF)

राज्य सशस्त्र पुलिस बल ऐसा संगठन है, जो राज्य में किसी विशिष्ट हिंसक या गंभीर परिस्थितियों में विधि व्यवस्था बनाए रखता है। इस प्रकार के बल प्रायः नक्सलवादियों, डाकुओं आदि के साथ संघर्ष करते हैं। हर राज्य के पास

अपनी सशस्त्र पुलिस बल होती है जिन्हें प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेब्युलरी (पीएसी), विशेष सशस्त्र बल आदि के नाम से जाना जाता है, जो आपात स्थितियों या भीड़ नियंत्रण जैसे मामलों में कार्य करती है। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा या मेले, त्यौहार, चुनाव, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे मौकों पर इनकी सेवाएँ ली जाती हैं, अन्यथा ये सामान्य जनता के संपर्क में नहीं आती हैं।

स्पेशल टास्क फोर्स (STF)

भारत में सभी राज्यों को स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की शक्ति प्राप्त है। यह फोर्स विभिन्न तरीकों से निश्चित समस्या के समाधान हेतु प्रयास करता है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन सबसे पहली बार कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने किया था।

होमगार्ड (Home Guard)

होमगार्ड अर्द्धसैनिक बलों की एक इकाई है। यह एक स्वैच्छिक बल है जो भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में कार्यरत है। होमगार्ड का गठन सर्वप्रथम बॉम्बे स्टेट में 1946 में किया गया था। 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात् इसका पुनर्गठन किया गया। होमगार्ड के अंतर्गत पेशेवरों, महाविद्यालय छात्रों, कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों आदि से भर्ती की जाती है जो अपना अतिरिक्त समय समुदाय की बेहतरी के लिए देते हैं। वर्तमान समय में भारत के 25 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड विद्यमान हैं। भारत में होमगार्डों का नियंत्रण एवं संचालन राज्यों के अधीन है। यह आंतरिक सुरक्षा में सहायता प्रदान करने, फायर ब्रिगेड, नर्सिंग, प्राथमिक उपचार, विद्युतापूर्ति में सहयोग करने, तटरक्षक बलों को सहयोग करने आदि कार्यों में संलग्न होते हैं।

राज्य स्तरीय पर जाँच एवं आसूचना तथा अन्य एजेंसियाँ

आपराधिक जाँच विभाग (CID)

आपराधिक जाँच विभाग सभी प्रादेशिक पुलिस बलों की शाखा के रूप में कार्यरत है। इसका गठन ब्रिटिश काल में 1878 में किया गया था। इसके कर्मचारी सादे कपड़ों में कार्य करते हैं। इसकी अन्य शाखा फिंगर प्रिंट ब्यूरो है। इसका प्रमुख कार्य आपराधिक मामलों की जाँच करना है। इसके अतिरिक्त यह सांप्रदायिक दंगों, नकली नोटों के

व्यापार तथा अत्यधिक जटिल हत्या के मामलों की भी जाँच करता है। इसे जाँच का आदेश न्यायिक अदालत, पुलिस महानिदेशक या सरकार देती है।

अग्नि शमन सेवा (Fire Brigade Services)

अग्नि शमन राज्यों का मामला है। इसकी सेवाएं राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संचालित होती हैं। गृह मंत्रालय अग्नि से सुरक्षा करने, आग बुझाने और अग्नि शमन संबंधी कानून के बारे में तकनीकी सलाह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को देता है।

आतंक निरोधक दस्ता (Anti Terrorist Squad)

यह दस्ता एक विशेष पुलिस संगठन है जो विभिन्न राज्यों के द्वारा आतंकी कारवाइ को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया था। महाराष्ट्र राज्य का GST सबसे प्रखर और भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों द्वारा संचालित है।

Force one कमांडो- ये मुंबई पुलिस की एलीट कमांडो फोर्स है। यह मुंबई मेट्रोपोलिटन एरिया को आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका गठन 2008 के मुंबई हमले के पश्चात किया गया था।

भारत में सुरक्षा बल एवं अन्य एजेंसियों की समस्याएँ

भारत में केंद्र व राज्य स्तरों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की बहुतायत है, परन्तु इनकी कार्यपद्धति व संचालन व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। फलतः विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के बावजूद भी देश में अपराध, नक्सलवाद, हिंसा, आतंकवादी घटनाएँ नियंत्रण में नहीं हैं। इस स्थिति के लिये सुरक्षा बलों एवं अन्य एजेंसियों से संबंधित कई समस्याएँ उत्तरदायी रही हैं। इन समस्याओं को विभिन्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है:-

पुलिस बलों की अपर्याप्त संख्या

वर्तमान समय में भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर मात्र 144 पुलिस बल कार्यरत हैं जो संयुक्त राष्ट्र के मानक औसत 222 से काफी कम है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में यह अनुपात काफी उच्च है। विशाल भारतीय जनसंख्या के समक्ष पुलिस की संख्या बल में यह कमी वर्तमान समय में विधि प्रवर्तन एजेंसियों की प्रमुख समस्या है। भारत में 450 नागरिकों पर एक पुलिस कर्मी होना चाहिए किन्तु वर्तमान में 694 नागरिकों पर एक पुलिस की उपलब्धता है।

आधुनिकीकरण का अभाव

इन एजेंसियों की एक प्रमुख समस्या यह है कि ये बदलते वक्त के साथ अपने आपको उन्नत नहीं बना पा रहे हैं।

जिन विरोधियों के साथ इन्हें लड़ना है, वे विरोधी इससे तकनीकी व हथियार के मामलों में बहुत आगे हैं। संगठित अपराधियों एवं नक्सलवादियों के पास से बरामद होने वाले अत्याधुनिक हथियारों से यह सुस्पष्ट हो जाता है।

हथियारों के अतिरिक्त आसूचना, जाँच व फोरेंसिक संस्थाओं के पास 'स्टेट ऑफ द आर्ट' तकनीकी का अभाव है। इससे अपराध जाँच व आसूचना संग्रहण में कठिनाई होती है और समय पर अपराधियों की पकड़ नहीं हो पाती।

स्वायत्तता की समस्या

सभी प्रवर्तन एजेंसियों की यह सबसे बड़ी समस्या है कि वे बिना बाह्य दबाव के खुलकर कार्य संपादन नहीं कर पाते। चाहे राज्य पुलिस हो, सी.आई.डी. हो या सी.बी.आई., यह समस्या सबके साथ पाई जाती है। इससे एक तरफ तो अपराध व अन्य कानून उल्लंघन की घटनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होती है और दूसरी तरफ इन एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का मनोबल गिरता है।

दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के कारण असंतोष

भारत में दोषपूर्ण न्याय प्रणाली ने विधि प्रवर्तन एजेंसी के कर्मचारियों में, असंतोष की भावना उत्पन्न की है। काफी मुश्किलों एवं संघर्ष के बाद इन एजेंसियों द्वारा किसी अपराधी की गिरफ्तारी के पश्चात् दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के कारण उसका आसानी से बरी हो जाना एक आम समस्या है। इस प्रक्रिया ने इन एजेंसियों के कर्मचारियों को हतोत्साहित कर इनके कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

समन्वय की समस्या

विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों में समन्वय का अभाव इनकी प्रभावकारिता को सीमित करता है। विशेष रूप से यह समस्या नक्सलवाद व आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एजेंसियों के संदर्भ में दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों के पुलिस बल तथा अर्द्धसैनिक बलों के बीच उचित समन्वय न होने के कारण अपराधी एक राज्य में अपराध कर आसानी से दूसरे राज्य में चले जाते हैं।

कोई भी घटना के बाद जब भी समीक्षा की जाती है तो पता लगता है कि कहीं न कहीं समन्वय की कमी है तथा समस्या को दूर करने के लिए पुलिस सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

आसूचना की समस्या

आसूचना अपराध नियंत्रण व अपराधियों की पहचान व पकड़ में एक महत्वपूर्ण साधन है। एक उन्नत आसूचना व्यवस्था बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है। दुर्भाग्यवश

हमारे यहाँ आसूचना संग्रहण की व्यवस्था कम प्रभावकारी रही है। कारगिल संघर्ष के बाद बने **कृष्णन आयोग** ने हमारी आसूचना व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर प्रस्तुत की थी। लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के पीछे भी हमारी आसूचना संबंधी असफलता का ही हाथ रहता है।

भ्रष्टाचार की समस्या

विधि प्रवर्तन एजेंसियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार भारतीय पुलिस विभाग में व्याप्त है। भ्रष्टाचार की इस समस्या ने जहाँ एक ओर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावकारिता को कम किया है वहीं दूसरी ओर आम जनता का इन एजेंसियों पर से विश्वास भी कम हुआ है।

भारत में सुरक्षा बल एवं अन्य एजेंसियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास

भारत में आंतरिक सुरक्षा हेतु क्रियाशील एजेंसियों के समक्ष स्वायत्तता, आधुनिकीकरण, समन्वय एवं आसूचना आदि समस्याओं ने इन एजेंसियों के अपेक्षित परिणाम की राह में विभिन्न प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न की हैं। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं जिन्हें निम्नवत् देखा जा सकता है—

सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण

बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस बल को सौंपे गए कार्य को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने और दुश्मनों का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है। इस प्रयोजन के लिए अत्याधुनिक हथियार, विशेष उपकरण, निगरानी युक्तियों, ईंधन दक्ष वाहनों, आधुनिक जलयानों, विभिन्न बम खोजी एवं निष्क्रियकरण उपकरण, संप्रेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग के लिए मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी 2012 में बी.एस.एफ. इंटरनेट प्रहरी परियोजना, एक ई.आर.पी. परियोजना जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त, सूखा प्रबंधन एवं कार्यालय कार्य-प्रवाह प्रबंधन शामिल हैं—का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना की सहायता के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर एवं एक पृथक आपदा राहत केन्द्र की भी स्थापना की गई है।

बी.एस.एफ. में पाँच उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहाँ

एसपीओ/सीपीओ तथा मित्र विदेशी राष्ट्रों के प्रशिक्षुओं को भी प्लाटून हथियार, कमांडो, मोटर परिवहन, डॉग हैंडलिंग, बम निष्क्रिय करने आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

हाल ही में BSF के शक्तियों में इजाफा किया गया है, अब BSF सीमावर्ती राज्यों में 50 किमी. अंदर तक गश्त तथा पेट्रोलिंग कर सकती है। इस नियम का पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान जैसे राज्य विरोध कर रहे हैं।

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण की योजना, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से विशेष तौर पर निपटने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए, कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जिन कुछ प्रमुख मदों को निधियाँ प्रदान की जाती हैं, उनमें निम्न शामिल हैं- सुरक्षित पुलिस थाना, पुलिस चौकियाँ, पुलिस लाईनों का निर्माण, आवाजाही सुरक्षा, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार/विधि/विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि की सुनिश्चितता।

राज्यों को (क) और (ख) श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण वाले राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख तथा 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम को (क) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष 20 राज्य (ख) श्रेणी में आते हैं। इस योजना का निर्माण आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या का सामना कर रहे राज्यों पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित किये जाने सहित पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से किया गया है।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क पद्धति (CCTNS)

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग पद्धति, गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सही समय पर अपराध एवं अपराधी की सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए देश के 28 राज्यों एवं 9 संघ राज्य क्षेत्रों के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों एवं लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत पद्धति एवं एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क समाधान सृजित करना है। यह परियोजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में कार्यान्वयन हेतु

शुरू की गई थी। तथा वर्तमान में भी कार्यरत है।

इस परियोजना की संकल्पना 'केन्द्रीकृत आयोजना एवं विकेंद्रित कार्यान्वयन' के सिद्धांत के आधार पर की गई है। कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) को केन्द्रीय स्तर पर सामान्य परिभाषाओं, योजना एवं विनिर्देशों के साथ विकसित किया जा रहा है जिसे राज्य विशेष की जरूरत के अनुरूप बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण प्रचालनात्मक स्वतंत्रता है। कार्यान्वयन कई सेवाओं के जरिए किया जाता है जिसमें सिस्टम इन्टीग्रेटर एजेंसी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राज्य स्तरीय करारों द्वारा यथापरिभाषित सभी आवश्यक सेवाएँ कार्यान्वित की जाती हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों के साथ एक सुदृढ़ शासन तंत्र भी सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के भाग के रूप में राज्य में सृजित किया गया है।

सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के उद्देश्य

- पुलिस स्टेशनों के स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर अन्य पुलिस कार्यालयों की प्रक्रिया एवं कार्यों को स्वचालित करके पुलिस कार्यक्रम को नागरिक हितैषी, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी एवं दक्ष बनाना।
- सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से नागरिक-केन्द्रित सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में सुधार लाना।
- जाँच अधिकारी द्वारा अपराध की जाँच-पड़ताल करने एवं अपराधियों का पता लगाने के कार्य को तेज एवं और अधिक सही करने के लिए उनको साधन, प्रौद्योगिकी एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- कानून एवं व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, संगठित अपराधों को रोकने, संसाधन प्रबंधन आदि जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस के कार्यकलापों में सुधार करना।
- भारत सरकार के स्तर पर तथा पुलिस स्टेशनों, जिलों, राज्य मुख्यालयों एवं अन्य संगठनों/एजेंसियों के स्तर पर सूचना संग्रहण, संचयन, पुनः प्राप्ति विश्लेषण, अंतरण एवं आदान-प्रदान कार्य को सुगम बनाना।
- पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को समर्थ बनाना।
- न्यायालयों में मामलों की प्रगति सहित अपराध एवं आपराधिक जाँच-पड़ताल एवं अभियोजन के मामलों की प्रगति का पता रखना।
- रिकार्ड रखने के मैनुअल एवं अनावश्यक तरीके में कमी करना।

निजी सुरक्षा एजेंसियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005

भारतीय और विदेशी, दोनों ही प्रकार की निजी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को जनहित में

विनियमित करने के उद्देश्य से 'निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2006 से प्रभावी हो गया है।

इन सुरक्षा एजेंसियों को अपना कारोबार चलाने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए लाइसेंस मंजूर किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत एक नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति करनी है।

केन्द्र सरकार ने "निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियमावली, 2006" बनाई है। इन नियमों को राज्य सरकारों के पास मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है, ताकि वे केन्द्रीय मॉडल नियम के अनुरूप अपने नियम बना सकें। केवल मणिपुर, झारखंड, मध्यप्रदेश राज्यों एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अपने नियम अभी तक नहीं है।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन (NPM)

राष्ट्रीय पुलिस मिशन की पहली घोषणा 2005 ई. में की गयी थी। यह राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम) देश में पुलिस बलों को आवश्यक सामग्री, बौद्धिक और संगठनात्मक संसाधनों से युक्त करके उन्हें आंतरिक सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में परिवर्तित करेगा।

इसके तहत एक टू-टीयर सिस्टम बनाया गया है जिसमें गृह मंत्री की अध्यक्षता में शक्ति सम्पन्न संचालन ग्रुप (ई.एस.जी.) और इसके अधीन गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (ई.सी.) गठित की गई है।

एन.पी.एम. के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निम्नलिखित छह माइक्रो मिशन स्थापित किए गए हैं-

- **माइक्रो मिशन, 01- मानव संसाधन विकास:** पुलिस जनसंख्या अनुपात में उन्नति, नेतृत्व, जवाबदेही, निष्पादन, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, पुलिसकर्मियों का कल्याण, पुलिस विश्वविद्यालय आदि का विकास।
- **माइक्रो मिशन, 02- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था:** समुदाय को पुलिस व्यवस्था में शामिल करना, मीडिया, उद्योग तथा अन्य संगत क्षेत्रों के साथ पुलिस का परस्पर सम्पर्क, पुलिस की छवि में सुधार आदि।
- **माइक्रो मिशन, 03- संचार एवं प्रौद्योगिकी:** पोलनेट- सीपा-साइबर तकनीक फॉरेंसिक साइन्स- डी एन ए-नारको एनालिसिस आदि।
- **माइक्रो मिशन, 04- अवसरंचना:** भवन-कार्यालयी एवं आवासीय, उपकरण तथा हथियार आदि का विकास।

- **माइक्रो मिशन, 05- नई प्रक्रियाएँ:** इस समय चल रही पुलिस प्रक्रियाएँ, समीक्षा एवं परिणाम का विश्लेषण, विद्यमान बेहतर प्रक्रियाएँ, भारत में एवं अन्यत्र नवाचार तथा उनका अपनाया जाना, प्राप्ति की प्रक्रिया, प्रत्यायोजन एवं विकेन्द्रीकरण आदि का विकास।

- **माइक्रो मिशन, 06- उपचारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भावी चुनौतियों का अनुमान लगाया जाना-**

- उग्रवाद एवं नक्सलवाद, उत्तेजित भीड़ की हिंसा, साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्को, आतंकवाद, मानव तस्करी आदि।

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (CPBS)

इस सॉफ्टवेयर को पीड़ित अथवा गवाह द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अपराधियों तथा अपहृत/लापता व्यक्तियों का चित्र बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

तलाश सूचना प्रणाली

तलाश सूचना प्रणाली को लापता, अपहृत, वांछित, पता लगाए गए, गिरफ्तार किए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के मिलान के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली एन.सी.आर.बी. मुख्यालय में चालू है और पुलिस से प्राप्त होने वाली पूछताछ के आधार पर कार्यवाही की जाती है। आम नागरिक द्वारा देखे जाने के लिए एन.सी. आर.बी. वेबसाइट पर फोटोग्राफों के साथ आंकड़े अपलोड कर दिए गए हैं।

आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली चोरी होने वाली तथा बरामद किए गए आग्नेयास्त्र के समन्वय में सहायता प्रदान करती है और मुख्यतः कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा चोरी/बरामदगी के बारे में दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान डाटाबेस का आकार 94,916 है। इस विधि को भी **सी.सी.टी.एन.एस.** में शामिल करने का प्रस्ताव है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अपराध करने वालों अथवा संभावित अपराधकर्ताओं खासकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों की कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ-साथ तेजी से बदलाव आया है और इसने राष्ट्रीय एवं वैश्विक आयाम का रूप ले लिया है। तदनुसार द्वि

पक्षीय पहलें की गई हैं और उनका अनुपालन किया गया है।

भारत ने कई देशों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य दल स्थापित किए हैं ताकि आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके। इस संबंध में भारत का मित्र, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, चीन, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, थाइलैंड, तुर्की, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, मॉरीशस, इंडोनेशिया, म्यांमार, पोलैंड, जापान, इटली, यूरोपियन यूनियन और बिस्मटेक से साथ समझौता हो चुका है। इसके अलावा भारत कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है।

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ : मूल्यांकन एवं सुझाव

निश्चित रूप से सरकार द्वारा किए गए इन विभिन्न प्रयासों के कई सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। लेकिन इन एजेंसियों के सुधार के संदर्भ में सरकार की नीति व प्रयासों को देखने से यह प्रतीत होता है कि सरकार सुधारों के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार की दलगत व चुनावी बाध्यताओं के कारण सुधारों का एजेंडा काफी समय से लंबित है। ऐसा आरोप समय-समय पर लगाया जाता रहता है। सरकार कुछ विशेष एजेंसियों का उपयोग अपने प्रत्यक्ष लाभ के लिए भी करती है। सुधारों के संबंध में एक समस्या वित्त के अभाव की है। आधुनिक हथियारों व अत्याधुनिक तकनीक के लिए सरकार के पास फंड की कमी बनी रहती है। समन्वय के संदर्भ में यह समस्या सामने आती है कि अंतर अभिकरण समन्वय के लिए हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, जिसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके।

पुलिस सुधार की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस संबंध में राज्य सरकारों का रवैया अत्यंत निराशाजनक रहा है। राज्य सरकारें पुलिस बल का अपनी मनमर्जी से उपयोग करती हैं। इससे पुलिस बल का पूर्णतः राजनीतिकरण हो चुका है। सरकार बदलने पर पुलिस अधिकारियों का भारी मात्रा में होने वाले स्थानांतरण इस बात को प्रमाणित करते हैं। पुलिस बल का प्रयोग कर सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक विरोधियों को शांत करने में सफल हो जाते हैं, इसीलिए राज्य सरकारें पुलिस बल पर से अपना नियंत्रण नहीं हटाना चाहती हैं।

समाज में शांति व्यवस्था एवं सुदृढ़ता बनाए रखने हेतु यह अत्यावश्यक है कि समाज को शासित करने वाले

मानकों एवं नियमों को दृढ़ता से लागू किया जाय। यद्यपि भारत में विधि प्रवर्तन से संबंधित एक सुदृढ़ संरचना तो उपलब्ध है, परन्तु इसके क्रियान्वयन के स्तर पर व्याप्त विभिन्न खामियों के कारण हमें संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि सरकार विधि प्रवर्तन के मामले पर संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए इससे संबंधित सुधारों को दृढ़तापूर्वक लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि देश में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि विधि व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण केवल सरकार की तत्परता एवं संवेदनशीलता से संभव नहीं है। इसके लिए देश के आम जनता को विधि व्यवस्था के महत्व को समझते हुए विधि प्रवर्तन के सफल क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना चाहिए। भारत में सुरक्षा बलों एवं अन्य एजेंसियों को अधिकाधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं –

- विधि प्रवर्तन एजेंसी के कार्यों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर इन एजेंसियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि कर इसे संयुक्त राष्ट्र के मानक औसत स्तर पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- विधि प्रवर्तन एजेंसियों पर राजनीतिक दबावों को कम किए जाने की ओर कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्य से प्रयोग पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है।
- विधि प्रवर्तन एजेंसियों में सुधार हेतु सर्वप्रथम इन केन्द्रों में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विधि प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों में समन्वय स्थापित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इन्हें लैस किए जाने की आवश्यकता है।
- विधि प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु विश्व के विकसित राष्ट्रों से समझौता किया जाना चाहिए ताकि मामलों के निष्पादन की तीव्र प्रक्रिया संबंधी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।
- इन एजेंसियों के अधिकारियों की प्रोन्नति कार्यक्षमता एवं कुशल प्रदर्शन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि अधिकारियों-कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह की भावना का विकास हो सके।
- विधि प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों को निष्पक्ष जाँच

हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इनकी जाँच को प्रभावित करने वाले सभी पक्षों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर इन एजेंसियों को स्वायत्त बनाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

- इन एजेंसियों के कार्यों के सफल व स्वतंत्र संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पुलिस सुधार पर धर्मवीर सिंह आयोग की रिपोर्ट

पुलिस प्रणाली को जवाबदेह व जनोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ने 1977 में एक पुलिस आयोग की स्थापना की थी, जिसके प्रमुख श्री धर्मवीर थे। इसे **धर्मवीर आयोग** के नाम से भी जाना जाता है। 1982 में उन्होंने अपनी 8 रिपोर्टें केंद्र सरकार को दे दी थी, किन्तु तब से लेकर आज तक उनकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने कोई गंभीर रवैया नहीं अपनाया।

राज्य सरकारों के सुधारों के लागू करने के संबंध में अनिच्छुक रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकारें तमाम तरह के आधारों पर इसे लागू करने से बचती आ रही हैं।

पुलिस आयोग ने पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये थे-

1. आयोग ने यह सुझाव दिया कि 1861 के पुलिस कानून की जगह एक नया कानून बनाया जाए, ताकि पुलिस को सरकार के अनुचित राजनीतिक दबाव से मुक्त बनाया जा सके।
2. एक राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाए जो राज्य में सुरक्षा संबंधी व्यापक नीतियों और कार्यवाहियों पर नजर रखेगा। इसमें मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष के नेता, न्यायपालिका के सदस्य व ऐसे समाज वैज्ञानिक (Social Scientist) होंगे, जिन्हें पुलिस के कामकाज का ज्ञान हो।
3. एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाए, जहाँ आम नागरिक पुलिस की शिकायत दर्ज करा सकें।
4. पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति यथार्थपरकता और विश्लेषणात्मक आधार पर हो, जिससे ऐसे लोग पुलिस में न आ सकें, जो राजनैतिक तौर पर तो पसंदीदा हों लेकिन उनमें पेशेवर दक्षता व अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी का अभाव हो।

5. पुलिस महानिदेशकों और महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का निश्चित किया जाए।

6. राज्य और जिला स्तर पर शिकायत व्यवस्था का प्रावधान किया जाए।

अब राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जाती है।

पुलिस सुधार संबंधी अन्य सुझाव

पुलिस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अतिरिक्त निम्नलिखित सुझाव पुलिस व्यवस्था को जन केंद्रित व प्रभावकारी बनाने में उपयोगी साबित हो सकते हैं:-

1. पुलिस बल का आधुनिकीकरण एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार व नवीनतम संचार प्रणाली से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पुलिस थानों के कंप्यूटरीकरण से उनकी कार्यसंचालन को तीव्र किया जा सकता है और विभिन्न थानों में इलेक्ट्रॉनिक संबंध स्थापित कर उनमें समन्वय किया जा सकता है।
2. राज्य पुलिस बल कार्यबोझ से दबे हुए हैं। अतः इस संदर्भ में सामान्य पुलिस और जाँच विभाग को अलग करना उपयोगी रहेगा। अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों में भी यही व्यवस्था कार्य करती है, जो अत्यंत सफल है।
3. पुलिस के व्यवहार और उसकी मनोवृत्ति में सुधार के लिए उन्हें मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस संदर्भ में कुछ कदम उठाए हैं।
4. पुलिस अधिकारियों की प्रोन्नति, गुण व कार्य प्रदर्शन के आधार पर सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले।
5. पुलिस प्रणाली की मूल इकाई बीट प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर आसूचना संग्रहण व आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी।
6. भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर पुलिस की संख्या संयुक्त राष्ट्र के मानक स्तर से अत्यंत कम है, संयुक्त राष्ट्र का

यह आँकड़ा 222 है जबकि भारत में यह मात्र 144 है। अतः पुलिस बलों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जाए।

7. पुलिस सुधार में पुलिस बल की कार्यात्मक और संरचनात्मक प्रणाली को समन्वित तथा रेखांकित करना अत्यंत आवश्यक है।

पुलिस सुधार के कुछ कदम

केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने अपने पुलिस बल को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्कॉटलैंड यार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा सिटी पुलिस तथा कनाडा के वर्ल्ड पुलिस एकेडमी के साथ गठबंधन किया है। केरल पुलिस दक्षिण एशिया में ऐसी पहली पुलिस बल है जिसने सामुदायिक पुलिसिंग की व्यवस्था शुरू की है, ताकि जन समर्थक व जनमित्र पुलिस का निर्माण हो सके। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामान्य पुलिस कार्य और जाँच शाखा को विभाजित करने का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। दिल्ली पुलिस ने एक विशेषज्ञ पुलिस बल के रूप में SWAT (Special Weapons and Tactics) इकाई का गठन किया है।

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके अधिदेश : समसामयिक तथ्य एवं घटनाक्रम

पुलिस सुधार का मुद्दा

भारत में पुलिस सुधार का मुद्दा काफी लंबे समय से उपेक्षित है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज भी राज्य पुलिस बहुत ही ज्यादा दबाव में है, जो उनके कार्य को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। पुलिस बल आज जिन समस्याओं से गुजर रहा है एवं स्वयं पुलिस की कार्यप्रणाली में जो समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. भारतीय पुलिस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अधिकांश समय राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है। उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह सत्तारूढ़ दल के निर्देश पर कार्य करता है।
2. भारतीय पुलिस बल पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि यह अनुत्तरदायी तरीके से कार्य करती है। कई घटनाएँ

यह साबित करती हैं कि पुलिस या तो अपराध की ओर से आँख मूंद लेती है या फिर लापरवाह, अरुचिपूर्ण और अपराध के खिलाफ उत्साहहीन तरीके से कार्य करती है। पुलिस द्वारा अपराध के संबंध में FIR भी दर्ज करने में तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं।

3. पुलिस आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है। सामान्य जनता के साथ पुलिस का अभद्र व्यवहार इस बात की पुष्टि करता है। इसके पीछे ब्रिटिश काल का पुलिस एक्ट उत्तरदायी है।
4. भारतीय पुलिस में भ्रष्टाचार की समस्या अत्यंत व्यापक है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में ही पाया जाता है।
5. राज्य पुलिस बल अत्यधिक कार्य बोझ से भी दबी हुई है। पुलिस को जाँच व अभियोजन दोनों का कार्य करना पड़ता है, जिससे मामलों को निपटाने में देरी होती है और विशेषज्ञता भी नहीं आ पाती।
6. राज्य पुलिस बल आज भी पुराने हथियार और जाँच के पुराने तरीके अपनाती है, पुलिस की तुलना में अपराधियों द्वारा अत्याधुनिक प्रकार के हथियार व तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो पुलिस के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA)

इस कानून के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों को आंतरिक सुरक्षा की सुदृढ़ता सुनिश्चित कर देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। यह कानून पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में अलगाववादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। इस कानून को वर्ष 1990 में जम्मू-कश्मीर (वर्तमान में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) में भी लागू कर दिया गया।

विभिन्न सामाजिक तथा मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाकर इसे समाप्त करने की लंबे समय से मांग की जाती रही है। हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी तथा अलगाववादी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई के पश्चात् यह कानून मानवाधिकार के हनन के आरोपों के कारण चर्चा का विषय रहा है।

क्या है सशस्त्र विशेषाधिकार अधिनियम

इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु स्वायत्तता प्रदान की गई है जो देश की आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। इसके तहत सशस्त्र बलों को चेतावनी देकर गोली मारने, हथियारों एवं प्रशिक्षण कैंप को ध्वस्त करने, बिना वारंट के संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी करने, घरों एवं संपत्तियों की जाँच करने, मोटरवाहनों की जाँच करने आदि का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारियों को उनके कृत्यों के खिलाफ किसी भी आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता और न ही सरकार इनके विरुद्ध कोई न्यायिक जाँच का आदेश दे सकती है।

- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 11 सितम्बर, 1958 को पारित एक अधिनियम है जो देश में आतंकवाद व अशांति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है।
- जब किसी राज्य में गड़बड़ी, अशांति या अस्थिरता बहुत व्यापक हो और प्रशासन एवं स्थानीय बल उससे निपटने में अक्षम हो तो इस कानून को वहाँ लागू किया जाता है।
- कानून लागू होने पर सरकार को यह अधिकार नहीं होता कि वह सेना के कार्यों में दखल करें।
- यह कानून संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड में लागू है।

नोट:- केन्द्र सरकार ने अफस्पा (AFSPA) को मेघालय से (1 अप्रैल 2018) पूरी तरह हटा लिया है और अरुणाचल प्रदेश में यह केवल 8 पुलिस स्टेशनों में ही लागू रहेगा। दिसम्बर 2021 ई. में नागालैण्ड में 13 नागरिकों की मृत्यु के बाद गृह मंत्रालय के द्वारा एक कमिटी का निर्माण किया गया जो नागालैण्ड में AFSPA हटाने पर विचार कर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगा।

समीक्षा

निश्चित रूप से यह अधिनियम देश के अन्दर अशांति व अस्थिरता रोकने में मददगार साबित हुआ। देश की सीमाओं से सटे भारत के पूर्वोत्तर राज्य व जम्मू-कश्मीर जो प्रायः अशांति ही रहता है, में इस अधिनियम के द्वारा शांति स्थापित हुई है।

किन्तु, इस अधिनियम के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार का फायदा भी उठाया जाता रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा

स्थानीय लोगों का उत्पीड़न, हत्या, मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस अधिनियम की समाप्ति की मांग, इरोम शर्मिला द्वारा अनवरत 16 वर्षों तक अनशन निश्चित रूप से इस अधिनियम के गलत प्रयोगों को उजागर करता है। वैसे सरकार ने इस अधिनियम की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की थी। वर्ष 2005 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सिफारिशों पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया और अधिनियम के प्रावधान 1958 से ज्यों का त्यों बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में इसकी समीक्षा करते हुए यह आदेश दिया था कि इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के कारण होने वाली मौतों की जांच आवश्यक है तथा एजेंसियों को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

बावजूद इसके देश के अन्दर अशांति व अस्थिरता होने पर यह अधिनियम कारगर साबित होता है। हाल ही में असम में नृजातीय-साम्प्रदायिक संघर्ष से फैले हिंसा व राज्य द्वारा शांति बहाली में अक्षमता इस अधिनियम की महत्ता को भी दर्शाता है। फिर भी इसमें सुधार की और आवश्यकता है।

इंटरनेट प्रहरी परियोजना

गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2010 को देश के विभिन्न 237 स्थानों में पदस्थापित सीमा सुरक्षा बल के लिए 'इंटरनेट प्रहरी परियोजना' को मंजूरी दी गयी थी। इस परियोजना की शुरुआत 5 जनवरी, 2012 से हुई। यह परियोजना सीमा सुरक्षा बल के सभी पदस्थापित जवानों के अपने व्यक्तिगत डाटा तक पहुँच पाने के लिए शुरू की गयी थी।

इंटरनेट प्रहरी परियोजना का लाभ/उद्देश्य

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल के पदस्थापित जवानों का व्यक्तिगत डाटा कहीं भी 237 संबंधित स्थानों पर उपलब्ध कराना है।
- परियोजना से कुशल कार्यालय प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- जवानों के व्यक्तिगत डाटा से उच्च अधिकारियों को संबंधित जवान के विचार, बुद्धिमत्ता व साहस की जानकारी प्राप्त होगी जिसके द्वारा उन्हें संबंधित मिशन/कार्य में लगाने में सफलता सुनिश्चित हो सकेगी।
- इसके तहत अत्याधुनिक डाटा केन्द्र, आपदा डाटा केन्द्र (भूकम्प क्षेत्र) एवं मुख्य डाटा केन्द्र सहित डाटा की

क्षति से सुरक्षा व साइबर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय भी किए गए हैं।

समीक्षा

‘इंटरनेट प्रहरी परियोजना’ गृह-मंत्रालय के लिए एक उपयोगी परियोजना है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की व्यक्तिगत डाटा की किसी भी केन्द्र में सुलभता से जवानों की परेशानी कम होगी तथा यह अधिकारियों के कारगर कार्यालय प्रबंधन में मददगार साबित होगा। साथ ही जवानों की व्यक्तिगत डाटा उपलब्धता से भारतीय सैन्य बल के अन्दर धोखा, घुसपैठ व आतंक की बड़ी घटनाओं का भय समाप्त होगा, क्योंकि कभी-कभी अन्य पड़ोसी देशों की घृणित मंशा व भारत में आतंक व क्षति पहुँचाने के मकसद से आतंकी किसी तरह भारतीय सेना में घुस जाते हैं। इस दिशा में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी यह परियोजना निश्चित रूप से आवश्यक थी।

हिंद महासागर इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर

इस सेंटर को दिसंबर, 2018 में भारतीय नौसेना द्वारा गुरुग्राम में शुरू किया गया था। हाल में 6 अक्टूबर, 2019 को इसका परिचालन शुरू किया गया है। इस सेंटर द्वारा हिंद महासागर की सीमा से सटे भारतीय तटों पर मौजूद सभी

राडार को एक शृंखला में जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री मार्ग विकसित करना, परिचालित जहाजों के बारे में जानकारी साझा करना तथा कानून प्रवर्तन समस्याओं का समाधान करना है।

कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी (CORAS)

भारतीय रेलवे, यात्रियों की सुरक्षा हेतु एवं बंधक की स्थिति में व्यक्तियों को छुड़ाने हेतु इस विशेष कमांडो बल का गठन RPF के 1200 अफसरों से किया गया है। इन कमांडो को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी इलाकों तथा जम्मू-कश्मीर में तैनात किया जायेगा।

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश में पेशेवर व प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। इस विवि में फॉरेंसिक साइंस, कानून, अभियोजन, विवेचना तथा पुलिस बलों के संचालन की पढ़ाई कराई जायेगी। इसमें 10वीं के बाद बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा। इसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जायेगी।

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके अधिदेश : संभावित प्रश्न

1. भारत में सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों के समक्ष विद्यमान समस्याओं की चर्चा करें। इन समस्याओं के समाधान हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तुत करना चाहेंगे?
2. सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों के समक्ष विद्यमान समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करें। इन प्रयासों में आप क्या परिशोधन करना चाहेंगे?
3. क्या वर्तमान भारत में विधि प्रवर्तन हेतु विद्यमान एजेंसियों की संरचना पर्याप्त है? आप इसमें क्या कमियाँ देखते हैं? इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें।
4. क्या ‘सशस्त्र पुलिस विशेषाधिकार अधिनियम’ भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप प्रतीत होता है? इस अधिनियम के विरोधों के कारणों की समीक्षा करें।
5. इंटरनेट प्रहरी योजना क्या है? इससे होने वाले लाभों की समीक्षा करें।
6. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क पद्धति (CCTNS) क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्यों एवं उपयुक्तता पर प्रकाश डालें।
7. भारत में पुलिस सुधार के मुद्दे का लंबित रहना विधि प्रवर्तन के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। आपके विचार में भारतीय पुलिस बलों में किस प्रकार सुधार कर उन्हें अत्यधिक प्रभावी बनाया जा सकता है?
8. पुलिस सुधार से संबंधित धर्मवीर आयोग की प्रमुख सिफारिशों की चर्चा करें। इन सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें।